वार्षिक रिपोर्ट | Annual Report 2017-18

जीवन स्तर को बदलते हुए...
भारत को नई बुलंदियों पर ले जा रहा है !

Transforming lives...
Taking India to new heights !

இந்தியன் வங்கி
इंडियन बैंक
Indian Bank

உங்கள் வங்கி • आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK

इंडियन बैंक ने आईटी पहल के अंतर्गत संगठन में पारदर्शिता एवं सतर्कता जागरूकता पहल में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दो पुरस्कार प्राप्त किए । दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान श्री किशोर खरात, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इंडियन बैंक को भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू के करकमलों से पुरस्कार प्रदान किया गया।

Indian Bank bagged two awards for its significant contribution in IT initiative for transparency in the organization and Outstanding Contribution – Vigilance Awareness Initiative. Shri M Venkaiah Naidu, Hon'ble Vice President of India presented the award to Shri Kishor Kharat, MD&CEO, Indian Bank in a function held at New Delhi.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सर्वाधिक स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंक्ड करने वाले दो बैंक में से एक होने के कारण श्री किशोर खरात, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इंडियन बैंक को माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के करकमलों से एसएचजी पुरस्कार प्रदान किया गया । यह पुरस्कार नई दिल्ली में नाबार्ड के 36वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान प्रदान किया गया । श्रीमती अंजुली चिब दुग्गल, सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग एवं डॉ. एच के भनवाला, सीएमडी, नाबार्ड भी इस अवसर पर उपस्थित थे ।

Shri. Arun Jaitley, Hon'ble Union Minister for Finance presented the award to Shri. Kishor Kharat, MD & CEO, Indian Bank for being one among the two Public Sector Banks which has credit linked the largest number of SHGs. This award was presented during the 36th Foundation Day celebration of NABARD at New Delhi. Smt. Anjuly Chib Duggal, Secretary, Department of Financial Services, Dr. H.K.Bhanwala, CMD, NABARD were also present during the occasion.

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

टी. सी. वेंकट सुब्रमणियन
गैर–कार्यपालक अध्यक्ष
T C VENKAT SUBRAMANIAN
NON-EXECUTIVE CHAIRMAN

किशोर खरात
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
KISHOR KHARAT
MANAGING DIRECTOR & CEO

ए एस राजीव
कार्यपालक निदेशक
A S RAJEEV
EXECUTIVE DIRECTOR

एम. के. भट्टाचार्य
कार्यपालक निदेशक
M K BHATTACHARYA
EXECUTIVE DIRECTOR

अमित अग्रवाल
AMIT AGRAWAL

जे के दाश
J K DASH

विजय कुमार गोयल
VIJAY KUMAR GOEL

पद्मनाभन विट्टल दास
PADMANABAN VITTAL DASS

सलील कुमार झा
SALIL KUMAR JHA

विनोद कुमार नागर
VINOD KUMAR NAGAR

भरत कृष्ण शंकर
BHARATH KRISHNA SANKAR

महाप्रबन्धक / GENERAL MANAGERS

एस के परिदा
S K Parida

उदय भास्कर रेड्डी के
Udaya Bhaskara Reddy K

नागराजन एम
Nagarajan M

चेळियन एस
Chezhian S

मणिमारन आर
Manimaran R

प्रशांत वी ए
Prasanth V A

लक्ष्मीपति रेड्डी जी
Lakshmipathy Reddy G

गोपाल वी
Gopal V

वेंकटेस पेरुमाल पी
Venkatesa Perumal P

आजाद सिंह गंडस
Azad Singh Gandas

कार्तिकेयन एम
Karthikeyan M

चंद्रा रेड्डी के
Chandra Reddy K

रामू ए
Ramu A

रवि एस
Ravi S

बालसुब्रमणियन आर
Balasubramanian R

रेंगराजन एस
Rengarajan S

देवराज डी
Devaraj D

शेषाद्री टी एस
Seshadri T S

कृष्णन पी ए
Krishnan P A

संदीप कुमार
Sandeep Kumar

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254 - 260 अव्वै षण्मुगम सालै
Corporate Office : 254-260, Avvai Shanmugam Salai
चेन्नै Chennai - 600 014

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2017-18
निष्पादन की प्रमुख बातें PERFORMANCE HIGHLIGHTS

(₹ करोड़ों में) (₹ in crore)

विवरण Particulars	31-03-14	31-03-15	31-03-16	31-03-17	31-03-18
कुल व्यापार Total Business	286634	298057	310918	314654	371020
जमाएं (ग्लोबल) Deposits (Global)	162275	169225	178286	182509	208294
अग्रिम (ग्लोबल) Advances (Global)	124359	128832	132632	132145	162726
निवेश (सकल) Investments (Gross)	47635	46804	53418	67956	71232
ब्याज आय Interest Income	15249	15853	16244	16040	17113
गैर ब्याज आय Non Interest Income	1372	1363	1781	2211	2406
कुल आय Total Income	16621	17216	18025	18251	19519
ब्याज व्यय Interest Expenses	10889	11391	11798	10894	10850
परिचालनगत व्यय Operating Expenses	2831	2811	3195	3356	3668
कुल व्यय Total Expenditure	13720	14202	14993	14250	14518
परिचालनगत लाभ Operating Profit	2901	3014	3032	4001	5001
निवल लाभ Net Profit	1159	1005	711	1406	1259
जमाओं की लागत (%) Cost of Deposits (%)	7.15	7.10	6.76	6.03	5.40
अग्रिमों पर प्रतिफल (%) Yield on Advances (%)	10.38	10.19	9.63	9.17	8.50
निवल ब्याज मार्जिन (%)Net Interest Margin (%)	2.60	2.50	2.33	2.59	2.90
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Average Assets (%)	0.67	0.54	0.36	0.67	0.53
ईक्विटी शेयर पूंजी Equity Share Capital	465	480	480	480	480
रिज़र्व एवं अधिशेष (पुनर्मूल्यन रिज़र्व को छोड़कर) Reserves & Surplus (excluding Revaluation Reserve)	11071	12078	12998	13981	15347
निवल संपत्ति Net Worth	11536	12558	13478	14461	15827
सकल एनपीए (%) Gross NPA (%)	3.67	4.40	6.66	7.47	7.37
निवल एनपीए (%) Net NPA (%)	2.26	2.50	4.20	4.39	3.81
पूंजी पर्याप्तता अनुपात Capital Adequacy Ratio					
- बेसल II - Basel II	13.10	13.24	13.67	-	
- बेसल III - Basel III	12.64	12.86	13.20	13.64	12.55
प्रति शेयर अर्जन (₹) Earnings Per Share (₹)	26.07	21.62	14.81	29.27	26.21
प्रति शेयर बही मूल्य (₹) Book Value per Share (₹)	248.16	261.46	280.63	301.10	329.53
प्रति ईक्विटी शेयर लाभांश (₹) Dividend per Equity Share (₹)	4.70	4.20	1.50	6.00	6.00*
शाखाओं की संख्या (नंबर) No. of branches (Nos.)	2253	2412	2565	2682	2823
कर्मचारियों की संख्या (नंबर) No. of employees (Nos.)	19429	20294	20140	20924	19843
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ लाखों में) Business per employee (₹ in lacs)	1453	1443	1531	1488	1856

* प्रस्तावित Proposed

लेखा परीक्षक AUDITORS

प्रकाश चंद्र जैन एण्ड कंपनी
PRAKASH CHANDRA JAIN & CO

गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
GANDHI MINOCHA & CO

पाम्स एण्ड एसोसियेट्स
PAMS & ASSOCIATES

पी एस सुब्रमणिय अय्यर एण्ड कंपनी
P S SUBRAMANIA IYER & CO

एम थामस एण्ड कंपनी
M THOMAS & CO

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै
Corporate Office : 254-260, Avvai Shanumugam Salai
चेन्नै Chennai - 600 014

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2017-18

विषयवस्तु CONTENTS

	पृष्ठ सं.		Page No.
अध्यक्ष का संदेश	1	Chairman's Message	3
प्रनि एवं मुकाअ का संदेश	5	MD & CEO's Message	9
निदेशकों की रिपोर्ट	14	Directors' Report	15
प्रबन्धन विचार विमर्श एवं विश्लेषण	20	Management Discussion and Analysis	21
कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	110	Report on Corporate Governance	111
कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	148	Auditors' Certificate on Corporate Governance	149
वित्तीय विवरण – इंडियन बैंक		**Financial Statements – Indian Bank**	
● तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	152	● Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	152
● मुख्य लेखाकरण नीतियां	162	● Significant Accounting Policies	163
● लेखों पर टिप्पणियां	172	● Notes on Accounts	173
● लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	232	● Auditors' Report	233
समेकित वित्तीय विवरण		**Consolidated Financial Statements**	
● तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	236	● Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	236
● मुख्य लेखाकरण नीतियां	244	● Significant Accounting Policies	245
● लेखों पर टिप्पणियां	258	● Notes on Accounts	259
● लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	284	● Auditors' Report	285
अतिरिक्त प्रकटीकरण	286	Additional Disclosures	287

इंडियन बैंक
निवेशक सेवाएं कक्ष
संख्या. 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै
रायपेट्टा
चेन्नै – 600 014
दूरभाष सं 044 28134076; Fax No.044 28134076
ई–मेल : investors@indianbank.co.in

Indian Bank
Investor Services Cell
No.254-260, Avvai Shanmugam Salai
Royapettah
Chennai - 600 014
Tel No. 044 28134076; Fax No. 044 28134076
E – Mail : investors@indianbank.co.in

शेयर अंतरण एजेंट
केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड
यूनिटः : इंडियन बैंक
सुब्रमणियन बिल्डिंग, 1, क्लब हाउस रोड
चेन्नै – 600 002
दूरभाष सं. 044 28460718; फैक्स सं. 044 28460129
ई–मेल : investor@cameoindia.com

Share Transfer Agent
Cameo Corporate Services Limited
Unit : Indian Bank
Subramanian Building, 1, Club House Road
Chennai - 600 002
Tel No. 044 28460718; Fax No. 044 28460129
E – Mail : investor@cameoindia.com

अध्यक्ष का संदेश

श्री टी सी वेंकटसुब्रमणियन
गैर–कार्यपालक अध्यक्ष

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे निदेशक मंडल की ओर से आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 में बैंक के निष्पादन की मुख्य बातों को पेश करने में अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

आपके बैंक द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों तथा की गई पहल के विवरण, इसके साथ संलग्न इस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है।

वर्ष 2017–18 के दौरान की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और बैंकिंग उद्योग में हो रहे मूलभूत परिवर्तनों के परिदृश्य में, मैं हमारे मूल्यवान ग्राहकों के प्रति, जिन्होंने बैंक पर अपना दृढ़ विश्वास कायम रखा, आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे यह रिपोर्ट करने में अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि बैंक विगत वर्ष के दौरान लाभ कमाने वाले कुछेक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एक रहा है और विभिन्न मापदण्डों में लगातार अपने समकक्ष के बैंकों से बेहतर निष्पादन कर रहा है। बैंक ने जमाएँ और अग्रिम, दोनों में अपना बाजार शेयर बढ़ा दिया है। देश में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बनने की हमारी यात्रा में आपके सतत समर्थन के लिए मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ।

आर्थिक परिदृश्य – वैश्विक

वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2010 से व्यापक सुधार हो रहा है। 2017 के दौरान लगभग 75 प्रतिशत देशों की विकास दरों में सुधार दिखायी दिया, जोकि 2010 से सर्वाधिक शेयर है। आईएमएफ के हाल ही के विश्व आर्थिक आउटलुक (डब्लयूईओ) में दर्शाया गया है कि वैश्विक जीडीपी के विकास में वर्ष 2016 के 3.2 प्रतिशत की तुलना में 2017 के दौरान 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2017 में पायी गयी वृद्धि की प्रवृत्ति, 2018 और 2019 के दौरान भी जारी रहने की प्रत्याशा की गई है तथा दोनों वर्षों के लिए वैश्विक वृद्धि की दर को 3.9 प्रतिशत के रूप में बढ़ाया गया है (पिछले पूर्वानुमानों की तुलना में 0.2 प्रतिशत प्वाइंट उच्चतर तुलनात्मक आंकडे)।

युनाइटेड स्टेट्स के लिए वृद्धि के पूर्वानुमान को संशोधित किया गया है तथा 2017 में प्रत्याशित कार्यकलाप से अधिक एवं सुदृढ कार्यकलापों की प्रत्याशा के साथ प्रक्षेपित बाह्य मांग अधिक होने का अनुमान किया गया है और कर सुधार में, खासकर कॉर्पोरेट करों को घटाने और निवेश के लिए उठाये गये पूर्ण खर्च हेतु अस्थायी अनुज्ञा दिये जाने के कारण व्यापक आर्थिक प्रभाव पडेंगे। कई यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर, खासकर जर्मनी, इटली और नेदरलैण्ड्स की वृद्धि बढ गयी है जिससे देशी मांग में सुदृढ बदलाव एवं उच्चतर बाह्य मांग प्रतिबिंबित की गई हैं। अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए वर्ष 2018 और 2019 हेतु वृद्धि के पूर्वानुमान भी बढाये गये हैं, जोकि विशेष रूप से उन्नत एशियाई अर्थव्यवस्थाएं, जो वैश्विक व्यापार और निवेश के आउटलुक के प्रति संवेदनशील हैं, में सुदृढ वृद्धि को प्रतिबिंबित करती है। यूएसए और चीन द्वारा अपनायी गयी संरक्षणात्मक नीति तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ते कच्चा तेल की कीमतें, भारत सहित कई देशों के विकास के पूर्वानुमान में मुख्य चुनौती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में संरक्षण के संबंध में पुनः डर, उसकी प्रतिक्रियाएं और ट्रेड से संबंधित झगडों से मुख्य चुनौतियाँ उठती हैं जिसमें भारत सहित उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई), जो खुलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेते हैं और अपने विकास की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए विदेशी पूँजी अंतर्प्रवाह पर भरोसा करते हैं, को प्रभावित करता है।

आर्थिक परिदृश्य – देशी

जीएसटी का प्रादुर्भाव, बैंकों के गैर– निष्पादक आस्तियों के कारण होनेवाली समस्याओं के समाधान की दिशा में लिये जानेवाले महत्वपूर्ण कदम, एफडीआई को और अधिक उदार बनाने आदि के कारण सुधार की गति को सुदृढ बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक की 'ईस ऑफ डूइंग बिजिनेस रिपोर्ट (ईओडीबी), 2018 में तीस स्थान आगे आकर भारत ने पहली बार सर्वोच्च 100 में स्थान प्राप्त कर लिया। व्यापक सूचकांकों में सरकार के सुधारात्मक कदम इन रैंकिंग से प्रदर्शित होता है।

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा विमोचन किये गये हाल ही के वार्षिक राष्ट्रीय आय, 2017–18 के अनंतिम अनुमान के अनुसार, 2017–18 के लिए जीडीपी (स्थिर मूल्य) में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि होने का आकलन किया गया है जबकि 2016–17 में वृद्धि की दर 7.1 प्रतिशत थी।

अगले राष्ट्रीय चुनाव तक लागू रहने वाली आर्थिक नीति, 2018–19 की संभावनाओं को निर्धारित करेगी। आगामी वर्ष में मेक्रो इकनॉमिक स्थिरता को नियंत्रित करने और अब जारी सुधारात्मक कदमों को सुदृढ बनाने, दबावग्रस्त आस्तियों एवं पुनः पूँजीकरण की प्रक्रिया को निपटाने तथा कच्चे तेल के बढ़ते मूल्यों के प्रभाव को मन्द करना ही मुख्य तत्व रहेंगे, जो आगामी वर्ष के दौरान आर्थिक विकास के आयाम को निर्धारित करेंगे।

बैंकिंग क्षेत्र का निष्पादन :

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के तुलन पत्रों में बढते एनपीए खातों के कारण इस वर्ष के दौरान इंडियन बैंकिंग उद्योग को चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरना पडा। ट्विन तुलन पत्र (टीबीएस) चुनौतियों का समाधान करने के लिए निर्णयात्मक कार्रवाई की गयी। नये भारतीय दिवालियापन कोड (आईबीसी) ने एक ऐसा समाधान ढाँचा प्रदान किया है जो कॉर्पोरेटों को अपने तुलन पत्रों को स्वच्छ बनाने और ऋणों को घटाने में सहायक सिद्ध होंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के तुलन पत्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार ने बडी मात्रा के पुनःपूँजीकरण पैकेज की घोषणा की। इन्सोल्वेन्सी एण्ड बैंकरप्ट्सी कोड (आईबीसी) के अंतर्गत बडे तनावग्रस्त उधारकर्ताओं को समाधान के लिए संदर्भित किया जाता है। इससे अपेक्षा की जाती है कि ऋण के प्रवाह में आगे बढोत्तरी होगी और नये निवेश के लिए माँग सृजित की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान अर्थव्यवस्था के विकास की मन्द गति और निम्न कैपेक्स मांग के कारण आस्ति गुणवत्ता के दबाव अधिक रहे।

आपका बैंक एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसको पुनःपूँजीकरण प्रदान नहीं किया गया और भारत के माननीय वित मंत्री द्वारा सुदृढ सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहा गया।

बैंक अपने अग्रिमों में बढोत्तरी लाने और उसके फलस्वरूप जमाओं और अग्रिमों, दोनों में अपने बाजार शेयर को बढाने में सक्षम रहा।

गृह ऋण, एमएसएमई आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेषीकृत शाखाएँ खोली गयीं ताकि घटायी गयी टर्नअराउण्ड समय के साथ पूर्ण समाधन हेतु केन्द्रित ध्यान दिया जा सके।

बैंक, प्राथमिकता क्षेत्र को ऋणद के प्रत्येक संवर्ग में, अर्थात प्राथमिकता क्षेत्रक अग्रिमों के अंतर्गत 47.08 प्रतिशत का स्तर (अनिवार्य 40 प्रतिशत), कृषि के अंतर्गत 20.91 (18 प्रतिशत), कमजोर वर्गों को अग्रिमों में 12.58 प्रतिशत (10 प्रतिशत) और एमएसएमई के अंतर्गत माइक्रो उद्यमों को ऋणद में 9.30 प्रतिशत (7 प्रतिशत) निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर सका।

बैंक के कारोबार एवं वित्तीय उपलब्धियाँ:

इस परिदृश्य में मैं प्रमुख क्षेत्रों में बैंक द्वारा किये गये निष्पादन की मुख्य बातों का अवलोकन आपको प्रदान करना चाहता हूँ।

- 31 मार्च, 2018 को बैंक के कारोबार में 17.91 की वृद्धि से यह 3,71,020 करोड़ रुपए रहा। जमाओं में जबकि 25,785 करोड़ रुपए या 14.13 प्रतिशत की वृद्धि से यह 2,08,294 करोड़ रुपए हुई, अग्रिमों में 23.14 प्रतिशत की वृद्धि से यह 1,62,726 करोड़ रुपए रहा।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए बैंक का परिचालनगत लाभ 5000.99 करोड़ रुपए रहा जबकि निवल लाभ 1258.99 करोड़ रुपए रहा।
- 31 मार्च, 2018 को बैंक का नेट वर्थ बढकर 15826.98 करोड़ रुपए रहा।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए प्रति शेयर अर्जन और प्रति शेयर बही मूल्य क्रमशः 26.21 रुपए रहे। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ईक्विटी पर प्रतिलाभ 8.27 प्रतिशत रहा।
- 31 मार्च, 2018 को बेसल ।।। के अधीन बैंक की वित्तीय स्थिरता, जोकि उसके सीआरएआर (जोखिम भारित आस्तियों के तुलना में पूंजी अनुपात) में प्रतिबिंबित है, 12.55 प्रतिशत पर सुदृढ रहा।

भविष्य की ओर :

भारिबैंक के वार्षिक नीति विवरण के अनुसार 2018–19 में आर्थिक क्रियाकलापों की गति में तेजी आने की अपेक्षा की जा रही हैं क्योंकि उनको अनुकूल देशी एवं वैश्विक वातावरण से लाभ मिल रहा है।

जीएसटी के कार्यान्वयन से संबंधित प्रारंभिक कठिनाइयाँ कम हो रही हैं और हाल ही की अवधि में ऋण की प्राप्तियां बेहतर हो गई हैं और यह व्यापक बन रहा है, जोकि निर्माण क्षेत्र और नयी निवेश कार्यकलापों के लिए हितकारक है।

जीएसटी को नियमित बनाने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूँजीकरण और इन्सॉल्वेन्सी और बैंकरप्ट्सी कोड (आईबीसी) के अंतर्गत तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान से कारोबार एवं निवेश के माहौल में सुधार होने की अपेक्षा की जाती है।

भारत सरकार, ग्रामीण एवं मूलभूत संरचनागत क्षेत्रों के विकास को महत्व दे रही है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढने और निजी निवेश में बढोत्तरी होने की प्रत्याशा की जाती है।

आभारोक्तियाँ :

मैं अपने मूल्यवान ग्राहकों से प्राप्त अनवरत समर्थन और मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिसके बिना उत्कृष्टता की हमारी अनवरत खोज और बैंक ने जो परिणाम हासिल किये हैं, संभव नहीं हुआ होगा। मैं सभी स्टेक धारकों के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और उनके सतत सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं सभी शेयरधारकों को आपके बैंक पर आपके निरन्तर विश्वास के लिए पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

इस अवसर पर मैं बैंक के पूरे कार्यबल के निष्ठावान एवं सराहनीय प्रयासों के लिए, जो चुनौतीपूर्ण बाहरी माहौल में, जिसमें आपके बैंक ने काम किया, उत्तम रहा है, अपने हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूँ।

जैसे ही आपका बैंक गूड से ग्रेट बनने की यात्रा में आगे जा रहा है, मैं आप सबके समर्थन एवं संरक्षण की अपेक्षा करता हूँ।

शुभकामनाओं के साथ

आपका

टी सी वेंकट सुब्रमणियन
गैर–कार्यपालक अध्यक्ष

Shri. T C Venkat Subramanian
Non-Executive Chairman

Chairman's Message

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors, it gives me immense pleasure to place before you the highlights of your Bank's performance during the Financial Year 2017-18.

Details of the achievements and initiatives taken by your Bank are provided in the enclosed Annual Report for the year.

Given the challenging circumstances during 2017-18 and the Banking industry undergoing a radical transformation, I am grateful to our valued customers who have continued to repose their trust in us. I am very happy to report that, your Bank has emerged as one of the very few profitable Public Sector Banks in the year gone by and has been continuously performing better than its peers in various parameters and has improved its market share in both the deposits and Advances. I once again acknowledge your continued support in our journey towards being the best Public Sector Bank in the country.

Economic Overview – Global

Global economy is experiencing a most broad-based recovery since 2010. In 2017, roughly three-quarters of countries experienced improvements in their growth rates, the highest share since 2010. The latest World Economic Outlook (WEO) of the IMF shows global GDP growth accelerated to around 3.6 percent in 2017 from 3.2 percent in 2016. The stronger momentum experienced in 2017 is expected to carry into 2018 and 2019, with global growth revised up to 3.9 percent for both years (0.2 percentage point higher relative to the fall forecasts).

The growth forecast for the United States has been revised up given stronger than expected activity in 2017, higher projected external demand, and the expected macroeconomic impact of the tax reform, in particular the reduction in corporate tax rates and the temporary allowance for full expensing of investment. Growth rates for many of the euro area economies have been marked up, especially for Germany, Italy, and the Netherlands, reflecting the stronger momentum in domestic demand and higher external demand. The growth forecast for 2018 and 2019 has also been revised up for other advanced economies, reflecting in particular stronger growth in advanced Asian economies, which are especially sensitive to the outlook for global trade and investment.

Protectionist policy adopted by USA and China and rising crude oil prices to the global economy pose a major challenge to the growth forecast including India. Renewed fears of protectionism, retaliatory actions and trade wars pose a major challenge to the global economy, with implications for emerging market economies (EMEs), including India, that are participating in open international trade and relying on foreign capital flows to realise their developmental aspirations.

Economic Overview – Domestic

Introduction of GST, significant steps being undertaken towards resolution of problems associated with non-performing assets of the banks, further liberalization of FDI, etc., strengthens the momentum of reforms. India jumped thirty places to break into the top 100 for the first time in the World Bank's Ease of Doing Business Report (EODB), 2018. The rankings reflect the Government's reform measures on a wide range of indicators.

As per the provisional estimates of Annual National Income 2017-18, released by Central Statistics Office, the growth in GDP (constant prices) for 2017-18 is 6.7 per cent as compared to the growth rate of 7.1 per cent in 2016-17.

The outlook for 2018-19 will be determined by economic policy in the run-up to the next national election. Controlling macro-economic stability and stabilisation of ongoing reforms, speedy Resolution of stressed assets and recapitalisation process and impact of rising crude oil prices will be the key factors which will shape the economic development in the forthcoming year.

Performance of the Banking sector:

The Indian banking industry continued to face challenging times during the year due to the rising NPAs in balance sheets of Public Sector Banks. Decisive action was taken to tackle the Twin Balance Sheet (TBS) challenges. The new Indian Bankruptcy Code (IBC) has provided a resolution framework that will help Corporates clean up their balance sheets and reduce their debts.

The Government of India announced a large recapitalization package (about 1.2 per cent of GDP) to strengthen the balance sheets of the public sector banks (PSBs). Large distressed borrowers are being referenced for resolution under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC). This is expected to improve credit flows further and create demand for fresh investment.

Asset quality pressures have remained elevated during FY 2017-18 due to tepid growth in the economy and low capex demand.

Your Bank was the only Public Sector Bank which has not been recapitalised and has been acknowledged as a sound Public sector Bank by the Hon'ble Finance Minister of India.

Bank was able to grow its Advances sizeably and in turn the Market share of both Deposits and Advances consequently.

Specialised branches catering to the need of Home loans, MSME etc., were opened to extend focused attention for end to end solution with reduced turnaround time.

Bank was also able to surpass all National goals set under Priority sector lending for each category viz, Level of 47.08 per cent (Mandatory 40 per cent) under Priority Sector Advances, 20.91 per cent (18 per cent) in Agriculture, 12.58 per cent (10 per cent) for Advances to weaker sections and 7.87 per cent (7.50 per cent) in lending to Micro Enterprises under MSME.

Bank's Business and Financial Achievements:

Against this backdrop, I would like to give an overview of the Bank's performance in important parameters.

- Bank's Business grew by 17.91 per cent to ₹ 3,71,020/- crore as on 31st March 2018. While Deposits grew by ₹ 25,785 crore or 14.13 per cent to ₹ 2,08,294 crore, Advances grew by 23.14 per cent and stood at ₹ 1,62,726/- crore.
- Operating Profit of the Bank for FY 2017-18 was at ₹5000.99 crore, while Net Profit stood at ₹1258.99 crore.
- Net worth of the Bank increased to ₹15826.98 crore as on 31st March 2018.
- Earnings per share for FY 2017-18 and Book value per share were at ₹26.21 and ₹329.53 respectively. Return on Equity was at 8.27 per cent for FY 2017-18.
- Bank's financial soundness as reflected by the CRAR (Capital to Risk Weighted Assets Ratio) was strong at 12.55 per cent under Basel III as on 31st March 2018.

Way Forward:

As per RBI's Annual Policy statement, economic activity is expected to gather pace in 2018-19, benefitting from a conducive domestic and global environment.

The teething troubles relating to implementation of the GST are receding and credit off-take has improved in the recent period and is becoming increasingly broad based, which augurs well for the manufacturing sector and new investment activity.

With the formalisation of GST, recapitalisation of public sector banks and resolution of distressed assets under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), the business and investment environment is expected to improve. With the Government of India's thrust on rural and infrastructure sectors, the demand is expected to increase in rural areas and also boost the private investment.

Acknowledgements:

I would like to place on record, the unstinted support and guidance from our valued customers without which our sustained quest for excellence would not have yielded the results which Bank achieved. I would also like to acknowledge the support of all other stakeholders and I am grateful to each one of them for their continued cooperation. I wish to sincerely thank all, our valuable shareholders once again for their continued confidence in your Bank.

I would also like to take this opportunity to express my sincere appreciation for the dedicated and commendable efforts of the entire work force of the Bank considering the challenging external environment in which your Bank operated.

We look forward to your continued support and patronage as your Bank embarks on its journey of making the Bank from Good to Great.

With best wishes

Yours sincerely

T C VENKAT SUBRAMANIAN
NON-EXECUTIVE CHAIRMAN

श्री किशोर खरात
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

प्रिय शेयर धारकों,

मुझे व्यक्तिगत तौर पर तथा बैंक के निदेशक मंडल एवं बैंक के कर्मचारियों की ओर से आप सबको आपके बैंक की 12वीं वार्षिक आम बैठक में स्वागत करते हुए अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है।

सर्वप्रथम मैं इस अवसर पर अपने सम्माननीय शेयर धारकों को इन वर्षों के दौरान उनके द्वारा दिए गए सतत् समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण, कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों के प्रमाणपत्र, वित्तीय विवरणियाँ तथा समेकित वित्तीय विवरणियाँ पहले ही परिचालित की जा चुकी है और आपकी अनुमति के साथ मैं यह मानकर चलता हूँ कि आपने उन्हें पढ लिया है।

वित्तीय परिणामों पर चर्चा करने के पहले, मैं मैक्रो अर्थव्यवस्था पर कुछ कहना चाहूँगा। देशी एवं वैश्विक मार्केटों के बीच उच्च स्तरीय आपसी संबंध होने के कारण तथा वैश्विक संस्थाओं की भारतीय अर्थव्यवस्था पर रखे जानेवाले दृष्टिकोण, जिन्हें देशी नजरिए से देखा जाना है, यह जरूरी है कि हम भारत की अर्थव्यवस्था के साथ ही साथ विश्व की आर्थिक व्यवस्था पर भी लगातार नजर रखें।

आर्थिक अवलोकन – वैश्विक अर्थव्यवस्था

वर्ल्ड बैंक के पूर्वानुमान के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2017 के दर्शाए गए 3 प्रतिशत के प्रत्याशित वृद्धि से, वर्ष 2018 के दौरान 3.1 प्रतिशत होने का अनुमान हैं । इसका कारण निवेशों, विनिर्माण तथा व्यापार में वृद्धि हुई है। वैश्विक आर्थिक गतिविधियाँ सशक्त होती गई हैं तथा यह विभिन्न क्षेत्रों में बढती मात्रा में सिंक्रोनाइज हुई दिखाई दे रही है। दो वर्षों की धीमी स्थिति के बाद वैश्विक व्यापार, माँग से अधिक बढ़ा है तथा नाजुक डिमांड –सप्लाई संतुलन में कच्चे तेल की कीमतों में भी बढोत्तरी हुई है।

जहाँ तक उन्नत अर्थव्यवस्था की बात है, वर्ष 2018 के दौरान विकास दर में मध्यम गति अनुमानित है जो लगभग 2.2 प्रतिशत हो सकती है। चूँकि केन्द्रीय बैंकों द्वारा पोस्ट क्रैसिस एकोमडेशन धीरे–धीरे हटाए जा रहे हैं तथा निवेशों में ऊपरी चढाव स्थिरता की ओर बढ रहे हैं। इसके मुक़ाबले में, उभरते बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ मिलकर वर्ष 2018 में 4.5 प्रतिशत का मजबूत विकास दर प्राप्त करने के अनुमान हैं, क्योंकि बढती मूल्यों के बीच भी वस्तुओं के निर्यात में सुधार आया है।

वैश्विक दृष्टिकोण बडी मात्रा में संभावित नेगेटिव जोखिमों के अद्यधीन है जिसमें संभावित वित्तीय दबाव, बढती हुई संरक्षणवाद, बढते हुए भू–राजनीतिक तनाव, प्रतिशोधनात्मक कार्रवाई तथा व्यापार–युद्ध शामिल हैं। यदि निकट भविष्य की विकास दर ऊपर हो तो यह आश्चार्यजनक नहीं होगा। इन सबका भारत सहित सभी उभरते बाजारों पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ सकते हैं।

भारत की अर्थव्यवस्था

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी–

- 14 वर्ष में पहलीबार मूडी ने देश की रेटिंग को निम्नतम निवेश ग्रेड ''बीएए3'' से ''बीएए2'' में बदला तथा अऊटलुक को ''स्थिर'' से ''सकारात्मक'' में बदला
- बैंकिंग विनियमन (संशोधन) बिल 2017 पारित किया गया जो भारतीय रिज़र्व बैंक को दबावग्रस्त आस्तियों को सुलझाने के संबंध में बैंकों को सलाह देने/मार्गदर्शन प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है।
- दिवालियापन एवं बैंकक्रप्सी कोड (संशोधन) बिल 2017 पारित किया गया जो मौजूदा नियमों में स्थित कमियों को दूर करने तथा दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया था।
- भारत सरकार ने अक्टूबर 2017 के दौरान सरकारी बैंकों को रु.2.11 लाख करोड़ की पूँजी देकर पुनःपूँजीकरण योजना को अनुमोदित किया, जिसमें 1.35 लाख करोड के पुनःपूँजीकरण बाँड तथा बकाया पूँजी की राशि बैंकों द्वारा स्वयं जुटाई जानी थी।
- भारत सरकार ने 24 जनवरी 2018 को सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के लिए " पहुँच में आसानी और सेवा उत्कृष्टता" एजेंडा का अनावरण किया जो सरकारी बैंकों को 2 वर्षों की समय अवधि के दौरान सहक्रियात्मक दृष्टिकोण से बेंचमार्क उत्कृष्टता की ओर रूपांतरित करने के उद्देश्य से की गई थी।
- 24 जनवरी 2018 को भारत सरकार ने 20 सार्वजनिक बैंकों को 88,139 करोड़ रुपए प्रदान करने के प्रस्ताव की घोषणा की। देवियों और सज्जनों, मैं अत्यंत गर्व के साथ इस बैठक में उपस्थित विशिष्ट व्यक्तियों के ध्यान में यह लाना चाहता हूँ कि सिर्फ आपका बैंक ही एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था, जिसे पूंजी के लिए भारत सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं थी, इस तथ्य को भारत सरकार ने भी मुख्य रूप से व्यक्त किया था ।
- भारत सरकार ने बैंकों के लिए मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है तथा एमएसएमई के लिए 3794 करोड़ की ऋण सहायता, पूंजी एवं ब्याज अनुदान निर्धारित किए हैं ताकि एमएसएमई क्षेत्र को ऋणद बढ़ा दिया जाए और वर्ष 2018 –19 के बजट में किए गए घोषणा के अनुरूप सम्मिलित विकास निश्चित रूप से दर्ज किया जा सके।

- भारत रिजर्व बैंक ने अपने नियमों में बदलाव किए जिसके तहत उधारकर्ता को रियल स्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्टों (आरईआईटी) तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट न्यासों में ईन्सट्रूमेंटों के यूनिट कैपिटल के 10 प्रतिशत का निवेश किया जा सकता है ।

- माइक्रो, लघु तथा मध्यम उद्यमों को दिये जाने वाले ऋणों में सुधार लाने के लिए सिडबी द्वारा एक नया पोर्टल "उद्यमी मित्र" प्रवर्तित किया है।

बैंकिंग क्षेत्र

- भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए यह वर्ष एक और चुनौतीपूर्ण वर्ष था । इसके प्रमुख कारण ऋणों में कम वृद्धि, आस्ति की गुणवत्ता में लगातार दबाव बनाए रखना, बढ़े हुए गैर निष्पादक आस्तियों के लिए अधिक प्रवाधान तथा बॉण्ड से प्राप्त आमदनी में कमी थी । इन सभी कारणों से लाभप्रदत्ता में कमी दर्शायी गई । गिरती आर्थिक परिस्थितियों के कारण तथा बदलते विनियामक वातावरणों के कारण भी बैंकों के निष्पादन पर प्रभाव पड़ा ।

- एक ओर मांग में कमी तथा आस्तियों की गुणवत्ता में बढ़ते दबाव के चलते बैंकों द्वारा सावधानी पूर्वक वितरित ऋणों की वजह से ऋणों में बहुत कम वृद्धि दर्शाई गई, जो रेकॉर्ड तौर पर कम दर्ज की गई, इसके अन्य घटकों में औद्योंगिक आऊटपुट, लीवरेज्ड, कॉर्पोरेट तुलनपत्र तथा अल्प सीएपीईएक्स योजनाएँ रही हैं ।

गुड से ग्रेट तक का सफर – एक परिवर्तनकारी यात्रा :

आज, बैंकिंग के क्षेत्र में एनपीए, बड़े मूल्य के धोखाधड़ी की घटना एवं अभिशासन संबंधी मुद्दों के कारण पैदा हुए तनावपूर्ण वातावरण में आपका बैंक एक स्टार पर्फोर्मर के रूप में उभरकर सामने आया है। आपके बैंक ने सभी महत्वपूर्ण वित्तीय मानकों में बेहतर प्रदर्शन करके खुद को एक मजबूत बैंक के रूप में स्थापित किया है।

पूंजी के मामले में बैंक लाभ के निरंतर पुनर्निवेश से स्वयं को आत्मनिर्भर बनाए हुए है । इसके साथ ही 2007 से बैंक ने अपने शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने का ट्रैक रिकॉर्ड भी बनाए रखा है। आपके बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मध्य शीर्ष बैंकों में से एक के रूप में मूल्यांकित किया जा रहा है । इसके साथ ही इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा आपके बैंक को **'सर्वश्रेष्ठ बीएफएसआई ब्रांड 2018'** के तहत वर्गीकृत किया गया है।

जिस प्रकार का मैंने वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान बैंक का निष्पादन देखा है, इसके कारण आप यह जानकर हर्षित एवं आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे वित्तीय परिणामों ने यह एक स्पष्ट संदेश स्थापित करने में मदद की है कि केवल सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होना ही उत्कृष्ट निष्पादन में बाधा हो, यह जरूरी नहीं है ।

वर्ष के दौरान बैंक ने 5 मुख्य मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया, यथा : 'व्यापार के मानदण्डों को सक्रिय बनाना', 'ग्राहक सेवा को जीवंत बनाना', 'आस्तियों की गुणवत्ताा को बढाना', 'संचालन क्षमता में वृद्धि लाना' एवं 'बैंक का डिजिटल बैंकिंग में परिवर्तन'। इस 'पंच–मंत्र' का पालन करके, बैंक ने कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं तथा इस प्रकार यह खुद को अपने मिशन 'गुड बैंक' से 'ग्रेट बैंक' में बदलने की ओर बढ़ रहा है।

खुदरा, कृषि और एमएसएमई (आरएएम) क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ–साथ व्यापार रणनीति के पुनर्विन्यास ने अच्छे नतीजे दिए हैं तथा बैंक, अग्रिम में बड़े पैमाने पर वृद्धि हासिल करने में समर्थ हो सका है।

वित्तीय विशिष्टताएं :

इस पृष्ठभूमि के साथ, मैं प्रमुख मानकों पर बैंक के निष्पादन का एक स्नैपशॉट प्रस्तुत करना चाहूँगा :

- मार्च 2018 को समाप्त वर्ष तक बैंक का कारोबार 17.91 प्रतिशत बढ़कर रु. 3,71,020 करोड़ हो गया, जिसमें जमा में वृद्धि रु. 25,785 करोड़ (14.13 प्रतिशत) से रु. 2,08,294 करोड़ हुई तथा अग्रिम रु. 30581 करोड़ (23.14 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए रु. 1,62,726 करोड़ तक पहुँच गई ।

- वित्तीय वर्ष 2017–18 में परिचालन लाभ में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा यह रु. 5000.99 करोड़ रहा जबकि निवल लाभ रु. 1258.99 करोड़ था ।

- बैंक सुदृढ़ रूप से पूंजीकृत है जो आस्तियों से संबंधित जोखिमों को दूर रखता है । मार्च 2018 के अंत में बेसल III के तहत 12.55 प्रतिशत सीआरएआर के साथ, बैंक ने, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान व्यापार वृद्धि हेतु पूँजी बढ़ाने एवं नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार के शेयर को 75 प्रतिशत से कम करने के लिए, सही समय पर बाजार को पकड़ने की योजना बनाई है। बैंक को आवश्यकता के आधार पर विभिन्न माध्यमों से पहले ही एक व एक से अधिक श्रृंखलाओं द्वारा रु. 7000 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक की पूँजी एकत्र करने की माननीय शेयर धारकों से आवश्यक स्वीकृति मिल चुकी है ।

- 0.53 प्रतिशत की आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) सार्वजनिक क्षेत्र के श्रेष्ठ बैंकों में से एक है ।

- अल्प लागत चालू खाता एवं बचत खाता (कासा – देशी) के शेयर के साथ ऐडव्वैट रिसोर्स प्रोफाइल सहित कुल जमाओं के 37.78 प्रतिशत ने बैंक को 14.59 प्रतिशत (वर्ष–दर–वर्ष) की वृद्धि के साथ रु.76,402.08 करोड़ तक पहुंचाने में सक्षम बनाया है।

- चालू जमाओं (घरेलू) में 31.97 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष–दर–वर्ष) दर्ज की गई, जो 12,425.57 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

- 31.03.2017 को बैंक का बाजार पूंजीकरण 13,364 करोड़ था जो 31.03.2018 को बढ़कर 14,399 करोड़ रुपये हो गया।

- भारत सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करना, बैंक की कार्यसूची में सर्वोच्च था और निर्धारित मानदण्डों को पूरा किया गया अर्थात वर्ष 2017 – 18 में तिमाही औसत समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के प्रतिशत के रूप में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम (58,978.78 करोड़ रुपये) 40 प्रतिशत के नियामक लक्ष्य के मुकाबले 47.08 प्रतिशत (टर्मिनल स्तर पर 48.51 प्रतिशत) था। तिमाही औसत समायोजित निवल बैंक ऋणद (एएनबीसी) के प्रतिशत के रूप में कृषि उधार 18 प्रतिशत (21.07 प्रतिशत टर्मिनल स्तर के आधार पर) के लक्ष्य के मुकाबले 20.91 प्रतिशत (26,198.31 करोड़ रुपये) था।

- एमएसएमई क्षेत्र पर पूर्णतः ध्यान देने के लिए देश भर में संभावित / औद्योगिक केंद्रों पर 18 एमएसएमई शाखाएं खोली गईं। एमएसएमई ऋण के लिए त्वरित टर्नअराउंड समय की सुविधार्थ 7 महानगरीय केंद्रों में एमएसएमई–केंद्रीय प्रसंस्करण इकाइयां खोली गईं। नतीजतन, एमएसएमई पोर्टफोलियो 20.91 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 23,863.74 करोड़ रुपये से बढ़कर 28,854.17 करोड़ रुपये हो गया।

- 31 मार्च, 2018 को सकल एनपीए से सकल अग्रिम अनुपात तथा निवल एनपीए से निवल अग्रिम अनुपात घटकर क्रमशः 7.37 प्रतिशत और 3.81 प्रतिशत हो गया जोकि कि 31 मार्च, 2017 को क्रमशः 7.47 प्रतिशत और 4.39 प्रतिशत था। दबाववग्रस्त आस्ति अनुपात भी घटकर 8.65 प्रतिशत हो गया जोकि 31.03.2017 10.74 प्रतिशत था।

- भारत भर में अपने नेटवर्क को बढ़ाने ऐसे क्षेत्रों में जहां बैंकिंग सेवाएँ कम हैं तथा जो क्षेत्र बैंकिंग सेवाओं से रहित हैं, उन क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाने के लिए, 8964 डिलिवरी पॉइंट्स तक पहुँचने के लिए वर्ष के दौरान बैंक में 141 शाखाएं खोली गईं, जिसमें 2820 वास्तविक शाखाएं और 3399 एटीएम शामिल हैं, जिनमें से 553 बंच नोट एक्सेप्टर जो नकदी रीसाइक्लिंग कार्यक्षमता को आसान बनाते हैं।

- एसएचजी को विशेष उधार उपलब्ध कराने के लिए, बैंक में (39) विशेष माइक्रोसाइट शाखाएं हैं। इन शाखाओं ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 24130 एसएचजी को कवर करते हुए 904.33 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया तथा मार्च 2018 के अंत 37,731 एसएचजी को कवर करते हुए कुल बकाया अग्रिम 973.19 करोड़ रुपये था।

- बैंक की सिंगापुर व श्रीलंका कोलंबो तथा जाफना में अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति है। इन दोनों केन्द्रों से बैंकों को काफी लाभ होता है तथा बैंक ने इन केन्द्रों पर अधिक व्यापार वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित किया है।

बैंक के प्रमुख पेरामीटरों जैसे आरओए, आरओई, व्यापार में निवल लाभ, व्यापार में परिचालन लाभ तथा लागत आय अनुपात में अन्य पीएसबी की तुलना में लगातार सुधार हुआ।

वित्तीय समावेशन पहलें

- वित्तीय समावेशन हेतु भारत सरकार के राष्ट्रीय मिशन 'प्रधान मंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडवाई) को सहयोग प्रदान करने में आपका बैंक अग्रणी रहा है और इस योजना के शुरुआत से ही आपके बैंक ने सराहनीय निष्पादन किया है, जिसे निम्नांकित तथ्य दर्शाते हैं:

- पीएमजेडीवाई की शुरुआत से और 31.03.2018 तक 33.10 लाख बेसिक बचत बैंक जमा खाते खोले गए।

- वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, प्रति कारोबार/व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) द्वारा 1000 औसत मासिक लेनदेन किया गया था और बीसी द्वारा किए गए लेनदेन की संख्या के मामले में बैंक सभी बैंकों में प्रथम स्थान पर रहा ।

- तमिलनाडु राज्य में, गांवों में लाभार्थियों को वृद्धा पेंशन का भुगतान, वित्तीय समावेशन के तहत कवर किया गया, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित स्मार्ट कार्ड सक्षम कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल का उपयोग कर बैंक खातों के माध्यम से किया जाता है – राज्य में हमारे बैंक मित्र के माध्यम से प्रति माह 5.62 लाख लाभार्थियों को पेंशन संवितरित की गई।

सामाजिक उत्तरदायित्व

- बैंक, भारत के नागरिकों की सेवा की प्रतिबद्धता के साथ समाज के लाभ के लिए लगातार विभिन्न पहल चला रहा है। वर्ष 2017 – 18 के दौरान कुछ ऐसी उल्लेखनीय पहल इस प्रकार हैं :

- स्वच्छ भारत अभियान : अरपूकरा श्री सुब्रमणिय स्वामी मन्दिर में शौचालय के निर्माण को प्रायोजित किया गया।

- महिलाओं का सशक्तिकरण : बैंक ने तैक्काड में शिशु कल्याण हेतु केरल राज्य परिषद (केएससीसीडब्ल्यू) भवन में अनुरक्षण के कार्य को प्रायोजित किया।

- समावेशी विकास : बैंक ने विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों में सेलम स्मार्ट सिटी परियोजना, तंजाऊर मुनिसिपल कॉर्पोरेशन और चिकमगलूर कॉर्पोरेशन को सहायता की।

- ग्रामीण गरीब, दिव्यांग समुदाय और वृद्धाश्रमों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों और नेत्रविहीन एवं कई असमर्थताओं से पीडित व्यक्तियों को सहायता।

- पूरे भारत में रक्त / अंग दान शिविर तथा स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर आयोजित किये गये।

प्रौद्योगिकी का पूर्ण प्रयोग

- डिजिटल चैनलों के माध्यम से सेवाओं को वितरित करने में दक्षता में सुधार पर ध्यान देने के साथ बैंक ने अपने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में निवेश करना जारी रखा है। 2017–18 के दौरान शुरू की गई ऐसी केन्द्रित सेवाएँ इस प्रकार है :

- ऑनलाइन फॉर्म 16ए डाउनलोड सॉफ्टवेयर, ग्राहकों को बैंक की वैबसाइट से फॉर्म 16ए को सीधे डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करता है।

- हमारे डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए एटीएम लेनदेन की सुरक्षा में सुधार और वृद्धि के लिए एनएफएस लेनदेन हेतु डायनामिक की एक्सचेंज की शुरुआत (डीकेई) की गई।

- भीम–आधार उपकरणों के माध्यम से आधार सक्षम बिक्री केंद्र भुगतान सक्षम किया गया।

- नेट बैंकिंग का उपयोग कर भारत बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से बिल भुगतान।

- इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सेवाएँ – बैंक को जीएसटी संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और उसे ऑनलाइन के माध्यम से करने के लिए सुविधा और शाखाओं में काउंटर पर नकद/चेक/डीडी के माध्यम से जीएसटी एकत्र करने को सक्षम किया है।

- बैंक ने हिंदी में नेट बैंकिंग वेबसाइट को देखने का विकल्प भी प्रदान किया है।

- ईकेवाईसी (ओटीपी) के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण प्रणाली।

- ई–एपीवाई : अटल पेंशन योजना (एपीवाई) वेबसाइट का एक नया मॉड्यूल है, जो ग्राहकों को शाखा के हस्तक्षेप के बिना एनएसडीएल साइट को सीधे एपीवाई जमा करने की सुविधा प्रदान करता है । ग्राहकों के नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करने और उन्हें अपनी सदस्यता की स्थिति जानने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक समन्वय स्थापित किया गया है।

- वीआईटी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित हरित वेल्लूर परियोजना को प्रायोजित किया गया।

पुरस्कार और प्रशस्तियाँ

आपके बैंक को वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किये गये, जिनमें से मुख्य निम्नानुसार हैं :

व्यापार :

- 'दी इकनोमिक टाइमस बेस्ट बीएफएसआई ब्राण्ड्स 2018' द्वारा 'बेस्ट ब्राण्ड' नामित किया गया।

- फाइनान्शियल एक्सप्रेस / ईवाई द्वारा 'बेस्ट बैंक 2016–17 – राष्ट्रीयकृत बैंक

- एसोकैम सोशल बैंकिंग एक्सलेन्स अवार्डस 2017 – विजेता – बेस्ट सोशल बैंक संवर्ग और रनर अप – प्राथमिकता क्षेत्र ऋणद

प्रौद्योगिकी :

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से 'संस्थान में पारदर्शिता हेतु आईटी पहल' और 'सतर्कता जागरूकता पहल' हेतु 'आईटी पहल – विजिलन्स एक्सलेन्स अवार्डस' प्राप्त।

राष्ट्रीय लक्ष्य :

- तमिलनाडु में वर्ष 2016–17 के दौरान स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक वाणिज्यिक बैंकों में सर्वोत्तम निष्पादन हेतु प्रथम पुरस्कार
- बैंकिंग सेवाओं में एसोकेम सर्विसेस एक्सलेन्स अवार्ड
- 2015–16 के दौरान माइक्रो उद्यमों को ऋणद में उत्तम निष्पादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार – प्रथम सीन
- एसएचजी अभियान में योगदान हेतु एसएचजी अवार्ड, जोकि सर्वाधिक संख्या में एसएचजी को ऋण से लिंक करनेवाले दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक होने के लिए प्रदान किया गया है।
- स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में उत्कृष्ट निष्पादन, तमिलनाडु में बैंक लिंकेज कार्यक्रम में 2016–17 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों के संवर्ग में प्रदत्त।

प्रशिक्षण :

- गोल्डन पीकॉक – ''राष्ट्रीय प्रशिक्षण'' अवार्ड – वित्तीय क्षेत्र (बैंकिंग) पीएसयू
- वर्ष 2017–18 के लिए इंडियन बैंक स्वनियोजन प्रशिक्षण संस्थान (इंडसेटी) को देश में उत्तम निष्पादन करनेवाली आरसेटी का पुरस्कार।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

- अटल पेंशन योजना (एपीवाई) अवार्ड ''ट्रेन्स्फार्मेटिव लीडर्स अभियान''।

भविष्य का पथ :

जीएसटी के स्थिर हो जाने, सामान्य मानसून की प्रत्याशा और खरीफ फसल के लिए न्यूनतम सहारा कीमत की घोषणा के साथ मूलभूत संरचना के लिए वर्धित व्यय तथा सुधारात्मक कदमों को जारी रखने के कारण वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान विकास की गति को तेज बनाने के लिए पर्याप्त प्रेरणा मिलने की संभावना है। आगे, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण की प्रक्रिया तथा इन्सॉल्वेन्सी एण्ड बैंकरप्ट्सी कोड (आईबीसी) के अंतर्गत तनावग्रस्त आस्तियों का तीव्र गति से समाधान होने की प्रत्याशा की जाती है तथा इससे कारोबार एवं निवेश के माहौल के बेहतर होने की संभावना है और इससे बैंकिंग क्षेत्र के तीव्र गति से बेहतर बनने में सहारा मिलेगा क्योंकि अर्थव्यवस्था में ऋण की आवश्यकताएं बढ़ेंगी।

दूसरी ओर, कच्चा तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में परिवर्तनशीलता के कारण ऐसा जोखिम होगा जिससे मुद्रास्फीति पर असर पडेगा तथा यह चालू खाते में घाटे को बढ़ा सकता है।

जैसेकि बैंक विकास के पथ पर अपनी यात्रा को शुरू करता है, निम्न लागतवाली जमाओं (कासा) के संग्रहण पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा और संस्थान की लाभप्रदता और स्थिरता को बेहतर बनाने के मुख्य उद्देश्य के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले ऋणों और आस्ति की गुणवत्ता के संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए और बाहरी माहौल / ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए बैंक प्रौद्योगिकी का बढ–चढकर प्रयोग करेगा ताकि असीमित ग्राहक– केन्द्रिक सेवाएं उपलब्ध करायी जा सके।

और आगे बढ़ते हुए आपके बैंक का मुख्य लक्ष्य यह होगा कि धारणीयता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए गुणवत्ता अभिमुख वृद्धि हासिल किया जाए और रीटेल, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों पर जोर देते हुए कारोबार को सही दिशा प्रदान की जाए।

विकास के लिए चुने गये इस पथ में सफलता, आपके संरक्षण, अटल विश्वास और प्रोत्साहन से ही संभव होगा और मैं आगामी वर्ष में भी इसीकी अपेक्षा करूंगा।

शुभकामनाओं के साथ

आपका

किशोर खरात
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Shri. Kishor Kharat
Managing Director &
Chief Executive Officer

MD & CEO's Message

Dear Shareholders,

On my personal behalf and on behalf of Board of Directors and employees of the Bank, it is my pleasure to extend a warm welcome to each one of you to the 12th Annual General Meeting of your Bank.

At the outset, I take this opportunity to express my gratitude to each one of our esteemed shareholders for extending their unstinted support all these years.

The Annual Report for the Financial Year ended 31st March 2018, comprising the Directors report, Management Discussion and Analysis, Report on Corporate Governance, Auditors Certificate on Corporate Governance, Financial Statements and Consolidated Financial Statements have been circulated in advance and with your permission I consider them as read.

Before we get to the financials, let me briefly dwell on macro-economic scenario. On account of the high level of inter-connectedness between the domestic and global markets and as global organizations have their view on the state of the Indian economy which is required to be juxtaposed with the home view, it becomes imperative to keep a track of global economy as well on a regular basis, apart from events happening in the Indian economy.

Economic overview Global Economy:

The global economic growth as per forecast of World Bank is expected to edge up to 3.1 percent in 2018 after a much stronger-than-expected growth of 3.0 percent in 2017. This is on the back of recovery in Investment, Manufacturing and Trade. Global economic activity has continued to strengthen and is becoming increasingly synchronized across regions. After lagging behind for two years, global trade is outpacing demand and oil prices have firmed up on the edge of a delicate demand-supply balance.

Coming to advanced economies, growth is expected to moderate slightly to 2.2 percent in 2018, as post-crisis accommodation are gradually removed by the central banks and the upturn in investment growth stabilizes. As against this, the growth in emerging markets and developing economies as a whole is projected to strengthen to 4.5 percent in 2018, as activity in commodity exports continues to recover amid firming prices.

The global outlook continues to be subject to substantial downside risks that include the possibility of financial stress, increased protectionism, rising geo-political tensions coupled with retaliatory actions and Trade wars, even though the near-term growth could surprise on the upside. These may have strong implications for emerging market economies including India.

Indian Economy witnessed several significant happenings during the last Financial Year.

- In its first upgrade of India's rating in 14 years, Moody's raised the country rating from the lowest investment grade of 'Baa3' to 'Baa2', and changed the outlook from 'stable' to 'positive'.
- The Banking Regulation (Amendment) Bill, 2017 was passed which will empower Reserve Bank of India (RBI) to advise/guide Banks in resolution of stressed assets.
- The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill 2017 was passed for tightening loopholes in the existing Code and to make the Stressed Assets resolution process more effective.
- Government of India approved recapitalization plan entailing ₹2.11 lakh crore for PSBs in October 2017 that include Recapitalization Bonds of ₹1.35 lakh crore and the balance through Capital Raising by Banks themselves.
- Government of India unveiled PSBs Reforms Agenda **Ease of Access and Service Excellence (EASE)** on 24th January 2018, with a synergistic approach towards transforming PSBs as benchmarks of excellence in less than 2 year span.

- On January 24, 2018, Government of India announced its proposal to infuse ₹ 88,139 crore in 20 Public Sector Banks. Ladies and Gentlemen, it is with great pride, I would like to bring it to the knowledge of this august gathering that your Bank was the only Public Sector Bank which did not have the necessity to approach Government of India for Capital infusion, a fact that was explicitly acknowledged by the Government.

- The Government of India has set a Target of ₹ 3.00 lakh crore to Banks for the MUDRA Scheme and ₹ 3,794 crore towards Credit support, Capital and interest subsidy to MSMEs, to step up lending to MSME Sector so as to ensure an inclusive growth, during announcement of the Union Budget for 2018-19.

- RBI amended statutes thereby allowing lenders to invest in Real Estate Investment Trusts (REITs) and Infrastructure Investment Trusts (InvITs) not exceeding 10 per cent of the unit capital of such instruments.

- A new portal named 'Udyami Mitra' has been launched by Small Industries Development Bank of India (SIDBI) with an aim to improve credit availability to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

Banking Sector:

- The year was another challenging one for Indian Banking Industry with poor credit growth, continued stress on asset quality, higher provisioning requirement due to increased NPAs as well hardening of Bond yields, all these impacting profit, requirement of growth Capital compliance with stringent regulatory requirements, etc. Performance of Banks was also impacted by subdued economic scenario and a dynamic regulatory environment.

- Credit growth was at a record low due to decline in demand on the one side and cautious lending approach of Banks due to asset quality pressures on the other. Other causative factors for Credit demand include slowdown in industrial output, leveraged corporate Balance Sheets and low CAPEX plans.

Journey from Good to Great - A Transformational Journey:

Today, your Bank appears to be star performer in the midst of stressed banking environment caused by NPAs, instances of large value frauds and governance related issues. Your Bank has established itself as a strong Bank, based on much improved performance in all key financial parameters.

The Bank has been self sustaining in terms of Capital by continuous plough back of Profit while at the same time, maintaining its track record of paying dividend to its Shareholders since 2007. Your Bank is being rated as one of the top Banks amongst PSBs and in fact, categorized under **"Best BFSI Brands 2018"** by The Economic Times.

As I run through the Bank's performance during FY 2017-18, you would be pleasantly surprised to note that our financial results helped to establish a clear message that public sector characteristic need not necessarily be a stumbling block for outstanding performance.

During the year, Bank has focused on 5 broad themes viz., 'Galvanising Business Parameters', 'Revitalising Customer Service', 'Enhancing Asset Quality', 'Augmenting Operational Efficiency' and 'Transforming to Digital Banking'. By following this Panch Mantra, Bank achieved many significant milestones as it embarked on its mission to transform itself from being a 'Good Bank' to a 'Great Bank'.

Reorientation of business strategy with focus on Retail, Agriculture and MSME (RAM) sectors yielded good results and Bank was able to achieve sizable growth in Advances.

Financial highlights

Against this backdrop, I would like to present a snapshot of the Bank's performance in key parameters.

- Business grew by 17.91% to ₹ 3,71,020 crore for the year ended March 2018 with growth in Deposits by ₹ 25,785 crore (14.13%) to ₹ 2,08,294 crore and Advances by ₹ 30581 crore (23.14%) to reach a level of ₹ 1,62,726 crore, in the process growing.

- Operating Profit for the FY 2017-18 grew by 25% and it was at ₹ 5000.99 crore while Net Profit was at ₹ 1258.99 crore.

- Bank is adequately capitalised which provides cushion against Asset side risks. With CRAR at 12.55% under Basel III as at the end of March 2018, Bank has plans to tap the market at the appropriate time during FY 2018-19 to raise Capital for the growth plans and also to bring down the stake of Government of India below 75% as per regulatory guidelines. Bank has already got necessary approval from esteemed Shareholders to raise Capital upto ₹ 7000 crore (including premium) in one or more tranches, based on the requirements, through different modes.

- Return on Assets (ROA) at 0.53% is one of the best among Public Sector Banks.

- Adequate resource profile with share of low-cost Current Account and Savings Account (CASA-Domestic) deposits in Total Deposits at 37.78%, enabled the Bank to record a growth of 14.59% (y-o-y) to touch ₹76,402.08 crore.

- Current Deposits (Domestic) recorded a (y-o-y) growth of 31.97% to reach ₹ 12,425.57 crore.

- Market Capitalisation of the Bank improved from ₹ 13,364 crore as on 31.03.2017 to ₹ 14,399 crore as on 31.03.2018.

- Achieving National goals set by Government of India was on top of the Bank's agenda and all the norms stipulated were duly met i.e. For 2017-18, Priority Sector Advances

(₹ 58,978.78 crore) as a percentage of the quarterly average Adjusted Net Bank Credit (ANBC) was 47.08% (48.51% based on terminal level) as against regulatory target of 40%. Agriculture lending (₹ 26,198.31 crore) as a percentage of the quarterly average Adjusted Net Bank Credit (ANBC) was 20.91% as against the target of 18% (21.07% based on terminal level).

- 18 MSME branches were opened in potential/Industrial centers across the country to give dedicated focus to MSME Sector. MSME-Central Processing Units were opened in 7 Metro centers to facilitate quick Turnaround Time for MSME loans. As a result, the MSME portfolio increased by 20.91% to ₹28,854.17 crore from ₹ 23,863.74 crore.

- Gross NPAs to Gross Advances Ratio and Net NPAs to Net Advances Ratio reduced to 7.37% and 3.81% respectively as on 31st March 2018 from 7.47% and 4.39% respectively as on 31st March 2017. Stressed Assets Ratio too reduced from 10.74% as on 31.03.2017 to 8.65% as on 31.03.2018.

- Towards enhancing its pan-India network and to extend its reach to the under-banked and unbanked areas, 141 branches were opened during the year to touch 8964 delivery points, including 2820 Brick & Mortar branches and 3399 ATMs out of which 553 Bunch Note Acceptors which enabled ease of cash recycling functionality.

- For specialized lending to SHGs, Bank has exclusive Microsate branches (39). These branches have extended credit to the tune of ₹ 904.33 crore covering 24130 SHGs during FY 2017-18 and the total outstanding advances as at end of March 2018 stood at ₹ 973.19 crore covering 37,731 SHGs.

- Bank has international presence in Singapore and Colombo & Jaffna in Sri Lanka. Both these Centres are Profit making and Bank has focused on further business improvement at these Centres.

Bank's ranking in key parameters viz., ROA, ROE, Net Profit to Business, Operating Profit to Business and Cost Income Ratio, consistently improved vis-à-vis other PSBs.

Financial Inclusion initiatives

Your Bank has been a forerunner in supporting the Government of India's National Mission for Financial Inclusion Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY). Bank's performance has been exemplary since its launch as the following facts indicate:

- Since the inception of PMJDY and till 31.03.2018., 33.10 lakh Basic Savings Bank Deposit Accounts have been opened.

- During FY 2017-18, an average monthly transaction of 1000 per Business Correspondents (BCs) was carried out and Bank stood First among all Banks in terms of number of transactions done by BCs.

- In the State of Tamil Nadu, payment of Old Age pension to beneficiaries in villages, covered under Financial Inclusion, is made through Bank accounts using Information and Communication Technology (ICT) based Smart Card enabled Business Correspondent (BC) Model - Pension disbursed to 5.62 lakh beneficiaries every month through our Bank Mitrs in the State.

Social Responsiveness

Your Bank has been continuously undertaking various initiatives for the benefit of the society with the commitment to serve the people of India. Few such notable initiatives during 2017-18 are as follows:

- **Clean India Movement:** Sponsorship to construct toilet in Arpookara Sree Subramania Swamy Temple.

- **Women Empowerment:** Extended sponsorship for maintenance work of Kerala State Council for Child Welfare (KSCCW) building at Thycaud.

- **Inclusive Growth:** Supported Salem Smart City project, Thanjavur Municipal Corporation and Chickmagalur Corporation in various developmental activities.

- Support to rural poor, differently-abled and senior citizens living in old age Home, blind and persons with multiple disabilities.

- Pan-India Blood/Organ Donation and Health & Eye check-up Camps organised.

Leveraging Technology

- Bank has continued to invest in modernising its infrastructure with focus on improving efficiency in delivering services through digital channels. Few such customer centric services that were launched in 2017-18 were:

- Online Form 16A download software to facilitate Customers to directly download Form 16A from the Bank's Website.

- Introduction of Dynamic Key Exchange (DKE) for NFS transactions in order to improve and enhance the security of ATM transactions carried out through our Debit Cards.

- Aadhaar Enabled Payment Points of Sale through BHIM-Aadhaar devices.

- Bill payments using net banking through Bharat Bill Payments System

- **Services through internet banking** Bank has been authorized to collect GST and facility to collect the same online through Net Banking and Over The Counter through branches in cash/cheque /DD mode has been enabled.

- Bank has provided the option to view the Net Banking website in Hindi also.
- Aadhaar Authentication System through EKYC (OTP)
- **e-APY :** New module in Atal Pension Yojana (APY) website enabling customers to submit APY applications directly to the NSDL site without the intervention of branches has been introduced. Necessary integration has been built for completing the process of enrollment of customers and enabling them to know the status of their subscription.
- Sponsorship extended for Green Vellore project established by VIT University.

Awards and Accolades

Your Bank was bestowed with a number of coveted awards in FY 2017-18, notable among them being:

Business:

- Named the **Best Brand** by 'The Economic Times Best BFSI Brands 2018'
- Financial Express/EY **Best Bank 2016-17 - Nationalised Banks**
- ASSOCHAM Social Banking Excellence Awards 2017 **Winner Best Social Bank** category and Runner up Priority sector lending

Technology:

- Awards for **'IT initiatives - Vigilance Excellence Awards'** from Central Vigilance Commission (CVC) for **'IT initiative for Transparency in the organization'** and **'Vigilance Awareness Initiative'.**

National Goals:

- **First Prize** among Public Sector Commercial Banks for Excellence in performance under Self Help Groups (SHG) Bank Linkage Programme in Tamil Nadu during the year 2016-17.
- ASSOCHAM **Services Excellence Award** in Banking Services.
- **First Rank** National Award for Excellence in lending to Micro Enterprises during 2015-16.
- **SHG award** for contribution to SHG movement, being one among the two PSBs which has credit linked the largest number of SHGs.
- **Excellence in performance under Self Help Groups (SHG)** Bank Linkage Programme in Tamil Nadu during the year 2016-17 under Public Sector Commercial Banks category.

Training:

- **Golden Peacock "National Training" Award - Financial Sector (Banking) PSU.**
- **Best Performing RSETI** in the country to Indian Bank Self Employment Training Institute (INDSETI), Puducherry for the year 2017-18.

Social Security Schemes:

- Atal Pension Yojana (APY) Award - **"Transformative Leaders Campaign".**

The path ahead:

With stabilization of GST, expectation of normal monsoon and announcement of Minimum Support Price for Kharif crops, enhanced spending on Infrastructure, continuation of reforms, there is likely to be enough impetus for accelerating growth in the FY 2018-19. Further, the process of recapitalisation of Public Sector Banks and expected faster resolution of stressed assets under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), may improve the business and investment environment which, in turn, will aid robust growth in banking sector as the credit needs of the economy begin to increase.

On the other hand, volatility in international crude oil prices poses a risk which will impact the inflation and may increase the Current Account deficit.

As the Bank embarks on its journey of growth, the focus would be on canvassing low cost deposits (CASA), concentrating on quality Credit and preserving Asset quality with the primary objective of improving profitability and stability of the Organization. Towards this journey and to cater to the changing needs and requirements of the external environment/customers, the Bank would leverage technology to provide seamless consumer centric services.

Going forward, the objective of your Bank would be quality oriented growth with focus on sustainability and re-orientation of business with focus on Retail, Agriculture and MSME Sectors.

This chosen path of growth would definitely be possible with your continuous patronage, trust and encouragement and I look forward to the same in the year ahead.

With best wishes

Yours sincerely

KISHOR KHARAT

**MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER**

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त रखा गया है।
This page is intentionally left blank

निदेशकों की रिपोर्ट 2017–18

सेवा में

सदस्यों को....

आपके निदेशकों को आपके बैंक के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक हर्ष हो रहा है।

वित्तीय मुख्य बातें

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान आपके बैंक के निष्पादन की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- बैंक का वैश्विक कारोबार वर्ष के दौरान 17.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 3,71,020 करोड़ तक पहुंचा।
- कुल जमाओं में ₹ 25785 करोड़ यानि (14.13 प्रतिशत) की वृद्धि से ये वित्तीय वर्ष 2017–18 में 2,08,294 करोड़ हो गईं।
- 31.03.2018 तक सकल अग्रिम ₹ 1,62,726 करोड़ रहे। समग्र ऋण जमा अनुपात 78.12 प्रतिशत रहा।
- दिनांक 31.03.2018 तक प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम 63,036 रहा। वर्ष 2017–18 हेतु समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के तिमाही औसत के प्रतिशतता के रूप में प्राथमिकता क्षेत्र, 40.00 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुक़ाबले 47.08 प्रतिशत रहा।
- कृषि ऋण 27,383 करोड़ रहा तथा समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के तिमाही औसत के प्रतिशतता के रूप में 18.00 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुक़ाबले 20.91 प्रतिशत रहा।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 में निवल ब्याज मार्जिन 2.90 प्रतिशत रहा।
- परिचालनगत लाभ ₹ 5000.99 करोड़ तक बढ़ा जबकि वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए यह लाभ ₹ 4000.71 करोड़ था।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए ₹ 1405.68 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017–18 का निवल लाभ ₹ 1258.99 करोड़ रहा।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए 0.67 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017–18 का औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ 0.53 प्रतिशत था।
- 31, मार्च 2017 के 13.64 प्रतिशत की तुलना में 31, मार्च 2018 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल।।।) 12.55 प्रतिशत रहा।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 में 9.97 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए नेटवर्थ पर प्रतिलाभ 8.27 प्रतिशत रहा।
- 31, मार्च 2017 को 7.47 प्रतिशत की तुलना में 31, मार्च 2018 को सकल एनपीए 7.37 रहा जबकि 31, मार्च 2017 के 4.39 प्रतिशत की तुलना में 31, मार्च 2018 को निवल एनपीए 3.81 प्रतिशत रहा।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान एनपीए में कुल वसूली ₹ 910 करोड़ रही जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹ 846 करोड़ थी।
- दिनांक 31.03.2018 के दौरान प्रति शेयर अर्जन ₹ 26.21 रहा और प्रति शेयर बही मूल्य ₹ 329.53 रहा।
- भारत में बैंक का कुल देशी शाखा नेटवर्क 31.03.2017 को 2679 से 31.03.2018 को 2820 तक बढ़ गया। इसके अलावा बैंक की 3 ओवरसीज़ शाखाएं हैं, जो बैंक के कुल शाखा नेटवर्क को 2823 तक पहुंचाया है।
- एटीएमों की कुल संख्या 31.03.2017 में 2816 से बढ़कर 31.03.2018 को 2846 हो गई। इनमें 620 ऑफसाइट एटीएम, 6 मोबाइल एटीएम शामिल हैं। उपरोक्त के अलावा, 31.03.2018 को बैंक के पास 553 बीएनए हैं जिनमें 25 साइट बीएनए शामिल हैं।
- 31.03.2017 को 256 स्थानों के मुकाबले 31.03.2018 को 481 स्थानों पर पासबुक कियोस्क स्थापित किया गया है।
- बैंक के डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए एटीएम लेनदेन की सुरक्षा में सुधार और वृद्धि करने के लिए, बैंक ने एनएफएस लेनदेन हेतु डायनामिक की एक्सचेंज (डीकेई) लागू किया है। एटीएम लेनदेन के दौरान ग्राहक द्वारा दर्ज पिन को इस प्रकार एन्क्रिप्ट किया जाता है जिससे पिन ब्लॉक बन जाए और एनपीसीआई द्वारा जारी नेटवर्क पर प्रेषित किया जाता है।

आय एवं व्यय

- वर्ष 2017–18 के दौरान बैंक की कुल आय 6.95 प्रतिशत बढ़कर ₹ 19,519.49 करोड़ हो गई, जिसमें ब्याज आय ₹ 17,113.65 करोड़ रही और अन्य आय ₹ 2405.84 करोड़।
- वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक का कुल व्यय ₹ 14,518.50 करोड़ रहा, जोकि ₹ 268.09 करोड़ (1.88 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹ 3,356.73 करोड़ की तुलना मे वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कुल परिचालनागत व्यय ₹ 3,668.40 करोड़ रहा।

2017–18 के लिए महत्वपूर्ण अनुपात निम्नानुसार हैं:–

(प्रतिशत में)

मापदंड	2017-18	2016-17
अग्रिमों पर प्रतिलाभ	8.50	9.17
जमाओं की लागत	5.30	6.03
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.53	0.67
लागत–आय अनुपात	42.31	45.62
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹लाखों में)	1856.40	1487.73
प्रति कर्मचारी लाभ (₹लाखों में)	6.34	6.72

लाभांश

- निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 60 प्रतिशत के लाभांश की अनुशंसा की है। बैंक द्वारा अदा किया जानेवाला लाभांश, कर की कटौती के अध्यधीन होगा। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लाभांश के कारण कुल बहिर्प्रवाह लाभांश कर के अतिरिक्त ₹ 288.17 करोड़ रुपये है। पे–आउट अनुपात 22.89 प्रतिशत बनता है।

DIRECTORS' REPORT 2017-18

To

The Members,

Your Directors have immense pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the Audited Statement of Accounts and the Cash Flow statement for the year ended 31st March 2018.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

The major highlights of your Bank's performance during FY 2017-18 are as follows:

- Global Business of the Bank reached ₹3,71,020 crore during the year, registering a growth of 17.91%.
- Total Deposits grew by ₹ 25785 crore (14.13%) for the financial year 2017-18 to ₹ 2,08,294 crore.
- Gross Advances stood at ₹1,62,726 crore as on 31.03.2018. Overall Credit-Deposit ratio was at 78.12%.
- Priority Sector Advances was at ₹ 63,036 crore as on 31.03.2018. Priority sector as a percentage to quarterly average Adjusted Net Bank Credit (ANBC) for 2017-18 stood at 47.08% as against the mandatory target of 40.00%.
- Agriculture Credit (priority sector) was at ₹ 27,383 crore and the percentage to quarterly average ANBC stood at 20.91% as against the mandatory target of 18.00%.
- Net Interest Margin was at 2.90% for FY 2017-18.
- Operating Profit increased to ₹5000.99 crore as against ₹4000.71 crore for FY 2016-17.
- Net Profit for FY 2017-18 was at ₹1258.99 crore as compared to ₹1405.68 crore for 2016-17.
- Return on Average Assets was at 0.53% for FY 2017-18 as against 0.67% for FY 2016-17.
- Capital Adequacy Ratio (Basel III) was at 12.55% as at March 31, 2018 as compared to 13.64% as at March 31, 2017.
- Return on Net worth for FY 2017-18 was at 8.27%, as compared to 9.97% in FY 2016-17.
- Gross NPA was at 7.37% as on March 31, 2018 as against 7.47% as on March 31, 2017 while Net NPA was at 3.81% as on March 31, 2018 as against 4.39% as on March 31, 2017.
- Total recovery of NPAs during FY 2017-18 amounted to ₹910 crore as against ₹846 crore in the previous year.
- Earnings per share was at ₹26.21 and Book value was at ₹ 329.53 as on 31.03.2018.
- Total domestic branch network of the Bank in India increased to 2820 as on 31.03.2018 from 2679 as on 31.03.2017. Besides, the Bank has 3 overseas branches, taking the total branch network to 2823.
- Total number of ATMs increased to 2846 as on 31.03.2018 from 2816 as on 31.03.2017, which includes 620 offsite ATMs, 6 mobile ATMs. Apart from the above, Bank has 553 BNAs as on 31.03.2018 which includes 25 off site BNAs.
- Passbook Kiosk have been installed at 481 locations as on 31.03.2018 as against 256 locations as on 31.03.2017.
- In order to improve and enhance the security of ATM transactions carried out through the Bank's debit cards, Bank has implemented Dynamic Key Exchange (DKE) for NFS transactions. The PIN entered by the customer during an ATM transaction is encrypted to form Pin Block and transmitted over the network issued by NPCI.

INCOME AND EXPENDITURE

- During the year 2017-18, total income of the Bank increased by 6.95% to ₹19,519.49 crore, with Interest Income at ₹17,113.65 crore and other Income at ₹ 2405.84 crore.
- The Bank's total expenditure increased marginally by ₹268.09 crore (1.88%) to ₹14,518.50 crore during FY 2017-18.
- Total operating expenses was at ₹3668.40 crore for FY 2017-18 as compared to ₹3,356.73 crore in FY 2016-17.

IMPORTANT RATIOS FOR THE PERIOD OF 2017-18 ARE AS UNDER:

(in %)

Parameters	2017-18	2016-17
Yield on Advances	8.50	9.17
Cost of Deposits	5.30	6.03
Return on Assets	0.53	0.67
Cost Income ratio	42.31	45.62
Business per employee (₹ in lakh)	1856.40	1487.73
Profit per employee (₹ in lakh)	6.34	6.72

DIVIDEND

- The Board of Directors have recommended a dividend of 60% for FY 2017-18. The dividend shall be subject to tax on dividend to be paid by the Bank. The total outflow on account of dividend for FY 2017-18 is ₹288.17 crore, excluding dividend tax. The payout ratio works out to 22.89%.

निवल मालियत एवं सीआरएआर

- बैंक की निवल मालियत 31.03.2017 को ₹ 14,461.59 करोड़ से बढ़कर 31.03.2018 को ₹ 15,826.98 करोड़ हो गई, इसमें 9.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
- बेसल ।।। के मानदंडों के अनुसार, 31 मार्च 2017 को 13.64 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2018 को पूँजी की तुलना में जोखिम समायोजित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) 12.55 प्रतिशत है जबकि इसकी आवश्यकता 10.875 प्रतिशत है। सीईटी–। का अनुपात 31 मार्च 2017 को 11.82 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च 2018 को 11.00 प्रतिशत रहा जबकि इसकी न्यूनतम आवश्यकता 7.375 प्रतिशत है। टियर–। पूँजी का सीआरएआर 31 मार्च 2017 को 12.20 की तुलना में 31 मार्च 2018 का 11.33 प्रतिशत रहा।

(प्रतिशत में)

बेसल ।।।	निम्न तारीख को	
	मार्च 2018	मार्च 2017
सीईटी – ।	11.00	11.82
टियर । – पूँजी	11.33	12.20
टियर ।। – पूँजी	1.22	1.44
कुल	12.55	13.64

भर्ती / प्रशिक्षण

- सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीधी भर्ती और आंतरिक पदोन्नति की प्रक्रिया के दौरान, अजा /अजजा कर्मचारियों को भर्ती पूर्व और पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वर्ष के दौरान बोर्ड में परिवर्तन :

- श्री महेश कुमार जैन 03.04.2017 तक बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे।
- श्री किशोर खरात ने 04.04.2017 से प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार ग्रहण किया।
- श्री श्रीरामचन्द्रन 30.06.2017 तक बैंक के शेयर धारक निदेशक रहे।
- श्री विनोद कुमार नगर 30.06.2017 तक शेयरधारक निदेशक रहे और 01.07.2017 से शेयरधारक निदेशक के रूप में फिर से निर्वाचित हुए।
- डॉ भरत कृष्ण शंकर को 21.12.2017 के प्रभाव से बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया।
- श्री सलील कुमार झा को 27.12.2017 के प्रभाव से बैंक के गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन

निदेशक संपुष्ट करते हैं कि मार्च 31, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय :

- महत्वपूर्ण विचलन, यदि हों, के संबंध में उचित स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखा मानकों का पालन किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार गठित लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया।
- वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक के कार्यकलाप व स्थिति पर सही एवं न्यायोचित दृष्टि तथा 31 मार्च, 2018 तक बैंक के लाभ का सही चित्र देने के लिए उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए।
- भारत में बैंकों को अधिशासित करनेवाले प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों को बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई; और
- लेखों को लाभकारी कारोबार वाली संस्था के आधार पर तैयार किया गया है।

आभारोक्ति

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड का उनके मूल्यवान मार्गदर्शन और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थानों और संपर्की बैंकों को भी उनके सहयोग व समर्थन के लिए धन्यवाद देता है। बोर्ड अपने ग्राहकों व शेयरधारकों से मिले अनवरत समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड, श्री श्रीरामचंद्रन जिन्होंने इस वर्ष सदस्यता छोड़ा, द्वारा दिये गये मूल्यवान योगदान के लिए अपनी सराहना व्यक्त करता है।

बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रदत्त निष्ठावान सेवाएं तथा योगदान के प्रति बैंक अपनी सराहना व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

किशोर खरात
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

NETWORTH AND CRAR

- Networth of the Bank improved to ₹15826.98 crore as on 31.03.2018 from ₹14,461.59 crore as on 31.03.2017, registering a growth of 9.44%.

- As per Basel III norms, the Capital to Risk weighted Assets Ratio (CRAR) was at 12.55% as on 31st March 2018, compared to 13.64% as of 31st March 2017 and as against the requirement of 10.875%. The CET- I ratio was 11.00% as of 31st March 2018 as compared to 11.82% as of 31st March 2017 and against the minimum requirement of 7.375%. The CRAR of Tier I capital was 11.33% as of 31st March 2018 as against 12.20% as of 31st March 2017.

(in %)

BASEL III	As on	
	March 2018	March 2017
CET- I	11.00	11.82
Tier- I Capital	11.33	12.20
Tier-II Capital	1.22	1.44
Total	12.55	13.64

RECRUITMENT /TRAINING

As per Government guidelines, pre-recruitment and pre-promotion trainings were offered to SC/ST employees during the process of direct recruitment and internal promotions.

CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

- Shri. Mahesh Kumar Jain was MD&CEO of the Bank upto 03.04.2017.

- Shri. Kishor Kharat assumed charge as MD&CEO of the Bank on 04.04.2017.

- Shri. Sriram Ramachandran was shareholder director of the Bank upto 30.06.2017.

- Shri. Vinok Kumar Nagar was shareholder director of the bank upto 30.06.2017 and was re-elected as shareholder director from 01.07.2017.

- Dr Bharath Krishna Sankar was elected as shareholder director of the Bank from 21.12.2017.

- Shri. Salil Kumar Jha was appointed as Non-official Director of the Bank with effect from 27.12.2017.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2018: –

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;

- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied;

- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2018.

- Proper and sufficient care were taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and

- The accounts have been prepared on a going concern basis.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board expresses its deep sense of gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities & Exchange Board of India for the valuable guidance and support received from them. The Board also thanks the financial institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers and shareholders.

The Board places on record its appreciation for the valuable contribution made by Shri. Sriram Ramachandran who ceased to be a member during the year.

The Board places on record its appreciation for the dedicated services and contribution made by members of staff for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of Board of Directors

KISHOR KHARAT
MANAGING DIRECTOR &
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान पुरस्कार एवं प्रशस्तियाँ

- ''दि इकानोमिक टाइम्स बेस्ट बीएफएसआइ ब्रैण्डस, 2018'' द्वारा बैंक को **''बेस्ट ब्राण्ड''** घोषित किया गया।

- फाइनेन्सियल एक्स्प्रेस / इ वाई द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में **''बेस्ट बैंक 2016–17''** घोषित किया गया।

- एसोंचेम सोशियल बैंकिंग एक्सलेंस अवार्ड 2017 के तहत बैंक को **सर्वोत्तम सामाजिक बैंकों** की श्रेणी में विजेता एवं प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण दाताओं में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ।

सूचना प्रौद्योगिकी

- सूचना प्रौद्योगिकी पहल के तहत पुरस्कार – केन्द्रीय सतर्कता आयोग (ब्टब्) द्वारा **''संगठन में पारदर्शिता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की पहल''** एवं सतर्कता जागरूकरता पेहल के लिए **उत्कृष्ट सतर्कता अवार्ड**।

राष्ट्रीय लक्ष्य

- तमिलनाडू राज्य में वर्ष 2016–17 के दौरान स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) द्वारा बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीकृत वाणिज्यिक बैंकों के मध्य उत्कृष्ट निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

- बैंकिंग सेवाओं के लिए एसोचेम **सर्वीस एक्स्लेंस अवार्ड**

- वर्ष 2015–16 के दौरान सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने में प्रथम स्थान प्राप्त करने लिए राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त।

वित्तीय समावेशन

- स्वयं सहायता समूहों के कार्यकलापों को गति प्रदान करने की दिशा में दिए गए योगदान के लिए एसएचजी पुरस्कार। बैंक एसएचजी को सर्वाधिक ऋण प्रदान करने वाले 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से एक रहा है।

- राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों की श्रेणी में वर्ष 2016–17 के दौरान तमिलनाडु में स्वयंः सहायता समूह के बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अधीन उत्कृष्ट निष्पादन।

प्रशिक्षण

- बैंक को **''राष्ट्रीय प्रशिक्षण''** अवार्ड – वित्तीय क्षेत्र (बैंकिंग) पीएसयू वर्ग में ''गोल्डन पिकॉक'' प्राप्त हुआ।

- पुदुच्चेरी में स्थित इंडियन बैंक स्वः रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (इंडसेटी) को उत्कृष्ट निष्पादन के लिए वर्ष 2016–17 के लिए देश का सर्वोत्तम आरएसइटीआई का अवार्ड प्राप्त हुआ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ

- अटल पेंशन योजना (एपीवाई) अवार्ड – **''ट्रान्स्फोरमेटिव लीडर्स कैम्पइन''**

AWARDS AND ACCOLADES FOR FINANCIAL YEAR 2017-18

Business:

- Named the **'Best Brand'** by 'The Economic Times Best BFSI Brands 2018'.
- Financial Express/EY **'Best Bank 2016-17'** - Nationalised Banks.
- ASSOCHAM Social Banking Excellence Awards 2017 – Winner – **Best Social Bank** category and Runner up – Priority sector lending.

Technology:

- Awards for IT initiatives - **'Vigilance Excellence Awards'** from Central Vigilance Commission (CVC) for **'IT initiative for Transparency in the organization'** and **'Vigilance Awareness Initiative'**.

National Goals:

- **First Prize** among Public Sector Commercial Banks for Excellence in performance under Self Help Groups (SHG) Bank Linkage Programme in Tamil Nadu during the year 2016-17.
- ASSOCHAM **Services Excellence Award** in Banking Services.
- **First Rank** – National Award for Excellence in lending to Micro Enterprises during 2015-16.

Financial inclusion:

- SHG award for contribution to SHG movement, being one among the two PSBs which has credit linked the largest number of SHGs.
- Excellence in performance under Self Help Groups (SHG) Bank Linkage Programme in Tamil Nadu during the year 2016-17 under Public Sector Commercial Banks category.

Training:

- Golden Peacock – **"National Training"** Award - Financial sector (Banking) PSU.
- Best Performing RSETI in the country to Indian Bank Self Employment Training Institute (INDSETI), Puducherry for the year 2017-18.

Social Security Schemes:

- Atal Pension Yojana (APY) Award - **"Transformative Leaders Campaign".**

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण

वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण

- आईएमएफ ने अपने विश्व आर्थिक दृष्टिकोण में वर्ष 2018 में वैश्विक विकास दर वर्ष 2017 के 3.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018 में 3.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
- वर्ष 2017 की तीसरी तिमाही के दौरान अधिक वैयक्तिक खपत, निवेश तथा निर्यात के कारण तीव्र गति से बढ़ती हुई अमरीकी अर्थव्यवस्था में बढ़ते आयात तथा कम इन्वेंटरी के कारण चौथी तिमाही के दौरान मंदी आई। वर्ष 2017 से बेहतर सशक्त गतिविधियों के चलते यूएसए की अर्थव्यवस्था में वृद्धि की प्रत्याशा अनुमानित की जा रही है। प्रत्याशित वृद्धि के कारणों में उच्चतर बाह्य माँग, करों पर प्रत्याशित समष्टि अर्थव्यवस्था का प्रभाव, विशेष रूप से कार्पोरेट करों में कमी, तथा निवेशों को पूर्ण रूप से एक्सपेंसिंग करने की अस्थाई अनुमति भी शामिल है।
- विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के बीच तीसरी तिमाही के दौरान वृद्धि दर अनुमानित दर से अधिक रही, इनमें जर्मनी, जापान, कोरिया तथा यूएसए प्रमुख रहे। प्रमुख उभरते हुए बाज़ारों में ब्राजील, चीन, दक्षिण आफ्रीका आदि भी तीसरी तिमाही के दौरान पुर्वानुमानित विकास दर से सशक्त वृद्धि दर्शाई है।
- अनुकूल वित्तीय मॉनिटरी पॉलिसी एवं वैश्विक माँग के कारण यूरो क्षेत्र में वृद्धि के आसार नजर आ रहे हैं, फिर भी शक्तिवाली यूरो के कारण निवल निर्यात एवं वृद्धि पर प्रभाव पड सकता है।
- वर्ष 2017 की चौथी तिमाही तक जापान ने लगातार पिछली आठ तिमाहियों के दौरान संवृद्धि दर्शाई है और फरवरी 2018 के दौरान बेरोजगारी की दर धीमी होकर 2.5 प्रतिशत पर स्थिर रही।
- चीन की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2016 के 6.7 प्रतिशत तथा अधिकृत लक्ष्य के 6.5 प्रतिशत से बढ़कर 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई। वर्ष 2018 के दौरान अर्थव्यवस्था की शुरुआत सृदृढ़ स्तर पर हुई और इसमें औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोत्तरी अच्छी खपत एवं खुदरा बिक्री में हुई वृद्धि प्रमुख कारण थे। अधिकारियों द्वारा प्रादेशिक सरकारी ऋणों को नियंत्रित करने के कारण स्थिर आस्तियों में निवेशों की कमी रही।
- हाल ही में अमरीका द्वारा घोषित संरक्षणवादी उपायों और अन्य प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा इसे अपनाएं जाने की संभावना व्यापार युद्धों को बढ़ा सकती है और वैश्विक विकास, व्यापार एवं कल्याण को कमज़ोर कर सकती है। वैश्विक व्यापार में हाल ही में हुए सुधार भी वैश्विक राजनीतिक तनावों के कारण संवेदनशील रही है जो निवेश और क्रास बार्डर व्यापार वित्तपोषण की संभावनाओं को कमजोर कर सकती है। कच्चे तेल के कीमतों में उच्चवृद्धि वैश्विक माँग में कमी का जोखिम बन सकता है।

भारत की अर्थव्यवस्था

- 31 मई, 2018 को सीएसओ द्वारा जारी सकल देशी उत्पाद 2017–18 के अनुमानिक प्राक्कलनों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए स्थिर (2011–12) मूल्यों पर जीडीपी की वृद्धि दर, वि.व 2016–17 के 7.1 प्रतिशत की तुलना में 6.7 प्रतिशत होने का अनुमान किया गया है तथा जीवीए के संबंध में वि.व. 2016–17 के 7.1 प्रतिशत की तुलना में वृद्धि 6.5 प्रतिशत होगी ।
- कृषि वानिकी तथा मत्स्यपालन के जीवीए में पिछले वर्ष की वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017–18 में 3.4 प्रतिशत दर्शा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्र द्वारा 2016–17 में प्राप्त 7.9 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में 5.7 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर्शाने की संभावनाएं हैं। औद्योगिक सेक्टर के तहत खनन एवं क्वारिइंग में वर्ष दर वर्ष वृद्धि घटकर 2.9 प्रतिशत आकलित है जो कि पिछले वर्ष 13.0 प्रतिशत रही है। बिजली, गैस, पानी तथा अन्य यूटिलिटी सेक्टरों में वर्ष 2016–17 के दौरान हासिल 9.2 प्रतिशत के मुकाबले इस वर्ष 7.3 प्रतिशत की दर से वृद्धि हासिल करने का आकलन है।
- औद्योगिक गतिविधियों में सकारात्मक रुख नज़र आई तथा अप्रैल–मार्च 2017–18 के दौरान संचयी वृद्धि पिछले वर्षों की अवधि की तुलना में यह 4.3 प्रतिशत रहा । वर्ष 2017–18 में खनन विनिर्माण तथा बिजली उत्पादन के क्षेत्रों में पिछले वर्ष 2016–17 की तुलना में संचयित वृद्धि 2.3 प्रतिशत, 4.5 प्रतिशत तथा 5.4 प्रतिशत रही ।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में आठ प्रमुख उद्योग लगभग 40.27 प्रतिशत भारित मद प्रदान करते हैं। फरवरी 2018 में इन आठ प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक 123.1 था जो फरवरी 2017 के सूचकांक की तुलना में 5.3 प्रतिशत अधिक था। अप्रैल से फरवरी 2017–18 के दौरान इसका संयची विकास 4.3 प्रतिशत था।
- निक्की इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक टीएम – एक समिश्रिक सूचक है जिसे विनिर्माण अर्थ व्यवस्था के निष्पादन का सिंगल फिंगर स्नैप शॉट प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। इंडिया का विनिर्माण पीएमआई मार्च 2018 को 51.0 रहा है जो इससे पिछले महीने की 52.1 से अपेक्षित कम रहा और यह विनिर्माण क्षेत्र में सबसे दुर्बल विस्तार को इंगित करता है। कीमतों के संदर्भ में मुद्रास्फीति दर मे हॉल ही में हुए बिल्डअप कम हो गए। इनपुट और आऊटपुट कीमतों में नरम वृद्धि दर्ज की गई।
- भारत में निक्की सर्वीजेस पीएमआई मार्च 2018 को पिछले महीने की 47.8 से बढ़कर 50.3 हो गई। नए व्यापार में बढ़ोत्तरी हुई और जून 2011 के बाद रोजगार में सर्वाधिक वृद्धि हुई। जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद जुलाई 2017 से सेन्टीमेन्ट सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा।
- फरवरी के दौरान 60 बेसिस प्वाइंट गिरने के बाद (4.4 प्रतिशत) – उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति की दर मार्च 2018 के दौरान वर्ष दर वर्ष 4.28 प्रतिशत की वृद्धि दशाई। लगातार बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों के कारण मुद्रास्फीति की दरों में भी बढोत्तरी नजर आई। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन की लागत के 1.5 गुने पर स्थापित करना, सभी खरीफ फसलों पर एमएसपी का विस्तार और सभी किसानों को कम से कम एमएसपी देने का आश्वासन प्रदान करना एवं आयात करों में वृद्धि आदि को कार्यान्वित किए जाने पर खाद्य मुद्रास्फीति पर भी दबाव बन सकता है।

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Global Economy

- IMF in its World Economic Outlook projects the Global growth to raise from 3.7 per cent in 2017 to 3.9 per cent in 2018.
- The US economy slowed in Q4:2017 on surging imports and depleting inventories, after growing at a robust pace in Q3 on the back of strong private consumption, investment activity and net exports. The growth forecast for the United States has been revised up given stronger than expected activity in 2017, higher projected external demand, and the expected macroeconomic impact of the tax reform, in particular the reduction in corporate tax rates and the temporary allowance for full expensing of investment.
- Among advanced economies, growth in the third quarter of 2017 was higher than projected in the fall, notably in Germany, Japan, Korea, and the United States. Key emerging market and developing economies, including Brazil, China, and South Africa, also posted third-quarter growth stronger than the fall forecasts.
- The outlook for the euro area remains upbeat with still accommodative monetary policy and rising global demand, although the strong euro could act as a drag on net exports and growth.
- Japan recorded eight consecutive quarters of growth up to Q4:2017, with the unemployment rate remaining subdued at 2.5 per cent in February 2018.
- China's economy grew by 6.9 per cent in 2017, above both the official target of 6.5 per cent and 6.7 per cent recorded in 2016. The economy began 2018 on a firm note, with buoyant retail sales indicating robust consumption and increasing industrial production in Q1, though investment in fixed assets remain subdued on efforts by authorities to contain local government debt.
- Recent protectionist measures announced by the US and likely to be adopted by other major Advanced Economies could exacerbate trade wars and undermine global growth, trade and welfare. The recent recovery in global trade also remains vulnerable to geopolitical tensions and political uncertainties which may dampen prospects for investments and cross-border trade financing flows. Higher crude oil prices pose downside risks to global demand.

Indian Economy

- As per Provisional Estimates of Gross Domestic Product 2017-18 released by the CSO on 31st May 2018, the growth rate of GDP at constant (2011-12) prices for the financial year 2017-18 is estimated at 6.7 per cent from 7.1 per cent in FY 2016-17 and in respect of GVA, growth is estimated at 6.5 per cent as against 7.1 per cent in FY 2016-17.
- Agriculture, Forestry and Fishing sector is likely to show a growth rate of 3.4 per cent in its GVA during 2017-18, as against the previous year's growth rate of 6.3 per cent.
- Manufacturing' sector's growth is estimated at 5.7 per cent as compared to growth of 7.9 per cent in 2016-17. Within the industrial sector, Mining & Quarrying sector y-o-y estimated growth declined to 2.9 per cent as compared to previous year growth of 13.0 per cent. 'Electricity, gas, water supply and other utility services' sector estimated growth is 7.2 per cent as compared to growth of 9.2 per cent in 2016-17.
- Industrial activity maintained positive momentum and cumulative IIP growth for the period April-March 2017-18 over the corresponding period of the previous year stands at 4.3 per cent. The cumulative growth in Mining, Manufacturing and and Electricity sectors during FY 2017-18 over the corresponding period of FY 2016-17 has been 2.3 per cent, 4.5 per cent and 5.4 per cent respectively.
- Eight Core Industries comprise 40.27 per cent of the weight of items included in the Index of Industrial Production (IIP). The combined Index of Eight Core Industries stands at 123.1 in February, 2018, which was 5.3 per cent higher as compared to the index of February, 2017. Its cumulative growth during April to February, 2017-18 was 4.3 per cent.
- Nikkei India Manufacturing Purchasing Managers' Index TM – a Composite indicator designed to provide a single-figure snapshot of the performance of the manufacturing economy – indicated that manufacturing PMI in India fell to 51.0 in March 2018 from 52.1 in the prior month indicating the weakest expansion in manufacturing sector. In terms of prices, the recent build-up of inflationary pressures eased, with softer increases in both input costs and output prices recorded.
- The Nikkei Services PMI in India surged to 50.3 in March of 2018 from 47.8 in a month earlier. New business returned to growth and employment grew the most since June 2011. Also, sentiment reached its highest since July 2017, when the goods and services tax implemented.
- Consumer price index (CPI)-based inflation grew by 4.28 per cent y-o-y in March 2018, after a 60 basis points (bps) fall to 4.4 per cent in February. Inflation pressures have begun to rise on account of firming up of Global crude oil prices which have continued to rise. There could also be pressure on food inflation if elements of the minimum support price (MSP) announcement such as setting it at 1.5 times the cost of production, extension of MSP to all kharif crops, and assuring at least MSP are paid to all farmers; together with rise in import duties are implemented.

- तीने महीने लगातार गिरने के बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (WPI) मार्च 19 के दौरान स्थिर रहा। मार्च 2018 में डब्ल्युपीआई में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 2.48 प्रतिशत रहा जो मार्च 2017 के दौरान दर्शाई गई 5.11 प्रतिशत की वृद्धि से कम रही। मार्च 18 के दौरान डब्ल्युपीआई में मॉडरेशन के कारण प्रायमेरी उत्पादों, ईंधन, ऊर्जा तथा उत्पादों के विनिर्माण में दर्शाई गई बडी मात्रा में कमी दर्शाई गई ।

- अप्रैल 2017 – मार्च 2018 की अवधि के लिए भारत का व्यापार निर्यात यूएस डॉलर 302.84 बिलियन था जोकि (डॉलरों में) पिछले वर्ष के इसी समय के 5.2 प्रतिशत के वर्ष दर वर्ष वृद्धि से बढ़कर 9.78 प्रतिशत दर्शाई गई है। अप्रैल 2017 – मार्च 2018 के दौरान आयात यूएसडॉलर 459.67 बिलियन रहा, जो पिछले वर्ष की यूएसडॉलर 384.36 बिलियन की तुलना में, अधिक रहा और 19.59 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि हासिल की। अप्रैल 2017 – मार्च 2018 के दौरान कच्चे तेल के आयात पर यूएसडॉलर 109.11 बिलियन का ऑकलन किया गया जो गत वर्ष इसी समयावधि के दौरान खर्च हुए 86.96 बिलियन डॉलर से 25.47 प्रतिशत अधिक रहा। इस अवधि के दौरान ग्लोबल ब्रेन्ट के मूल्य ($/bbl) मार्च 2017 की तुलना में मार्च 2018 में 27.86 प्रतिशत बढ़ा। व्यापारिक एवं सेवाक्षेत्रों को मिलाकर अप्रैल–मार्च 2017–18 के दौरान कुल व्यापारिक कमी यूएस डॉलर 87.17 बिलियन अनुमानित है जो कि अप्रैल–मार्च 2016–17 की 47.70 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक है।

- बैलेन्स ऑफ पेमेंट में भारत का चालू खाता घाटा दिसंबर 2017 को समाप्त तिमाही के दौरान 13.5 बिलियन डॉलर या जीडीपी के 2 प्रतिशत की कमी के साथ समाप्त हुई जो कि दिसंबर 2016 को समाप्त तिमाही के 8 बिलियन डॉलर या जीडीपी के 1.4 प्रतिशत से अधिक थी । व्यापारिक आयातों, मुख्यतः कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों में वृद्धि के कारण सीएडी में बढ़ोत्तरी हुई जो 44.1 बिलियन डॉलर रही, और ये घटक भारत के कुल व्यापारिक आयात बिल का 40 प्रतिशत रहा। दिसंबर 2016 एवं दिसंबर 2017 के बीच कच्चे तेल के कीमतों पर 10 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि हुई है।

प्रमुख आर्थिक एवं मौद्रिक विकास

- मार्च 2018 की समाप्ति पर 10 वर्षीय बेंचमार्क जी–सेक आय 7.40 प्रतिशत पर बंद हुआ।

- मांग मुद्रा दरें रेपो दर के 6.15 प्रतिशत से अधिक पर बन्द हुआ।

- वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु व्यापक मुद्रा आपूर्ति (एम 3) वित्तीय वर्ष 2016–17 की 6.9 प्रतिशत (विमुद्रीकरण के कारण) से बढ़कर 9.6 प्रतिशत पर पहुंची।

- अगस्त 2017 में पॉलिसी रेपो दर 25 बीपीएस घटकर 6 प्रतिशत रहा।

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2017–18 के अंतिम द्विमासिक नीति निर्माण के तहत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के मध्यवर्तीय टर्म लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वृद्धि को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति की दर 4 प्रतिशत (2 प्रतिशत कम या अधिक) अनुमानित की है ।

- अंतर्राष्ट्रीय अवधारणाओं के अनुरूप तथा समान क्रासकंट्री तुलना को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने जीवीए से जीडीपी की ओर स्विचओवर कर लिया है।

- जुलाई 2017 के दौरान जीएसटी लागू किया गया।

- विश्व बैंक के 2018 के रिपोर्ट में व्यापार करने के लिए सुगम देशों की श्रेणी में भारत 30 स्थान ऊपर पहुंचा। मजबूत सुधारों के लिए किए गए पहल के कारण इंडिया को अब तक का सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुआ।

- 14 वर्ष के दौरान पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी ने भारत के सॉवरिन बॉन्ड को अपग्रेड किया है। पिछली बार यह अपग्रडेशन वर्ष 2004 के दौरान हुआ था। यह मोदी सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधारों का पृष्ठांकन है। मूडी के अपने प्रेस रिलीज में विशेष रूप से चर्चित सुधार निम्न है –

- जीएसटी लागू करना।

- मौद्रिक नीति के ढांचों में सुधार।

- जुडवां बैलेन्स शीट की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीकृत बैंकों का पुनः पूंजीकरण

- नोटबंदी

- अभिप्रेत लाभार्थियों के खातों में सीधे सब्सिडी जमा करने के लिए आधारकार्ड का उपयोग।

- पांच सहयोगी बैंकों एवं भारतीय महिला बैंक का भारतीय स्टेट बैंक में विलय होने से देश का सबसे बडा ऋणदाता विश्व के सबसे बडे 50 बैंकों की श्रेणी में आ गया।

- अभूतपूर्वक तरीके से सरकार ने उच्च गैर निष्पादक आस्तियों के कारण लडखडाने वाले सार्वजनिक बैंकों को 2 वर्ष की अवधि के दौरान 2.11 लाख करोड रुपए की पूंजी प्रदान करने की घोषणा की।

- तेजी से बढ़ते हुए गैर निष्पादक आस्तियों को कम करने के अपने लक्ष्य को अमल में लाने के उद्देश्य से सरकार ने इस वर्ष के दौरान 2 अध्यादेश जारी किए हैं जो बैंकिंग विनियम (संशोधन) अध्यादेश 2017 तथा दिवालियापन तथा बैंक्रप्सी कूट (संशोधित) अध्यादेश 2017 है।

- बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश 2017 ने भारतीय रिज़र्व बैंक को दबावग्रस्त आस्तियों के मुद्दों को हल करने के लिए किसी भी बैंक द्वारा दिवालियापन घोषित करने से संबंधित कार्यवाही को आगे बढ़ाने से संबंधित निदेश देने को प्राधिकृत किया है।

- दिवालियापन तथा बैंक्रप्सी कूट (आईबीसी) 2016 के अधिनियमन तथा बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम 2017 के प्रक्षेपण ने वित्तीय परिदृश्य को काफी हद तक बदल दिया है और यह आशावाद के साथ उभरा है, इसने बैंकों और निगमों के तुलन पत्र में तनाव के समाधन के लिए चल रहे समेकित प्रयासों को भी प्रभावी तरीके से हल किया है।

- रिज़र्व बैंक की प्री–एम्प्टीव एप्रोच प्रारंभिक वित्तीय संकट के समाधान तथा प्राम्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) जो 2017 के दौरान लागू की गई है, बैंकिंग प्रणाली में विश्वास पैदा करने के लिए उठाए गए कदम है जिससे भविष्य में वित्तीय असन्तुलन को रोका जा सकता है।

- The Wholesale Price Index (WPI) inflation remained stable for Mar'18, after declining for three successive months. The year-on-year growth in the WPI for Mar'18 at 2.48 per cent was lower than 5.11 per cent in Mar'17. The moderation in WPI in Mar'18 was driven by a broad-based decline across segments such as Primary Articles, Fuel and Power, and Manufactured products.
- India's merchandise exports for the period April 2017-March 2018 was US$ 302.84 Billion registering a y-o-y growth of 9.78 percent in dollar terms as against 5.2 percent in the corresponding period of the previous year. Imports for the period April 2017-March 2018 was US$ 459.67Billion as against US$ 384.36 Billion (₹ 2577665.59 crore) registering a positive growth of 19.59 per cent in Dollar terms and 14.94 per cent in Rupee terms over the same period last year. Oil imports during April 2017- March 2018 were valued at US$ 109.11 Billion which was 25.47 per cent higher than the oil imports of US $ 86.96 Billion in the corresponding period last year. During this period global Brent prices ($/bbl) have increased by 27.86 per cent in March 2018 vis-à-vis March 2017. Taking merchandise and services together, overall trade deficit for April-March 2017-18 is estimated at US $ 87.17 Billion as compared to US $ 47.70 Billion during April-March 2016-17.
- India's current account in the balance of payments ended in a deficit of $ 13.5 billion or 2 per cent of GDP in the quarter ended December 2017, up from $ 8.0 billion or 1.4 per cent of GDP in the quarter: ended December 2016. CAD widened due to higher trade deficit of $ 44.1 billion on account of larger increase in merchandise imports, mainly crude oil and other petroleum product imports, which account for more than 40 per cent of India's overall merchandise import bill. Oil prices have risen by over $10 a barrel between December 2016 and December 2017.

MAJOR ECONOMIC & MONETARY DEVELOPMENTS:

- 10 year benchmark G-Sec yield closed at 7.40 per cent as at end March 2018.
- Call money rates closed higher than the Repo rate at 6.15 per cent.
- Broad money (M3) growth for FY 2017-18 improved to 9.6 per cent as compared to 6.9 per cent (on account of demonetisation) in FY 2016-17.
- Policy Repo rate was reduced by 25 bps to 6.00 per cent in August 2017.
- RBI in its last bi-monthly policy for FY 2017-18 continued its policy stance of neutral and objective of achieving the medium-term target for consumer price index (CPI) inflation of 4 per cent within a band of +/- 2 per cent, while supporting growth.
- RBI has switched to adoption of GDP from GVA in line with International practices and for uniform cross country comparisons.
- Goods and Service Tax (GST) rolled out in July 2017.
- India moved up 30 ranks in the World Bank's 'Ease of Doing Business' report for 2018. India registered its highest ever increase in the rankings on the back of bold reform initiatives.
- International credit rating agency Moody's upgraded India's sovereign bond rating for the first time in 14 years. The last upgrade had happened in 2004. It is an endorsement of the structural reforms undertaken by the Modi Government. The reforms particularly mentioned by Moody's in their press release were:
- Introduction of Goods and Services Tax.
- Improvement in the monetary policy framework.
- The recapitalisation of public sector banks to tackle the twin balance sheet problem.
- Demonetisation.
- Use of Aadhaar card to transfer subsidies directly into the bank account of the intended beneficiaries.
- Merger of five associates and the Bharatiya Mahila Bank with State Bank of India (SBI), catapulting the country's largest lender to among the top 50 banks in the world.
- Government announced the infusion of an unprecedented ₹ 2.11 lakh crore capital over two years in public sector banks that are reeling under high NPAs.
- As part of its resolve to bring down burgeoning NPAs, Government issued two ordinances -- Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2017 and Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2017 - during the year.
- The Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2017 gave way to the Act permitting the Reserve Bank of India (RBI) to direct any bank to initiate insolvency proceedings and give directions for resolution of stressed assets.
- The enactment of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016 and promulgation of the Banking Regulation (Amendment) Act, 2017 has significantly altered the financial landscape and imbued with optimism and resolve the concerted efforts that are underway for resolution of stress in balance sheets of banks and corporations in a time-bound and effective manner.
- The Reserve Bank of India's pre-emptive approach to recognition and resolution of incipient financial distress and the revised system of prompt corrective action (PCA) triggered in April 2017 are intended to instill confidence in the system that accumulation of excessive financial imbalances in the future will be prevented.

- सरकार द्वारा सार्वजनिक बैंकों के एकीकरण के लिए 17 अगस्त को अनुमोदित एक प्रणालीतंत्र तथा पीएसबी के पुनपूंजीकरण के लिए अक्तूबर 2017 को घोषित संपूर्ण रणनीति बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों का सामना कर उन्हें सशक्त एवं प्रतियोगी बनाएगा और नए ऋण देने के लिए उभरती हुई अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 12.2.2018 के परिपत्र के ज़रिए दबावग्रस्त आस्तियों के उत्थान के लिए एक संशोधित ढाँचा तैयार किया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार पिछली योजनाएं, जैसे त्रस्त आस्तियों को पुर्नजीवित करना, सीडीआर योजना, दीर्घावधि के प्रोजेक्ट ऋणों को लचीले तौर पर पुनः व्यवस्थित करना, एसडीआर, एसडीआर के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन तथा दबावग्रस्त आस्तियों को टिकाऊ संरचना के अधीन संरचित करना (एस4ए) इत्यादि योजनाओं को तत्काल प्रभाव से वापस लिया है।

- निवेश के पुनर्जीवन करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत माला परियोजना प्रारंभ किया गया। भारतमाला परियोजना एनएचडीपी के बाद भारत का सबसे बडा राजमार्ग विकास निर्माण परियोजना है।

वर्ष 2017–18 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र – अद्यतन जानकारी :

बैंकिंग क्षेत्र के अग्रिम में इस वर्ष के दौरान सुधार हुआ। 30.3.2018 को बैंक क्रेडिट 86.51 लाख करोड रहा। वर्ष 2017 के दौरान इसी अवधि में ऋणों में वृद्धि 10.3 प्रतिशत रहा जो कि पिछले वर्ष के दौरान इस अवधि में हुए 8.2 प्रतिशत से अधिक रहा। वर्ष के दौरान ऋणों में वृद्धि के कारण प्राथमिक तौर पर खुदरा ऋणों एवं सेवा क्षेत्र द्वारा संचालित थी और इन क्षेत्रों ने डबल डिजिट वृद्धि हासिल की। पिछले वर्ष की 16.4 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष खुदरा क्षेत्र के ऋण 17.8 प्रतिशत थे। पिछले वर्ष की तुलना में सेवाक्षेत्र का निष्पादन कम रहा। पिछले वर्ष सेवाक्षेत्र ने 16.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी थी जो इस वर्ष सिर्फ 13.8 प्रतिशत रहा। औद्योगिक क्षेत्र ने सीमांत वृद्धि हासिल की जो 0.7 प्रतिशत रही। कृषि के क्षेत्र में ऋण उठाव कम होकर 3.8 प्रतिशत रही जो पिछले वर्ष 12.4 प्रतिशत थी।

30 मार्च 2018 तक कुल औसत बैंक जमा 114.7 लाख करोड़ थी, जोकि 6.7 प्रतिशत की वृद्धि थी पिछले वर्ष इस अवधि के दौरान वृद्धि 15.3 प्रतिशत थी। विकास में विपरीत गति का कारण नोटबंदी के दौरान जमा किए गए नकदी का धीरे–धीरे निकासी, समान्य जनता के पास करेंसी नोटों की उपलब्धता तथा अन्य वैकल्पिक वित्तीय आस्तियों में निवेश करना था।

आने वाला वर्ष

भारतीय अर्थव्यवस्था ने इस वर्ष अलग–अलग वित्तीय संकेत दिए है। प्रथम छमाही में आर्थिक प्रगति जीएसटी से संबंधित मुद्दों से प्रभावित हुई थी, पर दूसरी छमाही में उच्च आर्थिक विकास के साथ इसमें अच्छी प्रगति दर्शाई गई। वर्ष 2018–19 में उच्चतर विकास की ओर अग्रसर होने के संकेत है। एनपीए मुद्दा आर्थिक विकास के लिए एक संभावित खतरा हो सकता है जो बैंकिंग क्षेत्र के उधार देने की क्षमता को बाधित कर सकता है। जो कॉर्पोरेट कर्ज बाजार जैसे वैकल्पिक चैनलों की ओर जा सकता है।

नोटबंदी के पश्चात जीडीपी और नकदी अनुपात के बीच एक स्थिरता है। इसके अलावा जीएसटी से संबंधित विघटों का सामान्यीकरण और अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। वर्ष 2017–18 के दूसरे छमाही में निवेश को गति प्राप्त हुई तथा आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई जिसका कारण वैश्विक माँगो के अनुरूप निवेश गतिविधियों में अधिक मांग हो रहा है। फिर भी बाहरी माँग पर विपरीत प्रभाव पड सकता है, यदि कच्चे तेल की कीतमें स्तर पर बनी रहती है या बढती हैं और व्यापार संरक्षणवाद तीव्र होता है।

अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत के अर्थव्यवस्था का एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है जो विकास की ओर अग्रसर हो रही है। आईएमएमए ने वर्ष 2018–19 के दौरान 7.4 की अनुमानित वृद्धि प्रोजेक्ट की है। यह वर्ष 2019–20 के दौरान 7.8 प्रतिशत अनुमानित है। विश्व बैंक ने वर्ष 2018 में 7.3 प्रतिशत तथा 2019 में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की है। यह कहा गया है कि अर्थव्यवस्था नोट बंदी एवं जीएसटी से संबंधित अवरोधों से उभर कर आगे आ गई है।

जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने पाया है कि, भारत की दीर्घकालीन विकास क्षमता को विभिन्न संरचनात्मक सुधारों ओर घरेलू मैक्रो पारिस्थितिकीय बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत करके मजबूत किया जा सकता है। बैंक तुलन पत्र के पुननिर्माण और जोखिम साझा करने वाले बाज़ारों की गहराइयों, कॉर्पोरेट क्षेत्र में उत्पन्न असंतुष्ट वातावरण भी इनमें प्रमुख होंगे।

विस्तृत कारोबार समीक्षा:

- पिछले वर्ष के ₹ 3,14,654 करोड़ से बैंक का वैश्विक कारोबार मार्च 31, 2018 को ₹ 3,71,020 करोड़ के स्तर तक पहुँचा जो ₹ 56,366 करोड़ या 17.91 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है।

- बैंक के देशी कारोबार में ₹ 55,151 करोड़ की वृद्धि से कारोबार मार्च 31, 2017 के ₹ 3,03,573 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,58,724 करोड़ हो गया जो 18.17 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है।

संसाधन संग्रहण:

- बैंक की वैश्विक जमाराशियाँ 31 मार्च, 2018 को ₹2,08,294 करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह ₹1,82,509 करोड़ था तथा इनमें ₹25,785 करोड या 14.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष के ₹1,77,084 करोड़ से बैंक की देशी जमाराशियों में ₹25,164 करोड़ की वृद्धि से देशी जमाएँ ₹ 2,02,248 करोड़ हो गईं जोकि 14.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

- The Government of India's in-principle approval in August 2017 for the consolidation of PSBs through an 'Alternative Mechanism' and the massive recapitalisation plan for PSBs announced in October 2017 as part of a comprehensive strategy to address banking sector challenges should make them strong and competitive as they gear up to meet the credit needs of a growing economy.

- RBI introduced a revised framework for resolution of stressed assets vide their circular dated 12.02.2018. As per the revised guidelines, the earlier schemes such as Framework for Revitalising Distressed Assets, Corporate Debt Restructuring Scheme, Flexible Structuring of Existing Long Term Project Loans, Strategic Debt Restructuring Scheme (SDR), Change in Ownership outside SDR and Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A) stand withdrawn with immediate effect.

- Government of India launched the Bharatmala project to revive investment. The Bharatmala project is the second largest highways construction project in India since the National Highways Development Programme (NHDP).

Banking Sector in 2017 – 18 – An update:

The credit off take in the banking sector improved during the year with the outstanding bank credit being ₹ 86.51 lakh crore as on March 30, 2018. Credit growth during the period 2017-18 was around 10.3 per cent, compared with the 8.2 per cent growth in the corresponding period last year. The credit off take during the year was primarily driven by retail sector and services sector, which recorded double digit growth. The retail sector grew by 17.8 per cent compared with 16.4 per cent in the previous year while the services sector grew by 13.8 per cent lower than 16.9 per cent growth registered in the previous year. While the industrial sector registered marginal growth of 0.7 per cent than the contraction by -1.9 per cent, the credit off take in agriculture sector was low at 3.8 per cent compared with 12.4 per cent growth exhibited in the previous year.

As of March 30, 2018, the aggregate bank deposits stood at ₹114.7 lakh crore, a growth of 6.7 per cent in incremental deposits compared with the growth of 15.3 per cent in the comparable period last year. The degrowth was primarily on account of withdrawal of funds deposited during the demonetization period in a gradual manner and increase in currency with the public and investments in alternate financial assets viz. mutual funds etc.

Year ahead

The Indian economy has displayed varying signs this year. The economic progress in the first half was impacted by GST related issues, but the second half demonstrated recovery with higher economic growth. In 2018-19, the general direction is towards a possible higher growth path. A possible threat to the economic growth could emanate from the overhang of the NPA issue that would constrain the ability of the banking sector to lend which can come in the way of investment though alternatives like the corporate debt market could substitute to an extent.

There is stabilization of Cash to GDP ratio post demonetisation. Further, the normalisation of GST related disruptions and formalisation of economy augurs well for the economy. Investment demand accelerated in the second half of 2017-2018 and the pace of economic activity could accelerate in 2018-2019 on clearer signs of revival in investment activity and sustained improvement in global demand. However, on the flip side, external demand could be adversely impacted, if the crude oil prices persist at elevated levels or even increase, and trade protectionism intensifies.

The international agencies have painted a brighter picture of the Indian economy going ahead. International Monetary Fund (IMF) has projected the growth of 7.4 per cent for 2018-19 and 7.8 per cent for 2019-20 while the World Bank estimates the economy to grow by 7.3 per cent in 2018 and 7.5 per cent in 2019 citing that the economy has recovered from the adverse impact of demonetization and GST related disruptions.

As observed by RBI Monetary Policy Committee, India's long-term growth potential is expected to be reinforced by various structural reforms that have taken place and the importance of strengthening domestic macroeconomic fundamentals, persevering with deleveraging of distressed corporate sectors, rebuilding of bank balance sheets and the deepening of risk sharing markets.

DETAILED BUSINESS OVERVIEW

- Global Business of the Bank has touched a level of ₹ 3,71,020 crore as on March 31, 2018 from ₹ 3,14,654 crore in the previous year, registering an increase of ₹ 56366 crore or 17.91 per cent.

- Domestic Business has increased by ₹ 55151 crore to ₹ 3,58,724 crore from ₹ 3,03,573 crore as on March 31, 2017, registering a growth of 18.17 per cent.

RESOURCE MOBILISATION

- Global Deposits of the Bank reached a level of ₹2,08,294 crore as on March 31, 2018 from ₹1,82,509 crore in the previous year, with an increase of ₹ 25785 crore or 14.13 per cent. Domestic Deposits of the Bank has increased by ₹ 25164 crore to ₹ 2,02,248 crore from ₹ 1,77,084 crore in the previous year, registering a growth of 14.21 per cent.

- 31 मार्च 2018 को कासा जमाराशियाँ पिछले वर्ष के ₹ 66,677 करोड़ से बढ़कर ₹ 76,402 करोड़ हो गईं जोकि 14.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

ऋण विनियोजन :

- 31 मार्च 2017 को ₹1,32,145 के मुक़ाबले बैंक का सकल अग्रिम ₹1,62,726 रहा। पिछले वर्ष ₹1,26,489 करोड़ के मुक़ाबले 31 मार्च 2018 को ₹29,988 करोड़ की वृद्धि के साथ घरेलू ऋण ₹1,56,477 करोड़ रहा।

- देशी खाद्येतर ऋण पिछले वर्ष के ₹1,25,098 करोड़ के मुकाबले ₹30,505 करोड़ की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2018 को ₹1,55,604 करोड़ हो गया है।

- वैश्विक ऋण जमा अनुपात 31 मार्च 2018 को 78.12 प्रतिशत पर था।

शाखा नेटवर्क और विस्तार:

- बैंक ने वर्ष के दौरान अपने वितरण नेटवर्क में 141 शाखाएं जोडते हुए 2820 शाखाओं तक इसका विस्तार किया तथा इसमें 727 ग्रामीण, 786 अर्धशहरी, 630 शहरी और 677 महानगरीय शाखाएं हैं। भारिबैंक द्वारा पहचाने गए कम बैंकिंग सुविधा प्राप्त 356 जिलों में बैंक की 395 शाखाएं हैं। इसके अलावा, बैंक कारोबार प्रतिनिधियों के माध्यम से देश के कोने–कोने में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ''बैंकिंग आउटलेट मॉडल'' अपनाया है, जो उनके शाखा प्राधिकरण नीति के युक्तिकरण में निहित है। तदनुसार, देश में बैंकिंग–सुविधारहित ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने के लिए तथा जहां भी आवश्यक हो, बैंकिंग सुविधा से दूर व्यक्तियों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए बैंकिंग कर्मियों एवं नियत केंद्र के कारोबार प्रतिनिधियों के माध्यम से एक दिन में चार घंटे तथा सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

- अल्पसंख्यकों की संख्या जिन जिलों में अधिक है, उनमें बैंक की 452 शाखाएं हैं तथा बैंक–रहित केन्द्रों में बैंक की 232 शाखाएं हैं।

- सिंगापुर, कोलंबो और जाफना में बैंक की 3 विदेशी शाखाएं कार्यरत हैं।

खण्डवार निष्पादन

- 31.03.2018 को प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम रु 63,035.98 करोड़ रहे। समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के तिमाही औसत के प्रतिशत के रूप में प्राथमिकता क्षेत्र, वर्ष 2017–18 के लिए 40.00 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले 47.08 प्रतिशत रहा।

- कृषि अग्रिम रु 27,383 करोड़ रहा तथा एएनबीसी के तिमाही औसत के प्रतिशत के रूप में 18.00 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले 20.91 प्रतिशत रहा।

- दिनांक 31.03.2018 को लघु /सीमांत कृषकों को बैंक का ऋणद ₹14,670.29 करोड़ रहा तथा वर्ष 2017–18 हेतु तिमाही औसत आधार पर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 8.00 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले 11.02 प्रतिशत रहा।

- दिनांक 31.03.2018 को कमजोर वर्गों एमएसई–माइक्रो को बैंक का ऋणद ₹16,212.84 करोड़ रहा तथा वर्ष 2017–18 हेतु तिमाही औसत आधार पर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 12.58 प्रतिशत रहा।

- दिनांक 31.03.2018 को एमएसई–माइक्रो को बैंक का ऋणद ₹13,389.58 करोड़ रहा तथा वर्ष 2017–18 हेतु तिमाही औसत आधार पर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 7.87 प्रतिशत रहा।

कृषि वितरण :

- कृषि हेतु बुनियादी स्तर का ऋण प्रवाह (जीएलएफ) के अंतर्गत बैंक ने वार्षिक लक्ष्य ₹19,500 करोड़ के मुक़ाबले वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 29,687 करोड़ के कृषि ऋण वितरित किये हैं।

- 22.70 लाख लघु / सीमांत किसानों हेतु ₹ 15,193.84 करोड़ के संवितरण के साथ कृषि क्षेत्र के विकास में बैंक अग्रणी भूमिका निभाता है।

गहन कृषि ऋण अभियान:

- कृषि हेतु ऋण प्रवाह बढ़ाने तथा कृषकों के साथ बैंक के संबंध को सुदृढ़ बनाने के दोहरे उद्देश्य से समय से पर्याप्त ऋण प्रदान कर प्रतिवर्ष रबी और खरीफ मौसमों के दौरान सभी शाखाओं द्वारा गहन कृषि ऋण अभियान चलाए जाते हैं।

- अभियान के दौरान, गांवों में किसानों से आवेदन जुटाया जाता है तथा इन्हें उसी जगह पर, शाखा का दौरा किए बिना ही यथासमय ऋण मंजूर किया जाता है।

- शाखाओं ने दिनांक 01.08.2017 से दिनांक 30.09.2017 तक "गहन कृषि ऋण खरीफ अभियान" मनाया। अभियान अवधि के दौरान कुल रु 7,827 करोड़ संवितरित किए गए। इसी प्रकार, शाखाओं ने दिनांक 01.11.2017 से दिनांक 31.01.2018 तक "गहन कृषि ऋण खरीफ अभियान" मनाया। 31.01.2018 को समाप्त अभियान अवधि के दौरान शाखाओं ने कुल रु 6,836 करोड़ संवितरित किए।

पुदुच्चेरी अंचल में फार्म कार्ट (ऑनलाइन वेबसाइट एवं कृषि निवेश वस्तुएँ खरीदने हेतु मोबाइल ऐप) का शुभारंभ करते हुए तथा लाभार्थी को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण करते हुए श्री किशोर खरात, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Domestic CASA Deposits has reached the level of ₹ 76,402 crore as on March 31, 2018 from ₹ 66,677 crore in the previous year, recording a growth of 14.59 per cent.

CREDIT DEPLOYMENT

- Gross Advances of the Bank stood at ₹ 1,62,726 crore as against ₹ 1,32,145 crore as on March 31, 2017. Domestic Credit increased by ₹ 29,988 crore to ₹ 1, 56,477 crore as on March 31, 2018 as against ₹ 1,26,489 crore last year.
- Domestic Non-food credit has increased by ₹ 30,505 crore to ₹ 1,55,604 crore as on March 31, 2018 as against ₹ 1,25,098 crore in the previous year.
- Global Credit-Deposit Ratio as on March 31, 2018 stood at 78.12 per cent.

BRANCH NETWORK AND EXPANSION

- Bank has expanded its distribution network by 141 branches during the year to 2820 branches, comprising of 727 Rural, 786 Semi urban, 630 Urban and 677 Metropolitan branches. In the 356 under banked districts identified by Reserve Bank of India, the Bank has 395 branches. Besides, the Bank has been providing Banking services across the length and breadth of the country through Business Correspondents.
- Bank has adopted the 'Banking Outlet' model as per the guidelines of Reserve Bank of India contained in their Rationalization of Branch Authorization Policy. Accordingly, banking services are offered through Bank's personnel and through Fixed point Business Correspondents for four hours in a day and for five days in a week to provide banking overreach wherever required to cover unbanked rural areas in the country.
- The Bank has 452 branches in Minority concentrated Districts and 232 branches in the unbanked centers.
- Bank has 3 foreign branches in Singapore, Colombo and Jaffna.

SEGMENT - WISE PERFORMANCE

- Priority Sector Advances was at ₹ 63035.98 crore as on 31.03.2018. Priority sector advances as a percentage to quarterly average Adjusted Net Bank Credit (ANBC) for 2017-18 stood at 47.08 per cent as against the mandatory target of 40.00 per cent.
- Agriculture Credit was at ₹ 27383.25 crore and the percentage to quarterly average ANBC stood at 20.91 per cent as against the mandatory target of 18.00 per cent.
- Lending to SF/MF stood at ₹ 14670.29 crore as on 31.03.2018 and constituted 11.02 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) on quarterly average basis for the year 2017-18 as against the mandatory target of 8.00 per cent.
- Lending to Weaker Sections stood at ₹ 16212.84 crore as on 31.03.2018 and constituted 12.58 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) on quarterly average basis for the year 2017-18.
- Lending to MSE-Micro stood at ₹ 13389.58 crore as on 31.03.2018 and constituted 7.87 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) on quarterly average basis for the year 2017-18.

Agricultural Disbursement:

- Under Ground Level Credit Flow to Agriculture (GLF), Bank disbursed farm loans to the tune of ₹ 29687 crore during the FY 2017-18 as against an annual target of ₹ 19,500 crore.
- Bank leads the farm sector growth with a disbursement of ₹ 15193.84 crore to 22.70 lakh small/marginal farmers.

Intensive Farm Credit Campaigns:

- With the dual objective of enhancing credit flow to agriculture and strengthening relationship with the farmers, the Bank is observing "Intensive Farm Credit Campaigns", every year during Kharif and Rabi seasons to extend timely and adequate credit to farmers.
- During the campaigns, at the villages, applications are mobilized from the farmers and loans are sanctioned on the spot obviating the need for branch visit.
- Branches observed "Intensive Farm Credit Kharif Campaign" from 01.08.2017 to 30.09.2017. During the campaign period, a sum of ₹ 7827 crore was disbursed. Similarly, "Intensive Farm Credit Rabi Campaign" was observed from 01.11.2017 to 31.01.2018. During the campaign period ended 31.01.2018, branches had disbursed a sum of ₹ 6836 crore.

Launching of Farm Cart (online website & mobile app for purchasing agriculture inputs) by Shri. Kishor Kharat, MD & CEO and disbursement of Kisan Credit Card to beneficiary in Puducherry Zone

दिनांक 21.03.2018 को कुम्भकोणम अंचल में एसएचजी को ऋण वितरण करते हुए श्री ए.एस. राजीव, कार्यपालक निदेशक

दिनांक 08.03.2018 को कुम्भकोणम अंचल में एसएचजी को ऋण वितरण करते हुए श्री एम.के. भट्टाचार्य, कार्यपालक निदेशक

दिनांक 29.11.2017 को कडयनल्लूर शाखा–तिरुनेल्वेली अंचल में ट्रैक्टर ऋण वितरण करते हुए श्री डी. देवराज, महाप्रबंधक (आरबीडी / एफआई)

आसिफनगर शाखा–करीमनगर अंचल में कृषि ऋण वितरण करते हुए श्री टी.एस. शेषाद्री, महाप्रबंधक (मासंप्र)

खंडवार निष्पादन

ज़ेवर ऋण :

मार्च 2017 में 2113 के मुकाबले ज़ेवर ऋण 2270 शाखाओं में लागू किया गया है। ₹ 5,428.65 करोड़ की वृद्धि के साथ मार्च 2017 के स्तर के ₹18,142.75 करोड़ के मुकाबले ज़ेवर ऋण में बकाया राशि ₹23,571.30 करोड़ है।

स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रवाह :

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) अधिमान्यतः समान सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के गरीब लोगों का एक लघु स्वैच्छिक संस्था है। ये लोग स्वावलंबन और पारस्परिक सहायता के माध्यम से अपनी आम समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य हेतु एकजुट होते हैं। एसएचजी अवधारणा, बैठकों के संचालन, किफायती बचत और ऋण देने के फैसले पर सहभागिता निर्णय लेने के लिए अवसर प्रदान करता है।

नई दिल्ली में माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली से एसएचजी अवार्ड प्राप्त करते हुए श्री किशोर खरात, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सर्वाधिक संख्या में एसएचजी का ऋण लिंकेज करने वाले दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक – दिनांक 11.07.2017 को नई दिल्ली में नाबार्ड के 36 वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान नाबार्ड द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों (लघु श्रेणी) के लिए एनआरएलएम के अंतर्गत ''एसएचजी बैंक लिंकेज 2017–18 में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार''।

SHG LOAN disbursement by Shri A.S.Rajeev (Executive Director) on 21.03.2018 at Kumbakonam Zone

SHG Loan disbursement by Shri M.K.Bhattacharya (Executive Director) on 08.03.2018 at Kumbakonam Zone

Disbursement of Tractor Loans by Shri D.Devaraj, GM (RBD/FI) on 29.11.2017 at Kadayanallur Branch- Tirunelveli Zone

Disbursement of Agriculture Loans by Shri. T.S.Sheshadri, GM (HRM) at Asifnagar Branch - Karimnagar Zone

SEGMENT - WISE PERFORMANCE

JEWEL LOAN:

Jewel loan has been implemented in 2270 branches as against 2113 branches in March 2017. The outstanding balance in jewel loan was ₹ 23571.30 crore as against the March 2017 level of ₹ 18142.75 crore with an increase of ₹ 5428.65 crore.

Credit flow to Self Help Groups:

Self-Help Group (SHG) is a small voluntary association of poor people, preferably from the same socio-economic background. They come together for the purpose of solving their common problems through self-help and mutual help. SHG concept offers opportunity for participative decision making on conduct of meetings, thrift and credit decisions.

Shri Kishor Kharat, MD & CEO receiving the SHG awards from Hon'ble Finance Minister Shri Arun Jaitley at New Delhi

One among the two PSBs which has credit linked the largest number of SHGs *– Award from NABARD conferred during the 36th Foundation day celebration of NABARD at New Delhi on 11.07.2017.*

"National Award for Best Performance in SHG Bank Linkages 2017-18" *under NRLM for Public Sector Banks (Small Category) from Ministry of Rural Development, Government of India.*

दिनांक 08.03.2018 को कुम्भकोणम अंचल में एसएचजी को ऋण वितरण करते हुए श्री एम.के. भट्टाचार्य, कार्यपालक निदेशक

मार्च, 2018 की समाप्ति पर ₹ 756.73 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी के साथ मार्च, 2017 में ₹ 3278.77 करोड़ के स्तर के मुकाबले 1.53 लाख एसएचजी को कवर करते हुए एसएचजी का बकाया ऋण ₹ 4035.50 करोड़ रहा। चालू वित्तीय वर्ष में, बैंक ने 97525 एसएचजी को ₹ 3260.14 करोड़ संवितरित किए।

माइक्रोसेट शाखाएँ:

- गरीब वर्ग की समुचित वित्तीय जरूरतों की पूर्ति हेतु, झोपड़ियों, मलिन बस्तियों और किराए के घरों में रहने वाले शहरी गरीब और महानगरीय शहरों और शहरी केंद्रों के गली में रहने वाले लोगों के लिए स्वयं सहायता समूह की अवधारणा का लाभ उपलब्ध कराने हेतु विशेषीकृत संगठन "सर्व सेवा केंद्र" द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए माइक्रोसेट शाखाएं स्थापित की गई थीं।

- बैंक ने स्वयं सहायता समूह को विशेष रूप से सेवा के लिए माइक्रोसेट शाखाएँ स्थापित की हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में, 24,130 एसएचजी को माइक्रोसेट शाखाओं के माध्यम से ₹ 904.33 करोड़ की राशि का ऋण प्रदान किया गया। 37731 एसएचजी को कवर करते हुए इन माइक्रोसेट शाखाओं का कुल बकाया अग्रिम मार्च, 2017 में ₹ 772.88 करोड़ के स्तर के मुकाबले ₹ 200.31 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ ₹ 973.19 करोड़ रहा।

माइक्रोसेट शाखा कुंभकोणम द्वारा "एसएचजी माह–जनवरी 2018" के दौरान एसएचजी संवितरण

जिन किसानों के पास उचित भूमि अभिलेख नहीं हैं / जिनके पास जमीन नहीं है, उन वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए, बैंक संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से वित्तपोषण को प्रोत्साहित कर रहा है। 3389 जेएलजी को कवर करते हुए 31.03.2018 को बकाया ऋण ₹ 74.96 करोड़ रहा।

शैक्षिक ऋण योजना:

- शैक्षिक ऋण के तहत एक्सपोजर ₹ 3642.96 करोड़ (31.03.2017 को) से बढ़कर ₹ 3722.13 करोड़ (31.03.2018 को) हो गया।

- मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने 18,807 छात्रों को शैक्षिक ऋण के रूप में ₹387.04 करोड़ की राशि वितरित की।

- बैंक मैसर्स एनएसडीएल ई–गवर्नेंस द्वारा विकसित विद्या लक्ष्मी पोर्टल से जुड़ा हुआ है, जो छात्रों के लिए बैंक की शैक्षिक ऋण योजनाओं और समान शैक्षिक ऋण आवेदन पत्र के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए एक एकल खिड़की प्रदान करता है।

- आईबी शैक्षिक ऋण प्राइम, प्रमुख संस्थाओं के योग्य छात्रों के लिए है, जिसकी शर्तें एवं निबंधन बेहतरीन हैं। 2017–18 के दौरान इसका व्यापक संग्रहण किया गया। विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों का भी व्यापक संग्रहण किया गया। आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान भी इसकी गति को जारी रखा जाएगा।

SHG Loan disbursement by Executive Director Shri M. K. Bhattacharya on 08.03.2018 at Kumbakonam Zone.

The outstanding credit to SHGs stood at ₹ 4035.50 crore covering 1.53 lakh SHGs as on March 2018, as against the March 2017 level of ₹ 3278.77crore, with an increase of ₹ 756.73 crore over March 2017. During the current financial year, the Bank had disbursed ₹ 3260.14 crore to 97525 SHGs.

Microsate Branches:

- To make available the benefit of SHG concept to scores of urban poor living in huts, slums and tenements and near the gullies in Metropolitan cities and Urban centers, specialized outfits that can serve as a "one stop shop", called Microsate Branches were established, for meeting the entire financial needs of the poorer section.

- The Bank has established 40 Microsate Branches exclusively to serve the SHGs. During the Financial year 2017-18, credit amounting to ₹ 904.33 crore has been extended to 24130 SHGs through the Microsate branches. The total outstanding advances of these Microsate Branches stood at ₹ 973.19 crore covering 37731 SHGs as against the March 2017 level of ₹ 772.88 crore, with an increase of ₹ 200.31 crore over March 2017.

SHG disbursement by Microsate Branch, Kumbakonam during SHG month - January 2018

Bank is encouraging financing through Joint Liability Groups, with a view to render credit support to those category of farmers who do not possess proper land records/not having own lands. The outstanding credit to JLGs stood at ₹ 74.96 crore covering 3389 JLGs as on 31.03.2018.

Education loan scheme:

- Exposure under Educational loan increased from ₹ 3642.96 crore (as on 31.03.2017) to ₹ 3722.13 crore (as on 31.03.2018).

- During the year ended March 2018, Bank disbursed a sum of ₹ 387.04 crore as educational loans to 18,807 students.

- Bank is connected to "Vidya Lakshmi Portal" developed by M/s. NSDL e-Governance which provides a single window, featuring information about Educational Loan Schemes of Banks and Common Educational Loan Application Form for Students.

- IB Educational Loan Prime for the meritorious students of premier institutions at finer terms and conditions were widely canvassed during the year 2017-18. Educational Loan for studies abroad was also canvassed widely. The dynamism will be continued during the upcoming financial year also.

शैक्षिक ऋण प्रक्रिया को सरल और आसान बनाते हुए, बैंक ने अपने परिसर से बाहर कदम रखते हुए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षिक ऋण शिविरों का आयोजन किया।

- **कौशल विकास के लिए क्रेडिट गारंटी योजना**

  इस योजना के तहत 17.10.2015 से 98 पात्र शैक्षिक ऋण खातों की पहचान की गई थी। कथित खातों के लिए ₹ 53.96 लाख गारंटी कवर उपलब्ध है। 31.03.2018 को समाप्त तिमाही के लिए इन खातों के लिए गारंटी शुल्क का भुगतान किया गया । और यह 30.06.2018 तक मान्य है।

शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (सीजीएफएसईएल) :

16.09.2016 से 12720 शैक्षणिक ऋण खातों को योजना के तहत पात्र खातों के रूप में पहचाना गया है। कथित खातों के लिए ₹ 213.96 लाख गारंटी कवर उपलब्ध है। 31.03.2018 को समाप्त तिमाही के लिए इन खातों के लिए गारंटी शुल्क का भुगतान किया गया और यह 31.03.2019 तक मान्य है।

शैक्षिक ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी योजना :

- आईबीए शैक्षिक ऋण के लिए सीएसआईएस के तहत ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की केंद्रीय योजनाः भारत में व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा जिनकी सालाना कुल अभिभावक/पारिवारिक आय 4.50 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, से जुड़े छात्रों द्वारा लिए गए शैक्षिक ऋण (आईबीए योजना) की अधिस्थगन अवधि के दौरान लगाए गए ब्याज पर उन्हें सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है। यह योजना 01.04.2009 के बाद संवितरित किए गए शैक्षिक ऋणों पर लागू है।

- अल्पसंख्यक समुदाय के उधारकर्ताओं को शैक्षिक ऋण हेतु पढ़ो परदेश योजना : अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक ऋण उधारकर्ताओं जो विदेश में अपनी मास्टर्स / एम.फिल / पीएचडी अध्ययन करते हैं तथा जिनकी वार्षिक अभिभावक/पारिवारिक आय 6.00 लाख से कम है, को अधिस्थगन अवधि के दौरान लगाया गया ब्याज, सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। यह योजना 01.04.2013 के बाद मंजूर तथा और संवितरित किए गए ऋणों पर लागू है।

- ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए डॉ. अम्बेडकर केंद्रीय योजना (एसीसीआईएसओबीसीईबीसी) : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विदेश में अध्ययन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के विद्यार्थियों हेतु ब्याज सब्सिडी के लिए डॉ. अंबेडकर केंद्रीय योजना अर्थात ब्याज सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना 01.04.2014 के बाद मंजूर तथा संवितरित किए गए ऋणों के लिए लागू है।

योजनाओं की शुरुआत से दावा की गई राशि तथा मार्च 2018 तक प्राप्त राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(राशि ₹ में)

योजना	दावाकृत	निपटाये गए खाते	प्राप्य शेष
सीएसआईएस	805.19	692.11	113.07
पढ़ो परदेश	0.94	0.74	0.20
एसीएसआईएसओबीसीईबीसी	1.55	0.67	0.88

कमजोर वर्ग को अग्रिम :

कमजोर वर्गों, जिसमें छोटे और सीमांत किसान, कारीगर, गांव तथा कुटीर उद्योग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, स्वयं–सहायता समूह आदि शामिल हैं, हेतु निर्धारित अनिवार्य अग्रिम के लक्ष्य को बैंक निरंतर पार कर रहा है।

Bank stepped out of its premises and organized educational loan camps at Universities and Colleges, making the process simple and easy.

- **Credit Guarantee Scheme for Skill Development :**

  98 educational loan accounts have been identified as eligible under the scheme since 17.10.2015. The guarantee cover available is ₹ 53.96 lakh for the said accounts. The guarantee fee for these accounts for the quarter ended 31.03.2018 has been paid and the same is valid upto 30.06.2018.

Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans (CGFSEL)

12720 educational loan accounts have been identified as eligible under the scheme since 16.09.2016. The guarantee cover available is ₹ 213.96 crore for the said accounts. The guarantee fee for these accounts for the quarter ended 31.03.2018 has been paid and the same is valid up to 31.03.2019.

Interest Subsidy schemes for Educational Loans

- Central Scheme to provide Interest Subsidy under 'CSIS' for IBA Educational Loans: Interest charged during the moratorium period is provided as subsidy for Educational loans (IBA Scheme) availed by students hailing from Economically weaker section who pursue professional and technical courses in India and whose annual gross parental/ family income does not exceed ₹ 4.50 lakh per annum. The scheme is applicable to Educational loans disbursed after 01.04.2009.

- Padho Pardesh Scheme to Educational Loan Borrowers of minority community: Interest charged during the moratorium period is provided as subsidy for the educational loan borrowers of minority community who pursue their Masters /M.Phil./ Ph.D studies abroad and whose annual parental/family income is less than ₹ 6.00 lakh. The scheme is applicable to the loans sanctioned and disbursed after 01.04.2013.

- Dr Ambedkar Central Scheme to provide Interest Subsidy (ACSISOBCEBC):Ministry of Social Justice and Empowerment has introduced an interest subsidy scheme namely Dr Ambedkar Central Scheme for Interest subsidy for students of Other Backward community (OBC) and Economically Backward category (EBC) for studies abroad. The scheme is applicable for the loans sanctioned and disbursed after 01.04.2014.

Details of amount claimed since inception of the schemes and amount received upto March 2018 are as follows:

(Amount ₹ in crores)

SCHEME	CLAIMED	SETTLED	BALANCE TO BE RECEIVED
CSIS	805.19	692.11	113.07
PADHO PARDESH	0.94	0.74	0.20
ACSISOBCEBC	1.55	0.67	0.88

Weaker Section Advances:

Bank has been continuously surpassing the mandatory advance target set for the weaker sections which includes Small and Marginal Farmers, Artisans, Village and Cottage Industries, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Self Help Groups, etc.

- मार्च 2018 के अंत तक कमजोर वर्गों को बकाया ऋण ₹ 16212.84 करोड़ था तथा कमजोर वर्ग के तहत औसत बकाया ऋण 10 प्रतिशत के निर्धारित मानक के विरूद्ध एएनबीसी के 12.84 प्रतिशत था।

- 31.03.2018 को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को बकाया ऋण ₹ 2163 करोड़ था।

पुदुच्चेरी अंचल में एससी / एसटी और अल्पसंख्यक क्रेडिट अभियान का आयोजन

- अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण देने के लिए विशेष अभियान आयोजित किए गए। मार्च 2018 को समाप्त हुए महीने में अल्पसंख्यकों को अग्रिम ₹ 7673.59 करोड़ अर्थात कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के 12.17 प्रतिशत रहा।

मुद्रा योजना : (एमएसएमई)

- मुद्रा योजना के अंतर्गत आबंटित ₹ 2850 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले, बैंक ने 71.48 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज करते हुए ₹ 2037.60 करोड़ संवितरित किया।

- मुद्रा योजना के अंतर्गत, बैंक ने विभिन्न एमएसएमई क्षेत्रों जैसे बुनाई, परिवहन, खुदरा व्यापार, लघु व्यवसाय, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य–उद्योग, कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र, खाद्य व कृषि प्रसंस्करण एवं सभी विनिर्माण तथा सेवाओं की गतिविधियों के लिए ₹10 लाख की सीमा तक ऋण प्रदान किया।

आदर्श ग्राम विकास योजना (एमवीडीपी):

- सभी स्टेकधारकों का मानना है कि विभिन्न योजनाओं का लाभ, गांवों तक पहुँचाने हेतु आदर्श ग्राम योजना की अवधारणा के बारे में निरंतर और समन्वित दृष्टिकोण से सोचा गया था जिससे गोद लिये गये गाँवों के समग्र विकास का उद्देश्य हासिल किया जा सके। तदनुसार, आदर्श ग्राम योजना बनाया गया तथा 13 जिलों एवं पुदुच्चेरी संघ राज्य में फैले 21 गांवों में जहां बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है, स्वतंत्रता दिवस के दिन ही 15.08.2015 को इसे शुरू किया गया।

- योजना के अनुसार, तीन साल के लिए क्रेडिट और गैर–क्रेडिट गतिविधियों को शामिल करते हुए आदर्श ग्राम विकास योजना (एमवीडीपी) तैयार की गई है तथा इसे लागू किया जा रहा है। इस तीन वर्षीय योजना अवधि के दौरान ₹ 213.98 करोड़ तक की राशि 26164 लाभार्थियों की सहायता हेतु परिकल्पित की गई। वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान क्रमशः ₹ 42.78 करोड़ (4662 लाभार्थियों) और ₹ 70.50 करोड़ (4662 लाभार्थियों) की राशि संवितरित की गई । वर्ष 2017–18 के दौरान, 7725 लाभार्थियों को ₹ 98.88 करोड़ की राशि संवितरित की गई है।

- एमवीडीपी में गैर–ऋण गतिविधियां, जैसे परामर्श सेवाएँ जिसमें विकास विभागों जैसे कृषि, पशुपालन आदि तथा अन्य सीएसआर पहलें जैसे स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, वृक्षारोपण कार्यक्रम शामिल हैं। आधार सीडिंग और सामाजिक सुरक्षा योजना के महत्व पर भी चर्चा की गई।

विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (एपीवाई, पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई) पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसके परिणामस्वरूप इन योजनाओं के तहत अधिक पंजीकरण हुआ।

क्षमता निर्माण पहल:

बैंक ने 12 केन्द्रों, चित्तूर, कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, पुदुच्चेरी, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेल्लूर और विलुपुरम में "इंडियन बैंक स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान" (इंडसेटी) नामक "रुडसेटी मॉडल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। 49656 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाते हुए इंडसेटी द्वारा मार्च 2018 तक कुल 1779 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

17.08.2017 को इंडसेटी के निदेशकों के सम्मेलन के अवसर पर श्री आर के जनार्दन, आरसेटी के राष्ट्रीय निदेशक, श्री डी देवराज, महाप्रबंधक (आरबीडी / एफआई), इंडियन बैंक और श्री एस गणेसन, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी के लिए राज्य निदेशक की उपस्थिति में हमारे कार्यपालक निदेशक, श्री एम के भट्टाचार्य दीप प्रज्वलित करते हुए।

- Credit outstanding to Weaker Sections stood at ₹ 16212.84 crore as at the end of March 2018, worked out to 12.84 per cent of ANBC against the stipulated norm of 10 per cent.
- Outstanding credit to SC/ST beneficiaries stood at ₹ 2163 crore as on 31.03.2018.

Observance of SC/ST and Minority Credit Campaign in PUDUCHERRY Zone

Special campaigns were conducted for extending credit to Minority Communities. Advances to Minorities stood at ₹ 7673.59 crore for the month ended March 2018 i.e.12.17 per cent of the total Priority Sector Advances.

MUDRA Scheme:

- As against the target of ₹ 2850 crore allocated under MUDRA Scheme, Bank disbursed an amount of ₹ 2037.46 crore, registering an achievement of 71.48 per cent.
- Under Mudra Scheme, Bank extended loans upto a limit of ₹ 10.00 lakh to various MSME sectors viz., Weaving, Transport, Retail Trade, Small Business, Pisciculture, Beekeeping, Poultry, Livestock, Rearing, Dairy, Fishery, Agriculture Clinics and Agri Business Centers, Food & Agro Processing and all manufacturing and services activities.

Model Village Development Plan (MVDP)

- With a view to achieve overall development of the villages to be adopted, Model Village concept was thought of to bring in sustained and coordinated approach by all the stakeholders and ensure that the benefits of various schemes are extended to the villages. Accordingly, Model Village Scheme was formulated and launched on 15.08.2015 coinciding with the Independence Day in 21 villages spread over 13 districts and UT of Puducherry, where the Bank has Lead Bank responsibility.
- As per the scheme, a Model Village Development Plan (MVDP) involving credit and non credit activities for three years has been prepared and is being implemented. It is envisaged to assist 26164 beneficiaries to the tune of ₹ 213.98 crore during this three year plan period. During the years 2015-16 and 2016-17, an amount of ₹ 42.78 crore (4662 beneficiaries) and ₹ 70.50 crore (6673 beneficiaries) respectively were disbursed In the year 2017-18, ₹ 98.88 crore has been disbursed to 7725 beneficiaries.
- MVDP involves non-credit activities like counseling services involving development Departments such as Agriculture, Animal Husbandry etc. and other CSR initiatives such as health, sanitation, education and tree planting programs. Aadhaar seeding and importance of social security scheme were also discussed.

Awareness programmes were conducted on various social security schemes (APY, PMSBY and PMJJBY) resulting in more registration under these schemes.

Capacity Building Initiatives:

Bank established RUDSETI Model Training institutes named as "Indian Bank Self Employment Training Institute (INDSETI) in twelve centers viz., Chittoor, Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Puducherry, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram. So far, a total of 1779 training programmes have been conducted by the INDSETIs up to March 2018 benefitting 49656 individuals.

Executive Director Shri M.K.Bhattacharya, lighting the Kuthuvilakku in presence of Shri K.N.Janardhana, National Director of RSETIs and Shri D. Devaraj, General Manager (RBD/FI), Indian Bank and Shri S.Ganesan, State Director of RSETIs for Tamil Nadu and Puducherry on the occasion of Conclave of Directors of INDSETI on 17.08.2017.

श्री डी देवराज, महाप्रबंधक (आरबीडी और एफआई) और श्री पी अगिलन, निदेशक, इंडसेटी द्वारा "इंडियन बैंक स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान", पुदुच्चेरी, वर्ष 2017–18 के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करनेवाले आरसेटी के लिए पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

क्षमता निर्माण की दिशा में उपर्युक्त विशेष पहलों के अलावा, बैंक ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र कारैक्कुडी, तमिलनाडु (नाबार्ड और आईओबी के साथ संयुक्त रूप से) और आंध्र प्रदेश बैंकर्स ग्रामीण एवं उद्यमिता विकास संस्थान – एपीबीआईआरईडी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश सरकार, नाबार्ड और पांच अन्य बैंकों के साथ संयुक्त रूप से) में पहले से ही भाग ले रहा है। ये दोनों संस्थान ग्रामवासियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए व्यापक कौशल उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करते हैं। आरटीसी, कारैक्कुडी द्वारा (मार्च 2018 तक 12328 सदस्यों को लाभ पहुंचाते हुए) कुल 451 प्रशिक्षण कार्यक्रम और एपीबीआईआरईडी, हैदराबाद द्वारा (मार्च 2018 तक 12080 सदस्यों को लाभ पहुंचाते हुए) कुल 442 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान :

- स्वर्ण भारत ट्रस्ट जो विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में एक सेवा उन्मुख गैर–सरकारी संस्था (एनजीओ) है तथा कोनेरु लक्ष्मैया विश्वविद्यालय (केएलयू) जो एक स्वायत्त विश्वविद्यालय है, के साथ मिलकर बैंक ने लोगों के प्रशिक्षण एवं विकास के लिए तथा गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके कुशल श्रम शक्ति की स्थिति में सुधार लाने के लिए डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान के नाम से अटकूर गांव, जिला– कृष्णा, आंध्र प्रदेश में "कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान" की स्थापना की है।

- संस्था ने मार्च 2018 तक 22 कार्यक्रम संचालित किए तथा 454 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया।

वित्तीय समावेशन

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) :

यह योजना नई दिल्ली में 28.08.2014 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई थी। बहिष्कृत वर्गों को वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता तथा समय पर एवं पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), भारत सरकार ने प्रधान मंत्री जन–धन योजना पर दिशानिर्देशों को सूचित किया है।

एसएलबीसी द्वारा उप–सेवा क्षेत्र (एसएसए) का आबंटन तथा पीएमजेडीवाई के तहत बैंक द्वारा कवरेजः

मार्च 2016 तक, विभिन्न एसएलबीसी ने पीएमजेडीवाई के तहत बैंक में 2975 एसएसए तथा 2023 शहरी वार्ड आबंटित किए हैं। सभी 2975 एसएसए को बैंक द्वारा बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इनमें से 2517 एसएसए को बैंक मित्र (कारोबार प्रतिनिधि) के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं तथा 458 एसएसए वास्तविक शाखाओं के माध्यम से पहले से ही काम कर रहे हैं।

पीएमजेडीवाई के तहत बीएसबीडी खाते खोलने में वृद्धि :

डीएफएस की सलाहानुसार शाखाएँ दिनांक 16.08.2014 से पीएमजेडीवाई के तहत बेसिक बचत बैंक खाते खोलती आ रही हैं। दिनांक 31 मार्च 2018 तक बैंक ने 33.10 लाख बीएसबीडी खाते खोले। पीएमजेडीवाई के तहत 32.87 लाख बीएसबीडी खाता धारकों को रुपे कार्ड जारी किए गए हैं और इन खातों में जुटाई गई जमा राशि ₹ 494.27 करोड़ है।

ओवेरड्राफ्टों की मंजूरी :

बैंक ने 2,51,402 पात्र खाता धारकों को ₹ 59.86 करोड़ तक के ओवेरड्राफ्ट प्रदान किए थे। जिसमें से 85,756 बीएसबीडीए खाता धारकों ने ₹ 16.12 करोड़ राशि की लिमिट का लाभ उठाया है। छह महीने के संतोषजनक परिचालन / क्रेडिट हिस्टरी के बाद ही हर बीएसबीडीए खाता धारक को ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा। बैंक ने ओवरड्राफ्ट सुविधा को स्वचालित बनाया है और इसे पात्र पीएमजेडीवाई खाता धारकों के लिए अपने बैंक के एटीएम के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।

पीएमजेडीवाई के तहत बैंक के निष्पादन की मुख्य विशेषताएं :

- शुरुआत अर्थात 16.08.2014 से (31.03.2018 तक) 33.10 लाख बेसिक बचत बैंक जमा खाते खोले गए।
- 32.87 लाख बीएसबीडी खाता धारकों को रुपे कार्ड जारी किए गए (31.03.2018 तक)।
- बैंक को आबंटित किए गए सभी एसएसए को या तो वास्तविक शाखा या बैंक मित्र द्वारा कवर किया जाता है।
- आईबीए मानक (1.5.1) का पालन करते हुए सभी बैंक मित्रों को अंतर–संचालित माइक्रो एटीएम उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
- सभी बैंक मित्रों को उनके अपने स्थान पर माइक्रो इंश्योरेंस और अटल पेंशन योजना के तहत आवेदन के नामांकन के लिए सक्षम बनाया जाता है।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान महीने में प्रति बैंक मित्र द्वारा किए गए लेनदेन की औसत संख्या 1000 थी। बैंक मित्र द्वारा किए गए लेनदेन की संख्या के मामले में बैंक सभी बैंकों के मध्य पहले स्थान पर रहा।
- आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) परस्पर कार्यक्षमता सुविधाओं को बैंक के एसएसए में लगाए गए सभी पीओएस मशीन में सक्षम बनाया गया है। सभी बैंक मित्र एईपीएस लेन–देन कर रहे हैं तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान बैंक मित्रों द्वारा ₹ 2726.25 करोड़ की राशि के लिए 1.94 करोड एईपीएस लेन–देन (दोनों वित्तीय और गैर वित्तीय) किए गए हैं। किसी भी बैंक के ग्राहक, बैंक के बैंक मित्र के साथ लेनदेन कर सकते हैं।

Shri D Devaraj, GM (RBD&FI) and Shri P Aguilane, Director, INDSETI, Puducherry received the Best Performing RSETI in the country by Ministry of Rural Development, Government of India for the year 2017-18 for "Indian Bank Self Employment Training Institute" (INDSETI), Puducherry.

Apart from the above exclusive initiatives towards capacity building, the Bank is already participating in Rural Training Centre, Karaikudi, Tamil Nadu (jointly with NABARD & IOB) and Andhra Pradesh Bankers' Institute of Rural & Entrepreneurship Development - APBIRED, Hyderabad (jointly with Government of AP, NABARD & five other Banks). These two training institutes offer wide range of skill oriented training programmes with a focus on rural population. A total of 451 training programmes have so far been conducted by RTC, Karaikudi (benefitting 12328 members - up to March 2018) and 442 programmes by APBIRED, Hyderabad (benefitting 12080 members-up to March 2018).

Dr.APJ Abdul Kalam Skill Development Training Institute:

- Bank along with Swarna Bharat Trust, a service oriented Non-Governmental Organization (NGO) in Vijayawada, Andhra Pradesh and Koneru Lakshmaiah University (KLU), an autonomous University established a "Skill Development Training Institute" by the name Dr.APJ Abdul Kalam Skill Development Training Institute at Atkur Village, Krishna District, Andhra Pradesh for training and developing people and improving the skilled man power position by imparting quality training.
- The Institute has conducted 22 programmes and trained 454 candidates up to March 2018.

FINANCIAL INCLUSION

PRADHAN MANTRI JAN-DHAN YOJANA (PMJDY):

The scheme was launched by Hon'ble Prime Minister on 28.08.2014 in New Delhi. Department of Financial Services (DFS), Government of India has communicated the guidelines on Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana for ensuring access to financial services and timely & adequate credit to the excluded sections.

Allotment of Sub Service Areas (SSAs) by SLBCs and coverage by the Bank under PMJDY:

As of March 2016, various SLBCs have allotted 2975 SSAs and 2023 urban wards to the Bank under PMJDY. All the 2975 SSAs are provided with banking services by the Bank. Of these, 2517 SSAs are provided with banking services through Bank Mitrs (Business correspondents) and 458 SSAs through Brick and Mortar branches already functioning in the SSAs.

Progress in opening of BSBD Accounts under PMJDY:

Branches have been opening Basic Saving Bank Deposit Accounts (BSBDA) under PMJDY from 16.08.2014 as advised by DFS. As on 31.03.2018, Bank has opened 33.10 lakh BSBD Accounts. RuPay cards have been issued to 32.87 lakh BSBD account holders under PMJDY and the deposit mobilized in these accounts is ₹ 494.27 crore.

Sanction of Overdrafts:

Under PMJDY, our Bank has offered overdraft to 2,51,402 eligible account holders to the tune of ₹ 59.86 crore. Of which 85,756 BSBD account holders have availed the limit amounting to ₹ 16.12 crore. Facility of overdraft to every BSBD account holder would be considered after satisfactory operation / credit history of six months. Our Bank has automated the overdraft facility and made the same available through ATMs of Bank to the eligible PMJDY account holders.

Highlights of Bank's performance under PMJDY:

- 33.10 lakh Basic Savings Bank Deposit Accounts opened (as on 31.03.2018) since inception i.e. on 16.08.2014.
- RuPay Cards issued to 32.87 lakh BSBD Account holders (as on 31.03.2018).
- All the SSAs allotted to the Bank are covered with either brick or mortar branch or with Bank Mitr.
- All the Bank Mitrs are provided with inter operable Micro ATM devices complying with IBA standard (1.5.1)
- All Bank Mitrs are enabled for enrollment of application under Micro Insurance and Atal Pension Yojana at their points.
- Average number of monthly transaction done per Bank Mitr is more than 1000 during the FY 2017-18. Bank stood first among all Banks in terms of number of transactions done by Bank Mitrs.
- Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) inter-operability facilities are enabled in all POS machines deployed in SSAs of the Bank. All Bank Mitrs are carrying out AEPS transactions and during the FY 2017-18, 1.94 Crore AEPS transactions (both financial and non-financial) to the tune of ₹ 2726.25 Crore have been performed by the Bank Mitrs. Customer of any Bank can transact with Bank's Bank Mitr.

जन सुरक्षा योजना के तहत निष्पादनः

पीएमजेडीवाई के दूसरे चरण में, माननीय प्रधानमंत्री ने समाज के वंचित वर्गों के लिए तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) – एक जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) – एक दुर्घटना बीमा योजना, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) – पेंशन योजना का शुभारंभ मई, 2015 में किया। 31.03.2018 तक योजनाओं के तहत बैंक का निष्पादन नीचे प्रस्तुत हैः

योजना का नाम	कवर किए गए ग्राहकों की संख्या
एपीवाई	3,51,619
पीएमजेजेबीवाई	9,04,847
पीएमएसबीवाई	20,67,101
कुल	**33,23,567**

- पीएमजेजेबीवाई के तहत 57.26 करोड़ की राशि के 2863 दावों का बीमाधारक के नामितियों को निपटान किया गया तथा पीएमएसबीवाई के तहत 12.87 करोड़ के 703 दावों का निपटान बीमाधारक के नामितियों को किया गया है।

रुपे बीमा दावों के तहत निष्पादन

15.08.2014 और 26.01.2015 के बीच खाते खोलने वाले ग्राहकों के लिए ₹ 1 लाख के दुर्घटना बीमा कवर और ₹ 30,000/–के जीवन बीमा कवर के साथ निर्मित रुपे डेबिट कार्ड पीएमजेडीवाई खाताधारकों को जारी किए जा रहे हैं। रुपे दुर्घटना बीमा दावा के तहत, बीमाकर्ता के नामितियों के 108 दावों का निपटान किया गया था। इसी प्रकार रुपे लाइफ इंश्योरेंस के तहत, बीमाकर्ता के नामितियों के 104 दावों का निपटान किया गया था।

तमिलनाडु में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन का भुगतान :

जुलाई 2012 के बाद से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) आधारित स्मार्ट कार्ड सक्षम व्यापार संपर्की (बीसी) मॉडल का उपयोग करते हुए बैंक खातों के माध्यम से तमिलनाडु राज्य में, सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत, वित्तीय समावेश के तहत कवर गांवों में, वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान लाभार्थियों को किया जा रहा है। तमिलनाडु में बैंक मित्र के माध्यम से प्रति माह 5.62 लाख लाभार्थियों को पेंशन संवितरित की जाती है।

वित्तीय साक्षरता गतिविधियां :

- ग्रामीण लोगों के करीब आने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए, विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां शुरू करने के लिए बैंक ने "ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक न्यास" (आईबीटीआरडी) के नाम से एक न्यास स्थापित किया है।
- इस न्यास के अधीन, बैंक ने चित्तूर और मचिलिपट्नम (आंध्र प्रदेश), कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, विलुपुरम और वेल्लूर (तमिलनाडु), केरल में कोल्लम एवं पुदुच्चेरी में वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श (एफएलसीसी) केंद्र स्थापित किए हैं।
- झुग्गी बस्तियों में शहरी गरीब व्यक्तियों के हितार्थ तीन महानगरों चेन्नै, दिल्ली तथा मुम्बई में वित्तीय समावेशन के सहयोग हेतु शहरी वित्तीय साक्षरता केंद्र स्थापित किये गये हैं।
- केरल में चदयमंगलम तथा पारस्साला में ब्लॉक स्तर के वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) स्थापित किए गए।
- सभी शाखाओं ने सक्रिय रूप से 5 जून से 9 जून 2017 तक देश भर में आरबीआई द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता सप्ताह में भाग लिया।

पुरस्कार और प्रशस्तियां

- पीएफआरडीए ने 2017–18 के दौरान एपीवाई के तहत बैंक के अनुकरणीय निष्पादन के लिए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री किशोर खरात को **"मेकर्स ऑफ एक्सिलेन्स लीडरशिप"** पुरस्कार से सम्मानित किया।
- कार्यपालक निदेशक श्री एमके भट्टाचार्य को पीएफआरडीए द्वारा **"ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर"** पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- पीएफआरडीए द्वारा फरवरी 2018 के दौरान आयोजित "स्प्लेंडेड सेवन कैम्पेन" के दौरान बैंक ने 15,000 के लक्ष्य के मुकाबले 16,565 एपीवाई खातों को खोलने के लिए महाप्रबंधक (आरबीडी / वित्तीय समावेशन) श्री डी देवराज को "सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले **"महाप्रबंधक – प्रधान कार्यालय संवर्ग"** में विजेता पुरस्कार प्रदान किया गया।

Performance under Jan Suraksha Yojana:

In the second phase of PMJDY, Hon'ble Prime Minister launched three Social Security Schemes viz., Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) – a Life insurance scheme, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) – an Accidental insurance scheme and Atal Pension Yojana (APY) – Pension scheme in May 2015 for the under privileged sections of the society. The performance of the Bank under the Schemes as on 31.03.2018 is furnished hereunder.

Name of the Scheme	No. of customers covered
APY	3,51,619
PMJJBY	9,04,847
PMSBY	20,67,101
Total	**33,23,567**

- Under PMJJBY, 2863 claims were settled to the nominees of the insured amounting to ₹ 57.26 crore and similarly under PMSBY, 703 claims to the tune of ₹ 12.87 crore have been settled to the nominees of the insured/insured.

Performance under RuPay Insurance claims

PMJDY account holders are being issued with RuPay debit cards having in built accidental insurance cover of ₹ 1 lakh and life cover of ₹ 30,000/- for the customers who opened accounts between 15.08.2014 to 26.01.2015. Under RuPay Accidental insurance claim, 108 claims were settled to the nominees of the insured. Similarly under RuPay life insurance 104 claims were settled to the nominees of the insured.

Payment of pension under Social Security Scheme in Tamil Nadu:

In the state of Tamil Nadu, under Social Security Scheme, Old Age pension is being paid to beneficiaries, in the villages covered under Financial Inclusion; through Bank accounts using Information and Communication Technology (ICT) based Smart Card enabled Business Correspondent (BC) Model, since July 2012. As on date pension is disbursed to 5.62 lakh beneficiaries every month through our Bank Mitrs in Tamil Nadu.

Financial Literacy activities:

- As a step towards getting closer to the rural people, Bank has set up a Trust by name "Indian Bank Trust for Rural Development'' (IBTRD) for undertaking various developmental activities.
- Under the trust, the Bank has established Financial Literacy and Credit Counseling (FLCC) centres at Chittoor and Machilipatnam (Andhra Pradesh) Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Thiruvannamalai, Thiruvallur, Villupuram and Vellore (Tamil Nadu), Kollam (Kerala)and Puducherry.
- Urban Financial Literacy Centres were established in Chennai, Delhi and Mumbai for the benefit of poor masses in slum areas to assist financial inclusion in 3 Metros.
- Block level Financial Literacy Centres (FLCs) were established at Chadayamangalam and Parassala Blocks in Kerala.
- All branches actively participated in the Financial literacy week conducted by RBI from June 5th to June 9th 2017 across the country.

Awards and accolades

- PFRDA honoured MD & CEO Shri Kishor Kharat with **"Makers of Excellence Leadership"** Award for exemplary performance of theBank under APY during 2017-18.
- Executive Director Shri M.K.Bhattacharya was honoured with **"Transformative Leader"** award by PFRDA.
- General Manager (RBD/ Financial Inclusion) Shri D Devaraj emerged winner in "Best Performing General Manager – Head Office category", as Bank sourced 16,565 APY accounts as against the target of 15,000 during **"Splendid Seven campaign"** conducted during February 2018 by PFRDA.

- पीएफआरडीए ने सहायक महाप्रबंधक (वित्तीय समावेशन) / नोडल अधिकारी श्री असिफ एसए को सितंबर 2018 तक 30 के लक्ष्य के मुकाबले 31 प्रति शाखा औसत तक पहुंचने के लिए **"चैलेंजर्स गोल्ड अवार्ड"** और मुख्य प्रबंधक (वित्तीय समावेशन) / नोडल अधिकारी श्री वीएम वेंकटचलम को दिसंबर 2018 तक 50 के लक्ष्य के मुकाबले 68 प्रति शाखा औसत तक पहुंचने के लिए **"चैंपियन क्लासिक अवॉर्ड"** से सम्मानित किया।

- **वित्तीय साक्षरता के लिए नाबार्ड पुरस्कार** : वित्तीय साक्षरता पहलों के तहत, बैंक के पास तमिलनाडु में ग्यारह वित्तीय साक्षरता केंद्र संचालित हैं। 1924 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए थे और अब तक प्राथमिकता क्षेत्र ऋणद, अन्य बैंक जमा उत्पादों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और डिजिटलीकरण पर विभिन्न साक्षरता कार्यक्रमों के तहत 1.90 लाख लोगों को लाभ हुआ है।

- बैंक द्वारा आरएसटीआई (इंडसेटी) को प्रदान किए गए **"नेतृत्व, दिशा और समर्थन"** की पहचान में बैंक को "सी" श्रेणी (10 से 20 आरसेटी के साथ बैंक) के तहत **"ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरसेटी)"** के लिए तृतीय पुरस्कार दिया गया है। नई दिल्ली में आयोजित आरसेटी दिवास समारोह में श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, श्री रामकृपाल यादव, माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा पुरस्कार प्रस्तुत किया गया था।

लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) को ऋण का प्रवाह :

- सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम में बैंक का एक्सपोजर 31.03.2017 को 23863.74 करोड़ से 20.91 प्रतिशत बढ़कर 31.03.2018 को 28854.17 हो गया है।

- एमएसएमई क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे विनिर्माण इकाइयों, योग्य डॉक्टरों, ठेकेदारों, व्यापारियों आदि की विशिष्ट व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न आवश्यकता–आधारित ऋण उत्पादों को तैयार किया गया था।

- एमएसएमई ग्राहकों के सभी प्रकार की क्रेडिट आवश्यकताओं (फंड आधारित और गैर–फंड आधारित) को पूरा करने के लिए ऋण उत्पाद उपलब्ध हैं। बैंक द्वारा दी जाने वाली क्रेडिट सुविधाओं में निम्नलिखित विशेषताएं हैं :

  - ऑन लाइन आवेदन और ट्रैकिंग सुविधा
  - ग्राहक के अनुकूल ऋण उत्पाद
  - सरलीकृत आवेदन फार्म और प्रलेखीकरण
  - त्वरित प्रसंस्करण
  - प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण
  - निजीकृत ग्राहक सेवा

बैंक विशिष्ट ऋण उत्पादों को बाजार में उतारते हुए, बाज़ार विशिष्ट मानदंडों / दिशानिर्देशों के साथ एमएसएमई के तहत क्लस्टर के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

बैंक ने भीलवाड़ा, ईचलकरंजी, सूरत, नामक्कल, पानीपत, हुबली, करीमनगर एवं गुड़गाँव क्षेत्र में वस्त्र क्लस्टर, करीमनगर में ग्रेनाइट क्लस्टर, मोरवी क्षेत्र में सेरमिक क्लस्टर, सूरत में सॉ मिल क्लस्टर, होसूर में ऑटो पार्ट्स, दिल्ली, अहमदाबाद, और भोपाल में एनसीएमएल क्लस्टर, जालंधर और लुधियाना में साइकिल पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स, मशीन टूल्स, तथा फास्नर निर्माण इकाइयां, राजकोट में सिंचाई पंप निर्माण इकाइयां, वापी में पैकेजिंग इकाइयां, वडोदरा, पुणे एवं नासिक क्षेत्र में फार्मास्युटिकल क्लस्टर, फरीदाबाद और गुड़गांव क्षेत्र में इंजीनियरिंग क्लस्टर, कांचीपुरम में सिपकॉट क्लस्टर, बैंगलोर क्षेत्र में ट्रेडर्स और टिम्बर प्रोसेसिंग / ट्रेडिंग क्लस्टर आदि के लिए क्लस्टर–विशेष योजनाएं अनुमोदित की है।

इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, बैंक में अलग एमएसएमई विभाग है जो पूरे एमएसएमई पोर्टफोलियो का ध्यान रखता है, बैंक में 18 इंड एमएसएमई शाखाएं, 76 विशेष एसएमई शाखाएं और 500 एसएमई उन्मुख शाखाएं हैं, जो एमएसएमई क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं।

स्टैंड अप इंडिया के तहत निष्पादन

(₹ करोड़ में)

	खातों की संख्या	राशि
चालू वर्ष के दौरान निष्पादन	1431	296.31
संचयी निष्पादन	2350	484.00

इंड रिटेल वर्टिकल :

गृह ऋण पोर्टफोलियो पर अतिरिक्त जोर देने के लिए विशेष रिटेल शाखाएँ (आईआरबी – इंड रिटेल शाखा) खोली गई थीं। ये शाखाएं "हब एंड स्पोक व्यवसाय मॉडल" के तहत काम करती हैं। निरंतर सुधार के रूप में, आईआरबी के व्यावसायिक मॉडल को अच्छी तरह से ट्यून किया गया था और आईआरबी को आईआरपीसी (इंड रिटेल प्रसंस्करण केंद्र) के रूप में पुनः नामित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान की गई नई पहल :

- आईबी होम एनरिच : आवासीय इकाई की मरम्मत / नवीनीकरण के लिए एक नया गृह ऋण उत्पाद लॉन्च किया गया था। उत्पाद की विशिष्ट विक्रय गुण(यूएसपी) निम्न है,
  - प्रतिभूति के रूप में संपत्ति के बंधक की बजाय तरल प्रतिभूतियों की स्वीकृति
  - धारा 24 के तहत आयकर लाभ
- इंड आवास – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), कम आय समूह (एलआईजी) और मध्य आय समूह (एमआईजी) के लिए पीएमएवाई–सीएलएसएस के तहत एक नया गृह ऋण उत्पाद की शुरुआत की गई।

- PFRDA honoured Assistant General Manager (Financial Inclusion) / Nodal Officer Mr Asif S A with **"Challengers Gold Award"** for reaching per branch average of 31 against the target of 30 as of September 2018 and Chief Manager (Financial Inclusion)/Nodal Officer Shri V M Venkatachalam with **"Champion Classic Award"** for reaching per branch average of 68 as of December 2018, against the target of 50.

- **NABARD Award for Financial Literacy:** Under Financial Literacy initiatives, Bank has eleven Financial Literacy Centres operating in Tamil Nadu.1924 awareness camps were conducted and 1.90 lakhs people benefitted so far under various literacy programs on priority sector lending, other Bank deposit products, social security schemes and digitalization.

- Bank has been awarded third prize for **"Rural Self Employment Training Institutes** (RSETI)**"** under "C" category (Banks with 10 to 20 RSETIs) in recognition of the **"Leadership, Direction and Support"** given to the RSETIs (INDSETIs) by the Bank. The award was presented by Shri. Narendra Singh Tomar, Hon'ble Minister of Rural Development, Shri. Ram Kripal Yadav, Hon'ble Minister of State of Rural Development & Shri. Santosh Kumar Gangwar, Hon'ble Minister of State of Finance in the function RSETI DIWAS held at New Delhi.

CREDIT FLOW TO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SME)

- Bank's exposure to Micro Small & Medium Enterprises grew by 20.91 per cent from ₹ 23863.74 crore as on 3
  1.03.2017 to ₹ 28854.17 crore as on 31.03.2018.

- Various tailor made loan products were devised to suit the specific business needs of certain vital areas of MSME Sector such as manufacturing units, qualified doctors, contractors, traders etc.

- Loan products are available to meet all sorts of credit requirements (Fund Based and Non Fund Based) of MSME Customers. Credit Facilities offered by the Bank have the following characteristics:
  - ♦ On line application and tracking facility
  - ♦ Customer-friendly loan products
  - ♦ Simplified application form and documentation
  - ♦ Quick processing
  - ♦ Competitive pricing
  - ♦ Personalised customer service

Bank is concentrating on development of clusters under MSME by rolling out cluster specific loan products offering activity & market specific norms / guidelines.

Bank has approved cluster specific schemes - Textile Cluster in Bhilwara, Ichalkaranji, Surat, Salem, Namakkal, Panipat, Hubli, Karimnagar and Gurgaon Regions, Granite Cluster at Karimnagar, Ceramic Cluster in Morvi Region, Saw Mill Cluster at Surat, Auto components cluster at Hosur, NCML Cluster at Delhi, Ahmedabad and Bhopal, Cycle parts, auto parts, machine tools and fasteners manufacturing units cluster at Jalandhar & Ludhiana, Irrigation pump manufacturing units at Rajkot, Packaging units at Vapi and Pharmaceutical cluster at Vadodara, Pune and Nasik regions, Engineering cluster at Faridabad and Gurgaon Regions, SIPCOT cluster at Kancheepuram, Traders and Timber processing / trading cluster at Bangalore regions.

For giving focused attention, separate MSME Department is in place which takes care of entire MSME portfolio, Bank is having 18 Ind MSME Branches, 76 Specialised SME branches and 500 SME oriented Branches, which give focused attention towards growth of MSME sector.

Performance under Stand Up India

(₹ in crores)

	Number of Accounts	Amount
Performance during the current year	1431	296.31
Cumulative Performance	2350	484.00

IND RETAIL VERTICAL:

Specialized retail branches (IRB - Ind Retail Branch) were opened to give additional thrust to Home Loan portfolio. These branches work under the "HUB & SPOKE" business model. As part of continuous improvement, business model of IRBs were fine tuned and IRBs were rechristened as IRPCs (Ind Retail Processing Centres).

New initiatives taken during FY 2017-18:

- **IB Home Enrich** - A new home loan product forRepairs/renovation of the residential dwelling unit was launched. Unique Selling Prepositions(USPs) of the product are :
  - Acceptance of liquid securities instead of mortgage of property as security
  - Income Tax benefit under Section 24

- **Ind Awas** - A new Home Loan product under PMAY-CLSS for Economically Weaker Section (EWS), Low Income Group (LIG) & Middle Income Group (MIG) was introduced.

- गृह ऋण पोर्टफोलियो के तहत व्यवसाय में सुधार के लिए वैयक्तिकों को प्रत्यक्ष विक्रय एजेंट (डीएसए) और सेवानिवृत्त स्टाफ को ऋण सलाहकार (एचएलसी) के रूप में पैनल में सम्मिलित करने के लिए योजना की शुरुआत ।
- खुदरा ऋण उत्पादों के विपणन के लिए प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त संचार चैनलों जैसे सोशल मीडिया के उपयोग में बढ़ोत्तरी।
- संभावित व्यापार क्षेत्र को परिचालित करने हेतु 11 नए आईआरपीसी जोड़े गए जिससे खुदरा ऋण ध्यान केन्द्रित कर लीवरेज लाभ हो सके।
- स्वचालित स्कोरिंग मॉडल की शुरूआत के साथ–साथ कोर बैंकिंग सोल्यूशन के साथ निर्बाध एकीकरण के लिए फाइन–ट्यून्ड इन–हाउस होम लोन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जो पिछले वर्ष पेश किया गया था।
- गूगल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होम लोन लीड सोर्सिंग हेतु डिजिटल अभियान की शुरुआत की गई।

इंड रिटेल वर्टिकल का निष्पादन

बकाया शेष:

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक बकाया शेष		वर्ष दर वर्ष वृद्धि प्रतिशत मार्च 2017	वास्तविक बकाया शेष	वर्ष दर वर्ष वृद्धि प्रतिशत मार्च 2018
	31/03/2016	31/03/2017	%	31/03/2018	%
आवास ऋण	9515.98	11289.69	18.64	14178.53	25.59
बंधक ऋण	944.32	1535.17	62.57	2644.10	72.23
कुल	10460.30	12824.86	22.61	16822.63	31.17

संवितरण:

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक संवितरण		2015–16 में बढ़ोत्तरी का प्रतिशत	वास्तविक संवितरण	2016-17 में बढ़ोत्तरी का प्रतिशत
	2015-16	2016-17		2017-18	
आवास ऋण	2341.74	3385.77	44.58%	4906.79	44.92%
बंधक ऋण	433.61	881.12	103.21%	1594.75	80.99%
कुल	2775.35	4266.89	53.74%	6501.54	52.38%

ऋण निगरानी कक्ष

- बैंक की ऋण जोखिम प्रक्रिया के एक अंग के रूप में विभिन्न स्तरों पर ऋण समीक्षा प्रबंधन (एलआरएम) तथा कॉर्पोरेट कार्यालय व अंचल कार्यालय में विभिन्न समितियों द्वारा उधारकर्ताओं को मंजूर किए गए खातों का पुनरीक्षण सहित विभिन्न स्तरों पर ऋण लेखा परीक्षा की गई।
- वर्ष 2017–18 के दौरान, मानक बकाया गैर–खाद्य ऋणों के लगभग 52.91 प्रतिशत को एलआरएम तथा ऋण लेखा परीक्षा के अधीन रखा गया जबकि एलआरएम नीति के अनुसार न्यूनतम कवरेज 50 प्रतिशत है।
- विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के नियमन हेतु उसे प्रतिदिन सक्रिय रूप से मॉनिटर एवं फॉलो अप किया जाता है। कॉर्पोरेट कार्यालय के कार्यात्मक ऋण विभागों के विभाग प्रमुखों से मिलकर बनी मानक आस्ति जाँच समिति प्रत्येक महीने समस्त एसएमए खातों का पुनरीक्षण करती है।
- एसएमए–0 स्तर तक के बिगड़ती परिसंपत्ति गुणवत्ता वाले ऐसे बड़े उधार खाते जिसकी सूचना सीआरआईएल के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को दी जाती है, उनपर बारीकी से निगरानी रखी गई एवं दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए संशोधित फ्रेमवर्क में दिए गए दिशानिर्देशों के अंतर्गत उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की गई।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संशोधित फ्रेम वर्क के अनुसार वसूली की निगरानी पर गठित समिति ने समय–समय पर समीक्षा की और तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान के कार्यान्वयन की स्थिति का निरीक्षण किया। साप्ताहिक आधार पर एसएमए – 0 श्रेणियों के दबावग्रस्त खातों की शीघ्र पहचान तथा बड़ी राशि के ऋणों की रिपोर्टिंग सूचनाओं की सेंट्रल रिपोजिटरी (सीआरआईएलसी) को की जाती है।
- धोखाधड़ी की शीघ्र पहचान तथा रिपोर्टिंग हेतु एक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की मॉनिटरिंग और ऋण धोखाधड़ी से निपटने हेतु खातों की रेड फ्लेगिंग हेतु एक नीति (पॉलिसी) तैयार की गई है तथा इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
- अंचल स्तर की सभी मंजूरियों की जांच की गई और स्वीकृत नियमों और शर्तों का अनुपालन उचित समितियों के समक्ष रखा गया।

आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

- बैंक ने जून 2011 से एनपीए (गैर निष्पादक आस्ति) की सिस्टम द्वारा पहचान प्रणाली के सफलतापूर्वक अनुवर्तन के साथ आस्ति गुणवत्ता पर निरंतर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रभावी तरीके से कई विवेकी ऋण निगरानी टूलों का इस्तेमाल किया है। फरवरी 2016 से गैर निष्पादक आस्तियों की मासिक फ्लेगिंग की शुरुआत की गई थी।
- नए एनपीए खातों की वसूली / उन्नयन के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है और विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) का पता लगाकर उन्हें मॉनिटर करने के जरिए दबावग्रस्त खातों का नियमित अनुवर्तन किया जाता है ताकि गिरावट को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखा जा सके।

- Introduction of Scheme for Empanelment of individuals as Direct Selling Agent (DSA) and Retired Staff as Home Loan Counsellors (HLC) to improve business under Home Loan portfolio.
- Increased utilization of technology aided communication channels such as social media for marketing retail loan products.
- 11 new IRPCs added at potential business Zones to leverage benefits of focused retail lending approach became operational.
- Fine-tuned In-House Home Loan automation software which was introduced last year for seamless integration with Core Banking Solution along with introduction of automated scoring model.
- Launched digital campaign for sourcing home loan leads through Google platform.

Performance of Ind Retail Vertical

Balance Outstanding:

(₹ in Crores)

	Actual Balance Out-standing		YOY growth March 2017	Actual Balance Out-standing	YOY growth March 2018
	31/03/2016	31/03/2017	%	31/03/2018	%
Home Loan	9515.98	11289.69	18.64	14178.53	25.59
Mortgage Loan	944.32	1535.17	62.57	2644.10	72.23
Total	10460.30	12824.86	22.61	16822.63	31.17

Disbursement:

(₹ in Crores)

	Actual Disbursement		% of Increase over	Actual Disburse-ment	% of Increase over
	2015-16	2016-17	2015-2016	2017-18	2016-17
Home Loan	2341.74	3385.77	44.58%	4906.79	44.92%
Mortgage Loan	433.61	881.12	103.21%	1594.75	80.99%
Total	2775.35	4266.89	53.74%	6501.54	52.38%

CREDIT MONITORING CELL

- As part of Bank's Credit Risk Management process, review of accounts under Loan Review Mechanism (LRM) and Credit Audit have been carried out at various levels including review of borrowal accounts sanctioned by various Committees at Corporate Office and Zonal Offices.
- During the year 2017-18, 52.91 percent of standard non-food credits outstanding have been brought under LRM and Credit Audit as against minimum coverage requirement of 50 percent as per LRM policy.
- Special Mention Accounts (SMA) were monitored on a daily basis and followed up effectively for regularization. The Standard Asset Monitoring Committee comprising of Department heads of Functional Credit Departments at Corporate Office reviewed all SMA accounts every month.
- Large borrowal accounts with deteriorating asset quality from SMA-0 level reported to RBI under CRILC were closely monitored and appropriate remedial action taken as per guidelines contained in the revised Framework for Resolution of Stressed Assets.
- Committee on Monitoring of recovery periodically reviewed and oversaw the status of implementation of the Resolution of Stressed Assets as per revised framework issued by RBI. Early Identification and reporting of accounts under stress from SMA-0 categories to Central Repository of Information on Large Credits (CRILC) on a weekly basis is carried out.
- In order to have a mechanism for early detection and reporting of frauds, a policy for Monitoring early warning signals and Red flagging of Accounts in dealing with loan frauds has been formulated and approved by Board.
- All the Zonal level sanctions were scrutinized and adherence to sanctioned terms and conditions were placed to appropriate committees.

ASSET QUALITY MANAGEMENT

- Bank deployed prudent credit monitoring tools successfully, with continuous and consistent focus on quality of assets, following a system-driven identification of NPA accounts (Non Performing Assets) approach since June 2011. Monthly flagging of NPAs was introduced from February 2016.
- Timely actions for recovery/ upgradation of fresh NPA accounts are under taken and stressed accounts are regularly followed up to minimize the slippages by identifying and monitoring Special Mention Accounts (SMA).

- बैंक ने नए एनपीए की वसूली और नए एनपीए को कम करने में वर्ष 2017–18 के दौरान अच्छा निष्पादन दर्ज किया है। विभिन्न वसूली व्यवस्थाओं जैसे लोक अदालत, एकबारगी निपटान (ओटीएस) के जरिए बातचीत द्वारा समझौते तथा डीआरटी/सरफेसी अधिनियम आदि के जरिए वसूली के उपायों से नए एनपीए में घटौती संभव हुई है। अंचल / शाखाएँ स्वैछिक चूककर्ता/असहयोगी उधारकर्ता की पहचान कर उनपर व्यक्तिगत गारंटी लागू करना, समापन याचिका दायर करना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) से पहले दिवालिएपन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत याचिका दाखिल करने, बंधक शेयरों के हस्तांतरण आदि समस्त वसूली मापदण्डों का सक्रियता से कार्यान्वयन कर रही हैं।
- पूरे भारत में ग्यारह मेगा ई–नीलामी आयोजित की गईं, जिसमें बैंक के पास बंधक रखी गई 523 सम्पत्तियों को विक्रय हेतु लाया गया एवं ₹ 75.59 करोड़ रुपये की वसूली की गई।
- बैंक ने वर्ष 2017–18 के दौरान विभिन्न तिथियों में आयोजित 4 राष्ट्रीय लोक अदालतों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसमें ₹ 744.25 करोड़ से संबद्ध कुल 50,836 मामले शामिल थे। ₹ 50.20 के 4513 मामलों का निपटान किया गया। ₹ 9.55 करोड़ की स्पॉट वसूली की गई।
- वर्ष 2017–18 के दौरान, 2 मेगा पोज़ेशन ड्राइव चलाई गईं। 442 मामलों में प्रतीकात्मक कब्जा तथा 38 मामलों में ₹ 109.95 करोड़ की राशि का भौतिक कब्जा लिया गया।
- 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान घर–घर जाकर अभियान को शामिल करते हुए आवधिक रूप से शाखाओं द्वारा पूरे भारत में क्लस्टर आधार पर व्यापक वसूली शिविर आयोजित किए गए। ₹197.93 करोड़ की नकद वसूली की गई।
- बट्टे खातों एवं अशोध्य ऋणों के संबंध में, वर्ष के दौरान ₹263.25 करोड़ की वसूली की गई।
- बदलते आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप, बैंक की वसूली पॉलिसी को बेहतर बनाया गया है तथा वसूली निष्पादन में सुधार हेतु अग्रसर अधिकारियों को संवेदीकृत किया गया है। इसके अलावा,अंचलों के वसूली विभाग से अधिकारियों की यात्रा के दौरान, नए एनपीए / संदेहास्पद खातों में सुधार और उन्नयन के माध्यम से प्रावधान में कमी के महत्व पर ज़ोर दिया गया।

बैंकएश्युरेंस एवं म्यूचुअल फंड व्यापार

- बैंक ने युनाइटेड इंडिया इन्श्युरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (यूआईआईसी) के साथ गैर–जीवन बीमा/सामान्य/स्वास्थ्य बीमा एवं भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ जीवन बीमा व्यापार के लिए कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता (सीएए) किया है।
- म्यूचुअल फण्ड वितरण के लिए बैंक द्वारा यूटीआई आस्ति प्रबन्धन कंपनी लिमिटेड, रिलायन्स कैपिटल आस्ति प्रबन्धन लिमिटेड, एसबीआई म्यूचुअल फण्ड प्राइवेट लिमिटेड, टाटा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और डीएसपी ब्लैकरॉक इनवेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाई–अप व्यवस्था की गई है।
- निम्नलिखित कंपनियों के साथ समझौता होने पर बैंक अपने ग्राहकों के लिए वैकल्पिक आधार पर विभिन्न समूह बीमा उत्पाद प्रदान करता है:
- भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से किसी भी कारणवश मृत्यु को कवर करनेवाली **"आईबी जीवन कल्याण और जीवन वरिष्ठ"**
- यूआईआईसी के माध्यम से दुर्घटना से होनेवाली मृत्यु को कवर करनेवाली **"आईबी छत्र"**
- यूआईआईसी के माध्यम से हमारे खाता धारकों के लिए ग्रुप मेडीक्लेम इन्श्युरेंस देनेवाली **"आरोग्य रक्षा"**
- यूआईआईसी के माध्यम से हवाई जहाज के अलावा अन्य माध्यमों से देशीय यात्रा के लिए ग्रूप यात्रा बीमा योजना को कवर करनेवाली **"आईबी यात्रा सुरक्षा"**
- भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से गृह ऋण उधारकर्ताओं को कवर करनेवाली **"आईबी गृह जीवन"**
- कोटक लाइफ के माध्यम से गृह ऋण उधारकर्ताओं को कवर करने हेतु **"आईबी होम सुरक्षा"**
- भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से शैक्षिक ऋण छात्र उधारकर्ताओं को कवर करनेवाली **"आईबी जीवन विद्या"**
- पीएनबी मेटलाइफ के माध्यम से शैक्षिक ऋण छात्र उधारकर्ताओं को कवर करनेवाली **"आईबी विद्यार्थी सुरक्षा"**

जोखिम प्रबंधन :

बैंक का जोखिम प्रबंधन तंत्र विभिन्न जोखिमों की स्पष्ट समझ, अनुशासित जोखिम मूल्यांकन एवं माप क्रियाओं तथा सतत जाँच पर आधारित है। संपूर्ण उद्यम में प्रभावोत्पादक जोखिम प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है एवं यह पूरे बैंक के मूल्यांकन, मॉनिटरिंग तथा जोखिम निवेश की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित तीन शीर्ष स्तरीय समितियों के जरिए बैंक के सभी जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है :

- आस्ति एवं देयता प्रबंधन समिति (अल्को)
- जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)

ये समितियां बोर्ड और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित नीतियों और समग्र दिशानिर्देशों के अंतर्गत काम करती हैं।

जोखिमों के प्रबन्धन के लिए बैंक ने विभिन्न नीतियाँ निर्धारित की हैं। उद्यम–स्तर जोखिम का विश्लेषण करने तथा सभी जोखिमों को एकीकृत करने की दृष्टि से, एक एकीकृत जोखिम प्रबन्धन नीति बनायी गयी है। महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, चलनिधि प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, तनाव परीक्षण नीति, संपार्श्विक प्रबन्धन नीति और प्रकटीकरण नीति, प्रतिष्ठा जोखिम प्रबंधन नीति तथा सामरिक जोखिम प्रबंधन नीति शामिल हैं।

- Bank recorded good performance in recovery and reduction of fresh NPA during 2017-2018. Various recovery mechanisms like Lok Adalat, Negotiated Settlements through One Time Settlement (OTS) and recovery measures through DRT / SARFAESI have resulted in improved recovery performance. Zones/Branches are aggressively implementing all recovery measures including classification of the accounts as willful defaulter/non-cooperative borrower, invocation of personal guarantee, filing of Petition under Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) before National Company Law Tribunal (NCLT), Transfer of pledge of shares, etc
- Eleven Mega e-auctions were conducted all over India wherein 523 properties mortgaged to the Bank were brought for sale and recovery of ₹ 75.59 Crore effected.
- Bank actively participated in 4 National Lok Adalats held on various dates during the Year 2017-18. A total number of 50,836 cases were referred involving ₹ 744.25 Crore. 4513 cases were settled for ₹ 50.20 Crore. Spot recovery to the tune of ₹ 9.55 crore was made.
- During the year 2017-18, 2 Mega possession drives were undertaken. Symbolic possession was taken in 442 cases and physical possession in 38 cases amounting to ₹ 109.95 Crore.
- In the Intensive recovery camps involving door to door campaign held periodically during the year ended 31.03.2018 by all the Branches across the country on cluster basis, cash recovery to the tune of ₹ 197.93 Crore was made.
- In respect of Bad debts and Written off accounts, an amount of ₹ 263.25 Crore was recovered during the year.
- In line with the changing economic scenario, Recovery Policy of the Bank has been fine tuned and frontline officials sensitised for improving recovery performance. Besides, during the visit of officials from Recovery Department to Zones, the importance of reduction in provision by way of increasing recovery and upgradation in Fresh NPAs/Doubtful accounts was emphasized.

BANCASSURANCE AND MUTUAL FUND BUSINESS

- Bank has Corporate Agency Arrangement (CAA) with United India Insurance Co. Ltd. (UIIC) for Non-life/General/Health Insurance business and with LIC of India for Life Insurance business
- For Mutual Fund distribution, Bank has tie-up arrangements with UTI Asset Management Co. Ltd, Reliance Capital Asset Management Ltd. and SBI Funds Management Pvt. Ltd, TATA Asset Management Ltd and DSP Blackrock Investment Managers Pvt Ltd.
- Bank offers various group insurance products on optional basis to its customers through tie-up arrangements with the companies as mentioned below:
  - **"IB Jeevan Kalyan & Jeevan Varishta"** through LIC of India covering death due to any reasons
  - **"IB Chhatra"** through UIIC covering death due to accidents
  - **"Arogya Raksha"** through UIIC extending Group Mediclaim Insurance for account holders
  - **"IB Yatra Suraksha"** through UIIC extending Group Travel Insurance for domestic travel other than by Air
  - **"IB Griha Jeevan"** through LIC of India covering Home Loan borrowers
  - **"IB Home Suraksha"** through Kotak Life covering Home Loan borrowers
  - **"IB Jeevan Vidya"** through LIC of India covering Education loan student borrowers
  - **"IB Vidyarthi Suraksha"** through PNB Met Life covering Educational loan student borrowers

RISK MANAGEMENT:

Bank's risk management framework is based on a clear understanding of various risks, disciplined risk assessment and measurement procedures and continuous monitoring. An independent Risk Management Department is functioning for effective Enterprise-Wide Risk Management and is responsible for assessment, monitoring and reporting of risk exposures across the bank. All risks which the Bank is exposed to, are managed through following three committees viz,

- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- Asset and Liabilities Management Committee (ALCO)
- Operational Risk Management Committee (ORMC)

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Board and Risk Management Committee of the Board.

Bank has put in place various policies to manage the risks. To analyze the enterprise-wide risk and with the objective of integrating all the risks of the Bank, an Integrated Risk Management policy has also been put in place. The important risk policies comprise of Credit Risk Management Policy, Liquidity Management Policy, Market risk management policy, Integrated Treasury Management Policy, Operational Risk Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Stress Testing Policy, Collateral Management Policy, Disclosure Policy, Reputational Risk Management Policy and Strategic Risk Management Policy.

जोखिम प्रबन्धन समिति (आरएमसी)/बोर्ड द्वारा सभी नीतियां वार्षिक आधार पर पुनरीक्षित की जाती हैं। जोखिम प्रबंधन संकल्पनाओं की जानकारी देने और क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को इनके प्रति जागरुक बनाने के उद्देश्य से सभी संबंधित नीतियां शाखाओं के बीच परिचालित की गई हैं तथा इसके अलावा बैंक के प्रशिक्षण कॉलेजों में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम प्रोफाइलों को संकलित करके तथा प्रत्येक जोखिम के लिए निर्धारित पैरामीटर की दिशा और मात्रा में भिन्नता का आकलन करके त्रैमासिक आधार पर नियमित रूप से जोखिम का प्रबंधन किया जाता है।

ऋण जोखिम :

प्रारंभिक चरण पर ही जोखिमों को पहचानकर उनका विश्लेषण करने, विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित कर उन्हें अनुरक्षित करने तथा बदलते जोखिम माहौल का सामना करने के लिए अन्य सुधारात्मक कदम उठाने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है।

जोखिम संरचना :

- जोखिम एवं सकेंद्रण जोखिम के परिमाण को सीमाबद्ध करने के लिए निम्नलिखित एक्सपोज़रों के लिए सीमा निर्दिष्ट की गई है:
- एकल एवं सामूहिक ऋणी, संवेदनशील क्षेत्र एक्सपोजर, अरक्षित एक्सपोजर, अंतर बैंक एक्सपोजर, देशवार एक्सपोजर, आंतरिक रेटिंगवार एक्सपोजर, भौगोलिक एक्सपोजर, मियादी ऋण एक्सपोजर एवं प्रतिपक्षी एक्सपोजर।
- इन एक्सपोजर सीमाओं को नियमित आधार पर मॉनिटर किया जाता है और उन्हें बोर्ड की समिति के विविध उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

रेटिंग मॉडल :

- समस्त ऋण प्रस्ताव एक सख्त जोखिम रेटिंग/ ऋण अनुमोदन एवं निर्णय लेने में सहायता करने हेतु स्कोरिंग प्रक्रिया के साथ ही संविभाग प्रबंधन, मूल्य निर्धारण एवं जोखिम आधारित पूंजी माप में जोखिम प्रबंधन क्षमताओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।
- सॉफ्टवेयर संचालित रेटिंग तंत्र रेटिंग को निश्चित कर प्रवेश स्तर की स्कोरिंग प्रणाली के अतिरिक्त ऋण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। रेटिंग मॉडल के आउटपुट का उपयोग निर्णय लेने अर्थात मंजूरी, मूल्य निर्धारण और क्रेडिट पोर्टफोलियो की मॉनिटरिंग में किया जाता है। रेटिंग मॉडल की क्षमता के परीक्षण हेतु इसे एक बाहरी संस्था से भी विधिमान्य किया गया है।
- खातों की रेटिंग का प्रवासन वार्षिक आधार पर किया जाता है। इसके अलावा बैंक के पोर्टफोलियो पर आधारित उद्योग की भारित औसत रेटिंग त्रैमासिक आधार पर की जाती है। अग्रिमों की रेटिंग के अनुसार वितरण का विश्लेषण तिमाही आधार पर किया जाता है।
- बड़े मूल्य के खातों की आवधिक समीक्षा / लेखापरीक्षा के लिए तथा बैंक के ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार करने हेतु ऋण समीक्षा व्यवस्था एवं ऋण लेखा परीक्षा व्यवस्था है। इसके अलावा, स्टैंडर्ड एसेट्स मॉनिटरिंग कमेटी विशेष तौर पर विशेष लेखा खातों की समीक्षा करता है ताकि गैर–निष्पादित संपत्तियों के लिए मानक परिसंपत्तियों की गिरावट को रोकने के लिए समय पर कार्रवाई शुरू की जा सके। मानीटरिंग व्यवस्था के एक हिस्से के रूप में, निवेश श्रेणियों से डाउनग्रेड किए गए खातों की पहचान की जाती है और तिमाही आधार पर सूक्ष्म निगरानी की जाती है।

स्कोरिंग मॉडल :

- बैंक ने प्रवेश स्तर पर स्कोरिंग मॉडल विकसित किया है। व्यक्तिगत ऋण उत्पादों के तहत आने वाली समस्त नई मंजूरियाँ प्रवेश स्तर की स्कोरिंग के अधीन आती हैं।

आस्ति देयता प्रबंधन :

आस्ति देयता प्रबंधन बैंक को जोखिम एक्सपोजर, जोकि चलनिधि जोखिम और ब्याज दर जोखिम से बैंक के तुलन पत्र पर उभर सकते हैं, को मापने व जाँचने हेतु सहायता करता है। यह बैंक को आस्ति देयता प्रबंधन हेतु उपयुक्त रणनीतियां उपलब्ध कराने में मदद करता है।

आस्ति देयता प्रबंधन संरचना में निम्नलिखित मुख्य घटक हैं :

- चलनिधि जोखिम प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम प्रबंधन
- बैलेंस शीट (तुलन पत्र) और बेसल III तरलता अनुपात
- दबाव परीक्षण व परिदृश्य विश्लेषण
- आकस्मिकता निधि योजना

बैंक ने निम्नांकित सूचीबद्ध दो प्राथमिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एएमएल पॉलिसी निर्धारित की :

अल्पावधि उद्देश्य :

- बैंक के शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में सुधार हेतु
- पर्याप्त चलनिधि प्रदान करने हेतु
- पुनर्मूल्यन जोखिम प्रबंधन हेतु

दीर्घावधि उद्देश्य :

- शेयरधारकों के धन की वृद्धि हेतु

आस्ति देयता का प्रबंधन करना, आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का कार्य है। यह एएलएम व जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड और बोर्ड की उप–समिति के मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में कार्य करती है। ब्याज दर परिदृश्य, जमाओं व अग्रिमों दोनों के लिए उत्पाद मूल्य निर्धारण,वृद्धिशील आस्तियों व देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल, बैंक निधि की मांग, बैंक के नकदी प्रवाहों, लाभ योजना व समग्र तुलन पत्र प्रबंधन हेतु यह नियमित अंतरालों पर बैठक करती हैं।

All the policies are reviewed at a minimum on an annual basis by Risk Management Committee (RMC)/ Board. In order to disseminate the risk management concepts and also to sensitize the field level functionaries, the relevant policies were circulated to the branches, in addition to imparting training at the Bank's training colleges.

Management of risk on an ongoing basis is carried out by compiling Risk profiles for Credit risk, Liquidity risk, Market risk and operational risk on quarterly basis and assessing the variation in direction and magnitude of the parameters set for each risk.

Credit Risk:

Risk Management Systems are in place to identify and analyze the risks at an early stage and manage them by setting and monitoring prudential limits, besides taking other corrective measures to face the changing risk environment.

Limit Framework:

- In order to limit the magnitude of credit risk and concentration risk, a limit framework has been laid down for the following type of exposures:
- Single and Group borrower exposure, Sensitive sector exposure, Unsecured exposure, Interbank exposure, Country-wise exposure, Internal rating wise exposure, Geographical exposure, Industry-wise exposure, Term loan exposure and Counterparty exposure
- These exposure limits are monitored on a regular basis and placed to various apex level committees of the Board.

Rating Model:

- All credit proposals are subject to a rigorous credit risk rating/scoring process to support credit approvals and decision making as well as to enhance risk management capabilities for portfolio management, pricing and risk based capital measurement.
- Software driven rating mechanism is in place to assign the rating to ensure credit quality besides an entry level scoring system. The output of the rating model is used in decision making i.e. sanction, pricing and monitoring of credit portfolio. The robustness of the rating model has also been validated by an external agency.
- Migration of rating of accounts is carried out on an annual basis and weighted average rating of industry based on Bank's portfolio is carried out on a quarterly basis. Analysis of rating wise distribution of advances is done on quarterly basis.
- Loan review mechanism and Credit audit system are in place for the periodical review/audit of large value accounts and to bring about qualitative improvements in credit administration of the Bank. In addition, Standard Assets Monitoring Committee reviews the Special Mention Accounts periodically to initiate timely action to prevent slippage of Standard assets to Non performing assets. As a part of monitoring mechanism, accounts which are downgraded from investment category are identified and monitored closely on quarterly basis.

Scoring model:

- Bank has developed an entry level scoring model. All the fresh sanctions coming under personal loan products are subjected to entry level scoring

Asset Liability Management:

Asset liability Management allows the Bank to measure and monitor risk exposures which may arise from both liquidity risk and interest rate risk on its balance sheet. This allows the Bank to provide suitable strategies for asset liability management.

The asset liability management framework consists of the following key components:

- Liquidity risk management
- Interest rate risk management
- Balance Sheet and Basel III liquidity ratios
- Stress Testing and scenario analysis
- Contingency funding plan

Bank has set in place ALM policy in view of two primary objectives as listed below:

Short Term Objective:

- To optimize the Net Interest Margin (NIM) of the Bank
- To provide adequate liquidity
- To manage re-pricing risk

Long Term Objective:

- To maximize the shareholders' wealth.

Asset Liability Management is the function of Asset Liability Management Committee (ALCO). It operates under the guidance and supervision of the Board and/or Sub-Committee of Board on ALM and Risk Management. It meets at regular intervals to review the interest rate scenario, product pricing for both deposits and advances, maturity profile of the incremental assets and liabilities, demand for Bank funds, cash flows of the Bank, profit planning and overall Balance Sheet Management.

चलनिधि जोखिम को मापने व जाँचने की दो पद्धतियाँ हैं – फ्लो अप्रोच व स्टॉक अप्रोच। फ्लो अप्रोच में नकदी प्रवाह की बेमेल स्थितियों की व्यापक खोज की जाती है एवं इसे दैनिक आधार पर संरचनात्मक चलनिधि विवरण को तैयार कर पूरा किया जाता है। विशिष्ट परिपक्वता वाली संपत्तियों और देनदारियों की अवशिष्ट परिपक्वता के आधार पर बकेटिंग की जाती है और विशिष्ट परिपक्वता के बिना की बकेटिंग बिहेव्यरल परिपक्वता के आधार पर की जाती है। सन्निहित विकल्पों सहित गैर–परिपक्व देनदारियों और परिसंपत्तियों की बकेटिंग के लिए बिहेव्यरल स्टडीज़ आयोजित की जाती हैं। विभिन्न टाइम बकेट में बेमेल स्थितियों की जांच हेतु उचित सहिष्णुता स्तरीय विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। स्टॉक अप्रोच के अंतर्गत विविध तुलन पत्र अनुपातों को उचित सीमाओं के साथ निर्धारित किया जाता है। निर्धारित सीमाओं में अनुपातों का अनुपालन यह सुनिश्चित करता है कि बैंक ने अपनी चलनिधि का प्रबंधन उचित विविधीकरण के द्वारा किया है एवं इसे धारणीय सीमाओं के अंतर्गत रखा है। बैंक अपनी अल्पकालिक चलनिधि की बेमेल स्थितियों को भी आंकता है एवं उसे ही अल्पकालिक गतिशील चलनिधि की रिपोर्ट में बताया जाता है जोकि विभिन्न आस्ति व देयताएँ बनाने वाली इकाइयों के नकदी प्रवाह योजनाओं एवं 1–90 दिनों की अवधि में बैंक के आस्ति व देयताओं के नकदी प्रवाह स्वरूप में सत्रवार विविधताओं को दर्शाती हैं।

ब्याज दर जोखिम की मुद्रा वार माप व जांच हेतु पारंपरिक अंतराल पद्धति एवं आवधिक अंतराल पद्धति दोनों का अनुसरण किया जाता है। ब्याज दर में उतार–चढ़ाव के परिणामस्वरूप एनआईएम पर पड़ने वाले अल्पकालिक प्रभाव को आय वक्र जोखिम, आधार जोखिम व सन्निहित विकल्प जोखिम को ध्यान में रखते हुए जोखिम पर उपार्जन पद्धति के द्वारा परिकलित किया जाता है। ब्याज दर उतार–चढ़ाव के परिणामस्वरूप ईक्विटी के बाजार मूल्य पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव को भी आवधिक अंतराल पद्धति के द्वारा हल किया जाता है। मासिक ब्याज दर की संवेदनशीलता विवरण की समीक्षा अल्को/ बोर्ड द्वारा की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक तथा आंतरिक रूप से परिभाषित तनाव की परिस्थितियों के अनुसार तरलता जोखिम और ब्याज दर जोखिम की तनाव जांच नियमित अंतरालों पर की जाती है। विभिन्न तरलता तनाव परिस्थितियों के अंतर्गत आकस्मिक निधीयन योजना बनाने के लिए आंतरिक तरलता तनाव जांच के परिणामों का उपयोग किया जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक चलनिधि कवरेज अनुपात की संगणना कर रहा है एवं अल्पावधि चलनिधि के प्रबंधन हेतु इसका इस्तेमाल एक जोखिम मापक उपकरण के रूप में कर रहा है। अल्को द्वारा मासिक आधार पर चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के विवरण की समीक्षा की जाती है।

बाजार जोखिम प्रबंधन :

बाजार में होने वाले विविध परिवर्तनों के परिणामस्वरूप संभावित नुकसान, बाजार जोखिम है। अंतर्राष्ट्रीय निपटान हेतु बैंक (बीआईएस) ने बाज़ार जोखिम की परिभाषा इस रूप में दी है कि बाजार जोखिम 'ऑन' अथवा 'ऑफ' तुलन पत्र के स्थिति का मूल्य इक्विटी एवं बाजार के ब्याज दर, मुद्रा विनिमय दर तथा कमोडिटी की कीमतों में उतार–चढ़ाव से प्रतिकूल रूप में प्रभावित होगी। इस प्रकार, बाजार जोखिम ब्याज दरों या प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और शेयर की कीमतों के बाजार के स्तर में परिवर्तन, साथ ही उन परिवर्तनों की अस्थिरता के कारण बैंक की आय और पूंजी के लिए खतरा है। बाजार जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य है, बाजार जोखिम एक्सपोजर से संबंधित वैश्लेषिकी संचालित आदानों, पोर्टफोलियो निष्पादन की तुलना में जोखिम एक्सपोजर और तुलनात्मक मापदण्डों को उपलब्ध कराकर जोखिम समायोजित प्रतिलाभ दर को अधिकतम बढ़ाने में व्यापार इकाइयों की सहायता करना। निम्नलिखित जोखिमों का प्रबंधन बाजार जोखिम के अंतर्गत किया जाता है।

- ब्याज दर जोखिम
- विनिमय दर जोखिम
- ईक्विटी कीमत जोखिम

कमोडिटी कीमत में परिवर्तन व अस्थिरता के कारण भी बाजार जोखिम उभर सकती हैं। यद्यपि, कमोडिटी संबंधी बाजार में बैंक का कोई एक्सपोजर नहीं है।

बाजार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम) के अंतर्गत बैंक की रूपरेखा निम्नानुसार है**:**

ए) जोखिम की पहचान : इस पॉलिसी में जोखिम की पहचान और प्रत्येक व्यावसायिक कार्यों की पहचान करके बाजार में जोखिम के विभिन्न आयामों पर स्पष्टता प्रदान करने के क्रम में बाजार जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और उसके प्रबन्धन हेतु रूपरेखा तैयार के लिए ध्यान केंद्रित किया है।

बी) जोखिम मेशर्मेंट (माप) एवं सीमाएँ : बैंक का मानना है कि बाज़ार जोखिम के समस्त पक्षों को केवल एक जोखिम सांख्यिकीय द्वारा नहीं दर्शाया जा सकता है। अतः विभिन्न सांख्यिकीय और गैर सांख्यिकी जोखिम उपायों का प्रयोग बाजार जोखिम के जोखिम माप की स्थिरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है क्योंकि इन जोखिम उपायों को एक साथ लेने से किसी एक उपाय की तुलना में यह बाजार जोखिम को एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। बाजार जोखिम का प्रबंधन विभिन्न मेट्रिक्स यथा मूल्य में जोखिम (वीएआर), आय में जोखिम, पीवी01 सीमाएँ, नेट ओवरनाइट ओपन पोजिसन लिमिट (एनओओपी), इंडिविजुवल गैप लिमिट (आईजीएल) एवं एग्रिगेट गैप लिमिट (एजीएल), मुद्रावार तथा सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा भी किया जाता है। बैंक द्वारा जोखिम के अधिकतम किन्तु संभाव्य प्रतिकूल आघातों को मॉनिटर करने हेतु नियमित आधार पर तनाव परीक्षण का भी आयोजन किया जाता है।

(सी) जोखिम मॉनिटरिंग : बैंक अपने जोखिम को विभिन्न व्यापार खातों के लिए आंतरिक और नियामक जोखिम सीमा, जो आर्थिक परिदृश्य, व्यापार रणनीति, प्रबंधन का अनुभव एवं बैंक की जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर स्थापित है, का उपयोग कर मॉनिटर एवं नियंत्रित करता है। मौजूदा बाजार दरों पर लेन–देन हो रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए रेट (दर) स्कैन किया जाता है।

(डी) जोखिम रिपोर्टिंग : ट्रेजरी परिचालन की निगरानी मिड ऑफिस द्वारा की जाती है एवं एक दैनिक रिपोर्ट जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रमुख को प्रस्तुत किया जाता है। बाज़ार जोखिम के कारण पूंजीगत प्रभार का परिकलन कर उसकी रिपोर्ट मासिक रूप से अल्को को एवं तिमाहीवार रूप से बोर्ड को दी जाती है। तनाव परीक्षण नीति के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित मान्यताओं के अनुरूप बाजार जोखिम के आकलन के लिए तनाव परीक्षण किया जाता है एवं तिमाही आधार पर अल्को को रिपोर्ट किया जाता है।

बाजार जोखिम प्रबंधन को बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, एकीकृत ट्रेजरी प्रबन्धन नीति, तनाव परीक्षण एवं व्युत्पन्न नीति आदि के जरिए बोर्ड द्वारा व्यापक रूप से अनुमोदित नीति से नियंत्रित किया जाता है जो विभिन्न गतिविधियों में फैली ऐसी जोखिमों को एक अंतर्निहित बाजार जोखिम को लेकर आगे बढ़ते हैं, उसे बैंक की

Liquidity risk is measured and monitored through two approaches - Flow approach and Stock approach. Flow approach involves comprehensive tracking of cash flow mismatches and is done through preparation of Structural liquidity statement on a daily basis. Assets and liabilities with specific maturities are bucketed based on residual maturity and those without specific maturities are bucketed based on behavioural maturity. Behavioural studies are conducted for bucketing the non maturing liabilities and assets including embedded options. Appropriate tolerance levels/prudential limits have been stipulated for mismatches in different time buckets. Under Stock approach, various balance sheet ratios are prescribed with appropriate limits. The compliance of ratios to the prescribed limits ensures that the Bank manages its liquidity through appropriate diversification and keeps it within the sustainable limit. Bank also assesses its short-term liquidity mismatches and reports the same in the short term dynamic liquidity report which represents the cash flow plans of various asset and liability generating units and seasonal variation of cash flow patterns of assets and liabilities of the Bank over a period of 1-90 days.

For measurement and monitoring of Interest rate risk, currency wise, both traditional gap approach and duration gap approaches are followed. The short-term impact of interest rate movements on Net Interest Margin (NIM) is worked out through “Earnings at Risk” approach taking into consideration Yield curve risk, Basis risk and Embedded Options Risk. The long-term impact of interest rate movements on Market Value of Equity is also worked out through Duration Gap approach. The monthly interest rate sensitivity statement is reviewed by ALCO/Board.

Stress testing of liquidity risk and interest rate risk is conducted on regular intervals as per RBI defined and internally defined stress scenarios. The results of the same from internal Liquidity stress testing are used to draw contingency funding plan under different liquidity stress scenarios.

In addition to the above, Bank is computing Liquidity coverage ratio as per latest guidelines issued by RBI and is using it as a risk measurement tool to manage short term liquidity. On a monthly basis Liquidity Coverage Ratio (LCR) statement is reviewed by ALCO.

Market Risk Management:

Market risk is the possibility of loss caused by changes in the market variables. The Bank for International Settlements (BIS) defines market risk as “the risk due to which the value of 'on' or 'off' balance sheet positions will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, currency exchange rates and commodity prices”. Thus, Market Risk is the risk to the Bank's earnings and capital due to changes in the market level of interest rates or prices of securities, foreign exchange and equities, as well as the volatilities of those changes. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted rate of return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks. Following risks are managed under Market Risk.

- Interest Rate Risk
- Exchange Rate Risk
- Equity Price Risk

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, Bank does not have any exposure to commodity related markets.

Market Risk Management (MRM) Framework of the Bank is as follows:

a) Risk Identification: The Policy is focused on setting a framework for identifying, assessing and managing market risk in order to provide clarity on various dimensions of risk identification and recognition to each of the business functions.

b) Risk Measurement and Limits: Bank recognizes that no single risk statistics can reflect all aspects of market risk. Therefore various statistical and non-statistical risk measures are used to enhance the stability of risk measurement of market risk because, taken together, these risk measures provide a more comprehensive view of market risk exposure than any single measure. Market risk is managed with various metrics viz. Value at Risk (VaR), Earnings at Risk, Modified duration, PV01 Limits, Net Overnight Open Position Limits (NOOPL), Individual Gap Limit (IGL) and Aggregate Gap Limit (AGL) currency wise and also through sensitivity analysis. Stress testing is also conducted on a regular basis to monitor the vulnerability of the Bank to extreme but plausible unfavorable shocks.

c) Risk Monitoring: Bank monitors and controls its risk, using various internal and regulatory risk limits for trading book which are set based on economic scenario, business strategy, management experience and Bank's risk appetite. Rate scan is carried out to ensure that transactions are carried out at prevailing market rates.

d) Risk Reporting: Monitoring of Treasury operations are done by Mid Office and a daily report is put up to Head of the Risk Management Department. Capital charge on account of Market Risk is computed and reported to ALCO on a monthly basis and Board on quarterly basis. Stress testing is done for assessing market risk by following assumptions prescribed in Stress Test Policy and reported to ALCO on Quarterly basis.

निर्धारित जोखिम क्षमता के भीतर नियत करना सुनिश्चित करते हैं। सभी नीतियों को उद्योग की उत्तम कार्य प्रणालियों और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों से बेंचमार्क किया जाता है। बैंक की जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली में विभिन्न प्रबन्धन समितियों को प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग करना शामिल है।

परिचालन जोखिम :

वर्तमान में परिचालन जोखिम उद्योग प्रतिभागियों, विनियामकों एवं अन्य स्टेकधारकों के बीच गहन रुचि का विषय बन गया है। प्रभावी संचालन, जोखिम पर पकड़ और परिचालन जोखिम के एक्सपोजर के मूल्यांकन व मात्रा निर्धारण को सुनिश्चित करने हेतु बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (ओआरएमएफ) व परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ओआरएमएस) विद्यमान है। दैनिक प्रबंधन प्रक्रियाओं में गुणात्मक व मात्रात्मक उपायों के प्रयोग व आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापन के द्वारा तथा विविध जोखिम न्यूनीकरण रणनीति को अंगीकार कर परिचालन जोखिम का कुशल रूप से प्रबंधन किया जाता है। विविध उत्पादों/प्रक्रियाओं में जोखिम बोध का आलोचनात्मक विश्लेषण एवं सुधारात्मक कदम, यदि आवश्यक हों तो, उठाए जाते हैं।

परिचालन जोखिम की भी क्रेडिट स्पर्ट के विश्लेषण और परिचालन हानि की आवृत्ति और गंभीरता के विश्लेषण के माध्यम से निगरानी की जाती है।

बैंक ने जोखिम नियंत्रण और स्व मूल्यांकन (आरसीएसए) तथा मुख्य जोखिम सूचकांक (के आर आई) के लिए वांछित फ्रेमवर्क तैयार किया है। जोखिम एवं नियंत्रण स्वमूल्यांकन को मुख्य परिचालनात्मक जोखिमों का पता लगाने और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावात्मकता की तीव्रता का मूल्यांकन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। बैंक आरसीएसए तथा केआरआई को सुदृढ़ करने के लिए परिचालनात्मक जोखिम के प्रबन्धन हेतु कवरेज क्षेत्र की समीक्षा और सुधार के जरिए कदम उठा रहा है।

दबाव निरीक्षण फ्रेमवर्क :

व्यापक दबाव निरीक्षण फ्रेमवर्क को शुरू किया गया है। बैंक त्रैमासिक आधार पर दबाव निरीक्षण का संचालन करता है जोकि भा.रि.बै. द्वारा निर्धारित परिदृश्यों और साथ ही बैंक के विशेष परिदृश्यों पर आधारित होता है। दबाव निरीक्षण परिणाम विविध शीर्ष स्तरीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण (आईसीएएपी) फ्रेमवर्क :

बेसेल फ्रेमवर्क के स्तम्भ II यानि आईसीएएपी, के तहत बैंक ऐसे जोखिमों की पहचान, माप व प्रबंध करता है जोकि स्तम्भ के अधिकार क्षेत्र में न तो पूरी तरह से आते हैं और न ही आधे एवं यदि आवश्यक हो तो, ऐसे जोखिमों हेतु पूंजी के अतिरिक्त प्रावधान तैयार करता है।

बैंक की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन त्रैमासिक आधार पर किया गया और इसे विविध शीर्ष स्तरीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

बैंक द्वारा अपनायी गई जोखिम प्रबंधन पद्धति :

वर्तमान में बैंक ने ऋण जोखिम हेतु मानक पद्धति, बाजार जोखिम हेतु मानक आवधिक पद्धति एवं परिचालन जोखिम हेतु मूल सांकेतिक पद्धति अपनाई है। ऋण जोखिम पूंजीगत प्रभार की सटीक गणना हेतु एक सॉफ्टवेयर रखा गया है।

बेसल ढाँचे के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण में परिवर्तित होने के लिए निर्धारित किए गए रोड मैप के अनुसार , बैंक प्रगति कर रहा है।

बेसल III पूंजी विनियमन :

बैंक का सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी स्तर काफी अच्छा है और बैंक आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की पूँजी बढाने की पर्याप्त क्षमता भी रखता है। बैंक ने 01 अप्रैल, 2013 से प्रस्तावित बेसल III पूँजी विनियमन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को अपनाया है। सम्पूर्ण बेसल III की ओर निर्बाध पारगमन सुनिश्चित करने हेतु मार्च 31, 2019 तक पूर्ण कार्यान्वयन के लिए उचित पारगमन प्रबंध की तैयारी कर ली गई है।

बेसल III पूंजी नियमों को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के घटकों पर प्रकटीकरणों के वर्धित सेट की आवश्यकता भी है जिन्हें त्रैमासिक आधार पर बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। बैंक लीवरेज अनुपात एवं चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) का प्रकटीकरण भी कर रहा है।

आरंभ की गई मुख्य पहलें :

- बेसल III दिशानिर्देशों के पूर्ण कार्यान्वयन तक पूंजी योजना स्थापित की गई।
- पूंजी अनुकूलन के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की और पूंजी को इष्टतम बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाए।
- निधि के अन्यत्र अन्तरण करने संबंधी धोखाधड़ी की शुरुआती पहचान की सुविधा हेतु उपाय बनाया गया। धोखाधड़ी की घटनाओं के कारणों की पहचान करने और किसी भी भविष्य की घटना को रोकने के लिए नियंत्रण उपाय करने के लिए सांख्यकीय तकनीकों का उपयोग करते हुए मूल कारणों का विश्लेषण किया जाता है।
- उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने के क्रम में क्रेडिट जोखिम मॉडल विकसित किया गया है। पीडी मॉडलिंग फ्रेमवर्क (चूक की संभावना) का विकास जिस आधार पर किया गया है, उसी आधार पर आईआरबी द्वारा परिभाषित दिशानिर्देशों के अनुसार पीडी का मूल्यांकन परिसंपत्ति वर्ग के लिए किया गया। खुदरा पूलिंग फ्रेमवर्क तथा एलजीडी (चूक से हुई हानि) एवं ईएडी (जोखिम में चूक) फ्रेमवर्क का विकास रीटेल पूल बनाने एवं एलजीडी तथा ईएडी का मूल्यांकन करने के लिए विकसित किया जा रहा है।
- बैंक द्वारा ऋण जोखिम मॉडल के वैधीकरण का फ्रेमवर्क प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें विभिन्न गुणात्मक और मात्रात्मक परीक्षण शामिल हैं, जिसका प्रयोग इसके नियामक अनुपालन के साथ–साथ समर्थ एवं प्रभावी जोखिम मॉडल प्रबंधन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इस फ्रेमवर्क का उपयोग आंतरिक रेटिंग मॉडलों के मात्रात्मक एवं गुणात्मक सत्यापन का संचालन करने हेतु किया गया एवं रेटिंग मॉडलों के विभेदकारी शक्ति में सुधार हेतु मॉडल में उसके अनुसार परिवर्तन किया गया।

Market risk management is governed by comprehensive Board approved Market Risk Management Policy, Integrated Treasury Management Policy, Stress testing and Derivative Policy to ensure that the risks spread across different activities and carrying an underlying market risk are within the stipulated risk appetite of the bank. All the policies are benchmarked with industry-best practices and RBI regulations. The risk reporting mechanism in the Bank comprises disclosures and reporting to the various management committees.

Operational Risk:

Operational risk is now the focus of intense interest among industry participants, regulators and other stake holders. The Bank has put in place Operational Risk Management Frame work (ORMF) and Operational Risk Management Systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture and assessment and quantification of operational risk exposure. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative and quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products/processes are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.

Operational risk is also monitored through analysis of credit spurt and analysis of frequency and severity of operational losses.

Bank has put in place frameworks for Risk Control Self Assessment (RCSA) and Key Risk Indicators (KRIs). Risk and control self-assessment is used to identify key operational risk and assess the degree of effectiveness of the internal controls. Bank has been taking steps to strengthen the RCSA and KRI by reviewing and improving the coverage area for management of Operational risk

Stress Testing framework:

A comprehensive stress testing framework is put in place. Bank conducts stress test on quarterly basis based on scenarios prescribed by RBI as well as bank specific scenarios. The stress test results are placed to various apex level committees.

Internal Capital Adequacy Assessment (ICAAP) framework:

Under Pillar II of Basel framework, i.e., ICAAP, the Bank identifies measures and manages the risks that are either not fully captured or not at all captured under Pillar I and if necessary, makes an additional allocation of capital for such risks.

Internal Capital adequacy of the Bank was assessed on quarterly basis and placed to the various apex level committees.

Risk Management Approaches adopted by the Bank:

The Bank has presently adopted Standardised Approach for Credit Risk, Standardised Duration Approach for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk. Software is in place for accurate computation of credit risk capital charge.

The Bank has been progressing as per the roadmap laid down for moving over to the advanced approaches under BASEL framework.

Basel III Capital Regulations:

The Bank has fairly high level of Common Equity Tier 1 Capital and also has headroom available for raising all forms of capital in case of need. The Bank has adopted RBI guidelines on the Basel III capital regulations with effect from April 1, 2013. To ensure smooth transition to full Basel III, appropriate transitional arrangements have been made for full implementation as on March 31, 2019.

The Basel III capital rules also require an enhanced set of disclosures on the components of Capital Adequacy Ratio (CAR) which are published on quarterly basis on Bank's website. Bank is also disclosing leverage ratio and Liquidity Coverage Ratio (LCR) Framework.

Major initiatives undertaken:

- Capital plan till full implementation of Basel III guidelines put in place.
- Identified various areas of capital optimization and initiated necessary steps to optimize the capital.
- Developed tool to facilitate early detection of frauds due to diversion of funds. Root causes analysis using statistical techniques is carried out to identify the causes of fraud events and take control measures to prevent any future occurrence.
- In order to migrate to advanced approach, Credit Risk Models are being developed. PD (Probability of Default) Modeling framework has been developed on the basis of which PD has been estimated for Corporate Asset Class defined as per IRB guidelines. Retail Pooling Framework and LGD (Loss Given Default) and EAD (Exposure at Default) framework is being developed to create retail pools as well estimate LGD and EAD.
- Credit risk Model Validation Framework has been introduced in the bank which covers various qualitative and quantitative tests that should be undertaken with a view to regulatory compliance as well as to define sound and efficient credit risk model management. This framework has been used to conduct quantitative and qualitative validation of Internal rating models and changes done in the models accordingly for improving the discriminatory power of rating models

- प्रशिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से स्टाफ को हर स्तर का प्रशिक्षण देकर जोखिम सुधार को सन्निहित किया जा रहा है।
- व्यापार इकाइयों से होनेवाली विभिन्न प्रकार के जोखिमों को दूर करने हेतु सहयोग देने व प्रबंध करने के लिए जोखिम प्रबन्धन विभाग से समन्वय करने हेतु नोडल अधिकारी के रूप में प्रत्येक अंचल में अंचल जोखिम अधिकारियों को नामोदि्दष्ट किया गया है।
- इंड एएस के तहत ऋण और अग्रिमों की हानि के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) फ्रेमवर्क विकसित किया गया है।
- उद्योगवार एक्सपोजर की सदैव निगरानी के लिए डैशबोर्ड विकसित किया गया है।
- पूंजी पर जोखिम समायोजित रिटर्न के लिए कार्यप्रणाली (आरएआरओसी) आधारित व्यापार वर्टिकल के लिए पूंजी विनिधान विकसित किया गया है।

मानव संसाधन प्रबंधन (मा.सं.प्र.)

श्रमशक्ति स्थिति

31.03.2018 को बैंक की श्रमशक्ति स्थिति निम्नानुसार थी :

संवर्ग	कुल	अन्य पिछड़ा वर्ग	अजा	अज जा	पुरुष	महिला
अधिकारी	10425	2888	2255	833	7551	2874
लिपिक	8188	2620	1686	348	4754	3434
सब स्टाफ	1155	322	411	55	1006	149
कुल*	19768	5830	4352	1236	13311	6457

(* अंशकालिक सफ़ाई कर्मचारी के अतिरिक्त घरेलू)

भर्ती अभियान

- उत्तराधिकार योजना के अंग के रूप में, सेवानिवृत्ति, शाखा विस्तार एवं व्यापार में विस्तार की वजह से रिक्त पदों को भरने के लिए उभरती व्यापार की जरूरतों के अनुरूप बैंक द्वारा विभिन्न श्रेणियों से लोगों की नियुक्ति की गई है।
- वर्ष के दौरान बैंक ने 91 परिवीक्षाधीन अधिकारियों, विभिन्न कार्यक्षेत्रों में 6 विशेषज्ञ अधिकारियों,1022 लिपिकों और 52 आर्म्ड गार्डों की भर्ती की है।

अजा / अजजा / ओबीसी / पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के लिए कल्याण उपाय :

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछडे वर्गों (ओबीसी) और शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान किए जाते हैं। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा)/शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्ल्यूडी) को पदोन्नतियों में आरक्षण दिए जाते हैं।

कॉका/मासंप्र में अ.जा/अ ज.जा कल्याण कक्ष/ आरक्षण कक्ष, अ.जा/अ.जजा कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों/अभ्यावेदनों (अगर कुछ हों तो) उसके तुरन्त निपटान को सुनिश्चित करता है। अ.जा/अ.ज.जा वर्ग के कर्मचारियों के हितों की देखभाल हेतु एक महाप्रबन्धक, मुख्य समन्वय अधिकारी (सीएलओ) के रूप में तथा दूसरे महाप्रबन्धक अ.पि.व कर्मचारियों के हितार्थ सीएलओ के रूप में कार्यरत हैं।

कौशल का उन्नयन

बैंक के प्रशिक्षण मूलभूत संरचना में, विकास एवं उत्कर्ष हेतु इंडियन बैंक प्रबन्धन अकादमी (इमेज) का नवोन्मेषी प्रशिक्षण महाविद्यालय शामिल है तथा देश भर में स्थित नौ स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र स्टाफ और अधिकारियों को अपने कौशल का उन्नयन करने में सहायक सिद्ध हैं।

वर्ष के दौरान, आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली के जरिए 6369 अधिकारियों, 4084 लिपिकों एवं 311 सब–स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा, 1634 अधिकारीगण और कार्यपालकों ने भी बाहय संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

औद्योगिक संबंधः

बैंक का उच्च प्रबन्धन, कर्मचारी संघ, अधिकारी संघ के नेताओं के साथ विचारविमर्श करता है तथा उनकी प्रतिक्रिया, व्यापार में वांछित वृद्धि और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने में सकारात्मक रहा है।

कर्मचारियों के लाभार्थ निम्नांकित नीतियों (पॉलिसियों) / योजनाओं की समीक्षा / सूत्रबद्ध की गई।

- स्टाफ गृह ऋण योजना में सुधार।
- समाचार–पत्र संबंधी व्ययों की प्रतिपूर्ति में वृद्धि।
- घोषणा आधार पर अधिकारियों को वाहन व्यय की प्रतिपूर्ति में वृद्धि।
- एलओडी हेतु स्टाफ को अधिमानी ब्याज दर की सीलिंग का हटाया जाना।
- स्टाफ को स्टाफ वाहन ऋण तथा शिक्षा ऋण तथा स्टाफ के आश्रितों (वाड्र्स) को शिक्षा ऋण के लिए ब्याज की अनुकूलतर दर का ऑफर।
- कार्यपालकों को किट भत्ता।
- स्केल IV से V, स्केल V से VI तथा स्केल VI से VII तक के अधिकारियों की पदोन्नति नीति (पॉलिसी) में संशोधन।
- अवार्ड स्टाफ को ईंधन व्यय की प्रतिपूर्ति तथा अधिकारियों को पोशाक रख–रखाव भत्ते में बढ़ोत्तरी।
- सब–स्टाफ को यूनिफार्म के प्रावधान हेतु उच्चतम सीमा तथा क्रेच प्रतिपूर्ति की सीमा में वृद्धि।

एसएपी (सैप)

एसएपी (सैप) एच आर सॉफ्टवेयर का प्रयोग एचआर संबंधी गतिविधियों हेतु किया जा रहा है। अब सभी एचआर संबंधी गतिविधियों को केन्द्रीकृत करने पर ध्यान केन्द्रित है। इंट्रानेट के माध्यम से मानव संसाधन प्रबंधन के लिए एक समेकित वेब साइट होस्ट की गई है। कार्यरत तथा सेवानिवृत्त स्टाफ से संबंधित एचआर मामलों के शीघ्र निपटान हेतु कई उपाय किए गए हैं।

स्टाफ कल्याण उपाय

बैंक की केन्द्रीय कल्याण समिति कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कल्याण योजनाओं की समीक्षा निरंतर करती रहती है और उसकी सिफारिशों के आधार पर उनमें सुधार किए जाते हैं। वर्तमान में बैंक, स्टाफ कल्याण बजट के लिए 20 करोड रुपये अंशदान प्रदान कर रहा है।

- Risk culture is being embedded through training of staff at all levels through training process.
- Zonal risk officers have been designated in each zone to act as a nodal officer for coordinating with Risk Management Department to support and manage various types of risk emanating from business units.
- Expected Credit Loss (ECL) framework for impairment of loans and advances under IND AS has been developed.
- Dashboard for real time monitoring of industry wise exposure has been developed.
- Methodology for Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) based Capital allocation for business verticals has been developed.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (HRM)

MANPOWER POSITION

The position of manpower as on 31.03.2018 is as follows:

CATEGORY	TOTAL	OBC	SC	ST	MALE	FEMALE
OFFICERS	10425	2888	2255	833	7551	2874
CLERKS	8188	2620	1686	348	4754	3434
SUB STAFF	1155	322	411	55	1006	149
TOTAL*	19768	5830	4352	1236	13311	6457

(* Domestic excluding sweepers)

RECRUITMENT DRIVE

- As part of succession planning, the Bank has undertaken recruitment of manpower in various categories in line with emerging business needs, to fill up vacancies caused on account of superannuation, branch expansion and business growth.
- During the year, 91 Probationary Officers, 6 Specialist Officers in different functional areas, 93 clerks and 9 Armed Guards were recruited.

WELFARE MEASURES FOR SC/ST/OBC/PWD EMPLOYEES

As per Government of India's guidelines, reservations are provided to Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs) and Persons with Disability (PWD) candidates in Direct Recruitment. Reservations for SC/STs in Promotions are provided as per Government guidelines.

The SC/ST Welfare Cell/Reservation Cell at CO/HRM ensures prompt disposal of grievances / representations (if any) of SC/ST employees. A General Manager is functioning as Chief Liaison Officer (CLO) to look after the interest of employees belonging to SC/ST and another GM is functioning as CLO for OBC employees.

UPGRADATION OF SKILLS

The Bank's training infrastructure constitutes the State-of-the art Training College at **"Indian Bank Management Academy for Growth and Excellence" (IMAGE)** and Nine Staff Training Centers across the country enabling the staff and the officers to upgrade their skills.

During the year 6369 Officers, 4084 Clerks and 311 Sub-staff members were trained through internal training system. Also 1634 officers and Executives attended various training programmes at external institutions.

INDUSTRIAL RELATIONS

The Top Management of the Bank interacts with the leaders of Employees' Unions, Officers' Associations and their response is positive resulting in desired growth in business and cordial Industrial Relations.

The following policies/schemes were reviewed/ formulated and approved by the Board

- Improvements in Staff Housing loan scheme.
- Increase in reimbursement of newspaper expenses.
- Increase in reimbursement of conveyance expenses to officers on a declaration basis.
- Removal of ceiling for preferential rate of interest to staff for LOD.
- Offer of finer rate of interest for Staff Vehicle loans and Education loan to staff and wards of staff.
- Kit allowance for executives.
- Amendment to promotion policy for officers from Scale IV to V, Scale V to VI and Scale VI to VII.
- Increase in reimbursement of fuel expenses to award staff and outfit maintenance allowance to officers.
- Increase in ceiling amount for provision of uniform to sub-staff and in limit of Crèche reimbursement

SAP

SAP HR software is being put to use for HR related activities. Focus is now on centralizing all HR activities. Centralised Biometric attendance system is in place. A cohesive web-site for Human Resources Management through Intranet has been hosted. A slew of measures have been initiated to facilitate quicker disposal of HR matters – relating to both serving and retired staff.

STAFF WELFARE MEASURES

The Central Welfare Committee of the Bank constantly reviews the welfare schemes available to the employees and improvements are being made based on their recommendations. At present Bank is contributing ₹ 20 crores towards staff welfare schemes annually.

ग्राहक सेवा

ग्राहक सेवा किसी भी सेवा उद्योग का आधार है, खासकर बैंकिंग क्षेत्र में । छोटे भुगतान बैंकों और विभिन्न स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश के कारण बैंकिंग उद्योग में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक बढ़ गई है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के हिस्से में अपने बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखने एवं बाजार हिस्सेदारी में सुधार के लिए काफी दबाव है। केवल ग्राहक सेवा के स्तर में सुधार करके और प्रौद्योगिकी उत्पादों का नवोन्मेष करके ही बैंक इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और व्यावसाय को बनाए रख सकते हैं।

शिकायत निवारण का माध्यम

- समस्त शाखाओं में शिकायत रजिस्टर रखा जाता है।
- सभी शाखाओं के बैंकिंग हॉल में शिकायत सह सुझाव बॉक्स रखा गया है।
- टोल फ्री नंबर 180042500000 के साथ 24X7 एकीकृत कॉल सेंटर उपलब्ध किया गया है।
- ग्राहक अपनी शिकायत निम्नलिखित ई–मेल के जरिए भेज सकते हैं –

  ibhocustomerservice@indianbank.co.in;

  nodalofficer@indianbank.co.in;

  customercomplaints@indianbank.co.in;

  customerfirst.cmd@indianbank.co.in;

  indmail@indianbank.co.in;
- 56677 पर एसएमएस के जरिए 'शिकायत' संदेश भेजने की सुविधा प्रदान की गई है।
- समस्त माध्यमों से शाखाओं/अंचलों/कॉर्पोरेट कार्यालय को प्राप्त सभी शिकायतों का समाधान यदि 24 घंटे के भीतर नहीं किया जाता तो यह मानक सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) में पंजीकृत किया जाएगा । यह कई अद्वितीय सुविधाओं के साथ विकसित एक इन–हाउस सॉफ्टवेयर है।

आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति

- भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, 17.02.2016 से आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने एवं ग्राहक के विश्वास को सशक्त करने के क्रम में यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी शिकायतों का निपटान किया जा रहा है, एक आंतरिक लोकपाल को नियुक्त किया गया है ।
- सभी शिकायत जहाँ समाधान नगण्य है या आंशिक है, उसे योजना के अनुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु बैंक के आंतरिक लोकपाल तक आंतरिक रूप से पेश किया जाएगा ।

ग्राहक सेवा में सुधार हेतु की गई पहलें

- विभिन्न केंद्रों में ई लाउंज खोले गए, जहां ग्राहकों को 24X7 आधार पर पासबुक कियोस्क और बीएनए की सुविधा का उपयोग करने की सुविधा प्रदान जाती है ।
- लेन–देन करने में ग्राहकों की सहायता के लिए मेट्रो सेंटर में फ्लोर मैनेजर की व्यवस्था की गई हैं।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए उन जगहों पर विशेष काउंटर बनाए गए हैं जहां पेंशनभोगियों की संख्या अधिक है और साथ ही जहां भी संभव हो वहाँ यह सुविधा प्रदान की गई है।
- शाखाओं में आए बिना घर/कार्यालय में बैठकर आराम से लेन–देन करने के लिए कई नए प्रौद्योगिकी उत्पादों की शुरुआत की गई।
- डिजिटल चैनलों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को शिक्षित करने हेतु चुनिंदा केंद्रों पर प्रौद्योगिकी जागरूकता अभियान चलाया गया । इसमें बैंक द्वारा उपलब्ध विभिन्न उत्पादों और इससे अर्जित लाभ के बारे में भी ग्राहकों को बताया गया ।
- ग्राहकों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने हेतु सभी शाखाओं में व्यापक नोटिस बोर्ड प्रदर्शित किया जाता है ।
- कर्मचारियों की बैठक और संयुक्त ग्राहक सेवा समिति की बैठकें उनकी शिकायतों को समझने के लिए हर महीने आयोजित की जाती हैं । यदि सेवा की गुणवत्ता/ अन्य आवश्यकताओं आदि में किसी भी प्रकार के सुधार की जरूरत होती है, तो इस बैठक के पश्चात प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है और आवश्यक निवारण हेतु उपायों को लागू किया जाता है।

प्रनि एवं मुकाअ का सिंगापुर दौरा – ग्राहक बैठक

- सभी शिकायतों को शाखाओं/अंचलों (नियंत्रण कार्यालय) और कॉर्पोरेट कार्यालय, प्रौद्योगिकी विभाग से उसके निवारण हेतु लिया जाता है। लगभग एक तिहाई शिकायतों का निवारण 24 घंटों (ओपन एंड क्लोज श्रेणी) के भीतर कर लिया जाता है और अन्य शिकायतों को एसपीजीआरएस के अनुसार 21 दिनों की अधिकतम टीएटी के मुकाबले लगभग 5 दिनों के औसत टर्न–अराउंड टाइम (टीएटी) के भीतर ही हल कर दिया जाता है।

CUSTOMER SERVICE

Customer Service is the backbone of any service industry, especially banking. With the entry of small payment banks and various local area banks, the competition in the banking industry is very high and there is huge pressure on the part of the PSBs to retain their market share/improve their market share. Only by improving the level of customer service and making innovations in technology products, banks can achieve this goal/survive in the industry.

Modes of Grievance Redressal:

The Bank has put in place various grievance redressal modes as mentioned below to provide quick access to customers for redressing their grievances, besides the Online Standardised Public Grievance Redress System (SPGRS):

- Complaint register maintained at all the branches.
- Complaint cum suggestion box made available in the banking hall of all the branches.
- Integrated Call centre available 24 x 7 with Toll free number 180042500000.
- Customers can lodge complaint through e-mail marked to any of the mail ids viz.,
  - ibhocustomerservice@indianbank.co.in;
  - nodalofficer@indianbank.co.in;
  - customercomplaints@indianbank.co.in;
  - customerfirst.cmd@indianbank.co.in;
  - indmail@indianbank.co.in;
- Facility to message 'complaint' through SMS to 56677.
- All complaints received through all the modes by Branches/Zones/CO and not resolved within 24 hours shall be registered in the Standardised Public Grievance Redress System (SPGRS), an in-house software developed with several unique features.

Appointment of Internal Ombudsman

- As per the directions of Reserve Bank of India, an Internal Ombudsman has been appointed with effect from 17.02.2016 to strengthen the Internal grievance redressal mechanism and to ensure that grievances are settled in order to strengthen customer confidence.
- All complaints where the resolution is either negative or partial are internally escalated to the Internal Ombudsman of the Bank for necessary action as per the Scheme.

Initiatives taken to improve the customer service

- E Lounges opened at various centres where Passbook kiosk and BNAs are made available to facilitate customers make use of the same on a 24 * 7 basis.
- Floor Managers available at Metro centres to assist the customers in carrying out the transactions. .
- Special counters for senior citizens provided where the number of pensioners is more and wherever the same was found feasible.
- Several new technology products introduced for carrying out transactions from the comforts of Home/Office without the need for visiting the branches.
- Conducted Technology awareness campaign at select centres to educate the customers in using the digital channels. Various products available and the benefits accruing was also explained.
- Comprehensive notice board displayed at all branches furnishing the vital information to customers.
- Staff Meeting and Joint Customer Service Committee Meetings are conducted every month to understand their grievances, improvements if any required in quality of service/other requirements etc., The responses are thereafter analysed and necessary redressal measures put in place.

MD & CEO's Visit to Singapore - Customer Meet

- All the complaints are taken up with the Branch/Zones (Controlling Office) and the Corporate Office, Technology Department for redressal. Nearly one third of the complaints are redressed within 24 hours (open and close category) and most of the other complaints are redressed within an average Turn-around Time (TAT) of about 5 days against the maximum TAT of 21 days allowed as per SPGRS.

- **'परिवर्तन'** एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें **'तनाव बस्टिंग तकनीक'** को सम्मिलित किया गया है एवं यह स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं इमेज में उन सभी कर्मचारियों के लिए आयोजित किया जाता है, जिनके खिलाफ कुछ ग्राहकों द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
- शाखाओं का गुप्त दौरा, आरबीआई, बीसीएसबीआई आदि जैसे नियामक निकायों द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक, का उपयोग ग्राहक सेवा के स्तर, विभिन्न अनिवार्य सूचनाओं का प्रदर्शन, कर्मचारियों का रवैया, ग्राहक मित्रता, समय मानदंड और समग्र ग्राहक संतुष्टि इत्यादि का पालन करने के लिए किया जाता है।
- बैंक द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों के परिणामस्वरूप, बीसीएसबीआई ने हमारे वार्षिक रेटिंग में वर्ष दर वर्ष आधार में काफी सुधार किया है।

बीसीएसबीआई	वित्तीय वर्ष 2014–15	वित्तीय वर्ष 2015–16	वित्तीय वर्ष 2016–17
रेटिंग %	67	74	78

चालू वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का उद्देश्य चालू वर्ष के दौरान 80% से अधिक रेटिंग प्राप्त करना है।

ग्राहक दिवस :

ग्राहकों की अपेक्षाओं/प्रतिक्रियाओं को अद्यतन करने एवं ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए दिनांक 23.08.2017 को देश की सभी शाखाओं में ग्राहक दिवस मनाया गया। ग्राहकों से प्राप्त प्रतिक्रियाएँ/सुझावों को शाखाओं/अंचलों/उपयोगकर्ता विभागों से प्राप्त कर इसकी व्यवहार्यता और मानदंडों की जांच करने के उपरांत इसे कार्यान्वित करने हेतु कदम उठाए गए।

11 मार्च 2018 को विजयवाड़ा में आयोजित ग्राहक बैठक

दिनांक 23/08/2017 को कांचीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री पी. षण्मुगनाथन, अंचल प्रबंधक

हमारे तिरुपति अंचल में विभिन्न शाखाओं द्वारा ग्राहक दिवस के दिन आयोजित ग्राहक बैठक (23-08-2017)

विनियामक बैठकें/नोट्स :

- ग्राहक सेवा से संबन्धित नियामक/अनिवार्य बैठकों का समय–सारणी के अनुसार आयोजन किया गया।
- कैलेंडर समीक्षा के अनुसार बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति की समीक्षाओं को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विनियामक प्राधिकारियों की टिप्पणियाँ

- कुछ दिशानिर्देश जारी करने के अलावा बैंकिंग लोकपाल द्वारा कोई अधिनिर्णय पारित नहीं किया गया है । वार्षिक कूट समीक्षा में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण तथा बीसीएसबीआई में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

- सूचना अधिकार अधिनियम के तहत बैंक द्वारा प्राप्त आवेदनों/प्रथम अपीलों/द्वितीय अपीलों पर ग्राहक सेवा कक्ष में एक स्वतंत्र डेस्क कार्य करता है। सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन पर संसदीय समिति द्वारा दी गई सलाह के अनुसार बैंक ने शुरू से ही एकल खिडकी दृष्टिकोण अपनाया है। आरटीआई आवेदन दायर करने के लिए ऑन–लाइन सुविधा भी उपलब्ध है (सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों में इस सुविधा का प्रवर्तन करनेवाला प्रथम बैंक इंडियन बैंक रहा।)
- सभी आवेदन निर्धारित समयावधि के भीतर निपटाए जाते हैं ।
- वर्ष 2017–18 में बैंक के खिलाफ कोई अधिनिर्णय पारित नहीं किया गया ।

- **Parivarthan'** a special training program which included **'Stress Busting Techniques'** has been conducted at all Staff Training Colleges and IMAGE for all the staff against whom some customer complaints have been received.
- Incognito visits, a technique used by regulatory bodies like RBI, BCSBI etc are used to verify the level of customer service, display of various mandatory notices, attitude of the staff, customer friendliness, adherence to the time norms and overall customer satisfaction etc.

As a result of proactive steps taken by the bank, the annual rating accorded by BCSBI has been improving significantly over the years.

BCSBI	FY 2014-15	FY 2015-16	FY 2016-17
Rating %	67	74	78

The aim for the Current Financial Year has been to achieve more than 80% rating during the current year.

Customers' Day:

To have an update on the customer expectations/ feedback and to have an interaction with the customers, **Customers' Day** was celebrated uniformly at all the branches across the Globe on 23.08.2017. Feedback/suggestions received from the customers were taken up with the Branches/Zones/User Departments for implementing the same after examining its feasibility and norms.

Customer Meet held at Vijayawada on 11th March 2018

Sri.P.Shanmughanathan, Zonal Manager addressing on 23.08.2017 at Kancheepuram

Customer Meet (23.08.2017) at various Customers' Day branches in Tirupathi Zone

Regulatory Meetings/Notes:

- Regulatory/Mandatory Meetings relating to Customer Service were held as per the schedule.
- Reviews to the Customer Service Committee of the Board/Board were placed to Board as per calendar of Reviews.

Regulatory Authorities Observations:

- No awards have been passed by the Banking Ombudsman other than issue of some directions. No adverse remarks were made by RBI in AFI and BCSBI in its Annual Code Review

RIGHT TO INFORMATION (RTI) Act 2005

- A separate desk attached to Customer Service Cell at Corporate Office is handling the applications, first appeals/second appeals received by the Bank under the RTI Act. Since its inception, Bank has been adopting a single window approach as suggested by the Parliamentary Committee on implementation of RTI Act. Online facility for filing of RTI application is also made available (The Bank is the first among PSBs to introduce this facility)
- All the Applications are disposed within the stipulated time period
- No awards were made against the bank in the year 2017-18

विदेशी मुद्रा कारोबार :

- वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 45,999.37 करोड के फोरेक्स व्यापार का संचालन किया है। इसमें निर्यात और अन्य आंतरिक विप्रेषण ₹ 17,896.92 करोड़ के थे तथा आयात और अन्य बाहरी विप्रेषण ₹ 28,102.45 करोड़ के थे।

- वर्ष के दौरान बैंक का कुल अंतर बैंक फोरेक्स बाजार टर्नओवर ₹ 1,91,876.42 करोड रहा।

- बैंक की 99 शाखाओं को विदेशी मुद्रा कारोबार का संचालन करने के लिए प्राधिकृत हैं तथा इनमें से 95 शाखाओं को स्विफ्ट कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की गई है। बैंक को 71 देशों में 223 बैंकों के साथ संपर्की व्यवस्थाएँ उपलब्ध है।

- **एफसीएनआर/एनआरई जमाएँ** : अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाओं में पिछले वर्ष के ₹ 9,139.01 करोड की तुलना में ₹ 9,700.62 करोड तक की वृद्धि के साथ 6.15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

विप्रेषण

- सिंगापुर से बैंक की उद्यम विप्रेषण योजना के तहत सिंगापुर में निधि की प्राप्ति के बाद मिनटों में विदेशी प्रेषणों के बराबर रुपए भारत में ग्राहक के खातों में क्रेडिट किए जाते हैं और क्रेडिट की सूचना देते हुए सिंगापुर में प्रेषणकर्ता को एक एसएमएस संदेश अग्रेषित किया जाता है। यह सुविधा सप्ताह के सभी दिन उपलब्ध है।

- स्विफ्ट आधारित सामान्य धन अंतरण के अलावा बैंक द्वारा एनआरआई को दी जानेवाली अन्य प्रेषण सुविधाओं में **''एक्सप्रेस मनी''**, **''मनीग्राम''** तथा **''वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफर''** सुविधाएं हैं।

- 8 एक्सचेंज गृह, यथा मेसर्स यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी – अबुधाबी, यूएई एक्सचेंज सेंटर डब्ल्युएलएल – कुवैत, ओमन यूएई एक्सचेंज सेंटर एंड कं. एलएलसी – ओमन, अल जमन एक्सचेंज डब्ल्युएलएल – कतर, जीसीसी एक्सचेंज – दुबई, बेलहासा ग्लोबल एक्सचेंज – दुबई, अल दार फार एक्सचेंज – कतर, अल घुरैर एक्सचेंज एलएलपी – दुबई के साथ इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण व्यवस्था प्रवर्तित की गई है। मेसर्स अल रजही बैंक, साउदी अरेबिया के साथ प्रेषण व्यवस्था पहले से ही प्रवर्तित की जा चुकी है और यह सफलतापूर्वक चल रही है।

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

- विदेश में बैंक की तीन शाखाएं सिंगापुर, कोलंबो एवं जाफना में स्थित है। 31 मार्च 2018 को विदेशी शाखाओं की कुल जमा एवं अग्रिम राशि (सकल) क्रमशः ₹ 6,046.64 करोड और ₹ 6,248.97 करोड थी।

- वर्ष 1941 में स्थापित की गई सिंगापुर शाखा ने अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए विविध बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके पहचान बनाई है और अपनी साख बढाकर ग्राहक विश्वास प्राप्त किया है। शाखा अब अपना कारोबार दो लेखा इकाइयों में कर रही है– सिंगापुर डॉलर कारोबार के लिए डोमेस्टिक बैंकिंग यूनिट (डीबीयू) और सिंगापुर डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में कारोबार हेतु ऐशियन करेन्सी यूनिट (एसीयू)।

- कोलंबो शाखा, जो वर्ष 1932 में स्थापित की गई, व्यापार वित्त प्रदान करने में सक्रिय रूप से भागीदार है। विदेशी मुद्रा बैंकिंग इकाई (एफसीबीयू) कोलंबो, ऑफशोर बैंकिंग परिचालन में लगी है।

- जाफना शाखा, जो वर्ष 2011 में स्थापित की गई, जाफना क्षेत्र के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल पहलें :

कस्टमर टच पॉइंट्स :

- दिनांक 31.03.2018 को शाखाओं की कुल संख्या 2820 और दिनांक 31.03.2018 को एटीएम की कुल संख्या 2846 है। इसमें 2220 ऑनसाइट एटीएम, 620 ऑफसाइट एटीएम, 6 मोबाइल एटीएम शामिल हैं। दिनांक 31.03.2018 को कुल बीएनए की संख्या 553 है। इसमें 528 ऑनसाइट बीएनए और 25 ऑफसाइट बीएनए शामिल हैं। ग्राहकों को इन वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करना सुविधाजनक लगता है तथा वर्ष 2017–18 के दौरान इन चैनलों के माध्यम से किए गए शाखा लेनदेन की औसत संख्या 61.07 प्रतिशत थी।

- 481 स्थानों पर पासबुक किओस्क स्थापित किए गए एवं इस सुविधा का उपयोग करने वाले ग्राहकों की संख्या 43 प्रतिशत थी।

डिजिटल पहलें :

भारत सरकार विमुद्रीकरण के पश्चात भारतवर्ष को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज और समृद्ध अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से डिजिटल भुगतान पर जोर दे रही है। इस संबंध में, भारत सरकार ने वर्ष 2017–18 हेतु सभी बैंकों के लिए 2500 करोड़ डिजिटल भुगतान लेनदेन का लक्ष्य निर्धारित किया था।

प्रतिशत के आधार पर डिजिटल लेनदेन हेतु प्रदत्त लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से हमारा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच 5वें नंबर पर है।

डिजिटल कार्निवल :

ग्राहक जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा उपायों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु नवंबर एवं दिसंबर, 2017 के दौरान समस्त अंचलों में 1618 डिजिटल कार्निवल का आयोजन किया गया।

FOREX BUSINESS

- Turnover in Foreign Exchange business of the Bank amounted to ₹ 45,999.37 crore during the year. Of this, export and other inward remittances amounted to ₹ 17,896.92 crore, while imports and other outward remittances amounted to ₹28,102.45 crore.
- During the year, the total turnover in the interbank forex market amounted to ₹1,91,876.42 crore.
- 99 branches of the Bank are authorised to handle forex business and of these, 95 branches have been provided with SWIFT connectivity. The Bank has Correspondent arrangement with 223 banks in 71 countries.
- **FCNR/NRE Deposits:** Non Resident Indian (NRI) Deposits recorded a growth of 6.15 per cent at ₹ 9,700.62 crore as compared to ₹ 9,139.01 crore in the previous year.

REMITTANCES

- Enterprise Remittances Scheme from Singapore offers instant credit to customer accounts in India with rupee equivalent of the foreign remittances within minutes of receipt at Singapore Branch and an SMS message is forwarded to the remitter at Singapore informing the credit. The facility is available on all days of the week.
- Other remittance facilities offered by the Bank for NRIs include **"Xpress Money", "Money Gram", "Western Union Money Transfer"**, besides normal SWIFT based Money Transfer across the globe.
- Electronic funds transfer arrangements have been entered into with 8 Exchange Houses viz., M/s. UAE Exchange Centre LLC–Abu Dhabi, UAE Exchange Centre WLL– Kuwait, Oman UAE Exchange Centre & Co LLC – Oman, Al Zaman Exchange WLL – Qatar, GCC Exchange – Dubai, Belhasa Global Exchange – Dubai, Al Dar For Exchange – Qatar, Al Ghurair Exchange LLP– Dubai. Remittance arrangement with M/s Al Rajhi Bank, Saudi Arabia has already been launched and is running successfully.

INTERNATIONAL OPERATIONS

- The Bank has three foreign branches located at Singapore, Colombo and Jaffna. Total Deposits and Advances (gross) of the Foreign branches as on March 31 2018 was ₹ 6,046.64 crore and ₹ 6,248.97 crore respectively.
- Singapore branch established in 1941 has carved a niche by offering a variety of banking services using the latest technology and enjoys enormous goodwill and customer loyalty. The branch is presently maintaining its business in two accounting units - Domestic Banking Unit (DBU) for Singapore Dollar business and Asian Currency Unit (ACU) for business in currencies other than Singapore Dollar.
- Colombo branch established in the year 1932 has active market presence extending trade finance. The Foreign Currency Banking Unit (FCBU), Colombo is engaged in offshore banking operations.
- Jaffna branch established in 2011 plays a crucial role in the economic development of Jaffna Region.

Technology and Digital Initiatives:

Customer Touch Points:

- Total number of Branches as on 31.03.2018 is 2820 and the total number of ATMs as on 31.03.2018 is 2846. This includes 2220 onsite ATMs, 620 offsite ATMs, 6 mobile ATMs. The total number of BNAs as on 31.03.2018 is 553. This includes 528 onsite BNAs and 25 offsite BNAs. With customers finding it convenient to use these alternate channels, the average number of branch transactions carried out through such channels during 2017-18 was 61.07 per cent.
- Passbook Kiosks have been installed at 481 locations and the number of customers making use of this facility was around 43 per cent.

Digital Initiatives:

Post demonetization, Government of India is giving thrust to Digital payments with a vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. In this regard, the Government of India had stipulated a target of 2500 crore digital payment transactions for all the Banks for the financial year 2017-18.

Our Bank was among the Top 5 Public Sector Banks based on the per centage achievement of target for digital transactions.

Digital Carnivals:

1618 Digital Carnivals were conducted across all Zones during the months of November and December 2017 with the focus on increasing customer awareness on digital products and safeguards for securing digital transactions.

डिजिटल गांव अभिग्रहण पखवाड़ा :

हमने पूरे भारत में दिनांक 01.02.2018 से 15.02.2018 तक डिजिटल गांव अभिग्रहण कार्यक्रम चलाया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों तक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का पूर्ण लाभ पहुंचाया जा सके और डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सके । चरण –1 में ग्रामीण गांवों में डिजिटल डिवाइड को कम करने के क्रम में हमने पूर्ण डिजिटल रूपांतरण के लिए 190 गांवों (5 प्रति अंचल) की पहचान की है।

- सभी ग्रामीणों के लिए ''व्यवस्थित बैंकिंग सेवाएँ'' जैसे कार्यकलाप
- आधार नामांकन शिविर, ई–केवाईसी आधारित खाता खोलना
- डिजिटल उत्पाद प्रशिक्षण, डिजिटल उत्पादों के विषय में जागरूकता पैदा करना

- डिजिटल ग्राम अभिग्रहण पखवाड़े के दौरान भीम आधार पे, पीओएस और भारत क्यूआर जैसे डिजिटल चैनलों की ओर गांव के व्यापारियों को ऑन–बोर्ड किया गया।

भीम आधार एवं भारत क्यूआर व्यापारी भुगतान प्लेटफार्मों का शुभारंभ

Digital Village Adoption Fortnight

In order to reduce the digital divide that prevents rural villages from harnessing the full benefits that information and communication technologies can deliver, Bank had conducted Digital Village Adoption Program across India from 01.02.2018 to 15.02.2018. Bank has identified 190 villages (5 Per Zone) for complete digital conversion in order to reduce the digital divide in rural villages in phase-1.

- The activities like organised Banking Services for all villagers
- Aadhaar Enrolment Camps, E-KYC based account opening
- Digital Products Training, Creating Awareness about Digital Products

- On-boarding of Merchants in the Village on Digital Channels such as BHIM, BHIM Aadhaar Pay, PoS & Bharat QR during the Digital Village Adoption Fortnight.

Launch of BHIM Aadhaar & Bharat QR merchant payment platform

नई डिजिटल भुगतान प्लैटफार्म भीम आधार पे और भारत क्यूआर वर्ष 2017–18 के दौरान शुरू किया गया । डिजिटल लेनदेन को बढ़ाने के लिए हमारे ग्राहकों के बीच इन दो व्यापारी भुगतान माध्यमों को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं ।

अन्य ग्राहक केंद्रित पहलें

1. भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस)

बैंक ने भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) का शुभारंभ किया है जो भारत में एक एकीकृत बिल भुगतान प्रणाली है एवं यह एजेंटों के नेटवर्क के जरिए ग्राहकों को अंतःप्रचालनीय और सुलभ बिल भुगतान सेवा प्रदान करती है तथा विभिन्न भुगतान मोड को इनेबल एवं भुगतान की तत्काल पुष्टि करती है।

2. जीएसटी नंबर को अद्यतन करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल

जीएसटी नंबर को सीबीएस में सीड करने के लिए ग्राहकों को एक ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करवाया गया है, जिसके जरिए वे अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर उसे सत्यापित करवाने के उपरांत अपना जीएसटी नंबर सीबीएस में सीड कर सकते हैं।

3. विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए शुल्क संग्रह मॉड्यूल :

छात्रों के लिए अलग–अलग भुगतान के विकल्पों, जैसे ऑफलाइन चालान यानी शाखा के माध्यम से अथवा बैंक के नेट बैंकिंग और अन्य तरीकों के जरिए जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं अन्य बैंक के नेट बैंकिंग, का लिंक प्रदान करके विभिन्न प्रकार के फीस के भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जाती है। रिकॉर्ड के लिए भुगतान की रसीद जेनरेट की जाती है।

4. द्विभाषी नेट बैंकिंग

नेट बैंकिंग वेबसाइट हिंदी में देखने के विकल्प उपलब्ध किए गए हैं । जब भी ग्राहक हिंदी विकल्प चुनता है, तब उसे वर्तमान में अंग्रेजी में उपलब्ध सभी मेनू हिंदी में प्रदर्शित किया जाता है ।

5. ग्राहकों से जीएसटी भुगतान का स्वीकरण

बैंक को ग्राहकों से जीएसटी संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । ग्राहक नकद/चेक/डीडी के माध्यम से शाखाओं में काउंटर पर भुगतान करने के साथ–साथ बैंक की नेट बैंकिंग साइट के जरिए भी जीएसटी का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

6. एलएपीएस में सावरिन गोल्ड बॉन्ड (मियादी ऋण एवं ओडी) के विरुद्ध आईबी ऋण :

सावरिन गोल्ड बॉन्ड (मियादी ऋण एवं ओडी) के विरुद्ध आईबी ऋण की सुविधा के अंतर्गत जिन ग्राहकों के पास सावरिन गोल्ड बॉन्ड है, वे उसके विरुद्ध हमारे बैंक की शाखा से ऋण प्राप्त कर सकते हैं ।

7. फॉर्म 16ए

बैंक ने ग्राहकों को बैंक की वैबसाइट से फॉर्म 16ए को सीधे डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान किया है ।

8. गैर–वैयक्तिकृत चिप कार्ड (इंस्टा कार्ड) का शुभारंभ

भारतीय रिजर्व बैंक के ईएमवी कार्ड को मेग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड से बदलने के हालिया निदेश के अनुसार एवं ग्राहकों की सुविधा हेतु **इंस्टा कार्डों** की शुरुआत की गई है, जो एक गैर–वैयक्तिकृत कार्ड है एवं इसे तुरंत हमारे ग्राहकों को काउंटर पर ही उपलब्ध कराया जा सकता है ।

9. ई–केवाईसी (ओटीपी) के जरिए आधार प्रमाणीकरण प्रणाली

आधार विवरण के साथ बैंक में उपलब्ध ग्राहक के महत्वपूर्ण विवरण प्रमाणित करने के लिए बैंक ने ई–केवाईसी के माध्यम से ओटीपी आधारित आधार प्रमाणीकरण सक्षम किया है।

10. इंटरनेट बैंकिंग का नया रूप :

हमने इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का नया लुक लॉन्च किया है तथा इसमें हमने मूल्यवर्धक सुविधाएँ जैसे 'अपने त्वरित लिंक को कस्टमाइज करें' की सुविधा को सम्मिलित किया गया है, जिसमें ग्राहक अपनी सुविधा एवं आसानी से पहुँच के लिए 8 अक्सर प्रयोग किए जानेवाले विकल्प का चयन कर सकते हैं ।

11. ग्राहकों के लिए धोखाधड़ी सुरक्षा

- कार्ड–नाट–प्रजेंट (सीएनपी) लेनदेनों के लिए द्वितीय कारक प्रमाणीकरण (2एफए) के रूप में एक बारगी पासवर्ड कार्यान्वित किया गया है।
- कार्ड स्किमिंग के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु चिप तथा पिन आधारित डेबिट व क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं।
- संदेहास्पद धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेनों के लिए डेबिट कार्ड संबंधी लेनदेनों की मानिटरिंग की जाती है तथा ग्राहकों की सुरक्षा हेतु उन्हें जागरूक किया जाता है।
- "आई बी स्मार्ट रिमोट" मोबाइल एप, ग्राहकों को उनके डेबिट/क्रेडिट कार्डों को लॉक करने तथा एटीएम व पीओएस चेनलों में बैंक द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा के अंदर प्रयोग करने की सीमा को बढ़ाने/घटाने की सुविधा प्रदान करती है।
- "आईबी कस्टमर" मोबाइल एप, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग चेनलों को लॉक करने की सुविधा प्रदान करती है।

New Digital Payment Platforms BHIM Aadhaar Pay and Bharat QR were rolled out during 2017-18. Steps are taken to popularize these two merchant payment modes among our customers for increasing digital transactions.

Other Customer Centric Initiatives:

1. Bharat Bill Payment System (BBPS)

Bank launched Bharat Bill Payment System (BBPS), which is an integrated bill payment system offering interoperable and accessible bill payment service to customers through a network of agents, enabling multiple payment modes, and providing instant confirmation of payment.

2. Online Portal for GST Number Updation

An online portal is made available for customers to seed their GST Numbers in CBS after authentication through an OTP sent to the registered mobile number.

3. Fee collection module for students of Universities:

Facility made available for students to pay various type of fees by providing a link to different payment options viz., offline challan i.e. through branch, through Bank's Net banking and other modes viz., Credit card, Debit card and Other bank's net banking facility. Receipt for the payments made is generated instantly for the purpose of record.

4. Bi-Lingual Net banking

Option made available to view Net banking website in Hindi. All the menus presently available in English are displayed in Hindi whenever the customer chooses Hindi option.

5. Acceptance of GST Payments from customers

Bank is authorised to collect GST from the customers. Customers can pay GST online through Bank's Net banking site besides acceptance of payment over the counter at branches in Cash/Cheque/DD mode.

6. IB loan against Sovereign Gold Bonds (Term loan and OD) in LAPS:

Loan against Sovereign Gold Bonds (Term loan and Overdraft) was facilitated through which customers having Sovereign Gold Bonds are able to avail loans at our Bank Branches.

7. Form 16A

Bank has facilitated the customers to download Form 16A directly from the Bank's Website.

8. Introduction of non-personalised Chip cards (Insta Cards)

To provide customer convenience and to comply with recent directions of RBI for replacing magnetic stripe cards with EMV cards, Insta cards have been introduced which are non-personalised cards and can be provided instantly over the counter to our customers.

9. Aadhaar Authentication System through EKYC (OTP)

Bank has enabled OTP based Aadhaar Authentication through e-KYC for authenticating the important details of the customer available in bank with Aadhaar details.

10. New Look Internet Banking

Bank had launched the new look Internet Banking website and introduced value added features like "Customize your quick links" wherein the customers can select upto 8 frequently used options for easy navigation and convenience of banking.

11. Fraud protection for customer

- One-Time Password (OTP) as Second factor authentication (2FA) for Card-not-present (CNP) transactions implemented.
- Debit and credit cards are issued as Chip and PIN cards to ensure protection against card skimming.
- Monitoring of Debit Card transactions for suspected fraudulent transactions and generating alerts to protect customers.
- "IB Smart Remote" mobile app provides customers the facility of locking their Debit/Credit cards and also to increase/decrease the usage limit for debit cards in ATM & POS channels within the maximum limit permitted by Bank.
- "IB Customer" Mobile App facilitates locking of Debit/Credit Card, Internet/Mobile Banking channels.

- इसके अलावा, हमारे इंड पे मोबाइल ऐप के जरिए भी इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग के वित्तीय लेनदेन को लॉक–अनलॉक करने की सुविधा दी गई है ।

- स्क्रीन में लॉगिन पासवर्ड दर्ज करने से पहले, फिशिंग वैबसाइट के खतरों से खुद को सुरक्षित रखने एवं प्रामाणिक इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट की पहचान करने हेतु ग्राहक द्वारा निर्धारित व्यक्तिगत संदेश प्रदर्शित करने के लिए एक प्रावधान उपलब्ध कराया गया है।

प्रबंधन सूचना प्रणाली

बैंक की एमआईएस प्रणाली का उपयोग बैंक की व्यावसायिक टीमों द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है – सांविधिक एवं नियामक रेपोर्टिंग, कैम्पेन प्रबंधन, व्यावसायिक निर्णय लेने एवं एमआईएस द्वारा विकसित फ्रंट–एंड सुविधाओं के जरिए शाखाओं/अंचल कार्यालयों से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए।

व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को सशक्त करने के लिए एमआईएस प्रक्रिया के तहत खर्चों के बचत एवं टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) को बेहतर बनाने लिए तथा व्यापार संबंधी निर्णय लेने हेतु परिज्ञान प्रदान करके, सब्सिडी/पुनर्वित्त दावा आदि के केंद्रीकृत प्रसंस्करण द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं । एमआईएस एप्लिकेशन में लगभग 3000 रिपोर्ट विकसित एवं पोर्ट की गई हैं, जिनका विभिन्न रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। रिपोर्टों की, समय–समय पर उनकी प्रभावकारिता सुनिश्चित करने और एमआईएस पोर्टलों से अप्रचलित रिपोर्टों को कम करने हेतु, समीक्षा की जाती है।

सूचना प्रणाली सुरक्षा

- बैंक की सूचना प्रणाली व सुरक्षा प्रक्रियाओं को आईएसओ 27001:2013 मानक से प्रमाणित किया गया है तथा इस दृष्टि से हमारा बैंक दुनिया भर के कुछ प्रमाणित बैंकों में से एक है। बैंक के आईएस सुरक्षा कक्ष एवं आईटी विभाग को आईएसओ 27001 मानक से प्रमाणित किया गया हैं। यह प्रमाणीकरण बैंक की विश्वसनीयता, सूचना सुरक्षा प्रणाली की मजबूती हेतु प्रशंसा पत्र को सम्मिलित करता है तथा ग्राहकों को आश्वास्त करता है कि बैंक की सूचना सुरक्षा उच्च कोटी की है। मानक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) के निष्पादन को मापने व मूल्यांकन पर भी ज़ोर डालता है। प्रमाणित सुरक्षा मानक के पास कूट–लेखन, सुरक्षित विकास, सुरक्षा परीक्षण, आपूर्तिकर्ता संबंध इत्यादि में अतिरिक्त नियंत्रण है। प्रमाणित सुरक्षा मानक के पास कूट–लेखन, सुरक्षित विकास, सुरक्षा परीक्षण, आपूर्तिकर्ता संबंध इत्यादि में अतिरिक्त नियंत्रण है। सूचना सुरक्षा पॉलीसियां आईएसओ 27001:2013 के अनुसार तैयार की गईं तथा हमारे बैंक की सूचना प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए लागू किया गया।

- आईएसओ 27001 प्रमाणन के लिए पुनर्मूल्यांकन लेखा परीक्षा फरवरी 2018 के दौरान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया । इसमें प्रमाणित सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों की जांच की गई एवं इसे फरवरी 2021 तक के लिए पुनर्प्रमाणीकृत किया गया ।

बैंकों में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश

- बैंक ने बैंकों में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांकित 2 जून 2016 के संबंध में बोर्ड द्वारा विधिवत रणनीति को अपनाया है, इसमें व्यापार के सूक्ष्म स्तर तथा जोखिम के स्वीकृत स्तर को साइबर खतरे का सामना करने के लिए उचित पद्धति बनाई गई है। इस नीति को बनाने के पहले आंतरिक रूप से गैप विश्लेषण को आयोजित किया गया जिसमें व्यापार उद्देश्यों को बढ़ावा देने हेतु बैंक की सूचना सुरक्षा रणनीति की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन तथा लक्ष्यांकित मेचुरिटी स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जा सके। इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि साइबर जोखिमों का सामना करने के लिए वर्तमान सुरक्षा उपायों में सुधार लाकर बैंक के लचीलापन को बढ़ाया जाए एवं नियमित आधार पर साइबर सुरक्षा में होनेवाले जोखिमों से मुकाबला करने हेतु इसकी तैयारी सुनिश्चित की जाए । इस दिशा में बैंक को साइबर खतरे को सामना करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है क्योंकि बैंक को व्यापार के सूक्ष्म स्तर और जोखिम के स्वीकार्य स्तर के संदर्भ में स्टाफ, विक्रेताओं, ठेकेदारों और अन्य पण्यधारकों को जागरूक करना और उन्हें सूचना आस्तियों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी निभाना है, जिसे उन्हें सौंपा गया है। एक **साइबर आपात प्रबन्धन योजना (सीसीएमपी)** का भी गठन किया गया है और इसे मुख्य रूप से साइबर घटनाओं को प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है।

ग्राहक सूचना को सुरक्षित रखने के लिए नई सूचना सुरक्षा समाधान

- सुरक्षा परिचालन केन्द्र (एसओसी), अब सेक्यूरिटी इन्सीडेंट एण्ड ईवन्ट मैनेजमेंट (एसआईईएम) सोल्यूशंस से लैस है ताकि सुरक्षा उपकरणों एवं सर्वरों से सेक्यूरिटी लॉग को निकाला जा सके और कोई विसंगति हो तो उसका विश्लेषण किया जाए। इसमें जोडे गये उपकरण जो एओसी में कार्यान्वित किये जा रहे हैं वें प्रिविलेज आइडेंटी मैनेजमेन्ट (पीआईएम) सोल्यूशंस हैं, जो विशेष व्यक्तियों के क्रियाकलापों को ट्रैक करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं। डैटाबेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग (डीएएम) सोल्यूशंस, डैटा बेस में होनेवाली क्रियाकलापों को मॉनिटर करने और प्रणाली में कमजोरियों को स्कैन करने के लिए कमजोरी मूल्यांकन सोल्यूशंस (वीएस) का प्रयोग किया जाता है।

- निम्नलिखित सोल्यूशंस को लागू करने की प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है और इसके कार्यान्वयन के लिए लक्षित समय–सारिणी दिसंबर 2018 है।
  - वेब एप्लिकेशन फायरवॉल (डब्ल्यूएएफ)
  - नेटवर्क बिहेवियर एनालिसिस (एनबीए)
  - नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी)
  - फायरवॉल एनालाइजर
  - एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन फॉर एंड पॉइंट, वेब एंड ई–मेल गेटवे
  - सर्विस डेस्क सोल्यूशंस टू मॉनिटर द इंसिडेंट ट्रेक फ्लो
  - अपग्रेडेशन ऑफ एसेट एंड पैच मैनेजमेंट सोल्यूशंस
  - अपग्रेडेशन ऑफ नेटवर्क इंट्रशन प्रिवेंशन सिस्टम
  - रेड टीम एक्सर्साइज
  - फोरेंसिक रेडिनैस

- Additionally, the facility to lock/unlock financial transactions in Internet Banking and Mobile Banking is provided in IndPay mobile app also.

- Before entering login password in the screen, a provision is made available for displaying a personalized message set by customers for enabling them to identify the authentic internet Banking website to avoid falling prey to phishing websites.

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

Bank's MIS system is used by Bank's business teams for the following purposes - Statutory & regulatory reporting, Campaign management, Business decision making, and Capturing additional information from the branches/Zonal Offices through the front-end facilities developed by MIS.

Persistent endeavor is made to empower the business-users to generate data/reports through automation of MIS processes for cost saving and improving Turnaround time (TAT) by providing insights for informed business decision making, centralized processing of subsidy/refinance claim etc. Around 3000 reports are developed and ported in MIS applications which are being widely accessed by users for various reporting purposes. The reports are periodically reviewed to ensure their efficacy and to weed out obsolete reports from the MIS portals.

INFORMATION SYSTEMS SECURITY

- Bank's Information System & Security processes have been certified with ISO 27001:2013 standard and the Bank is among the very few Banks that are certified worldwide. Bank's IS Security Cell and IT Departments are certified for ISO 27001 Standard. The certification adds credibility, a testimonial for the reliability of the Bank's information security system and reassures the clients that the Bank's information security is of high quality. The Standard also lays emphasis on measuring and evaluating the performance of Information Security Management System (ISMS). Also, the certified security standard has additional controls in cryptography, secured development, security testing, supplier relationship etc. Information Systems Security Policies as per ISO 27001 - 2013 Standards were formulated and put in place to secure the Information Systems of our Bank.

- The recertification audit for ISO 27001certification has been successfully conducted during February 2018 to check whether the certified security environments are followed and recertification has been issued till February 2021.

RBI Guidelines on Cyber Security Framework in Banks

- Bank has put in place a **Cyber Security Policy** in terms of RBI circular dated 2nd June 2016 on Cyber Security Framework in Banks elucidating the strategy containing an appropriate approach to combat cyber threats given the level of complexity of business and acceptable levels of risk, duly approved by the Board. Prior to developing the Policy, a gap analysis was conducted internally to assess the present position of bank's information security strategy to support business objectives and analyze the requirements for reaching the targeted maturity level. The main objectives of the policy are to enhance the resilience of the bank by improving the current defenses in addressing cyber risks and ensure adequate cyber security preparedness on a continuous basis, provide guidance and direction to the bank in combating cyber threats, given the level of complexity of business and acceptable level of risks and to enable the staff, vendors, contractors and other stakeholders to gain awareness and fulfill their responsibilities to protect the information assets with which they are entrusted. A Cyber Crisis Management Plan (CCMP) has also been formulated and put in place mainly focusing on incident handling process of cyber incidents.

New Information Security solutions to protect customer information

- Security Operation Centre (SOC) has now been equipped with Security Incident and Event Management (SIEM) solution for pulling out the security logs from the security devices and servers and analyzing for any anomaly. Also devices added and being implemented in the SOC are Privilege Identity Management (PIM) solution to track the activities of the privileged users, Database Activity Monitoring (DAM) solution for monitoring the activities happening at the database and Vulnerability Assessment Solution (VAS) to scan the systems for vulnerabilities.

- The process of implementing the following solutions is also under process and the targeted timelines for implementation of the same is December 2018.
  - Web Application Firewalls (WAF)
  - Network Behavior Analysis (NBA)
  - Network Access Control (NAC)
  - Firewalls Analyzer
  - Advanced Threat Protection for End points, Web and Email gateway
  - Service Desk solution to monitor the incident track flow
  - Upgradation of Asset and Patch Management solution
  - Upgradation of Network Intrusion Prevention Systems
  - Red Team Exercises
  - Forensic Readiness

- **2019–20 की पहली छमाही में निम्नलिखित सुरक्षा संवर्द्धन प्रस्तावित किए गए हैं**
  - डीप पैकेट इन्सपैक्शन
  - सेक्युर्टी एनालिटिक्स
  - हनीपोट / डिसेप्शन टेक्नालजी
  - डाटा लीक प्रिवेंशन सोल्यूशंस
  - कन्टेनराइज्ड मोबाइल एप्लिकेशन

परिसर

- हरित पहल के अंतर्गत विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं आदि सभी प्रकार के भुगतान इलेक्ट्रॉनिक चौनलों, जैसे डाइरैक्ट क्रेडिट / एनईएफटी / आरटीजीएस (केवल विशेष परिस्थितियों में ही चेक के जरिए भुगतान किया जाता है), के माध्यम से किए जाते हैं।
- बैंक के परिसर में सौर ऊर्जा और एलईडी लाइट का प्रयोग
- बैंक के भारत में 149 और सिंगापुर में 2 संपत्तियां हैं ।
- बैंक ने परिसर, व्यय, खरीद, अनुबंध, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, एयर कंडीशनिंग, ऑटोमोबाइल, टेलीफोन / सेलफोन के लिए समान नीतियां बनाई हैं एवं सभी शाखाओं / अंचलों में इसी नीति को अपनाया गया है।

हरित पहलः

ए. सौर ऊर्जा और एलईडी लाइटिंग :

बैंक ने निम्नलिखित हरित पहलों की ओर दिशा मोड ली है :

- ऊर्जा के वैकल्पित स्रोत को अपनाते हुए बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक के रूप में अन्य सत्ता के साथ हरित भारत के निर्माण में सहयोग हेतु आगे है। कॉर्पोरेट कार्यालय में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, जोकि पहले से ही ग्रीन बिल्डिंग (गोल्ड रेटिंग) स्टेटस में है।
- बैंक के अपने निजी मकानों में सौर्य ऊर्जा प्लांट संस्थापन नेटवर्क को बढ़ाते हुए जहां कहीं तकनीक रूप से व्यवहार्य हो, वहाँ सम्पूर्ण वार्षिक व्यय में ऊर्जा खपत में 4–5 प्रतिशत तक कम करने की अपेक्षा है।
- एलईडी लैम्प का प्रयोग करते हुए लाइटिंग प्रणाली में नई प्रद्योगिकी उत्पादों को अपनाया गया है।
- नई शाखाओं को एलईडी लाइटिंग से ऊर्जागर किया गया है।
- विद्यमान शाखाओं में लाइटिंग चरण–बद्ध तरीके से परिवर्तन किए जा रहे हैं। वर्तमान में 783 शाखाओं / कार्यालयों में एलईडी लाइटिंग उपलब्ध की गई है।

बी. अन्य हरित पहल :

- शाखाओं और कार्यालयों के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षा का आयोजन किया जाता है।
- शाखाओं और कार्यालयों में एयर–कंडीशनर्स के ऑटो–कट–ऑफ के लिए टैमर्स का प्रावधान किया गया है, हार्मोनिक फिल्टर्स के संस्थापन तथा स्टार रेट किए गए इलेक्ट्रिकल उपकरणों के प्रयोग से काफी हद तक बिजली की खपत में कमी आई है।

आंतरिक नियंत्रण

- वर्ष के दौरान 2068 शाखाओं में जोखिम आधारित लेखापरीक्षा (आरबीआईए) की गई है।
- संगामी / आंतरिक लेखापरीक्षा के अधीन 437 शाखाओं को कवर करते हुए 31.03.2018 तक कुल देशी जमाओं के 54.84 प्रतिशत और देशी अग्रिमों के 66.15 प्रतिशत को कवर किया गया। कुल मिलाकर, संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत 59.74 प्रतिशत देशी व्यापार को कवर किया गया।
- जोखिम आधारित संगामी लेखा परीक्षा 01.04.2013 से जारी है।
- आरबीआईए व संगामी लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, आय रिसन को पहचानने के लिए ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक के व्यापार एक्सपोजरवाली 2349 शाखाओं को कवर करनेवाली राजस्व लेखापरीक्षा की गई।
- समीक्षा वर्ष के दौरान 38 अंचलों की प्रबंधन लेखापरीक्षा की गई और अनुपालन हेतु कार्रवाई आरम्भ की गई।
- समीक्षा की अवधि में, सूचना एवं संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में आधारभूत सूचना प्रणाली की लेखा परीक्षा (आईएस) तथा सीबीएस अप्लिकेशन सूट, डेटासेंटर व सीबीएस परियोजना कार्यालय की लेखापरीक्षा भी बाहरी फर्म द्वारा की गई। ग्राहकों के सम्मुख अनुप्रयोगों के नियंत्रण प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए स्विफ्ट परिचालनों की सुरक्षा लेखापरीक्षा तथा एटीएम स्विच की विशेष लेखापरीक्षा भी बाह्‍य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई।
- दैनिक आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई हेतु शाखाओं को सुग्राही बनाने के लिए बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय एवं अंचल कार्यालयों में द्विस्तरीय रूप से ऑफसाइट निगरानी कार्यक्रम चलाए गए।
- निरीक्षकों को आधुनिक गतिविधियों से अवगत कराने और उनके रिपोर्टिंग कौशल को निखारने हेतु अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- सुव्यवस्थित संशोधनों के लिए धोखाधड़ी, समाविष्ट पहचान, वर्गीकरण, रिपोर्टिंग, जांच, मानीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्रवाई, संवरण, धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए निगरानी, नकली डेटा का एकत्रीकरण तथा डेटा विश्लेषण से संबन्धित सभी गतिविधियों को समन्वित करने की प्रमुख जिम्मेदारी के साथ निरीक्षण विभाग के अंतर्गत धोखाधड़ी विरोधी कक्ष कार्यरत है।,

अनुपालन

बैंक की अनुपालन नीति, बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में उप महाप्रबंधक के नेतृत्व में एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग स्थापित किया गया है। यह विभाग बैंक के कार्यों को अधिशासित करनेवाले विभिन्न सांविधिक एवं विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करता है, यथाः

ए) विधानों जैसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, धन–शोधन निवारण अधिनियम आदि।

- **The following security enhancements are proposed in the 1st half of 2019-20**
  - Deep Packet Inspection
  - Security Analytics
  - Honeypot/Deception Technologies
  - Data Leak Prevention solution
  - Containerized Mobile Applicationsn

PREMISES

- As part of the green initiative, all payments to vendors, suppliers etc. are made through electronic channels, viz., direct credit/NEFT/RTGS (only under exceptional circumstances, payment by way of cheque is made)
- Introduction of Solar Power and LED lights at Bank's own premises
- Bank owns 149 properties in India and 2 properties in Singapore
- Bank has put in place uniform policies for Premises, Expenditure, Purchases, Contracts, Printing and Stationery, Air-conditioning, Automobiles, Telephone/Cell phone and has adopted the same at all branches/Zones.

Green Initiatives:

A. Solar Power and LED Lighting :

Bank has switched over to the following green initiatives:

- Harnessing of solar power to Corporate Office, which is already under Green Building (Gold Rating) status. By adopting alternative source of energy, as a Public Sector Bank, the Bank has joined hands with other entity to form Green India.
- Expanding the Solar power plant installation network in Bank's own Buildings, wherever technically feasible, to reduce the annual overall expenditure on energy consumption by about 4 to 5 per cent.
- Adopting new technological products in the illumination systems by using LED lamps in the interior lighting systems.
- New branches illuminated with LED lighting only.
- Lighting in existing branches being replaced in a phased manner. Presently 783 Branches/Offices are provided with LED lighting.

B. Other Green Initiatives:

- Conduct of Energy Audits periodically for branches and offices.
- Provision of timers for auto-cut-off of Air-conditioners installed at branches and offices, installation of harmonic filters and usage of Star Rated electrical appliances have considerably reduced the consumption of electricity.

INTERNAL CONTROLS

- During the year, Risk Based Internal Audit (RBIA) was carried out in 2068 branches.
- 437 branches were covered under concurrent audit, covering 54.84 per cent of total domestic deposits and 66.15 per cent of domestic advances as on 31.03.2018. Overall, 59.74 per cent of domestic business was covered under Concurrent Audit.
- Risk Based Concurrent Audit is in vogue from 01.04.2013.
- Revenue Audit covering 2349 branches with business exposure of ₹ 10 crore and above was carried out to identify leakage of income if any, in addition to RBIA and Concurrent Audit.
- Management Audit of 38 Zonal Offices was conducted during the year under review and follow up action initiated for compliance.
- Information Systems (IS) Audit of information & Communication Technology (ICT) infrastructure - CBS application suite, data centre and CBS project office was carried out by an external audit firm during the period of review. Special audit of ATM switch was conducted by external auditors in order to ensure control effectiveness of customer facing applications.
- Offsite monitoring activities were carried out in the Bank on a two tier setup at Corporate Office and Zonal Offices to sensitize the Branches for corrective action on a daily basis.
- Separate program for Inspectors was conducted during the year to make them familiar with the latest developments and to hone their reporting skills.
- The Anti Fraud Cell functions under Inspection Department with the predominant responsibility of coordinating all activities related to fraud, comprising identification, classification, reporting, investigation, monitoring and follow-up, closure, surveillance for fraud prevention, pooling of fraud data and analysis of the data for systemic improvements.

COMPLIANCE:

The Bank's Compliance Policy has been duly approved by the Board. In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, an independent Compliance Department headed by a Deputy General Manager has been set up in the Bank. The Department monitors adherence to various statutory and regulatory guidelines governing the Bank's functioning viz:

a) Various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Prevention of Money Laundering Act etc.

बी) भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक एवं विकास एजेंसी आदि द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देश।

सी) भारतीय बैंक संघ, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डीलर्स एसोसिएशन आदि जैसी उद्योग संघों द्वारा निर्धारित स्वैच्छिक मानक एवं कोड और,

डी) परिपत्रों, मैनुअलों के जरिए जारी बैंक की आंतरिक नीतियां, आचरण कोड, दिशानिर्देश आदि।

इंड एएस कार्यान्वयन की स्थितिः

- इंड एएस के सुचारु कार्यान्वयन के लिए बैंक ने सलाहकार के रूप में मैसर्स डेलाइट हास्किंस एंड सेल एलएलपी को नियुक्त किया है तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया में है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 11.02.2016 के पत्र डीबीआर.बीपी.76 / 21.07.001 / 2015–16 के जरिए, बैंक 1 अप्रैल 2018 से शुरु होनेवाली लेखा अवधि के लिए स्टेंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण के लिए 31 मार्च 2018 को समाप्त होनेवाली पूर्ववर्ती अवधि के तुलनात्मक आंकड़े के साथ इंड एएस का अनुपालन करेगा।

- तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) के कार्यान्वयन को एक वर्ष के लिए स्थगित किया है यथाः वर्ष 2019–20, इंड एएस के लिए प्रथम वर्ष होगा जिसके साथ वर्ष 2018–19 का तुलनात्मक वर्ष रहेगा।

- पूर्व में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30.09.2016 को समाप्त अर्ध वर्ष के लिए इंड एएस के अनुसार वित्तीय विवरणियों का प्रोफार्मा, 01.04.2016 को परिवर्तन तारीख हेतु तैयार करने के लिए सूचित किया है तथा उसे तैयार कर भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार 30.06.2017 को समाप्त तिमाही के लिए इंड एस के वित्तीय विवरण का प्रोफार्मा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया गया।

सतर्कता

बैंक के सतर्कता प्रशासन हेतु सतर्कता विभाग उतरदायी है। सतर्कता प्रशासन पर, विभाग केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा निदेशित किया जाता है तथा सीवीसी के साथ परामर्श करने के लिए संपर्क के एकल स्थान की भूमिका निभाता है।

विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जिन्हें इस पद हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। धोखाधड़ी और सतर्कता से संबंधित मामलों के संबंध में आरबीआई / सीबीआई / सीवीसी / सरकार के साथ संबंध स्थापित करने के लिए सीवीओ नोडल अधिकारी है।

अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में सहायक महाप्रबंधक और इससे ऊपर के सभी अधिकारी सीवीसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सभी अवार्ड – स्टाफ कर्मचारिया तथा सहायक महाप्रबंधकों के पद से नीचे के अधिकारियों को शामिल कर सतर्कता अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में तथा सजा की प्रकृति के रूप में सीवीओ सलाह प्रस्तुत करते हैं। सहायक महाप्रबंधकों और उससे ऊपर के अधिकारियों के संबंध में सीवीसी द्वारा प्रस्तुत सलाह तथा अनुपालन हेतु बैंक द्वारा उक्त पर विधिवत विचार किए जाने को सीवीओ सुनिश्चित करते हैं।

विभाग, बैंक में धोखाधड़ी निवारण के हिस्से को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सक्रिय ढंग से कार्य कर रहा है और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के समय–मानदंडों तथा दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी सतर्कता मामलों का निपटान करता है। बैंक के विभिन्न अंचल कार्यालयों में कार्यरत सतर्कता अधिकारियों द्वारा शिकायतों और धोखाधड़ी की जांच की जाती है और धोखाधड़ी का विश्लेषण कॉर्पोरेट कार्यालय में निरीक्षण विभाग के अंतर्गत धोखाधड़ी विरोधी कक्ष द्वारा किया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन : प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों / जांच अधिकारियों, सतर्कता अधिकारियों, अनुशासनिक प्राधिकारियों के लिए वर्ष के दौरान तीन विशेष इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह :

31 अक्टूबर 2017 से 04 नवम्बर 2017 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सभी ग्रामीण और अर्ध–शहरी शाखा ने भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव और भ्रष्टाचार से निपटने के तरीके पर जनता को संवेदनशील बनाने के लिए **"जागरूकता ग्राम सभाओं"** का आयोजन किया। जनता के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण विकल्पों को समझाया गया और नागरिकों और व्यावसायिक संस्थाओं के लिए आयोग द्वारा प्रस्तुत सत्यनिष्ठा शपथ ली गई। सीमित इंटरनेट पहुंच वाले केंद्रों में, ग्राम सभा की बैठक के प्रतिभागियों के साथ सत्यनिष्ठा शपथ को पूर्ण किया गया।

केंद्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के अनुसार, 8 केन्द्रों चेन्नै, कोयमबत्तूर, गुंटूर,मदुरै, पुदुच्चेरी, सेलम, तिरुचिरापल्ली तथा तिरुनेलवेली में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। आवंटित केन्द्रों पर चुनिन्दा महाविद्यालयों व विद्यालयों में (कक्षा नवीं व इससे ऊपर के विद्यार्थियों के लिए) वाद–विवाद, पेनल विचार–विमर्श तथा वक्तृत्व तथा निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। भ्रष्टाचार व इसके दुष्प्रभाव से संबन्धित विभिन्न विषय, नैतिकता व मूल्यों, ईमानदारी व सत्यनिष्ठा की महत्वता, आचारनीति, शासन में पारदर्शिता व भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवा कैसे लड़ सकते हैं तथा और भी इसी से संबंधित मुद्दे इन कार्यक्रमों के विषय थे। सप्ताह के दौरान चेन्नै, कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली और लुधियाना में बैंक द्वारा वॉकथॉन / साइकिल रैलियां आयोजित की गईं।

चेन्नै में, बैंक ने श्री मंजुनाथ, आईपीएस, एडीजीपी, तमिलनाडु राज्य पुलिस, चेन्नै के द्वारा **''मेरा चिन्तन – भ्रष्टाचार मुक्त भारत''** के विषय पर एक अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया।

प्राप्त अवार्ड

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने एक नयी पहल के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम / बैंकों के लिए दंडात्मक, निवारक तथा सापेक्ष सतर्कता के क्षेत्र में संगठनों द्वारा किये गये सुधार व अच्छे कार्य को मान्यता देने हेतु सतर्कता उत्कृष्ट अवार्ड का प्रवर्तन किया है।

b) Regulatory guidelines issued by Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Agency etc.

c) Voluntary standards and codes prescribed by industry Associations such as Indian Banks' Association, Foreign Exchange Dealers' Association of India, Fixed Income Money Market Dealers Association etc. and

d) Bank's internal policies, codes of conduct, guidelines etc. issued by way of Circulars, Manuals etc.

STATUS OF IND AS IMPLEMENTATION:

- Bank has appointed M/s Deloitte Haskins & Sells LLP as consultant for smooth implementation of Ind AS and the implementation is in progress.
- As per the directions of RBI vide their letter DBR.BP.BC.No.76/21.07.001/2015-16 dated 11.02.2016, Banks shall comply with Ind AS for standalone and consolidated financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards, with comparative figures for the preceding period ending March 31, 2018.
- However, RBI vide its monetary policy for 2018-19 has deferred the implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS) by one year for scheduled commercial banks i.e. 2019-20 would be the first year of Ind AS with 2018-19 as the comparative year.
- Earlier, RBI had advised the Banks to prepare Proforma Financial Statements as per Ind AS for the half year ended 30.09.2016 with transition date as 01.04.2016 and the same was prepared and submitted to RBI. Similarly Proforma Ind AS financials for the quarter ended 30.06.2017 was also submitted to RBI.

VIGILANCE

Vigilance Department is responsible for Vigilance administration of the Bank. The Department is guided by Central Vigilance Commission (CVC) guidelines on Vigilance administration and is the single point of contact for consultations with CVC.

The Department is headed by Chief Vigilance Officer (CVO) who is appointed to the post by Government of India on the recommendations of Central Vigilance Commission. CVO is the nodal Officer to liaise with RBI/CBI/CVC/Government in respect of frauds and vigilance-related matters.

All officers of the rank of Assistant General Manager and above come within the jurisdiction of CVC in the matter of disciplinary proceedings. CVO tenders advice as to the nature of disciplinary proceedings and punishment in respect of vigilance disciplinary proceedings involving Officers below the rank of Assistant General Managers and all award-staff employees.

CVO ensures that advices tendered by CVC in respect of officers of the rank of Assistant General Managers and above are duly considered for compliance by the Bank.

The Department is functioning in a proactive manner, focused on increasing the fraud-deterrence quotient within the Bank and disposing of all vigilance disciplinary cases in line with the Central Vigilance Commission's time norms and guidelines. Investigations of complaints and frauds are undertaken through Vigilance Officers located in the various Zonal offices of the bank. Analysis of frauds is undertaken at Corporate Office by Anti-Fraud Cell functioning under Inspection Dept.

Training programmes conducted: Three exclusive in-house training programs were held for the Presenting Officers/Inquiring Authorities, Vigilance Officers and Disciplinary Authorities during the year.

Vigilance Awareness Week

Vigilance Awareness Week was observed from 31st October 2017 to 04th November 2017. Every rural and semi-urban branch organized **"Awareness Gram Sabhas"** to sensitize the masses on the ill-effects of corruption and how to combat corruption. Grievance redressal options available to the public were explained and Integrity Pledge introduced by the Commission for citizens and business entities was administered. In centres with limited internet access, the Integrity pledge was administered en masse to the participants of the Gram Sabha meet.

As per the advice of the Central Vigilance Commission, outreach activities were organised in many metropolitan/urban and semi-urban centres all across the country. Debates, panel discussions, elocution and essay competitions were organised in select colleges and schools (for students of class IX & above) located in Chennai, Coimbatore, Guntur, Madurai, Puduchery, Salem, Tiruchirapalli, and Tirunelveli which were allotted to us by the Commission for taking the message of anti-corruption to the youth . Various topics relating to corruption and its ill effects, importance of morals and values, honesty and integrity, ethics, transparency in governance and how youth can participate in the fight against corruption and such related issues were topics for these outreach activities. Walkathons/Cycle rallies were conducted by the bank at Chennai, Coimbatore and Tirunelveli & Ludhiana and many other centres including villages during the week.

At Chennai, the Bank organized a guest lecture by Sri Manjunath, IPS, ADGP, Tamil State Police, Chennai on the theme - topic of **"My vision – Corruption free India".**

Awards won

Central Vigilance Commission in a novel initiative to give 'recognition to the reforms and good work done by organizations in the field of punitive, preventive and participative vigilance' introduced Vigilance Excellence awards for Public sector enterprises/banks.

''संगठन में पारदर्शिता हेतु आईटी पहल में महत्वपूर्ण योगदान'' के लिए बैंक के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पुरस्कार प्रदान किया गया।

''सतर्कता जागरूकता पहल में महत्वपूर्ण योगदान'' हेतु बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी को पुरस्कार प्रदान किया गया ।

सुरक्षा

- सुरक्षा एक विशाल और जटिल क्षेत्र है जोकि तेजी से प्रगति और परिष्करण के चलते, निरंतर बदलते हुए तकनीकी नवाचारों को अपनाती है ।हमारे बैंक का सुरक्षा प्रबंधन मुख्य रूप से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरणों के मिश्रण के साथ जनशक्ति उन्मुख है। प्रौद्योंगिकी क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण मशीनों और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर निर्भरता बढ़ रहा है और मानवीय तत्व पर निर्भरता कम बरकरार है ।

- बैंकिंग उद्योग हमेशा एक आकार्जनक लक्ष्य रहा है और अपराधी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगातार नए और परिष्कृत / उन्नत तकनीकों को अपनाते हैं उदाहरण के लिए, गैस कटर / न्युमेटिक ड्रिल / डेलाइट सशस्त्र डकैती / ट्रेन सेंधमरी आदि। आधुनिक दिनों के परिदृश्य में निष्क्रिय सिस्टम की आवश्यकता के बजाय सक्रिय सुरक्षा समाधान पर निर्भरता को दोहराया जाना ज़रूरी है।

- उद्योग से जुड़े निहित खतरे के कारण, मोबाइल शाखाओं और एटीएम सहित सभी शाखाओं में डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर आधारित सीसीटीवी सिस्टम के साथ उच्च गुणवत्ता रिसलयूश्नवाले इन्फ्रा रेड कैमरे, फायर अलार्म और बर्गलर अलार्म सिस्टम्स के साथ ऑटो डायलर सहित अनिवार्य बुनियादी न्यूनतम सुरक्षा उपाय के रूप में स्थापित की जाती हैं । स्वचालित अग्नि शामक को शाखा के सभी सर्वर रूम में स्थापित किया गया है ताकि आग के खतरों को कम किया जा सके ।भारतीय रिर्जव बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की स्वामित्व वाली सभी ऊंची इमारतों में वर्ष में एक बार और सभी मुद्रा तिजोरी में दो साल में एक बार आग और माक निकासी अभ्यास आयोजित किये जाते हैं ।

- बैंकों के कैशवैनों में जीपीएस आधारित ट्राकिंग डिवैसेस प्रतिस्थापित किये गये हैं। 24x7 इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेन्स (ई–सर्वेलेन्स) बैंक के स्वामित्व में रहनेवाले करिब 900 एटीएम/बीएनए में हमेशा जारी रहता है। करीब 2500 एटीएमों को कवर करनेवाली परियोजना की फेस II शुरु होनेवाली है तथा इस वर्ष में सितम्बर में पूरी की जाने की संभावना है।

- अनावश्यक घटनाओं के कारण सुरक्षा उपकरणों के अतिरिक्ता और अप्रचलन पर काबू पाने के लिए समय–समय पर कॉर्पोरेट ऑफिस में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में विभाग द्वारा मौजूदा सुरक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाती है। बाजार में उपलब्ध नवीनतम तकनीकी सुरक्षा प्रणालियों, उपकरणों और तंत्रों का व्यापक अध्ययन किया जाता है, निष्पादन का मूल्यांकन के बाद संभाव्यता के अनुसार बैंक की शाखाओं में सिस्टम का उन्नयन / प्रतिस्थापन / शुरुआत किया जाता है। इसके अतिरिक्त आईबीए और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर सुरक्षा व्यवस्था के बारे में सिफारिशें और दिशानिर्देश को भी बैंकों / एटीएम / मुद्रा तिजोरियों में कार्यान्वित किया जाता है।

- सुरक्षा प्रबंधन परिचालन जोखिम प्रबंधन का एक हिस्सा है। समय की मांग में गतिशीलता और नए पर्यावरण को स्वीकार करने की क्षमता है। ''वित्तीय जोखिम'' के विपरीत, बैंक की आस्तियों के लिए फिजिकल जोखिम आसानी से पहचाने जाने योग्य होते हैं और प्रभावी सुरक्षा प्रणालियों के द्वारा इसे रोका जा सकता है। शाखाओं और कार्यालयों के जोखिम मूल्यांकन कमजोरी और खतरे की धारणा पर आधारित हैं। जहां भी लागू हो, समय–समय पर कमजोरी पुनर्मूल्यांकन और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए दिशा–निर्देशों के अनुसार हर 3 सालों में व्यापक मूल्यांकन और जोखिम मूल्यांकन किया जाता है।

- संबंधित अंचलों में सुरक्षा अधिकारी द्वारा क्षेत्र स्तर पर विभाग का समर्थन किया जाता है जो शाखाओं / एटीएम / मुद्रा तिजोरियों पर बैंक की दिशा–निर्देश / अनुदेश / नीति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। प्रतिकूल घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से निरीक्षण के दौरान पाई गईं विसंगतियों/कमियों को दूर कर शाखा/एटीएम पहलुओं को मजबूत बनाया जाता है।

- अंचल सुरक्षा अधिकारी वर्ष में एक बार में सभी शाखाओं / एटीएम के सुरक्षा निरीक्षण और तिमाही आधार पर मुद्रा तिजोरी का निरीक्षण करते हैं। सभी शाखाओं / प्रशासनिक कार्यालयों की विद्युत लेखापरीक्षा वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है और रिपोर्ट में टिप्पणियों को संबंधित अंचल कार्यालयों की सहमति के साथ शाखा स्तर पर सुधारा जाता है। बैंक, हरित पहल को सशक्त बनाने के लिए सुरक्षा निरीक्षण रिर्पोटों को आन–लाइन अपलोड करने हेतु एक नया साफ्वेयर ''सियान'' का प्रवर्तन किया है जहां सुरक्षा अधिकारियों द्वारा शाखा निरीक्षण के दौरान डाटा को रियल टाइम आधार पर ऑन लाइन में अपडेट किया जाता है, उसका संक्रमण कर आगे उच्च अधिकारियों को सूचना तथा अन्य आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया जाता है।

- प्रत्येक वर्ष सुरक्षा अधिकारियों हेतु एक वार्षिक प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। अधिकारियों को नवीनतम तकनीकी प्रगति और सर्वोत्तम अभ्यास को शाखाओं में कार्यान्वित करने के संबंध में अद्यतन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष, सशस्त्र गार्डों के लिए लाइव फायरिंग प्रेक्टिस आयोजित की जाती है।

- राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय सुरक्षा समिति एवं स्थायी सुरक्षा समिति बैठकों के दौरान मुख्य रूप से चर्चा किए गए सुरक्षा पहलुओं को संबन्धित अंचल कार्यालयों को सूचना हेतु भेजे जाते हैं और इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

- आस्ति संरक्षण उपायों को पालन किया गया तथा बैंक आस्तियों की सुरक्षा हेतु नकद प्रेषण के दौरान सुरक्षा उपायों का पालन किया गया।

- सिद्धांत है "नुकसान को रोकना लाभ अर्जित करना है" का खंडन नहीं किया जा सकता है। सावधानी और रोकथाम के आधार पर विभाग की स्थापना की गई है – बैंक के सुरक्षा अधिकारियों के लिए बैंक के हितों की रक्षा करना उनकी सबसे महत्वपूर्ण कार्य है।

MD&CEO of Bank was given the award for **'Significant contribution to IT initiatives for transparency in the organization'.**

CVO of Our Bank was given the award for **'Outstanding contribution to Vigilance Awareness initiatives'.**

SECURITY

- The field of security is vast and complex and it is undergoing rapid advancement and sophistication adapting to the constantly changing technological innovations. Security Management of our Bank is mainly manpower oriented with a mix of modern electronic security gadgets. Reliance on machines and electronic gadgets is increasing owing to the vast strides in the field of technology and less reliance is being placed on human element.
- The Banking Industry has always been a lucrative target and criminals are constantly adopting newer and sophisticated/advanced techniques e.g., gas cutters/pneumatic drills/ daylight armed dacoity/Train heists etc to achieve their objectives. It is needless to reiterate that dependency on active security solutions rather than passive systems are required in modern day scenario.
- Owing to the inherent threat associated with the Industry, all our Branches including mobile branches and ATMs are installed with Digital Video Recorder based CCTV systems with high quality resolution Infra Red cameras, Fire Alarms and Burglar Alarm Systems with Auto Dialers as a mandatory basic minimum security measure. Automatic (Modular) Fire Extinguishers are installed in all Server rooms of Branches to avert / mitigate fire hazards. Fire and Mock evacuation drills are conducted once a year in all High rise buildings owned by the Bank and once in two years in all Currency chests as per RBI guidelines.
- GPS Based tracking devices have been installed in Bank's Cash Vans. 24 x 7 Electronic Surveillance (e-Surveillance) is LIVE in approximately 900 Bank owned ATMs/ BNAs. Phase II of the project covering 2500 ATMs (approximately) is in the pipeline and is likely to be completed by September, this year.
- To overcome redundancy and obsolescence of security gadgets leading to untoward incidents, review of the existing security systems and procedures are periodically undertaken by the Department headed by Chief Security Officer at Corporate Office. The latest technical security systems, devices and mechanisms available in the market are comprehensively studied, assessed for performance and systems upgraded / replaced / introduced in our Bank Branches as per feasibility and with the Top Management approval. Additionally, recommendations and guidelines on security arrangements in Banks / ATMs / Currency Chests as and when prescribed by IBA and RBI are also implemented.
- Security Management is a part of Operational Risk Management. The need of the hour is dynamism and capacity for adaptation to a new environment. Unlike 'Financial Risks' the physical risks to Bank's assets are easily identifiable and preventable by effective security systems. Risk Assessment of the branches and our offices are based on vulnerability and threat perception. Comprehensive evaluation and risk assessment is done once every 3 years as per guidelines so as to periodically reassess the vulnerability and enhance security measures, wherever applicable.
- The Department is supported at the field level by Security Officers at respective Zones who are essential in ensuring that the guidelines / instructions/policy of the Bank are established at the Branches/ATMs/Currency Chests. Deficiencies/shortcomings observed during the inspection are followed for rectification to strengthen the security aspects of the Branch / ATM with the objective of preventing untoward incidents.
- Zonal Security Officers conduct Security inspection of all Branches/ATMs once a year and Currency Chests are inspected on a quarterly period. Electrical Audit of all Branches/Administrative Offices are conducted once a year and observations of the report are rectified at the Branch level with the concurrence of the respective zonal offices. Empowering the Bank to Go Green, new software “SION” has been introduced for Security Inspection reports to be uploaded online – wherein data is updated real-time, onsite- during the branch inspection by Security Officers, processed and forwarded to the higher echelon for information and other actions as necessitated.
- Annual Training of Security officers is carried out once a year. The Officers are updated with latest technological advancement and best practices for implementing the same in Branches. LIVE firing practice is conducted for armed guards, every year.
- Security Aspects highlighted during the State Level, District Level Security Committee and Standing Security Committee Meetings are disseminated to respective Zones and compliance ensured.
- Adhered to Asset Protection Measures and followed procedural safe guards during cash remittance for safety of Bank's assets.
- The principle that **“loss prevented is profit earned”** cannot be contradicted. Precaution and Prevention - being the crux around which our Department is established, for Security Officers of our beloved Bank – protecting the interests of the Bank is their foremost concern.

राजभाषा का कार्यान्वयन

- बैंक राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के आधार पर भारत सरकार के राजभाषा नीति का सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन कर रहा है। राजभाषा का कार्यान्वयन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम तथा समय–समय पर वित मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जानेवाले दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

- बैंक के सभी कम्प्यूटरों में हिन्दी में शब्द संसाधन करने की सुविधा है तथा यूनीकोड का प्रयोग करते हुए हिन्दी में काम कर सकते हैं और सीबीएस द्विभाषी रूप में उपलब्ध है।

- स्टाफ सदस्यों को बैंक द्वारा हिन्दी कार्यशालाओं के ज़रिए प्रशिक्षण करने के लिए विशेष जोर लगातार दिया जा रहा है। विभिन्न अंचलों द्वारा हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इस अवधि में बैंक द्वारा 121 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

- संदर्भ साहित्य जैसे शब्दावली, नोटिंग डेस्क कैलेंडर आदि कॉका राजभाषा कक्ष द्वारा तैयार किया गया और कॉर्पोरेट कार्यालय और अंचल में कार्यपालक अधिकारियों को वितरित किया गया।

- **विश्व हिन्दी दिवस समारोह :** विश्व हिन्दी दिवस दिनांक 10 जनवरी 2018 को मनाया गया तथा डिजिटल बैंकिंग पर एक हिन्दी सेमिनार, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं) चेन्नै के तत्वधान में पंजाब नेशनल बैंक, अंचल कार्यालय चेन्नै के साथ संयुक्त रूप से डीजी वैष्णव कालेज, अरुम्बाक्कम चेन्नै में आयोजित किया गया।

- **अखिल भारतीय सेमिनार तथा हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता :** बैंक ने दिनांक 23 फरवरी 2018 को तिरूवनन्तपुरम में ''बैंकिंग सेवाओं में स्थानीय भाषाओं का महत्व'' पर अखिल भारतीय हिन्दी सेमिनार का आयोजन किया गया। उपर्युक्त विषय पर जनवरी 2018 में एक अंतर बैंक हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और सेमिनार में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

बैंक के अन्य पहल

राष्ट्रिक स्वर्ण बॉण्ड

वित्तीय वर्ष के दौरान, 2 तिमाही ट्रान्चों तथा 12 साप्ताहिक ट्रांचों में रुपए 36.02 करोड़ की वसूली की गई, जोकि निम्नप्रकार है :

(₹ लाखों में)

2017-18	जारी अवधि	राशि
सीरिज़ - I	24.04.2017 to 28.04.2017	1345.05
सीरिज़ -II	10.07.2017 to 14.07.2017	1453.38
साप्ताहिक सीरिज़ 1 से 12 तक	09.10.2017 to 27.12.2017	803.70
कुल		3602.13

- **सुकन्या समृद्धि :** वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान 1894 नये खातों को खोला गया, अब उसकी कुल संख्या 6131 है। वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान रुपए 1809.70 लाख की राशि वसूल की गई तथा कुल संचयी राशि रुपए 3755.60 लाख है।

- लोक भविष्य निधि : वित्तीय वर्ष 2018 के दौरान पीपीए के अधीन संचयी वसूली रुपए 16,442 लाख तक बढ़ गई तथा 32,489 खातों से पीपीएफ खाते में संचयी शेष रुपए 1329.95 करोड़ रही।

विपणन

कारोबार विकास

प्रत्यक्ष विपणनः

- अंचल कार्यालयों में वर्तमान में कार्यरत विपणन अधिकारियों द्वारा अप्रैल 2017 से मार्च 2018 तक की बारह महिनों की अवधि में रु. 1924.73 करोड़ का कुल कारोबार कैन्वास किया गया।

अभियानः

- डिजिटल विपणन अभियान जून/जुलाई 2017 तथा मार्च/अप्रैल 2018 के दौरान एमएसएमई के लिए आयोजित किया गया तथा दिसम्बर 2017/फरवरी 2018 और मार्च/अप्रैल 2018 के दौरान गृह ऋण, वाहन ऋण इत्यादि के लिए आयोजित किया गया। 6830 लीड से रु.1213.13 करोड हेतु संपर्क किया गया तथा उक्त में से 35 लीड से रु.3.91 करोड की राशि का अनुमोदन किया गया और यह लीड खासकर गृह ऋण के अधीन प्राप्त हुआ।

- आईबी मास्टर कार्ड/मास्ट्रो डेबिट कार्ड पर कैश–बैक अभियान (दिसम्बर 2017 से जनवरी 2018 तक) – उच्च प्रथम बार प्रयोग करनेवालों, अधिकतम खर्च करनेवालों तथा बारंबार प्रयोग करनेवालों को कैश–बैक दिया गया। इस अभियान क्रिया–कलाप से माह दर माह में लेनदेनों की संख्या में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- एसएमएस विपणन के जरिए प्रति–विक्रय (फरवरी से अप्रैल 2018 तक) चुनिन्दे विद्यामान ग्राहकों को आईबीआर अनुवर्तन से डेबिट कार्ड, गृह ऋण, होम लोन प्लस, बंधक ऋण, इंडपे ऐप आदि उत्पादों को लीड के जरिए प्रति–विक्रय किया गया तथा शाखाओं को आगे ले जाने के लिए कहा गया। मिस्ड काल के जरिए जनरेट किये गये लीड, गृह ऋण तथा बंधक ऋण के लिए क्रमशः 16956 तथा 7903 रहा।

- वर्तमान ग्राहकों के बीच अपील को सुदृढ़ करने, गैर–ग्राहकों के बीच अनुकूल छवि प्रदर्शित करने तथा उन्हें हमारे एक शताब्दी पुराने बैंक के साथ बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध करने हेतु निम्नलिखित क्रियाकलापों को **ब्राण्ड निर्माण अभियान** हेतु आयोजित किया गया।

111वाँ स्थापना दिवस समारोह (अगस्त 17 के उपलक्ष्य में क्रियाकलाप)

5 ग्राहकों की दृष्टि से बैंक की 110वीं यात्रा के इतिहास को फाऊण्डेसन डे लाइव वीडियो के जरिए प्रदर्शति किया गया जिसे दिनांक 19.08.2017 को चेन्नै में आयोजित बैंक के 111वाँ स्थापना दिवस समारोह में प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रवर्तित किया गया ।

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

- The Bank is actively implementing Official Language Policy of Government of India, based on the Official Languages Act, 1963 and the Official Languages Rules, 1976. Official Language is implemented as per the Annual Programme issued by the Ministry of Home Affairs, Government of India and the guidelines issued from time to time by the Ministry of Finance and Reserve Bank of India.
- All the computers of the Bank have the facility of word processing in Hindi and to work in Hindi by using Unicode and CBS is available in bilingual form.
- Special emphasis is continuously being laid by the Bank to train the staff members in Hindi through workshops. Hindi workshops have also been organized by the various Zonal Offices. The Bank had organized 121 workshops in the country during this period.
- Help literature such as Banking Glossaries, Noting desk calendars etc have been prepared by Corporate office Official Language Cell and distributed to Executives at Corporate Office and Zones.
- **World Hindi Day Celebrations :** World Hindi Day was celebrated on January 10, 2018 and a Hindi Seminar on Digital Banking was conducted jointly with Punjab National Bank, Zonal Office, Chennai under the aegis of Town Official Language Implementation Committee (Banks and FIs), Chennai at DG Vaishnav College, Arumbakkam, Chennai.
- **All-India seminar and essay writing competition:** The Bank has conducted an all India Hindi seminar on the **"Importance of Local Languages in Banking"** at Thiruvananthapuram on 23rd February, 2018. An inter-bank essay writing competition on the above topic was held in January 2018 and prizes were awarded at the seminar to the winners.

OTHER INITIATIVES BY THE BANK

Sovereign Gold Bonds:

Collection of ₹ 36.02 Crores in the 2 quarterly tranches and 12 weekly tranches during the Financial Year 2017-18 is as follows:

(₹ in lakh)

2017-18	Issue Period	Amount
Series - I	24.04.2017 to 28.04.2017	1345.05
Series -II	10.07.2017 to 14.07.2017	1453.38
Weekly Serias 1-12	09.10.2017 to 27.12.2017	803.70
Total		3602.13

- **Sukanya Samriddhi:** 1894 new accounts were opened during FY18, taking the total number of accounts to 6131. The amount collected during the FY18 was ₹ 1809.70 lakhs and the cumulative amount collected was ₹ 3755.60 lakhs.
- **Public Provident Fund:** The cumulative collection under PPF accounts rose by ₹ 16,442 lakhs during the FY18 and the cumulative balance in PPF accounts was ₹1329.95 Crores from 32,489 accounts.

MARKETING

BUSINESS DEVELOPMENT

DIRECT MARKETING:

- Total Business canvassed by the Marketing officers presently functioning from Zonal Offices is ₹1924.73 crore for the twelve months period from April 2017 to March 2018.

CAMPAIGNS:

- **Digital Marketing Campaign** were undertaken during June/July 2017 and March/April 2018 for MSME and in December 2017/February 2018 and March/April 2018 for Home loan, Vehicle Loan etc. 6830 leads were exhibited worth ₹1213.73 crores and the same resulted in 35 leads amounting to ₹3.91 crore getting approved and processed under Home loan sector alone.
- **Cash-back Campaign** on IB Master card/Maestro Debit Card (December 2017 to January 2018) - Top first-time users, highest spenders and frequent users were given cash-back. This campaign activity improved the number of transactions month on month by 14 per cent.
- **Cross-Selling via SMS Marketing (February to April 2018)** - Leads generated to cross-sell products like Debit Card, Home Loan, Home Loan Plus, Mortgage Loan, IndPay App to select existing customers followed by IVR Call Centre and branches to take the contact forward. Leads generated through missed call for Home and Mortgage loan were to the extent of 16956 and 7903 respectively.
- **Brand Building Campaign** to reinforce appeal among the existing clientele, generate a favorable impression among non-customers and to encourage them to bank with us, a century old, trusted bank, the following activities were carried out .

Activities on the occasion of 111th Foundation Day Celebrations (Aug 2017)

Foundation Day Live Video chronicled the 110-years old journey of the bank through the eyes of 5 customers launched by MD&CEO during Bank's 111th Foundation Day celebrations held in Chennai on 19.08.2017

- **माइक्रोसाइट प्रतियोगिता,** एक इंटरएक्टिव माइक्रोसाइट जो ग्राहकों से प्रशंसापत्र प्राप्त कर रहा था, करिब 800 प्रविष्टियों को प्राप्त किया तथा उसमें से 111 उत्तम प्रविष्टियों को बैंक–ब्राण्डेड उपहारों से पुरस्कृत किया गया। इस प्रतियोगिता को सभी सोशल मीडिया चैनलों में प्रवर्तित किया गया।

- **स्मारक डाक टिकट,** इंडिया पोस्ट के सहयोग से दिनांक 19.08.2017 को हमारे प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा चेन्नै में विमोचित किया गया।

सोशल मीडिया में ब्राण्ड इमेज को विकसित करने हेतु प्रतियोगिता

- **इंडियन बैंक गोस सो�ाल कैम्पैन (अप्रैल 2017),** बैंक के फेसबुक पेज के प्रवर्तन में जोर देने हेतु निर्मित किया गया।

- **वर्ल्ड बुक डे कान्टेस्ट (अप्रैल 2017),** लोगों को पुस्तक पढ़ने को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया।

- **टु माम वित लव कान्टेस्ट (मई 2017)** तथा **दट्स माई डैड कान्टेस्ट** (जून 2017) क्रमशः स्मरणीय मदर्स डे तथा फादर्स डे पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आयोजित किया गया।

- **ओन मोर कैम्पैन (जून 2017),** ग्राहकों को एक साथ जुडे रहने के लिए और एक प्लेटफार्म सूचित करने हेतु आयोजित किया गया।

- **आईबी शुभरात्रि कान्टेस्ट (सितम्बर 2017)** आमजनता को त्योहार की शुभकामनाएं भेजने के लिए आयोजित किया गया ।

- **सेलनोमोर (जनवरी 2018),** डेबिट कार्ड को प्रथम बार प्रयोग करनेवाले/बारंबार प्रयोग करनेवाले तथा उच्च खर्च करनेवाले, यदि कार्ड 1 दिसम्बर 2017 तथा 15 जनवरी 2018 के बीच प्रयोग करें तो उन्हें रु.7,000/– तक नकद पुरस्कार पाने हेतु आयोजित किया गया। इस संबंध में उसके लाभ तथा क्यों न उसका प्रयोग करें ? यह फेसबुक, टिविटर तथा इन्स्टाग्राम के तीनों चैनल में सक्रिय था।

- **बैंक ऑनलव (फरवरी 2018),** वैलन्टाइन्स डे, यथा 14 फरवरी 2018 के अवसर पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रवर्तित किया गया।

- **माई होम माई कार्नर फरवरी 2018** बैंकिंग उद्योग में वर्तमान में निम्नतम ब्याज को घोषित करने हेतु आयोजित किया गया ।

- **राइटचेंज विमन्स डे प्रतियोगिता (मार्च 2018) :** इस प्रतियोगिता का उद्देश्य, विमन्स डे 2018 के अवसर पर बैंक के ब्राण्ड इमेज को भारत भर में सभी उम्र के महिलाओं के बीच ज्ञान खोज प्रतियोगिता को प्रवर्तित करने हेतु आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता को प्रवर्तित करने के लिए फेसबुक, टिविटर तथा इन्सटाग्राम का प्रयोग किया गया। दिनांक 28 फरवरी से 20 मार्च 2018 तक श्रोतागण तथा उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए फेसबुक में प्रतियोगिता को प्रवर्तित किया गया।

संप्रेषण चैनल :

सोशल मीडिया प्रवर्तन

वर्तमान के दो चैनलों टिविटर तथा यू–ट्यूब के अलावा वर्ष 2017–18 में निम्नप्रकार तीन अतिरिक्त सोशल मीडिया चैनलों का प्रवर्तन किया गया :

फेसबुक : बैंक ने दिनांक 13.04.2017 को अपने आधिकारिक वेबपेज www.facebook.com का प्रवर्तन किया। यह बैंक के उत्पाद, सेवाएं, घटनाएं, समाचार, प्रशंसा पत्र इत्यादि को प्रवर्तन करने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। यह ग्राहक की शिकायतों में समाधान लाने में सहायक सिद्ध है। मार्च 2018 तक, 97000 से अधिक ''लाइक्स'' हैं।

इन्स्टाग्राम : बैंक का अधिकारिक पेज www.instagram.com दिनांक 01.07.2017 को प्रवर्तित किया गया तथा इसके साथ सोसियल मीडिया में उपलब्धता 4 चैनलों तक बढ गयी है। इन्सटाग्राम, एक सोसियल मीडिया नेटवर्किंग साइट है, स्मार्ट फोन से फोटो तथा वीडियो को साझा करने के लिए निर्मित किया गया। मार्च 2018 तक 2000 से अधिक अनुगामी हैं तथा बैंक के उत्पाद तथा सेवाओं को नियमित तौर पर पोस्ट किया जाता है।

लिंक्डइन : बैंक का अधिकारिक पेज www.instagram.com दिनांक 01.11.2017 को प्रवर्तित किया गया तथा इसके साथ सोसियल मीडिया में उपलब्धता 5 चैनलों तक बढ गयी है। लिंकडइन, एक व्यापार तथा नियोजन उन्मुख सोसियल नेटवर्किंग सेवा है जोकि वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप के ज़रिए चलता है। मार्च 2018 तक, इसमें 3500 अनुगामी हैं तथा बैंक के उत्पाद तथा सेवाओं को नियमित तौर पर पोस्ट किया जाता है।

आईवीआर काल सेंटर :

- बैंक के कॉल सेंटर, सेवा प्रदाता के सहयोग से दि. 01.12.17 से परिचालन में है तथा इसमें कुल 70 टाइम ईक्वेलन्ट व्यक्ति (एफटीई) हैं, यह आवक और जावक कालिंग को सम्मिलित कर है तथा क्षमता को 100 एफईटी तक बढ़ा सकते हैं।

- चुनिन्दे ग्राहकों को गृह ऋण हेतु प्रामोशनल एसएमएस भेजे गये।

- दिनांक 30 अक्तूबर से 4 नवंबर 2017 तक आयोजित किये गए सतर्कता सप्ताह के दौरान, सतर्कता शपथ को अंग्रेजी, हिन्दी तथा तमिल में शपथ लेने को प्रोत्साहित करने हेतु आईवीआर प्राम्ट उपलब्ध किए गए। कालर्स को प्री–रिकार्डड संदेश के साथ अभिवादन करते हुए बैंक के उत्पाद यथाः आईबी होम ऋण, चिप आधारित डेबिट कार्ड तथा राष्ट्रीय पेंशन योजना इत्यादि के बारे में अवगत कराया गया।

- **रोबोटिक्स :** बैंक ने सितम्बर 2017 के दौरान ग्राहक सेवा में रोबोटिक्स के प्रयोग करने की संकल्पना की प्रक्रिया को पता लगाने के लिए शुरूआत की तथा इस संदर्भ में विपणन एवं सूचना प्रौद्यागिकी विभाग में संयुक्त समिति का गठन किया गया ।

वेबसाइट का पुनर्गठन :

बैंके के आधिकारिक वेबसाइट को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया सितंबर 2017 के दौरान शुरू की गई तथा वेबसाइट का विकास कार्य प्रगति में है।

विपणन साइट का पुनर्गठन :

बैंक के विपणन साइट को पुनर्गठित किया गया तथा बैंक के ऋण उत्पाद संबंधी पुस्तिका तथा नये घटनाओं को पोर्ट किया गया।

- **Microsite Contest,** an interactive microsite seeking testimonials from customers received around 800 entries and was incentivized by Bank-branded gifts to 111 best entries. This contest post was promoted on all social media channels.
- **Commemorative Stamp** was released in association with India Post on 19.08.2017 by MD&CEO in Chennai.

Engagement Contests to augment Brand Image on Social Media:

- **#IndianBankGoesSocial campaign (April 2017)** to create buzz about the launch of Bank's Face-book page.
- **#WorldBookDay contest (April 2017)** to encourage people to read books
- **#ToMomWithLove Contest (May 2017)** and **#ThatsMyDad Contest (June 2017)** to build awareness on the memorable Mother's Day and Father's Day respectively
- **#OneMore campaign (June 2017)** to announce the arrival of one more platform for the customers to stay connected
- **#IBShubhNavratri contest (September 2017)** to send festive wishes to the public at large
- **#SaleNoMore (January 2018)** to first time/frequent users of Debit Card and high spenders to stand a chance to get cash rewards upto INR 7000 if used between 1st December 2017 and 15th January 2018, its benefits and why they should make the most of it. It was run on all the three channels of Facebook, Twitter and Instagram.
- **#BankOnLove (February 2018)** to promote and build awareness on the occasion of Valentine's Day i.e. 14th February 2018.
- **#MyHomeMyCorner (February 2018)** to offer announcement of Current lowest interest in the banking industry
- **#IWriteIChange Women's Day Contest (March 2018):** The objective of the Competition was to promote Bank's brand on the occasion of Women's day 2018 by way of knowledge hunt competition among all female age group, PAN India Facebook, Twitter and Instagram were used extensively for promoting this competition. From 28th February - 20th March 2018, contest post were promoted on Facebook to reach audiences and encourage their participation.

COMMUNICATION CHANNELS:

·**Social Media Launch**

Besides the existing two channels, Twitter and YouTube, three additional social media channels as hereunder were launched during 2017-18:

Facebook: Bank launched its official page on www.facebook.com on 13.04.2017. It is being used extensively for promoting bank's products, services, events, news, testimonials etc. It also assists in addressing customer grievances. As on March, 2018, there are more than 97000 likes.

Instagram: Bank's official page on www.instagram.com was launched on 01.07.2017 and with this, presence on social media has been extended to 4 channels. Instagram is a social media networking site made for sharing photos and videos from a smart phone. As on March 2018, there are more than 2000 followers and details regarding the product and services of the Bank are being posted on a regular basis.

LinkedIn: Bank's official page on www.linkedin.com was launched on 01.11.2017 and with this, presence on social media was extended to 5 channels. LinkedIn is a business and employment-oriented social networking service that operates via websites and mobile apps. As on March 2018 there are more than 3500 followers and details regarding the product and services of the Bank are being posted on a regular basis

IVR Call Centre

- Bank's Call Centre, in partnership with the service provider, commenced operations from 01.02.2017 and has a total strength of around 70 Full time equivalent person (FTE) including both inbound and outbound calling and the capacity is scalable upto 100 FTEs.
- Promotional SMS for Home Loan were sent to select customers
- During Vigilance Week observed from 30th October to 4th November 2017, Interactive voice response (IVR) prompts were provided to the callers in English, Hindi and Tamil encouraging them to undertake the Vigilance oath. Callers were greeted with pre-recorded messages about products of the Bank viz., IB Home Loan, Chip-based Debit Card and National Pension Scheme etc.

Robotics: Bank initiated the process of exploring the concept of using Robotics in the process of delivering customer service during September 2017 and a joint committee was formed in Marketing and Information Technology Department.

Website Revamping:

The process of revamping bank's official website was initiated during September, 2017 and the development of the website is underway.

Marketing site Revamping:

The marketing site of the Bank was revamped and a booklet containing details of Bank's loan products and new events were ported.

डैटा अनलिटिक्स :

बैंक ने कारोबार अनलिटिक्स के कार्यान्वयन की शुरुआत की है क्योंकि सभी आवश्यक डैटा को कारोबार इनसाइट में परिणत करने हेतु विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाना है और रियल टाइम आधार पर कारोबार को मूल्यवर्धित करना है।

नये उत्पाद विकास

- **लायल्टी कार्यक्रम का संभावित प्रवर्तन :** संभावित कार्यक्रम को प्रवर्तन तथा अनुरक्षण करने के लिए सेवाप्रदाता लगाने के लिए परियोजना कार्याधीन है।

विजीबिलिटी मेज़र्स

प्रमोशनल कोलेटरल्स

- बैंक उत्पाद तथा सेवाओं के 100 से अधिक सोसियल मीडिया क्रियेटिव यथा खुदरा ऋण, डिजिटल उत्पाद, एमएसएमई ऋण, बीमा इत्यादि को डैंगलर्स और स्टांडिस के रूप में बनाया गया और 18 उत्पाद तथा सेवाओं के लिए पुस्तिका बनायी गयी तथा क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराये गए।

- **वेलकम किट**

  वेलकम किट जिसमें नया खाता उपलब्ध है, उसे पुनरीक्षित कर प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के संदेश तथा अन्य नये उत्पाद और सेवाओं यथा यूपीआई आदि को शामिल किया गया।

- **सोसियल मीडिया पर बूस्टिंग**

  मदुरै मेगा ऋण मेला के उपरांत, फेसबुक पर मदुरै में दिनांक 26 व 27 अक्तूबर 2017 को आयोजित कार्यक्रम के सिलसिले में जागरूकता, पहुंच और अधिक वाकिन पाने हेतु फेसबुक, टिविटर, तथा इन्सटाग्राम के प्रयोग से प्रवर्तन किया गया। स्थानीय श्रोतागण की पहुंच हेतु पोस्ट तमिल भाषा में भी बनाया गया जिससे 5850 पोस्ट क्लिक हुए हैं, 3669 एनगेजमेंट, 70148 इम्प्रशन्स और 51212 रीच मिला।

समारोह आयोजन :

वार्षिक आम बैठक (जून 2017) तथा असाधारण आम बैठक (दिसंबर 2017)

- बैंक के उत्पाद तथा सेवाओं को रेडीमेड स्टाल, स्टांडिस तथा पैम्फलेट्स इत्यादि के ज़रिए विज्ञापन करने हेतु स्टाल लगाया गया।

- दक्षिण क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटनः डिजिटल भुगतान पहल पर स्व नियोजित लघु तथा मध्य कारोबार / व्यापारी का ऑन बोर्डिंग (जुलाई 2017) – बैंक ने उक्त कार्यशाला में भाग लिया जिसे राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा आयोजित किया गया।

समृद्धि उत्सव (नवंबर 2017)

- दिनांक 04 नवंबर से 6 नवंबर 2017 तक चेन्नै की शहरी शाखाओं में ऋणों के अधिग्रहण तथा नये प्रस्तावों का अर्जन करने हेतु मेगा कार्यक्रम आयोजित किया गया।

निर्यातकों – आयातकों की बैठक (फरवरी 2018)

निर्यात / आयात व्यापार को कैनवास करने के लिए शाखाओं तथा अंचल कार्यालय को अवसर प्रदान करने हेतु दि 07.02.2018 को चेन्नै में आयातक – निर्यातक की बैठक का आयोजन किया गया। सभी अंचल कार्यालयों तथा भारत में सभी शाखाओं के हितार्थ क्रिएटिव कन्टेन्ट अपलोड किये गए।

फेयरप्रो 2018 (फरवरी 2018) :

बैंक ने फेयरप्रो 2018 में प्रतिभागिता की जोकि क्रडाय द्वारा फरवरी 2018 में आवसीय संपत्तियों पर आयोजित वार्षिक प्रदर्शनी है।

कार्पोरेट संप्रेषण :

बाह्य संप्रेषण

- वर्ष 2017–18 के दौरान, बैंक ने ग्राहकों से मिलने के लिए ग्रहक उन्मुख उत्पादों, सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी, उपलब्धियों और आम जनता के कल्याण पर विभिन्न क्रियाकलापों पर ध्यान केन्द्रित किया।

- बैंक के 111वाँ स्थापना दिवस मूल्यवान ग्राहकों के साथ कलैवाणर अरंगम, चेन्नै में धूमधाम से मनाया गया। ग्राहकों को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया।

- बैंक ने कई अवसरों पर, जिनमें नए प्रौद्योगिकी के उत्पाद, मेले, वित्तीय परिणाम और सतर्कता जागरूकता सप्ताह, स्वच्छ भारत अभियान आदि महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं, कई प्रेस कान्फरेन्स/ बैठकें आयोजित की। बैंक में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में 60 से अधिक प्रेस विज्ञप्तियों को मीडिया/ प्रेस द्वारा भारत भर में कवर किया गया।

- सीएनबीसी टीवी 18 ग्रूप, दि हिन्दू, दि टाइम्स ऑफ इंडिया, बिसिनेस लाइन, दी इकोनॉमिक टाइम्स, बिसिनेस स्टैण्डर्ड, दि फाइनेन्शियल एक्सप्रेस, हिन्दुस्तान टाइमस, दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस, डेली तंदी, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दिनमणि, तंदी टीवी, पुदियतलैमुरै टीवी, न्यूस 7, न्यूस 18, सन टीवी आदि द्वारा वित्तीय परिणामों की घोषणा पर प्रेस मीट, प्रौद्योगिकी के उत्पादों का प्रवर्तन, ऋण मेले, स्वच्छ भारत पखवाडा, भारत भर में रक्त / अंग दान शिविर, 111 फाउंडेशन डे समारोह आदि को व्यापक रूप से कवर किया गया।

- चेन्नै सेंट्रल – मूर मार्केट रेलवे स्टेशन, एग्मोर रेलवे स्टेशन, पेरुंगलत्तूर बस डिपो और वाविन बस शेल्टर जैसे चेन्नै के घनी आबादीवाले स्थानों में बैंक के होर्डिंग लगाते हुए बाहरी अभियानों को गतिशील बनाया गया।

- जीएसटी का स्वागत करते हुए अग्रणी दैनिकियों में भारत भर में विज्ञापन जारी किये गये, दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस और दिनमलर में आधार सीडिंग और प्रमाणीकरण पर एक विज्ञापन जारी किया गया।

- बैंक के गृह ऋण उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए विभाग द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी, तमिल, कन्नड, तेलुगु, मलयालम, बेंगाली, ओडिया और मराठी के अग्रणी दैनिकियों में विज्ञापन देते हुए भारत भर में गृह ऋण अभियान का सफल निष्पादन किया गया।

- राष्ट्र को बैंक की सेवाओं के 111वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक नया स्मृति–चिह्न बनाया गया।

Data Analytics:

Bank had initiated Implementation of Business Analytics as all required data must be analysed to interpret business insights and add value to business on a real-time basis.

NEW PRODUCT DEVELOPMENT:

- **Proposed Introduction of Loyalty Programme:** The project involving engaging a service provider for introducing and maintaining the proposed program is under process.

VISIBILITY MEASURES :

Promotional Collaterals:

- Over 100 Social media creatives of Bank's products and services viz., Retail loan, Digital products, MSME loan, Insurance, etc. were generated in the form of danglers and standees and booklet for 18 Products and Services were made available for the field level functionaries.

- **Welcome Kit**

  Welcome kit, which accompanies a new account opening, was revised to incorporate message from MD&CEO and other new products and services like UPI App.

- **Boosting on Social Media:**

  Madurai Mega Loan Mela post promotion was performed on Facebook to build awareness, reach and to garner more walkins for the event held in Madurai on 26th and 27th October 2017 with an extensive use of Facebook, Twitter and Instagram. Post was also created in Tamil language to reach local audience which resulted in 5850 post clicks, 3669 engagement, 70148 impressions and 51212 reach.

EVENT MANAGEMENT:

Annual General Meeting (June 2017) and Extraordinary General Meeting (December 2017)

- Stall was put up for advertising the products and services of the Bank via materials like readymade stall, standees and pamphlets etc.

- **Inauguration of Southern Regional Workshop– 'on–boarding of self-organized small and medium business/traders on Digital Payment initiative' (July 2017):** Bank participated in the workshop which was organized by National Institute of Electronics & information Technology.

Samriddhi Utsav (November 2017):

- A mega event on Take-Over of Loans and acquisition of fresh proposals was held across all the Chennai city branches from 4th to 6th of November 2017.

Exporters Importers Meet (February 2018):

Export Importers Meet were conducted on 07.02.2018 at Chennai for providing opportunities to the Branches and Zonal Office to canvass Export/Import business. Creative contents were uploaded for the use of all the Zones and branches PAN India.

FAIRPRO 2018 (February 2018):

Bank participated in FAIRPRO 2018, annual exhibition on residential properties organized by CREDAI during February 2018.

CORPORATE COMMUNICATION

External Communication

- During 2017 -18, Bank focused on various activities to reach out to the customers with customer centric products, educating various schemes of Government, achievements and welfare for the general public.

- Bank's 111th Foundation day was celebrated in a grand manner with valued customers at Kalaivanar Arangam, Chennai. The customers were honoured by MD&CEO.

- Bank organised several press conferences/meets, special interviews on various occasions including launch of new technology products, conducting Melas, releasing Financial results and important events like Vigilance Awareness Week, Swachh Bharat Drive etc. More than 60 Press releases of the Bank's various events were covered by the Media/Press pan India.

- Bank was widely covered by CNBC TV 18 group, The Hindu, The Times of India, Business Line, The Economic Times, Business Standard, The Financial Express, Hindustan Times, The New Indian Express, Daily Thanthi, Dainik Bhaskar, Rajasthan Patrika, Dina Mani, Thanthi TV, Puthiyathalaimurai TV, News 7, News 18, Sun TV etc during various occasions such as Press Meet on release of Financial Results, Launch of technology products, Loan Melas, Swachh Bharat Pakhwada, Pan-India Blood/Organ Donation Camps, 111th Foundation Day Celebrations etc.

- Outdoor campaigns were accelerated by way of erecting Bank's Hoardings in populous areas of Chennai viz., Chennai Central – Moore Market Railway station, Egmore railway station, Perungalathur Bus Depot and Vavin Bus shelters.

- Released Pan India Advertisement in leading dailies welcoming GST and an advertisement on Aadhar seeding and authentication was released in The New Indian Express and Dinamalar.

- PAN India Home Loan campaign was successfully executed to popularize Bank's Home Loan products by advertising in the leading dailies of Hindi, English, Tamil, Kannada, Telugu, Malayalam, Bengali, Odiya and Marathi.

- A new mnemonic was designed to mark Bank's 111th year of service to the nation.

आंतरिक संप्रेषण

- आंतरिक संप्रेषण को सुदृढ बनाने के लिए बैंक के न्यूजलेटर – इंडिमेज को नवनिर्मित किया गया है तथा तिमाही आधार पर इसे प्रकाशित किया जा रहा है। इस न्यूजलेटर में कर्मचारियों को कविताएं, लेख लिखने के लिए, चित्रकारी के लिए और उनकी सन्तानों की उपलब्धियों को देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि पत्रिका को और अधिक भागीदारिता से युक्त और इंटरैक्टिव बनाया जा सके। 'सुडोकु' प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है और इसके विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये गये हैं।

- हेल्पडेस्क और 'इंड कुटुंब', जोकि कर्मचारियों तक सीमित फेसबुक ग्रूप है, के माध्यम से बैंक में जन्मदिवस समारोह, टेक उत्पादों का प्रवर्तन, सीएसआर पहल आदि से संबंधित जानकारी, नियमित रूप से प्रदान की जाती है। विश्व जल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, संविधान दिवस आदि विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की जागरूकता कर्मचारियों को प्रदान करने के लिए बैनर बनाकर प्रदर्शित किये गये।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व :

- बैंक के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की पहलें, बैंकिंग से भी आगे बढकर रहीं और इससे वह नैतिक मूल्यों का आदर करता है तथा लोगों, समुदायों और प्राकृतिक पर्यावरण का पोषण करता है।

- सुदृढ कॉर्पोरेट होने की वजह से बैंक, समूह के हितार्थ कई पहल कर रहा है तथा भारतवासियों की सेवा करने का प्रतिबद्धता रखता है। बैंक अपनी लोकोपकारी सेवाओं पर गर्व करता है और हाल ही में कई लोगों के जीवन को छूने और सकारात्मक परिवर्तन लाने में बैंक सफल हुआ है तथा इसके लिए कई पुरस्कार प्राप्त किया है।

- एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में बैंक ने विभिन्न योगदान करते हुए जरूरतमंद एवं सुविधाओं से वंचित लोगों वर्गों को सहारा प्रदान किया है।

- **स्वच्छ भारत अभियान :** अरपूकरा श्री सुब्रमणिय स्वामी मन्दिर में शौचालय के निर्माण को प्रायोजित किया गया।

- **महिलाओं का सशक्तिकरण :** बैंक ने थैकॉड में शिशु कल्याण हेतु केरल राज्य परिषद (केएससीसीडब्ल्यू) भवन में अनुरक्षण के कार्य को प्रायोजित किया।

- **समावेशी विकास :** बैंक ने विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों में सेलम स्मार्ट सिटी परियोजना, तंजाऊर मुनिसिपल कॉर्पोरेशन और चिकमगलूर कॉर्पोरेशन की सहायता की।

- **हरित पहल :** वीआईटी युनिवर्सिटी, वेल्लूर द्वारा स्थापित 'ग्रीन वेल्लूर परियोजना' का प्रायोजन

- एनआईईपीएमडी को, वैयक्तिकों के लिए एसिस्टिव डिवाइज़ एण्ड इन्कम जेनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत प्रायोजन।

सीएसआर की मुख्य बातें :

- ग्रामीण गरीब, दिव्यांग समुदाय और वृद्धाश्रमों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों और नेत्रविहीन एवं कई असमर्थताओं से पीडित व्यक्तियों को सहायता

बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में 111वें स्थापना दिवस समारोह में श्री किशोर खरात, बैंक के प्रनि एवं मुकाअ ने मंगैयर मंगलम, एनजीओ को प्रयुक्त कम्प्यूटर, पद्मम ब्लाइंड गर्ल्स हॉस्टल को सीसीटीवी कैमरा और कई असमर्थताओं से पीडित व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय संस्थान के लिए सिलाई की मशीनें प्रदान की।

Internal Communication

- To strengthen the internal communication, Bank's newsletter – IndImage has been revamped and is being released on a quarterly basis. The newsletter encourages employees to contribute poems, drawings, essays, achievements of employees' children etc in order to make the magazine more participatory and interactive. "Sudoku" competition is also being conducted and prizes have been distributed to the winners of the competition.

- Information on various events of the Bank like birthday celebrations, launch of Tech products, CSR initiatives, etc were regularly disseminated to employees through Helpdesk and 'Ind Kutumb' a closed Facebook group for employees. Banners were also displayed to make employees aware about various National and International Days like World Water Day, World Environment Day, Constitution Day etc.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

- Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives of the Bank extended beyond banking and lead it to honor ethical values and respect people, communities and the natural environment.

- As a strong corporate, Bank is taking up various initiatives for the benefit of the society with the commitment to serve the people of India. Proud of its humanitarian services, Bank has achieved many accolades in recent past to touch many lives and bring in positive change.

- Bank as a responsible Corporate Citizen worked to reach out to the needy and marginalized population through various contributions:

- **Clean India Movement:** Sponsorship to construct the toilet in Arpookara Sree Subramania Swamy Temple.

- **Women Empowerment:** Bank extended sponsorship for maintenance work of Kerala State Council for Child Welfare (KSCCW) building at Thycaud.

- **Inclusive Growth:** Bank supported Salem Smart City project, Thanjavur Municipal Corporation and Chickmagalur Corporation in various developmental activities.

- **Green Initiative:** Sponsorship for Green Vellore project established by VIT University.

- Sponsorship for Assistive Device and Income Generation Programme for individual to NIEPMD.

CSR Highlights:

Support to Rural Poor, differently-abled community and Senior citizens living in Old age home, Blind and persons with multiple disabilities.

Shri Kishor Kharat, MD& CEO, donated used Computers to Mangaiyar Mangalam NGO, CCTV camera to Padmam Blind Girls Hostel and Sewing machines to National Institute for the Employment of persons with multiple disabilities during the Bank's 111th Foundation Day celebration at Corporate Office.

सैंथोम में मूक बधिर विद्यालय के छात्रों को नोटबुक एवं भेंट प्रदान किये गये।

नवनियुक्त प्रशिक्षार्थियों को विश्रान्ति वृद्धाश्रम में सीएसआर के कार्यकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उनको भोजन दिया गया और एक संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसे वयोवृद्धों ने पसंद किया और सराहना की।

श्री नागराजन, मप्र (सीसीडी)ने गरीब स्पोर्ट्स छात्रों को अंडे एवं दूध वितरित किये।

एसईईआरएस (सामाजिक–आर्थिक शिक्षा एवं पुनर्वास समिति) के कार्यकलापों का समर्थन :

एसईईआरएस, जोकि 30 अनाथ / बेघर बालिकाओं को आश्रय देता है, में निवास करनेवाली बालिकाओं को पुस्तकालय स्थापित कर, प्रयुक्त कम्प्यूटर, पुस्तके एवं वर्दी वितरित करते हुए सहायता दी गई।

कैन्सर जागरूकता शिविर

पेण नलम और श्री एएमकेएम जैन केन्द्र, पुरसैवाक्कम के साथ मिलकर 1000 महिलाओं के लिए आयोजित किया गया। निःशुल्क पैप स्मियर और मैमोग्राम जांच आयोजित की गयी।

Donated Notebooks and Gifts to Deaf & Dumb School students at Santhome.

Encouraged newly recruited trainees to participate in the CSR activities at Vishranthi Old age home; provided dinner and presented music program which was much appreciated and enjoyed by the elders

Shri Nagarajan, GM (CCD), distributed Egg & Milk to the poor Sports students.

Supporting Activities to SEERS (Socio Economic Education & Rehabilitation Society

Supported SEERS, a Girls home for 30 orphans/ homeless children by providing a library, used computers, distribution of books and uniforms to the inmates.

Cancer Awareness Camp

Organized for 1000 women in association with Penn Nalam and Sri AMKM Jain Centre, Purasawalkkam. Free Pap Smear and Mammogram tests were conducted

एनआईईपीएमडी, मुट्टुक्काडु में आसपास के गांवों के विकलांग बच्चों की माताओं के लिए आयोजित। निःशुल्क पैप स्मियर और मैमोग्राम जांच की गयीं और इस शिविर में भाग लेनेवाले 100 हिताधिकारियों को रिपोर्ट दी गयीं।

कॉलेजों और अस्पतालों में सहायक कार्यकलाप :

प्रोत्साहन कक्षाएं आयोजित की गयीं, जिसमें केन्द्रित ध्यान, विभिन्न तबकों से आनेवाली बालिकाओं को संरक्षण और परवरिश प्रदान करना रहा। **''अवर शोल्डर्स फाउण्डेशन''** जोकि एक एनजीओ है, के सहयोग के साथ अध्यापकों के लिए व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम आयोजित किये गये ताकि प्रतिभागियों की आत्म–निर्भरता का निर्माण, आत्म सम्मान की बढोत्तरी और समग्र व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करते हुए बालिकाओं के लिए एक पुस्तकालय बनाया गया। सरकारी बालिका होम, चेन्नै में बालिकाओं के शारीरिक एवं मानसिक योग्यता को बेहतर बनाने के लिए बैंक ने कृष्णमाचारी योग मन्दिरम के साथ एक वर्षीय निःशुल्क योग कक्षाओं का शुभारंभ किया तथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उनको 'टी–शर्ट' दिये।

सेंट थेरेसा कॉलेज, एर्णाकुलम, केरल में, जहां की अधिकांश छात्राएं गरीब एवं सामाजिक रूप से पिछडे मछुआरों के समुदाय से हैं, कक्षाएँ और शौचालय के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की गई।

महिलाओं एवं बच्चों के लिए सरकारी अस्पताल, पालक्काड, केरल को वाशिंग मशीनें प्रदान की गयीं।

Organised for mothers of disabled children and women from nearby villages at NIEPMD, Muttukadu, Chennai. Free PAP smear and mammogram tests were taken and reports were given to 100 beneficiaries who participated in the camp.

Supporting Activities to Colleges and Hospital

Motivational classes were organised with the prime focus in giving protection and care for girl children who come from varied backgrounds. Personality development programmes were organized for teachers in association with Our Shoulders Foundation, an NGO to build self-confidence, enhance self-esteem and improve overall personality of the participants. A library was created for girl children by providing free books and also supported them by providing food to all children during their three-day excursion to Erode. Bank in association with Krishnamachari Yoga Mandiram organised one year free yoga classes with an aim to improve physical and mental fitness of the girl children at Government Home for Girls, Chennai and presented T-Shirts on International Yoga Day.

Supported St. Teresa's College, Ernakulam, Kerala for construction of classrooms and toilets for the benefit of students mostly hailed from poor and socially backward fishermen community.

Sponsored Washing Machines to Government Hospital for Women and Children, Palakkad, Kerala.

कारगिल वीरों का सम्मान

कारगिल वीरों के सम्मान में अफसर प्रशिक्षण अकादमी और वार मेमोरियल के पास बैनर लगाये गये।

कारगिल विजय दिवस को शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं के लिए चलाये जानेवाले निम्मति होम में साड़ियाँ और फल देते हुए उसको सहारा दिया गया।

- सुश्री आर दिव्या, जोकि बेघर/बिन माँ की बच्ची है और जिसे इंडियन बैंक द्वारा गोद लिया गया है, अब बैंक के सहारे के साथ नर्सिंग पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रही है।

- बैंक ने कुछ गाँवों को अपनाया है और वहाँ कल्याण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। डॉ० अम्बेडकर के जन्म दिवस पर कामराजपुरम गाँव (मणली न्यू टाउन) में, जो चेन्नै नार्थ अंचल का एक अपनाया गया गाँव है, बैंक ने एक चिकित्सीय जांच शिविर आयोजित किया और वहां की सीनियर / जूनियर फुटबाल टीम को वर्दी और फुटबाल वितरित किये।

शाखाओं / अंचलों के जरिये पूरे भारत में रक्त / अंग दान शिविर तथा स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर आयोजित किये गये।

कार्यपालक निदेशक श्री ए.एस. राजीव ने इमेज में प्रशिक्षार्थियों के लिए आयोजित रक्तदान जागरूकता शिविर का उद्घाटन किया।

कार्यपालक निदेशक श्री एम. के. भट्टाचार्य ने कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर में भाग लिया। .

Honouring Kargil heroes

Banners near Officers Training Academy and War memorial honouring Kargil heroes.

Bank supported Nimmathi Home for war-widows at Chennai on Kargil Vijay Diwas by providing sarees, fruits.

- Ms. R. Divya, a homeless/motherless girl and an adopted daughter of Indian Bank is now pursuing Nursing course with the support of the Bank.

- Bank has adopted some of the villages and executing welfare activities. On Dr. Ambedkar's birthday at Kamarajapuram (Manali New Town), an adopted Village of Chennai North Zone, Bank conducted a medical camp and donated uniforms, Footballs to the Senior/Junior Football team.

Pan-India Blood/Organ Donation and Health & Eye check-up camps were organised through the Branches/ Zones

ED Shri. A.S.Rajeev inaugurated the Blood donation awareness & Camp conducted for trainees at IMAGE.

ED Shri. M.K. Bhattacharya participated the Blood donation camp conducted at Corporate Office.

कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर

एनआईईपीएमडी में कैन्सर जागरूकता कार्यक्रम और पैप स्मियर तथा मैमोग्राम जांच के जरिये कैन्सर का पता लगाने का कार्यक्रम

नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पर्सन्स वित मल्टिपल डिसएबिलिटीज, चेन्नै में पीएचडी का अध्ययन करनेवाले दृष्टि–बाधित व्यक्ति को बैंक ने लैपटाप प्रदान किया।

कायद–ए–मिल्लत सरकारी कॉलेज, चेन्नै में छात्राओं के लिए पानी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु बोरवेल के निर्माण के लिए चेन्नै (दक्षिण) के मप्र/अंप्र ने एक चेक दिया।

- **स्वच्छ भारत पखवाडा :** 2014 में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुभारंभ किये गये स्वच्छ भारत के अभियान को जारी रखते हुए टीम इंडियन बैंक ने अपने सभी कार्यालयों एवं शाखाओं में स्वच्छ भारत पखवाडा मनाया। कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा वीडियो कान्फरेन्स / वीडियो कॉल के जरिये शाखाओं में सफाई के कार्यकलापों की संवीक्षा की गयी।

- **स्वच्छ भारत अभियान :** बैंक ने गवर्नमेंट कॉलेज आफ मेन, नन्दनम, चेन्नै के परिसर को साफ किया।

Voluntary Blood Donation camp at Corporate Office.

Cancer Awareness Programme and Free detection of Pap smear and Mammogram test Programme at NIEPMD.

Bank donated a laptop for a visually impaired person who is pursuing PhD at National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Chennai.

GM/ZM Chennai South presented a cheque for construction of bore-well to meet the water needs of the students of Quaid-E-Millath Govt. College, Chennai.

- Swachh Bharat Pakhwada: Continuing the crusade of Swachh Bharat Mission launched by the Hon'ble Prime Minister in 2014, Team Indian Bank observed Swachh Bharat Pakhwada at all its offices and branches. Cleaning activities of the Branches was scrutinized by the Corporate Office through Video conferences/Video calls.

- Swachh Bharat Campaign: Bank has cleaned the premises of the Govt. College for Men, Nandanam, Chennai.

- **स्वच्छ भारत मिशन :** देश भर में 108 छात्रा विद्यालयों में 108 शौचालयों का निर्माण का कार्य जारी है। वर्ष 2017–18 के दौरान बैंक ने विभिन्न स्कूलों में (तिरुवनन्तपुरम – 3, तिरुच्ची – 6 और वेल्लूर – 4) 13 शौचालयों का निर्माण किया।

- **हरित बनें अभियान :** यह बैंक के नेमी कार्यकलाप का अंश है। प्रत्येक विशेष समारोह / कार्यक्रम में बैंक पौधारोपण कर रहा है और अब तक भारत भर में बैंक ने 4 लाख पौधे लगाये हैं।

कॉर्पोरेट कार्यालय

नन्दनम आर्ट्स कॉलेज, चेन्नै

भुबनेश्वर

मुंबई

तिरुनेलवेली

- Swachh Bharat Mission: Construction of 108 Toilets in Girls Schools across the country is in progress. During the year 2017-18, Bank has constructed 13 toilets in various schools (Thiruvananthapuram – 3, Trichy – 6, Vellore – 4).
- Go Green Drive - A part of the Bank's routine activity. In every special occasions/events, Bank has been planting the saplings and so far has planted more than 4 lakh saplings Pan India.

Corporate Office

Nandanam Arts College, Chennai

BHUBANESHWAR

Mumbai

TIRUNELVELI

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट –2017–18

खण्ड एः कंपनी का सामान्य परिचय

1. कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
2. कंपनी का नाम	इंडियन बैंक
3. पंजीकृत पता	66, राजाजी सालै, चेन्नै - 600 001
4. वेबसाइट	www.indianbank.in
5. ई–मेल	indmail@indianbank.co.in
6. रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष	2017-18
7. कंपनी के व्यावसायिक क्षेत्र (औद्योगिक गतिविधि कोड–वार)	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं
8. 3 मुख्य उत्पाद/सेवाएँ जो निर्माता देता है (तुलन पत्र के अनुसार)	जमा उत्पाद, ऋण उत्पाद एवं प्रेषण आदि
9. स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापार गतिविधियां की जाती है। **स्थानों की कुल संख्या**	
I. राष्ट्रीय	31.03.2018 तक 2820 शाखाएँ सिंगापुर, कोलंबो और जफना
II. अंतर्राष्ट्रीय	3 (सिंगापुर, कोलंबों एवं जाफना)
10. कंपनी द्वारा जिन बाज़ारों में सेवा प्रदान की जाती है – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	**29 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं है और सिंगापुर एवं श्रीलंका में बैंक की अंतराष्ट्रीय उपस्थिति है।**

खंड बी: कंपनी के वित्तीय ब्यौरे

1) प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपये)	**₹ 480.29 करोड़**
2) कुल कारोबार (भारतीय रुपये)/राजस्व	**₹ 3,71,020 करोड़ (कुल कारोबार)**
3) कर चुकौती के बाद कुल लाभ (भारतीय रुपये)	**₹ 1258.99 करोड़**
4) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कर चुकाने के बाद लाभ के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सीएसआर पर व्यय अनिवार्य नहीं है। तथापि बैंक ने रुपए 5,72,06,655/– खर्च किया है।

5) गतिविधियों की सूची जिसमें उक्त (4) पर व्यय हुआ है।

(₹लाखों में)

क्रमसं	सीएसआर गतिविधियाँ	राशि
1.	समावेशी प्रगति	1,66,21,630/-
2.	हरित पहल और पर्यावरण धारणीयता	8,60,000/-
3.	लिंग समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण	5,25,525/-
4.	व्यावसायिक कौशल और वित्तीय कौशल बढाना	3,91,99,500/-
	कुल	**5,72,06,655/-**

Business Responsibility Report – 2017-18

Section A : General Information about the Company

1. Corporate Identity Number: (CIN) of the Company	Not Applicable
2. Name of the Company	Indian Bank
3. Registered Address	66, Rajaji Salai, Chennai 600 001
4. Website	www.indianbank.in
5. Email	indmail@indianbank.co.in
6. Financial Year Reported	2017-18
7. Sectors that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Financial Services
8. List of 3 key products/services that the manufacturers provides (as in Balance Sheet)	Deposit Products, Loan Products and Remittances etc.
9. Total number of locations where: business activity takes is undertaken by the Company **No of Locations** I. National II. International	 2820 as on 31.03.2018 3 (Singapore, Colombo, Jaffna)
10. Markets served by the Company-Local/State/National/International	Bank has branches in 29 States and 6 Union Territories and International presence in Singapore and Sri Lanka.

Section B: Financial Details of the Company

1) Paid up Capital (INR)	₹ 480.29 crore
2) Total Turn Over (INR)/Revenue	₹3,71,020 crore (Total Business)
3) Total profit After Tax(INR)	₹ 1258.99 crore
4) Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of Profit after Tax (%)	CSR spending is not mandatory for PSBs. However, Bank has spent ₹5,72,06,655/-

5) List of the activities in which expenditure on 4 above has been incurred

(₹in Lakhs)

Sl. No.	CSR activity	Amount
1.	Inclusive Growth	1,66,21,630/-
2.	Green Initiatives and Environment Sustainability	8,60,000/-
3.	Gender Equality and Women Empowerment	5,25,525/-
4.	Enhancing vocational skills and Financial Skills	3,91,99,500/-
	Total	**5,72,06,655/-**

खंड सी : अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी/कंपनियां है ?	हाँ ए. इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड। बी. इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड।
2. क्या अनुषंगियां: मूल कंपनी की बीआर पहल को कार्यान्वित करती है, यदि हाँ, तो ऐसी अनुषंगियों की संख्या प्रस्तुत करें।	मेसर्स इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड ने वर्ष 2017–18 के दौरान स्वतंत्र रूप से बीआर पहल की हैं। कंपनी ने वर्ष के दौरान सीएसआर पहल के लिए 5.00 लाख रुपए खर्च किये हैं।
3. क्या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, (जैसे प्रदायक, वितरक आदि) कंपनी की बीआर पहलों में भागीदारी निभाती हैं ? यदि हाँ, तो यह दर्शाएँ कि ऐसी संस्थाओं का प्रतिशत कितना है (30 प्रतिशत से कम, 30 से 60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक)	नहीं

खंड डी: बीआर जानकारी

1. बीआर के प्रति उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों के विवरण।

I. बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण।

डीआईएन संख्या	
नाम	**श्री ए एस राजीव**
पदनाम	कार्यपालक निदेशक

II. बीआर प्रमुख का विवरण निम्न प्रकार है

क्रम सं	विवरण	ब्यौरा
1	डीआईएन सं (अगर लागू हो तो)	लागू नहीं
2	नाम	**श्री एम नागराजन**
3	पदनाम	महाप्रबंधक
4	टेलीफोन संख्या	044 28134568
5	ईमेल आईडी	nagarajan.m@indianbank.co.in

C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies	Yes a. Indbank Merchant Banking Services Ltd. b. Indbank Housing Ltd
2. Do the subsidiaries implement : BR initiatives of the parent company If YES, then indicate the number of such subsidiaries.	M/s IndBank Merchant Banking Services Limited has independently taken BR initiatives during the year 2017-18. The Company has spent ₹ 5.00 lakhs during the year towards CSR initiatives.
3. Do any other entity/ entities (e.g., suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? (Less than 30%, 30% -60%, more than 60%)	No

Section D: BR Information

1. Details of Director/ Directors responsible to BR

I. Details of the Director/ Directors responsible for implementation of the BR policy/policies

DIN Number	
Name	Shri A.S. Rajeev
Designation	Executive Director

II. **Details of the BR head – as below**

S. No	Particulars	Details
1	DIN No (if applicable)	NA
2	Name	Shri M Nagarajan
3	Designation	General Manager
4	Telephone No.	044 28134568
5	e-mail-id	nagarajan.m@indianbank.co.in

2. सिद्धांत–वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति /नीतियाँ (हाँ/नहीं में जवाब दें)

क्रम सं	प्रश्न	कारोबारी आचार	उत्पाद जिम्मेदारी	कर्मचारियों का कल्याण	स्टेक धारक की वचनबद्धता	मानव अधिकार	पर्यावरण	जन नीति	समावेशी विकास	ग्राहक संबंध
1	क्या आपके पास इनके लिए नीति / नीतियां हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या यह नीति संबन्धित स्टेकधारकों से परामर्श के बाद बनाई गई हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	क्या यह नीति किसी भी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है ? यदि हाँ ,तो (50 शब्दों में बताएं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है ? यदि हाँ, तो क्या वह सक्षम प्रनि / स्वामी / मुकाअ /उपयुक्त बोर्ड के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है ।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5	क्या कंपनी की नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड / निदेशक/ अधिकारी की एक निर्दिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6	नीति को ऑनलाइन देखे जाने के लिए लिंक दें ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7	क्या नीति के बारे में औपचारिक रूप से सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाहरी स्टेक धारकों को सूचित किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8	क्या कंपनी की नीति / नीतियों को लागू करने के लिए आंतरिक संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9	क्या कंपनी की नीति/ नीतियों से संबंधित, संबंधित हितधारकों के पते "शिकायत निवारण" पते उपलब्ध हैं ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10	क्या आंतरिक या बाहरी एजेंसियों द्वारा कंपनी की इस नीति की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन किया गया है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy / Policies: (Reply in Y / N)

Sl No.	Questions	Business Ethics	Product Responsibility	Well being of Employees	Stakeholder Engagement	Human Rights	Environment	Public Policy	Inclusive growth	Customer relations
1	Do you have a policy/policies for	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	Does the policy confirm to any national / international standards? If yes, specify? *(50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD / Owner / CEO / appropriate Board Director	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board / Director / Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	Does the company have in-house structure to implement the policy / policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	Does the company have grievance redressal mechanism related address stakeholders' grievances related to the policy / policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	Has the company carried out independent audit / evaluation of the working of this policy by internal or external agencies?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

2ए. यदि क्र.सं. 1 से किसी भी सिद्धांत के आगे जवाब 'नहीं' है, तो ऐसा क्यों है कृपया समझाएं (2 विकल्पों पर टिक लगाएँ)

क्रम सं	प्रश्न	पृ1	पृ2	पृ3	पृ4	पृ5	पृ6	पृ7	पृ8	पृ9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है।									
2	कंपनी ऐसी स्थितियों में निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार करने और लागू करने की स्थिति में नहीं है ।									
3	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या मानव शक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं ।						लागू नहीं			
4	इसे अगले 6 महीनों के भीतर किए जाने की योजना बनाई गई है।									
5	इसे अगले 1 साल के भीतर किए जाने की योजना बनाई गई है ।									
6	कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

3. बीआर से संबन्धित अभिशासन

▪ उस बारंबारता को दर्शाएं जिसके साथ निदेशक मण्डल, मण्डल की समिति या सीईओ, कंपनी के बीआर निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं।	▪ चूँकि कारोबार का दायित्व सम्पूर्ण बैंकिंग को शामिल करता है, अतः विभाग की संबन्धित नीतियां पृथक रूप से तैयार/नवीकृत की जाती है और बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।
▪ क्या कंपनी एक बीआर या एक धारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है ? इस रिपोर्ट को देखने के लिए कौनसी हायपरलिंक है ? कितनी बारंबारता से इसे प्रकाशित किया गया है।	▪ यथासमय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी ।

खंड ई : सिद्धांत–वार निष्पादन

सिद्धांत 1: कारोबार को आचार नीति, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ अपना व्यवहार एवं संचालन करना चाहिए।

1. क्या आचार नीति, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबन्धित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? क्या यह समूह/ संयुक्त उद्यम/ संपूर्तिकर्ता/ ठेकेदारों/ एनजीओ/ अन्य को भी कवर करती है?	● ग्राहकों को बैंक के साथ किए जाने वाले अपने लेनदेनों में संतोषजनक सेवा की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2006 में भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) को एक स्वतंत्र स्वायिक पर्यवेक्षक के रूप में स्थापना की। ● बीसीएसबीआई ने ''ग्राहकों के प्रति बैंक प्रतिबद्धता संहिता – जनवरी 2018'' में तथा ''सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता–अगस्त 2015'' में प्रकाशित किया है, जो बैंकों के लिए ग्राहक सेवा में अनुकरण हेतु बैंकिंग कार्य–प्रणाली और बेंचमार्क के न्यूनतम मानकों को निर्दिष्ट करता है। ● बैंक बीसीएसबीआई का सदस्य है और इसलिए इसने उपर्युक्त संहिताओं को अपने ग्राहकों के साथ लेनदेन करने में न्यायोचित व्यवहार कोड के रूप में स्वेच्छा से अपनाया है। ● बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता को अभिग्रहीत करने हेतु रखा गया है। ● संहिता की पूर्ण प्रति www.indianbank.in पर उपलब्ध है।

2a. If the answer to S. No. 1 against any principle is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

Sl No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The company has not understood the Principles									
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task						**NA**			
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within next 1 year									
6	Any other reason (Please specify)									

3. Governance related to BR

▪ Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the company	▪ As the Business Responsibility encompasses a whole spectrum of Banking, Department relevant Policies are framed/ renewed individually and approval of Board obtained.
▪ Does the company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	▪ Would be made available in due course on website.

Section E: Principle-wise-performance

Principle 1: Business should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Does it extend to the group/ Joint Venture/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ Others?	● In February 2006, Reserve Bank of India set up the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) as an independent autonomous watchdog to ensure that customers get fair treatment in their dealings with Banks. ● The BCSBI has published the "Code of Banks' Commitments to Customers-January 2018" and "Code of Commitment to Micro and Small Enterprises – August 2015" which set out minimum standards of banking practice and benchmarks in customer service for banks to follow. ● Bank is a member of BCSBI and has therefore, voluntarily adopted the above Codes as its Fair Practice Code in dealings with its customers. ● Code of commitment to customers has been placed to the Customer Service Committee of the Board for adoption. ● Complete copy of the Code is available at www.indianbank.in

	● "इंडियन बैंक का सिटिजन्स चार्टर" बैंक की शाखाओ में ग्राहकों हेतु उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं / सेवाओं पर महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता हैं। ● सिटिजन्स चार्टर के साथ संहिता, बैंक में ग्राहकों के साथ किए जाने वाले लेन–देनों में उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करेगा।
2. पिछले वित्तीय वर्ष में स्टेक होल्डरों से कितनी शिकायतें प्राप्त की गईं और कितने प्रतिशत शिकायतों का प्रबंधन द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया? यदि ऐसा हुआ है तो लगभग 50 शब्दों में उनका विवरण उपलब्ध कराएं।	● कॉका : ग्राहक सेवा केंद्र, ग्राहक शिकायत निवारण से संबद्ध मामले की देख–रेख करता है। ● बैंक ने मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) की शुरुआत की है। सभी माध्यमों से प्राप्त शिकायतों एवं 24 घंटे से अधिक समय तक लंबित अनसुलझे मामलें एसपीजीआरएस के पास आ जाते हैं। ग्राहक भी एसपीजीआरएस द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ● ग्राहक शिकायत निवारण एवं सेवाओं में कमी के लिए ग्राहकों को दिए जानेवाले मुआवजे पर बने नीति के अनुसार, बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए 21 दिनों की अधिकतम समय सीमा रखी है। ● हालांकि, अधिकांश शिकायतों को 5–7 दिनों के औसत समय के भीतर ही निपटा लिया जाता है।
वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	99
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	35,039
वर्ष के दौरान निपटायी गई शिकायतों की संख्या	34,863
वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	275
निपटायी गई शिकायतों का प्रतिशत	99.49%

सिद्धांत–2 : कारोबार को ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूर्ण जीवन–काल तक धारणीयता बनाए रखने में योगदान दें।

1. अपने तीन उत्पाद या सेवाओं को सूचीबद्ध करें जिसकी रूपरेखा ने सामाजिक या पर्यावरण संबंधी व्यवसाय, जोखिम/ और/या सुअवसर शामिल किया हों ।	बैंक निम्नलिखित वित्तीय सेवाएँ प्रस्तुत करता है जो सामाजिक कारोबारों और सुअवसरों को सम्मलित करती है। ● स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ● वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) ● इंडियन बैंक स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (इंडसेटी) वर्ष 2017–18 के दौरान, पवन / सौर / बायोमास सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रु.48.44 करोड़ की राशि मंजूर की गई जो हरित ऊर्जा को सशक्त बनाने में सहयोग कर सकता हैं।

	● "Citizens' Charter of Indian Bank" provides key information on various facilities/services provided to customers in the branches of the Bank ● The Code together with the Citizens' Charter will ensure high standards of accountability, responsibility and transparency in the Bank's dealings with customers.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	● CO: Customer Service Cell deals with Customer grievance redressal. ● Bank has introduced Standardised Public Grievance Redressal System (SPGRS). All the complaints received through all modes and pending unresolved for more than 24 hours are entered in SPGRS. Customers also can lodge online complaints through SPGRS. ● As per the Policy on Customer Grievances Redressal and Compensation to customers for deficiency in services, Bank has adopted a maximum timeframe of 21 days for redressing customer grievances. ● However most of the grievances are redressed within an average time of 5-7 days.
No. of complaints pending at the beginning of the year	99
No. of complaints received during the year	35039
No. of complaints redressed during the year	34863
No. of complaints pending during the year	275
% age of complaints resolved	99.49%

Principle 2 : Business should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/ or opportunities.	Bank offers the following financial services which has incorporated social concerns and opportunities · Self Help Groups (SHGs) · Financial Literacy Centres (FLCs) · Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) During 2017-18, an amount of ₹ 48.44 crore was sanctioned towards Renewable energy projects including Wind/Solar/Biomass which can strengthen the Green Energy.

2. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के संबंध में प्रति इकाई (वैकल्पिक) संसाधन (ऊर्जा, जल, कच्चा माल) के प्रयोग के संबंध में ब्यौरे दें। i) क्या पिछले वर्ष के प्रारम्भ से अंत तक मूल्य श्रृंखला के दरमियान स्रोत / उत्पाद / वितरण में कटौती प्राप्त की गई है? ii) क्या पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग में (ऊर्जा, जल) कटौती हुई है?	i. एलईडी फिक्स्चर की शुरूआत के साथ, जहां भी स्थापित हो, लाइटिंग पर होनेवाली बिजली की खपत लगभग 40 प्रतिशत तक कम हो गई। ii. कॉर्पोरेट कार्यालय और प्रधान कार्यालय में छत के ऊपर सौर पैनलों के स्थापन के साथ, दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष में बिजली बिल में लगभग रुपये 9.00 लाख की बचत हुई। iii. एसटीपी के माध्यम से, गंदे पानी को सर्कुलेट किया गया तथा प्रतिदिन लगभग 20.000 लीटर पानी का पुनर्चक्रण किया जाता है और इस प्रकार पानी पर होनेवाले खर्च से रु. 5.22 लाख की बचत हुई।
3. क्या कंपनी धारणीय सोर्सिंग (परिवहन को मिलाकर) के लिए कोई प्रक्रिया विधि अपना रही है? i) यदि हाँ, तो आपके इनपुट स्रोत का क्या प्रतिशत धारणीय रूप से प्राप्त किया गया था? लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।	**लागू नहीं** **लागू नहीं** सभी वित्तीय उत्पाद हैं और पूरे परिचालन क्षेत्र को इन्हें सिखाने का लक्ष्य रहा हैं।
4. क्या कंपनी ने अपने कार्य स्थल के आसपास के समाज सहित सूक्ष्म एवं लघु उत्पादकों से वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाया है? यदि हाँ, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता को उन्नत करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?	हाँ ▪ परिवहन कीमत और समय अंतराल को कम करने के उद्देश्य से वस्तुएं नजदीकी विक्रेताओं से अधिमान्य रूप से प्राप्त की जाती हैं।
5. क्या कंपनी के पास उत्पादों और बेकार वस्तुओं का पुनर्चक्रण करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो उत्पादों और बेकार वस्तुओं के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है? (पृथक रूप से, जैसे 5% से कम, 5% से 10% आदि)। लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।	हाँ, कार्पोरेट कार्यालय रायपेट्टा में <5% से कम ● गन्दे पानी के शुद्धिकरण हेतु संयत्र 20,000 लिटर प्रतिदिन के आउटपुट के साथ कार्पोरेट कार्यालय रायपेट्टा में उपलब्ध कराई गई है।

सिद्धांत–3 : कारोबार सभी कर्मचारियों की सुख समृद्धि का बढावा करें।

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या दें	20,065
2. कृपया अस्थायी संविदात्मक / अनौपचारिक आधार पर काम पर लगाये गए कर्मचारियों की पूर्ण संख्या दें :	शून्य
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं	6624
4. कृपया स्थायी विकलांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ:	378
5. क्या आपका कोई कर्मचारी संगठन है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है ?	हाँ
6. आपके कर्मचारियों में से इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन के सदस्यों का क्या प्रतिशत है?	अधिकारी : – 84.40% अवार्ड स्टाफ: – 72.91%

2. For each such product, provide in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional): i) Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since previous year?	i. With the introduction of LED fixtures, the power consumption from lighting was brought down to almost 40% wherever installed. ii. With the implementation of Roof top solar panels at Corporate Office and Head Office, there was a saving of about ₹ 9.00 lakh from the electricity bill, in the year ending 31.03.2018. iii. Through STP, the sewage water was circulated and about 20,000 liters of water per day is recycled, thereby a saving of ₹ 5.22 lakh p.a. towards water charges.
3. Does the company have proceedings in place for sustainable sourcing (including transportation) i) If yes, What percentage of your inputs was sourced sustainability? Also provide details thereof in about 50 words or so	NA NA All are financial products aiming to reach the entire operational area.
4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	Yes ▪ Preferably, the materials are sourced from nearby vendors to reduce the transportation cost and time lag.
5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5%-10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	Yes, at Corporate Office, Royapettah <5% ● Sewage Treatment Plant is provided at Corporate Office, Royapettah with an output of 20,000 liters / day.

Principle 3 : Business should promote the well-being of all employees.

1. Please indicate the Total number of employees	20,065
2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/ contractual/ casual basis	Nil
3. Please indicate the number of permanent women employees	6624
4. Please indicate the permanent number of employees with permanent disabilities	378
5. Do you have an employee association that is recognized by the management	Yes
6. What is the percentage of your employees is members of this recognized employees association	Officers – 84.40% Award Staff – 72.91%

7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित बाल मज़दूरी, बंधुआ मज़दूरी, अनिच्छा मज़दूरी, यौन उत्पीडन से संबंधित शिकायतों की संख्या दर्शाएँ।	<table><tr><td>शिकायतें</td><td>बाल मज़दूर</td><td>बंधुआ मज़दूर</td><td>अनिच्छा मज़दूर</td><td>यौन उत्पीडन</td></tr><tr><td>प्राप्त शिकायतों की संख्या</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>लंबित शिकायतों की संख्या</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>
8. अधोलिखित आपके कर्मचारियों को पिछले वर्ष में दी गई सुरक्षा और कुशलता उन्नयन प्रशिक्षण का प्रतिशत क्या है ?	अधिकारी 61.10% लिपिक 49.88% अधीनस्थ कर्मचारी 17.78%

सिद्धांत 4 : कारोबारों को सभी स्टेकधारकों, खासकर वंचित, पिछड़े हुए, मामूली स्टेकधारकों के हितों का सम्मान और रक्षा करनी चाहिए।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाहृय स्टेकधारकों का वर्गीकरण किया है ? हाँ / नहीं	**हाँ** ● शेयरधारकों को विविध वर्गों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात: सरकारी, विदेशी संस्थागत निवेशक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड्स, बैंक और वैयक्तिक। ● ग्राहकों को बड़े कार्पोरेट, मध्यम कार्पोरेट, छोटे एवं मध्यम उद्यम एवं खुदरा ग्राहकों के रूप में विभाजित किया गया है। ● मासंप्र विभाग, बैंक कर्मचारियों के हित में कार्य करता है।
2. उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने वंचित, पिछड़े हुए और मामूली स्टेकधारकों की पहचान की है?	हाँ ● इंडियन बैंक ने वंचित, पिछड़े और मामूली स्टेकधारकों की पहचान की है, जिनमें छोटे और मामूली किसान, किरायेदार व पट्टेदार किसान, भूमिरहित मजदूर एवं ग्रामीण महिलाओं को शामिल किया गया है। उनको किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि जेवर ऋण, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई) आदि विशेष ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, पिछड़े हुए और मामूली स्टेकधारकों के हित में विशेष पहल की गई है? यदि ऐसा है तो उसका विवरण 50 शब्दों में दें।	● बैंक ने पीएमजेडीवाई के तहत वित्तीय सहायता से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। ● बैंक ने मार्च 2018 तक और शुरुआत से 3.22 लाख व्यक्तियों को 19 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) के माध्यम से वित्तीय परामर्श प्रदान किया है। ● बैंक ने इंडियन बैंक स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान" (इंडसेटी) के नाम पर 12 केन्द्रो में आरसेटी की स्थापना की है और शुरुआत से मार्च 2018 तक 1,779 बैचों के माध्यम से 49,656 व्यक्तियों को स्व–रोजगार प्रशिक्षण प्रदान किया है।

सिद्धांत 5 : कारोबारों को मानव अधिकार का सम्मान और बढावा देना चाहिए।

1. क्या मानव अधिकार पर कंपनी की नीति सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह/ संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ता/संविदाकार/ एनजीओ / अन्य तक भी विस्तारित है ?	हाँ ● बैंक के पास कोई अलग मानव अधिकार नीति नहीं हैं। तथापि ये पहलू बैंक की मानव संसाधन नीति और व्यवहार के तहत कवर किए गए हैं।
2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने स्टेकधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक हल किया गया था?	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या–45 निपटायी गयी शिकायतों का प्रतिशत – 100%

7. Please indicate the Number of complaints relating to child labor, forced labor, involuntary labor, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year	<table><tr><th>Complaints</th><th>Child labour</th><th>Forced labour</th><th>Involuntary labour</th><th>Sexual harassment</th></tr><tr><td>Number received</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>Number Pending</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>
8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?	Officers 61.10% Clerks 49.88% Substaff 17.78%

Principle 4 : Business should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/ No	Yes ● Stakeholders are classified into different categories viz. Government, Foreign Institutional Investors, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, Banks and Individuals etc ● Customers are segmented into large corporate, Mid – corporate, Small and Medium Enterprises and Retail customers. ● Human Resource Department looks after the interest of the Bank employees.
2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders	Yes ● Bank has identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders which include Small and Marginal Farmers Tenant and Leased Farmers, landless Labourers and Rural Women. They are provided with special credit facilities like Kissan Credit Card, Agri. Jewel Loan, Self Help Groups, Joint Liability Group, Prime Ministers Jan Dhan Yojana (PMJDY), etc.
3. Are there any special initiative taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	● Bank has taken steps to provide banking facilities to the financially excluded people under PMJDY ● Bank has provided financial counseling to 3.22 lakh individuals up to March 2018 through 19 Financial Literacy Centres (FLCs) since inception. ● Bank has established 12 RSETIs in the name of Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) and imparted self employment trainings to 49656 individuals through 1779 batches up to March 2018, cumulatively since inception.

Principle 5 : Businesses should respect and promote human rights

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/suppliers/ Contractors/NGOs/Others?	Yes ● Bank does not have a separate Human Rights Policy. However, these aspects are covered under Human Resources Policies and Practices of the Bank.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	No. of Complaints Received during the year-45 Percentage of complaints resolved 100%

सिद्धांत 6 : कारोबार को पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा और पुनः स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए

1. क्या सिद्धांत 6 सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह / संयुक्त उपक्रम / आपूर्तिकर्ता/ संविदाकार / एनजीओ / अन्य तक भी विस्तारित है।	हाँ
2. क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण मुद्दों जैसे मौसम परिवर्तन, वैश्विक ताप इत्यादि के विषय में नीतियां/पहल हैं? हाँ/नहीं। यदि हाँ तो वेबपेज के लिए हायपरलिंक दें।	• बगीचे/ग्रीन स्पोट्स प्रमुख क्षेत्रों पर बनाई जाती हैं। • बैंक ने हरियाली और ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखकर पूरे भारत में पौधा रोपण किया है।
3. क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिम की पहचान और आकलन करती है ? हाँ / नहीं	हाँ
4. क्या कंपनी के पास कोई स्वच्छ विकास प्रणाली से संबंधित परियोजना है? यदि हाँ तो इसका ब्यौरा लगभग 50 शब्दों में दें। यदि हाँ तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन दर्ज किया गया है?	अपने व्यवसाय के स्वरूप के कारण बैंक के पास कोई स्वच्छ विकास प्रणाली नहीं है।
5. क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी, उर्जा दक्षता, नवीकरणीय उर्जा इत्यादि पर कोई अन्य कदम उठाया है, हाँ / नहीं, यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज के लिए हायपरलिंक दें।	हाँ 1. कार्पोरेट कार्यालय बिल्डिंग में वर्षा जल का संचयन किया जाता है। 2. कार्यालयों में ऊर्जा बचाने के लिए ऊर्जा–दक्ष उपकरण लगाए गए हैं। 3. संसाधन और ऊर्जा के अपव्यय को कम करने हेतु कदम उठाए गए हैं। 4. बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, सौर ऊर्जा का उपयोग एक विकल्प के रूप में किया जाता है। 5. गन्दे पानी के शुद्धिकरण हेतु संयत्र 48,000 लिटर प्रतिदिन के आउटपुट के साथ कार्पोरेट कार्यालय रायपेट्टा में उपलब्ध कराई गई है। 6. नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान / लेनदेन को प्रभावी किया गया है। 7. क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट उन कार्डधारकों को भेजा जाता है जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत हैं। 8. वार्षिक रिपोर्ट उन शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से भेजी जाती है जिनके मेल आईडी पंजीकृत हैं। 9. विक्रेताओं, सेवा प्रदाताओं आदि को सभी प्रकार के भुगतान चेक के द्वारा न करके इलेक्ट्रानिक माध्यम से किया जाता है। वेब पेज हेतु हायपरलिंक: www.indianbank.in
6. वित्तीय वर्ष हेतु सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा अनुमत की गई सीमा के अंतर्गत कंपनी ने जितना भी उत्सर्जन / कचरा उत्पादित किया हैं, क्या उनकी रिपोर्ट की जा रही है?	लागू नहीं
7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त (जैसे संतुष्टि होने तक हल नहीं की गई) कारण बताओ/विधिक नोटिसें जो लंबित हैं, की संख्या कितनी है?	शून्य

सिद्धांत 7 : ऐसे कारोबार, जो जनता और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हुए हैं, उसे जिम्मेदार तरीके से करें।

1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चैंबर या संघ का सदस्य है? यदि हाँ, तो उनमें से प्रमुख के नाम बताए जिनके साथ आपका व्यापार होता है।	हाँ आईबीए, एनआईबीएम, आईआईबीएफ, आईबीपीएस
2. क्या आपने जनहित की प्रगति या सुधार हेतु उपरोक्त संघों द्वारा तीव्र रूप से कार्य कराया है? हाँ/नहीं : यदि हाँ तो व्यापक क्षेत्र का विवरण दें। (ड्रॉप बाक्सः शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीति, ऊर्जा सुरक्षा, पानी, खाद्य सुरक्षा संधारणीय व्यवसाय सिद्धांत अन्य)	बैंक ने समय–समय पर बैंकिंग उद्योग के सतत विकास हेतु नीति निर्माताओं और नीति निर्धारण संघों की नीतियों का समर्थन किया है।

Principle 6 : Business should respect, protect and make efforts to restore the environment.

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ others.	Yes
2. Does the Company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. if yes, please give hyperlink for webpage etc	• Gardens / green spots are maintained at prime locations. • Bank has planted tree saplings pan India to address the issue of greenery & global warming.
3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N	Yes
4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance is filed?	Given the nature of business, Bank does not have a Clean Development Mechanism.
5. Has the company undertaken any other initiative on clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc	YES 1.Rain Water Harvesting in Corporate Office Building. 2.Energy efficiency equipment installed in the offices 3.Steps taken to reduce wastage of resources and energy 4.In Regional Rural Banks sponsored by the Bank, Solar Power is used as a substitute 5.Sewerage Treatment Plant is provided at Corporate Office, Royapettah with an output of 48,000 ltrs/day. 6.Payments/transactions are effected through Net banking. 7.Credit Card Statement are sent to the cardholders whose email ids are registered 8.Annual Reports are sent through email to the Shareholders whose mail ids are registered; 9.All payments to vendors, service providers etc. are made through electronic remittances and not through cheques. Hyperlink for web-page-www.indianbank.in
6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	NA
7. Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year	NIL

Principle 7 : Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:	YES IBA, NIBM, IIBF, IBPS
2. Have you advocated /lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration. Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).	The Bank from time to time has advocated the policies to policymakers and policy-making associations, for sustainable development of banking industry.

सिद्धांत 8 : कारोबारों को समावेशी विकास और न्यायोचित विकास का समर्थन करना चाहिए

1. क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं निर्दिष्ट की है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा दीजिए	बैंक ने चित्तूर, मछलिपट्नम (आंध्र प्रदेश), कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेलूर और विल्लुपुरम (तमिलनाडु), कोल्लम चडयमंगलम तथा पारस्साला (केरल में) और पुदुच्चेरी (पुदुच्चेरी संघ शासित क्षेत्र में) में वित्तीय साक्षरता केन्द्रों के माध्यम से क्षमता वर्धक पहल की है। चेन्नै, दिल्ली और मुंबई में बैंक की वित्तीय समावेशन पहलों की दिशा में प्रवासी श्रमिकों तथा झोंपडपट्टियों के निवासियों के हित के लिए शहरी वित्तीय साक्षरता केन्द्र स्थापित किए गए हैं। अब तक इन 19 एफएलसी के माध्यम से कुल मिलाकर 3.22 लाख व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श दिए गए हैं। बैंक ने ''इंडियन बैंक स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान'' (आईएनडीएसईटीआइ) के नाम पर 12 केन्द्रों में आरएसईटीआइ की स्थापना की है जैसे चित्तूर, कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, पुदुच्चेरी, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेलूर और विल्लुपुरम। इन इंडसेटियों द्वारा 1,779 सत्रों में 49,656 अभ्यर्थियों को स्वनियोजन प्रशिक्षण दिया गया। बैंक देशभर में समाज की बैंकिंग सुविधाओं से वंचित वर्गों के लिए बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ वित्तीय समावेशन योजना को कार्यान्वित कर रहा है। अब तक बैंक ने विभिन्न सुपुर्दगी चैनलों के माध्यम से पूरे भारत में 2975 एसएसए में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया है। वित्तीय समावेशन के तहत गांवों में 33.10 लाख ग्राहकों को कवर किया गया तथा खाता धारकों को रुपये 16.12 करोड़ तक की ओवरड्राफ्ट सुविधाएं भी विस्तारित की गई।
2. क्या इन–हाउस टीम/स्वयं के संस्थान / बाहय एनजीओ सरकारी सरंचनाओं/अन्य संगठनों द्वारा कार्यक्रम/परियोजनाएं ली गई हैं ?	बैंक ने गरीब एवं दलित लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए 'ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट' (आईबीटीआरडी) के नाम से एक ट्रस्ट स्थापित किया एवं इनके द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
3. क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का कोई निर्धारण किया है ?	इंडसेटियों का असर तथा प्रभावशीलता को मानिटर करने हेतु आरसेटियों के लिए मानिटरिंग सेल द्वारा वार्षिक ग्रेडिंग के आधार पर मानिटर किया जाता है ताकि उचित प्रतिक्रिया मिलें और आगे इंडसेटियों को सुदृढ़ बनाने के किए कदम उठाये जा सके। वर्ष 2016–17 के दौरान, दस संस्थानों ने एए ग्रेड तथा दो ने एबी ग्रेड प्राप्त किया है। 2017–18 के लिए अभी ग्रेडिंग की जानी बाकी है।
4. आपके कंपनी का समुदाय विकास परियोजना में प्रत्यक्ष रूप से क्या योगदान है। आईएनआर में राशि और चलाई जा रही परियोजना के विवरण दें।	वर्ष 2017–18 के दौरान ट्रस्ट (आईबीटीआरडी) ने इंडसेटियों और एफएलसी के माध्यम से क्षमता निर्माण गतिविधियों के जरिए समुदाय विकास के लिए कुल 3.80 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है।
5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं हैं कि समुदायों द्वारा आपके प्रयासों को सफलतापूर्वक अपनाया गया है? अगर ऐसा है तो कृपया 50 शब्दों में बताएं।	प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को स्व–रोजगार गतिविधियाँ अपनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए इंडसेटियों द्वारा व्यवस्थित फॉलो–अप एवं काउन्सलिंग सेवाएं चलाई जा रही हैं। अभ्यर्थियों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पड़ोसी बैंक की शाखाओं के साथ प्रशिक्षुओं के ऋण सहबद्धता हेतु विशिष्ट प्रयास किए जाते हैं।

सिद्धांत 9 : व्यापारिक संगठनों द्वारा अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को उत्तरदायी तरीके से मूल्यवर्धन के साथ सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

1. वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें/ ग्राहक मामले का प्रतिशत कितना है?	**0.51% प्रतिशत**
2. क्या कंपनी के द्वारा स्थानीय कानून के तहत उत्पाद के लेबल पर उत्पाद की जानकारी लिखी होती हैं? हाँ / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)	**लागू नहीं**

Principle 8 : Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. 1. Does the company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle8? If yes details thereof	Bank has taken up capacity building initiatives through Financial Literacy Centres at Chittoor, Machilipatnam (Andhra Pradesh), Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram (Tamil Nadu), Kollam, Chadayamangalam and Parassala (Kerala), Puducherry (UT of Puducherry). Urban Financial Literacy Centres have been established in Chennai, Delhi and Mumbai for the benefit of migratory workers and slum dwellers as part of Bank's initiatives in financial inclusion. A total of 3.22 lakh individuals were provided financial counseling through these 19 FLCs. Bank has established RSETIs in the name of Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) in twelve centres viz. Chittoor, Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Puducherry, Salem, Tiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram. A total of 49656 candidates were given self-employment training in 1779 Batches through these INDSETIs. Bank is implementing Financial Inclusion Plan with a vision to provide basic banking facilities to the unbanked segments of the society across the country. Indian Bank has so far extended banking facilities to 2975 SSAs pan India through various delivery channels. Basic Savings Bank Deposit Accounts/PMJDY accounts have been opened for 33.10 lakh customers in the villages covered under financial inclusion and Overdraft facilities to the extent of ₹ 16.12 crore have also been extended to the account holders.
2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?	Bank has set up a Trust by name "Indian Bank Trust for Rural Development" (IBTRD) for imparting training to the poor and downtrodden people and conducts various training programmes.
3. Have you done any impact assessment of your initiative?	Impact and effectiveness of INDSETIs is monitored based on the annual grading exercise undertaken by the monitoring cell for RSETIs for getting proper feedback and initiate steps for further strengthening of INDSETIs. During the year 2016-17, ten of the institutes have obtained AA grades, and two AB grade. The grading for 2017-18 is yet to be done.
4. What is your companys direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken	During the year 2017-18, the Trust (IBTRD) has spent about an amount of ₹ 3.80 crore towards Community Development activities through INDSETIs and FLCs by way of capacity building initiatives.
5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	Systematic follow-up and counseling services are being undertaken by INDSETIs of the Bank to facilitate the trained candidates to adopt self employment activities. Specific efforts are also made for credit linkage of the trainees with neighboring bank branches to enable the candidates to stand on their own legs.

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year	0.51%
2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No./ N.A/ Remarks (additional information)	NA

3.	गत पांच वर्षों में एवं वित्तीय वर्ष के अंत में, अनुचित व्यापार पद्धतियों के प्रयोग, गैर जिम्मेदार विज्ञापनों और/या गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए, क्या किसी स्टेक धारक ने कंपनी के विरुद्ध कोई वाद दायर किया है? यदि हाँ, तो उसके विवरण दें।	कोई भी शेयरधारक वर्ष के दौरान बैंक के खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया है।
4.	क्या आपकी कंपनी द्वारा ग्राहक सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि रुझान कार्यक्रम चलाए जाते हैं ?	हाँ

अनुषंगियाँ

- बैंक की दो अनुषंगियाँ हैं। इनके नाम इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि. और इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- बैंक ने तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, यथा सप्तगिरि ग्रामीण बैंक जिसका मुख्यालय चित्तूर (आंध्र प्रदेश) में है, पल्लवन ग्राम बैंक जिसका मुख्यालय सेलम (तमिलनाडु) में है और पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक जिसका मुख्यालय पुदुच्चेरी (पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र) में है, को प्रायोजित किया है।
- वर्ष के दौरान 44 शाखाओं के खोले जाने से मार्च 2017 की 498 शाखाओं से बढकर मार्च 2018 को तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शाखा तंत्र 542 रहा।
- मार्च 2017 को ₹15940.07 करोड़ की तुलना में मार्च 2018 को तीन क्षेग्राबैंकों का कुल कारोबार ₹19663.91 करोड़ रहा।
- 210 शाखाओं के साथ सप्तगिरि ग्रामीण बैंक का कुल कारोबार ₹10038.29 करोड़ रहा। (जमाएँ ₹5326.63 करोड़ और अग्रिम ₹4156.22 करोड)।
- 289 शाखाओं के साथ पल्लवन ग्राम बैंक का कुल कारोबार ₹8411.23 करोड़ रहा। (जमाएँ ₹4255.01 करोड़ और अग्रिम ₹4711.66 करोड)।
- 43 शाखाओं के साथ पुदुवै ग्राम बैंक का कुल कारोबार ₹1214.39 करोड़ रहा। (जमाएँ ₹666.92 करोड़ और अग्रिम ₹547.47 करोड)।
- तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लाभ कमा रहे हैं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सक्रिय रूप से भारत सरकार के पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई कार्यक्रमों में भाग ले रहें हैं। तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पीएमजेडीवाई के अंतर्गत 512 एसएसए गाँवों को कवर कर रहे हैं और उन्होंने इस योजना के अंतर्गत 5.66 लाख खाते खोले हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 3.82 हिताधिकारियों को, पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 1.38 लाख हिताधिकारियों को और एपीवाई के अंतर्गत 30916 हिताधिकारियों को कवर किया है।

खेल–कूद के क्षेत्र में उपलब्धियाँ

खेल–कूद के क्षेत्र में भी आगे रहते हुए बैंक के कर्मचारियों ने खेल के जगत में अपने प्र यासों से संस्था को पुरस्कार दिलाए हैं। उनकी कुछ उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं :

- जून 2017 में चेन्नै में आयोजित तमिलनाडु सीनियर स्टेट एथलेटिक चैम्पियनशिप में 10 खिलाडियों ने भाग लिया और पदक जीते।
- गुंटूर में आयोजित सीनियर इंटर स्टेट एथलेटिक चैम्पियनशिप में तमिलनाडु राज्य की टीम के प्र तिनिधित्व करने के लिए 4 खिलाडियों का चयन किया गया।
- फरवरी 2018 में मास्टर्स नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में सुश्री वी विजयलक्ष्मी ने 100 मीटर, 200 मीटर, 80 मीटर हर्डल्स और 4 X 100 मीटर रीले में 4 स्वर्ण पदक जीते।
- मार्च 2018 में आयोजित फेडरेशन कप और इंडियन ग्रैण्ड प्रिक्स एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में श्री वेयन पेपिन ने लंबी कूद संवर्ग में रजत एवं स्वर्ण पदक जीते।

बैंक ने विभिन्न खेलों में भाग लिया था और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उसे विजेता / रनर–अप घोषित किया गया है :

खेल कार्यक्रम	स्थिति
तमिलनाडु राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नमेंट, 12 से 14 मई 2017 तक	विजेता
टेक्समो कप राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नमेंट, 16 से 21 मई 2017 तक	तृतीय स्थान
तमिलनाडु राज्य स्तरीय इन्विटेशन वॉलीबॉल टूर्नमेंट, जुलाई 2017 में	रनर्स
राज्य स्तरीय सुन्दर मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नमेंट, जुलाई 2017 में	रनर्स
चेन्नै जिला वॉलीबॉल लीग चैम्पियनशिप, जून 2017 में	रनर्स
आरआर लाइन्स द्वारा राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नमेंट, जुलाई 2017 में	रनर–अप
राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नमेंट, फरवरी 2018	क्वार्टर फाइनल
चेन्नै सीनियर डिविजन लीग फुटबाल चैम्पियनशिप	चौथा स्थान

भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबाल खिलाडी और बैंक की फुटबाल टीम के कोच श्री सैयद सबीर पाशा को वर्ष 2017–18 में इंडियन सॉक्कर लीग के लिए चेन्नैयन एफसी के कोच के रूप में नामांकित किया गया है।

बैंक ने मार्च 2018 में सफल रूप से द्वितीय राज्य स्तरीय इन्विटेशन हॉकी टूर्नमेंट को आयोजित किया। इसी प्रकार बैंक ने किशोर स्कूल बालकों और बालिकाओं के लिए समर कोचिंग कैंप का आयोजन किया।

3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about words or so	No shareholder has filed any suit against the bank during the year.
4. Did your company carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?	Yes

SUBSIDIARIES

- The Bank has two subsidiaries viz., Ind Bank Merchant Banking Services Ltd., and Ind Bank Housing Ltd.

REGIONAL RURAL BANKS

- Bank has three sponsored Regional Rural Banks viz, Saptagiri Grameena Bank headquartered at Chittoor (Andhra Pradesh), Pallavan Grama Bank, headquartered at Salem (Tamil Nadu) and Puduvai Bharathiar Grama Bank headquartered at Puducherry (Union Territory of Puducherry).
- The branch network of the three RRBs increased by 44 branches during the year from 498 as of March 2017 to 542 branches as of March 2018.
- The total business of the three RRBs was ₹ 19663.91 crore as of March 2018 as compared to ₹ 15940.07 crore as of March 2017.
- Saptagiri Grameena Bank has 210 branches with a total business of ₹ 10038.29 crore. (Deposits: ₹ 5326.63 crore and advances ₹ 4711.66 crore)
- Pallavan Grama Bank has 289 branches with a total business of ₹ 8411.23 crore (Deposits: ₹ 4255.01 crore and advances ₹ 4156.22 crore).
- Puduvai Bharathiar Grama Bank has 43 branches with a total business of ₹ 1214.39 crore (Deposits: ₹ 666.92 crore and advances: ₹ 547.47 crore)
- All the three RRBs are profit making RRBs.
- RRBs are actively participating in PMJDY, PMJJBY, PMSBY & APY programmes of Govt of India. The three RRBs are covering 512 SSA villages under PMJDY and have opened 5.66 lakh accounts under the scheme. The RRBs have also covered 3.82 lakh beneficiaries under PMSBY, 1.38 lakh beneficiaries under PMJJBY and 30916 beneficiaries under APY during the year 2017-18.

ACHIEVEMENT IN THE SPORTING FRONTIER:

Not to be left behind, the employees of the Bank brought laurels to the organization with their efforts in the sporting arena. Few such feats are as follows:

- 10 Athletes participated in the Tamilnadu Senior State Athletic Championship held at Chennai during June 2017 and won medals.
- 4 Athletes were selected to represent the Tamilnadu State team in the Senior Inter State Athletic Championship held at Guntur.
- Ms V Vijayalakshmi won 4 Gold medals under 100m, 200m, 80m hurdles and 4*100 relay in Masters National Athletics Championship in February 2018
- Mr Wayne Pepin won Silver and Gold under Long Jump category in Federation cup and Indian Grand Prix Athletics Championship conducted during March 2018.

Bank participated in various sporting events and was adjudged winners / runners as detailed hereunder :

Sporting Event	Position
Tamilnadu State Level Basketball Tournament from 12th to 14th May 2017	Winners
Texmo Cup State Level Volleyball Tournament from 16th to 21st May 2017	Third place
Tamilnadu State Level Invitation Volleyball Tournament in July 2017	Runners
State Level Sundar Memorial Volleyball Tournament in July 2017	Runners
Chennai District Volleyball League Championship in June 2017	Runners
State Level Hockey Tournament by RR lines in July 2017	Runner up
State Level Hockey Tournament in February 2018	Quarter Finals
Chennai Senior Division League Football Championship	4th Place

Shri Syed Sabir Pasha Former International Football player and Coach of Bank's Football Team has been nominated as the coach of the Chennaiyan FC in the Indian Soccer League for the year 2017-18.

Bank successfully conducted the 2nd State Level Invitation Hockey Tournament in March 2018. Similarly Bank conducted Summer Coaching Camp for young school boys and girls.

कार्पोरेट अभिशासन 2017–18 पर रिपोर्ट

कॉर्पोरेट अभिशासन पर बैंक का दृष्टिकोण

कार्पोरेट अभिशासन अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए उपक्रमों को नियंत्रित एवं मार्गदर्शित किया जाता है ताकि नैतिक ढंग से उनकी धन–सृजन की क्षमता को बढाया जा सके। यह प्रबंधन, उसके बोर्ड, शेयरधारक और अन्य स्टेकधारकों के बीच उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है ताकि संगठन के निर्धारित उद्देश्य हासिल किए जा सके और साथ ही निष्पादन पर निगरानी रखने के अलावा शेयरधारकों के धन को धारणीय तरीके से अधिकाधिक बनाने के अंतिम लक्ष्य के साथ उस क्षेत्र के कानूनों का अनुपालन करते हुए अपने दैनंदिन के कारोबार को अत्यंत सक्षम, पारदर्शी एवं नैतिक रूप से संचालित किया जा सके। यह ऐसी एक प्रक्रिया का प्रवर्तन है जिससे मूल्य, सिद्धान्त, नीतियां और प्रक्रियाएँ अत्यधिक प्रभावकारी ढंग से सिस्टम में अंतर्निहित एवं प्रकट कराए जाते हैं।

श्रेष्ठता हासिल करने के लिए बैंक, कार्पोरेट अभिशासन के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है और अपने उत्तरदायित्व, जो सभी स्टेकधारकों के लिए मूल्य को आपसी संवाद, आदर, स्पष्ट लक्ष्य और निर्णयात्मक नेतृत्व के जरिए बढाने के लिए प्रयत्न करते समय नैतिक व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है, हासिल करने के लिए प्रयासरत है। बैंक स्वयं को सभी स्टेकधारकों का न्यासी मानता है और सुदृढ कॉर्पोरेट रणनीतियों, सक्रिय कारोबार योजनाओं एवं नीतिपरक एवं विधिक जिम्मेदारियों की पूर्ति के लिए नीतियों एवं कार्यप्रणालियों के माध्यम से प्राप्त की गई उनके धन के सृजन एवं रक्षण के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अभिस्वीकृत करता है। अभिशासन मानकों के अनुपालन के लिए उच्चस्तरीय प्रकटीकरण नीति के साथ बैंक के कॉर्पोरेट अभिशासन सिद्धांत लाभकर संवृद्धि हेतु सुदृढ रूप से कटिबद्ध हैं।

2. निदेशक मंडल की संरचना

निदेशक मंडल में तीन पूर्णकालिक निदेशक और आठ गैर कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक हैं।

मार्च 31, 2018 को निदेशक मंडल के विवरण निम्नवत् हैं:

क्रमांक	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशक पद का स्वरूप	इंडियन बैंक के अलावा सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पदों की संख्या	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन	अंश कालिक गैर–सरकारी निदेशक एवं गैर–कार्यपालक अध्यक्ष	गैर–कार्यपालक		14-08-2015
2.	श्री किशोर खरात	प्रनि एवं मु का अ	कार्यपालक		18.03.2017
3.	श्री ए एस राजीव	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	2	22-01-2016
4.	श्री एम के भट्टाचार्य	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक		16-02-2017
5.	सुश्री मुदिता मिश्रा	सरकारी नामिती	गैर–कार्यपालक		07-01-2016
6.	श्री जे के दाश	भा रि बैंक के नामिती	गैर–कार्यपालक		16-11-2016
7.	श्री विजय कुमार गोयल	लेखा परीक्षक निदेशक	गैर–कार्यपालक		26-07-2016
8.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	अंश कालिक गैर–सरकारी निदेशक	गैर–कार्यपालक		25-04-2016
9.	श्री सलिल कुमार झा	अंश कालिक गैर–सरकारी निदेशक	गैर–कार्यपालक		27-12-2017
10.	श्री विनोद कुमार नागर	शेयरधारक निदेशक	गैर–कार्यपालक	1	01-07-2017
11.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर	शेयरधारक निदेशक	गैर–कार्यपालक		21-12-2017

श्री विनोद कुमार नागर दो समितियों के सदस्य हैं, अर्थात इंडियन बैंक के अलावा दो सूचीबद्ध संस्थाओं में लेखा परीक्षा और स्टेकहोल्डर रिलेशनशिप समिति।

शेयरधारक निदेशकों को छोडकर सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त / नामित किये गए हैं।

श्री महेश कुमार जैन 03.04.2017 तक बैंक के प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी रहे।

श्रीराम रामचन्द्रन 30.06.2017 तक शेयरधारक निदेशक रहे।

श्री विनोद कुमार नगर 30.06.2017 तक शेयरधारक निदेशक रहे और 01.07.2017 से शेयरधारक निदेशक के रूप में फिर से निर्वाचित हुए।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2017-18

Bank's Philosophy on Corporate Governance

Corporate Governance is by itself a process by which the entities are controlled and guided to enhance their wealth generating capacity in an ethical manner. It acts as a catalyst between Management, Board, shareholders and other stakeholders to achieve the set goals of the organization while abiding the law of the land in conducting its day to day business in a most efficient, transparent and ethical way with an ultimate objective of maximizing shareholders' wealth on a sustainable basis besides monitoring the performance. It is the evolution of a system by which the values, principles, policies and procedures are ingrained and manifested in the system in the most effective way.

In the pursuit of excellence, the Bank endeavors highest standard of Corporate Governance and committed to its responsibilities which is based on total commitment to ethical practices in the conduct of business while striving hard to enhance all stakeholders' value by mutual dialogue, respect, clear goals and decisive leadership. The Bank considers itself as a trustee of all the stakeholders and acknowledges its responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth, attained through sound corporate strategies, proactive business plans, policies and procedures to satisfy the ethical and legal responsibilities. Bank's corporate governance principles are firmly rooted for generating profitable growth with high level degree of disclosure policies adhering to the governance standards.

2. Composition of Board of Directors

The Board of Directors comprises of three whole time Directors and Eight Non Executive/Independent Directors.

Particulars of Board of Directors as on March 31, 2018 are as under:

No.	Name of Director	Designation	Nature of Directorship	No. of Directorship in listed entities other than Indian Bank	Date of Appointment
1.	Shri T C Venkat Subramanian	Part-Time Non-Official Director & Non-Executive Chairman	Non-Executive		14.08.2015
2.	Shri Kishor Kharat	MD & CEO	Executive		18.03.2017
3.	Shri A S Rajeev	Executive Director	Executive	2	22.01.2016
4.	Shri M K Bhattacharya	Executive Director	Executive		16.02.2017
5.	Ms. Mudita Mishra	Government Nominee	Non-Executive		07.01.2016
6.	Shri J K Dash	RBI Nominee	Non-Executive		16.11.2016
7.	Shri Vijay Kumar Goel	Chartered Accountant Director	Non-Executive		26.07.2016
8.	Shri Padmanaban Vittal Dass	Part-Time Non-Official Director	Non-Executive		25.04.2016
9.	Shri Salil Kumar Jha	Part-Time Non-Official Director	Non-Executive		27.12.2017
10.	Shri Vinod Kumar Nagar	Shareholder Director	Non-Executive	1	01.07.2017
11.	Dr. Bharath Krishna Sankar	Shareholder Director	Non-Executive		21.12.2017

Shri Vinod Kumar Nagar is a member in two Committees, i.e, Audit and Stakeholder Relationship Committees in a listed entity other than Indian Bank. All the directors have been appointed/nominated by the Govt. of India (GOI) except Shareholder Directors.

Shri Mahesh Kumar Jain was MD & CEO up to 03.04.2017.

Shri Sriram Ramachandran was Shareholder Director up to 30.06.2017.

Shri Vinod Kumar Nagar was Shareholder Director up to 30.06.2017 and re-elected as Shareholder Director from 01.07.2017.

निदेशकों का प्रोफाइल :

श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन : आयु 68 वर्ष को दिनांक 14 अगस्त 2015 को बैंक के गैर–कार्यपालक अध्यक्ष एवं गैर–कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उनके पास मद्रास विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (बीई) में स्नातक डिग्री है तथा वे भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसियेट हैं। उन्हें वित्तीय क्षेत्र में 37 वर्षों से अधिक अवधि का अनुभव है जिनमें वाणिज्यिक बैंकिंग, औद्योगिक वित्त, निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय वित्त शामिल है। उन्होंने आठ वर्ष एवं छह माह के कार्यकाल के लिए निर्यात–आयात बैंक ऑफ इंडिया (एक्ज़िम बैंक) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया और अक्टूबर 2009 में सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 1982 में एक्सिम बैंक आफ इंडिया में कार्यग्रहण करने के पहले इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया तथा आईडीबीआई में कार्य किया था। उन्होंने तुर्की में एक्ज़िम बैंक और अर्मेनिया में निर्यात विकास कोष स्थापित करने हेतु लघु अवधि के लिए सलाहकार कार्य भी किया था। वे तीन वर्षों की अवधि के लिए यूएनसीटीएडी के तत्वावधान में एक्ज़िम बैंकों और विकास वित्तीय संस्थानों (जीएनईएक्सआईडी),जेनेवा के वैश्विक नेटवर्क के मानद अध्यक्ष भी थे। वर्तमान में, वे एलआईसी एमएफ ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एसटीसीआई फाइनॉन्स लि., इन्वेस्टेक कैपिटल सर्विसेस (इंडिया) प्रा लि. के बोर्डों में स्वतंत्र, गैर–कार्यपालक निदेशक हैं। वे फाउंडेशन फॉर ऑर्गनाइजेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन (एफओआरई), नई दिल्ली (ट्रस्ट) के बोर्ड में भी हैं, जो एफओआरई स्कूल ऑफ मैनेजमेंट चलाता है। ये बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं हैं।

श्री किशोर खरात, उम्र 59 वर्ष ने अप्रैल 04, 2017 को इंडियन बैंक के प्रनि एवं मुकाअ का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले अगस्त 14, 2015 से वे आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में प्रनि एवं मुकाअ थे। अगस्त 2015 में आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में प्रनि एवं मुकाअ के रूप में पदोन्नत होने के पहले ये मार्च 10, 2015 से यूनियन बैंक आफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक रहे। वे वाणिज्य एवं विधि में स्नातक हैं तथा भारतीय बैंकर्स संघ के प्रमाणित एसोसियेट हैं। उनके पास व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर की डिग्री भी है। इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने व्यावसायिक बैंकिंग कैरियर की शुरुआत की, जहां उनका 37 साल से अधिक समय का सफल कार्यकाल था। बैंक आफ बडौदा में सेवारत रहते समय ट्रिनिडाड एण्ड टोबैगो, वेस्ट इंडीज़ में बैंक के विदेशी अनुषंगी की स्थापना का श्रेय इनको प्राप्त है तथा तीन साल से अधिक की अवधि के लिए वे उस अनुषंगी के प्रधान रहे। बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने सेवाकाल के दौरान भारत और विदेश दोनों में, इनको बैंकिंग के महत्वपूर्ण पहलुओं में व्यापक अनुभव और एक्सपोजर था जिनमें क्रेडिट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी और सामान्य प्रशासन शामिल है। वर्तमान में वे भारतीय बैंक संघ की जोखिम प्रबंधन और बेसल कार्यान्वयन की स्थायी समिति के वैकल्पिक अध्यक्ष हैं। वे बैंकिंग पर सीआईआई राष्ट्रीय समिति के भी सदस्य हैं। वे बैंक के ईक्विटी शेयर धारक नहीं हैं।

श्री ए एस राजीव, उम्र 53 वर्ष, ने दिनांक 22 जनवरी 2016 को इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इंडियन बैंक में कार्यभार ग्रहण करने के पहले वे विजया बैंक के महाप्रबंधक और सीएफओ के पद पर थे। वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के एक स्थायी सदस्य हैं और उनके पास आईसीएआई से सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा में डिप्लोमा, व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री और सीएआईआईबी की उपाधियाँ हैं। उन्होंने बैंक के वित्त, लेखा और कराधान, आयोजना एवं विकास, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग / राजकोष, सतकर्ता और ऋण मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण का कार्य संभाला। वे विजया बैंक के चेन्नै और बेंगलूर (उत्तर) क्षेत्रों के प्रधान रहे। विजया बैंक में कार्यभार ग्रहण करने के पहले उन्होंने इंडियन बैंक और सिंडिकेट बैंक में काम किया था। उन्होंने भारत / विदेशों में स्थित प्रतिष्ठित संस्थानों / संगठनों में विभिन्न सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। वे बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं है।

श्री एम के भट्टाचार्य, आयु 57, फरवरी 16, 2017 को इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उनको वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि तथा सीएआईआईबी उपाधि प्राप्त है। वे इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटंट्स (एआईसीडबल्यूए) के एसोसियेट सदस्य हैं। इन्होंने 1985 में स्टेट बैंक ग्रूप में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में चयन के बाद स्टेट बैंक आफ मैसूर में तैनात हुए तथा सहायक महा प्रबंधक के स्तर तक विभिन्न पदों पर काम किया। 2010 में उप महा प्रबंधक के रूप में पदोन्नति पर ये स्टेट बैंक आफ हैदराबाद में गए। 2013 में महा प्रबंधक के रूप में पदोन्नत होने पर स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर में तैनात हुए तथा यहां कई कार्यभार संभालने के बाद 2016 में इनको मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया। स्टेट बैंक ग्रूप में कार्यरत रहते समय ये विभिन्न वेतनमानों में शाखा प्रधान रहे तथा इनको भारत भर में शाखा प्रबंधक के रूप में (22 वर्ष), क्षेत्र प्रमुख के रूप में (1 वर्ष) और माड्यूल प्रधान के रूप में (3 वर्ष) का प्रचुर अनुभव प्राप्त है। एसबीटी मे कार्यरत रहते समय इन्होंने बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी की भूमिका भी निभायी और महाप्रबंधक – व्यापार रणनीति, खुदरा बैंकिंग, एनआरआई बैंकिंग, बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों का नियंत्रण आदि अन्य कार्यभार भी संभाला। वे बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं है।

सुश्री मुदिता मिश्रा, आयु 46 वर्ष को दिनांक जनवरी 07, 2016 के प्रभाव से इंडियन बैंक के सरकार नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इनकी बी. ई (इलेक्ट्रॉनिक्स) तथा एमबीए (वित्त) में उपाधि हैं। इन्होंने अपने व्यावसायिक कैरियर को सितंबर 02, 2001 से देश के प्रमुख प्रतिबद्ध संगठन – भारतीय आयुध निर्माण सेवाएँ (ग्रूप ए) से शुरू की। वर्तमान में, ये भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग में निदेशक के रूप में अगस्त 2015 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए कार्यरत हैं। ये दिनांक 23, दिसंबर 2015 से ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में भी निदेशक हैं। ये बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं हैं। उन्होंने 05.04.2018 को कार्यालय छोड़ दिया है।

श्री अमित अग्रवाल को दिनांक जनवरी 5 अप्रैल 2018 के प्रभाव से इंडियन बैंक के सरकार नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे 1993 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं। वे 2016 से वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग में भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के एक पूर्व छात्र, उन्होंने भारत सरकार और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों में व्यापक रूप से वित्त, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में शीर्ष पदों पर कार्य किया है। उनके पहले के कार्य प्रभारों में, प्रधान मंत्री के कार्यालय में निदेशक; प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के कार्यालय में सलाहकार और निदेशक; नेशनल इनोवेशन काउंसिल के अध्यक्ष के साथ विशेष कार्य अधिकारी; विभिन्न राज्य सरकार के विभागों और एजेंसियों के प्रमुख; और जिला स्तरीय स्थानीय शासन के प्रमुख शामिल है। वे बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं है।

श्री जे के दाश, आयु 52 वर्ष, को भारत सरकार द्वारा नवंबर 16, 2016 के प्रभाव से भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि के धारक हैं। वर्तमान में वे भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद में क्षेत्रीय निदेशक हैं। विनियामक संस्था में कुछ दशकों की सेवा के बाद, वे देश के केन्द्रीय बैंक में इस पद पर पदोन्नत हुए हैं। वे बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं है।

श्री विजय कुमार गोयल, आयु 53 वर्ष, को जुलाई 26, 2016 के प्रभाव से इंडियन बैंक के सनदी लेखाकार निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे बी.काम (ऑनर्स) और एफसीए उपाधियों के धारक हैं। वे प्रेक्टिस में लगे हुए सनदी लेखाकार हैं। वे पीएचडी चेंबर आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री तथा एफआईसीसीआई के सदस्य हैं। इन्होंने आधारभूत संरचना तथा उद्यमीवृत्ति विकास समिति की स्थापना की है और सौर ऊर्जा पर नीति के विकास पर मुद्दे सरकार के साथ उठाए जाते हैं जिनमें सौर ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में सामरिक सलाह भी दी जाती है। इन्होंने कई व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग लिया है, यथा, 1. आईआईएम, कोलकाता से एमबीए प्रदान करनेवाला विशेष प्रबंधन कार्यक्रम, 2. आईएसबी, हैदराबाद का वेंचर कैपिटल डेवलपमेंट कार्यक्रम, 3. आईआईएम, अहमदाबाद से मूलभूत संरचना विकास एवं वित्तीयन और 4. आईआईएम, अहमदाबाद से पीपी और मूलभूत संरचना पर कार्यक्रम। इनको लेखा परीक्षा, समुचित सावधानी, कॉर्पोरेट पुनःसंरचना, परियोजना वित्तीयन, कार्यकारी पूंजी वित्त और प्रबंधन परामर्श में निपुणता प्राप्त है। वे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में यूएस आधारित बडे निजी ईक्विटी निवेशकों के लिए सलाहकार हैं। इन्होंने भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ बडौदा आदि बडे बैंकों की सांविधिक लेखा परीक्षा की है। वे बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं है।

श्री पद्मनाभन विट्ठल दास, आयु 68 वर्ष को दिनांक 25 अप्रैल 2016 के प्रभाव से भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया। तमिलनाडु के कुंभकोणम में 2 मई, 1950 को जन्मे, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कुंभकोणम और तिरुविडैमरुदूर में प्राप्त की और सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुच्ची (मद्रास विश्वविद्यालय) में अर्थशास्त्र स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में कार्यरत रहते समय, उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से एलएलबी किया । वे 1974 में आईआरएस (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) में सहायक कलेक्टर के रूप में कार्यरत थे। वे 22 जुलाई, 1974 और 31 मई 2010 के बीच भारत सरकार की सेवा में थे। 2010 में सेवानिवृत्ति के समय, वे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग और कस्टम्स बोर्ड (कार्मिक और सतर्कता) में एक सदस्य और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के विशेष सचिव थे। सेवाकाल में उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ–साथ मुख्यालय के कार्यालयों में भी कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, विभिन्न क्षेत्रों जैसे एंटिस्मग्लिंग इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एडमिनिस्ट्रेशन और सतर्कता में काम किया । उन्हें 1991 के गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान विशेष रूप से प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ । उन्होंने तस्करी विरोध जोखिम प्रबंधन आदि पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशों में विभिन्न सीमा शुल्क संरचनाओं का दौरा किया है। ये बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं है।

Profile of Directors:

Shri T C Venkat Subramanian, aged 68 years, was appointed as Non- Executive Chairman and Non-Official Director of the Bank with effect from August 14, 2015. He holds Bachelor Degree in Electrical Engineering (B.E) from Madras University and is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He has over 37 years of professional experience in financial sector which includes commercial banking, industrial finance, export and international finance. He had served as Chairman and Managing Director of Export-Import Bank of India (EXIM BANK) for a tenure of eight and half years and retired in October 2009. Prior to joining EXIM Bank in 1982, he had worked in IDBI and Bank of India. He had also undertaken brief consultancy assignments for setting up an Exim Bank in Turkey and Export Development Fund in Armenia. He was also the honorary President of the Global Network of Exim Banks and Development Financial Institutions (GNEXID), Geneva under the auspices of UNCTAD for a period of three years. Currently, he is an Independent, Non Executive Director on the Boards of LIC MF Trustee Company Pvt Ltd., STCI Finance Ltd, Investec Capital Services (India) Pvt Ltd. He is also on the Board of Foundation for Organisational Research and Education (FORE), New Delhi (Trust) which runs the FORE School of Management. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri Kishor Kharat, aged 59 years assumed charge as MD & CEO of Indian Bank on April 04, 2017. Prior to this, he was MD & CEO of IDBI Bank Limited since August 14, 2015. He was the Executive Director in Union Bank of India from March 10, 2015 till his elevation as MD & CEO of IDBI Bank Limited in August 2015.He is Graduate in Commerce and Law and is a Certified Associate of the Indian Institute of Bankers. He also holds a Degree of Master of Business Administration. He started his professional banking career with Bank of Baroda where he had a long, successful stint of over 37 years. While in Bank of Baroda, he was credited with establishment of a Foreign Subsidiary of the Bank in Trinidad and Tobago, West Indies and he headed the Subsidiary for more than three years. During his service in Bank of Baroda, he had wide banking experience and exposure in various crucial aspects which include Credit, International Business, Information Technology and General Administration, both within India and abroad. He was a Member of the RBI Committee on Financial Inclusion, which was given the responsibility of drawing a medium term roadmap for furthering Financial Inclusion in India. He has also held Alternate Chairmanship of IBA Standing Committee on Financial Inclusion, Risk Management and Basel Implementation. Presently, he is a Member of the Managing committee of IBA. He is also a Member of the CII National Committee on Banking, Member of the Insurance Advisory Committee of IRDAI, Member of the Governing Board of NIBM and PGDM Executive Council of NIBM, Member (Director) of Governing Council of IIBF. He is also conferred Honorary Fellowship by Indian Institute of Banking & Finance in recognition of his contribution in the field of banking and finance. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri A S Rajeev, aged 53 years assumed charge as Executive Director of the Bank on January 22, 2016. Prior to joining Indian Bank he was General Manager & CFO of Vijaya Bank. He is a Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants of India and holds Diploma in Information System Audit from ICAI, Masters Degree in Business Administration and CAIIB. He has handled Finance, Accounts & Taxation, Planning & Development, International Banking / Treasury, Vigilance and Credit Monitoring & Supervision of the Bank. He also headed Chennai & Bangalore North Regions of Vijaya Bank. Before joining Vijaya Bank, he has worked with Indian Bank and Syndicate Bank. He has attended various seminars and training programmes at well reputed Institutions / organizations in India / Abroad. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri M K Bhattacharya, aged 57 years, was appointed as the Executive Director of Indian Bank on February 16, 2017. He holds M.Com and CAIIB. He is an Associate Member of Institute of Cost & Works Accountant (AICWA). He joined State Bank Group as Probationary Officer in 1985 and was posted to State Bank of Mysore and had a stint there at various levels up to Assistant General Manager. He was promoted to DGM Cadre in 2010 and moved to State Bank of Hyderabad. On promotion to GM Cadre in 2013, he moved to State Bank of Travancore and held various assignments and got promoted to Chief General Manager in 2016. During his stay at State Bank group he headed the branches at various scales and is having wide experience as Branch Head (22 years), Regional Head (1 year) and Module Head (3 years) spanning across India. While serving in SBT, he had also played role as Chief Risk Officer of the Bank and engaged in other assignments viz., General Manager Business Strategy, Retail Banking, NRI Banking, Controlling foreign offices of the Bank. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Ms. Mudita Mishra, aged 46 years, was appointed as the Government Nominee Director of Indian Bank w.e.f. January 07, 2016. She holds B.E (Electronics) and MBA (Finance). She has commenced her professional career on September 02, 2001 from an organization of great commitment to the Nation – Indian Ordnance Factories Services (Group A). She is presently the Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi from August 2015 for a five year term. She is also a Director in the Board of Oriental Insurance Company Limited with effect from December 23, 2015. She does not hold any Equity Shares of the Bank. She has demitted office on 05.04.2018.

Shri Amit Agrawal was nominated as the Govt. of India Nominee Director of Indian Bank from 5 th April 2018. He is a member of the Indian Administrative Service since 1993. Since 2016, he is serving as Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services. An alumnus of Indian Institute of Technology Kanpur, he has served in top positions in the Government of India and the State Governments of Chhattisgarh and Madhya Pradesh, broadly in the areas of finance, technology and technical education. His earlier charges include that of Director in the Prime Minister's Office; Adviser and Director in the Office of Prime Minister's Economic Advisory Council; Officer on Special Duty with the Chairman of the National Innovation Council; head of various state government departments and agencies; and head of district-level local governments. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri J K Dash, aged 52 years, was appointed as the RBI Nominee Director of Indian Bank by the Government of India from 16.11.2016. He holds Master's degree in Economics. He is presently the Regional Director of Reserve Bank of India, Ahmedabad. He has risen to the present position with the Central bank of the country after a few decades of service with the Regulator. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri Vijay Kumar Goel, aged 53 years, was appointed as Chartered Accountant Director of Indian Bank from July 26, 2016. He holds B.Com (Hons), and FCA. He is a practicing Chartered Accountant. He is a member of PHD Chamber of Commerce & Industry and FICCI. He has founded a Society for Development of Infrastructure and Entrepreneurship. Policy development issue on Solar Power are being taken up with Government besides extending strategic advice on the Solar Power Sector. He has undergone professional programmes like (i) Special Management Programme leading to MBA from IIM, Kolkata, (ii) Venture Capital Development Programme of ISB, Hyderabad, (iii) Infrastructure Development & Financing from IIM, Ahmedabad, and (iv) Programme on PP & Infrastructure at IIM, Ahmedabad. He has expertise in Audit, Due Diligence, Corporate Restructuring, Project Financing, Working Capital Finance and Management Consultancy. He is an Advisor to a large US-based Private Equity Investors in Renewable Energy Sector. He has conducted Statutory Audit of large Banks like SBI, Bank of Baroda, etc. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

श्री सलिल कुमार झा, आयु 64 वर्ष को भारत सरकार द्वारा 27 दिसंबर 2017 के प्रभाव से अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे एनआईटी जमशेदपुर से मैकेनिकल इंजीनियर (टॉपर और स्वर्ण पदक विजेता) हैं और एफ़एमएस दिल्ली से एमबीए की शिक्षा प्राप्त की है। वे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, एक नवरत्न पीएसयू और भारत की सबसे बड़ी रक्षा कंपनी के भूतपूर्व प्रबंध निदेशक हैं। वे एचएएल के पांच संयुक्त उद्यम के अंशकालिक अध्यक्ष / निदेशक थे। एचएएल में पद ग्रहण करने के पहले उन्होंने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी में भी काम किया है। केरल राज्य के कासरगोड में सामरिक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टरी स्थापित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत में नवीनतम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को लाने के लिए वैश्विक रक्षात्मक प्लेयरों के साथ रणनीतिक संबंध बनाए। उनके द्वारा आर एवं डी केन्द्रों में कई नई प्रणाली विकसित की गई और रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट दर्ज की गई। इनके कार्यकाल के दौरान नए बाजारों का भी पता लगाया गया। उनकी नीतियों में इन– हाउस विनिर्माण से आउटसोर्सिंग की ओर पलायन करना और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण से जोखिम शेयरिंग पार्टनरशिप संगठन की ओर अग्रसर होना शामिल हैं। इससे संगठन की सामान्य उत्पादकता तथा लाभप्रदता में बढ़ोत्तरी हुई। रक्षा मंत्रालय के अधीन सभी सार्वजनिक उपक्रमों और आयुध कारखानों में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन के लिए उनके नेतृत्व में प्रभागों को दो बार रक्षा मंत्री पुरस्कार मिला । ये बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं है।

श्री विनोद कुमार नागर, 65 वर्ष, को बैंक के शेयरधारक–निदेशक के रूप में जुलाई 01, 2017 से 3 वर्षों की अवधि के लिए फिर से निर्वाचित किया गया । इसके पहले, जुलाई 01, 2014 से 3 वर्षों की अवधि के लिए बोर्ड के शेयरधारक निदेशक के रूप में थे। वे सिंडिकेट बैंक के सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक हैं। वे बी.टेक्स्ट, विपणन एवं बिक्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारक और एमबीए हैं । उनके पास 25 वर्ष से अधिक अवधि के बैंकिंग करियर का अनुभव प्राप्त हैं। सिंडिकेट बैंक में कार्यभार ग्रहण करने के पहले इन्होंने पंजाब नैशनल बैंक, नई दिल्ली में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में काम किया । कई वर्षों के लिए इन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष और अंचल प्रबंधक के रूप में अग्रणी पदों पर काम किया। वे पंजाब नैशनल बैंक में ऋण समिति, निवेश समिति, मानव संसाधन प्रबंधन समिति, सीबीएस कार्यान्वयन के लिए स्टीयरिंग समिति और उच्चतम स्तरीय समझौता समिति जैसी सभी मुख्य समितियों के सदस्य रहे और इनके पर्यवेक्षण में विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकन हुआ। वे आईबीए में वित्तीय समावेशन उप–समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य पर थोरट समिति, पंजाब राज्य के लिए एसएमई पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सशक्त समिति, गैर–नागर मंत्रालयों / विभागों में संशोधित प्रक्रिया की क्षमता की पुनरीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति, सिविल मंत्रालयों / विभागों आदि से मान्यता प्राप्त बैंकों द्वारा किये जानेवाले सरकारी लेनदेन की समीक्षा हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा सृजित स्थायी समिति आदि प्रमुख समितियों के सदस्य थे । इनके पास बैंक के 107 शेयर हैं।

डॉक्टर भरत कृष्ण शंकर, आयु 53 वर्ष, को 21 दिसम्बर, 2017 से 3 वर्षों के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया । वे वाणिज्य में स्नातकोत्तर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एक राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता (इंटर और फाइनल दोनों में टॉपर) और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के एक सहयोगी हैं। उनका डॉक्टरेट की थीसिस "उद्यमशीलता के निर्धारक और मदुरै जिले में एमएसएमई क्षेत्र में स्थिरता पर इसका प्रभाव" था । उन्हें व्यवसाय प्रबंधन वित्त और मानव संसाधन और प्रशिक्षण में समृद्ध अनुभव है। इनके पास बैंक के 200 ईक्विटी शेयर हैं।

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें	पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
1.	श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन	01.04.2017 – 31.03.2018	16	16	उपस्थित
2.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2017 – 03.04.2017	1	1	03.04.2017 को कार्यकाल का समापन
3.	श्री किशोर खरात	04.04.2017 - 31.03.2018**	15	15	अनुपस्थित
4.	श्री ए एस राजीव	01.04.2017 – 31.03.2018	16	16	उपस्थित
5.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04..2017 – 31.03.2018	16	15	उपस्थित
6.	सुश्री मुदिता मिश्रा	01.04.2017 - 31.03.2018	16	7	अनुपस्थित
7.	श्री जे के दाश	01.04.2017 – 31.03.2018	16	15	उपस्थित
8.	श्री विजय कुमार गोयल	01.04.2017 – 31.03.2018	16	16	उपस्थित
9.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	01.04.2017 – 31.03.2018	16	16	उपस्थित
10.	श्री सलील कुमार झा	27.12.2017 – 31.03.2018	4	4	दिनांक 27.12.2017 को बैंक में पद ग्रहण किया
11.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2017 - 31.03.2018	16	13	उपस्थित
12.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	01.04.2017 - 30.06.2017**	4	2	उपस्थित
13.	डॉ भरत कृष्ण शंकर	21.12.2017 - 31.03.2018	4	3	दिनांक 21.12.2017 को बैंक में पद ग्रहण किया

** कार्यकाल की समाप्ति।

Shri Padmanaban Vittal Dass, aged 68 years, was nominated as a Part Time Non-Official Director on the Board of the Bank by Government of India for a period of three years with effect from April 25, 2016. Born at Kumbakonam, Tamil Nadu, on 2nd May 1950, he had his initial education at Kumbakonam and Thiruvidaimarudur and pursued UG and Post Graduation in Economics at St Joseph's College, Trichy (Madras University). He did LLB from Gujarat University later on, while in Indian Revenue Service (IRS). He joined IRS (Customs and Central Excise) in 1974 as Assistant Collector. He was in the services of Government of India between July 22, 1974 and May 31, 2010. At the time of retirement in 2010, he was a Member (Personnel and Vigilance), Central Board of Excise and Customs / Special Secretary, Ministry of Finance, Govt of India. While in service, he had worked in different parts of the country in Customs, Central Excise, Service Tax, in various wings like, Anti Smuggling Intelligence, Investigation Administration and Vigilance in the field offices as well as in the Head Quarters offices. He received The President of India Award for Specially Distinguished Record of Service, on the Republic Day of 1991. He has visited various Customs formations abroad for familiarisation on Anti Smuggling Risk management, etc. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri Salil Kumar Jha, aged 64 years, was appointed as Non-Official Director on the Board of the Bank by Government of India with effect from December 27, 2017. He is a Mechanical Engineer (Topper & gold Medalist) from NIT Jamshedpur and completed his MBA from FMS, Delhi. He is the former Managing Director of Hindustan Aeronautics Ltd., a navratna PSU & Biggest defence company of India. He was also a part time Chairman / Director of Five Joint Ventures of HAL. Prior to joining HAL, he also worked with Engineers India Ltd., & NTPC. He was instrumental in setting up a state of art Strategic Electronic Factory at Kasargod, Kerala. He formed strategic ties with global defence players to bring in latest cutting edge technologies to India. R&D centres under him developed a number of new systems and filed record number of patents. New Markets were also explored during his tenure. His policies like migrating from in-house manufacturing to outsourcing and moving from Transfer of Technology to risk sharing partnerships increased the general productivity and profitability of the organization. Divisions under him received the Raksha Mantri Award for best performing division among all PSUs & Ordinance Factories under Ministry of Defence, twice. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri Vinod Kumar Nagar, aged 66 years, was re-elected as a Shareholder Director of Indian Bank for a period of 3 years from July 01, 2017. Earlier, he was a Shareholder Director on the Board for a three year term from July 01, 2014. He is a retired Executive Director of Syndicate Bank. He is a B. TEXT, Post Graduate Diploma holder in Marketing and Sales Management and also MBA. He was a career banker with more than 25 years banking experience. Prior to joining Syndicate Bank, he worked in Punjab National Bank as Chief General Manager, New Delhi. He had worked continuously in No.1 position as Regional Manager, RRB Chairman and as Zonal Manager for several years. He was the member of all important committees of the Punjab National Bank such as Credit Committee, Investment Committee, Human Resources Management Committee and Steering Committee for CBS implementation and Apex level compromise committee. Consolidation of RRBs in various States took place under his supervision. He was also a member of various important committees such as Sub-Committee on Financial Inclusion in IBA, Thorat Committee on RRB's functioning, RBI empowered Committee on SME for the State of Punjab, Apex Committee formed by Ministry of Finance to review the efficacy of revised procedure in Non-Civil Ministries/Departments, Standing Committee formed by Ministry of Finance to review the handling of Government Transactions by banks accredited to Civil Ministries/Departments, etc. He holds 107 Equity Shares of the Bank.

Dr Bharath Krishna Sankar aged 53, elected as a Shareholder Director of Indian Bank for a period of 3 years from December 21, 2017. He is a Post Graduate in Commerce, a national gold medalist (topper in both Inter and Final) in Chartered Accountancy and an Associate of the Institute of Cost and Management Accountants of India. His doctoral thesis is on "Determinants of entrepreneurship and its impact on MSME sector sustainability in Madurai District". He has rich experience in Business Management, Finance, HR & Training. He holds 200 Equity Shares of the Bank.

Details of Attendance of the Directors at the Board Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended	Attendance at last Annual General Meeting
1.	Shri T C Venkat Subramanian	01.04.2017 – 31.03.2018	16	16	Attended
2.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2017 – 03.04.2017	1	1	Cessation of tenure on 03.04.2017
3.	Shri Kishor Kharat	04.04.2017 – 31.03.2018	15	15	Not Attended
4.	Shri A S Rajeev	01.04.2017 – 31.03.2018	16	16	Attended
5.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2017 – 31.03.2018	16	15	Attended
6.	Ms. Mudita Mishra	01.04.2017 – 31.03.2018	16	7	Not Attended
7.	Shri J K Dash	01.04.2017 – 31.03.2018	16	15	Attended
8.	Shri Vijay Kumar Goel	01.04.2017 – 31.03.2018	16	16	Attended
9.	Shri Padmanaban Vittal Dass	01.04.2017 – 31.03.2018	16	16	Attended
10.	Shri Salil Kumar Jha	27.12.2017 – 31.03.2018	4	4	Joined the Bank on 27.12.2017
11.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2017 – 31.03.2018	16	13	Attended
12.	Shri Sriram Ramachandran	01.04.2017 – 30.06.2017**	4	2	Attended
13.	Dr. Bharath Krishna Sankar	21.12.2017 – 31.03.2018	4	3	Joined the Bank on 21.12.2017

** Cessation of tenure

बैंक के निदेशकों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है।

स्वतंत्र निदेशकों को दिये गये परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in में दिया गया है।

बोर्ड की बैठकें : राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अंतर्गत किए गए न्यूनतम छः (6) बैठकों की सांविधिक प्रावधान की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान बैंक की सोलह (16) बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थीं जिनके विवरण निम्नानुसार हैं :

01.04.2017	25.04.2017	05.05.2017	29.06.2017	21.07.2017	
26.08.2017	21.09.2017	26.10.2017*	26.10.2017	06.11.2017	
08.12.2017	19.12.2017	30.01.2018	12.02.2018	01.03.2018	24.03.2018

*ग्राहक सेवा पर अनन्य बोर्ड बैठक

3. बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड ने निम्नलिखित समितियाँ गठित की हैं, जो महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में निर्दिष्ट एवं केन्द्रित नियंत्रण प्रदान करती हैं और बैंक के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करती हैं।

क्र सं.	समिति का नाम
ए.	प्रबंधन समिति
बी.	लेखा परीक्षा समिति
सी.	जोखिम प्रबंधन समिति
डी.	आईटी रणनीति समिति
ई.	ग्राहक सेवा समिति
एफ.	निदेशकों की समिति (सतर्कता)
जी.	विशेष समिति (बडे मूल्य की धोखाधडियों को मॉनीटर करने हेतु)
एच.	शेयर अंतरण समिति
आई.	स्टेकधारक संपर्क समिति
जे.	नामांकन समिति
के.	पारिश्रमिक समिति
एल.	एच आर समिति
एम.	वसूली को मानीटर करने के लिए समिति
एन.	अनुशासनिक मामलों के लिए बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति
ओ.	इरादतन चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति
पी.	गैर–सहयोगी उधारकर्ताओं हेतु समीक्षा समिति
क्यू	ऋण अनुमोदन समिति
आर	व्यय अनुमोदन समिति

ए) प्रबंधन समिति :

प्रबंधन समिति का गठन सितंबर 08, 1990 को किया गया और यह भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ बोर्ड द्वारा इसे प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करती है। प्रबंधन समिति निम्नलिखित विषयों पर बोर्ड में निहित सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकती है :

- ऋण प्रस्तावों की मंजूरी (निधिप्रदत्त और गैर निधिप्रदत्त)
- ऋण समझौता / बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव ;
- पूंजी और राजस्व व्यय के प्रस्तावों हेतु अनुमोदन ;
- परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने हेतु मानदंडों से विचलन सहित परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने से संबंधित प्रस्ताव ;
- मुकदमा / अपील आदि दायर करना और उनके बचाव की प्रक्रिया आदि ;
- सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों और हामीदारी सहित कंपनियों के डिबेंचरों में निवेश
- दान ; और
- बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को संदर्भित किए गए कोई अन्य मामले।

There is no inter se relationship between the directors of the Bank.

The details of familiarization programmes imparted to independent directors are disclosed in Bank's website, www.indianbank.in.

Board Meetings: During the Financial Year 2017-18, sixteen (16) Board Meetings were held vis-à-vis the statutory stipulation of minimum of six (6) meetings in a year under the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as detailed below:

01.04.2017	25.04.2017	05.05.2017	29.06.2017	21.07.2017	
26.08.2017	21.09.2017	26.10.2017*	26.10.2017	06.11.2017	
08.12.2017	19.12.2017	30.01.2018	12.02.2018	01.03.2018	24.03.2018

*Sequestered Board Meeting on Customer Service.

3. Committees of the Board

The Board has constituted the following committees which provide specific and focused governance in important functional areas and to oversee the affairs of the Bank:

Sl. No.	Name of the Committee
a.	Management Committee
b.	Audit Committee
c.	Risk Management Committee
d.	IT Strategy Committee
e.	Customer Service Committee
f.	Committee of Directors (Vigilance)
g.	Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds)
h.	Share Transfer Committee
i.	Stakeholders Relationship Committee
j.	Nomination Committee
k.	Remuneration Committee
l.	H R Committee
m.	Committee for Monitoring of Recovery
n.	Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases
o.	Review Committee for Wilful Defaulters
p.	Review Committee for Non Co-operative Borrowers
q.	Credit Approval Committee
r.	Expenditure Approval Committee

a) Management Committee:

The Management Committee was constituted on September 8, 1990 and exercises such powers of the Board, as may be delegated to it by the Board with the approval of the Central Government after consultation with Reserve Bank of India. The Management Committee may exercise all the powers vested in the Board in respect of:

- Sanctioning of credit proposals (funded and non-funded);
- Loans compromise/write-off proposals;
- Proposals for approval of capital and revenue expenditure;
- Proposals relating to acquisition and hiring of premises including deviation from norms for acquisition and hiring of premises;
- Filing of suits/appeals, defending them etc.;
- Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies including underwriting;
- Donations ; and
- Any other matter referred to the Management Committee by the Board.

प्रबंधन समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	श्री किशोर खरात – अध्यक्ष	04.04.2017 – 31.03.2018	12	12
2.	श्री ए एस राजीव	01.04.2017 – 31.03.2018	12	12
3.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2017 – 31.03.2018	12	12
4.	श्री जे के दाश	01.04.2017 – 31.03.2018	12	11
5.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2017 – 30.06.2017 01.08.2017 – 31.01.2018	2 7	2 6
6.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	01.04.2017 – 17.09.2017 01.10.2017 – 31.03.2018	4 7	4 7
7.	डॉ. भरत कृष्ण शंकर	01.02.2018 – 31.03.2018	2	1

बी) लेखापरीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति 13 अक्तूबर 1995 को गठित की गयी और इसके कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं :

- बैंक के समग्र लेखा – परीक्षा कार्य, जोकि संस्थान तथा उसके परिचालन पर प्रभाव डालता है, को मार्गदर्शन प्रदान करना एवं उसका पर्यवेक्षण करना, जिससे बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण को व्यवस्थित, परिचालित करना एवं गुणवत्ता नियंत्रण करना अभिप्रेत है तथा बैंक की सांविधिक / बाहरी लेखा परीक्षा एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों का अनुवर्तन करना।
- अंतर–शाखा समायोजन खाते, अंतर बैंक खातों में बहुत दिनों से लंबित समाधान न की गई प्रविष्टियाँ और नास्ट्रो खातों, विभिन्न शाखाओं में बहियों के संतुलन में शेष काम, धोखाधडियाँ एवं अनुरक्षण पर विशिष्ट ध्यान देते हुए बैंक के आंतरिक निरीक्षण / लेखापरीक्षा कार्य की पुनरीक्षा करना।
- बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारियों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा और
- लांग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना और वार्षिक/अर्ध वार्षिक वित्तीय लेखा और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पूर्व बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ संपर्क करना।

दिनांक 23 नवंबर, 2006 को निदेशक मंडल के संकल्प की शर्तों के अनुसार, निम्नलिखित को शामिल करने के लिए लेखा परीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया गया :

- लेखा, लेखा–नीतियों, प्रकटीकरण की नियमित पुनरीक्षा ;
- प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने पर आधारित मुख्य लेखा प्रविष्टियों की पुनरीक्षा और लेखा परीक्षा से प्राप्त महत्वपूर्ण समायोजन की पुनरीक्षा;
- ड्राफ़्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट की शर्तें ;
- लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को शामिल करते हुए स्वतंत्र लेखा परीक्षा के विस्तार का निर्धारण एवं पुनरीक्षण करना तथा बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले तिमाही, छमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों का पुनरीक्षण करना
- किसी भी प्रकार के चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा के बाद चर्चा;
- आंतरिक लेखा परीक्षा का स्वरूप और समय अंतराल स्थापित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्ष की पुनरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;
- बैंक के लेखा मानकों और लेखा नीतियों का अनुपालन
- वित्तीय विवरणियों पर लागू सीमा तक स्टॉक एक्सचेंज की अपेक्षाओं का अनुपालन;
- संबंधित पार्टियों के लेनदेन का पर्यवेक्षण, यथा, प्रवर्तकों अथवा प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ भौतिक रूप के लेनदेन, जिनसे व्यापक रूप में बैंक के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है; और
- ऐसे अन्य मामले जो कि समय–समय पर किसी भी सांविधिक, संविदात्मक अथवा अन्य विनियामक आवश्यकताओं हेतु अपेक्षित हों।

Details of Attendance of the Directors at the Management Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri Kishor Kharat - Chairman**	04.04.2017 – 31.03.2018	12	12
2.	Shri A S Rajeev	01.04.2017 – 31.03.2018	12	12
3.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2017 – 31.03.2018	12	12
4.	Shri J K Dash	01.04.2017 – 31.03.2018	12	11
5.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2017 – 30.06.2017 01.08.2017 – 31.01.2018	2 7	2 6
6.	Shri Padmanaban Vittal Dass	01.04.2017 – 17.09.2017 01.10.2017 – 31.03.2018	4 7	4 7
7.	Dr. Bharath Krishna Sankar	01.02.2018 – 31.03.2018	2	1

b) Audit Committee:

The Audit Committee was constituted on October 13, 1995 and its terms of reference include the following:

- Provide direction as also oversee the total audit function of the Bank which impact the organization, operationalisation and quality control of internal audit and inspection in the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of the Reserve Bank of India.
- Review the internal inspection/audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, unreconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books at various branches, frauds and house-keeping.
- Review quarterly reports from the Compliance officers appointed in the Bank and
- Follow-up on all the issues raised in the Long Form Audit Report and interact with the external auditors before the finalization of the annual/semi-annual financial accounts and reports.

In terms of the resolution of the Board of Directors dated November 23, 2006, the scope of reference of the Audit Committee was enhanced to include the following:

- Regular review of accounts, accounting policies, disclosures;
- Review of the major accounting entries based on exercise of judgment by management and review of significant adjustments arising out of audit;
- Qualifications in the draft audit report;
- Establishing and reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and review of the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board;
- Post audit discussions with the auditors to ascertain any area of concern;
- Establishing the scope and frequency of internal audit, reviewing the findings of the internal auditors and ensuring the adequacy of internal control systems;
- Compliance with Accounting Standards and Accounting Policies of the Bank;
- Compliance with stock exchange requirements concerning financial statements, to the extent applicable;
- Oversee related party transactions i.e., transactions of the Bank of material nature, with promoters or management, their subsidiaries or relatives etc., that may have potential conflict with the interests of the Bank at large; and
- Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or other regulatory requirements.

लेखा परीक्षा समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	**श्री विजय कुमार गोयल – अध्यक्ष**	01.04.2017 – 31.03.2018	12	11
2.	श्री ए एस राजीव	01.04.2017 – 31.03.2018	12	12
5.	श्री एम के भट्टाचार्य (आमंत्री)	01.04.2017 – 31.03.2018	12	9
6.	सुश्री मुदिता मिश्रा	01.04.2017 – 31.03.2018	12	5
7.	श्री जे के दाश	01.04.2017 – 31.03.2018	12	11
9.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	01.04.2017 – 30.06.2017**	2	1
10.	श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन	26.10.2017 – 31.03.2018	8	8

** कार्यकाल की समाप्ति।

सी) जोखिम प्रबंधन समिति :

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 18 जनवरी, 2003 को किया गया था। जोखिम प्रबंधन समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- एकीकृत जोखिम प्रबंधन, जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न एक्सपोज़र से संबंधित जोखिम शामिल हैं, के लिए नीति और रणनीति तैयार करना
- बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलएमसी) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और अन्य जोखिम समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- समिति के दायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :
  - बाज़ार जोखिम मापने, उसके प्रबंधन और रिपोर्टिंग हेतु नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना
  - यह सुनिश्चित करना कि बाजार जोखिम प्रक्रियाएँ (जनता, प्रणालियों, परिचालनों, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) बैंक की नीति की संतुष्टि करती हैं।
  - ट्रिगर अथवा व्यापार और प्रोद्भवन पोर्टफोलियो हेतु हानि रोकने सहित बाज़ार जोखिम सीमाओं की पुनरीक्षा और अनुमोदन।
  - अर्ह और सक्षम स्टाफ की नियुक्ति, अर्ह और सक्षम स्टाफ और स्वतंत्र बाज़ार जोखिम प्रबंधक/कों आदि की तैनाती सुनिश्चित करना।

जोखिम प्रबंधन समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठके	उपस्थित बैठकें
1.	**श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन – अध्यक्ष**	01.04.2017 – 31.03.2018	6	6
2.	श्री किशोर खरात	04.04.2017 – 31.03.2018	6	6
3.	श्री ए एस राजीव	01.04.2017 – 31.03.2018	6	6
4.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2017 – 31.03.2018	6	6
5.	श्री विजय कुमार गोयल	01.04.2017 – 31.03.2018	6	6
6.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	01.04.2017 – 30.06.2017**	1	-
7.	श्री सलील कुमार झा	30.01.2018 – 31.03.2018	1	1
8.	श्री राजेश महाजन (विशेष आमंत्री)	01.04.2017 – 31.03.2018	6	5

** कार्यकाल की समाप्ति।

Details of Attendance of the Directors at the Audit Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri Vijay Kumar Goel - Chairman**	01.04.2017 – 31.03.2018	12	11
2.	Shri A S Rajeev	01.04.2017 – 31.03.2018	12	12
3.	Shri M K Bhattacharya (Invitee)	01.04.2017 – 31.03.2018	12	9
4.	Ms. Mudita Mishra	01.04.2017 – 31.03.2018	12	5
5.	Shri J K Dash	01.04.2017 – 31.03.2018	12	11
6.	Shri Sriram Ramachandran	01.04.2017 – 30.06.2017**	2	1
7.	Shri T C Venkat Subramanian	26.10.2017 – 31.03.2018	8	8

** Cessation of tenure

c) Risk Management Committee:

Risk Management Committee was constituted on January 18, 2003. The functions of the Risk Management Committee include the following:

- To devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank including the Credit Risk.
- To co-ordinate between the Credit Risk Management Committee (CRMC), the Asset Liability Management Committee (ALMC) and Operational Risk Management Committee (ORMC) and other risk committees of the Bank.
- The responsibility of the Committee include:
  - Setting policies and guidelines for market risk measurement, management and reporting.
  - Ensuring that market risk management processes (including people, systems, operations, limits and controls) satisfy Bank's policy.
  - Reviewing and approving market risk limits, including triggers or stop-losses for traded and accrual portfolios.
  - Appointment of qualified and competent staff, ensuring posting of qualified and competent staff and of independent market risk manager/s etc.

Details of Attendance of the Directors at the Risk Management Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri T C Venkat Subramanian - Chairman**	01.04.2017 – 31.03.2018	6	6
2.	Shri Kishor Kharat	04.04.2017 – 31.03.2018	6	6
3.	Shri A S Rajeev	01.04.2017 – 31.03.2018	6	6
4.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2017 – 31.03.2018	6	6
5.	Shri Vijay Kumar Goel	01.04.2017 – 31.03.2018	6	6
6.	Shri Sriram Ramachandran	01.04.2017 – 30.06.2017**	1	-
7.	Shri Salil Kumar Jha	30.01.2018 – 31.03.2018	1	1
8.	Shri Rajesh Mahajan (Special Invitee)	01.04.2017 – 31.03.2018	6	5

**Cessation of tenure

डी) आईटी रणनीति समिति :

- आईटी रणनीति समिति (भारिबैंक की सूचना – डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.सं.6 / 31.02.008 / 2010–11 दिनांक 29.04.2011 के जरिए दिए गए निदेशों / दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति को आईटी रणनीति समिति का नया नाम दिया गया है) का गठन मार्च 11, 2002 को किया गया।

- प्रौद्योगिकी समिति का गठन बैंक की प्रौद्योगिकी उन्नयन आवश्यकताओं पर विचार करने और स्पष्ट परिभाषित माइलस्टोन के साथ रणनीतिक योजना की अनुशंसा करने के लिए किया गया है।

आईटी रणनीति समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	**श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन – अध्यक्ष**	01.04.2017 – 31.03.2018	6	6
2.	श्री किशोर खरात	04.04.2017 – 31.03.2018	6	6
3.	श्री ए एस राजीव	01.04.2017 – 31.03.2018	6	6
4.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2017 – 31.03.2018	6	6
5.	श्री विजय कुमार गोयल	01.04.2017 – 30.01.2018	5	5
6.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	01.04.2017 – 30.06.2017**	1	शून्य
7.	डॉ भरत कृष्ण शंकर	30.01.2018 – 31.03.2018	1	1
8.	श्री सलील कुमार झा	30.01.2018 – 31.03.2018	1	1
9.	श्री रामनाथ चिंतगुंटा (विशेष आमंत्री)	01.04.2017 – 31.03.2018	6	6

** कार्यकाल की समाप्ति।

ई) ग्राहक सेवा समिति

ग्राहक सेवा समिति अगस्त 24, 2004 को गठित की गई थी। ग्राहक सेवा समिति के कार्य में निम्नलिखित भी शामिल हैं।

- आम व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रक्रियाविधियों व पद्धतियों के सरलीकरण पर ध्यान देने हेतु ;
- ग्राहकों को सेवा प्रदान करने हेतु पद्धतियों की पुनरीक्षा और
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित उन विनियमों और प्रक्रियाओं की पुनरीक्षा जोकि बैंक की ग्राहक सेवा का अतिक्रमण कर रही हैं।

ग्राहक सेवा समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	**श्री किशोर खरात – अध्यक्ष**	04.04.2017 – 31.03.2018	4	4
2.	श्री ए एस राजीव	01.04.2017 – 31.03.2018	4	4
3.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2017 – 31.03.2018	4	4
4.	सुश्री मुदिता मिश्रा	01.04.2017 – 31.03.2018	4	1
5.	श्री विजय कुमार गोयल	01.04.2017 – 31.03.2018	4	4
6.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	01.04.2017 – 31.03.2018	4	4
7.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2017 – 31.03.2018	4	3
8.	श्री सलील कुमार झा	30.01.2018 – 31.03.2018	1	1

एफ) निदेशकों की समिति (सतर्कता)

सतर्कता समिति जनवरी 12, 1991 को गठित की गई है। लंबित अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांच की पुनरीक्षा करने के लिए सतर्कता समिति की बैठक तिमाही में एक बार की जाती है। सतर्कता समिति की टिप्पणी, सतर्कता मामलों के अर्धवार्षिक पुनरीक्षण हेतु निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाती है।

d) IT Strategy Committee:

- IT Strategy Committee (The Technology Committee of the Board has been renamed as IT Strategy Committee as per the directions / guidelines of RBI vide communication DBS.CO.ITC.BC.No.6/31.02.008/2010-11 dated April 29, 2011) was constituted on March 11, 2002.
- The Technology Committee has been set up to look into the technological upgradation requirements of the Bank and recommend a strategic plan with clearly defined milestones.

Details of Attendance of the Directors at the IT Strategy Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri T C Venkat Subramanian - Chairman**	01.04.2017 – 31.03.2018	6	6
2.	Shri Kishor Kharat	04.04.2017 – 31.03.2018	6	6
3.	Shri A S Rajeev	01.04.2017 – 31.03.2018	6	6
4.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2017 – 31.03.2018	6	6
5.	Shri Vijay Kumar Goel	01.04.2017 – 30.01.2018	5	5
6.	Shri Sriram Ramachandran	01.04.2017 – 30.06.2017**	1	Nil
7.	Dr. Bharath Krishna Sankar	30.01.2018 – 31.03.2018	1	1
8.	Shri Salil Kumar Jha	30.01.2018 – 31.03.2018	1	1
9.	Shri Ramnath Chintagunta - Special Invitee	01.04.2017 – 31.03.2018	6	6

** Cessation of tenure

e) Customer Service Committee:

The Customer Service Committee was constituted on August 24, 2004. The functions of the Customer Service Committee include the following:

- To look into the simplification of procedures and practices with a view to safeguarding the interest of common persons;
- To review the systems in place for providing service to the customers ; and
- To review the regulations and procedures prescribed by Reserve Bank of India that impinge on customer service of banks.

Details of Attendance of the Directors at the Customer Service Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri Kishor Kharat - Chairman**	04.04.2017 – 31.03.2018	4	4
2.	Shri A S Rajeev	01.04.2017 – 31.03.2018	4	4
3.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2017 – 31.03.2018	4	4
4.	Ms. Mudita Mishra	01.04.2017 – 31.03.2018	4	1
5.	Shri Vijay Kumar Goel	01.04.2017 – 31.03.2018	4	4
6.	Shri Padmanaban Vittal Dass	01.04.2017 – 31.03.2018	4	4
7.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2017 – 31.03.2018	4	3
8.	Shri Salil Kumar Jha	30.01.2018 – 31.03.2018	1	1

f) Committee of Directors (Vigilance):

The Vigilance Committee was constituted on January 12, 1991. The Vigilance Committee meets once in a quarter to review any outstanding disciplinary cases and departmental enquiries. The observation of the Vigilance Committee is put up to the Board in the half yearly review of vigilance matters.

सतर्कता समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	**श्री किशोर खरात : अध्यक्ष**	**04.04.2017 – 31.03.2018**	4	4
2.	श्री ए एस राजीव	01.04.2017 – 31.03.2018	4	4
3.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2017 – 31.03.2018	4	4
4.	सुश्री मुदिता मिश्रा	01.04.2017 – 31.03.2018	4	शून्य
5.	श्री जे के दाश	01.04.2017 – 31.03.2018	4	3
6.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	01.04.2017 – 31.03.2018	4	4

जी) विशेष समिति (बडे मूल्य की धोखाधडियों की मॉनिटरिंग)

₹ 1 करोड़ और उससे अधिक की धोखाधडियों को मानीटर करने हेतु इस समिति का गठन 31 जनवरी 2004 को किया गया था।

विशेष समिति (बडे मूल्य की धोखाधडियों की मॉनिटरिंग) की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान बैठकें आयोजित	उपस्थित बैठकें
1.	**श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन : अध्यक्ष**	01.04.2017 – 31.03.2018	5	5
2.	श्री किशोर खरात	04.04.2017 – 31.03.2018	5	5
3.	श्री ए एस राजीव	01.04.2017 – 31.03.2018	5	5
4.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2017 – 31.03.2018	5	5
5.	सुश्री मुदिता मिश्रा	01.04.2017 – 31.03.2018	5	1
6.	श्री विजय कुमार गोयल	01.04.2017 – 31.03.2018	5	5
7.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	01.04.2017 – 31.03.2018	5	5

एच) शेयर अंतरण समिति :

इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 1999 के विनियम 2ए के अनुसार, 13 मार्च 2007 को बैंक की शेयर अंतरण समिति गठित की गई।

शेयर अंतरण समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	**श्री ए एस राजीव : अध्यक्ष**	01.04.2017 – 31.03.2018	1	1
2.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2017 – 31.03.2018	1	1
3.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2017 – 31.03.2018	1	1
4.	श्री श्रीराम रामचंद्रन	01.04.2017 – 30.06.2017**	1	शून्य

** कार्यकाल की समाप्ति।

Details of Attendance of the Directors at the Vigilance Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri Kishor Kharat – Chairman**	**04.04.2017 – 31.03.2018**	4	4
2.	Shri A S Rajeev	01.04.2017 – 31.03.2018	4	4
3.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2017 – 31.03.2018	4	4
4.	Ms. Mudita Mishra	01.04.2017 – 31.03.2018	4	Nil
5.	Shri J K Dash	01.04.2017 – 31.03.2018	4	3
6.	Shri Padmaban Vittal Dass	01.04.2017 – 31.03.2018	4	4

g) Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds):

The Committee was constituted on January 31, 2004 for monitoring frauds of ₹1 crore and above.

Details of Attendance of the Directors at the Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri T C Venkat Subramanian - Chairman**	01.04.2017 – 31.03.2018	5	5
2.	Shri Kishor Kharat	04.04.2017 – 31.03.2018	5	5
3.	Shri A S Rajeev	01.04.2017 – 31.03.2018	5	5
4.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2017 – 31.03.2018	5	5
5.	Ms. Mudita Mishra	01.04.2017 – 31.03.2018	5	1
6.	Shri Vijay Kumar Goel	01.04.2017 – 31.03.2018	5	5
7.	Shri Padmanaban Vittal Dass	01.04.2017 – 31.03.2018	5	5

h) Share Transfer Committee:

Pursuant to Regulation No.2A of Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, the Share Transfer Committee of the Bank was constituted on March 13, 2007.

Details of Attendance of the Directors at the Share Transfer Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri A S Rajeev - Chairman**	01.04.2017 – 31.03.2018	1	1
2.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2017 – 31.03.2018	1	1
3.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2017 – 31.03.2018	1	1
4.	Shri Sriram Ramachandran	01.04.2017 – 30.06.2017**	1	Nil

** cessation of tenure

आई) स्टेकधारक संपर्क समिति :

शेयरधारकों तथा निवेशकों की शिकायतों के निवारण का कार्य संभालने हेतु 23 नवंबर, 2006 को यह समिति गठित की गई और इस समिति का कार्य सिर्फ शेयरों के अंतरण, लाभांश, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने और किसी प्रकार की शिकायतों तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंक के विरुद्ध किसी शेयर धारक या निवेशक की शिकायतों के निवारण का कार्य भी शामिल है।

स्टेकधारक संपर्क समिति बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1	**श्री विनोद कुमार नागर – अध्यक्ष**	01.04.2017 – 31.03.2018	2	2
2	श्री ए एस राजीव	01.04.2017 – 31.03.2018	2	2
3	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2017 – 31.03.2018	2	2
4	श्री श्रीराम रामचंद्रन	01.04.2017 – 30.06.2017**	1	शून्य

** कार्यकाल की समाप्ति।

जे) नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक, डीबीओडी के पत्र बीसी.सं.47/29.39.001/2007–08 दि.01 नवंबर, 2007 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने, बैंक के शेयरधारक–निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए अपने नामांकन दायर करनेवालों का ''पात्र एवं उचित'' स्टेटस का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उचित सावधानी का कार्य निभाने हेतु दिसंबर 01, 2007 को नामांकन समिति गठित की थी।

नामांकन समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1	**श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन** – अध्यक्ष	01.04.2017 – 31.03.2018	3	3
2	सुश्री मुदिता मिश्रा	01.04.2017 – 31.03.2018	3	3
3	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	01.04.2017 – 31.03.2018	3	3
4	श्री सलिल कुमार झा	30.01.2018 – 31.03.2018	-	-

के) पारिश्रमिक समिति :

पारिश्रमिक समिति का गठन 29.03.2007 को हुआ था। निम्नलिखित समिति के सदस्य हैं :

1. **श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन** – **अध्यक्ष**
2. सुश्री मुदिता मिश्रा – **सदस्य**
3. श्री जे के दाश – **सदस्य**
4. श्री विनोद कुमार नागर – **सदस्य**
5. डॉ भरत कृष्ण शंकर – **सदस्य**

इस संबंध में भारत सरकार के नियमानुसार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशक को पारिश्रमिक एवं यात्रा तथा ठहरने हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है ।

गैर–कार्यपालक स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड / समिति की बैठकों में शामिल होने के शुल्क के अलावा और किसी प्रकार का पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता। राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 17 की शर्तों के अनुसार समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार गैर–कार्यपालकों को यात्रा एवं ठहरने हेतु भत्ते सहित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

यह समिति पूर्ण कालिक निदेशकों को निष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन के भुगतान के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के सेट के आधार पर पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक/पूर्णकालिक निदेशकों के निष्पादन को मूल्यांकित करती है।

वर्ष 2017–18 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

i) Stakeholders Relationship Committee:

The Committee was constituted with effect from November 23, 2006 to carry out such functions that are required for the redressal of Shareholders and investors complaints, including but not limited to transfer of shares, non-receipt of dividends, Annual Report and any other grievance that a shareholder or investor of the Bank may have against the Bank.

Details of Attendance of the Directors at the Stakeholders Relationship Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1	**Shri Vinod Kumar Nagar - Chairman**	01.04.2017 – 31.03.2018	2	2
2	Shri A S Rajeev	01.04.2017 – 31.03.2018	2	2
3	Shri M K Bhattacharya	01.04.2017 – 31.03.2018	2	2
4	Shri Sriram Ramachandran	01.04.2017 – 30.06.2017**	1	Nil

**Cessation of the tenure

j) Nomination Committee:

The Nomination Committee was constituted on 01.12.2007 by the Bank as per the guidelines of Reserve Bank of India contained in DBOD.Lr.BC.No.47/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 for the purpose of carrying out due diligence to determine the "fit and proper" status of the persons who file their nominations for election as Shareholder Director of the Bank

Details of Attendance of the Directors at the Nomination Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1	**Shri T C Venkat Subramanian - Chairman**	01.04.2017 – 31.03.2018	3	3
2	Ms. Mudita Mishra	01.04.2017 – 31.03.2018	3	3
3	Shri Padmanaban Vittal Dass	01.04.2017 – 31.03.2018	3	3
4	Shri Salil Kumar Jha	30.01.2018 – 31.03.2018	-	-

k) Remuneration Committee

The Remuneration Committee was constituted on 29.03.2007. The following are the members of the committee;

1. **Shri T C Venkat Subramanian - Chairman**
2. Ms. Mudita Mishra - Member
3. Shri J K Dash - Member
4. Shri Vinod Kumar Nagar - Member
5. Dr Bharath Krishna Sankar - Member

The Managing Director & CEO and Executive Director are being paid remuneration and reimbursement of their travelling and halting expenses are made as per the rules framed by Government of India in this regard.

The non-executive Independent Directors are not being paid any other remuneration, except Sitting Fees for attending the meetings of the Board/Committee as per the guidelines of Government of India. The remuneration including travelling and halting expenses to Non-Executive Directors is being paid as decided by the Central Government in consultation with RBI from time to time in terms of Clause 17 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 / 1980.

The Committee evaluates the performance of the Bank / Whole-time Directors for the year under review based on a set of parameters as fixed by Government of India for the purpose of payment of performance-linked incentives to Whole-time Directors.

There was no meeting of the Committee held during the year 2017-18

एल) एचआर समिति

भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.03.2012 को जारी निदेशों के अनुसार, बोर्ड की मानव संसाधन समिति का गठन जून, 2012 को एचआर की महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रत्येक तिमाही में चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए किया गया था।

एचआर समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	**श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन – अध्यक्ष**	01.04.2017 – 31.03.2018	8	8
2.	श्री किशोर खरात	04.04.2017– 31.03.2018	8	8
3.	श्री ए एस राजीव	01.04.2017 – 31.03.2018	8	8
4.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2017 – 31.03.2018	8	8
5.	सुश्री मुदिता मिश्रा	01.04.2017 – 31.03.2018	8	1
6.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	01.04.2017 – 30.01.2018	7	7
7.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2017 – 31.03.2018	8	7
8.	डॉ भरत कृष्ण शंकर	30.01.2018 – 31.03.2018	1	1
9.	श्री दुव्वुरी दुर्गा प्रसाद (विशेष आमंत्री)	01.04.2017 – 31.03.2018	8	6

एम) वसूली पर निगरानी समिति

भारत सरकार के दिनांक नवंबर 21, 2012 के पत्र एफ सं 7/112/2012–बीओए में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा दिसंबर 18, 2012 को वसूली को मानीटर करने के लिए वसूली पर निगरानी समिति गठित की गई तथा इसका उद्देश्य है मासिक आधार पर बैंक में की गई वसूली की प्रगति को मानीटर करना एवं विभिन्न समितियों, जैसे समझौता परामर्शदात्री समिति, आस्तियों की बिक्री समिति और बैंक के अन्य क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं के कार्य की पुनरीक्षा करना।

वसूली को मानीटर करनेवाली समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	**श्री किशोर खरात : अध्यक्ष**	04.04.2017 – 31.03.2018	6	6
2.	श्री ए एस राजीव	01.04.2017 – 31.03.2018	6	6
3.	श्री एम के भट्टाचार्य	01.04.2017 – 31.03.2018	6	6
4.	सुश्री मुदिता मिश्रा	01.04.2017 – 31.03.2018	6	1
5.	श्री विजय कुमार गोयल	01.04.2017 – 30.01.2018	5	5
6.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	30.01.2018 – 31.03.2018	1	1

एन) अनुशासनिक मामलों के लिए बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति :

अनुशासनिक मामलों में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ के निर्णयों के खिलाफ की जाने वाली अपीलों के लिए उनसे एक स्तर ऊपर की बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति का गठन 15 दिसंबर 2014 को किया गया है । इसमें निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

1. सुश्री मुदिता मिश्रा, भारत सरकार द्वारा नामांकित निदेशक – अध्यक्षा
2. श्री विनोद कुमार नागर – सदस्य
3. श्री पद्मनाभन विट्ठल दास – सदस्य
4. श्री विजय कुमार गोयल – सदस्य

2017–18 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

l) HR Committee :

As per the direction of Government of India communication dated March 21, 2012, the HR Committee of the Board was constituted on June 29, 2012 to discuss and decide upon critical issues in HR every quarter.

Details of Attendance of the Directors at the HR Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri T C Venkat Subramanaian - Chairman**	01.04.2017 – 31.03.2018	8	8
2.	Shri Kishor Kharat	04.04.2017– 31.03.2018	8	8
3.	Shri A S Rajeev	01.04.2017 – 31.03.2018	8	8
4.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2017 – 31.03.2018	8	8
5.	Ms. Mudita Mishra	01.04.2017 – 31.03.2018	8	1
6.	Shri Padmanaban Vittal Dass	01.04.2017 – 30.01.2018	7	7
7.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2017 – 31.03.2018	8	7
8.	Dr. Bharath Krishna Sankar	30.01.2018 – 31.03.2018	1	1
9.	Shri Duvvuri Durga Prasad (Special Invitee)	01.04.2017 – 31.03.2018	8	6

m) Committee for Monitoring of Recovery :

The Committee for Monitoring of Recovery was constituted on December 18, 2012 as per the guidelines of Government of India contained in F.No.7/112/2012-BOA dated November 21, 2012 for the purpose of monitoring the progress made by the Bank in recovery and to review the functioning of various Committees such as Settlement Advisory Committee, Sale of Assets Committee and other field level functionaries in the Bank.

Details of Attendance of the Directors at the Committee for Monitoring of Recovery Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri Kishor Kharat - Chairman**	04.04.2017 – 31.03.2018	6	6
2.	Shri A S Rajeev	01.04.2017 – 31.03.2018	6	6
3.	Shri M K Bhattacharya	01.04.2017 – 31.03.2018	6	6
4.	Ms. Mudita Mishra	01.04.2017 – 31.03.2018	6	1
5.	Shri Vijay Kumar Goel	01.04.2017 – 30.01.2018	5	5
6.	Shri Padmanaban Vittal Dass	30.01.2018 – 31.03.2018	1	1

n) Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases :

The Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases was constituted on December 15, 2014, one level above the authority of Managing Director & CEO of the Bank whose decision is appealed against. It is constituted with the following Directors:

1. Ms. Mudita Mishra, GOI Nominee Director - Chairperson
2. Shri Vinod Kumar Nagar - Member
3. Shri Padmanaban Vittal Dass - Member
4. Shri Vijay Kumar Goel - Member

There was no meeting of the Committee held during 2017-18.

ओ) इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में दिनांक 01 जुलाई 2014 को प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 23 जनवरी 2015 को इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा के लिए समिति गठित की गई। यह समिति, उधारकर्ताओं को इरादतन चूककर्ता के रूप में पहचानने वाली स्क्रीनिंग समिति के आदेशों की पुनरीक्षा करेगी।

इरादतन चूककर्ताओं हेतु आयोजित बैठकों में समीक्षा समिति के निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें
1.	**श्री किशोर खरात : अध्यक्ष**	04.04.2017 – 31.03.2018	1	1
2.	श्री पद्मनाभन विट्ठल दास	01.04.2017 – 31.03.2018	1	1
3.	श्री श्रीराम रामचंद्रन	01.04.2017 – 30.06.2017	शून्य	शून्य
4.	श्री सलिल कुमार झा	30.01.2018 – 31.03.2018	1	1

पी) असहयोगी उधारकर्ताओं की समीक्षा हेतु समिति

जनवरी 23, 2015 को सहयोग नहीं देनेवाले उधारकर्ताओं की समीक्षा हेतु समिति का गठन, ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में स्क्रीनिंग संमिति के आदेशों की पुनरीक्षा / पुष्टिकरण के लिए किया गया, जिसमें भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ताओं को असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

निम्नलिखित समिति के सदस्य हैं :

1. **श्री किशोर खरात** – **अध्यक्ष**
2. श्री विनोद कुमार नागर – **सदस्य**
3. श्री सलिल कुमार झा – **सदस्य**

वर्ष 2017–18 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

क्यू) बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति

भारत सरकार की अधिसूचना एसओ 2736 (ई) दिनांक 05.12.2011 के अनुसार ऋण अनुमोदन समिति 04.04.2012 को गठित की गई तथा यह बोर्ड की प्रबंधन समिति के अधीन मंजूरी निकाय होगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे ।

1. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. कार्यपालक निदेशकगण
3. ऋण के प्रभारी महाप्रबन्धक*
4. ट्रेशरी एवं निवेश के प्रभारी महाप्रबन्धक और
5. वित्त / लेखा के प्रभारी महाप्रबन्धक

(* चूंकि विभिन्न महाप्रबंधक / विभाग प्रमुख ऋण प्रस्तावों को डील कर रहे हैं इसलिए संबंधित महाप्रबंधक / विभाग प्रमुख संबंधित प्रस्ताव के लिए समिति के सदस्य होंगे।)

ये सदस्य ऋण प्रस्ताव / समझौता प्रस्ताव /बट्टे खाते लिखने के प्रस्ताव आदि पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित ढांचे के अनुरूप उनको प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करेंगे। वर्ष 2017–18 के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की 20 बैठकें आयोजित की गईं।

पी. व्यय अनुमोदन समिति

व्यय अनुमोदन समिति का गठन समिति अवधारणा को लाभ पहुंचाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया :

1) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2) कार्यपालक निदेशकगण
3) ट्रेशरी /व्यय / मासंप्र / टीएमडी के प्रभारी महाप्रबन्धक
4) महाप्रबन्धक / विभाग प्रमुख (जिनके द्वारा व्यय प्रस्तावित है)
5) उप महाप्रबन्धक / मुख्य अनुपालन अधिकारी

वर्ष 2017–18 के दौरान व्यय अनुमोदन समिति की बैठक 14 बार हुई ।

o) Review Committee for Wilful Defaulters :

The Review Committee for Wilful Defaulters was constituted on January 23, 2015 as per RBI guidelines dated July 1, 2014. The committee will review the orders of the Screening Committee identifying borrowers as wilful defaulters.

Details of Attendance of the Directors at the Review Committee for Wilful Defaulters Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri Kishor Kharat - Chairman**	04.04.2017 – 31.03.2018	1	1
2.	Shri Padmanaban Vittal Dass	01.04.2017 – 31.03.2018	1	1
3.	Shri Sriram Ramachandran	01.04.2017 – 30.06.2017	Nil	Nil
4.	Shri Salil Kumar Jha	30.01.2018 – 31.03.2018	1	1

p) Review Committee for Non Co-operative Borrowers :

The Review Committee for Non-Cooperative Borrowers was constituted on January 23, 2015, to review / confirm the orders of the Screening Committee for Non-cooperative Borrowers classifying the borrower as Non-Cooperative Borrower as per RBI guidelines. The following are the members of the committee;

1. **Shri Kishor Kharat - Chairman**
2. Shri Vinod Kumar Nagar - Member
3. Shri Salil Kumar Jha - Member

There was no meeting of the Committee held during the year 2017-18

q) Credit Approval Committee:

The Credit Approval Committee was constituted on 04.04.2012 by the Bank as per the Government of India Notification S.O.2736(E) dated 05.12.2011 to be a sanctioning body below MCB. The Committee consists of the following Members :

(1) Managing Director & Chief Executive Officer

(2) Executive Directors

(3) General Manager in charge of Credit*

(4) General Manager in charge of Treasury and Investment

(5) General Manager in charge of Finance / Accounts

(* As different GMs/Department Heads are dealing with credit proposals, the GM/DH concerned shall be a member of the Committee for the respective proposal)

to exercise such powers delegated to it by Board with regard to credit proposals / compromise proposals / write off proposals within the framework spelt out by Government of India vide their Notification. The Credit Approval Committee of the Board met 20 times during the year 2017-18.

r) Expenditure Approval Committee :

The Expenditure Approval Committee was formed to get the benefits of Committee approach with the following members.

(1) Managing Director & Chief Executive Officer

(2) Executive Directors

(3) General Managers in charge of Treasury / Expenditure / HRM / TMD

(4) General Manager / Department Head (proposing the expenditure)

(5) Deputy General Manager / Chief Compliance Officer

The Expenditure Approval Committee met 14 times during the year 2017-18.

4. सामान्य बैठकें

बैंक के शेयरधारकों की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) के विवरण निम्न प्रकार हैं ;

वार्षिक आम बैठक	दिन एवं दिनांक	समय	स्थान
नौवीं	शनिवार, जून 27, 2015	10.30 बजे पूर्वाह्न	इमेज, एमआरसी नगर राजा अण्णामलैपुरम चेन्नै – 600 028
दसवीं	बुधवार जून 29, 2016	10.30 बजे पूर्वाह्न	इमेज, एमआरसी नगर राजा अण्णामलैपुरम चेन्नै – 600 028
ग्यारहवीं	सोमवार जून 12, 2017	10.30 बजे पूर्वाह्न	इमेज, एमआरसी नगर राजा अण्णामलैपुरम चेन्नै – 600 028

नवीं व दसवीं वार्षिक आम बैठकों के दौरान कोई भी विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया। ग्यारहवीं आम बैठक में निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित किए गए तथा वर्ष 2018 के दौरान असाधारण आम बैठक आयोजित की गई :

ए) 12 जून, 2017 को आयोजित ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक में, फॉलो–ऑन पब्लिक ऑफर / राइट्स इश्यू / क्यूआईपी / अधिमानी इश्यू के माध्यम से 10/ – रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के 4.75 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करने हेतु अनुमोदन के साथ एक संकल्प तथा / अथवा बैंक द्वारा तय किए जाने वाले प्रायवेट प्लेसमेंट को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित किया गया था ।

बी) वर्ष 2017 – 18 के दौरान, 31 जनवरी, 2018 को एक असाधारण आम बैठक इमेज़ एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै – 600028 में सुबह 10.30 बजे आयोजित की गई, जिसमें वर्तमान या बाद के वित्तीय वर्षों में आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक श्रृंखलाओं में आगामी पब्लिक ऑफर / प्रायवेट प्लेसमेंट / राइट्स इश्यू / क्यूआईपी / अधिमान्य इश्यू / इन्स्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कार्यक्रम के माध्यम से 7000 करोड़ रुपये (प्रीमियम सहित) तक इक्विटी पूंजी जुटाने को मंजूरी देते हुए बैंक द्वारा तय किए जाने वाले विशेष प्रस्ताव के रूप में एक संकल्प पारित किया गया था।

सी) डाक मतपत्र द्वारा न ही पिछले वर्ष/निकट भविष्य में कोई संकल्प पारित किया गया/किया जाएगा।

5. प्रकटीकरण

ए. बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर अनुबद्ध ''संबंधित पार्टी लेन–देनों'' (आरपीटी) की आवश्यकताओं का अनुपालन करता रहा है। बैंकिंग कारोबार के सामान्य व्यवहार में आनेवाली मदों के अलावा बैंक ने अपने प्रवर्तकों / निदेशकों, प्रबंधन, उनकी अनुषंगियाँ, अथवा रिश्तेदारों आदि के साथ किसी भी प्रकार के भौतिक प्रमुख लेनदेनों में भाग नहीं लिया है जिससे बैंक के हितों के साथ संभाव्यतः टकराव हो। बैंक ने आरपीटी के महत्व पर एवं आरपीटीयों से निपटान हेतु एक नीति निर्मित की है, जिसे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर पोर्ट किया गया है।

बी. बैंक ने 'भौतिक अनुषंगी के निर्धारण हेतु नीति' बनाई है एवं उसे बैंक की वेबसाइट – www.indianbank.in पर प्रकट किया गया है। बैंक में दो सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियाँ हैं अर्थात मेसर्स इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेस लिमिटेड एवं मेसर्स इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड और दोनों ''भौतिक अनुषंगी कंपनियाँ'' नहीं हैं।

सी. प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ और कार्यपालक निदेशकों को इस संबंध में भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उनके यात्रा एवं विराम भत्ते के व्यय की प्रतिपूर्ति और पारिश्रमिक अदा किया जाता है और उनको प्रदत्त पारिश्रमिक के विवरण, बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में प्रकट किए गए हैं। एसोसिएशन/संघ के साथ किए गए द्विपक्षीय समझौते के अनुसार अधिकारी–कर्मचारी निदेशक और कामगार कर्मचारी निदेशक को पारिश्रमिक और उनके द्वारा की गई यात्रा के लिए यात्रा एवं विराम भत्ते अदा किये जाते हैं। गैर कार्यपालकों / अंशकालिक, गैर–अधिकारी निदेशकों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क रु. 20,000/– एवं रु. 10,000/– प्रति बोर्ड की बैठक एवं समिति बैठक, के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णीत रूप से समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खण्ड 17 के अनुसार यात्रा एवं विराम व्यय सहित, उनको पारिश्रमिक अदा किया जाता है।

डी. वर्ष 2017–18 के दौरान किसी प्रकार की पण्य मूल्य जोखिम एवं पण्य प्रतिरक्षा गतिविधियां नहीं हुईं।

ई. बैंक के बोर्ड, बोर्ड की लेखा समिति एवं बोर्ड की अन्य समितियों का गठन एवं निदेशकों को मानदेय, बोर्ड/समिति प्रक्रियाओं/संबद्ध पार्टी संव्यवहार आदि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं विभिन्न प्रावधान) अधिनियम 1970, इंडियन बैंक (शेयर तथा बैठकें) अधिनियम 1999, द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित किया जाता है एवं आवश्यक दिशानिर्देश दिए जाते हैं तथा इस क्रम में सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के 15 से 27 तक के विनियमों के प्रावधान संगत/लागू नहीं हैं।

एफ. कॉर्पोरेट अभिशासन के अंश के रूप में और अधिक मात्रा में पारदर्शिता हासिल करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा ''व्हिसिल ब्लोअर नीति'' बनाकर निर्धारित की गयी है तथा इसकी शर्तों के अनुसार स्टाफ सदस्यों के लिए एक ऐसी प्रणाली निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत वे प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहास्पद धोखाधडी या बैंक की आचार संहिता या नीतिपरक नीति के संबंध में अपनी चिंता को रिपोर्ट कर सकें तथा इस संबंध में लेखा परीक्षा समिति तक किसी को पहुंच प्राप्त करने से मना नहीं किया गया है।

जी. सेबी (एलओडीआर) विनियमनों के अनुपालन में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ''लाभांश वितरण नीति'' बनायी है जोकि बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in में पोर्ट की गई है।

4. General Body Meetings

The details of the last three Annual General Meetings (AGM) of shareholders of the Bank are as follows:

Annual General Meeting	Day & Date	Time	Venue
Ninth	Saturday June 27, 2015	10.30 a.m.	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028
Tenth	Wednesday June 29, 2016	10.30 a.m.	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028
Eleventh	Monday June 12, 2017	10.30 a.m.	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028

While no special resolutions were passed at the 9th and 10th Annual General Meetings, the following special resolutions were passed at the 11th Annual General Meeting and at the Extraordinary General Meeting held during the year 2018;

a) In the Eleventh Annual General Meeting held on June 12, 2017, a resolution approving issue of further 4.75 crore equity shares of face value of Rs.10/- each by way of Follow-on Public Offer / Rights Issue / QIP / Preferential Issue and / or Private Placement to be decided by the Bank was passed as special resolution.

b) During the year 2017-18, an Extra-ordinary General Meeting was held on January 31, 2018 at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600028 at 10.30 a.m. wherein a resolution approving raising of equity capital upto Rs.7000 crore (including premium) in one or more tranches in the current or subsequent financial years based on the requirement through Further Public Offer / Private Placement / Rights Issue / QIP / Preferential Issue / Institutional Placement Programme to be decided by the Bank was passed as special resolution.

c) No special resolution was / will be passed in the last year / in the recent future through postal ballot.

5. Disclosures

a. The Bank is complying with the requirements on related party transactions (RPT) as stipulated by Reserve Bank of India from time to time. Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoters / Directors, Management, their subsidiaries, or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. Bank has formulated a policy on materiality of RPT and on dealing with RPTs, which is ported in Bank's website www.indianbank.in.

b. Bank has formulated a 'Policy for determining material subsidiary' and the same is disclosed in Bank's website, viz., www.indianbank.in. The Bank is having two listed subsidiary companies viz., M/s Indbank Merchant Banking Services Limited and M/s Ind Bank Housing Limited and both are not 'material subsidiary companies'.

c. The Managing Director & CEO and Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of their travelling and halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard and the details of remuneration paid to them are disclosed under Schedule 18 to the Audited Financial Statements of the Bank. The Officer Employee Director and Workmen Employee Directors are being paid remuneration and reimbursement of their travelling and halting expenses as per the terms of Bipartite Settlement with the Association / Union. The Non-Executive / Part-time Non-Official Directors / Shareholder Directors are not being paid any other remuneration, except Sitting Fees for attending the meetings of the Board / Committee as per the guidelines of Government of India at ₹ 20,000/- and ₹ 10,000/- per Board Meeting and Committee Meeting, respectively and the remuneration including travelling and halting expenses to them is being paid as decided by the Central Government in consultation with RBI from time to time in terms of Clause 17 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 / 1980.

d) There was no commodity price risks and commodity hedging activities during the year 2017-18.

e) The constitution of the Bank's Board, Audit Committee and other committees of the Board and remuneration to the Directors, Board / Committee procedures / Related Party Transactions etc are governed under the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulations Act, 1949, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended and guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India from time to time and to that extent some of the provisions of the Regulations 15 to 27 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 are not compatible / applicable.

f) As a part of Corporate Governance and towards achieving greater transparency, 'Whistle Blower Policy' has been formulated and put in place by the Bank and in terms of which a mechanism has been established for staff members to report to the management concerns about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of the Bank's code of conduct or ethics policy and no personnel has been denied access to the Audit Committee in this regard.

g) As compliance to SEBI (LODR) Regulations, Bank has formulated a 'Dividend Distribution Policy' in line with the guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India in this regard, which is ported in Bank's website www.indianbank.in.

एच) अनिवार्य एवं विवेकाधीन आवश्यकताएं :

बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 तथा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंटों के अनुसार सभी प्रयोज्य आवश्यकताओं का पालन किया है। विवेकाधीन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की सीमा नीचे प्रस्तुत है।

विवेकाधीन आवश्यकता	अनुपालन
ए. बोर्ड : गैर कार्यपालक अध्यक्ष को अधिकार होना चाहिए कि वे सूचीबद्ध कंपनियों के खर्चे पर अध्यक्ष का कार्यालय बनाए रखें और उन्हें अपने कार्यभार के निर्वहन में किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति भी की जानी चाहिए।	बैंक की अध्यक्षता एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जाती है जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त हैं । भारत सरकार ने भी इस संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए हैं जिनका बैंक द्वारा अनुपालन किया जाता है।
बी. शेयरधारक के अधिकार : पिछले छः महीने में प्राप्त वित्तीय उपलब्धियों की छमाही घोषणा सहित महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त विवरण शेयरधारकों के घर–घर तक भेजा जाए।	इसे बैंक की वेबसाइट www-indianbank-in तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www-bseindia-com, www-nseindia-com पर अपलोड किया गया है और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया है।
सी. लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर आशोधित अभिमतः सूचीबद्ध इकाई अशोधित लेखा परीक्षा अभिमत के साथ वित्तीय विवरण की व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ सकता है।	बैंक के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनर्ह है।
डी. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए अलग–अलग पद : सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग–अलग व्यक्तियों को नियुक्त करें।	बैंक के गैर–कार्यपालक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी अलग–अलग हैं।
ई. आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग : आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करें।	बैंक द्वारा संगामी लेखा परीक्षकों/शाखाओं के निरीक्षकों की रिपोर्ट को समेकित करके आवधिक रूप से लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

6. संचार के माध्यम

बैंक से संबंधित जानकारी मुखतः वार्षिक रिपोर्ट द्वारा जारी की जाएगी जिसमें निदेशक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, नकदी प्रवाह विवरण, समेकित लेखा परीक्षित लेखे आदि शामिल हैं। शेयरधारकों को समाचार पत्रों में प्रकाशन, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना (एनएसई एवं बीएसई) प्रेस विज्ञाप्तियां, जहाँ भी संभव हो – ईमेल, जोकि बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, के द्वारा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक निष्पादनों की जानकारी दी जाएगी। बैंक ब्याज दरों में संशोधन, नए उत्पादों के प्रवर्तन, नई शाखाओं का खोला जाना जैसे विभिन्न परिचालन मामलों पर प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी करता है जोकि बैंक की वेबसाइट (www.indianbank.in) पर भी उपलब्ध हैं।

बैंक ने अन्य समाचार पत्रों के अतिरिक्त अपने तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणामों को एक राष्ट्रीय (अंग्रेजी) और एक स्थानीय भाषा (तमिल) के समाचार पत्र में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 47 में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रकाशित किया है। वर्ष 2017–18 के दौरान किए गए ऐसे प्रकाशनों का विवरण निम्नानुसार है।

..... को समाप्त तिमाही/छमाही/वर्ष	समाचार पत्र	प्रकाशन तिथि
31.03.2017	बिजनस लाइन डेयली तंदी जनसत्ता – हिन्दी	26.04.2017 26.04.2017 26.04.2017
30.06.2017	बिजनस लाइन दिनकरन बिज़नस स्टैन्डर्ड (हिन्दी)	22.07.2017 22.07.2017 24.07.2017
30.09.2017	बिजनस लाइन दिनमलर बिज़नस स्टैन्डर्ड (अंग्रेजी एवं हिन्दी)	07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017
31.12.2017	बिजनस लाइन डेयली तंदी बिज़नस स्टैन्डर्ड (अंग्रेजी – हिन्दी)	13.02.2018 13.02.2018 13.02.2018

बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न मूल्य से संबंधित संवेदनशील जानकारी की सूचना स्टॉक एक्स्चेंज (एनएसई और बीएसई) को दी है।

h) Mandatory and Discretionary requirements:

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The extent of implementation of discretionary requirements is furnished as under:

Discretionary Requirement	Compliance
A. Board: A non-executive Chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	The Board is chaired by a Non-Executive Chairman appointed by the Government of India. The GOI has also issued guidelines in this regard which Bank complies with.
B. Shareholder rights: A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	It has been uploaded in the website of Bank www.indianbank.in as well as website of Stock Exchanges www.bseindia.com, www.nseindia.com and also published in newspapers.
C. Modified Opinion(s) in audit report: The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The audit report on the financial statements of the Bank is unqualified.
D. Separate posts of Chairperson and Chief Executive Officer: The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer.	The Bank is having separate Non-Executive Chairman and Managing Director & CEO.
E. Reporting of internal auditor: The internal auditor may report directly to the audit committee	The concurrent auditors / inspectors of branches reports are consolidated and placed before the audit committee by the Bank periodically.

6. Means of Communication

Information relating to Bank will be mainly issued through the Annual Report which includes the Directors Report, Auditors Report, Cash Flow Statements, Consolidated Audited Accounts etc. The shareholders will also be intimated on the quarterly, half yearly and annual performance through individual communication, publication in newspapers, intimation to Stock Exchanges (NSE & BSE), press release, presentation, email wherever possible, which is also available on the website of the Bank. The Bank issues press release on various operational matters such as revision in interest rates, launching of new products, opening of new branches etc. which are also available on the website of the Bank (www.indianbank.in).

The Bank has published its quarterly / half-yearly / annual financial results in one national (English) and one vernacular (Tamil) newspaper as detailed below as per the terms stipulated in Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in addition to other newspapers. The details of such publications made during the year 2017-18 are as under:

Quarter / Half-year / Year ended	Newspaper	Date of publication
31.03.2017	Business Line Daily Thanthi Janasata-Hindi	26.04.2017 26.04.2017 26.04.2017
30.06.2017	Business Line Dinakaran Business Standard (Hindi)	22.07.2017 22.07.2017 24.07.2017
30.09.2017	Business Line Dinamalar Business Standard (English&Hindi)	07.11.2017 07.11.2017 07.11.2017
31.12.2017	Business Line Daily Thanthi Business Standard (English&Hindi)	13.02.2018 13.02.2018 13.02.2018

The Bank has also notified the Stock Exchanges (NSE and BSE) various price sensitive information during the year.

7. सामान्य शेयरधारकों की जानकारी

इंडियन बैंक के लेखों पर विचार करने व लाभांश की घोषणा के लिए बोर्ड की बैठक	मई 10, 2018
वार्षिक सामान्य बैठक का दिनांक, समय और स्थान	जून 28, 2018, पूर्वाह्न 10.30 बजे इमेज ऑडिटोरियम, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600 028
वित्तीय वर्ष	2017–18
बही समापन तारीख	जून 23, 2018 से जून 28, 2018
2017–18 के लिए लाभांश	प्रत्येक 10 रुपये के अंकित मूल्य के ईक्विटी शेयर पर 6 रुपये (60 प्रतिशत)
प्राक्सी फ़ार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	जून 22, 2018
लाभांशों के भुगतान की तारीख	जुलाई 27, 2018

ए. स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग

बैंक के ईक्विटी शेयर 01 मार्च, 2007 के प्रभाव से भारतीय नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड (मेसर्स भारतीय नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सी–1, ब्लॉक ''जी'', बांद्रा (पूर्वी मुंबई) व बीएसई लिमिटेड (मेसर्स बीएसई लिमिटेड, पी जे टवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – 400001) के पास सूचीबद्ध है। एक्सचेंज के स्क्रिप कोड निम्नानुसार हैं।

क्रमांक	स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक	स्क्रिप कोड
1.	एन एस ई	ईक्विटी	INDIANB
2.	बी एस ई	ईक्विटी	INDIANB / 532814

बैंक ने वर्ष 2017–18 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया है।

बी. अनुपालन अधिकारी

श्री पी ए कृष्णन, महाप्रबंधक को सेबी और अन्य सांविधिक प्राधिकरणों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए 28 जून, 2016 से अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। श्री ए गणेश रत्नम, कंपनी सचिव, 30.06.2017 तक अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित थे तथा श्री बिमल शाह, कंपनी सचिव को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिए गए एसईबीआई (एलओडीआर) विनियमन और लिस्टिंग एग्रीमेंटों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालनार्थ 01.07.2017 से अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

सी. शेयर हस्तांतरण और निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

बैंक ने शेयरों के अंतरण/प्रेषण के लिए शेयरधारकों के अनुरोधों को रिकॉर्ड करने, निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने तथा शेयरों के जारीकरण से संबंधित अन्य कार्यकलापों को संभालने के लिए मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि., चेन्नै को शेयर हस्तांतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। निवेशकों की सुविधा के लिए, उनकी शिकायतें चेन्नै स्थित बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में भी स्वीकार की जाती हैं।

निवेशक, अपने अनुरोध / शिकायतों को या तो शेयर हस्तांतरण एजेंट के पास या बैंक के पास निम्नलिखित पते पर दे सकते हैं :

केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लि. यूनिट : इंडियन बैंक सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड चेन्नै 600 002 टेलीफोन : (91 44) 28460718 फैक्स : (91 44) 28460129 ई–मेल : investor@cameoindia.com	कंपनी सचिव इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय इन्वेस्टर सर्विसेज़ सेल 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै रायपेट्टा, चेन्नै 600 014 टेलीफोन : (91 44) 28134076 फैक्स : (91 44) 28134075 ई–मेल : investors@indianbank.co.in

प्राप्त, निवारण की गई एवं लंबित शिकायतों की संख्या :

2017–18 के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई तथा 31.03.2018 को लंबित शिकायतों की संख्या निम्नवत् है :

01.04.2017 को लंबित	01.04.2017 से 31.03.2018 तक प्राप्त	निवारण की गई की संख्या	31.03.2018 को लंबित
0	45	45	0

7. General Shareholder Information

Board Meeting for considering accounts of Indian bank and declaration of dividend	May 10, 2018
Date, Time and venue of AGM	June 28, 2018, 10.30 a.m IMAGE Auditorium, MRC Nagar. Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028.
Financial Year	2017-18
Book closure dates	June 23, 2018 to June 28, 2018
Dividend for 2017-18	₹ 6.00 (60%) on equity share of Face Value of ₹ 10 each.
Last date of receipt of proxy forms	June 22, 2018
Date of payment of Dividend	July 27, 2018

a. Listing on Stock Exchanges –

The Equity Shares of the Bank are listed with the National Stock Exchange of India Limited (M/s National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, C-1, Block “G”, Bandra (East), Mumbai – 400 051) and the BSE Limited (M/s BSE Limited, P J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001) with effect from March 01, 2007. The Scrip codes of the respective Stock Exchange are as under:

No.	Stock Exchange	Stock	Scrip Code
1.	N S E	Equity	INDIANB
2.	B S E	Equity	INDIANB / 532814

The Bank has paid the listing fees for the year 2017-18 to the stock exchanges.

b. Compliance Officer(s):

Shri P A Krishnan, General Manager has been designated as Compliance Officer from June 28, 2016 for complying with various provisions of SEBI and other statutory authorities. Shri. A. Ganesa Rathnam, Company Secretary was designated as the Compliance Officer upto 30.06.2017 and Shri Bimal Shah, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer from 01.07.2017 for complying with various provisions of SEBI (LODR) Regulations and Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges.

c. Share Transfer & Redressal of Investors’ Grievances:

The Bank has appointed M/s Cameo Corporate Services Limited, Chennai, as the Share Transfer Agent for recording of shareholders requests for transfer / transmission of shares, resolution of investors grievances amongst other activities connected with the issue of shares. For the convenience of investors, grievances / complaints from them are also accepted at the Bank’s Corporate Office in Chennai.

The investors may lodge their requests / complaints either with the Share Transfer Agent or with the Bank at the following addresses:

Cameo Corporate Services Limited Unit: Indian Bank Subramanian Building 1, Club House Road Chennai – 600 002. Tel: (91 44) 28460718 Fax: (91 44) 28460129 Email:investor@cameoindia.com	Company Secretary Indian Bank, Corporate Office Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai Royapettah, Chennai - 600 014. Telephone : (91 44) 28134076 Fax : (91 44) 28134075 Email: investors@indianbank.co.in

Number of Complaints received, resolved and pending:

The details of complaints received and resolved during 2017-18 and pending as on 31.03.2018 are as follows:

Pending as on 01.04.2017	Received from 01.04.2017 to 31.03.2018	Resolved	Pending as on 31.03.2018
0	45	45	0

डी. 31.03.2018 को शेयरधारिता पैटर्न :

31.03.2018 को 1 प्रतिशत तथा उससे अधिक शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों की सूची :

सं.	शेयर धारकों का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कुल धारिता के तहत प्रतिशत
1.	भारत सरकार	393235409	81.87
2.	एचडीएफ़सी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड – खाता एचडीएफ़सी मिड–कैप आपरच्युनिटीस फण्ड	4302700	2.98
3.	एल एण्ड टी म्युचुअल फण्ड ट्रस्टी लिमिटेड	10455992	2.18
4.	एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फण्ड्स – इंडियन ईक्विटी	7050496	1.47
5.	भारतीय जीवन बीमा निगम	6328163	1.32

31.03.2018 तक कुल विदेशी धारिताः

सं.	शेयर धारकों का संवर्ग	धारित शेयरों की संख्या	कुल धारिता के तहत प्रतिशत
1.	विदेशी संस्थागत निवेशक	4041110	0.84
2.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	27033038	5.63
3.	एनआरआई	576122	0.12
	कुल	**31650270**	**6.59**

31.03.2018 तक शेयरधारिता का वितरणः

संवर्गवार :

सं.	संवर्ग	धारित शेयरों की संख्या	राशि (रु.)	शेयरधारिता का प्रतिशत
1.	भारत सरकार	393235409	3932354090	81.87
2.	बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ (केन्द्रीय / राज्य संस्थाएँ)	6803869	68038690	1.41
3.	म्यूचुअल फ़ण्ड और यूटीआई	33824887	338248870	7.04
4.	कार्पोरेट निकाय	2277036	22770360	0.47
5.	एफआईआई / एफ़पीआई	31074148	310741480	6.47
6.	निवासी होल्डिंग्स इत्यादि	13076302	130763020	2.74
	कुल	**480291651**	**4802916510**	**100.00**

31.03.2018 तक शेयरधारिता का वितरण %

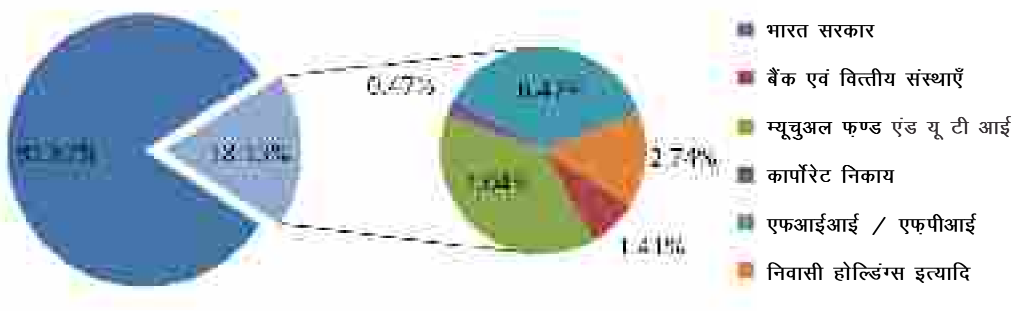

d. Shareholding pattern as on 31.03.2018:

List of shareholders holding shares 1% and above as on 31.03.2018:

No.	Names of Shareholders	No. of shares held	% to total holding
1.	Government of India	393235409	81.87
2.	HDFC Trustee Company Limited – A/c HDFC Mid-Cap Opportunities Fund	14302700	2.98
3.	L & T Mutual Fund Trustee Ltd	10455992	2.18
4.	HSBC Global Investment Funds – Indian Equity	7050496	1.47
5.	Life Insurance Corporation of India	6328163	1.32

Total foreign holding as on 31.3.2018:

No.	Category of Shareholders	No. of shares held	% to total holding
1.	Foreign Institutional Investors	4041110	0.84
2.	Foreign Portfolio Investors	27033038	5.63
3.	Non Resident Indians	576122	0.12
	T o t a l	**31650270**	**6.59**

Distribution of shareholdings as on 31.03.2018:

Category wise:

No.	Category	No. of Shares held	Amount (₹)	% of Shareholding
1.	Government of India	393235409	3932354090	81.87
2.	Banks & Financial Institutions (Central / State Institutions)	6803869	68038690	1.41
3.	Mutual Funds & UTI	33824887	338248870	7.04
4.	Bodies Corporate	2277036	22770360	0.47
5.	FIIs /FPIs	31074148	310741480	6.47
6.	Resident Holdings, etc.	13076302	130763020	2.74
	TOTAL	**480291651**	**4802916510**	**100.00**

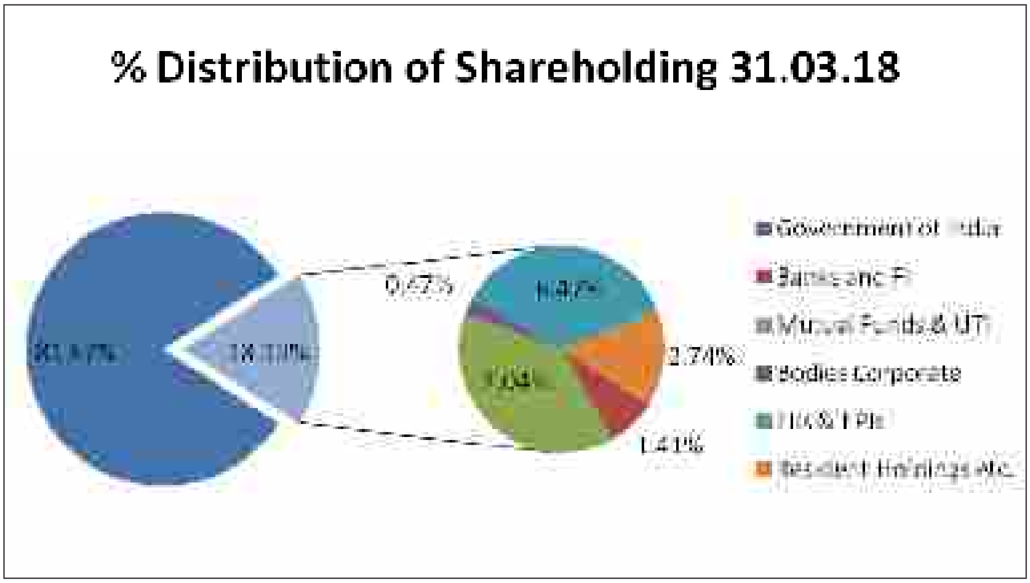

मूल्यवार :

अंकित मूल्य के शेयरों की शेयरधारिता	शेयर धारक		शेयर	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
5000 तक	63059	94.68	67941420	1.42
5001 से 10000	2044	3.07	15103410	0.31
10001 से 20000	737	1.11	10426000	0.22
20001 से 30000	235	0.35	5852030	0.12
30001 से 40000	98	0.15	3443930	0.07
40001 से 50000	85	0.13	3951660	0.08
50001 से 100000	119	0.18	8793430	0.18
100001 और उससे अधिक	225	0.33	4687404630	97.60
कुल	**66602**	**100.00**	**4802916510**	**100.00**

मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशन एवं शेयरों की मात्रा :

माह	एनएसई			बीएसई			कुल
	उच्च (₹)	निम्न (₹)	मात्रा (संख्याएँ लाख में)	उच्च (₹)	निम्न (₹)	मात्रा (संख्याएँ लाख में)	मात्रा (संख्याएँ लाख में)
अप्रैल 2017	325.75	251.45	390.58	325.35	252.00	42.31	432.89
मई 2017	365.00	309.05	287.99	364.80	309.00	31.35	319.34
जून 2017	329.80	269.00	220.73	328.75	269.25	27.732	48.46
जुलाई 2017	339.30	279.40	338.60	339.25	279.55	36.56	375.16
अगस्त 2017	316.45	262.70	224.11	316.40	262.15	17.45	241.56
सितंबर 2017	295.75	253.05	179.93	295.50	254.00	15.57	195.50
अक्तूबर 2017	355.85	255.05	269.94	355.00	256.50	30.25	300.19
नवंबर 2016	427.40	317.50	589.34	428.00	315.05	50.76	640.10
दिसंबर 2017	403.50	362.00	191.67	403.45	356.00	14.21	205.88
जनवरी 2018	406.00	357.35	219.74	405.75	357.75	17.35	237.09
फरवरी 2018	367.80	300.10	324.23	367.50	300.45	23.73	347.96
मार्च 2018	333.25	269.00	425.08	333.30	269.40	30.02	455.10

वर्ष 2017-18 के दौरान एनएसई निफ्टी 50 की तुलना में ईक्विटी का निष्पादन

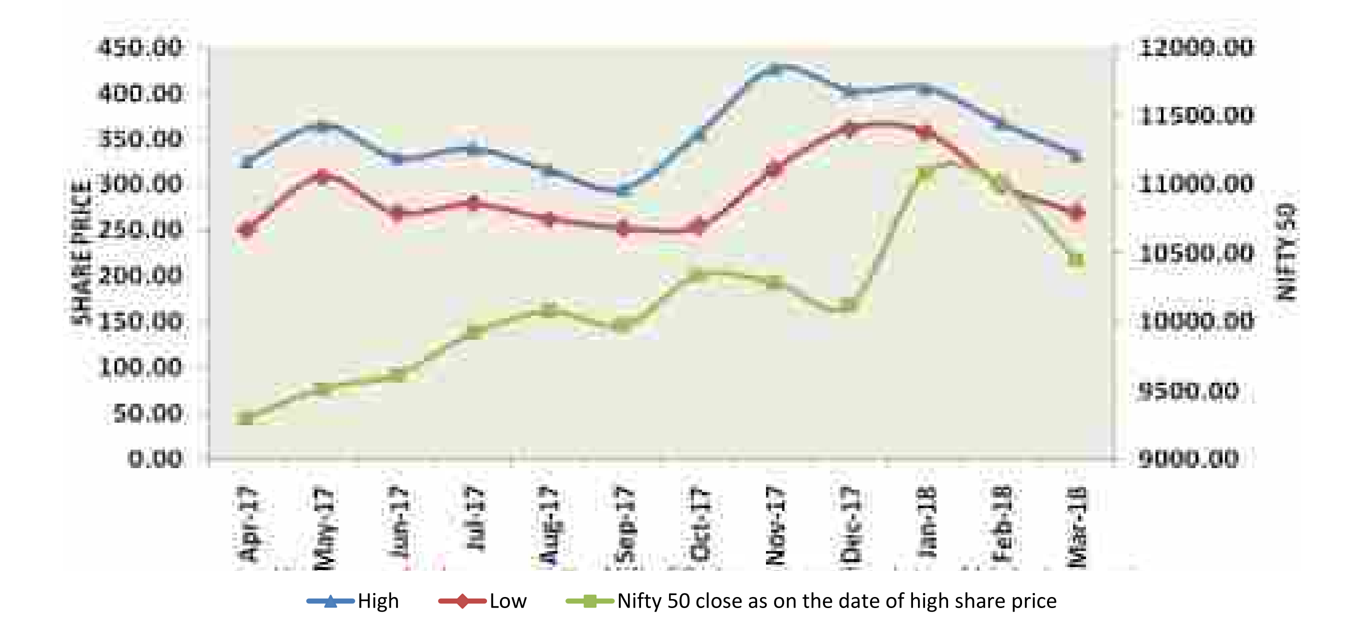

Value wise:

Shareholding of Nominal value	Shareholders		Shares	
	Nos.	%	₹	%
Upto 5000	63059	94.68	67941420	1.42
5001 – 10000	2044	3.07	15103410	0.31
10001 – 20000	737	1.11	10426000	0.22
20001 – 30000	235	0.35	5852030	0.12
30001 – 40000	98	0.15	3443930	0.07
40001 – 50000	85	0.13	3951660	0.08
50001 – 100000	119	0.18	8793430	0.18
100001 & above	225	0.33	4687404630	97.60
TOTAL	**66602**	**100.00**	**4802916510**	**100.00**

Monthly High and low quotation and volume of shares:

Month	N S E			B S E			Total Volume (Nos. in lacs)
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in lakh)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in lakh)	
April 2017	325.75	251.45	390.58	325.35	252.00	42.31	432.89
May 2017	365.00	309.05	287.99	364.80	309.00	31.35	319.34
June 2017	329.80	269.00	220.73	328.75	269.25	27.73	248.46
July 2017	339.30	279.40	338.60	339.25	279.55	36.56	375.16
August 2017	316.45	262.70	224.11	316.40	262.15	17.45	241.56
September 2017	295.75	253.05	179.93	295.50	254.00	15.57	195.50
October 2017	355.85	255.05	269.94	355.00	256.50	30.25	300.19
November 2017	427.40	317.50	589.34	428.00	315.05	50.76	640.10
December 2017	403.50	362.00	191.67	403.45	356.00	14.21	205.88
January 2018	406.00	357.35	219.74	405.75	357.75	17.35	237.09
February 2018	367.80	300.10	324.23	367.50	300.45	23.73	347.96
March 2018	333.25	269.00	425.08	333.30	269.40	30.02	455.10

Equity Performance in comparison with NSE Nifty 50 during the year 2017-18

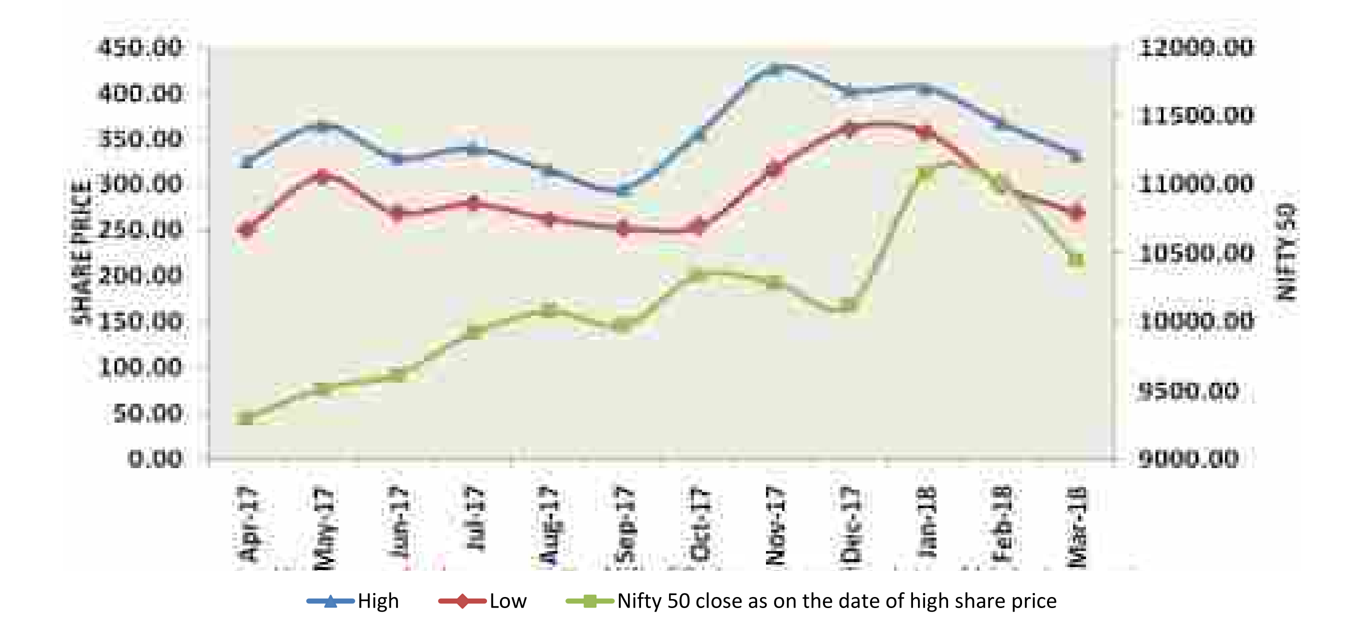

ई) शेयरों का अमूर्तकरण(कागज़ रहित करना)

बैंक के शेयर में लेनदेन, अनिवार्यतः कागज़ – रहित रूप में किए जाते हैं तथा बैंक ने नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है तथा आईएसआईएन, आईएनई 562A01011 है। 31.03.2018 को कागज़–रहित रूप में और कागज़ के रूप में धारित शेयरों के विवरण निम्नवत् हैं :

संख्या	फॉर्म	शेयरों की संख्या	
1.	भौतिक (कागज के रूपमें)		1268
2.	डी–मेट – एनएसडीएल के साथ सीडीएसएल के साथ	84082370 396208013	480290383
	कुल		**480291651**

मार्च 2018 को कोई भी ग्लोबल डिपोजिटरी रसीद या अमरीकी डिपोजिटरी रसीद या वारंट या कोई संपरिवर्तनीय बकाया नहीं थे।

एफ) बैंक ने समय–समय पर अपरिवर्तनीय बॉन्डों को जारी किया है और ऐसे बॉन्डों का विवरण दिनांक 31 मार्च, 2018 तक निम्नानुसार है।

शृंखला	आबंटन की तारीख	मात्रा (रु करोड़ में)	अवधि (महीनों में)	कूपन (%)	मोचन की तारीख
टियर II	28.06.2010	500.00	120	8.53	28.06.2020
टियर II	16.07.2010	500.00	180	8.67	16.07.2025*
अतिरिक्त टियर I बेसल III का अनुपालन	30.03.2016	500.00	स्थायी**	11.15	-
टियर II	28.07.2016	600.00	120	8.10	28.07.2026***

* दिनांक 16.07.2020 तक कॉल ऑप्शन उपलब्ध है।

** प्रथम कॉल ऑप्शन 30.03.2021 को उपलब्ध तथा इसके पश्चात प्रत्येक कूपन की तारीख को उपलब्ध।

*** कॉल ऑप्शन 28.07.2021 को उपलब्ध ।

निर्गम के लिए बॉन्ड ट्रस्टी

i बैंक ने दिनांक जून 28, 2010 तथा जुलाई 16, 2010 को जारी किए गए टियर II बॉन्ड के लिए बॉन्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई को बॉन्डों के निवेशकों के हित को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने हेतु नियुक्त किया है। निर्गम के ट्रस्टियों का पता – मेसर्स आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, भूतल, एशियन बिल्डिंग, सं.17 आर, कामनी रोड, बलार्ड एस्टेट, फोर्ट, मुंबई – 400 001

ii बैंक ने दिनांक मार्च 30, 2016 को जारी किए गए अतिरिक्त टियर I बॉन्ड तथा जुलाई 28, 2016 को जारी टियर II बांडों के लिए बॉन्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड मुंबई को बॉन्डों के निवेशकों के हित को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने हेतु नियुक्त किया है। निर्गम के ट्रस्टियों का पता – मेसर्स एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड, भू तल, एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग मिल्स कॉम्पाउण्ड पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरली, मुंबई 400 025

जी) सस्पेन्स (उचंत) खाते में शेयर

सेबी (सूचीबध्दता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं, 2015) में अनुबद्ध किये गये विनियम 39 की आवश्यकता के अनुपालन में इनिशियल पब्लिक ऑफर में जारी किये गये, परंतु बैंक तथा रजिस्ट्रार के प्रयासों के बावजूद भी अदावी रहनेवाले शेयरों को बैंक इस प्रयोजनार्थ खोले गये सस्पेन्स (उचंत) खाते में रखता है। सस्पेन्स, (उचंत) खाते में रखे गए ऐसे शेयरों के विवरण निम्नवत् हैं :

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	बकाया अदत्त शेयर
वर्ष के आरंभ में बकाया	21	3584
हस्तांतरण हेतु संपर्क करनेवाले शेयरधारकों की संख्या	0	0
शेयरधारकों की संख्या जिन्हें शेयर हस्तांतरित किये गये	0	0
वर्षांत में बकाया	21	3584

एच) दावा नहीं किए गए लाभांश

अक्तूबर 16, 2006 को लागू बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) और वित्तीय संस्थाएँ नियम (संशोधन) अधिनियम 2006 ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 में एक नयी धारा 10(बी) लगाया है जिसमें निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:

1. घोषणा की तारीख के 30 दिनों के बाद वाली 7 दिनों की अवधि के अंदर यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश को नहीं भुनाया है / दावा नहीं किया है तो बैंक के चालू खाते में रहनेवाली ऐसी राशियाँ, ''वर्ष ...... के लिए इंडियन बैंक का अदत्त लाभांश'' नामक पृथक खाते में अंतरित किया जाए।
2. अदत्त लाभांश खाते में अंतरित कोई भी राशि यदि ऐसे अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए अदत्त रहती या उसके लिए दावा नहीं की जाती तो उसका अंतरण कंपनी अधिनियम, 1956 की उपधारा 205 सी के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को किया जाए।

तदनुसार, पिछले वर्षों के लिए अदत्त लाभांश को इंडियन बैंक के अदत्त लाभांश खाते में अंतरित किया गया है और इसके बाद ऐसे अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या अदावी रहनेवाली राशियों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा। तदनुसार, वर्ष 2009–10(अंतरिम) से संबंधित 6.72 लाख रुपए की अदावी लाभांश राशि और वर्ष 2009–10 (अंतिम) से संबंधित 6.77 लाख रुपए की अदावी लाभांश राशि को वर्ष 2017–18 के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित किया गया।

e. Dematerialization of Shares

The shares of the Bank are compulsorily traded in dematerialized form and the Bank has entered into agreements with the National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the ISIN is INE562A01011. As on March 31, 2018 the details of equity shares held in dematerialised and physical form were as under.

No.	Form	No. of shares	
1.	Physical		1268
2.	D-Mat - with NSDL	84082370	
	with CDSL	396208013	480290383
	TOTAL		**480291651**

There was no outstanding Global Depository Receipts or American Depository Receipts or warrants or any convertible instruments as on March 31, 2018.

f. The Bank has raised Non-convertible Bonds from time to time and the details of such bonds outstanding as on March 31, 2018 are as under:

Series	Date of allotment	Size (Rs. in crore)	Tenor (in months)	Coupon (%)	Redemption date
Tier II	28.06.2010	500.00	120	8.53	28.06.2020
Tier II	16.07.2010	500.00	180	8.67	16.07.2025*
Additional Tier I – Basel III compliant	30.03.2016	500.00	Perpetual**	11.15	-
Tier II	28.07.2016	600.00	120	8.10	28.07.2026***

* Call option available on 16.07.2020. ** First call option available on 30.03.2021 & there after every coupon date.

***Call option available on 28.07.2021.

Bond Trustee to the Issue:

I. The Bank has appointed M/s IDBI Trusteeship Services Limited, Mumbai as Bond Trustees to Tier II Bonds issued on June 28, 2010 and July 16, 2010, to safeguard and to protect the interests of the investors of the Bonds. Address of the Trustees to the Issue is M/s IDBI Trusteeship Services Limited, Ground Floor, Asian Building, No.17 R, Kamani Marg, Ballard Estate, Fort, Mumbai - 400 001.

ii. The Bank has appointed M/s Axis Trustee Services Limited, Mumbai as Bond Trustees to Additional Tier I Bonds issued on March 30, 2016 and Tier II bonds issued on July 28, 2016 to safeguard and to protect the interests of the investors of the Bonds. Address of the Trustee to the Issue is – M/s Axis Trustee Services Limited, Ground Floor, Axis House, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025.

g. Shares in Suspense Account

In compliance of the requirement stipulated in Regulation 39 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank is keeping the shares issued pursuant to the Initial Public Offer, which remain unclaimed despite the best efforts of the Bank and the Share Transfer Agent in a Suspense Account opened for this purpose. The details of such shares lying in the Suspense Account are as under:

Particulars	No. of shareholders	Shares outstanding
Outstanding at the beginning of the year	21	3584
No. of shareholders approached for transfer	0	0
No. of shareholders to whom shares were transferred	0	0
Outstanding at the end of the year	21	3584

h. Unclaimed Dividend

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, which has come into force on October 16, 2006, has inserted a new section 10 B in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, which provides as under:

1. Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed / claimed the dividend, such amounts lying in the bank current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividiend of Indian Bank for the year….."
2. Any money transferred to the Unpaid Dividend account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under sub-section 205C of the Companies Act, 1956

.Accordingly, the unpaid dividends of previous years have been transferred to Unpaid Dividend accounts of Indian Bank and hence, such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund. Accordingly, the unclaimed dividend amounts of ₹ 6.72 lakhs pertaining to the year 2009-10 (Interim) and ₹ 6.77 lakhs pertaining to the year 2009-10 (Final) were transferred to Investor Education and Protection Fund during the year 2017-18.

2010–11 से 2016–17 तक पिछले वर्षों के लिए अदत्त लाभांश खातों के विवरण तथा आईईपीएफ में उनके अंतरण के लिए नियत तारीख निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	अदत्त लाभांश के विवरण	31.03.2018 को शेष (ए)	आईईपीएफ को अंतरण के लिए नियत तारीख
1.	लाभांश 2010–11	1207672.50	अगस्त 2018
2.	लाभांश 2011–12	1396162.50	अगस्त 2019
3.	लाभांश 2012–13	1466850.00	अगस्त 2020
4.	अंतरिम लाभांश 2013–14	999831.00	फरवरी 2021
5.	अंतरिम लाभांश 2013–14	572412.10	अगस्त 2021
6.	लाभांश 2014–15	1002002.40	अगस्त 2022
7.	लाभांश 2015–16	533697.00	अगस्त 2023
8.	लाभांश 2016–17	2266050.00	अगस्त 2024

ऐसे शेयर धारक / निवेशक जिन्होंने अपने लाभांश वारंट / धन वापसी आदेशों की भुनाई नहीं की है, से अनुरोध है कि वे बैंक के चेन्नै स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय के निवेशक सेवा कक्ष या बैंक के शेयर अंतरण ऐजेंट के पास अंतरण के लिए नियत तारीख के पहले अपनी अद्यतन बनाई गई ग्राहक मास्टर सूची / बैंक अधिदेश के साथ संपर्क करें ताकि लाभांश / धन वापसी की राशि उनके खाते में जमा की जा सकें।

आई) सेबी (आंतरिक व्यक्ति द्वारा ट्रेडिंग पर रोक) विनियमन 2015 का अनुपालनः

उपर्युक्त विनियमनों के अनुपालन में बैंक ने अपनी प्रतिभूतियों में डीलिंग करनेवाले नामोद्दिष्ट कर्मचारियों और निदेशकों के लिए आंतरिक व्यक्ति द्वारा ट्रेडिंग पर रोकथाम के लिए आचार संहिता बनाई है। इन विनियमनों की शर्तों की अपेक्षानुसार बैंक के नामोद्दिष्ट कर्मचारियों और निदेशकों से आवधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न फार्म बनाए गए हैं। आगे, वर्ष 2017–18 के दौरान निम्नलिखित विवरणों के अनुसार बैंक के शेयरों में डीलिंग करने के लिए नामोद्दिष्ट कर्मचारियों और निदेशकों के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद कर दिया गया था :

ट्रेडिंग विंडो बंद करने की तारीख	बंद करने का उद्देश्य
अप्रैल 14, 2017 से अप्रैल 27, 2017 तक	मार्च 31, 2017 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा एवं वर्ष 2016–17 हेतु अंतरिम लाभांश की घोषणा
जुलाई 13, 2017 से जुलाई 23, 2017 तक	जून 30, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा
अक्तूबर 27, 2017 से नंबवर 08 2017 तक	सितम्बर 30, 2017 को समाप्त तिमाही / छमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा
जनवरी 29, 2018 से फरवरी 14, 2018 तक	दिसम्बर 31, 2017 को समाप्त तिमाही / नौ महीनों के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा

बैंक के निदेशकों में एक निदेशक ने उपर्युक्त विनियम का उल्लंघन किया है तथा रु.10 लाख से अधिक के संबंध में बैंक के ईक्विटी शेयरों से उत्पन्न डिरैवेटिवस में किये गये व्यापार को देरी से प्रकट किया है। इसे लेखापरीक्षा समिति द्वारा नोट कर लिया गया है तथा अंतरिम उपाय के रूप में सेबी को रिपोर्ट करने के लिए सूचित किया गया और इसे सेबी को रिपोर्ट किया गया।

जे) आचार संहिता :

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर लागू आचार संहिता बनायी है तथा इस संहिता को निदेशक मंडल ने दिनांक 29 मार्च, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में इसे अपना लिया है तथा बाद में इसमें संशोधन किया गया है और निदेशक मण्डल ने 23 दिसम्बर 2008 को उसे अनुमोदित किया है और इसे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in में भी उपलब्ध कराया गया है।

घोषणा

बैंक ने सभी बोर्ड सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता बनाई है तथा इसे बैंक की वेबसाइट में भी उपलब्ध करा दिया गया है।

बोर्ड के सदस्यों (ऊपर उल्लिखित उल्लंघन से अन्यों) और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते इंडियन बैंक

किशोर खरात
प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ

The details of such Unpaid Dividend accounts of earlier years from 2010-11 to 2016-17 and the due dates for transfer to IEPF are as under:

Sl. No.	Details of Unpaid Dividend	Balance as on 31.03.2018 (₹)	Due Date of Transfer to IEPF
1.	Dividend 2010-11	1207672.50	August 2018
2.	Dividend 2011-12	1396162.50	August 2019
3.	Dividend 2012-13	1466850.00	August 2020
4.	Interim Dividend 2013-14	999831.00	February 2021
5.	Final Dividend 2013-14	572412.10	August 2021
6.	Dividend 2014-15	1002002.40	August 2022
7.	Dividend 2015-16	533697.00	August 2023
8.	Dividend 2016-17	2266050.00	August 2024

Such of those shareholders / investors, who are yet to encash their Dividend Warrants / Refund Orders, are requested to approach Investor Services Cell of the Bank at its Corporate Office, Chennai or the Bank's Share Transfer Agent with their updated Client Master List / bank mandate before the due date(s) for transfer to enable the Bank to credit their bank accounts with the dividend / refund amounts.

i. Compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

In pursuance of the above Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in securities of the Bank. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and Directors of the Bank, as required in terms of these Regulations. Further, the Trading Window for dealing in shares of the Bank was closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details during the year 2017-18:

Dates of closure of Trading Window	Purpose of Closure
From April 14, 2017 to April 27, 2017	Declaration of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2017 and declaration of Dividend for the year 2016-17.
From July 13, 2017 to July 23, 2017	Declaration of Financial Results for the quarter ended June 30, 2017.
From October 27, 2017 to November 08, 2017	Declaration of Financial Results for the quarter / half-year ended September 30, 2017.
From January 29, 2018 to February 14, 2018	Declaration of Financial Results for the quarter / nine months ended December 31, 2017.

One of the Directors of the Bank breached the aforesaid Regulation and disclosed with delay regarding trades in derivatives arising from equity shares of the Bank in excess of Rs. 10 lacs. The same was taken note of by Audit Committee and as interim measure advised to report to SEBI and the same was reported to SEBI.

j. Code of Conduct

The Bank has framed the Code of Conduct applicable to Board of Directors and Senior Management Personnel and the same has been adopted by the Board of Directors at its meeting held on March 29, 2007 and subsequently amended and approved by the Board of Directors on December 23, 2008 and the same has also been put on the Bank's website viz., www.indianbank.in.

Declaration

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and the Code is posted on the website of the Bank.

The Board Members (other than the breach reported here in above) and Senior Management have affirmed compliance to the Code of Conduct.

For Indian Bank

Kishor Kharat
Managing Director & CEO

सेवा में,

निदेशक मंडल
इंडियन बैंक

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनियमन 2015) के विनियम 17(8) के अनुसार सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

(ए) हमने वर्ष 2017–18 के लिए इंडियन बैंक के वित्तीय विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरणों का पुनरीक्षण किया है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार

(i) इन विवरणों में तात्विक रूप से कोई अवास्तविक कथन नहीं हैं या महत्वपूर्ण तथ्य हटाए नहीं गये हैं या भ्रमजनक विवरण नहीं हैं।

(ii) ये विवरण एकत्रित रूप से बैंक के कार्यकलापों का सच्चा एवं निष्पक्ष रूप दिखाते हैं और ये विद्यमान लेखाकरण मानक, प्रयोज्य कानून एवं विनियमन के अनुरूप हैं।

(बी) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो कपटपूर्ण, गैर–कानूनी हो या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो ।

(सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं अनुरक्षित करने का दायित्व लेते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण के रूप या परिचालन में कमियाँ, यदि हों, जिन्हें हम जानते हैं तथा इन कमियों को सुधारने के लिए किए गए कदम या प्रस्तावित कदम की रिपोर्ट हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को दे दी है।

(डी) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को निम्नलिखित बातों की जानकारी दी हैः

(I) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और इनका प्रकटीकरण, वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में किया गया है, और

(iii) धोखाधड़ी की महत्वपूर्ण घटनाओं के मामले, जो हमें ज्ञात हुए हैं और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारी या प्रबंधन का शामिल होना, यदि हो, की जानकारी।

(पी ए कृष्णन)
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

किशोर खरात
प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 10 मई 2018

To

The Board of Directors
Indian Bank

CEO & CFO Certificate under Regulation 17(8) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

This is to certify that

(a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement of Indian Bank for the year 2017-18 and that to the best of our knowledge and belief:

(i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee

(I) significant changes in internal control over financial reporting during the year.

(ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(P A Krishnan)
General Manager & CFO

(Kishor Kharat)
Managing Director & CEO

Place : Chennai
Date : May 10, 2018

कार्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

इंडियन बैंक के सदस्य

हमने 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए **इंडियन बैंक** द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कथित बैंक के लिस्टिंग करार के उपरान्त भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के अध्याय IV में अनुबद्ध कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन, प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाविधियों और उनके कार्यान्वयन तक ही हमारी जांच सीमित थी। यह लेखापरीक्षा भी नहीं है और न ही यह बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत का प्रकटीकरण है।

हमारी राय में और हमारी उत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लिस्टिंग करार के उपरान्त भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनिमय, 2015 के अध्याय IV में निहित प्रावधान के अनुसार बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया गया है, जो किसी भी निदेशकों की नियुक्ति में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रम का अंतरण) अधिनियम, 1970 में यथा संशोधित का उल्लंघन नहीं करते।

हम आगे कहते हैं, कि ऐसा अनुपालन, न ही बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही बैंक के कार्यों के संचालन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभावोत्पादकता है।

कृते प्रकाश चंन्द्र जैन एण्ड कंपनी
For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002438C

प्रतीक नलवाया
PRATEEK NALWAYA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.414356)

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
For GANDHI MINOCHA & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000458N

अजय कुमार कत्याल
AJAY KUMAR KATYAL
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.087915)

कृते पॉम्स एण्ड एसोसियेट्स
For PAMS & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No. 316079E

प्रमोद कुमार मिश्रा
PRAMOD KUMAR MISRA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.052699)

कृते पी एस सुब्रमणिय अय्यर एण्ड कंपनी
For P S SUBRAMANIA IYER & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.004104S

जे रघुराम
J RAGHURAM
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.021929)

कृते एम थामस एण्ड कंपनी
For M THOMAS & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.004408S

ए रोजारियो
A ROZARIO
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.021230)

स्थान Place : चेन्नै Chennai
दिनांक Date : 10 मई 2018 / 10.05.2018

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To

The Members of Indian Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **INDIAN BANK** for the year ended on March 31, 2018 as stipulated in Chapter IV of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 pursuant to the Listing Agreement of the said Bank with the Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the provisions as specified in Chapter IV of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 pursuant to the Listing Agreement of the said Bank with Stock Exchanges to the extent these do not violate the Banking Regulation Act, 1949 and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended, in respect of appointment of Directors.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO
Chartered Accountants
FR No.002438C

PRATEEK NALWAYA
Partner
(M No. 414356)

For GANDHI MINOCHA & CO
Chartered Accountants
FR No.000458N

AJAY KUMAR KATYAL
Partner
(M. No 087915)

For P A M S & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 316079E

PRAMOD KUMAR MISRA
Partner
(M. No.052699)

For P S SUBRAMANIA IYER & CO
Chartered Accountants
FR No.004104S

J RAGHURAM
Partner
(M No. 021929)

For M THOMAS & CO
Chartered Accountants
FR No.004408S

A ROZARIO
Partner
(M No.021230)

Place : Chennai
Date : May 10, 2018

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त रखा गया है।

This page is intentionally left blank

तुलन पत्र,
लाभ और हानि लेखा और अनुसूचियां

BALANCE SHEET,
PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2018

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
पूँजी व देयताएं CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	480 29 17	480 29 17
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves and Surplus	2	17968 12 67	16681 71 83
जमाएं Deposits	3	208294 22 17	182509 28 25
उधार Borrowings	4	19760 17 07	12636 88 90
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	6213 01 18	5924 96 55
कुल TOTAL		**252715 82 26**	**218233 14 70**
आस्तियां ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और अधिशेष Cash & Balances with R B I	6	10501 60 02	5588 70 03
बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	2426 18 80	4453 01 90
निवेश Investments	8	71397 76 65	67551 78 86
अग्रिम Advances	9	156568 92 85	127699 28 20
अचल आस्तियां Fixed Assets	10	3418 34 55	3442 60 46
अन्य आस्तियां Other Assets	11	8402 99 39	9497 75 25
कुल TOTAL		**252715 82 26**	**218233 14 70**
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	33703 86 18	29362 30 39
वसूली के लिए बिल Bills for Collection	-	4607 54 82	3230 55 59

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां Significant Accounting Policies 17
लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts 18
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ, तुलन पत्र के अभिन्न अंग हैं
Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

टी सी वेंकट सुब्रमणियन
T C VENKAT SUBRAMANIAN
गैर–कार्यपालक अध्यक्ष
NON EXECUTIVE CHAIRMAN

किशोर खरात
KISHOR KHARAT
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
MANAGING DIRECTOR & CEO

ए एस राजीव
A S RAJEEV
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

एम के भट्टाचार्य
M K BHATTACHARYA
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

पी ए कृष्णन
P A KRISHNAN
महाप्रबंधक (लेखा) / सीएफओ
GENERAL MANAGER (ACCOUNTS)/CFO

निदेशक **DIRECTORS**

अमित अग्रवाल **AMIT AGRAWAL**
जे के दाश **J K DASH**
विजय कुमार गोयल **VIJAY KUMAR GOEL**
पद्मनाभन विट्ठल दास **PADMANABAN VITTAL DASS**
सलिल कुमार झा **SALIL KUMAR JHA**
विनोद कुमार नागर **VINOD KUMAR NAGAR**

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक **STATUTORY CENTRAL AUDITORS**

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट संलग्न है / As per our report of even date attached

कृते प्रकाश चंन्द्र जैन एण्ड कंपनी
For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002438C

प्रतीक नलवाया
PRATEEK NALWAYA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.414356)

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
For GANDHI MINOCHA & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000458N

अजय कुमार कत्याल
AJAY KUMAR KATYAL
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.087915)

कृते पॉम्स एण्ड एसोसियेट्स
For PAMS & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No. 316079E

प्रमोद कुमार मिश्रा
PRAMOD KUMAR MISRA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.052699)

कृते पी एस सुब्रमणिय अय्यर एण्ड कंपनी
For P S SUBRAMANIA IYER & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.004104S

जे रघुराम
J RAGHURAM
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.021929)

कृते एम थामस एण्ड कंपनी
For M THOMAS & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.004408S

ए रोजारियो
A ROZARIO
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.021230)

स्थान : चेन्नै
Place : Chennai
दिनांक : Date : 10.05.2018

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2017
I. आय : INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	17113 64 70	16039 74 55
अन्य आय Other Income	14	2405 83 73	2211 37 16
कुल TOTAL		**19519 48 43**	**18251 11 71**
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	10850 09 31	10893 69 06
परिचालनगत व्यय Operating expenses	16	3668 40 13	3356 71 95
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें Provisions & Contingencies	-	3741 99 71	2595 02 98
कुल TOTAL		**18260 49 15**	**16845 43 99**
III. लाभ /हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए निवल लाभ /हानि (–) Net Profit/Loss(-) for the year		1258 99 28	1405 67 72
अग्रानीत लाभ / हानि (–) Profit/Loss(-) Brought forward		97 10 96	96 36 41
कुल TOTAL		**1356 10 24**	**1502 04 13**
IV. विनियोजन APPROPRIATIONS			
निम्नलिखित को अंतरित : Transfer to :			
सांविधिक प्रारक्षित निधि Statutory Reserves		314 75 00	351 50 00
पूँजी रिज़र्व Capital Reserves		35 20 00	42 59 00
धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व Special Reserves u/s 36(1)(viii)		38 00 00	49 00 00
राजस्व रिज़र्व Revenue Reserves		850 00 00	595 00 00
स्टाफ कल्याण निधि Staff Welfare Fund		20 00 00	20 00 00
ईक्विटी लाभांश Equity Dividend			288 17 50
लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax			58 66 67
शेष जो तुलन पत्र को अग्रानीत किया गया है Bal. carried over to Balance Sheet		98 15 24	97 10 96
कुल TOTAL		**1356 10 24**	**1502 04 13**
प्रति शेयर अर्जन ₹ में (आधारभूत और कम किया गया) Earnings Per Share in Rs. (basic & diluted)	18 (9.7)	26.21	29.27

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां Significant Accounting Policies 17
लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts 18
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ, तुलन पत्र के अभिन्न अंग हैं
Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

टी सी वेंकट सुब्रमणियन **T C VENKAT SUBRAMANIAN** गैर–कार्यपालक अध्यक्ष NON EXECUTIVE CHAIRMAN	किशोर खरात **KISHOR KHARAT** प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MANAGING DIRECTOR & CEO	ए एस राजीव **A S RAJEEV** कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	एम के भट्टाचार्य **M K BHATTACHARYA** कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	पी ए कृष्णन **P A KRISHNAN** महाप्रबंधक (लेखा)/सीएफओ GENERAL MANAGER (ACCOUNTS)/CFO

निदेशक **DIRECTORS**

अमित अग्रवाल **AMIT AGRAWAL** | जे के दाश **J K DASH** | विजय कुमार गोयल **VIJAY KUMAR GOEL**
पद्मनाभन विट्ठल दास **PADMANABAN VITTAL DASS** | सलिल कुमार झा **SALIL KUMAR JHA** | विनोद कुमार नागर **VINOD KUMAR NAGAR**

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक **STATUTORY CENTRAL AUDITORS**

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट संलग्न है / As per our report of even date attached

कृते प्रकाश चंन्द्र जैन एण्ड कंपनी **For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.002438C प्रतीक नलवाया **PRATEEK NALWAYA** साझेदार Partner (एम.सं. M. No.414356)	कृते गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी **For GANDHI MINOCHA & CO** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.000458N अजय कुमार कत्याल **AJAY KUMAR KATYAL** साझेदार Partner (एम.सं. M. No.087915)	कृते पॉम्स एण्ड एसोसियेट्स **For PAMS & ASSOCIATES** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No. 316079E प्रमोद कुमार मिश्रा **PRAMOD KUMAR MISRA** साझेदार Partner (एम.सं. M. No.052699)

कृते पी एस सुब्रमणिय अय्यर एण्ड कंपनी **For P S SUBRAMANIA IYER & CO** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.004104S जे रघुराम **J RAGHURAM** साझेदार Partner (एम.सं. M. No.021929)	कृते एम थामस एण्ड कंपनी **For M THOMAS & CO** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.004408S ए रोजारियो **A ROZARIO** साझेदार Partner (एम.सं. M. No.021230)

सीन : चेन्नै
Place : Chennai
दिनांक : Date : 10.05.2018

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

अनुसूची 1 – पूंजी
SCHEDULE 1 - CAPITAL

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
I. प्राधिकृत पूँजी Authorised Capital		
प्रत्येक ₹ 10/– के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000 00 00	3000 00 00
II. जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूंजी Issued, Subscribed and Paid up:		
ईक्विटी शेयर Equity Shares:		
ए. भारत सरकार द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपये 10/– के 39,32,35,409 ईक्विटी शेयर (गत वर्ष – प्रत्येक रुपये 10/– के 39,43,41,651 ईक्विटी शेयर)		
a. 39,32,35,409 Equity shares of Rs.10/- each held by Government of India (P.Y.-39,43,41,651 Equity shares of Rs. 10/- each)	393 23 54	394 34 17
बी. जनता द्वारा रखे गए प्रत्येक ₹10/– के 8,70,56,242 ईक्विटी शेयर (गत वर्ष – प्रत्येक रुपये 10/– के 8,59,50,000 ईक्विटी शेयर)		
b. 8,70,56,242 Equity shares of Rs.10/- each held by Public (P.Y. 8,59,50,000 Equity shares of Rs.10/- each)	87 05 63	85 95 00
कुल Total	**480 29 17**	**480 29 17**

अनुसूची 2 – आरक्षितियां और अधिशेष

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

	विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
I.	**सांविधिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVES**		
	ए) अथशेष a. Opening Balance	4110 60 81	3759 10 81
	बी) वर्ष के दौरान जोड़ b. Additions during the year	314 75 00	351 50 00
	कुल TOTAL I	**4425 35 81**	**4110 60 81**
II.	**पूँजीगत आरक्षितियां CAPITAL RESERVES**		
A	पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व Revaluation Reserve		
	ए) अथशेष a. Opening Balance	2700 41 86	2781 42 67
	बी) वर्ष के दौरान जोड़ b. Additions during the year		
	सी) वर्ष के दौरान कटौतियां c. Deductions during the year	78 97 77	81 00 81
	कुल (ए) TOTAL (A)	**2621 44 09**	**2700 41 86**
B	**अन्य Others**		
	ए) अथशेष a) Opening Balance	160 41 24	117 82 24
	बी) वर्ष के दौरान जोड़ b) Additions during the year	35 20 00	42 59 00
	कुल (बी) TOTAL (B)	**195 61 24**	**160 41 24**
	कुल II (ए + बी) TOTAL II (A + B)	**2817 05 33**	**2860 83 10**
III.	**शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM**		
	ए) अथशेष a) Opening Balance	1325 67 33	1325 67 33
	बी) वर्ष के दौरान जोड़ b) Additions during the year	0	0
	कुल III TOTAL III	**1325 67 33**	**1325 67 33**
IV.	**राजस्व और अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES**		
	ए) राजस्व आरक्षितियां A) Revenue Reserve :		
	अथशेष Opening Balance	7253 51 10	6658 51 10
	लाभ एवं हानि लेखे से अंतरित Tfrd from Profit & Loss a/c	850 00 00	595 00 00
	पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व से अंतरित Tfrd from revaluation reserve	78 97 77	
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	0	0
	कुल (ए) TOTAL (A)	**8182 48 87**	**7253 51 10**
	(बी) आईटी अधिनियम की धारा के 36(1)(Viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व		
	B) Special Reserve u/s 36(1)(viii) of IT Act		
	अथशेष Opening Balance	675 52 00	626 52 00
	वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	38 00 00	49 00 00
	कुल (बी) TOTAL (B)	**713 52 00**	**675 52 00**
	(सी) आईटी अधिनियम की धारा के 36(1)(Viii ए) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व		
	C) Special Reserve u/s 36(1)(viii a) of IT Act		
	अथशेष Opening Balance	**58 20 00**	**58 20 00**
	वर्ष के दौरान जोड Additions during the year	0	0
	कुल (सी) TOTAL (C)	**58 20 00**	**58 20 00**
	डी) निवेश रिजर्व D) Investment Reserve		
	अथशेष Opening Balance	39 92 22	39 92 22
	वर्ष के दौरान जोड Additions during the year	0	0
	कुल (डी) TOTAL (D)	**39 92 22**	**39 92 22**
	ई) विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व		
	E) Foreign Currency Translation Reserve		
	अथशेष Opening Balance	260 34 31	315 93 74
	वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	47 41 56	0
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deduction during the year	0	55 59 43
	कुल (ई) TOTAL (E)	**307 75 87**	**260 34 31**
	कुल IV (ए + बी + सी + डी + ई) TOTAL IV (A + B + C + D + E)	**9301 88 96**	**8287 49 63**
V.	**लाभ एवं हानि खाता PROFIT & LOSS ACCOUNT**		
	अथशेष Opening Balance	97 10 96	96 36 40
	वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	104 28	74 56
	कुल V TOTAL V	**98 15 24**	**97 10 96**
	कुल (I + II + III + IV + V) TOTAL (I+II+III+IV+V)	**17968 12 67**	**16681 71 83**

अनुसूची 3 – जमाएँ
SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
(अ) I. मांग जमाराशियां A. I. DEMAND DEPOSITS		
I. बैंकों से i) From Banks	5840 37	510 72 34
ii. अन्यों से ii) From Others	12846 45 91	9833 19 19
कुल TOTAL	**12904 86 28**	**10343 91 53**
II. बचत बैंक जमाराशियां II. SAVINGS BANK DEPOSITS	**64060 43 65**	**57333 86 17**
III. सावधि जमाराशियां III. TERM DEPOSITS		
I. बैंकों से i) From Banks	2596 61 38	2851 59 77
ii. अन्यों से ii) From Others	128732 30 86	111979 90 78
कुल TOTAL	**131328 92 24**	**114831 50 55**
कुल (I+II+III) TOTAL (I+II+III)	**208294 22 17**	**182509 28 25**
(आ) I. भारत में स्थित शाखाओं की जमाएं B. i) Deposits of branches in India	202247 57 73	177084 01 98
II. भारत के बाहर शाखाओं की जमाएं ii) Deposits of branches outside India	6046 64 44	5425 26 27
कुल TOTAL	**208294 22 17**	**182509 28 25**

अनुसूची 4 – उधार
SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
I. भारत में उधार I. BORROWINGS IN INDIA		
I) भारतीय रिज़र्व बैंक i) Reserve Bank of India	15000 00 00	0
ii) अन्य बैंक ii) Other Banks	1 52	1 39
iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण * iii) Other Institutions and Agencies *	3801 24 22	10420 60 14
कुल TOTAL	**18801 25 74**	**10420 61 53**
II. भारत के बाहर उधार ** **II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA ** **	958 91 33	2216 27 37
कुल (I+II) TOTAL (I+II)	**19760 17 07**	**12636 88 90**
ऊपर समाहित रक्षित उधार Secured Borrowings included above	16049 45 65	8320 53 91

* टियर II पूंजी – गौण ऋण ₹ 1600 00 00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1000 00 00) को शामिल करते हुए तथा टियर I पूंजी में स्थायी ऋण लिखत ₹ 5000000 (पिछले वर्ष ₹ 5000000) शामिल किया गया है। * includes Tier II Capital - Subordinated debt of ₹1600 00 00 (P.Y. ₹ 1600 00 00) and Tier I Capital - Perpetual Debt Instrument of ₹500 00 00 (P.Y. ₹500 00 00)

** नास्ट्रो मिरर शेषों की असमायोजित मदें एवं मार्गस्थ मदों को शामिल करते हुए ** Includes pipeline and un-adjusted items in Nostro Mirror Balances

अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
I. संदेय बिल I. Bills Payable	631 26 29	1097 60 73
ii. अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल) II. Inter Office Adjustments(Net)	836 66 04	0
iii. उपचित ब्याज III. Interest Accrued	919 12 00	925 34 25
iv. अन्य (प्रावधान सहित)* IV. Others(including Provisions) *	3825 96 85	3902 01 57
कुल TOTAL	**6213 01 18**	**5924 96 55**

* ₹ 8219758 (पिछले वर्ष ₹7687626) की मानक आस्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान
* includes Contingent Provisions against Standard Assets of ₹8219758 (P.Y - ₹7687626)

अनुसूची 6 भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट सम्मिलित हैं) I. Cash in hand (including foreign currency notes)	499 69 62	162 34 73
II.भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष II. Balances with Reserve Bank of India in Current Account	10001 90 40	5426 35 30
कुल (I + II) TOTAL (I+II)	**10501 60 02**	**5588 70 03**

अनुसूची 7 – बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर राशि
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
I. भारत में I. IN INDIA		
i) बैंकों में अतिशेष i) Balances with Banks		
क. चालू खाते में a) in Current Account	15 01 45	13 58 87
ख. अन्य जमा खातों में b) in Other Deposit Accounts	635 23 55	956 90 16
कुल (i) TOTAL (I)	**650 25 00**	**970 49 03**
ii) मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि (बैंकों के साथ) ii) Money at Call and Short Notice (with Banks)	0	0
कुल (ii) TOTAL (ii)	0	0
कुल (i + ii) TOTAL (i + ii)	**650 25 00**	**970 49 03**
II. भारत के बाहर II. OUTSIDE INDIA		
I) चालू खातों में i) in Current Accounts	166 38 53	180 99 60
ii) अन्य जमा खातों में ii) in other Deposit Accounts	1609 00 78	3290 32 69
iii) माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि iii) Money at Call and Short Notice	54 49	11 20 58
कुल (i + ii + iii) TOTAL (i + ii + iii)	**1775 93 80**	**3482 52 87**
कुल योग GRAND TOTAL (I +II)	**2426 18 80**	**4453 01 90**

अनुसूची 8 – निवेश
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
I. भारत में निवेश I. INVESTMENTS IN INDIA		
सकल निवेश Gross Investments	69748 46 42	65972 31 00
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान Less : Provsion for Depreciation &NPI	509 77 93	314 25 51
निवल निवेश Net Investments	**69238 68 49**	**65658 05 49**
i. सरकारी प्रतिभूतियां i) Government Securities	60441 27 09	56587 40 28
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां ii) Other approved Securities	26 31 48	36 27 08
iii. शेयर iii) Shares	675 41 67	583 57 62
iv. डिबेंचर और बॉंड iv) Debentures and bonds	7467 40 45	7863 30 97
v. अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम (सहयोगियों के साथ) v) Subsidiaries and/or joint ventures (including Associates)	87 01 37	46 64 63
vi. अन्य vi) Others	541 26 43	540 84 91
कुल : TOTAL	**69238 68 49**	**65658 05 49**
II. भारत के बाहर निवेश II. INVESTMENT OUTSIDE INDIA		
सकल निवेश Gross Investments	**2243 85 79**	**1983 28 23**
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान Less Provsion for Depreciation &NPI	84 77 63	89 54 86
निवल निवेश Net Investments	**2159 08 16**	**1893 73 37**
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारी सहित) I) Government Securities (including local authorities)	2155 02 49	1889 57 98
ii. अन्य निवेश ii) Other investments		
ए शेयर (a) Shares	140 33	1 44 72
बी ऋण प्रतिभूतियाँ (b) Debt Securities	265 34	2 70 67
कुल TOTAL	**2159 08 16**	**1893 73 37**
निवल कुल योग (ए) + (बी) NET GRAND TOTAL (A+B)	**71397 76 65**	**67551 78 86**

अनुसूची 9 – अग्रिम
SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
I) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल i) Bills purchased and discounted	1404 58 68	1386 95 27
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ़्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार		
ii) Cash Credit, Overdrafts and loans repayable on demand	83822 46 81	60610 14 42
iii. सावधि उधार iii) Term Loans	71341 87 36	65702 18 51
कुल TOTAL	**156568 92 85**	**127699 28 20**
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं)		
I) Secured by tangible assets (includes advance against bookdebts)	127681 68 35	99653 47 20
ii) बैंक / सरकारी प्रतिभूतियां द्वारा संरक्षित ii) Covered by bank/Government guarantee	3681 10 10	4193 24 42
iii) अप्रतिभूत iii) Unsecured	25206 14 40	23852 56 58
कुल TOTAL	**156568 92 85**	**127699 28 20**
I भारत में अग्रिम I. ADVANCES IN INDIA		
I. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र i) Priority Sector	61996 38 03	53765 18 08
ii. सरकारी क्षेत्र ii) Public Sector	22055 58 69	17704 63 95
iii. बैंक iii) Banks	0	0
iv. अन्य iv) Others	66327 71 24	50640 55 62
कुल TOTAL	**150379 67 96**	**122110 37 65**
II. भारत के बाहर अग्रिम II. ADVANCES OUTSIDE INDIA		
I) बैंकों से प्राप्य राशियाँ i) Dues from Banks	1195 94 48	669 16 77
ii) अन्यों से प्राप्य राशियाँ ii) Dues from others		
क) क्रय किये गए और भुनाये गए बिल a) Bills Purchased and discounted	879 94 15	888 83 53
ख) सामूहिक ऋण b) Syndicated loans	2607 41 88	2462 57 70
ग) अन्य c) Others	1505 94 38	1568 32 55
कुल TOTAL	**6189 24 89**	**5588 90 55**
कुल योग (1+2) GRAND TOTAL (I+II)	**156568 92 85**	**127699 28 20**

अनुसूची 10 – अचल आस्तियां
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

	विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
I.	**परिसर PREMISES**		
	पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार लागत / पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर		
	At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	3423 88 36	3428 58 40
	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन Additions/Adjustments during the year	26 69 26	-3 13 04
	पूर्ण योग Sub Total	3450 57 62	3425 45 36
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	0	1 57 00
	पूर्ण योग Sub Total	3450 57 62	3423 88 36
	अद्यतन मूल्य ह्रास Depreciation to date *	636 80 22	551 76 75
	कुल TOTAL	**2813 77 40**	**2872 11 61**
	II. निर्माणाधीन भवन II. BUILDINGS UNDER CONSTRUCTION	**60 53**	**10 63 92**
III.	अन्य अचल आस्तियां (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)		
	OTHER FIXED ASSETS (including Furniture and Fixtures)		
	पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार लागत पर At cost as per last Balance Sheet	1698 67 11	1553 02 74
	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन Additions/Adjustments during the year	206 35 90	181 30 50
	पूर्ण योग Sub Total	1905 03 01	1734 33 24
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	24 06 05	35 66 13
	पूर्ण योग Sub Total	1880 96 96	1698 67 11
	अब तक मूल्य ह्रास Depreciation to date**	1277 00 34	1138 82 18
	कुल TOTAL	**603 96 62**	**559 84 93**
	कुल (I+II+III) TOTAL (I+II+III)	**3418 34 55**	**3442 60 46**

*वर्ष के लिए ₹ 805987 (पिछले वर्ष ₹ 837391) * For the year ₹ 805987 (P.Y. ₹ 837391)

**वर्ष के लिए ₹ 1557987 (पिछले वर्ष ₹1616695) ** For the year ₹ 1557987 (P.Y. ₹ 1616695)

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
I अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)		
I. Inter Office Adjustment (net)	0	2132 84 98
II उपचित ब्याज II. Interest Accrued	1284 75 52	1242 17 11
III प्रदत्त अग्रिम कर / स्रोत पर काटा गया कर (निवल)		
III. Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	3644 46 47	2950 51 42
IV लेखन सामग्री और स्टाम्प IV. Stationery and Stamps	16 68 86	16 56 84
V दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गयी गैर–बैंककारी आस्तियां		
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	20 26 11	20 26 11
VI अन्य VI. Others	3436 82 43	3135 38 79
कुल TOTAL	**8402 99 39**	**9497 75 25**

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
I बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		
I. Claims against the bank not acknowledged as debts*	489 73 09	486 55 15
II अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता		
II. Liability for partly paid investments	518 96	7 37 25
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता		
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	8459 72 24	8015 31 99
IV संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियां *		
IV. Guarantee given on behalf of constituents*		
क. भारत में a) In India	11171 05 95	10035 44 75
ख. भारत के बाहर b) Outside India	247 69 38	119 15 09
V स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं*		
V. Acceptance, Endorsements and other obligations*	8503 05 68	7501 05 92
VI अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		
VI. Other items for which the bank is contingently liable	4827 40 88	3197 40 24
कुल TOTAL	**33703 86 18**	**29362 30 39**

*आकस्मिक देयताएं मार्जिन घटाने के बाद समान माना गया है * Contingent Liability has been considered net of margin

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2017
I अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा राशि I. Interest/Discount on Advances/Bills	11857 14 14	11461 32 08
II निवेशों पर आय II. Income on Investments	5113 15 22	4423 95 17
III भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज		
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank funds	121 64 59	125 58 91
IV अन्य IV. Others	21 70 75	28 88 39
कुल TOTAL	**17113 64 70**	**16039 74 55**

अनुसूची 14 – अन्य आय
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2017
I. कमीशन, विनिमय और दलाली		
I. Commission, Exchange and Brokerage	318 54 89	287 27 19
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ II. Profit on Sale of Investments	686 91 80	896 11 52
घटाएँ : निवेशों की बिक्री पर हानि Less: Loss on Sale of Investments	25 21 48	24 18 47
निवल Net	661 70 32	871 93 05
III. निवेशों के पुनर्मूल्यॉंकन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	0	0
घटाएँ : निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	0	0
निवल Net	0	0
IV भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल) *		
IV. Profit on sale of land, buildings and other assets *	1 10 91	1 61 61
घटाएँ : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि (निवल) *		
Less: Loss on Sale of Land, Bldgs. & Other Assets **	3 24 59	2 64 79
निवल Net	-213 68	-1 03 18
V विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)		
V. Profit on exchange transactions (Net)	248 08 08	230 50 73
VI विदेश / भारत में स्थापित अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय		
VI. Income earned by way of dividends, etc., from Subsidiaries/Companies and/or Joint ventures abroad/in India	14 41 65	13 92 66
VII. विविध आय Miscellaneous Income	1165 22 47	808 76 71
कुल **TOTAL**	**2405 83 73**	**2211 37 16**

* यह राशि सेफ, फ़र्नीचर, वाहन और मशीनरी से संबंधित है * Amounts relates to Safe, Furniture, Vehicle and Machinery.

अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2017
I जमाओं पर ब्याज I. Interest on deposits	10195 83 04	10556 89 82
II भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज		
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	420 78 83	275 22 72
III. अन्य III.Others	233 47 44	61 56 52
कुल TOTAL	**10850 09 31**	**10893 69 06**

अनुसूची 16 परिचालन व्यय

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS			31.03.2018 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2017
ं कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान				
I. Payments to and provisions for employees			2100 25 38	1991 48 66
II. किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था Rent, Taxes and Lighting			299 60 37	300 61 18
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and Stationery			29 60 26	29 69 45
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and Publicity			11 37 34	7 36 43
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	31 03 18	31 03 17		
V. Depreciation on Bank's property	23 63 974	24 67 152	236 39 74	165 70 71
घटाएँ : पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से अंतरित				
Less: Transferred from Revaluation Reserve	-	8 10 081		
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	23 63 974	16 57 071		
VI. Directors' fees allowance and expenses			85 18	83 56
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सहित)				
VII. Auditors' fees and expenses(including branch auditors)			35 52 44	29 22 02
VIII .विधि प्रभार Law Charges			7 00 45	8 10 71
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams and Telephones			38 17 86	41 01 71
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and Maintenance			94 27 85	93 59 68
XI. बीमा Insurance			218 71 05	190 98 79
XII. अन्य व्यय Other Expenditure			596 62 21	498 09 05
कुल TOTAL			**3668 40 13**	**3356 71 95**

अनुसूची 17 – मुख्य लेखांकन नीतियाँ

1. लेखांकन की परंपरा :

वित्तीय विवरणों को अन्यथा न बताये जाने पर ऐतिहासिक लागत प्रथा पर क्रियाशील संस्था संकल्पना का अनुपालन करते हुए तैयार किया जाता है। यह भारत में प्रचलित सांविधिक सिद्धांतों के अनुरूप है जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों/मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी शाखाओं के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप है।

2. प्राक्कलन का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए, रिपोर्टिंग अवधि हेतु वित्तीय विवरणियों की तारीख पर दर्ज आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु प्रबंधन को प्राक्कलन तैयार करने और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन, यह विश्वास रखता है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में इस्तेमाल किये गये प्राक्कलन विवेकी और उचित हैं।

3. विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेन

भारतीय परिचालनों और ग़ैर समाकलित विदेशी परिचालन के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक – 11 (एएस – 11) के अनुसार किया जाता है।

3.1. भारतीय परिचालनों के मामले में परिवर्तन

1. विदेशी मुद्रा डीलर असोसिएशन आफ़ इंडिया (फेडाय) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दर (डबल्यूएआर) पर विदेशी विनिमय लेनदेन दर्ज किए जाते हैं।
2. विदेशी मुद्रा में आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन, वर्षांत पर फ़ेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर किया जाता है।
3. विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं और गारंटियों को वर्षांत पर फ़ेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर रखा जाता है।
4. वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में रखी गयी आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से उठनेवाले विनिमय अंतर को, उस वर्ष में ही आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है ।
5. बकाया वायदा विनिमय दरों का प्रकटीकरण संविदागत दरों से किया जाता है तथा फ़ेडाय की समापन दरों पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है एवं उसके परिणाम की पहचान, लाभ व हानि लेखे के ज़रिए की जाती है।

3.2. ग़ैर–समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण, ग़ैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्नप्रकार किया जाता है

1. आकस्मिक देयताएं सहित आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन फ़ेडाय द्वारा वर्षांत में अधिसूचित दरों पर किया जाता है।
2. आय एवं व्यय का परिवर्तन फ़ेडाय द्वारा संबंधित तिमाही के अंत पर अधिसूचित तिमाही औसत समापन दर पर किया जाता है।
3. निवल निवेशों के निपटान तक उठनेवाले सभी विनिमय अंतर को ''विनिमय उतार–चढ़ाव निधि'' (एफसीटीआर) नामक पृथक निधि में उपचित रखा जाता है।

4. निवेश

4.1 बैंक के निवेश संविभाग को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिपक्वता तक रखे गए (एचटीएम)
- बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- व्यापार के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को **''एचटीएम''** प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्पावधि के मूल्य/ब्याज दर में उतार–चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को **''एचएफटी''** प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियाँ जो उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, **''एएफएस''** प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

एक निवेश को उसकी खरीद / अर्जन के समय पर ही, परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध अथवा व्यापार के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनन्तर नियामक दिशानिर्देशों के अनुरुप उनका अंतरण किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग को शेयरों का अंतरण, यदि कोई है, अंतरण की तारीख पर अर्जन लागत / बही मूल्य / बाजार मूल्य में से न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है, और ऐसे अंतरण के लिए मूल्यह्रास हेतु पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

अनुषंगियों और एसोसियेट्स में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4.2. एचटीएम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखे (कर चुकाने के बाद की राशि तथा सांविधिक रिजर्व को अंतरित की जानेवाली वांछित राशि) में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है:

4.2.1 भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के समनुरूप निम्नानुसार किया जाता है :

ए) **''एचटीएम''** प्रवर्ग में प्रतिभूति का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, वैसे मामलों में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। अनुषंगियों तथा संयुक्त उद्यमों/सहभागियों में, जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थाई प्रकृति के अलावा

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India. In respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

3.1 Translation in respect of Indian operations

1. Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).
2. Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
3. Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
4. Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.
5. Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the Contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

3.2 Translation in respect of non-integral foreign operations.

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

1. Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
2. Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.
3. All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" (FCTR) till the disposal of the net investments.

4. INVESTMENTS

4.1 The entire investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.

- Held To Maturity (HTM)
- Available For Sale (AFS)
- Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to be held till maturity are classified under **"HTM"** category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price / interest movements are classified as **"HFT".** All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under **"AFS"** category.

An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase/acquisition and subsequent shifting is done in conformity with the Regulatory guidelines. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investment in Subsidiaries and Associates are classified as Held to Maturity.

4.2 Profit on sale of securities under HTM category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.

4.2.1 Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under:

a) Securities in HTM category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in subsidiaries/joint ventures/Associates which are included under HTM category is recognized and provided. Such

किसी अन्य ह्रास की पहचान की गई है और प्रावधान किया गया है। ऐसे ह्रास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेतु अलग से किया जाता है। दिनांक 23.08.2006 के बाद जोखिम पूँजी निधियों के यूनिटों (वीसीएफ) में किये गये निवेश, प्रारंभिक 3 वर्ष की अवधि के लिए एचटीएम वर्ग के अधीन वर्गीकृत किये जाते हैं तथा उनका मूल्यांकन, लागत पर किया जाता है।

बी) अनुषंगी संस्थाओं, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश का मूल्यांकन, परंपरागत लागत पर किया जाता है। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन, वहन लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर किया जाता है।

सी) ''एएफस'' प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाज़ार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यह्रास हो, तो उसे लाभ–हानि लेखे में शामिल किया जाता है, जबकि किसी निवल मूल्यवृद्धि होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती हे। इस प्रवर्ग में बाज़ार को अंकित करने के बाद वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

डी) ''एचएफटी'' प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक प्रतिभूतियों को दैनिक अंतराल पर बाज़ार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो लाभ व हानि लेखे में उसका प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रवर्ग में वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

ई) **''एएफएस''** एवं **''एचएफटी''** प्रवर्गों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नवत् किया गया है :

(i) प्राइमेरी डीलर्स एसोसिएशन आफ़ इंडिया (पीडीएआई) और फ़िक्स्ड इन्कम मनी मार्केट और डिराइवेटिव्स एसोसिएशन आफ़ इंडिया (एफ़आईएमएमडीए) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किए गए अनुसार केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्य पर / वाईटीएम दरों पर किया जाता है।

(ii) राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए और पीडीएआई/एफ़आईएमएमडीए द्वारा रखी गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफ़ल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए आवधिक रूप से किया जाता है।

(iii) कोट होने पर ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले ईक्विटी शेयरों को उनके ब्रेक–अप मूल्य पर (पूनर्मूल्यन रिज़र्व, यदि हो, उस पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्यन की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।

(iv) कोट होने पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा पुनः शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है।

(v) अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों के अलावा, सभी डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।

(vi) राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागज़ातों का मूल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।

(vii) कोट होने पर म्यूचुअल फ़ंडों की यूनिटों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) दोनों में जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है। यदि निधियां लॉक–इन अवधि में हैं, जहां पुनःखरीदी मूल्य/बाज़ार कोट उपलब्ध नहीं हो तो, यूनिटों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक–इन अवधि की समाप्ति तक की लागत पर किया जाता है।

(viii) 23.08.2006 के बाद किये गये जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) के यूनिटों में निवेश, 3 सालों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत होते है एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। संवितरण की तारीख से 3 सालों के समय के बाद, यह एएफएस में परिवर्तित किया जाएगा और भा.रि.बैं.के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के लिए अंकित किया जाएगा।

4.3 विदेशी शाखाओं के निवेश के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश या मेजबानी देश के दिशानिर्देश, जो भी ज्यादा कठोर हैं, का पालन किया जाएगा। ऐसे देशों में स्थित शाखाओं के मामले में, जहाँ कोई दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, भारिबैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

4.4 भारिबैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार अनर्जक निवेश (एनपीआई) की पहचान निम्नलिखित रूप में किया गया है :

ए) प्रतिभूतियाँ / असंचयी अधिमानी शेयर जिनमें ब्याज / नियत लाभांश / किस्त (परिपक्वता राशि को मिलाकर) देय है तथा 90 दिन की अवधि से अधिक समय तक उसका भुगतान नहीं किया गया है।

बी) अगर बैंक से जारीकर्ता द्वारा प्राप्त कोई ऋण सुविधा को गैर–निष्पादित अग्रिम माना गया है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति जिसमें अधिमानी शेयर शामिल है, में निवेश को एनपीआई के रूप में माना जाएगा और इसके विपरीत। हालांकि, अगर केवल अधिमानी शेयरों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी निष्पादित ऋण सुविधाओं को एनपीए के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

सी) गैर निष्पादित इक्विटी शेयरों को इस प्रकार मूल्यांकित किया जाता है:

(i) भारिबैंक के दिशानिर्देशानुसार, पुनर्रचित गैर निष्पादित इक्विटी निवेशों को बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है यदि, उद्धृत किया गया है। कंपनी के नवीनतम तुलन पत्र (मूल्यांकन की तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं) के अनुसार अनुद्धरित इक्विटी शेयरों को अलग–अलग मूल्य (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित यदि कोई हो, पर बिना विचार करते हुए) पर मूल्यांकित किया जाता हैं। अन्यथा शेयरों का मूल्य रु 1/– प्रति कंपनी होता है।

(ii) अन्य इक्विटी निवेश के मामले में, एनपीआई के रूप में वर्गीकृत, शेयरों को बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता हैं। अगर उद्धृत किया गया है और यदि इसे उद्धृत नहीं किया गया है के मामले में, तो शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी रु 1/– होता है।

4.5 प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली/कमीशन/अंशदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

4.6 व्यापार के लिए ब्याज दर स्वैप लेनदेनों को तिमाही आधार पर बाज़ार को अंकित किए जाते हैं। कुल अदला–बदलियों के उचित मूल्य का आकलन, तुलन–पत्र की तारीख पर अदला–बदली करारों को समाप्त किए जाने पर

diminution is being determined and provided for each investment individually. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost.

b) Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are valued at historical cost. Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) are valued at carrying cost (i.e. Book value).

c) Investments in **AFS** category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

d) The individual scripts in the **HFT** category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.

e) Securities in **AFS** and **HFT** categories are valued as under:

i. Central Government Securities are valued at prices / YTM rates as announced by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

ii. State Government and Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI / FIMMDA periodically.

iii. Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the companys latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at Re. 1 per company.

iv. Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value.

v. All debentures/bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.

vi. Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.

vii. Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net Asset Value (NAV). In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.

viii. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost. After period of 3 years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

4.3 In respect of investment at Overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of RBI are followed.

4.4 Non-performing investment (NPI) are identified as stated below, as per guidelines issued by RBI.

a) Securities/Non-cumulative Preference shares where interest/fixed dividend/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

b) If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a Non-performing advance in the books of the bank, investment in any of the securities including preference shares issued by the same issuer would also treated as NPI and vice-versa. However, if only the preference shares are classified as NPA, the investments in any of the other performing securities issued by the same issuer may not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.

c) Non performing equity shares are valued as

i) As per RBI guidelines, restructured non performing equity investments are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves, if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise the shares are valued at Re.1/- per company.

ii) In case of other equity investments, classified as NPI, shares are valued at market price. If quoted and in case it is not quoted, they are valued at Re. 1 per company.

4.5 Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.

4.6 Interest Rate Swap transactions for trading is marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance

प्राप्त/प्राप्य या प्रदत्त/प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली हानियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है, जबकि लाभ यदि हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

4.7 एक्सचेंज कारोबार विदेशी विनिमय डेरिवेटिव यानी मुद्रा वायदे का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है और परिणामी लाभ और हानि की पहचान लाभ और हानि लेखे में की जाती हैं।

4.8 एफसीएनआर (बी) डॉलर जमाओं के लिए भारिबैंक के विनिमय स्वैप की सुविधा की शुरुआत में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम / ब्याज, स्वैप अनुबंध की अवधि के दौरान खर्च के रूप में परिशोधित किया जाता है।

4.9 केन्द्रीय सरकार की गारंटी प्राप्त निवेशों के अतिदेय होने पर भी उन्हें तभी एनपीए माना जाएगा जब गारंटी लागू की जाने पर सरकार उसका निराकरण करती है।

4.10 यदि ब्याज/मूल किस्त (परिपवक्ता संप्राप्तियों को शामिल करते हुए) अथवा बैंक को देय अन्य कोई राशि, 90 दिनों से अधिक के लिए अदत्त बनी रहती हो, तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों में निवेश को, जोकि ''माने गए अग्रिमों' के रूप में हैं, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अध्यधीन रखा जाता है।

4.11 निवेश की कीमत के निर्धारण प्रत्येक वर्ग में भारित औसत कीमत पद्धति के आधार पर किया जाता है। एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत कीमत पद्धति के तहत प्राप्त अधिग्रहण कीमत के आधार पर ले लिया गया है तथा भारित औसत कीमत के अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में प्रीमियम को केवल शेष परिपक्वता अवधि हेतु परिशोधित कर दिया जाता है।

4.12 रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए लेखाकरण

भारिबैंक के दिशानिर्देशानुसार तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ), परिवर्तनीय दर अवधि परिचालन तथा एमएसएफ एवं मार्केट रेपों लेन–देनों को शामिल करते हुए भारिबैंक के साथ सभी प्रकार के रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेनों का हिसाब रखा जाता है। रेपो/ रिवर्स रेपो के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक उधार और उधार लेनदेनों के रूप में लिया जाता हैं जिसमें, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री / खरीद लेनदेनों के मामले में अंतरित किए जाते हैं और इस प्रकार के प्रतिभूति के उतार –चढ़ाव, रेपो/रिवर्स रेपो खातों और प्रति–प्रविष्टियों के प्रयोग से परिलक्षित होता है। उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख पर प्रतिवर्तित हो जाती है। मामले के आधार पर लागत एवं राजस्व को ब्याज व्यय/आय के रूप में लिया जाएगा। रेपो खाते में शेष, अनुसूची 4(उधार) के तहत वर्गीकृत है और रिवर्स रेपो खाते में शेष, अनुसूची 7 (बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि) के तहत वर्गीकृत है।

5. प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) /पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियाँ :

5.1 प्रतिभूतिकरण कंपनियों /पुनर्निमाण कंपनियों द्वारा, उन्हें बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में जारी की गई प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, से कम स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है।

प्रतिभूतिकरण रसीद को निम्न पर मूल्यांकित किया जाता है:

(ए) दिनांक 01.04.2017 से पहले एसआर/आरसी जारी किए गए प्रतिभूति रसीद को परिसम्पत्ति पुनर्निमाण कंपनी द्वारा तुलन पत्र के दिनांक पर घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यह्रास होने पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है तथा मूल्यवृद्धि होने पर उसपर ध्यान नहीं दिया जाता।

(बी) निम्न के उच्च प्रावधान प्रदान करने के बाद एससी / आरसी द्वारा जारी अन्य प्रतिभूति रसीद का मूल्यांकन किया जाता है:

i) एससी / आरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के संदर्भ में प्रावधान दर

ii) अंतर्निहित ऋण पर लागू होने वाली प्रावधान दर, यह मानते हुए कि ऋण बैंक की बही में निरंतर जारी रहा है

5.2 आरसी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में उनका मूल्यांकन और आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। अगर बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (यथा, बही मूल्य से रखे गये प्रावधान घटाने के बाद का मूल्य) तो भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार उससे होनेवाली कमी को लाभ व हानि खाते में नामे डाला जाएगा या रखी गयी अस्थायी प्रावधान का प्रयोग करते हुए इसका समंजन किया जाएगा।

यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल और/या प्रतिभूति रसीदों के मोचन के जरिए) आरसी को बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किया जाता है। लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किए गए अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा उस सीमा तक सीमित है जिस सीमा तक प्राप्त नकदी बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है।

6. अग्रिम

6.1. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार भारत में अग्रिमों को उधारकर्ता–वार मानक, अव–मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

6.2 अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान नियामक आवश्यकताओं के अनुसार इस प्रकार किए गए हैं :

ए) अवमानक :

i) कुल बकाया पर 15 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान

ii) प्रकटीकरण हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान जो प्रारम्भ से ही अरक्षित हैं। (अर्थात, जहां प्रतिभूतियों का वास्तविक मूल्य प्रारम्भ से ही 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है)

बी) संदिग्ध संवर्ग – 1 :

i) सुरक्षित भाग के लिए 25 प्रतिशत

ii) अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

सी) संदिग्ध संवर्ग – 2 :

i) सुरक्षित भाग के लिए 40 प्रतिशत

ii) अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

संदिग्ध वर्ग– 3 एवं हानि अग्रिम – 100 प्रतिशत

6.3 पुनर्गठित / पुनर्संरचित मानक अग्रिम सहित मानक अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

6.4. विदेशी शाखाओं के मामले में ऋण हानियों के लिए आय–निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान, स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored.

4.7 Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

4.8 Premium/interest arising at the inception of forward exchange swap facility of RBI for FCNR (B) dollar deposits is amortized as expense over the period of the swap contract.

4.9 Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.

4.10 Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of deemed advances, are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest/ installment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.

4.11 Cost of investments is determined based on the Weighted Average Cost method in each category. Investments classified under HTM are carried at acquisition cost as arrived under Weighted Average Cost method and in case the weighted average cost is more than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity.

4.12 Accounting for Repo/Reverse Repo transactions:

All types of repo/reverse repo transactions with RBI including LAF, variable rate term operations and MSF and also Market Repo transactions are accounted as per RBI guidelines. The securities sold and purchased under Repo/Reverse Repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions wherein securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as Interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call &Short Notice).

5. FINANCIAL ASSETS SOLD TO RECOVERY COMPANIES (RC)

5.1 Security Receipts (SR) issued by RCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at :

(a) SRs issued by SCs/RCs prior to 01.04.2017 at Net Asset Value declared by SCs/RCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.

(b) Other SRs issued by SCs/RCs are valued at after providing higher provision of

(i) provisioning rate in terms of Net Asset Value declared by the SCs/RCs

(ii) provisioning rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank

5.2 In case of financial assets sold to RC, the valuation and, income recognition is being done as per RBI Guidelines. If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e, book value less provisions held), the shorfall is debited to the Profit and Loss account or met out of utilisation of Floating provision held, as per extant RBI guidelines

If the cash received (by way of initial consideration and /or redemption of security receipts) is higher than the Net Book value of the Non Performing Asset (NPA) sold to RC, then excess provision is reversed to the profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to profit and loss account is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

6 ADVANCES

6.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.

6.2 Provisions are made for non performing advances as under:

a) Sub Standard:

i) A general provision of 15% on the total outstanding

ii) Additional provision of 10% for exposure which are unsecured ab-initio (i.e. where realisable value of securities is not more than 10% ab-initio)

b) Doubtful category-1

i) 25 % for Secured portion.

ii) 100% for Unsecured portion.

c) Doubtful Category – 2

i) 40 % for Secured portion.

ii) 100% for Unsecured portion.

d) Doubtful category-3 and Loss advances – 100 %.

6.3 Provision is made for standard advances including Restructured / Rescheduled standard advances as per RBI directives.

6.4 In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये विनियमों के संबंध में अगर कोई आस्ति को बैंक के समुद्रपार बही में किसी भी समय गैर– निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है तो बैंक द्वारा ऋणकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं तथा ऋणकर्ता द्वारा जारी की गयी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए / एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

तथापि मेजबान विनियामकों द्वारा खातों को वसूली से अन्य कारणवश गैर निष्पादित / बाधित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो भारत में वित्तीय विवरणियों के समेकन करते समय, उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रावधान किया जाएगा, जबकि उसी प्रतिपक्षकारों को अन्य क्षेत्राधिकार में (भारत को सम्मिलत कर) प्रदत्त अन्य ऋण एक्स्पोजर के संबंध में आस्ति वर्गीकरण, संबंधित क्षेत्राधिकार में विद्यमान दिशानिर्देशों से अधिशासित होगा।

6.5 प्रकट किये गए अग्रिम, गैर–निष्पादित आस्तियों, डीआईसीजीसी / ईसीजीसी / सीजीटीएमएसई से प्राप्त तथा समायोजन हेतु लंबित रखे गए दावों, विविध खाते में प्राप्त और रखी गई चुकौतियों, सहभागिता प्रमाण–पत्रों एवं पुनः भुनाये गये मियादी बिलों के लिए किए गए प्रावधानों और मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुर्नगठित खातों के उचित मूल्य में अधित्याग के बदले प्रावधान के बाद निवल हैं।

7. अचल आस्तियाँ / मूल्यह्रास

7.1 बैंक में ''पुनर्मूल्यांकन मॉडल'' और ''लागत मॉडल'' पर अन्य सभी आस्तियों पर परिसर (भूमि और भवन) बताते हुए नीति है।

7.2 भारत में, इमारतों (जमीन की कीमत सहित जहां कहीं अवियोज्य/पृथक नहीं है) एवं अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास, मूल्यह्रास की सीधी पद्धति से उसी दर पर जिस पर उन्हें प्रभारित किया गया था, निम्नानुसार किया जाता है :

क्रम संख्या	आस्ति की प्रकृति	मूल्यह्रास की दर एसएलएम
I	इमारतें	1.63%
II	अन्य अचल आस्तियाँ	
	1. सामान्य संयंत्र व मशीनें	4.75%
	2. फ़र्निचर एवं फिक्सचर	6.33%
	3. विद्युत चालित मशीनरी और फिटिंग	7.07%
	4. साइकिलें	7.07%
	5. स्कूटर, मोटर साइकल, जीप	9.50%
	6. वैन	11.31%
	7. सिक्के वेंडिंग मशीन	16.66%
	8. मोटर कार	20.00%
	9. डाटा प्रसंस्करण मशीनें कम्प्यूटर एवं यूपीएस सहित	33.33%
	10. सेलफोन एवं 5000 रुपए तक की छोटी कीमत की वस्तुएँ	100.00%

7.3 पुनर्मूल्यांकित घटक से संबन्धित मूल्यह्रास, राजस्व व्यय के तहत प्रभारित किया जाएगा और एक समतुल्य राशि तुरंत पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के विरुद्ध प्रभारित किया जाएगा तथा आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित एएस 10 के अनुसार राजस्व रिजर्व में जमा किया जाएगा।

30 सितंबर से पहले अधिगृहीत अचल आस्तियों पर निर्धारित दरों का 100 प्रतिशत और अधिगृहीत अचल आस्तियों के लिए निर्धारित दरों का 50 प्रतिशत मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है और उसके बाद प्रयोग में लाया जाता है। बिक्री / निपटान के वर्ष में अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का कोई प्रावधान नहीं किया जाता। उन आस्तियों के मामले में जहां सरकार से सब्सिडी प्राप्त होता है, उसको तत्संबंधित आस्ति खाता में जमा किया जाता है और तदनुसार मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।

7.4 पट्टेवाली भूमि पर प्रीमियम, अधिग्रहण के वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

7.5 विदेशी शाखाओं की अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की व्यवस्था उन देशों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार की जाती है।

7.6 गैर–बैंकिंग आस्तियों (एनपीए) के संबंध में कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता है।

8. राजस्व पहचान

8.1 आय और व्यय को, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए, सामान्यतः संचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

8.2 गैर–निष्पादक आस्तियों, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जो 90 दिनों से ज्यादा अतिदेय हैं) लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख–पत्रों / गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से इतर), बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों पर आय, धन प्रबंधन पर आय, खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज / अतिदेय प्रभार, क्रेडिट कार्डों पर वित्तीय प्रभार, पुनः क्षतिपूरित करने के बैंक के अधिकार पर व्ययए डेबिट कार्डों पर एएमसी प्रभार आदि को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया गया है और प्राप्त किए गए लॉकर किराया उपचय आधार पर लेखांकित किया जाता है।

8.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फ़ेडाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार किस्ट्रलीकरण की तारीख तक माना गया है।

9. क्रेडिट कार्ड पुरस्कार प्वाइंट

कार्ड सुविधा के उपयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित पुरस्कार प्वाइंटों को इस प्रकार के उपयोग के कारण व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

10. निवल लाभ / हानि

निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात्, लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम :

- गैर निष्पादक अग्रिमों और / अथवा निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान
- अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को / से अंतरण
- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के लिए प्रावधान
- सामान्य अथवा / और अन्य आवश्यक प्रावधान

Further, if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.

However, accounts classified as Non-performing/ Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

6.5 Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates , usance bills rediscounted and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets.

7. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

7.1. Premises and other fixed assets are stated at historical cost and at the revalued amount in respect of assets revalued.

7.2. Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable/ not segregated) and other fixed assets in India is provided for on the straight-line method at the same rates in which the said assets were charged, as specified below:

SL. No.	Nature of Asset	Rate of Depn. (SLM)
I	Buildings	1.63%
II	Other Fixed Assets	
	1. General Plant and Machinery	4.75%
	2. Furniture, Fixtures	6.33%
	3. Electrical Machinery and Fittings	7.07%
	4. Cycles	7.07%
	5. Scooters, Motor Cycles, Jeeps	9.50%
	6. Vans	11.31%
	7. Coin Vending Machine	16.66%
	8. Motor cars	20.00%
	9. Data processing machines including computers and UPS	33.33%
	10. Cell Phones and on small value items costing upto ₹ 5000/-	100.00%

7.3. Depreciation relatable to revalued component will be charged under revenue expenditure and an equivalent amount will be charged straightway against revaluation reserve and credited to the revenue reserve, as per revised AS 10 issued by ICAI.

Depreciation on fixed assets acquired and put in to use on or before 30th September is charged at 100% of the prescribed rates and at 50% of the prescribed rates on the fixed assets acquired and put in to use thereafter. No depreciation on the fixed assets is provided for in the year of sale / disposal. In respect of Assets where subsidy is received from Government, the same is credited to the respective asset account and depreciation is charged accordingly.

7.4. Premium on leasehold land is capitalised in the year of acquisition and amortized over the period of lease.

7.5. Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches is provided as per the practice prevailing in the respective countries.

7.6. In respect of Non Banking Assets, no depreciation is charged.

8. REVENUE RECOGNITION

8.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

8.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit/ guarantees issued (other than those relating to project finance), income from Bancassurance products, income from wealth management, additional interest/ overdue charges on bills purchased, finance charges on credit cards, income on Banks right to recompense, AMC charges on debit cards are accounted for on realisation and Locker Rent received is accounted on accrual basis.

8.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

9. CREDIT CARD REWARD POINTS

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

10. NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non-Performing Advances and / or Investments.
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes
- Provision for Unhedged Foreign Currency Exposure
- Usual or/and other necessary provisions

11 स्टाफ सेवानिवृत्ति लाभ

i) भविष्य निधि

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है ।

ii) उपदान

इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि नियमों एवं विनियमनों के अनुसार उपदान देयता एक वैधानिक दायित्व है और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसके लिए प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा उपदान देयता का निधीयन किया जाता है और इसका प्रबंध इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

iii) पेंशन

ए) इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 के तहत पेंशन देयता एक परिभाषित लाभकारी दायित्व है तथा 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए और पेंशन का विकल्प देनेवाले कर्मचारियों को यह बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।

बी) नई पेंशन योजना (एनपीएस) जो उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी भर्ती बैंक में 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

iv) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ

संचित क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, जैसे विशेषाधिकार अवकाश और चिकित्सा अवकाश, के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

v) अन्य कर्मचारी सुविधाएँ

अन्य कर्मचारी सुविधाएँ जैसे छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। समुद्रपारीय शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबन्धित लाभ तत्संबंधी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत मूल्यांकित एवं लेखाबद्ध किए जाते हैं।

12. पट्टे हेतु लेखांकन

परिचालनगत पट्टों पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टा भुगतानों को कीमत वृद्धि सहित पट्टा अवधि या आस्ति की अवधि, भी जो कम हो, के दौरान लाभ व हानि खाते में अभिज्ञात किये जाते हैं।

13. आकस्मिक देयताएं और प्रावधान :

13.1 आकस्मिक देयता : पहले किए गए क्रियाकलापों को, जिनसे वर्तमान में संभाव्य बाध्यताएं हो सकती हैं, निम्न दशाओं में आकस्मिक देयता के रूप में पहचाने जाते हैं, जहां :

ए) ऐसी बाध्यताओं का अस्तित्व पुष्टिकृत नहीं किया गया है।

बी) ऐसी बाध्यताओं के निपटारे के लिए संसाधनों का बाहरी प्रवाह अपेक्षित नहीं है।

सी) बाध्यताओं की राशि का एक विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है।

डी) ऐसी राशियाँ भौतिक नहीं हैं।

13.2 ए) वर्तमान बाध्यताओं के मामले में, जहाँ विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और/या जहाँ बहुत छोटे दावों को छोडकर बाध्यताओं का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों का त्याग करते हुए संसाधनों का बाहरी प्रवाह होने की संभावना है, प्रावधान की पहचान की जाती है।

बी) बाजार जोखिमों, देश–विशेष की जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

सी) बैंक प्रबंधन द्वारा अभिपहचानित रूप से फ़्लोटिंग प्रावधान की व्यवस्था की जाती है। भारिबैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार अस्थायी प्रावधान का उपयोग निम्न मदों के लिए किया जा सकता है।

i) गैर–निष्पादित आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान रखना

ii) गैर–निष्पादित आस्तियों में बिक्री में होनेवाली कमी की पूर्ति करना

14. आस्तियों का अनर्जक होना :

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) के संबंध में आस्तियों की हानि यदि कोई हो,लेखा मानक 28 ''आस्तियों का अनर्जक होना'' के अनुरूप पहचानी जाती है और उन्हें लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर ह्रास की पहचान की जाती है तथा एएस10 के प्रावधानों के अनुसार पी एवं एल खातों में प्रभारित की जाती है।

15. आय पर कर

15.1 वर्तमान कर एवं आस्थगित कर दोनों के लिए कर हेतु प्रावधान किया जाता है।

15.2. वर्तमान कर का मापन, कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली प्रत्याशित राशि के अनुसार लागू कर दरों, कर कानूनों एवं अनुकूल न्यायिक फ़ैसलों / विधिक राय का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

15.3 समय में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियां एवं देयताएं, जोकि आनेवाली अवधियों में रिवर्सल की क्षमता रखती हो, की पहचान, तुलन–पत्र की तिथि तक लागू कर दर या बाद में लागू किए गए कर दरों का प्रयोग करते हुए की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों की पहचान शेष असंगत मूल्यह्रास तथा कर घाटे पर की जाती है, यदि केवल "वर्चुअल निश्चितता" है तथा अन्यों के संबंध में, यदि पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ उगाही जाएंगी।

11. STAFF RETIREMENT BENEFITS

i) PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

ii) GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees Gratuity Fund Trust.

iii) PENSION

a) Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. .

b) New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

iv) COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

v) OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

12. ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term or life whichever is lower.

13. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

13.1 Contingent liability: Past events leading to, possible or present obligations are recognised as contingent liability in the following instances where:

(a) The existence of such obligations has not been confirmed

(b) no outflow of resources are required to settle such obligations

(c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made

(d) such amounts are not material

13.2 (a) Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.

(b) Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.

(c) Floating provision as identified by the Bank Management is provided for. Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

(i) Making specific provisions for non-performing assets;

(ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

14. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 “Impairment of Assets”. However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

15. TAXES ON INCOME

15.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.

15.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable judicial pronouncements / legal opinion.

15.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognised unless there is “virtual certainty” that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

अनुसूची 18 – लेखों पर टिप्पणियाँ

1. पूँजी

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2018	31.03.2017
i) सामान्य ईक्विटी टियर I पूंजी अनुपात (%)	11.00	11.82
ii) टियर I पूंजी अनुपात (%)	11.33	12.20
iii) टियर II पूंजी अनुपात (%)	1.22	1.44
iv) कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	12.55	13.64
v) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	81.87	82.10
vi) संग्रह की गई ईक्विटी पूंजी की राशि	0.00	0.00
vii) संग्रह की गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से	शून्य	शून्य
शाश्वत गैर–संचयी अधिमान्य शेयर (पीएनसीपीएस)		
शाश्वत ऋण की लिखतें (पीडीआई)	शून्य	600.00
viii) संग्रह की गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से	शून्य	600.00
ऋण पूंजी लिखत	-	-
अधिमान्य शेयर पूंजी लिखत [शाश्वत संचयी अधिमान्य शेयर (पीसीपीएस) /	-	-
प्रतिदेय गैर–संचयी अधिमान्य शेयर (आरएनसीपीएस) /	-	-
प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (आरसीपीएस)]	-	-

2. **निवेश**

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के देशी निवेश संविभाग को तीन संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। 31.03.2018 तक के आंकडे नीचे प्रस्तुत किये गये हैं :

(₹ करोड़ में)

वर्गीकरण	31.03.2018		31.03.2017	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
परिपक्वता तक रखे गए – एच टी एम *	37673.00	54.01	38975.49	59.08
बिक्री के लिए उपलब्ध – एएफएस	32055.06	45.96	26642.63	40.38
व्यापार के लिए रखे गए – एचएफटी	20.40	0.03	354.19	0.54
कुल योग	69748.46	100.00	65972.31	100.00

* 'निवल मांग और सावधि देयताओं के प्रतिशत के रूप में देशी एचटीएम संवर्ग की देशी एसएलआर प्रतिभूतियां 17.02 प्रतिशत के अधिकतम विनिर्दिष्ट स्तर के विरुद्ध 19.50 प्रतिशत है। (पिछले वर्ष के लिए 20.19 प्रतिशत के अधिकतम विनिर्दिष्ट स्तर के विरुद्ध यह 20.50 प्रतिशत रहा।)

2.2. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
(1) निवेशों का मूल्य **(i) निवेशों का सकल मूल्य**		
(ए) भारत में	69748.46	65972.31
(बी) भारत के बाहर	2243.86	1983.28
(ii) मूल्यह्रास व एनपीआई के लिए प्रावधान		
(ए) भारत में	509.78	314.25
(बी) भारत के बाहर	84.78	89.55

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS

1. CAPITAL

(Amount in ₹ crore)

	Items	31.03.2018	31.03.2017
i)	Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	11.00	11.82
ii)	Tier I Capital ratio (%)	11.33	12.20
iii)	Tier II Capital ratio(%)	1.22	1.44
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)	12.55	13.64
v)	Percentage of the Shareholding of the Government of India in public sector banks	81.87	82.10
vi)	Amount of equity capital raised (Amount in ₹ crore)	0.00	0.00
vii)	Amount Additional Tier 1 capital raised; of which		
	Perpetual Non-cumulative Preference Shares (PNCPS)		-
	Perpetual Debt Instruments (PDI):	NIL	NIL
viii)	Amount of Additional Tier 2 capital raised ; of which	NIL	600.00
	Debt capital instrument:	NIL	600.00
	Preference Share Capital Instruments:[Perpetual Cumulative	-	-
	Preference Shares(PCPS)/Redeemable Non-Cumulative	-	-
	Preference Shares(RNCPS)/Redeemable Cumulative	-	-
	Preference Shares(RCPS)]	-	-

2. INVESTMENTS

2.1. In accordance with the RBI guidelines, the Bank's domestic investment portfolio has been classified into three categories. The figures as at 31.03.18 are given hereunder:

(Amount in ₹ crore)

Classification	31/03/2018		31/03/2017	
	Amount	%	Amount	%
Held to Maturity -HTM *	37673.00	54.01	38975.49	59.08
Available for Sale – AFS	32055.06	45.96	26642.63	40.38
Held for Trading – HFT	20.40	0.03	354.19	0.54
Gross Total	69748.46	100.00	65972.31	100.00

*Domestic SLR securities in HTM category as a percentage of Net Demand and Time Liabilities works out to 17.02% against the stipulated maximum level of 19.50 % (previous year works out to 20.19% as against the stipulated maximum level of 20.50%).

2.2. Investments

(Amount in ₹ crore)

	Particulars	2017-18	2016-17
(1)	Value of Investments		
	(i) Gross value of investments		
	(a) In India	69748.46	65972.31
	(b) Outside India	2243.86	1983.28
	(ii) Provisions for Depreciation & NPI		
	(a) In India	509.78	314.25
	(b) Outside India	84.78	89.55

(iii) निवेशों का निवल मूल्य		
(ए) भारत में	69238.68	65658.06
(बी) भारत के बाहर	2159.08	1893.73
(2) निवेशों व एनपीआई पर मूल्यह्रास के लिए बनाए गए प्रावधानों में वृद्धि/कमी		
(i) प्रारंभिक शेष	314.25	233.98
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	420.83	171.29
(iii) घटाएँ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन/बट्टे खाते में डालना	225.30	91.02
(iv) अंतिम शेष	509.78#	314.25

चूँकि बैंक ने एफआईटीएल पर कोई आय बुक नहीं किया है और उगाही योग्य आय के रूप में इसकी समतुल्य राशि की बुक नहीं की गयी आय रखता है, एफआईटीएल के एवज में जारी किये गये शेयरों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है!

2.2.1 रेपो लेनदेन (अंकित मूल्यों में)

(₹ करोड़ में)

प्रकार	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2018 को बकाया
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
I. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	15600.01	2515.43	15600.01
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	3000.00	212.45	0.00
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.2 गैर एसएलआर निवेश संविभाग (देशी)

i) गैर–एसएलआर निवेशों पर जारीकर्ता संरचना

(₹ करोड़ में)

सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी आबंटन की सीमा	निवेश स्तर से निम्न वर्ग की प्रतिभूतियों की मात्रा	'दर निर्धारण नहीं' की गई प्रतिभूतियों की मात्रा	'सूचीबद्ध नहीं' की गई प्रतिभूतियों की मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम	3837.08	3531.91	179.15	251.09	0.00
2	वित्तीय संस्थाएं	2575.59	2053.65	0.00	0.00	17.38
3	बैंक	567.77	443.60	0.00	0.00	0.00
4	निजी कॉर्पोरेट	1951.98	1901.31	100.39	183.26	59.61
5	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	92.36	92.36	0.00	0.00	13.49
6	अन्य	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00
7	मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान	(-)259.29	xx	xx	xx	xx
	कुल	**8771.09**	**8028.43**	**279.54**	**434.35**	**90.48**

	(iii) Net value of Investments		
	(a) In India	69238.68	65658.06
	(b) Outside India	2159.08	1893.73
(2)	Movement of provisions held towards depreciation on investments & NPI		
	(i) Opening Balance	314.25	233.98
	(ii) Add: Provisions made during the year	420.83	171.29
	(iii) Less: Write-off/ Write back of excess provisions during the year	225.30	91.02
	(iv) Closing Balance	509.78#	314.25

Provision has not been made on shares issued in lieu of FITL as Bank has not booked any income on FITL and holds an equivalent amount of un-booked income as interest realizable.

2.2.1 REPO Transactions (in face value terms): (Amount in ₹ crore)

Type	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2018
Securities sold under repo				
I. Government securities	0.00	15600.01	2515.43	15600.01
ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities purchased under reverse repo				
I. Government securities	0.00	3000.00	212.45	0.00
ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.2 NON-SLR INVESTMENT PORTFOLIO (Domestic)

i) Issuer Composition of Non SLR Investments: (Amount in ₹ crore)

No.	ISSUER	AMOUNT	EXTENT OF PRIVATE PLACEMENT	EXTENT OF "BELOW INVESTMENT GRADE" SECURITIES	EXTENT OF "UNRATED" SECURITIES	EXTENT OF "UNLISTED" SECURITIES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSU	3837.08	3531.91	179.15	251.09	0.00
2	FIs	2575.59	2053.65	0.00	0.00	17.38
3	Banks	567.77	443.60	0.00	0.00	0.00
4	Private Corporates	1951.98	1901.31	100.39	183.26	59.61
5	Subsidiaries/Joint Ventures	92.36	92.36	0.00	0.00	13.49
6	Others	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00
7	Provision held towards depreciation & NPI	(-)259.29	xx	xx	xx	xx
	Total	**8771.09**	**8028.43**	**279.54**	**434.35**	**90.48**

ii) गैर–निष्पादक गैर–एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2016-17
प्रारंभिक शेष	17.93	39.72
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड	319.22	0.00
वर्ष के दौरान घटौती	0.00	21.79
अंतिम शेष	337.15	17.93
धारित कुल प्रावधान	19.38	17.93

2.2.3 एचटीएम संवर्ग में / से विक्रय एवं हस्तांतरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एचटीएम वर्ग में / से विक्रय एवं हस्तांतरण, वर्ष की शुरुआत में एचटीएम संवर्ग में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं थे।

- एचटीएम श्रेणी से रुपए 71.70 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष रुपए 86.84 करोड़), जोकि एचटीएम संवर्ग की प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ था, को लाभ और हानि लेखे में लिया गया है और उसके बाद रुपए 35.20 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रुपए 42.59 करोड़) की राशि को आरक्षित पूंजी खाता में हस्तांतरित कर दिया गया था। (करों का निवल और सांविधिक आरक्षित निधियां में हस्तांरित करने के लिए अपेक्षित राशि)।
- प्रतिभूतियों का हस्तांतरण

(i) **वर्ष की शुरुआत में बैंक ने निम्नलिखित का हस्तांतरण किया :**

एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में रुपए 14509.49 करोड़ के बही मूल्य की एसएलआर प्रतिभूतियाँ और रुपए 1.07 करोड़ के बही मूल्य की गैर–एसएलआर वीसीएफ प्रतिभूतियाँ, जिनपर मूल्यह्रास का प्रावधान रुए 0.21 करोड़ रुपए था।

एएफएस संवर्ग से एचटीएम संवर्ग में रुपए 13436.45 करोड़ के बही मूल्य की एसएलआर प्रतिभूतियाँ, जिसके परिणामस्वरूप बही मूल्य को बाज़ार मूल्य तक कम करने के लिए मूल्यह्रास के विरुद्ध धारित प्रावधान को 119.35 रुपए के लिए समायोजित करना पडा।

(ii) 29.04.2017 को, बैंक ने एचएफटी श्रेणी से एएफएस श्रेणी में 10.08 करोड़ रुपए के बही मूल्यवाली गैर–एसएलआर प्रतिभूतियां (रुपए 10.00 रुपए का अंकित मूल्य) को हस्तांतरित किया।

वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न तारीखों को एचएफटी श्रेणी से एएफएस श्रेणी में रुपए 394.83 रुपए की बही मूल्यवाली एसएलआर प्रतिभूतियों को (अंकित मूल्य 385 करोड़ रुपए) हस्तांतरित किया।

एचटीएम संवर्ग में वगीकृत प्रतिभूतियों के मामले में यदि अर्जन की लागत उसके अंकित मूल्य से अधिक है, तो परिपक्वता के लिए शेष अवधि में प्रीमियम को परिशोधित कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2017–18 में रुपए 108.64 करोड़ की राशि को (गत वर्ष में 80.81 करोड़ रुपए) परिशोधित किया जा चुका है तथा इसे ''निवेशों पर आय'' से कटौती के रूप में दर्शाया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र सं.बीपी / बीसी / 102 / 21.04.048 / 2017–18 दिनांक 02.04.2018 के अनुरूप बैंक ने एएफएस और एचएफटी के संवर्ग में धारित निवेशों पर दिसंबर 31, 2017 और मार्च 31, 2018 को समाप्त तिमाहियों के लिए 'मार्क टू मार्केट' हानियों को, जिस तिमाही में हानि हुई थी, उससे शुरू करते हुए चार तिमाहियों के लिए एमसमान रूप से स्प्रेड कर दिया है। एमटीएम हानियों को स्प्रेड करने के संबंध में भारिबैंक के परिपत्र के अनुरूप निम्नलिखित प्रकटीकरण किया जा रहा है।

ए) वर्ष / तिमाही के दौरान, दिसंबर 31, 2017 और मार्च 31, 2018 को समाप्त तिमाहियों के लिए एमटीएम हानियों पर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

को समाप्त तिमाही	दिसंबर 2017	मार्च 2018	कुल
प्रावधान किया जाना है	479.17	409.90	889.07
एमटीएम हानि हेतु किये गये प्रावधान	119.79*	222.27	342.06*

उपर्युक्त आंकडों में परवर्ती अवधि के लिए एमटीएम हानियों का प्रत्यावर्तन शामिल नहीं है।

बी) आगामी वित्तीय वर्ष की शेष तिमाहियों में प्रावधान किये जाने के लिए एमटीएम हानियों का शेष नीचे प्रस्तुत किया गया है।

शेष एमटीएम हानि	जून 2018	सितंबर 2018	दिसंबर 2018	कुल
तिमाही दिसंबर 2017	119.79	119.80	0	239.59
तिमाही मार्च 2018	102.48	102.48	102.46	307.42
कुल	222.27*	222.28*	102.46	547.01#

* उपर्युक्त आंकडों में परवर्ती अवधि के लिए एमटीएम हानियों का प्रत्यावर्तन शामिल नहीं है।

\# आगामी वर्ष की तिमाहियों में शेष एमटीएम हानि के लिए प्रावधान किया जाना है, तथा इसे निवेशों से नहीं घटाया गया है।

ii) Non Performing Non-SLR Investments

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Opening Balance	17.93	39.72
Additions during the year since 1st April	319.22	0.00
Reduction during the above period	0.00	21.79
Closing Balance	337.15	17.93
Total Provisions held	19.38	17.93

2.2.3 Sale and Transfers to / from HTM Category:

The value of sales and transfers of securities to / from HTM category did not exceed 5 per cent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

- Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to ₹ 71.70 crores (previous year ₹86.84 crores) has been taken to Profit and Loss Account and thereafter an amount of ₹ 35.20 crores (previous year ₹42.59 crores) was transferred to Capital Reserve Account (net of taxes and the amount required to be transferred to statutory reserves).
- Shifting of securities

(I) In the beginning of the year, the Bank shifted

SLR Securities for Book Value of ₹ 14509.49 crores which has resulted in no additional provision & Non-SLR VCF Securities for Book Value of ₹1.07 crores with a depreciation provision of ₹ 0.21 crore from HTM category to AFS category and

SLR Securities for Book Value of ₹ 13436.45 crores from AFS category to HTM category which has resulted in adjustment of provision held against depreciation for ₹ 119.35 crores to reduce the book value to the market value.

(ii) On 29/04/2017, the Bank shifted Non-SLR Securities for book-value of ₹10.08 crore (face value ₹10.00 crores) from HFT Category to AFS Category.

During the year, the Bank shifted SLR Securities for book-value of ₹ 394.83 crores face value ₹ 385 crores) from HFT Category to AFS Category on various dates.

In case of securities classified under HTM category, if acquisition cost is more than the face value, the premium is amortized over the remaining period to maturity. For the Financial Year 2017-18, a sum of ₹ 108.64 crore (previous year ₹ 80.81 crore) has been amortized and the same is reflected as a deduction from 'Income on Investments'.

In line with RBI circular No. BP/BC/102/21.04.048/2017-18 dated 02.04.2018, bank has spread mark to market (MTM) losses on investment held in AFS and HFT for the quarters ended December 31, 2017 and March 31, 2018 equally over up to four quarters, commencing with the quarter in which the loss is incurred. The following disclosure is made pursuant to RBI Circular regarding spread of MTM losses.

a) The provisions for MTM losses of the investment portfolio for the quarters ended December 2017 and March 2018 during the quarter/ year.

(Amount in ₹ crore)

Quarter Ended	December 2017	March 2018	Total
Provision to be made	479.17	409.90	889.07
Provision made for MTM losses	119.79*	222.27	342.06*

*The above figures do not include reversal of MTM losses in subsequent period.

a) The balance MTM losses (AFS+HFT categories) to be made during remaining quarters of ensuing financial year is provided below:

Balance MTM losses	June 2018	September 2018	December 2018	Total
Quarter December 2017	119.79	119.80	0	239.59
Quarter March 2018	102.48	102.48	102.46	307.42
Total	222.27*	222.28*	102.46	547.01#

*The above figures do not include reversal of MTM losses in subsequent periods

The remaining MTM losses to be provided in subsequent quarters of ensuing year, has not been netted from the investments

3. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप (आईआर एस)

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, बैंक ने तुलन पत्र आस्तियों की बचाव के लिए वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) के स्वरूप की कोई व्युत्पन्न संविदा नहीं की।

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2018	31.03.2017
i) अदला–बदली करार का अनुमानित मूलधन	0.00	0.00
ii) करार के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में यदि विपक्षी पक्षकार चूक करें तो वहन की जानेवाली हानियाँ	शून्य	शून्य
iii) स्वाप करार करने पर बैंक को आवश्यक संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv) स्वाप करार करने पर उत्पन्न जोखिमों का संकेन्द्रण	0.00	0.00
v) स्वाप बही का उचित मूल्य	0.00	0.00

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पाद :

वर्तमान वर्ष और विगत वर्ष के दौरान बैंक ने विनिमय व्यापार किए गए ब्याज दर व्युत्पन्न के लिए कोई करार नहीं किया है।

क्रम सं.	विवरण	2017-18	2016-17
i)	वर्ष के दौरान किये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का अनुमानित मूलधन (लिखत वार) ए) बी)	शून्य	शून्य
ii)	31 मार्च 2018 को विनिमय व्यापार किये गये ब्याज दर व्युत्पन्न के अनुमानित मूलधन का बकाया (लिखत वार) ए) बी)	शून्य	शून्य
iii)	विनिमय व्यापार किये गये ब्याज दर व्युत्पन्न के अनुमानित मूलधन का बकाया तथा अधिक प्रभावात्मक न रहनेवाले (लिखत वार) ए) बी)	शून्य	शून्य
iv)	विनिमय व्यापार किये गये ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार मूल्य को बही में अंकित राशि का बकाया (लिखत वार) ए) बी)	शून्य	शून्य

3.3 व्युत्पन्नों में ऋण जोखिम पर प्रकटीकरण :

3.3.1 गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक की नीति आईआरएस का उपयोग करते हुए आस्तियों के साथ–साथ देयताएँ की प्रतिरक्षा की अनुमति देती है। हेजिंग लेन–देनों को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाना चाहिए। ऐसे स्वैप जो ब्याज कमानेवाली आस्ति / देयता की प्रतिरक्षा करते हैं, हेज की गई आस्ति या देयता के रूप में लेखांकित किये जाते हैं। बकाया स्वैप संविदाएँ बाजार मूल्य पर अंकित होता है।

अंतर्राष्ट्रीय स्वेप डीलर संघ के दिशानिर्देशों के आधार पर सभी स्वैप लेनदेन किए गए हैं। लेनदेनों को समाप्त करने के पहले बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक अनुमोदन और नियंत्रण प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। (i) व्यापार (डीलिंग) (ii) बैक–ऑफ़िस (समझौता, निगरानी और नियंत्रण) तथा (iii) लेखाकरण क्षेत्रों के बीच एक स्पष्ट कार्यकारी पृथक्करण उपलब्ध है।

व्युत्पन्न उत्पाद खंड के अंतर्गत बैंक, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) में स्वामित्व लेनदेन कर रहा है। इस खंड में बैंक की गतिविधियाँ बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पन्न उत्पाद संबंधी नीति के अधीन की जाती हैं।

3. DERIVATIVES

3.1 Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps (IRS)

The Bank has not entered into Derivative contracts of the nature of Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps (IRS) to hedge on balance sheet assets during the financial year 2017-18

(Amount in ₹ crore)

Items	31.03.2018	31.03.2017
I) The notional Principal of Swap agreement	0.00	0.00
ii) Losses which would be incurred if counterparties fail to fulfill their obligations under the agreements.	NIL	NIL
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv) Concentration of Credit Risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) The fair value of swap book	0.00	0.00

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

The bank has not contracted any exchange traded interest derivatives during the current year and in the previous year.

Sl No	Particulars	2017-18	2016-17
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) a) b)	NIL	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2018 (instrument-wise) a) b)	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) a) b)	NIL	NIL
iv)	Mark-to-Market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective": (instrument-wise) a) b)	NIL	NIL

3.3 Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

3.3.1 Qualitative Disclosures:

Banks policy permits hedging of asset as well as liability using IRS. The hedging transactions are to be accounted on an accrual basis. Swaps, which hedge interest bearing asset / liability, are accounted for as the asset or liability hedged. Outstanding swap contracts are marked to market.

All swap deals shall be based on the guidelines of International Swaps Dealers' Association. Bank has adequate control systems and also internal approvals prior to concluding transactions. There exists a clear functional segregation between (i) trading (Dealing) (ii) back office (settlement, monitoring and control) and (iii) accounting sections.

In the derivatives segment, the banks policy permits doing proprietary trading in Overnight Index Swaps (OIS). The activities in this segment are governed by the Derivatives Policy approved by the Bank's Board.

ओआईएस लेनदेनों से होनेवाले लाभ व हानि, लेनदेन की परिपक्वता या समाप्ति, जो भी पूर्व हो, पर लाभ व हानि खाते में दर्शायी जाती है। बकाया ओआईएस लेनदेन के मूल्यांकन को निश्चित करने के लिए, संपूर्ण अदला–बदली का सही मूल्य, तुलन पत्र के दिनांक पर अदला–बदली की समाप्ति से प्राप्य या देय राशि, के आधार पर किया जाता है। इससे प्राप्त हानि के लिए संपूर्ण प्रावधान किया जाता है और अगर लाभ हो तो, नजर अंदाज किया जाता है।

विनिमय बाजार में लेनदेन किए जाने वाले विदेशी विनिमय व्युत्पन्न उत्पाद अर्थात् मुद्रा वायदे सौदे, विनिमय बाजार निर्धारित मूल्यों पर मूल्यांकित किए जाते हैं और परिणामस्वरूप मिलने वाले लाभ व घाटा, बैंक के लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

3.3.2. मात्रात्मक प्रकटीकरण

व्युत्पन्न बाजार में बैंक के निम्नलिखित उत्पाद हैं :

- ओवरनाइट इंडेक्स स्वैपस (ओआईएस)
- मुद्रा फ्यूचर्स

31 मार्च, 2018 को बकाया ओआईएस ₹ 50.00 करोड़ रहा (पिछले वर्ष ₹ 150.00 करोड़ रहा)

31.03.2018 को मुद्रा फ्यूचर्स की बकाया स्थिति ₹ 620.93 करोड़ है और पिछले वर्ष ₹ 200.20 करोड़ है थी।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2017-18		2016-17	
		मुद्रा व्युत्पाद	ब्याज दर व्युत्पाद	मुद्रा व्युत्पाद	ब्याज दर व्युत्पाद
1	व्युत्पन्न (नाममात्र मूल रकम)	620.93	50.00	200.20	150.00
	क) प्रतिरक्षा के लिए				
	ख) व्यापार के लिए	620.93	50.00	200.20	150.00
2	बाज़ार की स्थितियों पर अंकित				
	क) आस्ति (+)	0.00	0.09	0.00	0.01
	ख) देयता (-)	0.02	0.00	4.95	0.00
3	ऋण जोखिम	12.41	0.25	4.00	0.85
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव का संभाव्य प्रभाव (100 * पीवी 01)				
	क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) व्यापार व्युत्पन्न पर	0.00	0.03	0.00	1.02
5	वर्ष के दौरान पाए गए 100 पीवी* 01 का अधिकतम और न्यूनतम				
	क) प्रतिरक्षा पर				
	अधिकतम	0.00	0.00	0.00	0.00
	न्यूनतम	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) व्यापार पर				
	अधिकतम	0.00	1.40	0.00	1.14
	न्यूनतम	0.00	0.03	0.00	0.00

The gain or loss in OIS transactions is booked in the Profit and Loss account on the maturity or unwinding of the deal whichever is earlier. For the purpose of valuation of outstanding OIS deals, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profits, if any, are ignored.

Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

3.3.2 Quantitative Disclosures

The Bank is active in the following products under derivatives:-

- Overnight Index Swaps (OIS)
- Currency Futures

The outstanding OIS position as on 31st March 2018 was ₹ 50.00 crores (previous year ₹150.00 crores).

Outstanding position in Currency futures as on 31.03.2018 is ₹ 620.93 crores and previous year was ₹200.20 crores

(Amount in ₹ crore)

Sl. No.	Particulars	2017-18		2016-17	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1	Derivatives (Notional Principal Amount)	620.93	50.00	200.20	150.00
	a) For hedging				
	b) For trading	620.93	50.00	200.20	150.00
2	Marked to Market Positions				
	a) Asset (+)	0.00	0.09	0.00	0.01
	b) Liability (-)	0.02	0.00	4.95	0.00
3	Credit Exposure	12.41	0.25	4.00	0.85
4	Likely impact on one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) On hedging derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) On trading derivatives	0.00	0.03	0.00	1.02
5	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	a) On hedging				
	Maximum	0.00	0.00	0.00	0.00
	Minimum	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) On Trading				
	Maximum	0.00	1.40	0.00	1.14
	Minimum	0.00	0.03	0.00	0.00

4. आस्ति गुणवत्ता

4.1.1 गैर–निष्पादक आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

मदें	2017-18	2016-17
(i) निवल अग्रिमों और निवल एनपीए का अनुपात (%)	3.81	4.39
(ii) एनपीए (सकल) में उतार चढ़ाव		
(ए) प्रारंभिक शेष	9865.14	8827.04
(बी) वर्ष के दौरान जोड़	5041.23	3330.66
(सी) वर्ष के दौरान कटौती	2916.23	2292.57
(डी) अंत शेष	11990.14	9865.14
(iii) निवल एनपीए में उतार चढ़ाव		
(ए) प्रारंभिक शेष	5606.57	5419.40
(बी) वर्ष के दौरान जोड़	3682.07	2056.13
(सी) वर्ष के दौरान कटौती	3329.08	1868.96
(डी) अंत शेष	5959.56	5606.57
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधानों और चल प्रावधानों को छोड़कर)		
(ए) प्रारंभिक शेष	3788.92	2926.76
(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	3414.20	2056.61
सी) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना / प्रतिलेखन करना	1704.89	1194.45
(डी) अंत शेष	5498.23	3788.92

4.1.2 आस्ति वर्गीकरण और एनपीए हेतु प्रावधान में विचलन पर प्रकटीकरण (भारिबैंक परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.63 / 21.04.018 / 2016:17 दिनांक 18.04.2017)

क्रम सं.	विवरण	₹ हज़ारों में
1	बैंक द्वारा सूचित रूप से 31 मार्च, 2017 को सकल एनपीए*	98651387.00
2	भारिबैंक द्वारा मूल्यांकित रूप से 31 मार्च, 2017 को सकल एनपीए	104089387.00
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	5438000.00
4	बैंक द्वारा सूचित रूप से 31 मार्च, 2017 को सकल एनपीए	56065651.00
5	भारिबैंक द्वारा मूल्यांकित किये गये रूप से 31 मार्च, 2017 को निवल एनपीए	56196028.00
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	130377.00
7	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई रूप से मार्च, 2017 को एनपीए हेतु प्रावधान	37889163.00
8	भारिबैंक द्वारा मूल्यांकित रूप से 31 मार्च, 2017 को एनपीए हेतु प्रावधान	42986163.00
9	प्रावधानीकरण में विचलन (8-7)	5097000.00
10	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्टित कर के पश्चात निवल लाभ (पीएएटी)	14056772.00
11	विचलन प्रावधान को हिसाब में लेने के पश्चात 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष हेतु समायोजित (आनुमानिक) कर के पश्चात निवल लाभ (पीएएटी)	8566772.00
	* विचलनों के आकलन के लिए संदर्भित अवधि का समापन मार्च 31, 2017 को है।	

4. ASSETS QUALITY

4.1.1 Non-Performing Assets

(Amount in ₹ crore)

Items	2017-18	2016-17
(I) Net NPAs to Net Advances (%)	3.81	4.39
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening Balance	9865.14	8827.04
(b) Additions during the year	5041.23	3330.66
(c) Reductions during the year	2916.23	2292.57
(d) Closing Balance	11990.14	9865.14
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening Balance	5606.57	5419.40
(b) Additions during the year	3682.07	2056.13
(c) Reductions during the year	3329.08	1868.96
(d) Closing Balance	5959.56	5606.57
(iv) Movement of Provision for NPAs (excluding provisions on standard assets and Floating Provisions)		
(a) Opening Balance	3788.92	2926.76
(b) Provisions made during the year	3414.20	2056.61
(c) Write-off / Write - back of excess provisions	1704.89	1194.45
(d) Closing Balance	5498.23	3788.92

4.1.2 Disclosure on Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs (Vide RBI Circular DBR.BP.BC No.63/21.04.018/2016-17 dated 18.04.2017

Sl No.	Particulars	₹ in thousands
1	Gross NPAs as on March 31, 2017 as reported by the Bank*	98651387.00
2	Gross NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	104089387.00
3	Divergence in Gross NPAs (2-1)	5438000.00
4	Net NPAs as on March 31, 2017 as reported by the Bank	56065651.00
5	Net NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	56196028.00
6	Divergence in Net NPAs (5-4)	130377.00
7	Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as reported by the Bank	37889163.00
8	Provisions for NPAs as on March 31, 2017 as assessed by RBI	42986163.00
9	Divergence in Provisioning (8-7)	5097000.00
10	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017	14056772.00
11	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2017 after taking into account the divergence provisioning	8566772.00
	*March 31, 2017 is the close of the reference period in respect of which divergences were assessed	

4.2.1 दि 31.3.2018 को पुनः संरचित खातों का प्रकटीकरण

क्रम संख्या	प्रकार / आस्ति वर्गीकरण / विवरण			सीडीआर पद्धति के अंतर्गत मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	एसएमई ऋण पुनर्रचना के अंतर्गत मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	अन्य मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	कुल मानक	अव–मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष 2017 के 1 अप्रैल को पुनर्रचित खाते (प्रारम्भिक आंकड़ा) *	1	उधारकर्ताओं की संख्या	6	0	6	0	12	721	193	162	0	1076	6860	1068	2021	7	9956	7587	1261	2189	7	11044
		2	बकाया राशि	647.79	0	668.27	0	1316.06	219.34	17.63	86.25	0	323.22	3455.18	117.45	2103.82	0.35	5676.80	4322.31	135.08	2858.34	0.35	7316.08
		3	उस पर प्रावधान	12.07	0	22.13	0	34.20	0.57	0.01	0.06	0	0.64	50.54	1.58	36.12	0	88.24	63.18	1.59	58.31	0.00	123.08
2	अप्रैल से मार्च 2018 के दौरान की गई नई पुनर्रचना	4	उधारकर्ताओं की संख्या	1	0	1	0	2	3	7	9	1	20	64	302	156	2	524	68	309	166	3	546
		5	बकाया राशि	21.64	0	74.44	0	96.08	6.10	7.08	0.04	0	13.22	284.01	206.26	10.09	0	500.36	311.75	213.34	84.57	0	609.66
		6	उस पर प्रावधान	0.89	0	-1.96	0	-1.07	-0.03	0	0	0	-0.03	5.11	0.18	-0.45	0	4.84	5.97	0.18	-2.41	0.00	3.74
3	अप्रैल–मार्च 2018 के दौरान पुनर्संचित मानक वर्ग में अपग्रेडेशन	7	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	14	-11	-3	0	0	94	-77	-17	0	0	108	-88	-20	0	0
		8	बकाया राशि	0	0	0	0	0.00	3.49	-3.06	-0.43	0	0.00	37.57	148.78	-186.35	0	0.00	41.06	145.72	-186.78	0	0.00
		9	उस पर प्रावधान	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	2.35	-0.01	-2.34	0	0.00	2.35	-0.01	-2.34	0.00	0.00
4	पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधानीकरण और/या अतिरिक्त जोखिम भार की आवश्यकता नहीं है एवं अतः अगले वित्तीय वर्ष के उत्तरार्द्ध में उन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में प्रदर्शित किए जाने की जरूरत नहीं है।	10	उधारकर्ताओं की संख्या	0				0	-68				-68	-1118				-1118	-1186				-1186
		11	बकाया राशि	0.00				0.00	-42.67				-42.67	-134.07				-134.07	-176.74				-176.74
		12	उस पर प्रावधान	0.00				0.00	-0.15				-0.15	-2.10				-2.10	-2.25				-2.25
5	अप्रैल–मार्च 2018 के दौरान अवनत किए गए पुनर्संरचित खाते	13	उधारकर्ताओं की संख्या	-3	0	3	0	0	-138	0	137	1	0	-865	300	550	15	0	-1006	300	690	16	0
		14	बकाया राशि	-407.42	0.00	407.42	0.00	0.00	-28.02	15.47	12.54	0.01	0.00	-1733.86	430.44	1302.86	0.56	0.00	-2169.30	445.91	1722.82	0.57	0.00
		15	उस पर प्रावधान	-8.64	0	8.64	0	0	-0.14	0.13	0.01	0	0.00	-27.48	4.86	22.62	0	0.00	-36.26	4.99	31.27	0.00	0.00
6	अप्रैल–मार्च 2018 के दौरान बट्टे खाते में डाले गए पुनर्संरचित खाते	16	उधारकर्ताओं की संख्या	-1	0	-4	0	-5	-166	-64	-49	0	-279	-1002	-528	-756	-6	-2292	-1169	-592	-809	-6	-2576
		17	बकाया राशि	-92.59	0	-450.32	0	-542.91	-35.16	-9.23	-68.33	0	-112.72	-122.09	-38.63	-826.48	-0.41	-987.61	-249.84	-47.86	-1345.13	-0.41	-1643.24
		18	उस पर प्रावधान	-1.93	0	-15.81	0	-17.74	-0.09	0.01	-0.04	0	-0.12	3.69	-0.63	-26.55	0	-23.49	1.67	-0.62	-42.40	0.00	-41.35
7	वित्तीय वर्ष मार्च 31 2018 को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े) *	19	उधारकर्ताओं की संख्या	3	0	6	0	9	366	125	256	2	749	4033	1065	1954	18	7070	4402	1190	2216	20	7828
		20	बकाया राशि	169.42	0.00	699.81	0.00	869.23	123.08	27.89	30.07	0.01	181.05	1786.74	864.30	2403.94	0.50	5055.48	2079.24	892.19	3133.82	0.51	6105.76
		21	उस पर प्रावधान	2.39	0.00	13.00	0.00	15.39	0.16	0.15	0.03	0.00	0.34	32.11	5.98	29.40	0.00	67.49	34.66	6.13	42.43	0.00	83.22

* मानक पुनः संरचित अग्रिम के आंकडों को छोडकर, जिन्हें उच्च प्रावधानीकरण या जोखिम भारिता की आवश्यकता नहीं है (अगर लागू हों)

क्रम सं.2 में नई पुनःसंरचित राशि रुपए 115.61 करोड़ तथा दि.31.3.2018 को वर्तमान पुन संरचित खाते में आगे नामे /संवितरण की राशि रुपए 494 .05 शामिल है।

क्रम सं.6 में बट्टे खाते में डाली गई राशि रुपए 1101.11 करोड़ तथा एओरसी को बिक्री रुपए 186.90 करोड़ शेष में कमी – रुपए 355.23 करोड़

4.2.1 Disclosure of Restructured Accounts - as on 31-03-2018

Sl No	Type of Restructuring / Asset Classification / Details			CDR Standard	CDR Sub-Standard	CDR Doubtful	CDR Loss	CDR Total	SME Standard	SME Sub-Standard	SME Doubtful	SME Loss	SME Total	Others Standard	Others Sub-Standard	Others Doubtful	Others Loss	Others Total	Total Standard	Total Sub-Standard	Total Doubtful	Total Loss	Total Total
1	Restructured Accounts as on April 1 of 2017 (opening figure) *	1	Number Of Borrowers	6	0	6	0	12	721	193	162	0	1076	6860	1068	2021	7	9956	7587	1261	2189	7	11044
		2	Amount Outstanding	647.79	0	668.27	0	1316.06	219.34	17.63	86.25	0	323.22	3455.18	117.45	2103.82	0.35	5676.80	4322.31	135.08	2858.34	0.35	7316.08
		3	Provision thereon	12.07	0	22.13	0	34.20	0.57	0.01	0.06	0	0.64	50.54	1.58	36.12	0	88.24	63.18	1.59	58.31	0.00	123.08
2	Fresh restructuring during Apr-Mar 2018	4	Number Of Borrowers	1	0	1	0	2	3	7	9	1	20	64	302	156	2	524	68	309	166	3	546
		5	Amount Outstanding	21.64	0	74.44	0	96.08	6.10	7.08	0.04	0	13.22	284.01	206.26	10.09	0	500.36	311.75	213.34	84.57	0	609.66
		6	Provision thereon	0.89	0	-1.96	0	-1.07	-0.03	0	0	0	-0.03	5.11	0.18	-0.45	0	4.84	5.97	0.18	-2.41	0.00	3.74
3	Upgradation to restructured standard category during Apr-Mar 2018	7	Number Of Borrowers	0	0	0	0	0	14	-11	-3	0	0	94	-77	-17	0	0	108	-88	-20	0	0
		8	Amount Outstanding	0	0	0	0	0.00	3.49	-3.06	-0.43	0	0.00	37.57	148.78	-186.35	0	0.00	41.06	145.72	-186.78	0	0.00
		9	Provision thereon	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	2.35	-0.01	-2.34	0	0.00	2.35	-0.01	-2.34	0.00	0.00
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	10	Number Of Borrowers	0				0	-68				-68	-1118				-1118	-1186				-1186
		11	Amount Outstanding	0.00				0.00	-42.67				-42.67	-134.07				-134.07	-176.74				-176.74
		12	Provision thereon	0.00				0.00	-0.15				-0.15	-2.10				-2.10	-2.25				-2.25
5	Downgradations of restructured accounts during Apr-Mar 2018	13	Number Of Borrowers	-3	0	3	0	0	-138	0	137	1	0	-865	300	550	15	0	-1006	300	690	16	0
		14	Amount Outstanding	-407.42	0.00	407.42	0.00	0.00	-28.02	15.47	12.54	0.01	0.00	-1733.86	430.44	1302.86	0.56	0.00	-2169.30	445.91	1722.82	0.57	0.00
		15	Provision thereon	-8.64	0	8.64	0	0	-0.14	0.13	0.01	0	0.00	-27.48	4.86	22.62	0	0.00	-36.26	4.99	31.27	0.00	0.00
6	Write-offs of restructured accounts during Apr-Mar 2018	16	Number Of Borrowers	-1	0	-4	0	-5	-166	-64	-49	0	-279	-1002	-528	-756	-6	-2292	-1169	-592	-809	-6	-2576
		17	Amount Outstanding	-92.59	0	-450.32	0	-542.91	-35.16	-9.23	-68.33	0	-112.72	-122.09	-38.63	-826.48	-0.41	-987.61	-249.84	-47.86	-1345.13	-0.41	-1643.24
		18	Provision thereon	-1.93	0	-15.81	0	-17.74	-0.09	0.01	-0.04	0	-0.12	3.69	-0.63	-26.55	0	-23.49	1.67	-0.62	-42.40	0.00	-41.35
7	Restructured Accounts as on Mar 31 the 2018 (closing figure) *	19	Number Of Borrowers	3	0	6	0	9	366	125	256	2	749	4033	1065	1954	18	7070	4402	1190	2216	20	7828
		20	Amount Outstanding	169.42	0.00	699.81	0.00	869.23	123.08	27.89	30.07	0.01	181.05	1786.74	864.30	2403.94	0.50	5055.48	2079.24	892.19	3133.82	0.51	6105.76
		21	Provision thereon	2.39	0.00	13.00	0.00	15.39	0.16	0.15	0.03	0.00	0.34	32.11	5.98	29.40	0.00	67.49	34.66	6.13	42.43	0.00	83.22

* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable)

S No. 2 includes ₹ 115.61 cr of fresh restructuring and further debits / disbursements to existing restructured account as on 31.03.2018 - ₹494.05 cr

S No.6 includes fresh write off ₹ 1101.11 cr and closer/sale to ARC - ₹ 186.90 cr decrease in balance - Rs.355.23 cr

4.3 आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

4.3.1 बिक्री का विवरण

(₹ करोड में)

मदें	2017-18	2016-17
(i) खातों की संख्या	432	7566
(ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों का सकल मूल्य (प्रावधानों से निवल)	238.08	91.85
(iii) सकल प्रतिफल	333.90	213.44
(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खाते के संबंध में वसूला गया अतिरित प्रतिफल	--	--
(v) निवल बही मूल्य से अधिक होनवाला सकल लाभ/हानि	95.82	121.59

4.3.2 सुरक्षा रसीद का बही मूल्य (अलग रखे गये प्रावधान को घटाने के पहले)

(₹ करोड में)

विवरण	2017-18	2016-17
(i) अंतर्निहित रूप से बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	2268.60	2084.37
(Ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर्निहित रूप से बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	शून्य	शून्य
कुल	**2268.60**	**2084.37**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	विगत 5 वर्षों के अंदर जारी एसआर	5 वर्षों के पहले परन्तु विगत 8 वर्षों के अन्दर जारी एसआर	8 वर्षों के पहले जारी एसआर
(I)	अंतर्निहित रूप से बैंक द्वारा बेचे गए एसआर, जो एनपीए द्वारा समर्थित हैं।	2267.26	1.34	0.00
	ऊपर (i) के विरुद्ध धारित प्रावधान	1196.04	1.34	0.00
(ii)	अंतर्निहित रूप से अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा बेचे गए एसआर, जो एनपीए द्वारा समर्थित हैं, का बही मूल्य	0.00	0.00	0.00
	ऊपर (ii) के विरुद्ध धारित प्रावधान	0.00	0.00	0.00
	कुल (i)+(ii)	2267.26	1.34	0.00

4.3.3 खरीदी /बेची गयी गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

ए. खरीदी गयी गैर–निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड में)

विवरण	2017-18	2016-17
1. (ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(बी) बकाया कुल शेष	शून्य	शून्य
2. (ए) इनमे से वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(बी) बकाया कुल शेष	शून्य	शून्य

4.3 Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

4.3.1. Details of Sales

(Amount ₹ in crore)

Items	2017-18	2016-17
(I) No. of Accounts	432	7566
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	238.08	91.85
(iii) Aggregate consideration	333.90	213.44
(iv) Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	--	--
(v) Aggregate gain/ loss over net book value	95.82	121.59

4. 3.2 Book Value of Security Receipt (without netting hived off provision)

(Amount ₹ in crore)

	Particulars	2017-18	2016-17
(i)	Backed by NPAs sold by the bank as underlying	2268.60	2084.37
(ii)	Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	NIL	NIL
	Total	**2268.60**	**2084.37**

(Amount ₹ in crore)

	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(I)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	2267.26	1.34	0.00
	Provision held against (i)	1196.04	1.34	0.00
(ii)	Book Value of SRs backed by NPAs sold by other Banks/ financial institutions/ Non banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00
	Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00
	Total (i)+(ii)	2267.26	1.34	0.00

4.3.3 Details of non-performing financial assets purchased /sold

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(Amount ₹ in crore)

	Particulars	2017-18	2016-17
1.	(a).No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL
2.	(a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
	(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL

बी. बेची गयी गैर–निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड में)

विवरण	2017-18	2016-17
1. बेचे गए खातों की संख्या	432	7566
2. बकाया कुल शेष	609.38	356.68
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	333.90	213.44

4.3.4. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

(₹ करोड में)

विवरण	2017-18	2016-17
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	821.97	768.76

5. व्यापार अनुपात

विवरण	2017-18	2016-17
(i) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	7.26	7.67
(ii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय	1.02	1.06
(iii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	2.12	1.91
(iv) आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	0.53	0.67
(v) कारोबार (जमाएँ एवं अग्रिम) प्रति कर्मचारी (₹ करोड में)	18.56	14.88
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रु. करोड में)	0.06	0.07

6. आस्ति देयता प्रबंधन

आस्तियों / देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न

(Amount in ₹ crore)

विवरण	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन से 2 महीनों तक	2 महीनों से अधिक तथा 3 महीनों तक	3 महीनों से अधिक तथा 6 महीनों तक	6 महीनों से अधिक तथा 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक तथा 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
जमाएं	1235.82	3906.27	3809.82	5538.76	13633.39	12753.49	19262.39	41682.70	57805.08	15554.89	33111.61	208294.22
उधार	1640.27	2177.36	7747.27	6291.78	10050.54	8696.23	12875.33	25232.65	44922.44	17666.20	19268.86	156568.93
निवेश*	8907.35	1295.74	2079.47	1741.32	1609.83	1621.02	3497.80	9520.48	12628.69	4197.88	24058.18	71157.76
उधार	76.28	9146.58	4500.00	2565.19	257.48	149.79	0.00	964.83	1500.01	600.01	0.00	19760.17
*₹ 240.01 करोड़ रुपए के सूचीबद्ध ईक्विटी के 50% प्रतिशत को छोड़ते हुए												
विदेशी मुद्रा देयताएं	221.71	976.95	482.75	379.76	845.53	746.38	348.02	1908.83	1267.57	1119.56	691.63	8988.69
विदेशी मुद्रा आस्तियां	388.13	544.02	597.34	820.45	2161.69	1151.58	1122.45	2637.21	1173.30	353.20	466.75	11416.12

B. Details of non-performing financial assets sold (Amount ₹ in crore)

Particulars	2017-18	2016-17
1. No. of accounts sold	432	7566
2. Aggregate Outstanding	609.38	356.68
3. Aggregate consideration received	333.90	213.44

4.3.4. Provision on Standard Assets (Amount ₹ in crore)

	2017-18	2016-17
Provisions towards Standard Assets	821.97	768.76

5. Business Ratios

Particulars	2017-18	2016-17
(i) Interest Income as a percentage to Working Funds	7.26	7.67
(ii) Non-Interest Income as a percentage to Working Funds	1.02	1.06
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.12	1.91
(iv) Return on Assets (%)	0.53	0.67
(v) Business (Deposits plus Advances) per employee (₹ Crore)	18.56	14.88
(vi) Profit per employee (₹ Crore)	0.06	0.07

6. Asset Liability Management

Maturity Pattern of certain items of Assets and Liabilities (Amount in ₹ crore)

Particulars	1 day	2-7 days	8-14 days	15 to 30 days	31 days to 2 months	Over 2 to 3 months	Over 3 months to 6 months	Over 6 months to 1 year	Over 1 years to 3 years	Over 3 years to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	1235.82	3906.27	3809.82	5538.76	13633.39	12753.49	19262.39	41682.70	57805.08	15554.89	33111.61	208294.22
Advances	1640.27	2177.36	7747.27	6291.78	10050.54	8696.23	12875.33	25232.65	44922.44	17666.20	19268.86	156568.93
Investments*	8907.35	1295.74	2079.47	1741.32	1609.83	1621.02	3497.80	9520.48	12628.69	4197.88	24058.18	71157.76
Borrowings	76.28	9146.58	4500.00	2565.19	257.48	149.79	0.00	964.83	1500.01	600.01	0.00	19760.17
*Excludes 50% of listed equities of ₹ 240.01 Crore												
Foreign Currency Liabilities	221.71	976.95	482.75	379.76	845.53	746.38	348.02	1908.83	1267.57	1119.56	691.63	8988.69
Foreign Currency Assets	388.13	544.02	597.34	820.45	2161.69	1151.58	1122.45	2637.21	1173.30	353.20	466.75	11416.12

7. उधार

7.1 रियल एस्टेट क्षेत्र को ऋण

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2018	31.03.2017
ए) प्रत्यक्ष ऋण		
(i) आवासिक बंधक	15079.83	12283.29
जिसमें से वैयक्तिक गृह ऋण जो प्राथमिकता क्षेत्र के तहत शामिल किए जाने योग्य है	6326.59	5488.73
(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	6054.15	3420.28
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश और अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण	शून्य	शून्य
ए) आवासिय	शून्य	शून्य
बी) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	शून्य	शून्य
बी) अप्रत्यक्ष ऋण		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त निगम कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर–निधिक ऋण	7087.39	4475.10
रियल एस्टेट क्षेत्र को कुल ऋण	**28221.37**	**20178.67**

7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

मद	31.03.2018	31.03.2017
(i) प्रत्यक्ष निवेश		
ए) ईक्विटी शेयर में	552.76	565.87
बी) बांड्स/परिवर्तनीय डिबेंचरों में	68.71	शून्य
डी) ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में जिसका कॉर्पस मात्र कार्पोरेट ऋण में निविष्ट नहीं है।	शून्य	शून्य
(ii) वैयक्तिकों को ईक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बांडों एवं डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अग्रिम या बेजमानती ऋण	शून्य	शून्य
(iii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक जमानत के रूप में लिया जाता है।	18.15	23.18
(iv) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जोकि शेयरों अथवा उस सीमा तक परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों द्वारा प्रत्याभूत हैं अर्थात शेयरों/ परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती।	334.12	376.05
(v) स्टॉक ब्रोकरों को प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां।	30.25	30.00
(vi) स्रोतों को उपलब्ध कराने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी के लिए प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के विरूद्ध अथवा बेजमानती आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण।	शून्य	शून्य
(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों/निर्गमों के विरूद्ध कंपनियों को पूरक ऋण ।	शून्य	शून्य
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा दी गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं।	शून्य	शून्य
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तीयन	शून्य	शून्य
(x) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के सभी एक्पोजर।	27.32	30.46
पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर	**1031.31**	**1025.55**

7. Exposures

7.1 Exposure to Real Estate Sector

(Amount in ₹ crore)

Category	31.03.2018	31.03.2017
A) Direct Exposure		
(i) Residential Mortgages -	15079.83	12283.29
Out of which individual housing loans eligible for being included under priority sector	6326.59	5488.73
(ii) Commercial Real Estate -	6054.15	3420.28
(iii) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures	NIL	NIL
a) Residential	NIL	NIL
b) Commercial Real Estate	NIL	NIL
B) Indirect Exposure		
Fund based and Non-fund based exposure on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Corporation (HFCs)	7087.39	4475.10
Total Exposure to Real Estate Sector	**28221.37**	**20178.67**

7.2 Exposure to Capital Market

(Amount in ₹ crore)

Items	31.03.2018	31.03.2017
(i) Direct investment		
a) In Equity shares,	552.76	565.87
b) In Convertible Debentures / Bonds	68.71	NIL
d) In Units of Equity- Oriented Mutual Funds the corpus of which is not exclusively invested in Corporate Debt;	NIL	NIL
(ii) Advances against Shares/Bonds/Debentures or other Securities or on clean basis to individuals for investment in Equity shares (including IPOs/ESOPs) Convertible Bonds, Convertible Debentures, and units of Equity Oriented Mutual Funds;	NIL	NIL
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	18.15	23.18
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover advances ;	334.12	376.05
(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	30.25	30.00
(vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	NIL	NIL
(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	NIL	NIL
(viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	NIL	NIL
(ix) Financing to stockbrokers for margin trading	NIL	NIL
(x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered);	27.32	30.46
Total Exposure to Capital Market	**1031.31**	**1025.55**

7.3 जोखिम संवर्गवार देश संबंधी ऋण

(₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्गवार**	31 मार्च 2018 तक ऋण (निवल)	31 मार्च 2018 तक धारित प्रावधान	31 मार्च 2017 तक ऋण (निवल)	31 मार्च 2017 तक धारित प्रावधान
नगण्य	5278.04	3.07	5267.82	3.04
न्यून	3179.59		3656.81	3.70
मध्यम	384.20		261.05	
उच्च	0.00		0.00	
सर्वोच्च	0.00		0.00	
प्रतिबंधित	0.00		0.00	
ऑफ क्रेडिट	0.00		0.00	
कुल	**8841.83**	**3.07**	**9185.68**	**6.74**

देश विशेष को प्रदत्त ऋण का जोखिम प्रबंधन :

ईसीजीसी द्वारा दिनांक 02.01.2018 को जारी परिपत्र ईसीजीसी/सीयूडी/225//2017–18 के जरिए देश विशेष को प्रदत्त ऋण जोखिम प्रबंधन के अद्यतन वर्गीकरण के अनुसार बैंक ने 31.03.2018 को विभिन्न देशों को प्रदत्त निवल निधि एक्सपोजर का विश्लेषण किया है और सिंगापुर को छोड़ कर अन्य देशों के प्रति यह एक्सपोजर बैंक की कुल आस्तियों के 1 प्रतिशत की सीमा के भीतर है। सिंगापुर, जिसे ईसीजीसी लिमिटेड ने ''गैर महत्वपूर्ण'' जोखिम संवर्ग के अधीन वर्गीकृत किया है, के लिए रु.3.07 करोड़ (गत वर्ष – रुपए 3.04 करोड़ ''गैर महत्वपूर्ण'' हेतु एवं रुपए 3.70 करोड़ ''कम'' जोखिम संवर्ग हेतु) का प्रावधान उपलब्ध है।

7.4 बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधार सीमा (जीबीएल) के अतिक्रमण के विवरण

(₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का नाम	अतिरिक्त ऋण	कुल उच्चतम ऋण	अतिरिक्त ऋण का %	कुल ऋण का %
------------------------	-----------------	शून्य	--------------------	--------------------

7.5 बेजमानती अग्रिम

कुल बेजमानती अग्रिमों में से, अधिकार, लाइसेन्स, अथारिटी आदि अगोचर प्रतिभूतियों से रक्षित अग्रिम जहाँ परियोजनाओं के संबंध में इन्हें बैंक के पक्ष में संपार्श्विक के रूप में प्रभारित किया गया है, शून्य है। ऐसे संपार्श्विक अगोचर प्रतिभूतियों का अनुमानित कुल मूल्य 'शून्य' है।

7.6 वर्ष के दौरान आय कर के लिए प्रावधान :

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2016-17
कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित आय कर)	-182.57	352.56

31.03.2018 को अदा की गई विवादित आयकर मांग रुपए 3292.14 करोड़ (विगत वर्ष रुपए 2576.67 करोड़) थी। 31.03.2018 तक आकस्मिक देयताओं की राशि रुपए 4079.28 करोड में भी विवादित आयकर मामलों से संबंधित उक्त राशि को शामिल किया गया है (विगत वर्ष में रुपए 2619.21 करोड़)। न्यायिक उद्घोषणाओं तथा बैंकों के स्वीय वादों में अनुकूल निर्णयों के कारण कथित विवादित मांगों पर कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

8 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दण्डों का प्रकटीकरण :

वर्ष के दौरान भारिबैंक ने कमियों, गंदे नोटों के प्रेषण में जालसाजी तथा मुद्रा कोष परिचालन द्वारा आईसीसीओएमएस में विलंबित / गलत रिपोर्टिंग / भारिबैंक के दिशा–निर्देशों का अननुपालन के लिए ₹ 9.88 लाख (84 प्रविष्टियाँ) (पिछले 2016–17 को समाप्त वर्ष के लिए ₹14.95 लाख – 182 प्रविष्टियाँ) की राशि का जुर्माना लगाया।

8.1 अचल आस्तियाँ

8.1.1 बैंक के परिसर में भूमि शामिल है और इसे पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान बैंक ने अपने परिसर का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदित बाह्य मूल्यांककों द्वारा निर्धारित उचित बाजार मूल्य पर किया। वर्ष 2017–18 के लिए रुपए 161.06 करोड़ का मूल्यह्रास (विगत वर्ष में रुपए 83.73 करोड़) व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रभारित किया गया और ''पुनर्मूल्यन प्रारक्षिती खाते' में पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास रुपए 'शून्य' (विगत वर्ष में ₹ 80.90 करोड़ रुपए) का समायोजन ''पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि'' खाते से किया गया है। एएस 10 मानक के अनुसार वर्ष 2017–18 के लिए व्यय के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए ₹ 78.98 करोड़ की राशि प्रभारित की गई। इसका समायोजन पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियों के साथ राजस्व प्रारक्षिती खाते में जमा करते हुए किया गया।

(Amount in ₹ crore)

7.3 Risk Category-wise Country Exposure

Risk category**	Exposure (Net) as at 31.03.2018	Provision held as at 31.03.2018	Exposure (Net) as at 31.03.2017	Provision held as at 31.03.2017
Insignificant	5278.04	3.07	5267.82	3.04
Low	3179.59		3656.81	3.70
Moderate	384.20		261.05	
High	0.00		0.00	
Very High	0.00		0.00	
Restricted	0.00		0.00	
Off-credit	0.00		0.00	
Total	**8841.83**	**3.07**	**9185.68**	**6.74**

COUNTRY RISK MANAGEMENT:

As per the updated country risk classification by the ECGC, vide its circular ECGC/CUD/225/2017-18 dated 02.01.2018, the Bank has analysed its net funded exposure to various countries as on 31.03.2018 and such exposure to countries other than Singapore is well within the stipulation of 1% of the total assets of the Bank. In respect of Singapore, which is classified under "Insignificant" risk category by ECGC Ltd, a provision of ₹ 3.07 Cr (Previous year ₹3.04 Cr for 'Insignificant' and ₹3.70 Cr. for 'Low' risk category) is available.

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) if any, exceeded by the Bank

(Amount in ₹ crore)

Borrower Name	Additional Exposure	Total Highest Exposure	Percentage of additional exposure	Percentage of Total Exposure
------------------------	-----------------	NIL	--------------------	--------------------

7.5 Unsecured Advances

Out of the total unsecured advances, advances secured by intangible securities such as rights, licenses, authority, etc. charged to the bank as collateral in respect of projects (including infrastructure projects) is NIL. Estimated total value of such intangible collateral is NIL

7.6 Provision for Income Tax for the year (Amount in ₹ crore)

	2017-18	2016-17
Provision for Taxation (IncomeTax including Deferred Tax)	-182.57	352.56

The disputed income tax demand paid as at 31.03.2018 was ₹3292.14 Crores (previous year ₹ 2576.67 Crores). The same has also been included under contingent liabilities of ₹ 4079.28 Crores (previous year ₹ 2619.21 Crores) relating to disputed tax matters as at 31.03.2018. No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favorable decisions in Banks' own case.

8 Disclosure of Penalties imposed by RBI

During the year RBI has imposed penalty of ₹ 9.88 lakhs (84 entries) (Previous Year ending 2016-17 ₹ 14.95 lakhs -182 entries) for shortages, forgeries in soiled notes remittances and delayed / wrong reporting in ICCOMS / non adherence to RBI guidelines by the currency Chest operations.

8.1 Fixed Assets

8.1.1 The premises of the Bank include land and are stated at revalued amount. The Bank revalued its premises in the financial year 2015-16 at fair market value determined by the approved external valuers. For the year 2017-18, depreciation amounting to ₹161.06 crores (Previous Year - ₹83.73 crore) was charged under expenditure and depreciation on revalued portion amounting to NIL (previous year ₹ 80.90 crore) is adjusted against the "Revaluation Reserve account'. As per AS 10 Standard, depreciation on revalued assets amounting to ₹ 78.98 cr. was also charged under expenditure for the year 2017-18. The same was adjusted against Revaluation Reserve to the credit of Revenue Reserve A/c.

8.1.2 परिसर में ₹ 3.59 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 3.59 करोड़ मूल्य की 4 संपत्तियाँ) मूल्य की 4 संपत्तियाँ हैं जिनका बही मूल्य, मूल्यह्रास को घटाने के बाद ₹ 52.28 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 53.75 करोड़) है, जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

9. लेखा मानकों (एएस) के अनुसार प्रकटीकरण :

9.1 नकदी प्रवाह विवरण (एएस 3) (₹ in '000)

इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै					
मार्च 31, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण					
			को समाप्त वर्ष		को समाप्त वर्ष
			31.03.2018		31.03.2017
ए. परिचालनगत गतिविधियों से नकद प्रवाह					
लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ			1258 99 28		1405 67 72
निम्नलिखित हेतु समायोजन :					
प्रावधान व आकस्मिकताएं			3741 99 71		2595 02 98
मूल्यह्रास			236 39 74		165 70 71
आस्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ)			2 13 68		1 03 18
भुगतान किए गए आय कर			(615 00 00)		(605 00 00)
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालनगत लाभ (i)			4624 52 41		3562 44 59
परिचालनगत आस्तियों में वृद्धि / कमी					
निवेशों में वृद्धि			(3845 97 79)		(14462 47 50)
अग्रिमों में कमी / (वृद्धि)			(28869 64 65)		1349 79 43
अन्य आस्तियों में वृद्धि/(कमी)			1709 75 85		(3436 12 31)
(ii)			(31005 86 59)		(16548 80 38)
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि / कमी					
जमाओं में वृद्धि			25784 93 92		4223 43 99
अन्य देयताओं में कमी			(3079 69 36)		(2056 23 60)
(iii)			22705 24 56		2167 20 39
परिचालनगत गतिविधियों (i)+ (ii)+ (iii) से सृजित निवल नकदी			(3676 09 62)		(10819 15 40)
बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
अचल आस्तियों की खरीद			(223 01 77)		(184 04 50)
अचल आस्तियों की बिक्री			8 74 26		4 76 53
सहायक कंपनियों से प्राप्त लाभांश					
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी			(214 27 51)		(179 27 97)
सी. वित्तपोषण गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह					
प्रदत्त लाभांश			(288 17 50)		(72 04 37)
प्रदत्त लाभांश वितरण कर			(58 66 67)		(14 66 67)
उधार में वृद्धि			7123 28 17		9127 57 25
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी			6776 44 00		9040 86 21
नकदी और नकदी समकरणों में निवल वृद्धि/(कमी)	**(ए)+(बी)+(सी)**		2886 06 87		(1957 57 16)
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी तुल्य					
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष					
हाथ में नकदी		162 34 73		537 13 02	
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष		5426 35 30		8637 32 11	
बैंकों में शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि					
बैंकों में शेष					
(ए) चालू खातों में		13 58 87		10 31 02	
(बी) अन्य जमा खातों में		956 90 16		275 93 37	
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां					
भारत के बाहर					
i) चालू खातों में		180 99 60		258 26 41	
ii) अन्य जमा खातों में		3290 32 69		2274 03 72	
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां		11 20 58		6 29 42	
			10041 71 93		11999 29 07

8.1.2 Premises include 4 properties costing ₹3.59 crores (Previous year - 4 properties costing ₹ 3.59 crores) having revalued book value, net of depreciation at ₹ 52.28 Crore (Previous year - ₹ 53.75 crore) for which registration formalities are pending.

9. DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS):

9.1 Cash Flow Statement (AS 3) :

(₹ in '000)

Indian Bank, Head Office, Chennai					
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2018					
			Year ended		Year ended
			31.03.2018		31.03.2017
A. Cash flow from operating Activities					
Net Profit as per Profit & Loss Account			1258 99 28		1405 67 72
Adjustments for :					
Provisions & Contingencies			3741 99 71		2595 02 98
Depreciation			236 39 74		165 70 71
Loss on Sale of Assets			2 13 68		1 03 18
Income Taxes paid			(615 00 00)		(605 00 00)
Operating Profit before working capital changes (I)			4624 52 41		3562 44 59
INCREASE/DECREASE IN OPERATING ASSETS					
Increase in Investments			(3845 97 79)		(14462 47 50)
Decrease/(Increase) in Advances			(28869 64 65)		1349 79 43
Increase/(Decrease) in Other Assets			1709 75 85		(3436 12 31)
(ii)			(31005 86 59)		(16548 80 38)
INCREASE/DECREASE IN OPERATING LIABILITIES					
Increase in Deposits			25784 93 92		4223 43 99
Decrease in Other Liabilities			(3079 69 36)		(2056 23 60)
(iii)			22705 24 56		2167 20 39
Net cash generated from operating Activities (i) + (ii) + (iii)			(3676 09 62)		(10819 15 40)
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES					
Purchase of Fixed Assets			(223 01 77)		(184 04 50)
Sale proceeds of Fixed Assets			8 74 26		4 76 53
Dividends received from subsidiary company					
Net cash generated from Investing Activities			(214 27 51)		(179 27 97)
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES					
Dividends paid			(288 17 50)		(72 04 37)
Dividend distribution tax paid			(58 66 67)		(14 66 67)
Increase in borrowings			7123 28 17		9127 57 25
Net cash generated from Financing Activities			6776 44 00		9040 86 21
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents	(A+B+C)		2886 06 87		(1957 57 16)
CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR					
Cash and balances with RBI					
Cash in hand		162 34 73		537 13 02	
Balances with RBI in current account		5426 35 30		8637 32 11	
Balances with Banks and Money at call and short notice					
Balances with Banks					
(a) in current accounts		13 58 87		10 31 02	
(b) in other deposit accounts		956 90 16		275 93 37	
Money at call and short notice (with Banks)					
Outside India					
i) in Current Accounts		180 99 60		258 26 41	
ii) in other deposit accounts		3290 32 69		2274 03 72	
iii) Money at call and short notice		11 20 58		6 29 42	
			10041 71 93		11999 29 07

			को समाप्त वर्ष		को समाप्त वर्ष
			31.03.2018		31.03.2017
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी तुल्य					
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष					
हाथ में नकदी		499 69 62		162 34 73	
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष		10001 90 40		5426 35 30	
बैंकों में शेष एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि					
बैंकों में शेष					
(ए) चालू खातों में		15 01 45		13 58 87	
(बी) अन्य जमा खातों में		635 23 54		956 90 16	
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां					
भारत के बाहर बाहर बैंकों में शेष					
i) चालू खातों में		166 38 53		180 99 60	
ii) अन्य जमा खातों में		1609 00 78		3290 32 69	
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां		54 49	12927 78 81	11 20 58	10041 71 93
प्रारंभिक एवं अंत नकदी शेषराशियों एवं नकदी तुल्य राशियों में अंतर			2886 06 88		(1957 57 14)

9.2 परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (एएस – 10)

लेखाकरण मानक (एएस–10) में हुए परिवर्तन के अनुपालन में वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया है जबकि विगत वित्तीय वर्षों के दौरान इन्हें पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षिती के विरुद्ध किया गया था। इसके परिणामस्वरूप व्यय में 78.98 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई और निवल लाभ में 78.98 करोड़ की घटौती हुई।

9.3 स्टाफ को लाभ (एएस 15)

9.3.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ :

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान बैंक ने ₹ 0.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.95 करोड़) का अंशदान दिया है।

नई पेंशन योजना (एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी बैंक में भर्ती 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व–निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, बैंक ने ₹ 45.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 35.77 करोड़) का अंशदान दिया है।

9.3.2 परिभाषित लाभ योजनाएं:

लेखा मानक–15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए नियोजनोत्तर लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है :–

I. मूल बीमांकक अनुमान (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)	31.03.2018	31.03.2017
बट्टे की दर	पेंशन के लिए 7.78% - 15 वर्ष जी–सेक पेपर उपदान के लिए 7.56% - 10 वर्ष जी–सेक पेपर	पेंशन के लिए 7.29% - 15 वर्ष जी–सेक पेपर उपदान के लिए 7.12% - 15 वर्ष जी–सेक पेपर
वेतन बढोत्तरी की दर	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)	6.00% (वेतन संशोधन हेतु 0.50% सहित)
पदत्याग की दर	पेन्शन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%	पेन्शन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर*	8.25% पेंशन के लिए और 7.60% उपदान के लिए	8.62% पेंशन के लिए और 8.57% उपदान के लिए
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई जमा (पीयूसी) बीमांकिक तरीका	

* योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी भुनाई पर लागू नहीं होगी।

भविष्य में होनेवाली वेतन बढोत्तरी का आकलन, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और नियोजन बाज़ार में आपूर्ति और मांग जैसे संगत तत्वों को हिसाब में लेते हुए और आईबीए द्वारा संसूचित अधिवर्षिता योजनाओं के निधीयन के दिशानिर्देश के अनुरूप किया जाता है।

छुट्टी भुनाई की देयताएँ गैर–निधिक होते हैं।

			Year ended		Year ended
			31.03.2018		31.03.2017
CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR					
Cash and balances with RBI					
Cash in hand		499 69 62		162 34 73	
Balances with RBI in current account		10001 90 40		5426 35 30	
Balances with Banks and Money at call and short notice					
Balances with Banks					
(a) in current accounts		15 01 45		13 58 87	
(b) in other deposit accounts		635 23 54		956 90 16	
Money at call and short notice (with Banks)					
Outside India					
i) in Current Accounts		166 38 53		180 99 60	
ii) in other deposit accounts		1609 00 78		3290 32 69	
iii) Money at call and short notice		54 49	12927 78 81	11 20 58	10041 71 93
Difference in opening and closing cash and cash equivalents			2886 06 88		(1957 57 14)

9.2 Property, Plant and Equipment (AS-10)

During the year, the depreciation on revalued portion of the fixed assets is charged to profit and loss account as against charge to revaluation reserves during the previous financial years to comply with the change in Accounting Standard (AS-10). This has the effect of increase in the expenses by ₹ 78.98 crore and lowering the net profit by ₹ 78.98 crore.

9.3 EMPLOYEE BENEFITS (AS 15)

9.3.1 Defined Contribution Plans:

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust. During the financial year 2017-18, the Bank has contributed ₹ 0.81 crores (previous year Rs.0.95 crore).

New Pension Scheme (NPS) is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. During the financial year 2017-18, the Bank has contributed ₹ 45.95 crores (previous year ₹35.77 crores).

9.3.2 Defined Benefit Plans:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard 15 (Revised) are as under:

I. PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	**31/03/2018**	**31/03/2017**
Discount Rate	7.78% for Pension - 15 year G-sec paper and 7.56% for Gratuity-10 year G-sec paper	7.29% for Pension - 15 year G-sec paper and 7.12% for Gratuity-10 year G-sec paper
Salary escalation rate	6.00%(includes 0.50% for wage revision)	6.00%(includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Serving Employees	1.00% for Pension and 2.00% for Serving Employees
Expected rate of return on Plan Assets *	8.25% for Pension and 7.60% for Gratuity	8.62% for Pension and 8.57% for Gratuity
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA.

The liabilities of leave encashment are unfunded.

चालू वर्ष 2017–18

(₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी लेखा
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	**5925.15**	**900.90**	**171.21**
ब्याज लागत	109.62	66.08	12.72
वर्तमान सेवा लागत	84.68	64.85	20.92
विगत सेवा लागत – पहचानी गई / निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – न पहचानी गई /अनिहित लाभ	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(577.96)	(103.05)	(15.18)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ) (संतुलन आंकडा)	704.39	36.20	(10.18)
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**6245.89**	**964.99**	**179.51**

पिछले वर्ष 2016–17

(₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	**5608.14**	**831.94**	**161.63**
ब्याज लागत	98.16	56.35	11.25
वर्तमान सेवा लागत	81.41	49.35	17.22
विगत सेवा लागत – पहचानी गई / निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – न पहचानी गई /अनिहित लाभ	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(489.38)	(124.08)	(15.88)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)(संतुलन आंकडा)	626.82	87.34	(3.01)
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**5925.15**	**900.90**	**171.21**

चालू वर्ष 2017–18

(₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5841.36**	**876.81**	**0.00**
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	470.86	70.25	0.00
अंशदान	401.61	66.42	15.18
प्रदत्त लाभ	(577.96)	(103.05)	(15.18)
योजना आस्तियों पर बीमांकक लाभ / (हानि)(संतुलन आंकडा)	10.93	22.12	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**6146.80**	**932.55**	**0.00**

Current Year 2017-18

(Amount in ₹ crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	**5925.15**	**900.90**	**171.21**
Interest Cost	109.62	66.08	12.72
Current service cost	84.68	64.85	20.92
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(577.96)	(103.05)	(15.18)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	704.39	36.20	(10.18)
PVO as at the end of the year	**6245.89**	**964.99**	**179.51**

Previous year 2016-17

(Amount in ₹ crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	**5608.14**	**831.94**	**161.63**
Interest Cost	98.16	56.35	11.25
Current service cost	81.41	49.35	17.22
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(489.38)	(124.08)	(15.88)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	626.82	87.34	(3.01)
PVO as at the end of the year	**5925.15**	**900.90**	**171.21**

Current Year 2017-18

(Amount in ₹ crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	**5841.36**	**876.81**	**0.00**
Expected return on plan assets	470.86	70.25	0.00
Contributions	401.61	66.42	15.18
Benefits paid	(577.96)	(103.05)	(15.18)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	10.93	22.12	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	**6146.80**	**932.55**	**0.00**

पिछले वर्ष 2016–17

(₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5508.95**	**829.38**	**0.00**
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	441.99	70.99	0.00
अंशदान	352.07	99.16	15.88
प्रदत्त लाभ	(489.38)	(124.08)	(15.88)
योजना आस्तियों पर बीमांकक लाभ / (हानि)(संतुलन आंकडा)	27.73	1.36	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5841.36**	**876.81**	**0.00**

चालू वर्ष 2017–18

(₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	470.86	70.25	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	10.93	22.12	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	481.79	92.37	0.00

पिछले वर्ष 2016–17

(₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	441.99	70.99	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	27.73	1.36	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	469.72	72.35	0.00

चालू वर्ष 2017–18

(₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – बाध्यता	(704.39)	(36.20)	10.18
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)–योजना आस्तियां	10.93	22.12	0.00
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	(693.47)	(14.09)	10.18
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक (लाभ)/हानि	**(693.47)**	**(14.09)**	**10.18**
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00	20.92

Previous year 2016-17

(Amount in ₹ crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	**5508.95**	**829.38**	**0.00**
Expected return on plan assets	441.99	70.99	0.00
Contributions	352.07	99.16	15.88
Benefits paid	(489.38)	(124.08)	(15.88)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	27.73	1.36	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	**5841.36**	**876.81**	**0.00**

Current Year 2017-18

(Amount in ₹ crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	470.86	70.25	0.00
Actuarial gain/ (loss) on plan assets	10.93	22.12	0.00
Actual return on plan assets	481.79	92.37	0.00

Previous Year 2016-17

(Amount in ₹ crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	441.99	70.99	0.00
Actuarial gain/ (loss) on plan assets	27.73	1.36	0.00
Actual return on plan assets	469.72	72.35	0.00

Current Year 2017-18

(Amount in ₹ crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNIZED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain/(loss) for the year - Obligation	(704.39)	(36.20)	10.18
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	10.93	22.12	0.00
Total gain / (loss) for the year	(693.47)	(14.09)	10.18
Actuarial gain /(loss) recognized in the year	**(693.47)**	**(14.09)**	**10.18**
Unrecognized actuarial gain /(loss) at the end of the year	0.00	0.00	20.92

पिछले वर्ष 2016–17

(₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – बाध्यता	(626.82)	(87.34)	3.01
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)–योजना आस्तियां	27.73	1.36	0.00
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	(599.09)	(85.98)	3.01
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक (लाभ)/हानि	**(599.09)**	**(85.98)**	**3.01**
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00	17.22

चालू वर्ष 2017–18

(₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**6245.89**	**964.99**	**179.51**
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	6146.80	932.55	0.00
अन्तर	(99.09)	(32.44)	(179.51)
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	**(99.09)**	**(32.44)**	**(179.51)**

पिछले वर्ष 2016–17

(₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**5925.15**	**900.90**	**171.21**
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5841.36	876.81	0.00
अन्तर	(83.79)	(24.09)	(171.21)
पहचानी न गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
पहचानी न गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	**(83.79)**	**(24.09)**	**(171.21)**

चालू वर्ष 2017–18

(₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्तमान सेवा लागत	84.68	64.85	20.92
ब्याज लागत	109.62	66.08	12.73
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(470.86)	(70.25)	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	693.47	14.09	(10.18)
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	**416.91**	**74.76**	**23.47**

Previous Year 2016-17

(Amount in ₹ crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNIZED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain/(loss) for the year - Obligation	(626.82)	(87.34)	3.01
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	27.73	1.36	0.00
Total gain / (loss) for the year	(599.09)	(85.98)	3.01
Actuarial gain /(loss) recognized in the year	**(599.09)**	**(85.98)**	**3.01**
Unrecognized actuarial gain /(loss) at the end of the year	0.00	0.00	17.22

Current Year 2017-18

(Amount in ₹ crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	**6245.89**	**964.99**	**179.51**
Fair value of plan assets	6146.80	932.55	0.00
Difference	(99.09)	(32.44)	(179.51)
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00
Liability recognized in the balance sheet	**(99.09)**	**(32.44)**	**(179.51)**

Previous Year 2016-17

(Amount in ₹ crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	**5925.15**	**900.90**	**171.21**
Fair value of plan assets	5841.36	876.81	0.00
Difference	(83.79)	(24.09)	(171.21)
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00
Liability recognized in the balance sheet	**(83.79)**	**(24.09)**	**(171.21)**

Current Year 2017-18

(Amount in ₹ crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	84.68	64.85	20.92
Interest Cost	109.62	66.08	12.73
Expected return on plan assets	(470.86)	(70.25)	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	693.47	14.09	(10.18)
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00
Expenses recognized in the statement of profit and loss	**416.91**	**74.76**	**23.47**

पिछले वर्ष 2016–17

(₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	**पेंशन निधि**	**उपदान निधि**	**छुट्टी भुनाई**
वर्तमान सेवा लागत	81.41	49.35	17.22
ब्याज लागत	98.15	56.35	11.25
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(441.99)	(70.99)	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	599.09	85.98	(3.01)
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	**336.66**	**120.69**	**25.46**

चालू वर्ष 2017–18

(₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	**पेंशन निधि**	**उपदान निधि**	**छुट्टी भुनाई**
निवल देयता का आरंभिक शेष	83.79	24.09	171.21
उपर्युक्तानुसार व्यय	416.91	74.76	23.47
प्रदत्त अंशदान	(401.61)	(66.42)	(15.18)
निवल देयता का अंत शेष	**99.09**	**32.44**	**179.51**

पिछले वर्ष 2016–17

(₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	**पेंशन निधि**	**उपदान निधि**	**छुट्टी भुनाई**
निवल देयता का आरंभ शेष	99.19	2.56	161.63
उपर्युक्तानुसार व्यय	336.66	120.69	25.45
प्रदत्त अंशदान	(352.07)	(99.16)	(15.87)
निवल देयता का अंत शेष	**83.79**	**24.09**	**171.21**

(₹ करोड़ में)

IX. (i) चालू वर्ष 2017–18	**पेंशन निधि**	**उपदान निधि**	**छुट्टी भुनाई**
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	6245.89	964.99	179.51
योजना आस्तियां	6146.80	932.55	0.00
अधिशेष (घाटा)	(99.09)	(32.44)	(179.51)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	(704.39)	(36.20)	10.18
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि/लाभ)	10.93	22.12	0.00

Previous Year 2016-17

(Amount in ₹ crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	81.41	49.35	17.22
Interest Cost	98.15	56.35	11.25
Expected return on plan assets	(441.99)	(70.99)	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	599.09	85.98	(3.01)
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00
Expenses recognized in the statement of profit and loss	**336.66**	**120.69**	**25.46**

Current Year 2017-18

(Amount in ₹ crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	83.79	24.09	171.21
Expense as above	416.91	74.76	23.47
Contribution paid	(401.61)	(66.42)	(15.18)
Closing net liability	**99.09**	**32.44**	**179.51**

Previous Year 2016-17

(Amount in ₹ crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	99.19	2.56	161.63
Expense as above	336.66	120.69	25.45
Contribution paid	(352.07)	(99.16)	(15.87)
Closing net liability	**83.79**	**24.09**	**171.21**

(Amount in ₹ crore)

IX. (i) Current Year 2017-18	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present Value of obligation	6245.89	964.99	179.51
Plan Assets	6146.80	932.55	0.00
Surplus/ (Deficit)	(99.09)	(32.44)	(179.51)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(704.39)	(36.20)	10.18
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	10.93	22.12	0.00

(₹ करोड़ में)

IX. (ii) पिछले वर्ष 2014–17 पेंशन	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	वर्ष 31.03.2017 को समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	4930.31	5306.22	5608.14	5925.15
योजना आस्तियां	4767.66	5215.05	5508.95	5841.36
अधिशेष (घाटा)	(162.65)	(91.17)	(99.19)	(83.79)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	(263.75)	(305.93)	(384.40)	(626.82)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि/लाभ)	(21.88)	13.13	(7.61)	(27.73)

(₹ करोड़ में)

IX. (iii) पिछले वर्ष 2014–17 उपदान	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	वर्ष 31.03.2017 को समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	897.83	844.78	831.94	900.90
योजना आस्तियां	864.63	835.47	829.38	876.81
अधिशेष (घाटा)	(33.19)	(9.31)	(2.56)	(24.09)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	113.35	21.09	(24.20)	(87.34)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि/लाभ)	0.65	10.61	(1.66)	(1.36)

(₹ करोड़ में)

IX. (iii) पिछले वर्ष 2014–17 छुट्टी भुनाई	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	वर्ष 31.03.2017 को समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	200.69	154.58	161.63	171.21
योजना आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष (घाटा)	(200.69)	(154.58)	(161.63)	(171.21)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	4.39	(8.15)	(100.37)	(3.01)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि/लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

X. योजना आस्तियों के मुख्य संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
	2017-18		2016-17	
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ	---	---	---	---
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	---	---	---	---
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	37.96	11.04	40.13	13.10
उच्च गुणवत्तावाले कार्पोरेट बांड	0.00	0.00	0.22	0.26
विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	62.04	88.96	59.87	86.90
निजी क्षेत्र के बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
मनी मार्केट	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	100.00	100.00	100.00	100.00

(Amount in ₹ crore)

IX. (ii) Previous Years 2014-17 Pension	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2017
Present Value of obligation	4930.31	5306.22	5608.14	5925.15
Plan Assets	4767.66	5215.05	5508.95	5841.36
Surplus /(Deficit)	(162.65)	(91.17)	(99.19)	(83.79)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(263.75)	(305.93)	(384.40)	(626.82)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	(21.88)	13.13	(7.61)	27.73

(Amount in ₹ crore)

IX. (iii) Previous Years 2014-17 Gratuity	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2017
Present Value of obligation	897.83	844.78	831.94	900.90
Plan Assets	864.63	835.47	829.38	876.81
Surplus /(Deficit)	(33.19)	(9.31)	(2.56)	(24.09)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	113.35	21.09	(24.20)	(87.34)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.65	10.61	(1.66)	(1.36)

(Amount in ₹ crore)

IX. (iii) Previous Years 2014-17 Leave Encashment	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2017
Present Value of obligation	200.69	154.58	161.63	171.21
Plan Assets	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus /(Deficit)	(200.69)	(154.58)	(161.63)	(171.21)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	4.39	(8.15)	(100.37)	(3.01)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.00	0.00	0.00	0.00

(Amount in ₹ crore)

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
	2017-18		2016-17	
Government of India Securities	-	-	-	-
State Government Securities	-	-	-	-
Government of India Securities and State Government Securities	37.96	11.04	40.13	13.10
High Quality Corporate Bonds	0.00	0.00	0.00	0.00
Special Deposit Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00
Funds managed by Insurer	62.04	88.96	59.87	86.90
Private Sector Bonds	0.00	0.00	0.00	0.00
Money Market	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00

(₹ करोड़ में)

XI. अगले वर्ष के दौरान अंशदान	पेंशन निधि	उपदान राशि	अर्जित छुट्टी
अगले वर्ष के दौरान अंशदान पर उद्यम का सर्वोच्च अनुमान	380.00	110.00	15.00

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.9730/21.04.018/2017–18, दिनांक 27.04.2018 के माध्यम से बैंकों को विकल्प दिया है कि वे 29/03/2018 के प्रभाव से उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत उपदान सीमाओं की राशि को 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक बढ़ाये जाने के कारण होनेवाली अतिरिक्त देयता को मार्च 31, 2018 को समाप्त तिमाही के आरंभ करते हुए चार तिमाहियों में स्प्रेड कर लें। बैंक ने इस विकल्प को चुन लिया है और आगामी वित्तीय वर्ष की तीन तिमाहियों में 24.33 करोड़ की राशि को आस्थगित कराया है।

9.3.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए ₹1.74 करोड़ की राशि (गत वर्ष ₹ 1.68 करोड़) का प्रावधानकिया गया है तथा इसे लाभ एवं हानि लेखे में "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों हेतु बनाए गए प्रावधान / (अवलिखित) अतिरिक्त प्रावधानों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	31.03.2018	31.03.2017
1	बीमारी छुट्टी	0.62	0.37
2	आकस्मिक छुट्टी	0.11	0.18
3	छुट्टी यात्रा रियायत	0.01	1.13
	कुल	**1.74**	**1.68**

नोट:

शामिल प्रकटीकरण, बीमांकक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की सीमा तक सीमित है।

(Amount in ₹ crore)

XI. CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR	Pension Fund	Gratuity Fund	Earned Leave
Enterprises best estimate of contribution during next year	380.00	110.00	15.00

RBI vide its letter DBR No.BP.BC.9730/21.04.018/2017-18 dated 27.04.2018 has given the option to Banks to spread additional liability on account of the enhancement in gratuity limits from ₹ 10 lakhs to ₹ 20 lakhs from 29-03-2018 under the Payment of Gratuity Act, 1972, over four quarters beginning with the quarter ended March 31, 2018. The Bank has exercised the option and has deferred Rs.24.33 Crore to subsequent three quarters of the ensuing financial year.

9.3.3 Other Long Term Employee Benefits

Amount of ₹1.74 crore (previous year ₹ 1.68 crore is written back) towards Long Term Employee Benefits as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of additional Provisions made / (written back) for various long Term Employee Benefits during the year:

(Amount in ₹ crore)

No.	Long Term Employee Benefits	31/03/2018	31/03/2017
1.	Sick Leave	0.62	0.37
2.	Casual Leave	0.11	0.18
3.	Leave Travel Concession	0.01	1.13
	Total	**1.74**	**1.68**

Note:

Disclosures included are limited to the extent of information provided by the Actuary.

9.4 **खंड परिणाम (एएस 17)** (₹ करोड़ में)

भाग ए व्यापार खण्ड	ट्रेशरी		कार्पोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
राजस्व	6 124.28	5 562.11	6 782.64	6 679.21	6 438.03	5 883.14	174.53	126.66	19519.48	18 251.12
परिणाम	2 345.75	1 905.92	1 309.94	1 083.66	1215.90	927.41	129.40	83.71	5 000.99	4 000.70
अनाबंटित व्यय									3 924.57	2 242.47
परिचालनगत लाभ									1 076.42	1 758.23
अल्प संख्यक के हित									0.00	0.00
अन्य गैर आबंटनीय आय									0.00	0.00
आयकर									-182.57	352.56
अपवाद स्वरूप मदें									0.00	0.00
निवल लाभ									1258.99	1 405.67
अन्य जानकारी										
खण्डीय आस्तियां	77679.32	71642.55	91072.97	78138.05	85836.87	69820.87	0.00	0.55	254589.16	219602.02
अनाबंटित आस्तियां									- 1 873.34	- 1 368.88
कुल आस्तियां									**252715.82**	**218233.14**
खण्डीय देयताएं	72493.91	68395.22	82098.64	68570.25	77188.96	61534.35	0.00	0.00	231781.51	198499.82
अनाबंटित देयताएं									2 485.89	2 571.32
पूंजी, आरक्षितियाँ और अधिशेष									18 448.42	17 162.00
कुल देयताएं									**252715.82**	**218233.14**

	भाग बी – भौगोलिक खण्ड					
	देशी		**अंतर्राष्ट्रीय**		**कुल**	
	2017-18	**2016-17**	**2017-18**	**2016-17**	**2017-18**	**2016-17**
राजस्व	19 215.19	17 971.77	304.29	279.35	19519.48	18 251.12
आस्तियां	2 4 35 97.99	2 11 162.69	9117.83	7 070.45	25 27 15.82	2 18 233.14

जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, खण्डीय राजस्व एवं व्ययों को खण्डीय आस्तियों के आधार पर प्रभाजित किया गया है।

जहाँ आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आँकडों को पुनर्समूहित किया गया।

9.4 SEGMENT REPORTING (AS 17)

(Amount in ₹ crore)

Part A Business Segments	**Treasury**		**Corporate/ Wholesale Banking**		**Retail Banking**		**Other Banking operations**		**Total**	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Revenue	6 124.28	5 562.11	6 782.64	6 679.21	6 438.03	5 883.14	174.53	126.66	19519.48	18 251.12
Result	2 345.75	1 905.92	1 309.94	1 083.66	1215.90	927.41	129.40	83.71	5 000.99	4 000.70
Unallocated expenses									3 924.57	2 242.47
Operating Profit									1 076.42	1 758.23
Minority Interest									0.00	0.00
Other unallocable income									0.00	0.00
Income Taxes									-182.57	352.56
Exceptional Item									0.00	0.00
Net Profit									1258.99	1 405.67
Other information										
Segment Assets	77679.32	71642.55	91072.97	78138.05	85836.87	69820.87	0.00	0.55	254589.16	219602.02
Unallocated assets									- 1 873.34	- 1 368.88
Total assets									**252715.82**	**218233.14**
Segment Liabilities	72493.91	68395.22	82098.64	68570.25	77188.96	61534.35	0.00	0.00	231781.51	198499.82
Unallocated liabilities									2 485.89	2 571.32
Capital, Reserves & Surplus									18 448.42	17 162.00
Total liabilities									**252715.82**	**218233.14**

		Part B Geographic Segments				
	Domestic		**International**		**Total**	
	2017-18	**2016-17**	**2017-18**	**2016-17**	**2017-18**	**2016-17**
Revenue	19215.19	17 971.77	304.29	279.35	19519.48	18 251.12
Assets	2 43 5 97.99	2 11 162.69	9117.83	7 070.45	25 27 15.82	2 18 233.14

Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segment assets, wherever direct allocation is not possible. Previous year figures were re-grouped wherever necessary.

9.5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)

संबद्ध पक्षों के नाम तथा बैंक के साथ उनके संबंध

ए) अनुषंगियां:

i. इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

ii. इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

बी) सहयोगी: (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)

i. पल्लवन ग्राम बैंक

ii. सप्तगिरि ग्रामीण बैंक

iii. पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक

सी) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री महेश कुमार जैन	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (03.04.2017 तक)
श्री किशोर खरात	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (04.04.2017 के प्रभाव से)
श्री ए एस राजीव	कार्यपालक निदेशक (22.01.2016 के प्रभाव से)
श्री एम के भट्टाचार्य	कार्यपालक निदेशक (18.02.2017 के प्रभाव से)
श्री पी ए कृष्णन	मुख्य वित्तीय अधिकारी (17.05.2016 के प्रभाव से)

डी. गैर कार्यपालक निदेशकों की शेयर धारिता :

क्रमांक	गैर कार्यपालक निदेशक का नाम	धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या
1.	श्री विनोद कुमार नागर	107
2.	श्री भरत कृष्ण शंकर	200
	कुल	**307**

संबंधित पार्टी लेनदेन निम्नलिखित है :

ए. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान 80.25 लाख रुपये पारिश्रमिक का भुगतान किया गया (गत वर्ष 86.31 लाख रुपए)

	2017-18	2016-17
श्री महेश कुमार जैन, प्रनि एवं मुकाअ प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2017 से 31.04.2017)	₹0.37 लाख	₹29.70 लाख
श्री किशोर खरात प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (04.04.2017 से 31.03.2018)	₹29.55 लाख	0.00
श्री आर सुब्रमणिय कुमार, का नि प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक	0.00	₹28.60 लाख
श्री ए एस राजीव, का नि प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2017 से 31.03.2018)	₹25.75 लाख	₹25.25 लाख
श्री एम के भट्टाचार्य, का नि प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2017 से 31.03.2018)	₹24.58 लाख	₹2.76 लाख

ii. अनुषंगियों और सहयोगियों के सभी लेनदेन को "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" ए एस–18 के पैरा–9 के अनुसार प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जिन्हें राज्य नियंत्रित उपक्रमों को उनके लेनदेन से संबंधित पार्टी, जो स्वयं राज्य नियंत्रित उपक्रम है, प्रकटीकरण से छूट दी गई है।

9.6 पट्टे (एएस 19)

ए. पट्टे / किराए आधार पर ली गई परिसंपत्तियों के संबंध में बैंक के विकल्प के अनुसार उन्हें नवीकृत / रद्द किया जा सकता है।

बी. बैंक द्वारा किए जाने वाले पट्टे करार, आपस में सहमत अवधि के लिए हैं और लिखित रूप से सहमत कैलण्डर महीनों का नोटिस देकर पट्टे की अवधि के दौरान भी उसे समाप्त किया जा सकता है।

सी. परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त पट्टा किराए को, वह जिस वर्ष से संबंधित है, लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में पहचाना जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान पहचाना गया पट्टा किराया 195.94 करोड़ रुपए हैं। (विगत वर्ष – 180.73 करोड़ रुपए)।

9.5 RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank :

a) Subsidiaries :

i. Ind Bank Housing Ltd.

ii. Indbank Merchant Banking Services Ltd.

b) Associates : (Regional Rural Banks)

i) Pallavan Grama Bank

ii) Saptagiri Grameena Bank

iii) Puduvai Bharathiar Grama Bank

c) Key Managerial Personnel:

Shri Mahesh Kumar Jain	Managing Director & Chief Executive Officer (w.e.f. 02.11.2015 upto 03.04.2017)
Shri Kishor Kharat	Managing Director & Chief Executive Officer (w.e.f. 04.04.2017)
Shri A S Rajeev	Executive Director (w.e.f. 22.01.2016)
Shri M K Bhattacharya	Executive Director (w.e.f. 18.02.2017)
Shri P A Krishnan	Chief Financial Officer (w.e.f. 17.05.2016)

d) Shareholding of non-executive Directors:

Sl No.	Name of the non-executive Director	No. of equity shares held
1.	Shri Vinod Kumar Nagar	107
2.	Dr. Bharath Krishna sankar	200
	TOTAL	**307**

Related Party transactions are as under:

a) Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹ 80.25 lakhs (Previous-year ₹86.31 lakhs)

	2017-18	2016-17
Shri. Mahesh Kumar Jain, MD & CEO Salary & Emoluments Paid (01.04.2017 to 03.04.2017)	₹0.37 lakhs	₹29.70 lakhs
Shri. Kishor Kharat Salary & Emoluments Paid (04.04.2017 to 31.03.2018)	₹29.55 lakhs	₹0.00 lakhs
Shri . R Subramania Kumar ED Salary & Emoluments Paid	₹0.00	₹28.60 lakhs
Shri A S Rajeev ED Salary & Emoluments Paid (01.04.2017 to 31.03.2018)	₹25.75 lakhs	₹25.25 lakhs
Shri M K Bhattacharaya ED Salary & Emoluments Paid (01.04.2017 to 31.03.2018)	₹24.58 lakhs	₹2.76 lakhs

ii. The transactions with subsidiaries and associates have not been disclosed in view of para 9 of AS-18 Related Party Disclosure, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled enterprises.

9.6 Leases (AS 19)

a) The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank.

The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar months notice in writing.

Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is ₹ 195.94 Crores (Previous year ₹180.73 Crore).

9.7 **प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)**

विवरण	2017-18	2016-17
ईक्विटी शेयर धारकों हेतु उपलब्ध कर के पश्चात निवल लाभ (रुपए करोड़ों में)	1258.99	1405.68
ईक्विटी शेयरों की संख्या	480291651	480291651
ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या	480291651	480291651
प्रति शेयर मूल अर्जन	₹ 26.21	₹ 29.27
प्रति शेयर कम की गयी आय	₹ 26.21	₹ 29.27
प्रति ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य	₹ 10.00	₹ 10.00

9.8 आय पर करों के लिए लेखाकरण (एएस 22)

डीटीए (अस्थगित कर आस्तिओं) / डीटीएल (अस्थगित कर देयताओं) के मुख्य संघटक निम्न प्रकार हैं :

(राशि रु. करोडों में)

संघटक	31.03.2018	31.03.2017
आस्थगित कर आस्तियाँ		
1. भुगतान/क्रिस्टलाइजेशन पर अनुमेय देयताओं का प्रावधान	77.91	74.63
2. अप्रयुक्त अवकाश के लिए प्रावधान	0.00	0.24
3. उपदान के लिए प्रावधान	2.25	0.16
4. विगत वर्षों में संदिग्ध ऋणों के लिए दावा नहीं किए गए भत्ते		
5. विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिसर्व (एफसीटीआर) *	106.30	92.04
5. अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	523.21	0.00
7. पुनर्संरचित आस्ति, एक्युआर, एस4ए, दबावग्रस्त आस्तियों के लिए प्रावधान	91.25	0.00
कुल–डीटीए	**800.92**	**167.07**
आस्थगित कर देयताएँ		
1. स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	57.12	52.39
2. बट्टे खाते लिखे गये खातों हेतु प्रावधान	504.21	504.21
3. स्टाफ कल्याण व्यय	5.71	5.71
4. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षण	243.34	230.06
कुल – डीटीएल	**810.38**	**792.82**
निवल डीटीएल	**9.46**	**625.75**

*आईसीडीएस के प्रावधानों के अनुसार एफसीटीआर की प्रारंभिक शेष राशि को कर के रूप में देने के परिणाम स्वरूप डीटीए का सृजन

10.1 प्रावधान और आकस्मिकताएं (राशि रु. करोडों में)

	लाभ एवं हानि लेखे में व्यय शीर्ष के तहत दिखाए गए ''प्रावधान और आकस्मिकताओं'' का ब्रेकअप	**2017-18**	**2016-17**
i)	निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	313.57	101.96
ii)	एनपीए के लिए प्रावधान	3472.82	2077.33
iii)	आयकर के लिए प्रावधान	-182.57	352.56
iv)	विवरण सहित अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं विवरण — **2017-18** — **2016-17** 1. मानक अग्रिम — -26.51 — 15.00 2. पुनः संरचित अग्रिम — -34.77 — -0.11 3. अन्य — 199.46 — 48.29	138.18	63.18
	कुल	**3742.00**	**2595.03**

10.2 चल प्रावधान :

(राशि रु. करोडों में)

	चल प्रावधान खाता	**2017-18**	**2016-17**
ए.	चल प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	46.76	46.76
बी.	वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये चल प्रावधान	0.00	0.00
सी.	वित्तीय वर्ष के दौरान इसमें की गयी कमी	0.00	0.00
डी.	चल प्रावधान खाते में अंतिम शेष	46.76	46.76

9.7 Earnings Per Share (AS 20)

Particulars	2017-18	2016-17
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ Crore)	1258.99	1405.68
Number of Equity Shares	480291651	480291651
Weighted Number of equity shares	480291651	480291651
Basic Earning Per Share	₹ 26.21	₹ 29.27
Diluted Earning Per Share	₹ 26.21	₹ 29.27
Nominal value per Equity Share	₹ 10.00	₹ 10.00

9.8 ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)

The major components of Deferred Tax Assets (DTA) / Deferred Tax Liabilities (DTL) are: (₹ in Crore)

Components	31.03.2018	31.03.2017
Deferred Tax Assets		
1. Liabilities provision allowable on payment / crystallization	77.91	74.63
2. Provision for unutilized leave	0.00	0.24
3 Provision for Gratuity	2.25	0.16
4. Unclaimed allowance for doubtful debts in prior years		
5. Foreign Currency Translation Reserve (FCTR) *	106.30	92.04
6. Provision for Bad and Doubtful Debts	523.21	0.00
7. Provision for restructured asset, AQR, S4A,stressed assets	91.25	0.00
TOTAL- DTA	**800.92**	**167.07**
Deferred Tax Liabilities		
1. Depreciation on Fixed Assets	57.12	52.39
2.. Provision for Written-off Accounts	504.21	504.21
3. Staff Welfare Fund	5.71	5.71
4.Special Reserves u/s 36(i)(viii) of Income Tax Act, 1961	243.34	230.06
TOTAL DTL	**810.38**	**792.82**
NET DTL	**9.46**	**625.75**

*Creation of DTA consequent to offering FCTR opening balance to tax as per ICDS provisions.

10.1 Provisions and Contingencies (Amount in ₹ crore)

	Break-up of Provisions & Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	2017-18	2016-17
i)	Provision for depreciation on investments	313.57	101.96
ii)	Provision towards NPA	3472.82	2077.33
iii)	Provision made towards Income Tax	-182.57	352.56
iv)	Other Provisions and contingencies with details **Particulars** — **2017-18** — **2016-17** 1. Standard Advances — -26.51 — 15.00 2. Restructured Advances: — -34.77 — -0.11 3. Others — 199.46 — 48.29	138.18	63.18
	Total	**3742.00**	**2595.03**

10.2 Floating Provisions:

(Amount in ₹ crore)

	Floating Provisions Account	2017-18	2016-17
(a)	Opening balance in the floating provisions account	46.76	46.76
(b)	The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
(c)	Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
(d)	Closing Balance in the floating provisions account	46.76	46.76

10.3 आरक्षितियों में की गयी कमी :

(राशि रु. करोडों में)

क्रम सं.	आरक्षितियां	आहरित राशि		उद्देश्य
1	पुनर्मूल्यन रिजर्व	2017-18	2016-17	
		78.98	80.90	परिसर में पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास

* वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एएस–10 मानकों के प्रावधानों के अनुसार राशि को राजस्व रिज़र्व खाते में जमा किया गया।

10.4 ग्राहक शिकायतें

ए. ग्राहक शिकायत

		2017-18	2016-17
ए.	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	99	68
बी.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	35039	21356
सी.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	34863	21325
डी.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	275	99

बी. क्रेडिट कार्ड

		2017-18	2016-17
ए.	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	168	4
बी.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	2609	1504
सी.	वर्ष को दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	2754	1340
डी.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	23	168

सी. एटीएम शिकायत

		कुल	जिसमें से अक्वायरर	कुल	जिसमें से अक्वायरर
		2017-18		2016-17	
ए.	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	4286	647	1557	794
बी.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	171353	37038	122483	24502
सी.	वर्ष को दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	172992	37076	119754	24649
डी.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	2647	609	4286	647

10.4.1 **बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित और बैंक के द्वारा कार्यान्वित किए गए अधिनिर्णय निम्नानुसार हैं :**

		2017-18	2016-17
ए.	वर्ष की शुरुआत में अकार्यान्वित अधिनिर्णय	शून्य	शून्य
बी.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णय	शून्य	शून्य
सी.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए गए अधिनिर्णय	शून्य	शून्य
डी.	वर्ष के अंत में लंबित अकार्यान्वित अधिनिर्णय	शून्य	शून्य

10.3 Draw Down from Reserves:

(Amount in ₹ crore)

Sl. No.	Reserves	Amount Drawn		Purpose
1.	Revaluation	2017-18	2016-17	
	Reserve	78.98	80.90	Depreciation on revalued portion on Premises

* For the year 2017-18, the amount was credited to Revenue Reserve A/c as per the provisions of AS10 Standards.

10.4 Customer Complaints :

A. Customer Complaints

		2017-18	2016-17
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	99	68
(b)	No. of complaints received during the year	35039	21356
(c)	No. of complaints redressed during the year	34863	21325
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	275	99

B. Credit Card

		2017-18	2016-17
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	168	4
(b)	No. of complaints received during the year	2609	1504
(c)	No. of complaints redressed during the year	2754	1340
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	23	168

C. ATM Complaints

		Total	Of which acquirer	Total	Of which acquirer
		2017-18		2016-17	
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	4286	647	1557	794
(b)	No. of complaints received during the year	171353	37038	122483	24502
(c)	No. of complaints redressed during the year	172992	37076	119754	24649
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	2647	609	4286	647

10.4.1 Awards passed by the Banking ombudsman and implemented by the Bank is as follows :

		2017-18	2016-17
(a)	Unimplemented awards at the beginning of the year	NIL	NIL
(b)	Awards passed by Banking Ombudsman during the year	NIL	NIL
(c)	Awards implemented during the year	NIL	NIL
(d)	Unimplemented award at the end of the year	NIL	NIL

10.4.2 **पूर्व तिमाहियों की तुलना में, 31.03.2018 को समाप्त तिमाही में प्राप्त ग्राहक शिकायतों का वर्गीकरण**

क्र.सं	वर्गीकरण	को समाप्त तिमाही में प्राप्त शिकायतें									
		31.03.2017		30.06.2017		30.09.2017		31.12.2017		31.03.2018	
		सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%
1	अग्रिम	156	1.7	160	2.2	133	1.6	120	1.2	124	1.5
2	एटीएम	1493	16.6	1930	22.6	1738	20.4	1423	14.9	1602	18.9
3	क्रेडिट कार्ड	70	0.8	68	0.8	47	0.6	48	0.5	40	0.5
4	ग्राहक सेवा	669	7.4	191	2.2	193	2.3	140	1.4	140	1.6
5	डीमैट	8	0.1	12	0.1	1	0.00	5	0.1	0	0.00
6	जमा	405	4.6	499	5.8	505	5.9	498	5.2	409	4.8
7	सामान्य बैंकिंग	1199	13.3	464	5.4	341	4.0	330	3.4	342	4.1
8	सरकारी योजनाएं	138	1.5	71	0.8	38	0.4	45	0.5	47	0.5
9	विविध	723	8.0	758	8.9	1062	12.5	1305	13.8	1119	13.2
10	एनआरआई सेवा	97	1.0	22	0.2	25	0.3	12	0.1	10	0.1
11	प्रेषण	461	12.2	450	5.3	397	4.7	338	3.5	461	5.5
12	प्रौद्योगिकी	3589	5.2	3908	45.7	4026	47.3	5273	55.4	4169	49.3
	कुल	**9008**	**100**	**8533**	**100**	**8506**	**100**	**9537**	**100**	**8463**	**100**

10.5 बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र :

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा 3833.67 करोड़ रुपए (गत वर्ष 2904.71 करोड़ रुपए) मूल्य के लिए 1285 (गत वर्ष 1093) चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए गए हैं। 31.03.2018 को 475 (गत वर्ष 486) चुकौती आश्वासन पत्र बकाया रहे जिनकी राशि 1637.81 (गत वर्ष 1167.65 करोड़ रुपए) करोड़ रुपए है।

बकाया एलओसी / एलओयू शेष पर अनुमानित वित्तीय असर ₹ 7.37 करोड़ तक होगा। 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान, हमारी विदेशी शाखाओं (सिंगापुर एवं कोलंबो) द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र शून्य है तथा दिनांक 31.03.2017 को शेष शून्य है।

बैंक द्वारा सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकारी को दिये गये उत्तरदायित्व पत्र को ध्यान में रखते हुए बैंक अपनी सिंगापुर शाखा के साथ यूएसडी 43.00 एमआईओ (आईएनआर 280.25 करोड़ के समतुल्य राशि) की जमाएँ अनुरक्षित करना जारी रखा गया है ताकि शाखा की न्यूनतम निवल समायोजित पूँजी निधि आवश्यकताओं का भुगतान किया जा सके।

10.6 प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

गैर निष्पादक ऋण प्रावधान कवरेज अनुपात 64.27% (पिछले वर्ष 58.14%) रहा।

10.7 बैंक एश्यूरेन्स कारोबार

वर्तमान वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों की बिक्री / विपणन से रुपए 16.75 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है (पिछले वर्ष रुपए 12.75 करोड़)

(राशि रु. करोडों में)

क्रम सं.	आय का स्वरूप	2017-18	2016-17
1.	जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	7.33	6.86
2.	गैर जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	8.97	5.53
3.	अन्य – म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री के लिए	0.45	0.36
	कुल	**16.75**	**12.75**

10.10 ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट

22.09.2008 को बैंक द्वारा ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट स्थापित किया गया है जो ग्रामीण विकास पर अनन्य रूप से केन्द्रित ध्यान देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में समुदाय की सहायता करने में लगी हुई अन्य विभिन्न संस्थाओं/अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस न्यास के अधीन इंडियन बैंक स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (इंडसेटी) की स्थापना, बारह केन्द्रों में की गयी है (आंधप्रदेश में) चित्तूर, पुदुच्चेरी क्षेत्र (पुदुच्चेरी संघशासित क्षेत्र में), कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेल्लूर और विळुप्पुरम (तमिलनाडु में) जो ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को कौशल उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिससे वे स्वरोजगार बन सकें/रोजगार पाने में सक्षम होंगे। ट्रस्ट के तहत 19 स्थानों यथा चित्तूर, मचलीपटनम (आंध्र प्रदेश में), कोल्लम, चदयमंगलम, पारस्साला (केरल में), पुदुच्चेरी (पुदुच्चेरी संघशासित क्षेत्र में), कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, (तमिलनाडु) में भी वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) स्थापित किए गए एवं बैंक को वित्तीय समावेशन परियोजना में आम जनता को सहायता दिलाने के उद्देश्य से उन्हें वित्तीय साक्षरता व काउंसिलिंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु चेन्नै, दिल्ली और मुंबई में शहरी एफएलसी की स्थापना की गई हैं।

ट्रस्ट की खाता बहियों की लेखा परीक्षा ट्रस्ट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त सनदी लेखाकार द्वारा की जाती है।

10.4.2 Classification of customer complaints received during the quarter ended 31.03.2018 compared to the previous quarters:

Sl.No	Classification	Complaints received during the quarter ended									
		31.03.2017		30.06.2017		30.09.2017		31.12.2017		31.03.2018	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
1	Advances	156	1.7	160	2.2	133	1.6	120	1.2	124	1.5
2	ATM	1493	16.6	1930	22.6	1738	20.4	1423	14.9	1602	18.9
3	Credit Card	70	0.8	68	0.8	47	0.6	48	0.5	40	0.5
4	Customer Services	669	7.4	191	2.2	193	2.3	140	1.4	140	1.6
5	Demat	8	0.1	12	0.1	1	0.00	5	0.1	0	0.00
6	Deposits	405	4.6	499	5.8	505	5.9	498	5.2	409	4.8
7	General Banking	1199	13.3	464	5.4	341	4.0	330	3.4	342	4.1
8	Govt. Schemes	138	1.5	71	0.8	38	0.4	45	0.5	47	0.5
9	Miscellaneous	723	8.0	758	8.9	1062	12.5	1305	13.8	1119	13.2
10	NRI Services	97	1.0	22	0.2	25	0.3	12	0.1	10	0.1
11	Remittances	461	5.2	450	5.3	397	4.7	338	3.5	461	5.5
12	Technology	3589	39.8	3908	45.7	4026	47.3	5273	55.4	4169	49.3
	TOTAL	**9008**	**100**	**8533**	**100**	**8506**	**100**	**9537**	**100**	**8463**	**100**

10.5 Letter of comfort issued by the Bank:

During the year ended 31.03.2018, 1285 (Previous year-1093) letters of comfort have been issued by the bank amounting to ₹ 3833.67 Crores (Previous Year: ₹ 2904.71 crores). The letters of comfort outstanding as on 31.03.2018 was 475 (Previous Year-486) amounting to ₹ 1637.81 Crores (Previous Year: ₹ 1167.65 crores)

The estimated financial impact on the outstanding LOC/LOU would be to the tune of ₹ 7.37 crores. During the year ended 31.03.2018, Letter of Comfort issued by our foreign branches (Singapore and Colombo) is NIL and outstanding as on 31.03.2018 is NIL

In view of the Letter of Responsibility given by the Bank to the Monetary Authority of Singapore, the Bank continues to maintain deposits from FCNR (B) resources to the extent of USD 43.00 Mio (equivalent to INR 280.25 crore) with Singapore Branch to meet the minimum Net Adjusted Capital funds requirement of the Branch.

10.6 Provision Coverage Ratio (PCR)

Non Performing Loan Provisioning Coverage Ratio is 64.27% (previous year 58.14%).

10.7 BANCASSURANCE BUSINESS

During the current year, the Bank has earned commission, etc, to the extent of ₹16.75 Crore on sale/marketing of various Bancassurance products/Mutual Funds (previous year ₹ 12.75 Crore). (Amount ₹ in crore)

Sr. No.	Nature of Income	2017-18	2016-17
1	For Selling Life Insurance Policies	7.33	6.86
2	For selling Non-life insurance policies	8.97	5.53
3	Others For selling Mutual Fund Products	0.45	0.36
	Total	**16.75**	**12.75**

10.8 Indian Bank Trust for Rural Development

Indian Bank Trust for Rural Development has been set up by the Bank on 22.09.2008 to exclusively focus on rural development and accomplish better results by coordinating with various other players / agencies who are also engaged in the development of rural areas.

Under the Trust, Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) have been established in 12 centers, viz. Chittoor (in Andhra Pradesh), Puducherry (in UT of Puducherry), Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram (in Tamil Nadu) to impart skill oriented training to rural unemployed youth, to enable them to either self / wage employed as per the directions of Ministry of Rural Development, Govt. of India. Financial Literacy Centres (FLCs) have also been established under the Trust in 19 places viz. Chittoor, Machilipatnam (in Andhra Pradesh), Kollam, Chadayamangalam, Parassala (in Kerala), Puducherry (in UT of Puducherry), Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore, Villupuram (in Tamil Nadu) and Urban FLCs in Chennai, Delhi and Mumbai to provide financial literacy and counseling services to the general public to assist the banks in financial inclusion project.

The books of account of the Trust are being subjected to audit, independently by the Chartered Accountants appointed by the Trust

वर्ष 2017–18* के लिए आईबीटीआरडी का अनंतिम रसीदें व भुगतान

(राशि रु. करोडों में)

आय के विवरण	
वर्ष 2017–18 के दौरान बैंक द्वारा किए गए अंशदान	0.00
प्रशिक्षण व्यय हेतु भारत सरकार से मिला अनुदान	0.00
ट्रस्ट के खाते में प्रारंभिक शेष	17255448.00
अर्जित बैंक ब्याज	6695993.00
विभिन्न अभिकरणों से प्राप्त प्रशिक्षण कीमत की प्रतिपूर्ति	14405678.00
विविध आय	0.00
कुल आय	**38357119.00**
व्यय के विवरण	
वर्ष के दौरान व्यय	34195658.00
व्यय से अधिक पडनेवाली आय	4161461.00
कुल व्यय	**38357119.00**
पूंजी खाता	85995000.00
कॉर्पस निधि	85995000.00
आय व व्यय खाते में शेष	
01-04-2017 को प्रारंभिक शेष	17255448.00
जोडें : व्यय से अधिक पडनेवाली आय	4161461.00
31-03-2018 को अंतिम शेष	21416909.00
कुल पूंजी खाता	**107411909.00**

*ट्रस्ट की अंतिम लेखापरीक्षा के बाद आंकड़े बदल सकते हैं

10.9 जमाएँ अग्रिम, ऋण तथा एनपीए का संकेन्द्रण (बैंक द्वारा यथा समकित)

10.9.1 जमाओं का संकेन्द्रण

(राशि रु. करोडों में)

विवरण	2017-18	2016-17
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ (सिर्फ देशी)	20407.94	11397.17
बैंक की कुल जमाओं की तुलना में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	10.09%	6.44%

10.9.2 अग्रिमों का संकेन्द्रण

(राशि रु. करोडों में)

विवरण	2017-18	2016-17
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	25428.47	20999.67
बैंक की कुल अग्रिमों की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	15.63%	15.89%

10.9.3 एक्स्पोजरों का संकेन्द्रण

(राशि रु. करोडों में)

विवरण	2017-18	2016-17
बीस सबसे बडे उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	31947.45	25440.66
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर की तुलना में बीस सबसे बडे उधारकर्ताओं/ग्राहकों को एक्सपोजर का प्रतिशत	13.52%	12.87%

10.9.4 एनपीए का संकेन्द्रण

(राशि रु. करोडों में)

	2017-18	2016-17
सबसे बडे चार एनपीए खातों को कुल एक्सपोजर	2316.57	2293.90

PROVISIONAL RECEIPTS AND PAYMENTS OF IBTRD FOR THE YEAR 2017-18*

(Amount in ₹)

Details of Income	
Contributions made by the Bank during the year 2017-18	0.00
Grant received from Govt. of India for training expenses	0.00
Opening balance in the Trust account	17255448.00
Bank interest earned	6695993.00
Training cost reimbursement received from various agencies	14405678.00
Miscellaneous income	0.00
Total Income	**38357119.00**
Details of Expenditure	
Expenditure incurred during the year	34195658.00
Excess of income over Expenditure	4161461.00
Total Expenditure	**38357119.00**
Capital Account	85995000.00
Corpus fund	85995000.00
Balance in Income & Expenditure account	
Opening Balance as on 01.04.2017	17255448.00
Add Excess of income over Expenditure	4161461.00
Closing Balance as on 31.03.2018	21416909.00
Total capital account	**107411909.00**

* Figures are subject to change on final audit.

10.9 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs (As compiled by the Bank)

10.9.1 Concentration of Deposits

(Amount in ₹ crore)

	2017-18	2016-17
Total Deposits of twenty largest depositors (domestic only)	20407.94	11397.17
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to total Deposits of the Bank	10.09%	6.44%

10.9.2 Concentration of Advances

(Amount in ₹ crore)

	2017-18	2016-17
Total Advances to twenty largest borrowers	25428.47	20999.67
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to total Advances of the Bank	15.63%	15.89%

10.9.3 Concentration of Exposures

(Amount in ₹ crore)

	2017-18	2016-17
Total Exposures to twenty largest borrowers/customers	31947.45	25440.66
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers/ customers to Total Exposures of the Bank on borrowers/ customers	13.52%	12.87%

10.9.4 Concentration of NPAs

(Amount in ₹ crore)

	2017-18	2016-17
Total Exposures to top four NPA accounts	2316.57	2293.90

10.10 सेक्टर वार अग्रिम

(राशि रु. करोडों में)

क्र. संख्या	सेक्टर	2017-18			2016-17		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	सेक्टर में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	सेक्टर में कुल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत
ए	**प्राथमिकता क्षेत्र**						
1.	कृषि व सहबद्ध कार्यकलाप	32742.20	656.49	2.01	24820.42	604.38	2.44
2.	उद्योग क्षेत्र के अग्रिम जोकि प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण श्रेणी के पात्र हैं	10075.73	675.22	6.70	7698.24	666.74	8.66
3.	सेवाएँ	14072.57	612.44	4.35	14216.28	540.37	3.80
4.	वैयक्तिक ऋण	9715.68	358.43	3.69	8240.88	330.64	4.01
	पूर्ण योग(ए)	**66606.18**	**2302.58**	**3.46**	**54975.82**	**2142.13**	**3.90**
बी	**गैर–प्राथमिक क्षेत्र**						
1.	कृषि व सहबद्ध कार्यकलाप	-	-	-	-	-	-
2.	उद्योग क्षेत्र	67043.55	8455.45	12.61	51873.73	6424.64	12.39
3.	सेवाएँ	12301.09	1080.63	8.78	12900.72	1194.70	9.26
4.	वैयक्तिक ऋण	16774.76	151.47	0.90	12394.43	103.67	0.84
	पूर्ण योग(बी)	**96119.40**	**9687.55**	**10.08**	**77168.88**	**7723.01**	**10.01**
	कुल(ए+बी)	**162725.58**	**11990.13**	**7.37**	**132144.70**	**9865.14**	**7.47**

10.11 एनपीए में परिवर्तन / तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालना

10.11.1 एनपीए में परिवर्तन

(राशि रु. करोडों में)

विवरण	2017-18	2016-17
01 अप्रैल 2017 को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	9865.14	8827.04
वर्ष के दोरान जोड (नए एनपीए)	5041.23	3330.66
उप–कुल (ए)	14906.37	12157.70
घटाएँ :		
(i) कोटि–उन्नयन	217.89	264.14
(ii) एआरसी को आंबटित राशि	481.56	215.92
(iii) वसूलियां (कोटि उन्नयन किए गए खातों से वसूली गयी राशियों को छोड़कर	575.15	587.08
(iv) तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते	1555.68	1085.72
(iv) **उपर्युक्त (iii) के अलावा बट्टा खाता में डाले गए**	85.95	139.70
उप–कुल (बी)	2916.23	2295.56
31 मार्च 2018 को सकल एनपीए (अंत शेष ए–बी)	11990.14	9865.14

10.11.2 तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डालना

विवरण	2017-18	2016-17
अप्रैल 01, 2017 से तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गये खातों का प्रारंभिक शेष	3528.09	2795.40
जोडें : वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाले गये खाते	1555.68	1085.72
उप–कुल (ए)	5083.77	3881.12
घटाएं : वर्ष के दौरान पिछले वर्षों में तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाले गये खातों से की गई वसूली (बी)	396.45	353.03
31 मार्च, 2018 को अंत शेष (ए – बी)	4687.32	3528.09

10.11.3 भारिबैंक द्वारा की गयी आस्ति गुणवत्ता की समीक्षा (एक्यूआर) के अनुरूप, बैंक ने वर्ष के दौरान भारिबैंक द्वारा सूचित रूप से कुछ खातों पर अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध कराया है।

10.10 Sector-wise Advances

(Amount in ₹ crore)

Sl. No.	Sector	2017-18			2016-17		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1.	Agriculture and allied activities	32742.20	656.49	2.01	24820.42	604.38	2.44
2.	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	10075.73	675.22	6.70	7698.24	666.74	8.66
3.	Services	14072.57	612.44	4.35	14216.28	540.37	3.80
4.	Personal loans	9715.68	358.43	3.69	8240.88	330.64	4.01
	Sub-total (A)	**66606.18**	**2302.58**	**3.46**	**54975.82**	**2142.13**	**3.90**
B	**Non Priority Sector**						
1.	Agriculture and allied activities	-	-	-	-	-	-
2.	Industry	67043.55	8455.45	12.61	51873.73	6424.64	12.39
3.	Services	12301.09	1080.63	8.78	12900.72	1194.70	9.26
4.	Personal loans	16774.76	151.47	0.90	12394.43	103.67	0.84
	Sub-total (B)	**96119.40**	**9687.55**	**10.08**	**77168.88**	**7723.01**	**10.01**
	Total (A+B)	**162725.58**	**11990.13**	**7.37**	**132144.70**	**9865.14**	**7.47**

10.11 Movement of NPAs/Technical Write-off

10.11.1 Movement of NPAs

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Gross NPAs as on 1st April of 2017 (Opening Balance)	9865.14	8827.04
Additions (Fresh NPAs) during the year	5041.23	3330.66
Sub-total (A)	14906.37	12157.70
Less :		
(I) Upgradations	217.89	264.14
(ii)Amount assigned to ARC	481.56	215.92
(iii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	575.15	587.08
(iv) Technical/Prudential Write-offs	1555.68	1085.72
(v) Write-offs other than those under (iv) above	85.95	139.70
Sub-total (B)	2916.23	2295.56
Gross NPAs as on 31st March 2018 (closing balance (A-B)	11990.14	9865.14

10.11.2 Technical / Prudential Write-off

Particulars	2017-18	2016-17
Opening Balance of Technical / Prudential written-off accounts as at 01st April, 2017	3528.09	2795.40
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year	1555.68	1085.72
Sub-total (A)	5083.77	3881.12
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B)	396.45	353.03
Closing Balance as at 31st March, 2018 (A-B)	4687.32	3528.09

10.11.3 In accordance with Asset Quality Review (AQR) undertaken by RBI, the Bank has made additional provision during the year, on certain accounts, as advised by RBI.

10.11.4 ओवरसीज़ आस्तियां, एनपीए और राजस्व

(राशि रु. करोडों में)

विवरण	2017-18	2016-17
कुल आस्तियां	9117.60	7070.45
कुल एनपीए	624.51	613.68
सकल एनपीए	225.16	277.09
निवल एनपीए	165.44	210.27
कुल राजस्व	112.46	279.35

10.12 तुलनपत्र के बाहर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखाकरण मानदण्डों के अनुसार समेकित करना है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशी	**ओवरसीज़**
शून्य	शून्य

10.13 अपरिशोधित पेंशन एवं उपदान देयताएं : ₹ 24.33 करोड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.9730/21.04.018/2017–18, दिनांक 27.04.2018 के माध्यम से बैंकों को विकल्प दिया है कि वे 29/03/2018 के प्रभाव से उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत उपदान सीमाओं की राशि को दस लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक बढ़ाये जाने के कारण होनेवाली अतिरिक्त देयता को मार्च 31, 2018 को समाप्त तिमाही के आरंभ करते हुए चार तिमाहियों में स्प्रेड कर लें। बैंक ने इस विकल्प को चुन लिया है और आगामी वित्तीय वर्ष की तीन तिमाहियों में 24.33 करोड़ की राशि को आस्थगित किया है।

10.14 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण : शून्य

10.15 ऋण डिफ़ाल्ट स्वैप : शून्य

10.16 इंट्रा समूह प्रकटीकरण :

	2017 - 18	2016 - 17
इंट्रा समूह ऋणों की कुल राशि	436.03	232.23
सर्वोच्च 20 इंट्रा समूह ऋणों की कुल राशि	436.03	232.23
उधारकर्ताओं / ग्राहकों को बैंक द्वारा प्रदत्त कुल ऋणों में से इंट्रा समूह ऋणों का प्रतिशत	0.18%	0.12%
इंट्रा समूह एक्सपोजर पर सीमा के उल्लंघन का विवरण तथा उस पर नियामक कार्रवाई यदि कोई हो।	शून्य	शून्य

10.17 आकस्मिक देयताओं में एक खाता – मेसर्स निम्बस कम्यूनिकेशन्स लि. शामिल है, जिसमें सहभागिता संघ के बैंकों द्वारा बीसीसीआई के पक्ष में गारंटियाँ जारी की गई थीं। बीसीसीआई ने सहभागिता संघ के बैंकों के विरुद्ध गारंटी देयता का दावा करते हुए वाद दायर किया तथा वाद में 400 करोड़ रुपए अदा करने पर प्रतिरक्षा करने की सशर्त अनुमति दी गई थी तथा इसमें बैंक का हिस्सा 100 करोड़ रुपए हैं। हमारे बैंक का रुपए 100 करोड़ का हिस्सा प्रोथोनोटरी और बंबई के माननीय उच्च न्यायालय के सीनियर मास्टर के साथ विप्रेषित किया गया। समरी वाद, बंबई के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है।

बैंक के विरुद्ध बीसीसीआई द्वारा इस दावे के लिए बैंक ने 31.03.2018 को प्रतिभूति के रूप में धारित 66.77 करोड़ रुपए की मार्जिन राशि को लिहाज में लेने के बाद "अन्य आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत 33.23 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

10.18 जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) को अंतरण :

(राशि रु. करोडों में)

विवरण	2017-18	2016-17
डीईएएफ को अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष	508.46	107.70
जोडें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशियाँ	**183.47	401.71
घटाएं : डीईएएफ द्वारा दावों के लिए प्रतिपूरित राशियाँ	7.66	0.95
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अंत शेष	684.27	508.46

नोट : निम्नलिखित कारणों से 31.03.2018 को वास्तविक कांट्रा शेष 680.34 करोड़ रुपए हैं :

ए) 3.28 करोड़ रुपए के लिए दायर किया गया दावा, अप्रैल 2018 में भारिबैंक द्वारा निपटाया गया है।

बी) वित्तीय वर्ष 2017–18 से संबंधित दावे के लिए 0.65 करोड़ रुपए प्राप्त किये गये, जिसके लिए आवश्यक लेखाकरण प्रविष्टियाँ पारित नहीं की गयी हैं।

** 2017–18 के दौरान अंतरित वास्तविक राशि 185.05 करोड़ है जिसमें विगत वर्ष, अर्थात 2016–17 से संबंधित राशि 1.58 करोड़ रुपए है।

10.11.4 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Total Assets	9117.60	7070.45
Total NPAs	624.51	613.68
Gross NPA	225.16	277.09
Net NPA	165.44	210.27
Total Revenue	112.46	279.35

10.12 Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

10.13 Unamortized Pension and Gratuity Liabilities: ₹ 24.33 cr.

RBI vide its letter DBR.No.BP.BC.9730/21.04.018/2017-18 dated 27.04.2018 has given the option to Banks to spread additional liability on account of the enhancement in gratuity limits from ₹10 lakhs to ₹20 lakhs from 29/03/2018 under the Payment of Gratuity Act, 1972, over four quarters beginning with the quarter ended March 31, 2018. The bank has exercised the option and has deferred ₹ 24.33 Crore to subsequent three quarters of the ensuing financial year

10.14 Disclosures relating to Securitization: NIL

10.15 Credit Default Swaps: Nil

10.16 Intra Group Exposures:

	2017-18	2016-17
Total amount of intra group exposure	436.03	232.23
Total amount of top 20 intra group exposure	436.03	232.23
Percentage of intra group exposure to total exposure of the bank on borrowers/customers	0.18%	0.12%
Details of breach of limit on intra group exposures and regulatory action there on, if any	NIL	NIL

10.17 Contingent liabilities include an A/c M/s Nimbus Communications Ltd., Where Guarantees were issued by Consortium Banks favouring BCCI. BCCI filed suit against Consortium Banks claiming guarantee liability and in the suit, conditional leave to defend was granted on making payment of ₹ 400 crores, wherein our Bank share is ₹ 100 crore. Remittance of our Bank's share of ₹100 crore was made with the Prothonotary and Senior Master of the Hon'ble High Court of Bombay. The summary suit is pending adjudication before Hon'ble High Court of Bombay.

For this claim against the Bank by BCCI, Bank is having a sum of ₹33.23 crore as provision under the head 'Provision for Other Contingencies' after taking into consideration a sum of ₹66.77 crore held as security – margin money as on 31.03.2018

10.18 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2017-18	2016-17
Opening balance of amounts transferred to DEAF	508.46	107.70
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	**183.47	401.71
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	7.66	0.95
Closing balance of amounts transferred to DEAF	684.27	508.46

Note: Actual Contra Balance is ₹680.34 crore as on 31.03.2018 on account of the following reasons:

a) Claim preferred for ₹3.28 crore settled by RBI in April 2018

b) Claim received for ₹0.65 crore relating to FY 2017-18 for which necessary accounting entries were not passed.

** Actual amount transferred during 2017-18 is ₹ 185.05 cr., which includes ₹1.58 cr. pertaining to the previous year, i.e., 2016-17.

12. तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर गुणात्मक नोट :

(₹ करोड़ मे)	जून तिमाही-1*	2017-18	सितंबर तिमाही-2*	2017-18	दिसंबर तिमाही-3*	2017-18	मार्च तिमाही-4**	2017-18	मार्च तिमाही-4*	2016-17
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
1. कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)		34947.22		39065.78		40899.35		39030.05		39442.68
नकद का बहिर्प्रवाह										
2. खुदरा जमाएं और लघु व्यापार ग्राहकों से प्राप्त जमाएं, जिसमें से :	92543.23	8924.47	84569.12	8169.53	84534.79	8153.79	95428.85	9216.13	97338.24	9370.84
(i) स्थायी जमाएं	6597.09	329.85	5747.60	287.38	5993.74	299.69	6535.03	326.75	7259.66	362.98
(ii) कम स्थायी जमाएं	85946.14	8594.62	78821.52	7882.15	78541.05	7854.10	88893.82	8889.38	90078.58	9007.86
3 **आरक्षित थोक निधीयन जिसमें से**	38846.60	17531.28	45311.74	20157.17	45494.64	20073.31	55811.41	23951.73	34237.04	14446.61
(i) परिचालनगत जमाएं (सभी काउंटर पार्टी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) गैर–परिचालनगत जमाएं (सभी काउंटर पार्टी)	35525.54	14210.22	41924.29	16769.72	45366.01	19944.68	55688.76	23829.08	32984.05	13193.62
(iii) गैर जमानती ऋण	3321.06	3321.06	3387.45	3387.45	128.63	128.63	122.65	122.65	1252.99	1252.99
4 जमानती थोक निधीयन		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5 अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	25546.35	2930.58	25255.76	3028.52	31049.28	3660.94	30997.58	3723.75	24443.42	2729.93
(I) व्युत्पन्न ऋण और अन्य संपार्श्विक अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्प्रवाह	103.25	103.25	113.14	113.14	25.15	25.15	28.12	28.12	77.77	77.77
(ii) ऋण उत्पादों पर निधीयन में हानियों से संबंधित बहिर्प्रवाह			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(iii) ऋण और तरलता सुविधाएं	25443.10	2827.33	25142.62	2915.38	31024.13	3635.79	30969.46	3695.62	24365.66	2652.16
6 अन्य संविदागत निधीयन बाध्यताएं	6628.94	6628.94	977.77	977.77	699.62	699.62	773.33	773.33	4200.29	4200.29
7 अन्य आकस्मिक निधीयन बाध्यताएं	20254.13	607.62	20704.39	621.13	20912.64	627.38	21261.11	637.83	20376.79	611.30
8 कुल नकदी बहिर्प्रवाह		36622.89		32954.12		33215.04		38302.76		31358.97
नकदी आवक प्रवाह										
9 जमानती ऋणद (उदा. रिवर्स रेपो)	81.06	0.00	28.48	0.00	18.52	0.00	53.41	0.00	47.87	0.00
10 पूर्णतः निष्पादक ऋणों से आवक नकदी प्रवाह	9605.16	5051.28	9669.27	5066.26	10365.30	5492.47	12668.47	6787.92	9854.33	5335.05
11 अन्य आवक नकदी प्रवाह	2497.73	2497.73	2793.20	2793.20	2961.16	2961.16	3267.38	3267.38	1666.12	1666.12
12 कुल आवक नकदी प्रवाह	12183.95	7549.01	12490.95	7859.46	13344.98	8453.63	15989.26	10055.30	11568.32	7001.17
		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
21 कुल एचक्यूएलए		34947.22		39065.78		40899.35		39030.05		39442.68
22 कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह		29073.88		25094.66		24761.41		28247.46		24357.80
23 तरलता कवरेज अनुपात (प्रतिशत)		120.20%		155.67%		165.17%		138.17%		161.93%

* एलसीआर दैनिक आधार पर आधारित है

12. Qualitative Note on Liquidity Coverage Ratio (LCR):

	(Rs in Crore)	Jun Q1*	2017-18	Sep Q2*	2017-18	Dec Q3*	2017-18	Mar Q4**	2017-18	Mar Q4*	2016-17
	HIGH QUALITY LIQUID ASSETS	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
1	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		34947.22		39065.78		40899.35		39030.05		39442.68
	Cash Outflows										
2	Retail deposits and deposits from Small business customers, of which:	92543.23	8924.47	84569.12	8169.53	84534.79	8153.79	95428.85	9216.13	97338.24	9370.84
(I)	Stable Deposits	6597.09	329.85	5747.60	287.38	5993.74	299.69	6535.03	326.75	7259.66	362.98
(ii)	Less Stable deposits	85946.14	8594.62	78821.52	7882.15	78541.05	7854.10	88893.82	8889.38	90078.58	9007.86
3	Unsecured wholesale funding	38846.60	17531.28	45311.74	20157.17	45494.64	20073.31	55811.41	23951.73	34237.04	14446.61
(I)	Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Non operational deposits (all counterparties)	35525.54	14210.22	41924.29	16769.72	45366.01	19944.68	55688.76	23829.08	32984.05	13193.62
(iii)	Unsecured debt	3321.06	3321.06	3387.45	3387.45	128.63	128.63	122.65	122.65	1252.99	1252.99
4	Secured wholesale funding		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5	Additional requirements, of which	25546.35	2930.58	25255.76	3028.52	31049.28	3660.94	30997.58	3723.75	24443.42	2729.93
(I)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	103.25	103.25	113.14	113.14	25.15	25.15	28.12	28.12	77.77	77.77
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(iii)	Credit and liquidity facilities	25443.10	2827.33	25142.62	2915.38	31024.13	3635.79	30969.46	3695.62	24365.66	2652.16
6	Other contractual funding obligations	6628.94	6628.94	977.77	977.77	699.62	699.62	773.33	773.33	4200.29	4200.29
7	Other contingent funding obligations	20254.13	607.62	20704.39	621.13	20912.64	627.38	21261.11	637.83	20376.79	611.30
8	TOTAL CASH OUTFLOWS		36622.89		32954.12		33215.04		38302.76		31358.97
	Cash Inflows										
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	81.06	0.00	28.48	0.00	18.52	0.00	53.41	0.00	47.87	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	9605.16	5051.28	9669.27	5066.26	10365.30	5492.47	12668.47	6787.92	9854.33	5335.05
11	Other cash inflows	2497.73	2497.73	2793.20	2793.20	2961.16	2961.16	3267.38	3267.38	1666.12	1666.12
12	TOTAL CASH INFLOWS	12183.95	7549.01	12490.95	7859.46	13344.98	8453.63	15989.26	10055.30	11568.32	7001.17
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
21	TOTAL HQLA		34947.22		39065.78		40899.35		39030.05		39442.68
22	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		29073.88		25094.66		24761.41		28247.46		24357.80
23	LIQUIDITY COVERAGE RATIO(%)		120.20%		155.67%		165.17%		138.17%		161.93%

* LCR is based on Daily average

10.19 अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर

बैंक ने अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर से उत्पन्न होने वाली ऋण जोखिम के प्रबन्धन पर एक नीति निर्धारित की है। जहाँ स्वाभाविक रक्षा (हेज) नहीं है, आयात / निर्यात लेनदेनों के लिए ग्राहकों को वायदा कवर लेने की सलाह दी जाती है। यह वायदा कवर, विनिमय जोखिम के लिए जोखिम शमन के कारक की भूमिका निभायेगा। सुविधाओं को मंजूर करते समय बैंक यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी मुद्रा में प्रदत्त सभी ऋणों (निधि आधारित और गैर निधि आधारित, जिसमें कम्फर्ट पत्र और वचनबद्धता पत्र शामिल हैं) को वायदा कवर के जरिए कवर किया जाता है। वायदा कवर से छूट प्रदान करने के अनुरोधों पर सिर्फ कॉर्पोरेट कार्यालय के स्तर पर विचार किया जाता है। उधार खातों का पुनरीक्षण करते समय, रक्षित एवं अरक्षित ऋणों को कैप्चर किया जाता है और ऋण प्रस्तावों में इनके प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ने जनवरी 15, 2014 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र की शर्तों के अनुसार अपने संघटकों को प्रदत्त अरक्षित विदेशी मुद्रा के ऋण के लिए 12.91 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और 56.01 करोड़ रुपए की पूंजी की व्यवस्था की है।

10.20 वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधडियाँ :

वर्ष 2017–18 के दौरान बैंक ने धोखाधडी के 94 मामले, जिनकी राशि 27.75 करोड़ रुपए है, की रिपोर्ट की है। 31.03.2018 तक गैर–अग्रिम से संबंधित 634 धोखाधडी के मामले लंबित हैं, जिनकी राशि 126.31 करोड़ रुपए है तथा इन में की गयी वसूलियों को लिहाज में लेने के बाद बैंक ने इनके विरुद्ध 39.78 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

11.2 एलसीआर इस प्रकार रचित किया गया है ताकि वह बैंक की तरलता जोखिम प्रोफाइल की अल्पावधि समुत्थान शक्ति को सुदृढ बनाये तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि 30 दिन तक रह सकनेवाली तीव्र तनाव की स्थिति से बैंक उभर सके। भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार जनवरी 1, 2018 को एलसीआर की न्यूनतम आवश्यकता 90 प्रतिशत है जोकि जनवरी 2019 में 100 प्रतिशत होगी। एलसीआर के आकलन की प्रक्रिया भारिबैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर है।

30 दिन के तनावग्रस्त कैलण्डर अवधि के दौरान अनुमानित निवल बहिर्प्रवाह से उच्च गुणवत्ता वाली भारमुक्त आस्तियों की राशि का भाजन करते हुए एलसीआर का परिकलन किया जाता है। विभिन्न संवर्गों की देयताओं (जमाएं, अरक्षित एवं रक्षित थोक उधार) पर और अनाहरित वचनबऋताओं और व्युत्पन्न से संबंधित ऋणों पर भारिबैंक द्वारा निर्धारित बहिर्प्रवाह के तथ्यों को लगाते हुए और 30 दिनों के अंतर्गत परिपक्व होनेवाली आस्तियों से प्राप्त होनेवाले अंतर्प्रवाहों को आंशिक रूप से समायोजित करने के बाद निवल नकदी बहिर्प्रवाह का परिकलन किया जाता है।

मार्च 31, 2018 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंक ने 39030.05 करोड़ रुपए का औसत एचक्युएलए (हेयरकट के बाद) अनुरक्षित किया जबकि 90 प्रतिशत की न्यूनतम एलसीआर की अपेक्षा के लिए औसत तरलता अपेक्षा का स्तर 25422.72 करोड़ रुपए हैं। प्राथमिक रूप से एचक्युएलए में न्यूनतम सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) से अधिक होनेवाली सरकारी प्रतिभूतियां, मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत अनुमत सीमा और एलसीआर हेतु तरलता का लाभ उठाने की सुविधा (एफएएलएलसीआर) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भारिबैंक और ओवरसीज़ केन्द्रीय बैंकों के साथ अनुरक्षित नकद प्रारक्षितियों की आवश्यकता से अधिक पडनेवाले नकदी और शेषराशियां, भाग 1 एचक्युएलए का अंश बनेंगी। मार्च 31, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए इंडियन बैंक का दैनिक औसत एलसीआर 138.17 प्रतिशत रहा।

बैंक के एलसीआर के मुख्य आधार, पर्याप्त उच्च गुणवत्तावेली तरल आस्तियां (एचक्युएलए) हैं जिससे सभी समयों में बैंक की तरलता की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। भारित नकदी बहिर्प्रवाह मुख्य रूप से अरक्षित थोक निधीयन पर आधारित हैं, जिसने कुल भारित नकदी बहिर्प्रवाह का 62.53 प्रतिशत अंश था। लघु व्यापारिक ग्राहकों से प्राप्त जमाओं सहित खुदरा जमाएं, कुल भारित नकदी बहिर्प्रवाह के 24.06 प्रतिशत रहे। अन्य आकस्मिक निधीयन बाध्यताओं में प्राथमिक रूप से बैंक के ग्राहकों की ओर से जारी बैंक गारंटियां (बीजी) और साख प्त्र (एलसी) शामिल हैं।

31.03.2018 तक की जमाओं में बैंक की तीन प्रमुख काउंटर पार्टियां हैं। सबसे बडे जमाकर्ता ने कुल जमाओं का 1.99 प्रतिशत का अंशदान किया। सर्वोच्च 20 बडे देशी जमाकर्ताओं का कुल अंशदान, 31.03.2018 को कुल जमाओं का 10.09 प्रतिशत रहा। प्रमुख उत्पाद / लिखतों में बचत जमाएं, चालू जमाएं और सावधि जमाएं शामिल हैं, जो क्रमशः बैंक की कुल देयता का 25.35 प्रतिशत, 5.11 प्रतिशत और 51.97 प्रतिशत बनती हैं। इनसे प्राप्त किये जानेवाला निधीयन व्यापक रूप से फैला है और बैंक को इससे संकेन्द्रण का जोखिम नहीं होगा।

बैंक की तरलता का प्रबंधन आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) द्वारा किया जाता है और तिमाही तनाव जांच के परिणामों के आधार पर आकस्मिकता निधीयन योजना निर्धारित की गयी है।

10.19 Foreign Currency Exposure:

The Bank has in place a policy on managing credit risk arising out of unhedged foreign currency exposures of its borrowers .Where there is no natural hedge, forward cover is suggested to customers in respect of import/export transactions. The forward cover will act as Unhedged risk mitigation on exchange risk. While sanctioning the facilities, bank is ensuring that all the exposures (fund based and non fund based including Letter of Comfort / Letter of Undertaking) in foreign currencies are covered by forward cover. Request for considering waiver of forward cover, if any, is considered only at corporate office level. While reviewing the borrowal accounts hedged and unhedged exposure are captured and impact is analyzed in credit proposals.

The Bank has provided a provision of ₹12.91 crores and Capital of ₹56.01 cr. For the year ended 31st March 2018 on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI Circular dated January 15, 2014

10.20 Frauds reported during the year :

The bank has reported 94 cases of fraud, amounting to ₹ 27.75 crores during the year 2017-18. As on 31.03.2018, 634 cases relating to non-advance related frauds are pending involving amount of ₹126.31 crores and the Bank carries a provision of ₹39.78 crores against the same after taking into account recoveries made.

11.2 The LCR is designed to promote short-term resilience of a bank's liquidity risk profile by ensuring that it has sufficient high quality liquid resources to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. As per the RBI guidelines minimum requirement of LCR as on January 1, 2018 is 90% which will increase to 100% by January 2019. The methodology for estimating the LCR is based on RBI guidelines.

The LCR is calculated by dividing the amount of high quality liquid unencumbered assets (HQLA) by the estimated net outflows over a stressed 30 calendar day period. The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), as well as to undrawn commitments and derivatives-related exposures, partially offset by inflows from assets maturing within 30 days.

The bank during the quarter ended March 31, 2018 had maintained average HQLA (after haircut) of Rs. 39030.05 Crores as against the average liquidity requirement of ₹ 25422.72 Crores at a minimum LCR requirement of 90%. HQLA primarily included government securities in excess of minimum Statutory Liquidity Ratio (SLR), the extent allowed under the Marginal Standing Facility (MSF) and the Facility to Avail Liquidity for LCR (FALLCR). Additionally cash, balances in excess of cash reserve requirement with RBI and the overseas central banks form part of level 1 HQLA. The Daily average LCR of the Indian bank for the quarter ended March 31, 2018 was 138.17%.

The main drivers of LCR of the bank are sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to meet liquidity needs of the bank at all times. The weighted cash outflows are primarily driven by unsecured wholesale funding which contributed 62.53% of the total weighted cash outflows. Retail deposits including deposits from small business customers contributed 24.06% of the total weighted cash outflows. The other contingent funding obligations primarily include bank guarantees (BGs) and letters of credit (LCs) issued on behalf of the Bank's clients.

Bank has three significant counterparties in the deposits as on 31.03.2018. The largest depositor contributed 1.99% of total deposits. The total contribution of the top 20 largest domestic depositors as on 31.03.2018 is 10.09% of the total deposits. The significant product / instruments include Savings deposit, Current deposit and Term deposits which are 25.35%, 5.11% and 51.97% of bank's total liability respectively, the funding from which are widely spread and cannot create concentration risk for the bank.

Bank's Liquidity is managed by the Asset Liability Management Committee (ALCO) and contingency funding plan is in place based on the quarterly stress testing results.

12. विविध

12.1 लेखा समाधान एवं समायोजन

12.1.1 अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2018 तक पूरा किया जा चुका है। आईबीजीए में बकाया पुरानी प्रविष्टियों के निपटान के लिए विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा बैंक ने उसमें पर्याप्त कमी लायी है। तत्पश्चात् शेष बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है। प्रबंधन के अनुसार, ₹ 5.29 करोड़ रुपए कुल मूल्य की 6244 आईबीजीए क्रेडिट प्रविष्टियां बकाया हैं।

12.1.2 दिनांक 31.03.2018 को अंतर शाखा खाता बकाया में 6 महीने से अधिक अवधि के लिए लेखा समाधान नहीं की गई प्रविष्टियों के संबंध में कुल जमा स्थिति को देखते हुए किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है।

12.1.3 देय ड्राफ्टों, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्य राशियों, विविध जमा खातों आदि में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य बैंकों से संबंधित बैंक लेखा समाधानों में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है।

12.1.4 कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों/रजिस्टरों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान का कार्य जारी है। प्रबंधन के मतानुसार, खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।

12.1.5 बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार बैंक द्वारा पहचानी गई एमएसएमई इकाइयों को बैंक द्वारा देय ऐसी बकाया राशियाँ नहीं हैं जो एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में निर्धारित समय सीमा से अधिक अवधि के लिए लंबित है और ऐसी पार्टियों के संबंध में मूल राशि और / या उस पर ब्याज के विलंब से किए गए भुगतानों के लिए मानी गयी देयता के संबंध में रिपोर्ट किये गये कोई मामला नहीं हैं।

13. लाभांश

ईक्विटी शेयर : निदेशक मंडल ने प्रति शेयर के लिए 6.00 रुपए (प्रति शेयर अंकित मूल्य 10 रुपए), अर्थात 60 प्रतिशत के लाभांश का भुगतान शेयरधारकों को करने की संस्तुति की है जो 288.17 करोड़ रुपए है (पिछले वर्ष के दौरान 288.17 करोड़ रुपए) तथा आकस्मिकताओं और तुलन पत्र की तारीख के बाद घटनेवाले मामलों पर लेखांकन मानक 4 (संशोधित 2016) के अनुपालन में इसे वर्तमान वर्ष (वि.व 2017–18) के लाभ से विनियोजित नहीं किया गया है और 1 अप्रैल, 2017 से यह लागू होगा।

14. जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकडे के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

12. MISCELLANEOUS

12.1 Reconciliation and Adjustments

12.1.1 Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2018. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the old outstanding entries in IBGA. Adjustments of the remaining outstanding entries are in progress. As per the Management, 6244 IBGA credit entries aggregating to ₹ 5.29 crores are outstanding pertaining to period before 01.03.2009.

12.1.2 In view of the net credit position in respect of unreconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2018, no provision is required.

12.1.3 Old outstanding entries in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.

12.1.4 Balancing of subsidiary / ledgers, registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above will not be significant

12.1.5 As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year

13. Dividend

Equity shares: The Board of Directors have recommended a dividend of ₹6.00 per share (Face Value Rs.10 per share) i.e. 60% to the shareholders amounting to ₹ 288.17 crore (Previous Year ₹ 288.17 crore) and has not been appropriated from the current year profit (FY 2017-18) in compliance with Accounting Standard 4 (revised 2016) on Contingencies and event occurring after Balance Sheet date applicable from 1st April, 2017.

14. Previous year s figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year’s figures.

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

इंडियन बैंक के सदस्य
वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

1. हमने इंडियन बैंक के **31 मार्च, 2018** तक के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिनमें **31 मार्च, 2018** का तुलन–पत्र, लाभ–हानि लेखा और समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण सूचनाएँ शामिल हैं। इन वित्तीय परिणामों में हमारे द्वारा लेखा–परीक्षित **20** शाखाओं और हमारे द्वारा लेखा परीक्षित एकीकृत राजकोषीय शाखा, सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित **1536** शाखाएँ एवं स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित **3** विदेशी शाखाओं की विवरणियाँ शामिल की गई हैं। हमारे द्वारा और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई, उनका चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। ऐसी **1263** शाखाओं की विवरणियाँ भी डाली गई हैं जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं थीं और तुलन–पत्र एवं लाभ व हानि खाते में विवरण इन्हें भी दर्ज किया गया है। वे शाखाएँ जिनका लेखा–परीक्षण नहीं हुआ उनके पास बैंक के **7.03** प्रतिशत अग्रिम हिस्सा, **20.03** प्रतिशत जमा हिस्सा, **7** प्रतिशत ब्याज आय एवं **21.37** प्रतिशत ब्याज व्यय हिसा है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों एवं भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण का निर्वहन, डिज़ाइन एवं कार्यान्वयन शामिल है जो किसी भी अशुद्ध तात्विक विवरण, चाहे वह कपटपूर्ण हो या गलती से हो, से रहित हो ।

लेखापरीक्षकों की ज़िम्मेदारी

3. हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखापरीक्षण पर जारी मानकों के अनुसार की है । इन मानकों के अनुसार हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हैं और अपनी इस लेखापरीक्षा को इस तरह आयोजित व निष्पादित करते हैं ताकि यह सुसंगत आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरण तात्विक अशुद्धियों से मुक्त रहें।

4. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं पर कार्य करना अंतर्विष्ट है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करतीं हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत कथनों के जोखिम का निर्धारण करना भी शामिल है, चाहे वे धोखाधड़ी से हो या गलती से हो। इन जोखिमों के निर्धारण में, लेखापरीक्षक बैंक द्वारा वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और उचित प्रस्तुतीकरण पर विचार किया जाता है जिससे वे परिस्थितियों के समीचीन लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं को डिज़ाइन कर सकें। लेकिन इसका उद्देश्य बैंक के आंतरिक नियंत्रण की कारीगरता पर राय व्यक्त करना नहीं है । प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी लेखापरीक्षा में शामिल है।

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारी लेखापरीक्षा राय के आधार हेतु उपयुक्त हैं।

राय

6. हमारी राय में, बैंक की बहियों में दिखाए गए विवरणों के अनुसार और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

(ए) भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुपालन में, टिप्पणियों के साथ पठित तुलन–पत्र पूर्ण और सही तुलन–पत्र है जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार उचित रूप से तैयार किया गया है कि उसमें बैंक के 31 मार्च, 2018 के कामकाज का सही एवं वास्तविक चित्र प्रदर्शित होता है।

(बी) नोट के साथ पठित लाभ एवं हानि लेखा, कवर किए गए वर्ष के लिए भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुपालन में लेखे द्वारा लाभ का सही शेष दर्शाता है और

(सी) नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाहों का असली और उचित विवरण दर्शाता है ।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

7. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तुलन–पत्र और लाभ एवं हानि लेखा बनाए गए हैं।

8. उपर्युक्त 1 से 5 तक के पैराग्राफों में संकेतित लेखापरीक्षा सीमाओं के अध्यधीन और बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 / 1980 की अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(ए) हमने सभी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जोकि हमारी श्रेष्ठतम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया ।

(बी) बैंक के लेन–देन जोकि हमारे समक्ष आए हैं बैंक के अधिकारों के भीतर ही हैं

(सी) कार्यालयों एवं शाखाओं तथा बैंक के कार्यालयों से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाए गए हैं।

9. हम आगे रिपोर्ट करना चाहते हैं कि,

(ए) इस रिपोर्ट में प्रदर्शित तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे बही खातों और विवरणियों के अनुसार हैं।

(बी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 के अधीन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट जो लेखा परीक्षित किये हैं, को हमें भेजे दिए गए हैं और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इसे उचित रूप से जाँच की है।

(सी) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

कृते प्रकाश चन्द्र जैन एण्ड कंपनी
For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002438C

प्रतीक नलवाया
PRATEEK NALWAYA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.414356)

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
For GANDHI MINOCHA & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000458N

अजय कुमार कत्याल
AJAY KUMAR KATYAL
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.087915)

कृते पॉम्स एण्ड एसोसियेट्स
For PAMS & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No. 316079E

प्रमोद कुमार मिश्रा
PRAMOD KUMAR MISRA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.052699)

कृते पी एस सुब्रमणिय अय्यर एण्ड कंपनी
For P S SUBRAMANIA IYER & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.004104S

जे रघुराम
J RAGHURAM
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.021929)

कृते एम थामस एण्ड कंपनी
For M THOMAS & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.004408S

ए रोजारियो
A ROZARIO
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.021230)

स्थान : चेन्नै
Place : Chennai
दिनांक : Date : 10.05.2018

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To
The Members of Indian Bank
Report on Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of INDIAN BANK (the "Bank") as at March 31, 2018 which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2018 and the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches and the Integrated Treasury Branch audited by us and 1536 branches audited by Statutory Branch Auditors and 3 foreign branches audited by the local foreign auditors. The Branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit & Loss Account are the returns from 1263 branches which have not been subjected to audit. These un-audited branches account for 7.03 per cent of advances, 20.03 per cent of deposits, 7 per cent of interest income and 21.37 per cent of interest expenses. .

Management's Responsibility for the Financial Statements:

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India guidelines from time to time and Accounting Standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility:

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purposes of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of the Bank and to the best of our information and according to the explanations given to us:
   (a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2018, in conformity with accounting principles generally accepted in India;
   (b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account ; and
   (c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.

8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosures required therein, we report that:
   a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
   b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
   c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

9. We further report that :
   a. The Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;
   b. The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;
   c. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO
Chartered Accountants
FR No.002438C

PRATEEK NALWAYA
Partner
(M No. 414356)

For GANDHI MINOCHA & CO
Chartered Accountants
FR No.000458N

AJAY KUMAR KATYAL
Partner
(M. No 087915)

For P A M S & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 316079E

PRAMOD KUMAR MISRA
Partner
(M. No.052699)

For P S SUBRAMANIA IYER & CO
Chartered Accountants
FR No.004104S

J RAGHURAM
Partner
(M No. 021929)

For M THOMAS & CO
Chartered Accountants
FR No.004408S

A ROZARIO
Partner
(M No.021230)

Place : Chennai
Date : 10.05.2018

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त रखा गया है।

This page is intentionally left blank

समेकित तुलन पत्र
लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ

CONSOLIDATED BALANCE SHEET, PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित तुलन पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2018

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची Schedule No.	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
पूँजी व देयताएं CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	480.29	480.29
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves and Surplus	2	18235.15	16953.55
अल्पसंख्यक हित Minority Interest	2A	19.87	19.12
जमाएं Deposits	3	208261.81	182480.04
उधार Borrowings	4	19760.17	12636.89
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	6224.12	5937.55
कुल TOTAL		**252981.41**	**218507.44**
आस्तियां ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष Cash & Balances with Reserve Bank of India	6	10501.60	5588.70
बैंकों के साथ शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशियाँ Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	2431.90	4458.54
निवेश Investments	8	71619.14	67781.19
अग्रिम Advances	9	156568.93	127707.71
अचल आस्तियां Fixed Assets	10	3422.08	3446.68
अन्य आस्तियां Other Assets	11	8437.76	9524.62
कुल TOTAL		**252981.41**	**218507.44**
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	**33728.75**	**29385.56**
वसूली के लिए बिल Bills for Collection	-	**4607.55**	**3230.56**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां Significant Accounting Policies 17
लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts 18
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ, तुलन पत्र के अभिन्न अंग हैं
Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

टी सी वेंकट सुब्रमणियन
T C VENKAT SUBRAMANIAN
गैर–कार्यपालक अध्यक्ष
NON EXECUTIVE CHAIRMAN

किशोर खरात
KISHOR KHARAT
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
MANAGING DIRECTOR & CEO

ए एस राजीव
A S RAJEEV
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

एम के भट्टाचार्य
M K BHATTACHARYA
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

पी ए कृष्णन
P A KRISHNAN
महाप्रबंधक / सीएफओ
GENERAL MANAGER (ACCOUNTS)/CFO

निदेशक **DIRECTORS**

अमित अग्रवाल **AMIT AGRAWAL**
जे के दाश **J K DASH**
विजय कुमार गोयल **VIJAY KUMAR GOEL**
पद्मनाभन विट्ठल दास **PADMANABAN VITTAL DASS**
सलील कुमार झा **SALIL KUMAR JHA**
विनोद कुमार नागर **VINOD KUMAR NAGAR**

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक **STATUTORY CENTRAL AUDITORS**

हमारी सम संख्यक दिनांकित रिपोर्ट संलग्न है / As per our report of even date attached

कृते प्रकाश चन्द्र जैन एण्ड कंपनी
For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002438C

प्रतीक नलवाया
PRATEEK NALWAYA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.414356)

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
For GANDHI MINOCHA & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000458N

अजय कुमार कत्याल
AJAY KUMAR KATYAL
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.087915)

कृते पॉम्स एण्ड एसोसियेट्स
For PAMS & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No. 316079E

प्रमोद कुमार मिश्रा
PRAMOD KUMAR MISRA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.052699)

कृते पी एस सुब्रमणिय अय्यर एण्ड कंपनी
For P S SUBRAMANIA IYER & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.004104S

जे रघुराम
J RAGHURAM
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.021929)

कृते एम थामस एण्ड कंपनी
For M THOMAS & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.004408S

ए रोजारियो
A ROZARIO
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.021230)

स्थान : चेन्नै
Place : Chennai
दिनांक : Date : 10.05.2018

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2018

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2018 को Y E 31.03.2018	31.03.2017 को Y E 31.03.2017
I. आय : INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	17115.32	16039.22
अन्य आय Other Income	14	2416.59	2222.40
कुल TOTAL		**19531.91**	**18261.62**
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	10851.28	10891.46
परिचालनगत व्यय Operating expenses	16	3673.32	3363.46
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें Provisions & Contingencies	-	3744.39	2593.79
कुल TOTAL		**18268.99**	**16848.71**
III. वर्ष के लिए समूह से संबंधित समेकित लाभ / (हानि) Consolidated Profit/(loss) for the year attributable to the group		1262.92	1412.91
सहयोगियों में कमाई की हिस्सेदारी Share of earnings in Associates		48.37	42.02
घटाएँ : अल्प संख्यक हित Less : Minority Interest		0.75	1.87
निवल लाभ Net Profit		**1310.54**	**1453.06**
अग्रानीत लाभ / (हानि) Profit/(Loss) brought forward		336.96	288.83
कुल निवल लाभ **Total Net Profit**		**1647.50**	**1741.89**
IV. विनियोजन APPROPRIATIONS			
निम्नलिखित को अंतरित : **Transfer to :**			
सांविधिक प्रारक्षित निधि Statutory Reserves		314.75	351.50
पूँजी रिज़र्व - अन्य Capital Reserves- Others		35.20	42.59
आईटी अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व Spl.Reserve u/s 36(1)(viii) of I T Act		0.00	49.00
निवेश रिज़र्व Investment Reserve		-	-
राजस्व रिज़र्व Revenue Reserves		888.00	595.00
स्टाफ कल्याण निधि Staff Welfare Fund		20.00	20.00
प्रस्तावित ईक्विटी लाभांश Proposed Equity Dividend		0.00	288.17
प्रस्तावित अधिमान्य लाभांश Proposed Preference Dividend		0.00	0.00
लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax		0.00	58.67
समेकित तुलन पत्र को ले जाया गया अधिशेष Balance carried over to consolidated Balance Sheet		389.55	336.96
कुल विनियोजन **Total Appropriations**		**1647.50**	**1741.89**
प्रति शेयर अर्जन (मूल एवं कम किया गया) Earnings per Share in Rs. (Basic & diluted)	18	27.29	30.25

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां Significant Accounting Policies 17
लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts 18
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ, तुलन पत्र के अभिन्न अंग हैं
Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

टी सी वेंकट सुब्रमणियन **T C VENKAT SUBRAMANIAN** गैर–कार्यपालक अध्यक्ष NON EXECUTIVE CHAIRMAN	किशोर खरात **KISHOR KHARAT** प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MANAGING DIRECTOR & CEO	ए एस राजीव **A S RAJEEV** कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	एम के भट्टाचार्य **M K BHATTACHARYA** कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	पी ए कृष्णन **P A KRISHNAN** महाप्रबंधक / सीएफओ GENERAL MANAGER (ACCOUNTS)/CFO

निदेशक **DIRECTORS**

अमित अग्रवाल **AMIT AGRAWAL** | जे के दाश **J K DASH** | विजय कुमार गोयल **VIJAY KUMAR GOEL**
पद्मनाभन विट्ठल दास **PADMANABAN VITTAL DASS** | सलील कुमार झा **SALIL KUMAR JHA** | विनोद कुमार नागर **VINOD KUMAR NAGAR**

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक **STATUTORY CENTRAL AUDITORS**

हमारी सम संख्यक दिनांकित रिपोर्ट संलग्न है / As per our report of even date attached

कृते प्रकाश चन्द्र जैन एण्ड कंपनी
For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002438C
प्रतीक नलवाया
PRATEEK NALWAYA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.414356)

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
For GANDHI MINOCHA & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000458N
अजय कुमार कत्याल
AJAY KUMAR KATYAL
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.087915)

कृते पॉम्स एण्ड एसोसियेट्स
For PAMS & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No. 316079E
प्रमोद कुमार मिश्रा
PRAMOD KUMAR MISRA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.052699)

कृते पी एस सुब्रमणिय अय्यर एण्ड कंपनी
For P S SUBRAMANIA IYER & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.004104S
जे रघुराम **J RAGHURAM**
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.021929)

कृते एम थामस एण्ड कंपनी
For M THOMAS & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.004408S
ए रोजारियो **A ROZARIO**
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.021230)

स्थान : चेन्नै
Place : Chennai
दिनांक : Date : 10.05.2018

अनुसूची 1 – पूँजी
SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
I. प्राधिकृत पूँजी Authorised Capital		
प्रत्येक ₹ 10/– के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000.00	3000.00
II. जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूंजी Issued, Subscribed and Paid up:		
ए. भारत सरकार द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/– के 39,32,35,409 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष – रुपए 10/– प्रत्येक के 39,43,41,651 ईक्विटी शेयर शामिल है)		
a. 39,32,35,409 Equity shares of Rs.10/- each held by Government of India (P.Y.-39,43,41,651 Equity shares of Rs. 10/- each)	393.23	394.34
बी. जनता द्वारा रखे गए प्रत्येक ₹ 10/– के 8,70,56,242 ईक्विटी शेयर		
b. 8,70,56,242 Equity shares of Rs.10/- each held by Public	87.06	85.95
कुल Total	**480.29**	**480.29**

अनुसूची 2 – प्रारक्षित निधि व अधिशेष
SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
सांविधिक आरक्षितियां Statutory Reserves	4425.36	4110.61
पूँजीगत आरक्षितियां – पुनर्मूल्यांकन Capital Reserves-Revaluation	2621.44	2700.42
पूँजीगत आरक्षितियां – अन्य Capital Reserve -Others	195.611	160.41
शेयर प्रीमियम Share Premium	1325.67	1325.68
निवेश रिज़र्व Investment Reserve	39.92	39.92
राजस्व और अन्य प्रारक्षित निधियाँ Revenue and other Reserves	8158.12	7285.49
आयकर अधिनियम 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व Spl. Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act	713.52	675.52
आयकर अधिनियम 36(1) (viii ए) के अंतर्गत विशेष रिजर्व Spl. Reserve u/s 36(1)(viii a) of Income Tax Act	58.20	58.20
विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व Foreign Currency Translation Reserve	307.76	260.34
लाभ एवं हानि खाता Profit & Loss account	389.55	336.96
कुल Total	**18235.15**	**16953.55**

अनुसूची 2ए – अल्पसंख्यक हित
SCHEDULE 2A - MINORITY INTEREST

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
मूल उद्यम – अनुषंगी का संबंध उद्भव होने की तारीख पर अल्प संख्यक हित Minority interest on the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	3.27	3.27
परवर्ती वृद्धि / घटाव Subsequent increase/decrease	16.60	15.85
तुलन पत्र की तारीख पर अल्प संख्यक हित Minority interest on the date of balance sheet	19.87	19.12

अनुसूची 3 – जमाएँ
SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
(ए) I. मांग जमाराशियां A.I. Demand Deposits		
(i) बैंकों से (i) From Banks	58.40	510.72
(ii) अन्यों से (ii) From others	12846.39	9833.93
II. बचत बैंक जमाराशियाँ II. Savings Bank Deposits	64060.44	57333.86
III. सावधि जमाराशियाँ III. Term Deposits		
(i) बैंकों से (i) From Banks	2596.61	2851.60
(ii) अन्यों से (ii) From others	128699.97	111949.93
कुल (I, II और III) Total A (I,II & III)	**208261.81**	**182480.04**
(बी) (i) भारत में शाखाओं की जमाएं B. (i) Deposits of branches in India	202215.17	177054.78
(ii) भारत के बाहर शाखाओं की जमाएं (ii) Deposits of branches outside India	6046.64	5425.26
कुल बी (i और ii) Total B (i & ii)	**208261.81**	**182480.04**

अनुसूची 4 – उधार
SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
I. भारत में उधार I. Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक (i) RBI	15000.00	0.00
(ii) अन्य बैंक (ii) Other Banks	0.02	0.01
(iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण (iii)Other Institutions and Agencies	3801.24	10420.60
II. भारत के बाहर उधार II.Borrowings outside India	958.91	2216.28
कुल (I और II) Total (I & II)	**19760.17**	**12636.89**
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार Secured borrowings included in I & II above	**16049.45**	**8320.54**

अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
I. देय बिल I. Bills Payable	631.26	1097.61
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) II. Inter-Office adjustments(net)	836.66	0.00
III. उपचित ब्याज III. Interest Accrued	919.12	925.34
IV. अन्य (प्रावधानों सहित) IV. Others(including provisions)	3837.08	3914.60
कुल Total	**6224.12**	**5937.55**

अनुसूची 6 भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी और शेष
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) I. Cash in hand (including foreign currency notes)	499.70	162.35
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष – चालू खाते में II.Balances with Reserve Bank of India - in Current Account	10001.90	5426.35
कुल (I & II) Total (I & II)	**10501.60**	**5588.70**

अनुसूची 7 – बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर राशि
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
I. भारत में I. In India		
(i) बैंकों में शेष (i) Balances with Banks		
(ए) चालू खातों में (a) in Current Accounts	15.27	13.76
(बी) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	640.69	962.25
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (ii) Money at call and short notice	0.00	0.00
(ए) बैंकों में (a) with Banks	0.00	0.00
कुल I (i और ii) Total I (i & ii)	**655.96**	**976.01**
II. भारत के बाहर II. Outside India		
(I) चालू खाते में (i) in Current Account	166.39	181.00
(ii) अन्य जमा खातों में (ii) in Other Deposit Accounts	1609.01	3290.32
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (iii) Money at call and short notice	0.54	11.21
कुल II Total II	**1775.94**	**3482.53**
कुल योग (I और II) Grand Total (I & II)	**2431.90**	**4458.54**

अनुसूची 8 – निवेश
SCHEDULE 8 - INVESTMENT

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
I. भारत में निवेश I. INVESTMENTS IN INDIA		
सकल निवेश Gross Investments	69983.26	66213.84
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान Less Provsion for Depreciation & NPI	523.20	326.38
	69460.06	**65887.46**
i. सरकारी प्रतिभूतियां i) Government Securities	60441.27	56587.41
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां ii) Other approved Securities	26.31	36.27
iii. शेयर iii) Shares	676.67	585.80
iv. डिबेंचर और बॉंड iv) Debentures and bonds	7467.40	7863.31
v. सहयोगी संस्थाओं में निवेश v) Investment in Associates	307.15	273.91
vi. अन्य vi) Others	541.26	540.76
कुल : TOTAL	**69460.06**	**65887.46**
II. भारत के बाहर निम्न में निवेश II. INVESTMENT OUTSIDE INDIA		
सकल निवेश Gross Investments	2243.86	1983.28
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान Less Provsion for Depreciation & NPI	84.78	89.55
	2159.08	**1893.73**
I. सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)		
i) Government Securities (including local authorities)	2155.02	1889.58
ii) सहयोगी संस्थाओं में निवेश ii) Investment in Associates	0.00	0.00
iii) अन्य निवेश (विनिर्दिष्ट करना है) iii) Other investments (to be specified)	0.00	0.00
ए शेयर (a) Shares	1.40	1.45
बी ऋण प्रतिभूतियाँ (b) Debt Securities	2.66	2.71
कुल TOTAL	**2159.08**	**1893.73**
कुल योग (I व II) GRAND TOTAL (I & II)	**71619.14**	**67781.19**

अनुसूची 9 – अग्रिम
SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
ए. i) क्रय किए गए एवं बट्टाकृत बिल A. (i) Bills Purchased and discounted	1404.62	1386.95
(ii) नकद उधार, आवेर ड्राफ़्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार		
(ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	85267.90	60609.34
(iii) सावधि उधार (iii)Term Loans	69896.41	65711.42
(iv) अन्य (iv) Others	0.00	0.00
कुल (ए) Total (A)	**156568.93**	**127707.71**
बी. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं)		
B. (i) Secured by tangible assets(includes advances against book debts)	127681.69	99652.68
(ii) बैंक/सरकार गारंटियों द्वारा संरक्षित (ii) Covered by Bank / Government Guarantees	3681.10	4193.24
(iii) अप्रतिभूत (iii) Unsecured	25206.14	23861.79
कुल (बी) Total (B)	**156568.93**	**127707.71**
सी. I भारत में अग्रिम C. I. Advances in India		
(I) प्राथमिकता क्षेत्र (i) Priority Sector	61996.38	53765.18
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र (ii) Public Sector	22055.59	17704.64
(iii) बैंक (iii) Banks	0.00	0.00
(iv) अन्य (iv) Others	66327.71	50648.98
कुल (सी–I) Total (C-I)	**150379.68**	**122118.80**
सी (II) भारत के बाहर अग्रिम C. II.Advances outside India		
(I) बैंकों से देय (i) Due from Banks	1195.94	669.17
(ii) अन्यों से देय (ii)Due from Others	0.00	0.00
(क) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल (a) Bills Purchased & discounted	879.94	888.84
(ख) सामूहिक ऋण (b) Syndicated Loans	2607.42	2462.58
(ग) अन्य (c) Others	1505.95	1568.32
कुल (सी – II) Total (C-II)	**6189.25**	**5588.91**
कुल योग (सी I + सी II) Total (C-I+C-II)	**156568.93**	**127707.71**

अनुसूची 10 – स्थाई आस्तियाँ
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
परिसर I. Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्रानुसार लागत/पुनर्मूल्यांकन पर At cost/revaluation as per last Balance Sheet	3428.73	3428.59
वर्ष के दौरान जोड/समायोजन Additions / adjustments during the year	26.69	-3.13
वर्ष के दौरान घटाव Deductions during the year	0.00	1.57
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास Depreciation to date	638.62	551.77
निवल मूल्य Net Value	**2816.80**	**2872.12**
I ए. निर्माणाधीन परिसर IA.Premises under Construction	**0.61**	**10.64**
II. अन्य अचल आस्तियां (फ़र्निचर/फ़िक्सचर सहित) II. Other Fixed Assets(including furniture & fixtures)		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार लागत पर At cost as per last Balance Sheet	1703.32	1562.51
वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	206.46	181.30
वर्ष के दौरान घटाव Deductions during the year	24.09	35.66
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास Depreciation to date	1281.02	1144.23
निवल मूल्य Net Value	**604.67**	**563.92**
II(ए) पट्टाकृत आस्तियाँ IIA.Leased Assets		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार लागत पर At cost as per last Balance Sheet	17.39	17.39
वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	0.00	0.00
प्रावधान को सम्मिलित करते हुए वर्ष के दौरान घटाव Deductions during the year including provisions	0.00	0.00
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास Depreciation to date	17.39	17.39
निवल मूल्य Net Value	**0.00**	**0.00**
कुल : (I, I(ए), IIव II(ए) Total (I,IA,II,&IIA)	**3422.08**	**3446.68**

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) I. Inter Office Adjustment (net)	0.00	2132.85
II. उपचित ब्याज II. Interest accrued	1286.08	1244.02
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर III. Tax paid in advance/tax deducted at source	3661.66	2967.37
IV. लेखन सामग्री एवं स्टांप IV. Stationery and stamps	16.74	16.60
V. दावों की संतुष्टि से प्राप्त की गयी ग़ैर बैंककारी आस्तियाँ V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	20.26	20.26
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल) VI. Deferred Tax assets (Net)	4.17	4.22
अन्य VI.Others	3448.84	3139.30
कुल **Total**	**8437.75**	**9524.62**

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को As on 31.03.2018	31.03.2017 को As on 31.03.2017
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (निवल) I. Claims against the Bank not acknowledged as debts (Net)	489.73	486.55
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए दायित्व II. Liability for partly paid Investments	5.19	7.37
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	8459.72	8015.32
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां IV. Guarantees given on behalf of constituents		
ए. भारत में (a)In India	11171.06	10035.46
बी. भारत के बाहर (b)Outside India	247.69	119.15
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व V. Acceptances, endorsements and other obligations	8503.06	7501.06
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है VI.Other items for which the bank is contingently liable	4852.30	3220.65
कुल **Total**	**33728.75**	**29385.56**

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ करोड़ों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2017
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज /बट्टा I. Interest/discount on advances/bills	11858.85	11461.18
II. निवेशों पर आय II. Income on Investments	5113.11	4423.95
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के पास अतिशेष पर ब्याज III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	121.65	125.59
IV. अन्य IV. Others	21.71	28.50
कुल **Total**	**17115.32**	**16039.22**

अनुसूची 14 – अन्य आय
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2017
I. कमीशन, विनिमय और दलाली I. Commission , exchange and brokerage	318.55	287.27
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल) II. Profit on sale of Investments (net)	661.70	871.93
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल) III Profit on Revaluation of Investments (net)	0.00	0.00
IV. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल) IV. Profit on sale of land, buildings and other assets (Net)	-2.14	-1.03
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल) V. Profit on exchange transactions (net)	248.08	230.51
VI.ए) पट्टा–वित्त / किराया खरीद से आय VI. a) Lease finance / Hire Purchase inome	0.00	0.00
बी) विदेश / भारत में अनुषंगियों / कंपनियों तथा / या सह उद्यमों से लाभांश आदि के ज़रिए अर्जित आय b) Income earned by way of dividends etc. from companies and/ or joint ventures abroad/ in India	14.42	13.93
VII. विविध आय VII. Miscellaneous Income	1175.98	819.79
कुल Total	**2416.59**	**2222.40**

अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2017
I. जमाओं पर ब्याज I. Interest on deposits	10195.44	10554.66
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज II. Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	420.79	275.23
III. अन्य III. Others	235.05	61.57
कुल Total	**10851.28**	**10891.46**

अनुसूची 16 – परिचालनगत व्यय
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2018 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2018	31.03.2017 को समाप्त वर्ष Y E 31.03.2017
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान I. Payments to and provisions for employees	2104.64	1995.36
II. किराया, कर और रोशनी II. Rent, taxes and lighting	299.83	300.64
III. मुद्रण और लेखन सामग्री III. Printing and stationery	29.68	29.69
IV. विज्ञापन और प्रचार IV. Advertisement and publicity	11.42	7.36
V. ए) पट्टाकृत आस्तियों से अन्य बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास V. (a) Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	236.84	166.24
बी) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास (b) Depreciation on Leased Assets	0.00	0.00
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय VI. Directors' fees, allowances and expenses	0.90	0.84
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सहित) VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	35.62	29.31
VIII. विधि प्रभार VIII. Law charges	7.36	8.13
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि IX. Postage, telegrams, telephones, etc.	38.33	41.02
X. मरम्मत और अनुरक्षण X. Repairs and maintenance	94.57	93.60
XI. बीमा XI. Insurance	218.72	191.00
XII. अन्य व्यय XII. Other expenditure	595.41	500.27
कुल Total	**3673.32**	**3363.46**

अनुसूची 17

मुख्य लेखांकन नीतियाँ
(समेकित लेखे 2017-18)

1 लेखांकन प्रथा :

वित्तीय विवरणों को अन्यथा न बताये जाने पर ऐतिहासिक लागत प्रथा पर क्रियाशील संस्था संकल्पना का अनुपालन करते हुए तैयार किया जाता है। यह भारत में प्रचलित सांविधिक सिद्धांतों के अनुरूप है जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों/मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी शाखाओं के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप है।

2. प्राक्कलन का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए, रिपोर्टिंग अवधि हेतु वित्तीय विवरणियों की तारीख पर दर्ज आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु प्रबंधन को प्राक्कलन तैयार करने और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन, यह विश्वास रखता है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में इस्तेमाल किये गये प्राक्कलन विवेकी और उचित हैं।

3 समेकन की प्रक्रिया :

ए बैंक के (मूल संस्था एवं उसकी अनुषंगियां) समेकित वित्तीय विवरण, इंडियन बैंक (मूल संस्था) और उसकी अनुषंगियां, यथा (1) इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड (2) इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड, के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर, अंतर समूह लेनदेनों को एवं प्राप्त न किए गए लाभ /हानियों को छोड़ने के बाद यथावश्यक समायोजन करके तैयार किये गये हैं। मूल संस्था की रिपोर्टिंग तारीख तक अनुषंगियों के वित्तीय विवरण भी बनाए गए हैं।

बी अनुषंगियां और सहयोगी संस्थाएं, संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित एवं सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखाकरण नीतियों का अनुपालन करती हैं। अनुपालनार्थ अपेक्षित ऐसी विभिन्न लेखाकरण नीतियों के मद्देनजर, अधिदेश/सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप संबंधित लेखाकरण नीतियों को अपनाते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

सी मूल संस्था को आनुषंगिक संस्था में निवेश के लिए हुई लागत और अर्जन की तारीख को अनुषंगी संस्था में मूल संस्था की ईक्विटी में अंतर को वित्तीय विवरण में पूंजी रिज़र्व/गुडविल के रूप में लिया जाता है। अर्जन के बाद के लाभ/हानियों में मूल संस्था के शेयर का समायोजन, राजस्व रिज़र्व के साथ किया जाता है ।

डी परिचालन के निवल परिणाम और अनुषंगी संस्था की संपत्ति में अल्प संख्यक के हक से लाभ एवं निवल संपत्तियों का वह अंश द्योतित है जो अल्पसंख्यकों को देय है।

ई एसोसियेटस में निवेश का हिसाब, एसोसियेटस के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक–23 (एएस–23) समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसियेटस में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार ईक्विटी पद्धति के तहत किया जाता है।

4 विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेन

मूल संस्था

भारतीय परिचालनों और ग़ैर समाकलित विदेशी परिचालन के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक – 11 (एएस – 11) के अनुसार किया जाता है।

4.1 भारतीय परिचालनों के मामले में परिवर्तन

4.1.1. विदेशी मुद्रा डीलर असोसिएशन आफ़ इंडिया (फ़ेडाय) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दर (डबल्यूएआर) पर विदेशी विनिमय लेनदेन दर्ज किए जाते हैं।

4.1.2. विदेशी मुद्रा में आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन, वर्षांत पर फ़ेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर किया जाता है।

4.1.3. विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं और गारंटियों को वर्षांत पर फ़ेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर रखा जाता है।

4.1.4. वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में रखी गयी आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से उठनेवाले विनिमय अंतर को, उस वर्ष में ही आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है, जब वे उत्पन्न होते हैं।

4.1.5. बकाया वायदा विनिमय दरों का प्रकटीकरण संविदागत दरों से किया जाता है तथा फ़ेडाय की समापन दरों पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है एवं उसके परिणाम की पहचान, लाभ व हानि लेखे के ज़रिए की जाती है।

4.2 ग़ैर– समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण, ग़ैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्नप्रकार किया जाता है

4.2.1. आकस्मिक देयताएं सहित आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन फ़ेडाय द्वारा वर्षांत में अधिसूचित दरों पर किया जाता है।

4.2.2. आय एवं व्यय का परिवर्तन फ़ेडाय द्वारा संबंधित तिमाही के अंत पर अधिसूचित तिमाही औसत समापन दर पर किया जाता है।

SCHEDULE - 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Consolidated Accounts 2017-18)

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India; in respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. CONSOLIDATION PROCEDURE

a. Consolidated financial statements of the “Bank” (parent and its subsidiaries) have been prepared on the basis of audited financial statements of Indian Bank (parent) and unaudited financial statements of its subsidiaries viz. (1) Ind Bank Housing Ltd, (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd. after eliminating intra group transactions and unrealized profit/losses and making necessary adjustments. The financial statements of the subsidiaries are drawn up to the same reporting date of the parent.

b. The Subsidiaries and Associates follow Accounting Policies as prescribed by the respective regulatory authorities and as per statutory requirements. In view of such diverse accounting policies required to be followed, the consolidated financial statements have been prepared by adopting the respective accounting policies of the mandated / statutory requirements.

c. The difference between the cost to the parent of its investment in subsidiary entity and the parents portion of its equity in the subsidiary with reference to the date of acquisition is recognized in the consolidated financial statement as Capital Reserve/Goodwill. The parent’s share in the post acquisition profits/losses is adjusted against the Revenue Reserve.

d. The minority interests in the net result of the operation and the asset of the subsidiary, represent that part of profit and the net asset attributable to the minorities.

e. Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard -23 (AS - 23) - “Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements” issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the Associates.

4. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

PARENT

Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

4.1 Translation in respect of Indian operations :

4.1.1 Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).

4.1.2 Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

4.1.3 Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

4.1.4 Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses.

4.1.5 Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

4.2 **Translation in respect of non-integral foreign operations.**

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

4.2.1 Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

4.2.2 Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.

4.3.3 निवल निवेशों के निपटान तक उठनेवाले सभी विनिमय अंतर को ''विनिमय उतार–चढ़ाव निधि'' नामक पृथक निधि में उपचित रखा जाता है।

5. **निवेश**

5.1 बैंक के निवेश संविभाग को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

➢ परिपक्वता तक रखे गए (एचटीएम)

➢ बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)

➢ व्यापार के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को ''एचटीएम'' प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्पावधि के मूल्य/ब्याज दर में उतार–चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को ''एचएफटी'' प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियाँ जो उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, ''एएफएस'' प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

एक निवेश को उसकी खरीद / अर्जन के समय पर ही, परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध अथवा व्यापार के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनन्तर नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप उनका अंतरण किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग को शेयरों का अंतरण, यदि कोई है, अंतरण की तारीख पर अर्जन लागत / बही मूल्य / बाजार मूल्य में से न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है, और ऐसे अंतरण के लिए मूल्यह्रास हेतु पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

अनुषंगियों और एसोसियेट्स में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

5.2 एचटीएम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखे में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है

5.2.1 भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के समनुरूप निम्नानुसार किया जाता है :

ए) ''एचटीएम'' प्रवर्ग में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, वैसे मामले में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की बकाया अवधि में परिशोधित किया जाता हे। अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों में, जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थाई प्रकृति के अलावा किसी अन्य ह्रास की पहचान की जाती है और उनके लिए प्रावधान किया जाता है। ऐसे ह्रास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेतु अलग से किया जा रहा है। 23.08.2006 के बाद किये गये जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) के यूनिटों में निवेश, 3 सालों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत होते है एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

बी) अनुषंगी संस्थाओं, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश का मूल्यांकन, परंपरागत लागत पर किया जाता है। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन, वहन लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर किया जाता है।

सी) ''एएफस'' प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाज़ार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यह्रास हो, तो उसे लाभ–हानि लेखे में शामिल किया जाता है, जबकि किसी निवल मूल्यवृद्धि होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती हे। इस प्रवर्ग में बाज़ार को अंकित करने के बाद वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

डी) ''एचएफट़ी'' प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक प्रतिभूतियों को दैनिक अंतराल पर बाज़ार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो लाभ व हानि लेखे में उसका प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रवर्ग में वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

ई) ''एएफएस'' एवं ''एचएफटी'' प्रवर्गों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नवत् किया गया है :

i) प्राइमेरी डीलर्स एसोसिएशन आफ़ इंडिया (पीडीएआई) और फ़िक्स्ड इन्कम मनी मार्केट और डिराइवेटिव्स एसोसिएशन आफ़ इंडिया (एफ़आईएमएमडीए) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किए गए अनुसार केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्य पर / वाईटीएम दरों पर किया जाता है।

ii) राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए और पीडीएआई/एफ़आईएमएमडीए द्वारा रखी गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफ़ल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए आवधिक रूप से किया जाता है।

iii) कोट होने पर ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले ईक्विटी शेयरों को उनके ब्रेक–अप मूल्य पर (पूनर्मूल्यन रिज़र्व, यदि हो, उस पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्यन की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।

iv) कोट होने पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा पुनः शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है।

v) अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों के अलावा, सभी डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।

vi) राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागज़ातों का मूल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।

vii) कोट होने पर म्यूचुअल फ़ंडों की यूनिटों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) दोनों में जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है। यदि निधियां लॉक–इन अवधि में हैं, जहां पुनःखरीदी मूल्य/बाज़ार कोट उपलब्ध नहीं हो तो, यूनिटों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक–इन अवधि की समाप्ति तक की लागत पर किया जाता है।

viii) 23.08.2006 के बाद किये गये जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) के यूनिटों में निवेश, 3 सालों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत होते है एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। संवितरण की तारीख से 3 सालों के समय के बाद, यह एएफएस में परिवर्तित किया जाएगा और भा.रि.बैं.के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के लिए अंकित किया जाएगा।

4.2.3 All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" (FCTR) till the disposal of the net investments.

5 INVESTMENTS

5.1 PARENT

5.1.1 The entire investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.

- ➢ Held To Maturity (HTM)
- ➢ Available For Sale (AFS)
- ➢ Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to be held till maturity are classified under "HTM" category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short-term price / interest movements are classified as "HFT". All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under "AFS" category.

An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase/acquisition and subsequent shifting is done in conformity with the Regulatory guidelines. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investment in Subsidiaries and Associates are classified as Held to Maturity.

5.2 Profit on sale of securities under HTM category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.

5.2.1 Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under:

a) Securities in HTM category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in subsidiaries and joint ventures / Associates which are included under HTM category is recognized and provided. Such diminution is being determined and provided for each investment individually. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost.

b) Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are valued at historical cost. Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) are valued at carrying cost (i.e. Book value).

c) Investments in AFS category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

d) The individual scrips in the HFT category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.

e) Securities in AFS and HFT categories are valued as under:

i. Central Government Securities are valued at prices / YTM rates as announced by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

ii. State Government and Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI / FIMMDA periodically.

iii. Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at Re. 1 per company.

iv. Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value.

v. All debentures/bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.

vi. Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.

vii. Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net Asset Value (NAV). In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.

viii. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost. After period of 3 years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

5.3. विदेशी शाखाओं के निवेश के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश या मेजबानी देश के दिशानिर्देश, जो भी ज्यादा कठोर हैं, का पालन किया जाता है। ऐसे देशों में स्थित शाखाओं के मामले में, जहाँ कोई दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, भारिबैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

5.4. भारिबैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेश (एनपीआई) की पहचान निम्नलिखित रूप में किया गया है :

ए) प्रतिभूतियां / गैर संचयी अधिमान शेयर जहाँ ब्याज / नियत लाभांश / किस्त (परिपक्वता संप्राप्तियाँ सहित) देय हैं और 90 दिन से ज्यादा अवधि के लिए अदत्त है।

बी) यदि जारीकर्ता द्वारा बैंक से प्राप्त कोई क्रेडिट सुविधा बैंक की बही में अनर्जक अग्रिम है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी अधिमानी शेयर सहित प्रतिभूतियों में निवेश को भी एनपीआई और इसके विपरीत माना जाएगा। हालांकि, अगर केवल अधिमान शेयर को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई अन्य निष्पादित प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और उस उधारकर्ता को दी गई किसी भी अर्जक क्रेडिट सुविधाओं को एनपीए के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

सी) गैर निष्पादित इक्विटी शेयर को निम्न प्रकार मूल्यांकित किया जाता है

i. यदि उद्धृत है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, पुनर्रचित गैर निष्पादित इक्विटी निवेश को बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। अनुद्धृत इक्विटी शेयरों को कंपनी की बैलेंस शीट (मूल्यांकन की तारीख से एक वर्ष पहले नहीं) के अनुसार ब्रेक–अप मूल्य (पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों पर विचार किए बिना, यदि कोई हो) पर मूल्यांकित किया जाता है।अन्यथा, शेयर प्रति कंपनी रु. 1/– मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

ii. अन्य इक्विटी निवेशों के मामले में, जो एनपीआई के रूप में वर्गीकृत है, को उद्धृत होने पर शेयर बाजार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है, यदि यह अनुद्धृत है, तो उन्हें प्रति कंपनी रु.1/– मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

5.5 प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली/कमीशन/अंशदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

5.6 व्यापार के लिए ब्याज दर स्वैप लेनदेनों को तिमाही आधार पर बाज़ार को अंकित किए जाते हैं। कुल अदला–बदलियों के उचित मूल्य का आकलन, तुलन–पत्र की तारीख पर अदला–बदली करारों को समाप्त किए जाने पर प्राप्त/प्राप्य या प्रदत्त/प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली हानियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है, जबकि लाभ यदि हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

5.7 एक्सचेंज कारोबार विदेशी विनिमय डेरिवेटिव यानी मुद्रा वायदे का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है और परिणामी लाभ और हानि की पहचान लाभ और हानि लेखे में की जाती हैं।

5.8 एफसीएनआर (बी) डॉलर जमाओं के लिए भारिबैंक के विनिमय स्वैप की सुविधा की शुरुआत में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम / ब्याज, स्वैप अनुबंध की अवधि के दौरान खर्च के रूप में परिशोधित किया जाता है।

5.9 केन्द्रीय सरकार की गारंटी प्राप्त निवेशों के अतिदेय होने पर भी उन्हें तभी एनपीए माना जाएगा जब गारंटी लागू की जाने पर सरकार उसका निराकरण करती है।

5.10 यदि ब्याज/मूल किस्त (परिपवक्ता संप्राप्तियों को शामिल करते हुए) अथवा बैंक को देय अन्य कोई राशि, 90 दिनों से अधिक के लिए अदत्त बनी रहती हो, तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों में निवेश को, जोकि ''माने गए अग्रिमों' के रूप में हैं, को शामिल करते हुए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अध्यधीन रखा जाता है।

5.11 निवेश की कीमत के निर्धारण प्रत्येक वर्ग में भारित औसत कीमत पद्धति के आधार पर किया जाता है। एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत कीमत पद्धति के तहत प्राप्त अधिग्रहण कीमत के आधार पर ले लिया गया है तथा भारित औसत कीमत के अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में प्रीमियम को केवल शेष परिपक्वता अवधि हेतु परिशोधित कर दिया जाता है।

5.12 रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए लेखाकरण **:**

एलएएफ, परिवर्ती दर मीयादी परिचालन और एमएसएफ और मार्केट रेपो लेनदेन सहित भारिबैं के साथ सभी प्रकार के रेपो / रिवर्स लेनदेनों का भारिबैं दिशानिर्देशों के अनुसार लेखांकन किया जाता है।रेपो/ रिवर्स रेपो के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक उधार और उधार लेनदेनों के रूप में लिया जाता हैं। हालांकि, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री / खरीद लेनदेनों के मामले में अंतरित किए जाते हैं और इस प्रकार के प्रतिभूति के उतार –चढ़ाव, रेपो/रिवर्स रेपो खातों और प्रति–प्रविष्टियों के प्रयोग से परिलक्षित होता है। उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख पर प्रतिवर्तित हो जाती है। मामले के आधार पर लागत एवं राजस्व को ब्याज व्यय/आय के रूप में लिया जाता है। रेपो खाते में शेष, अनुसूची 4 (उधार) के तहत वर्गीकृत है और रिवर्स रेपो खाते में शेष, अनुसूची 7 (बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि) के तहत वर्गीकृत है।

अनुषंगी कंपनियाँ :

5.13 **इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड**

कंपनी के पास रखे सभी निवेश दीर्घकालिक निवेश हैं। अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अलावा दीर्घकालिक निवेशों को ह्रास के लिए प्रावधान घटाकर, लागत पर लाया गया है। कंपनी ने कोट किए गए शेयरों के बाज़ार मूल्य पर भरोसा करते हुए शेयरों/डिबेंचरों के मूल्य में ह्रास को स्थायी प्रकृति के रूप में माना है तथा कोट न किए गए शेयरों के मामले में बही मूल्य/उचित मूल्य, दोनों में जो भी अधिक हो, को माना गया है।

5.3 In respect of investment at Overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of RBI are followed.

5.4 Non-performing investment (NPI) are identified as stated below, as per guidelines issued by RBI.

a) Securities/Non-cumulative Preference shares where interest/fixed dividend/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

b) If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a Non-performing advance in the books of the bank, investment in any of the securities including preference shares issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice-versa. However, if only the preference shares are classified as NPA, the investments in any of the other performing securities issued by the same issuer may not be classified as NPI and any performing credit facilities granted to that borrower need not be treated as NPA.

c) Non performing equity shares are valued as

i. As per RBI guidelines, restructured non-performing equity investments are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves, if any) as per the company's balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at Re.1/- per company.

ii. In case of other equity investments, classified as NPI, shares are valued at market price, if quoted and in case it is not quoted, they are valued at Re.1/- per company.

5.5 Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.

5.6 Interest Rate Swap transactions for trading is marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored.

5.7 Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

5.8 Premium/interest arising at the inception of forward exchange swap facility of RBI for FCNR (B) dollar deposits is amortized as expense over the period of the swap contract.

5.9 Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.

5.10 Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of "deemed advances", are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest/ installment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.

5.11 Cost of investments is determined based on the Weighted Average Cost method in each category. Investments classified under HTM are carried at acquisition cost as arrived under Weighted Average Cost method and in case the weighted average cost is more than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity.

5.12 Accounting for Repo/Reverse Repo transactions:

All types of repo/reverse repo transactions with RBI including LAF, variable rate term operations and MSF and also Market Repo transactions are accounted as per RBI guidelines. The securities sold and purchased under Repo/Reverse Repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions wherein securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as Interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call &Short Notice).

SUBSIDIARY COMPANIES:

5.13 Indbank Merchant Banking Services Ltd:

The investments held by the Company are all long-term investments. Long term investments are carried at cost less provision for diminution, other than temporary in nature. The Company has reckoned diminution in value of shares / debentures as permanent in nature by relying on market value of quoted shares and book value/ fair value whichever is higher in respect of unquoted shares.

5.14 **इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड**

निवेशों को चालू निवेशों और दीर्घकालिक निवेशों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन प्रत्येक निवेश के लिए अलग–अलग रूप से, उनके लागत अथवा बाज़ार मूल्य में से निम्नतर दरों पर किया गया है।

6. **प्रतिभूतीकरण कंपनियों (एससी) /पुनर्निमाण कंपनियों (आरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियां**

मूल संस्था :

6.1 एससी / आरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में प्रतिभूतीकरण कंपनियों (एससी) /पुनर्निमाण कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीद (एसआर) का मूल्यांकन, प्रतिभूति रसीद के प्रतिदान मूल्य या वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। प्रतिभूति रसीद को मूल्यांकित निम्न प्रकार किया जाता है :

ए) तुलनपत्र के दिनांक पर एससी / आरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य पर 01.04.2017 से पहले एससी / आरसी द्वारा जारी एसआर और मूल्यह्रास यदि हो तो, उसके लिए प्रावधान किया जाता है और मूल्य वृद्धि हो तो उसे ध्यान में नही लिया जाता है।

बी) एससी/ आरसी द्वारा जारी अन्य एसआरएस का उच्च प्रावधान प्रदान करने के बाद मूल्यांकित किया जाता है

(i) एससी / आरसी द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य के संदर्भ में प्रावधान दर

(ii) अंतर्निहित ऋण पर लागू प्रावधान दर, यह मानते हुए कि बैंक की बही में ऋण कल्पित जारी रहे

6.2 आरसी को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के मामले में, भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन तथा आय पहचान किया जाता है। यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (अर्थात् प्रावधान को घटाने के बाद बही मूल्य), तो भारिबैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, कमी को लाभ/हानि खाते में नामे डाला जाएगा या रखे हुए अस्थायी प्रावधान के उपयोग से समायोजित किया जाएगा।

यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल और/या बंधक छुड़ाने के माध्यम से) आस्ति पुनर्निमाण कंपनी (एआरसी) को बेचे गए एनपीए के निवल बही मूल्य से अधिक है, तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ व हानि लेखे में प्रत्यावर्तित किया जाता है। लाभ व हानि लेखे में प्रत्यावर्तित अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा उस सीमा तक होगी, जिसमें बेचे गए एनपीए के एनबीवी से प्राप्त अधिक नकदी तक होगी ।

7. अग्रिम

मूल संस्था

7.1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप, भारत में अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानिवाली आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

7.1.2 गैर निष्पादक अग्रिमों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं –

ए) अवमानक संवर्ग –

i) कुल बकाया पर 15 प्रतिशतः के लिए एक सामान्य प्रावधान

ii) एक्सपोजर के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान जो आरंभ से आरक्षित है(यानी, जहां प्रतिभूतियों का वास्तविक मूल्य आरंभ से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है)

बी) संदिग्ध संवर्ग – 1 :

i) सुरक्षित भाग के लिए 25 प्रतिशत

ii) अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

सी) संदिग्ध संवर्ग – 2 :

i) सुरक्षित भाग के लिए 40 प्रतिशत

ii) अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

डी) संदिग्ध संवर्ग – 3 और हानि अग्रिम – 100 प्रतिशत

7.1.3 भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार पुनःसंरचित मानक अग्रिम सहित सभी मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान किया गया है।

7.1.4 विदेशी शाखाओं के संबंध में, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा ऋण हानियों के लिए स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड, जो भी अधिकतर सख्त है, उसके अनुसार प्रावधान किए जाते हैं।

आगे, यदि भारिबैंक द्वारा जारी किये गए विनियमनों के अनुसार किसी भी समय बैंक की विदेशी बहियों में रही किसी आस्ति को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना होता है, तब बैंक द्वारा उस उधारकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं और उधारकर्ता द्वारा जारी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए / एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

फिर भी, वसूली के रिकॉर्ड के अलावा अन्य कारणों से मेजबान देश के विनियामकों द्वारा खाता अनर्जक / हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत है, तो भारत में वित्तीय विवरणों को समेकित करते समय उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत करेंगे और और उनके लिए यथावश्यक प्रावधान किया जाएगा; तथापि उन्हीं प्रतिपक्षियों को अन्य अधिकार क्षेत्रों (भारत को मिलाकर) में प्रदत्त अन्य ऋण एक्स्पोजरों पर आस्ति वर्गीकरण, तत्संबंधित अधिकार क्षेत्रों में लागू विद्यमान दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाना जारी रहेगा।

7.1.5 प्रकटीकृत अग्रिम, गैर–निष्पादक आस्तियों, डीआईसीजीसी / ईसीजीसी /सीजीटीएसआई से प्राप्त दावों तथा लंबित समायोजन हेतु रखे, प्राप्त पुनर्भुगतान तथा विविध खातों में रखे, ब्याज लगाये जाने योग्य खातों में शेष, सहभागिता प्रमाण पत्रों एवं पुनः कटौती वाले मीयादी बिलों और मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनः संरचित खातों के उचित मूल्य में घटाव के एवज में किए गए प्रावधानों को घटाने के बाद निवल हैं।

8 **अचल आस्तियां / मूल्यह्रास**

मूल संस्था :

8.1.1 बैंक के पास ''पुनर्मूल्यांकन मॉडल'' पर परिसर (भूमि और भवन) और ''लागत मॉडल'' पर अन्य सभी आस्तियों को दिखाने की नीति है।

8.1.2 भारत में भवनों ''जहाँ कहीं अलग नहीं किया जा सकता है/ अलग नहीं किया गया है, ज़मीन की लागत सहित'' तथा अन्य अचल आस्तियों का मूल्यह्रास सीधी कटौती से उन दरों पर प्रभारित किया गया है जिसमें उपरोक्त आस्तियों को प्रभारित किया गया था, को निम्नप्रकार दर्शाया जाता है:

5.14 Ind Bank Housing Ltd:

Investments are classified into current investments and long term investments. Investments are valued at lower of cost or market value for each investment individually as per NHB guidelines in force.

6 FINANCIAL ASSETS SOLD TO SECURITISATION COMPANIES RECONSTRUCTION COMPANIES (RC)

PARENT

6.1 Security Receipts (SR) issued by SCs/RCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at

(a) SRs issued by SCs/RCs prior to 01.04.2017 at Net Asset Value declared by SCs/RCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.

(b) Other SRs issued by SCs/RCs are valued at after providing higher provision of

(I) provisioning rate in terms of Net Asset Value declared by the SCs/RCs

(ii) provisioning rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank.

6.2 In case of financial assets sold to RC, the valuation and, income recognition is being done as per RBI Guidelines. If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e, book value less provisions held), the shorfall is debited to the Profit and Loss account or met out of utilisation of Floating provision held, as per extant RBI guidelines.

6.3 If the cash received (by way of initial consideration and / or redemption of security receipts) is higher than the Net Book value of the Non Performing Asset (NPA) sold to RC, then excess provision is reversed to the profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to profit and loss account is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

7 ADVANCES

7.1 PARENT

7.1.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.

7.1.2 Provisions are made for non performing advances as under:

a) Substandard :

i) A general provision for 15% on the total outstanding

ii) Additional provision of 10% for exposure which are Unsecured ab-initio (ie., where realizable value of securities is not more than 10% ab-initio)

b) Doubtful category-1:

i) 25 % for Secured portion.

ii) 100% for Unsecured portion.

c) Doubtful Category – 2

i) 40 % for Secured portion.

ii) 100% for Unsecured portion.

d) Doubtful category-3 and Loss advances – 100 %.

7.1.3 Provision is made for standard advances including Restructured / Rescheduled standard advances as per RBI directives.

7.1.4 In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

Further, if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.

However, accounts classified as Non-performing/Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

7.1.5 Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates , usance bills rediscounted and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets.

8 FIXED ASSETS / DEPRECIATION

8.1 PARENT

8.1.1 Bank has a policy of stating premises (land and building) on “Revalued Model” and all other assets on “Cost Model”

8.1.2 Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable/not segregated) and other fixed assets in India is provided for on the straight-line method at the same rates in which the said assets were charged, as specified below:

क्रम	संपत्ति की प्रकृति	मूल्यह्रास दर संख्या (एसएलएम)
I	भवन	1.63%
II	अन्य अचल आस्ति	
1.	सामान्य संयत्र व मशीनरी	4.75%
2.	फर्नीचर, फिक्सचर	6.33%
3.	विद्युत मशीनरी व फिटिंग	7.07%
4.	साइकिल	7.07%
5.	स्कूटर, मोटरसाइकिल, जीप	9.50%
6.	वैन	11.31%
7.	सिक्का वेंडिंग मशीन	16.66%
8.	मोटर कार	20%
9.	कंप्यूटर व यूपीएस सहित डाटा प्रोसेसिंग मशीन	33.33%
10.	सेल फोन तथा ₹ 5000/– तक मूल्य के कम कीमतवाली मदें	100%

8.1.3 पुनर्मूल्यांकित संघटक के संबंध में मूल्यह्रास, राजस्व व्यय के तहत प्रभारित किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति के विरुद्ध बराबर राशि का सीधे प्रभार किया जाएगा और राजस्व आरक्षिति में जमा किया जाएगा।

वर्ष के दौरान अर्जित नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास, 30 सितंबर को या उसके पूर्व अर्जित आस्तियों पर निर्धारित दरों के 100 प्रतिशत दर पर तथा उसके बाद अर्जित मूर्त आस्तियों पर निर्धारित दरों के 50 प्रतिशत दर पर प्रभारित किया जाता है। बिक्री/निपटारे के वर्ष के लिए अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान नहीं किया जाता है। उन आस्तियों के मामले में, जहां सरकार से इमदाद प्राप्त हुआ है, उसे संबंधतित आस्ति खाते में जमा किया जाता है और मूल्यह्रास को तदनुसार प्रभारित किया जाता है।

8.1.4 पट्टे की ज़मीन पर प्रीमियम अधिग्रहण वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टा अवधि में परिशोधित किया जाता है।

8.1.5 विदेशी शाखाओं की आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों में प्रचलित पद्धति के अनुसार किया जाता है।

8.1.6 गैर बैंकिंग आस्तियों (एनबीए) के मामले में कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता है।

अनुषंगी कंपनियाँ :

इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड :

8.2 अचल आस्तियों को परम्परागत लागत पर, संचित मूल्यह्रास और क्षति के लिए प्रावधान (यदि कोई हो) को घटा कर बताया जाता है। पट्टे पर ली गई आस्तियों (दिसंबर 1997 के पहले संविदाकृत) को पट्टा समायोजन खाते में शेष के लिए आगे समायोजित किया जाता है।

मूल्यह्रास

ए) <u>पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर</u>

पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर कंपनी, सीधी कटौती प्रणाली (एसएलएम) यथानुपात आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित दरों पर मूल्यह्रास का प्रावधान करती है । साफ़्टवेयर लागतों को, उनके अर्जन के वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है।

बी) <u>बन्द परिचालनों के अंतर्गत प्रदत्त पट्टेदारी आस्तियों पर</u> :–

परिचालन बन्द करने के तहत पट्टेदारी आस्तियों पर कंपनी घटते मूल्य पद्धति पर यथानुपात आधार पर, मूल्यह्रास का प्रावधान करती है तथा जिस महीने में आस्ति संस्थापित की गयी है, उसे पूर्ण महीना माना जाता है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी पट्टों का लेखाकरण पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित) के अनुसार पट्टा आस्तियों की लागत को पट्टे की अवधि के दौरान पूर्णतः परिशोधित किया जाता है। सांविधिक मूल्यह्रास और वार्षिक पट्टा प्रभार में अंतर का समायोजन, पट्टा समकरण के ज़रिए किया जाता है, जिसका समायोजन पट्टा आय के साथ किया जाता है।

8.3 इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड :

अचल संपत्तियों को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है और लागत से मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया गया है। मूल्यह्रास का परिकलन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में दी गई दरों पर मूल्यह्रासित पद्धति से किया जाता है।

9. राजस्व अभिज्ञान

मूल संस्था

9.1.1 आय और व्यय मदों को, जब तक अन्यथा नहीं बताया जाए, सामान्यतः उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

9.1.2 ग़ैर निष्पादक आस्तियों से आय, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जहां वह 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय रहा हो), लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख–पत्रों /गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से संबंधित को छोडकर अन्य), बैंक एश्यूरेंस उत्पादों पर आय, धन प्रबंधन पर आय, खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज/अतिदेय प्रभार, क्रेडिट कार्डों पर वित्त प्रभार, पुनः क्षतिपूर्ति के बैंक के अधिकार पर आय, डेबिट कार्डों पर एएमसी प्रभार आदि से आय को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया जाता है तथा प्राप्त लॉकर किराये को प्रोद्भूत आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

9.1.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फ़ेडाय) के दिशानिर्देशों के अनुसार क्रिस्टलाईज़ेशन की तारीख़ तक माना जाता है।

अनुषंगी कंपनियाँ :

9.2. इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड

ए) इश्यू प्रबंधन शुल्क और अन्य प्रबंधकीय सेवाओं के लिए शुल्क – समनुदेशन पूरा होने की तारीख को मान लिया जाता है।

बी) वित्तीय उत्पादों के वितरण पर हामीदारी कमीशन और दलाली – अंशदान ब्यौरे प्राप्त होने पर मान लिया जाता है।

सी) स्टॉक ब्रोकिंग परिचालनों के अधीन दलाली को संविदा के पूरा करने पर लेखांकित किया जाता है।

Sl. No	Nature of Asset	Rate of Depn (SLM)
I	Buildings	1.63%
II	Other Fixed Assets	
	1. General Plant and Machinery	4.75%
	2. Furniture, Fixtures	6.33%
	3. Electrical Machinery and Fittings	7.07%
	4. Cycles	7.07%
	5. Scooters, Motor Cycles, Jeeps	9.50%
	6. Vans	11.31%
	7. Coin Vending Machine	16.66%
	8. Motor cars	20%
	9. Data processing machines including computers and UPS	33.33%
	10. Cell Phones and on small value items costing upto ₹ 5000/-	100%

8.1.3 Depreciation relatable to revalued component will be charged under revalue expenditure and all equivalent amount will be charged straight away against revaluation reserve and credited to the revalue reserve. Depreciation on fixed assets acquired and put in to use on or before 30th September is charged at 100% of the prescribed rates and at 50% of the prescribed rates on the fixed assets acquired thereafter. No depreciation on the fixed assets is provided for in the year of sale / disposal. In respect of Assets where subsidy is received from Government, the same is credited to the respective asset account and depreciation has been charged accordingly.

8.1.4 Premium on leasehold land is capitalised in the year of acquisition and amortized over the period of lease.

8.1.5 Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches is provided as per the practice prevailing in the respective countries.

8.1.6 In respect of Non Banking Assets, no depreciation is charged.

SUBSIDIARY COMPANIES:

Indbank Merchant Banking Services Ltd

8.2 Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation & provision for impairment (if any). Leased assets (Contracted prior to December 1997) are further adjusted for the balance in Lease adjustment account.

DEPRECIATION

a) <u>On Assets other than given on lease:</u>

In respect of assets other than assets given on lease, the company provides depreciation on the assets on the Straight Line Method (SLM) based on the useful life of the asset as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013, on pro-rata basis. Software costs are amortised on SLM over a period of three years, from the year of acquisition.

b) <u>On Assets given on lease under discontinuing operations:</u>

In respect of Assets given on lease under discontinuing operation, the Company provides depreciation on the assets in the WDV method on pro-rata basis, the month in which the assets are installed taken as full month. The cost of the Assets given on lease are amortised fully during the Lease period. {In accordance with the Guidance note on Accounting for Leases (revised) issued by the ICAI}. The difference between the statutory depreciation and the annual lease charge is adjusted through the Lease Equalisation, which is adjusted with the lease income.

Ind Bank Housing Ltd

8.3 Fixed Assets are capitalized at cost and or stated at cost less deprecation. Depreciation is calculated on written down value method at the rates prescribed in Schedule II to the companies Act, 2013.

9 REVENUE RECOGNITION

PARENT

9.1.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

9.1.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit/ guarantees issued (other than those relating to project finance), income from Bancassurance products, income from wealth management, additional interest/ overdue charges on bills purchased, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, AMC charges on debit cards are accounted for on realisation and Locker Rent received is accounted on accrual basis.

9.1.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

SUBSIDIARY COMPANIES:

9.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd.

a. Issue Management Fee and fees for other managerial services - Considered on the completion of assignment.

b. Underwriting Commission and brokerage on distribution of financial products - Considered on receipt of subscription particulars..

c. Brokerages under stock broking operations are accounted on completion of contract.

डी) अतिदेय पट्टा किराये पर और किराया खरीद किस्तों पर ब्याज पावती आधार पर लेखांकित किया जाता है।

इ) लाभांश आय का अभिज्ञान तब किया जाता है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

9.3. इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड :

ए) आय की पहचान और गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान नेशनल हाउसिंग बैंक के विवेकी मानदंडों का पालन किया जाता है।

बी) आवास ऋणों की पुनरदायगी, समीकृत मासिक किस्तों (ईएमआई) के जरिए, की जाती है, जिसमें मूलधन और ब्याज राशि शामिल हैं। संबंधित अर्ध–वर्ष / वर्ष के आरंभिक शेष पर प्रत्येक अर्ध–वर्ष पर ब्याज का परिकलन किया जाता है। पूरे ऋण के वितरण के बाद ईएमआई आरंभ होती हैं। ईएमआई के प्रारंभ होने के समय तक, ईएमआई–पूर्व ब्याज देय है तथा मासिक आधार पर इसका अभिज्ञान किया जाता है।

10. क्रेडिट कार्ड पुरस्कार पाइंट

मूल संस्था

कार्ड सुविधा के प्रयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित पुरस्कार पाइंटों को ऐसे प्रयोग के लिए व्यय के रूप में समझा जाता है।

11 निवल लाभ / हानि

लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् है

- गैर निष्पादक अग्रिमों और / या निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान
- अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को / से अंतरण
- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान
- सामान्य और / या अन्य आवश्यक प्रावधान

12 स्टाफ को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होनेवाले लाभ

मूल संस्था

12.1.1 भविष्य निधि

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और विकल्पी भविष्य निधि अंशदान के मामले में, बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है । ऐसे निश्चित अंशदान के लिए बैंक का दायित्व सीमित है। अंशदानों को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंधन इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है ।

12.1.2 उपदान

इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि नियमों एवं शर्तों के अनुसार उपदान देयता एक वैधानिक दायित्व है और इसका प्रावधान वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। उपदान देयता का वित्तीयन बैंक द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

12.1.3. पेंशन

ए) पेंशन दायित्व इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 के तहत परिभाषित लाभकारी दायित्व है। यह ऐसे कर्मचारियों को , बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है, जिन्होंने 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए हैं या जिन्होंने पेंशन का विकल्प दिया है ।

बी) नई पेंशन योजना(एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है जिन्होंने बैंक में 01.04.2010 के बाद भर्ती हुए हैं और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है ।

12.1.4. क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ

संचित क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ जैसे अर्जित अवकाश और चिकित्सा अवकाश बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर दी जाती हैं ।

12.1.5. अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध कराये जाते हैं। समुद्रपारीय शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबन्धित लाभ तत्संबंधी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत दिए जाते हैं।

अनुषंगी कंपनियाँ

इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं लि.

12.2 अल्प कालिक कर्मचारी हितों /बाध्यताओं का प्राक्कलन कर प्रावधान किया गया ।

ग्रेच्युटि – ग्रेच्युटि, जोकि अर्ह कर्मचारियों को कवर करनेवाली एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है, के प्रति अनुषंगी का दायित्व है। योजना में सेवानिवृत्ति, नियोजन में रहते मृत्यु अथवा नियोजन समापन पर निहित कर्मचारियों को समाप्त प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर की राशि देने का प्रावधान है। पांच वर्षों की सेवा की समाप्ति पर वेस्टिंग शुरू होती है। न्यास के रूप में स्थापित ग्रेच्युटि निधि को अनुषंगी भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समूह ग्रैच्युटि पॉलिसी के ज़रिए वार्षिक अंशदान देती है। ग्रेच्युटि के प्रति अनुषंगी की देयता का बीमांकिक निर्धारण तुलन पत्र की तारीख पर प्रक्षेपित यूनिट जमा (पीयूसी) पद्धति का प्रयोग करते हुए किया जाता है। बीमांकिक लाभ व हानि का राजस्व में अभिज्ञान किया जाता है।

d. Interest on overdue lease rentals and hire purchase instalments are accounted for on receipt basis.

e. Dividend income is recognized when the right to receive is established.

9.3 Ind Bank Housing Ltd.

a. The Company follows National Housing Bank's Prudential Norms for recognition of Income and Provisioning for Non Performing Assets.

b. Repayment of housing loans is by way of Equated Monthly Instalments (EMIs) comprising of principal and interest. Interest is calculated every half year on the opening balance at the beginning of the respective half year/ year. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMI, pre-EMI interest payable is recognized every month.

10. CREDIT CARD REWARD POINTS:

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

11 NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non-Performing Advances and / or Investments.
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes
- Provision for Unhedged Foreign Currency Exposure
- Usual or/and other necessary provisions

12 STAFF RETIREMENT BENEFITS

PARENT

12.1.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

12.1.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees Gratuity Fund Trust.

12.1.3 **PENSION**

a) Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension.

b) New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

12.1.4 **COMPENSATED ABSENCES**

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

12.1.5 **OTHER EMPLOYEE BENEFITS**

Other Employee benefits such as Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

SUBSIDIARY COMPANIES:

Indbank Merchant Banking Services Ltd.

12.2 Short Term employee benefits / obligations are estimated and provided for.

Gratuity - The Subsidiary has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The plan provides for a lumpsum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment of an amount equivalent to 15 days salary payable for each completed year of service. Vesting occurs upon completion of five years of service. Annual contribution is made to gratuity fund established as a Trust through a Group Gratuity Policy with Life Insurance Corporation of India. The Company's liability towards Gratuity is actuarially determined as at balance sheet date using the Projected Unit Credit (PUC) method. Actuarial gains and losses are recognized in revenue.

भविष्य निधि – अनुषंगी के अर्ह कर्मचारी, भविष्य निधि जोकि एक परिभाषित अंशदान योजना है के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु हक़दार हैं जिसमें कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर दोनों कर्मचारी एवं अनुषंगी मासिक अंशदान देते हैं, विधि के तहत यथा निर्दिष्ट अंशदान भविष्य निधि को और भविष्य निधि प्राधिकारियों के साथ रखी गयी पेंशन निधि को अदा किए जाते हैं।

छुट्टी की भुनाई : इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ़ से अन्य कर्मचारियों की छुट्टी की भुनाई की देयता के लिए, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर न ली गई छुट्टी के दिनों के आधार पर बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर रहे स्टाफ की सेवानिवृत्ति लाभ देयता, योग्य भविष्य निधि अंशदान के अलावा इंडियन बैंक द्वारा वहन की जाती है।

इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड :

12.3. भविष्य निधि में अंशदान, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास किए जाते हैं।

ग्रूप ग्रेच्युटि योजना के अन्तर्गत गठित न्यास द्वारा ग्रेच्युटि देयता कवर किया जाता है। न्यास ने भारतीय जीवन बीमा निगम से समूह ग्रेच्युटि पॉलिसी खरीदी है और वार्षिक प्रीमियम, न्यास के ज़रिए अदा किया जाता है।

छुट्टी की भुनाई की देयता के लिए बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

13. पट्टे हेतु लेखांकन

मूल संस्था

परिचालनगत पट्टों पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टा भुगतानों को कीमत वृद्धि सहित पट्टा अवधि या आस्ति की अवधि, भी जो कम हो, के दौरान लाभ व हानि खाते में अभिज्ञात किये जाते है।

14. आकस्मिक देयताएँ और प्रावधान :

मूल संस्था

14.1 आकस्मिक देयताएं : निम्नलिखित मामलों के अतिरिक्त, जहाँ

(ए) ऐसी बाध्यताओं के मौजूद रहने की बात पुष्टिकृत नहीं की गई है

(बी) ऐसी बाध्यताओं को निपटाने के लिए संसाधन का बहिर्गमन आवश्यक नहीं है

(सी) बाध्यताओं की राशि के लिए कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता

(डी) ऐसी राशियां भौतिक नहीं हैं,

विगत घटनाएं, जिनसे वर्तमान या संभावित बाध्यताएं हो सकती हैं, को आकस्मिक देयता के रूप में माना जाता है।

14.2 (ए) वर्तमान बाध्यताओं के संबंध में तब प्रावधान को माना जाता है, जब विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और / या संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है, जिनमें बहुत छोटे दावों को छोडकर शेष मामलों में आर्थिक लाभों को त्यागना पड सकें।

(बी) बाजार जोखिम, देश जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार किये जाते हैं।

(सी) बैंक प्रबन्धन द्वारा अभिज्ञात किये अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान किया जाता है।

भारिबैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान का प्रयोग निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है

(i) गैर–निष्पादक आस्तियों हेतु विशेष प्रावधान करना

(ii) गैर–निष्पादक आस्तियों की बिक्री में किसी कमी की पूर्ति करना

15. आस्तियों का अनर्जक होना :

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) के संबंध में आस्तियों की हानी यदि कोई हो,लेखा मानक 28 "आस्तियों का अनर्जक होना" के अनुरूप पहचानी जाती है और उन्हें लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। एएस 10 के प्रावधानों के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर आस्तियों का अनर्जक लाभ और हानि लेखा के लिए अभिज्ञान कर प्रभारित किया जाता है।

16. आय पर कर :

मूल संस्था

16.1 कर हेतु प्रावधान, चालू कर तथा आस्थगित कर दोनों के लिए किया जाता है।

16.2 प्रयोज्य कर दरें, कर नियम और अनुकूल न्यायिक निर्णय / विधिक मत का उपयोग करते हुए कर प्राधिकारियों को देय आकलित राशि के आधार पर वर्तमान कर का आकलन किया जाता है।

16.3 समय के अंतर के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं जोकि बाद के वर्षों में प्रत्यावर्तन की क्षमता रखती हैं, को तुलन पत्र की तारीख तक अथवा बाद में तैयार किए गए कर दरों व कर कानूनों का प्रयोग करके अभिपहचानित किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को कर हानि के असंगत मूल्यह्रास को आगे बढ़ाने पर अभिपहचानित किया गया, जब असली निश्चितता हो और अन्य के संबंध में, यदि उचित निश्चितता हो कि पर्याप्त भावी कर–योग्य आय उत्पन्न होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की उगाही जा सके।

17. परिचालनों को बन्द करना :

अनुषंगियाँ

इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेस लि. के संबंध में परिचालनों को बन्द करने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियाँ, परिचालनों को जारी रखने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियों के समनुरूप हैं।

Provident Fund - The eligible employees are entitled to receive benefits under Provident Fund, a defined contribution plan in which both employees and the employer make monthly contributions at a specified percentage of the covered employees salary, the contributions as specified under the Law are paid to the Provident Fund and Pension Fund with the Provident Fund Authorities.

Leave encashment - The eligible Leave encashment liability to the employees other than those deputed by Indian Bank has been provided for on the basis of actuarial valuation based on number of days un-utilised leave as at each balance sheet date.

The retirement benefit liability to staff on deputation from Parent is borne by the Parent except eligible Provident Fund contribution.

Indbank Housing Ltd.

12.3 Contribution to Provident Funds is made to the Regional Provident Fund Commissioner.

The Gratuity liability is covered by Trust formed under the Group Gratuity Scheme. The trust has purchased a Group Gratuity policy from LIC and the annual premium is paid through the Trust.

Liability for leave encashment is provided for on actuarial basis.

13. ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term or life whichever is lower.

14 CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

PARENT

14.1 Contingent liability: Past events leading to, possible or present obligations are recognised as contingent liability in the following instances where:

(a) The existence of such obligations has not been confirmed

(b) no outflow of resources are required to settle such obligations

(c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made

(d) such amounts are not material

14.2 a) Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.

(b) Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.

(c) Floating provision as identified by the Bank Management is provided for. Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

(i) Making specific provisions for non-performing assets;

(ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

15 IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 “Impairment of Assets”. The impairment loss on a revalued asset is recognised and charged to P&L a/c as per provisions of AS 10.

16 TAXES ON INCOME

PARENT

16.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.

16.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favorable judicial pronouncements / legal opinion.

16.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are recognised on carried forward undistorted depreciation on tax loses only if there is virtual certainty and in respect of others if there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

17 DISCONTINUING OPERATIONS

In respect of Indbank Merchant Banking Services Ltd accounting policies adopted for discontinued operations are in line with the accounting policies adopted for continuing operations.

अनुसूची –18

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए लेखों पर टिप्पणियां (2017–18)

1. अनुषंगियां

क्रम सं.	अनुषंगी का नाम	संस्थापना का देश	स्वामित्व का अनुपात
ए	इंडबैंक हाउसिंग लि.	भारत	51.00%
बी	इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि.	भारत	64.84%

2. सहयोगी

क्रम सं.	सहयोगियों का नाम	शेयरधारिता का ढांचा
ए	पल्लवन ग्राम बैंक	35%
बी	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक	35%
सी	पुदुवै भारतीयार ग्राम बैंक	35%

3. लेखा समाधान एवं समायोजन

मूल संस्था

3.1.1 अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2018 तक पूरा किया जा चुका है। बैंक ने विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा पुरानी बकाया प्रविष्टियों /आईबीजीए के स्तर में कमी लाई है। शेष बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है। प्रबन्धन के अनुसार कुल ₹ 5.29 करोड राशि की 6244 आईबीजीए जमा प्रविष्टियाँ जोकि 01.03.2009 के पूर्व की अवधि से संबंधित है, बकाया हैं।

3.1.2 31.03.2018 तक 6 महीनों से अधिक के लिए बकाया अंतर शाखा लेखों में असमाशोधित प्रविष्टियों के संबंध में निवल जमा स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है।

3.1.3 देय ड्राफ्ट, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्य, विविध जमा खाते आदि में और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों से संबंधित बैंक समाधान में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित पुनरीक्षा की जाती है।

3.1.4 कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों/रजिस्टरों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी वित्तीय प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।

4. अचल आस्तियां

मूल संस्था

4.1.1 बैंक के परिसर में भूमि शामिल है तथा इसे पूनर्मूल्यांकित राशि पर लिया गया है! बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अपने परिसर को पुनर्मूल्यांकन अनुमोदति बाह्य मूल्यांककों द्वारा उचित बाज़ार मूल्य पर किया है। वर्ष 2017–18 के लिए व्यय के तहत ₹ 161.06 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष – ₹ 83.73 करोड़) मूल्यह्रास हेतु प्रभारित किया गया तथा और शून्य राशि (पिछले वर्ष ₹ 80.90 करोड़) की पुनर्मूल्यांकित अंश पर मूल्यह्रास को ''पूनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते'' में समायोजित किया गया। एएस 10 मानक के अनुसार, वर्ष 2017–18 के लिए व्यय के तहत रु.78.98 करोड़ रुपये की आस्तियों पर मूल्यह्रास हेतु भी प्रभार लगाया गया । इसे राजस्व आरक्षित खाते में क्रेडिट कर पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के विरुद्ध समायोजित किया गया ।

4.1.2 परिसर में ₹ 3.59 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 3.59 करोड़ मूल्य की 4 संपत्तियाँ) मूल्य की 4 संपत्तियाँ हैं जिनका पुनर्मूल्यांकित बही मूल्य, निवल मूल्यह्रास ₹ 52.28 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 53.75 करोड़) है जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

4.1.3 आरक्षितियों से कमी : (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आरक्षित निधियां	आहरित राशि		उद्देश्य
1.	पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों	2017-18	2016-17	
		78.98	80.90	परिसर में पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास

* वर्ष 2017–18 के लिए, एएस 10 मानकों के प्रावधानों के अनुसार राजस्व आरक्षित खातों में राशि को जमा की गई थी।

SCHEDULE 18

NOTES ON ACCOUNTS TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (2017-18)

1. SUBSIDIARIES:

Sl.No.	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
a	Ind Bank Housing Ltd	India	51.00%
b	Indbank Merchant Banking Services Ltd	India	64.84%

2. ASSOCIATES:

Sl.No.	Name of the Associate	Shareholding Pattern
a	Pallavan Grama Bank	35%
b	Saptagiri Grameena Bank	35%
c	Puduvai Bharathiar Grama Bank	35%

3.RECONCILIATION AND ADJUSTMENTS

PARENT:

3.1.1 Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2018. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the old outstanding entries in IBGA. Adjustment of the remaining outstanding entries is in progress. As per the Management, 6244 IBGA credit entries aggregating to ₹ 5.29 Crores are outstanding, pertaining to the period before 01/03/2009

3.1.2 In view of the net credit position in respect of unreconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2018, no provision is required.

3.1.3 Old outstanding entries in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.

3.1.4 Balancing of subsidiary ledgers / registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant.

4. FIXED ASSETS

PARENT

4.1.1 The premises of the Bank include land and are stated at revalued amount. The Bank revalued its premises in the financial year 2015-16 at fair market value determined by the approved external valuers. For the year 2017-18, depreciation amounting to ₹161.06 crores (Previous Year - ₹83.73 crore) was charged under expenditure and depreciation on revalued portion amounting to NIL (previous year ₹ 80.90 crore) is adjusted against the "Revaluation Reserve account'. As per AS 10 Standard, depreciation on revalued assets amounting to ₹ 78.98 cr. was also charged under expenditure for the year 2017-18. The same was adjusted against Revaluation Reserve to the credit of Revenue Reserve A/c.

4.1.2 Premises include 4 properties costing ₹3.59 crores (Previous year – 4 properties costing ₹ 3.59 crores) having revalued book value, net of depreciation at ₹ 52.28 Crore (Previous year – ₹53.75 crore) for which registration formalities are pending.

4.1.3 Draw Down from Reserves: (₹ in crore)

Sl. No.	Reserves	Amount drawn		Purpose
1.	Revaluation Reserve	2017-18	2016-17	
		78.98	80.90	Depreciation on revalued portion on Premises

* For the year 2017-18, the amount was credited to Revenue Reserve A/c as per the provisions of AS10 Standards.

5. कराधान

5.1 मूल संस्था

वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए प्रावधान की राशि :

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2016-17
कराधान के लिए प्रावधान (आस्तिगत कर सहित आय कर)	-182.57	352.56

31.03.2018 को विवादित आयकर मांग ₹ 3292.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2576.67 करोड़) है, आकस्मिक देयताएँ के तहत भी शामिल किया गया जिसमें से 31.03.2018 तक विवादित आयकर का भुगतान ₹ 4079.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2619.21 करोड़) है। न्यायिक उद्घोषणाओं तथा बैंकों के स्वीय वादों में अनुकूल निर्णयों के कारण कथित विवादित मांगों पर कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

5.2 अनुषंगी कंपनियां

5.2.1 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि.

ए) इस वर्ष मैं कर के लिए रु.110.80 लाख (एमएटी गणना के अनुसार) का प्रावधान किया गया है।

बी) विषयों पर न्यायिक निर्णयों और/या विधिक राय को ध्यान में रखते हुए आयकर की विवादित मांगों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

सी) इस वर्ष के लिए आस्थगित कर (निवल) हेतु रु.4.83 लाख का प्रावधान है (पिछले वर्ष – शून्य) तथा इसे लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

डी) पूर्व अवधि के करों में निम्न भी शामिल हैं

आकलन वर्ष	विवरण	राशि (₹)
2016-17	अग्रिम कर का भुगतान और स्रोत पर कर कटौती का लेखांकन, आयकर विभाग द्वारा मूल्यांकन समाप्ति पर पूर्व अवधि मद के रूप में किया जाता है।	58,84,222

5.2.2 इंड बैंक हाऊसिंग लिमिटेड

ए. भ्रामक अनिश्चितता के आधार पर अनवशोषित मूल्यह्रास और भावी कर–योग्य आय के विरुद्ध समंजन के लिए अगले लाभ से घाटा–पूर्ति को आस्थगित कर आस्ति के रूप में नहीं माना गया है।

बी. आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 1999–00 के लिए ब्याज सहित ₹ 4.32 करोड के लिए एक मांग नोटिस भेजी है। यह मांग उपचय आधार पर गैर निष्पादक आस्तियों पर आय को ध्यान में लेते हुए भेजी गई है जिसे एनएचबी के दिशानिर्देशों के अनुसार आय के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है। कंपनी ने इस मांग के विरुद्ध विवाद करते हुए माननीय मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष अपील दायर किया है।

लेखाकरण मानकों के संबंध में प्रकटीकरण

6. मार्च 31, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण (एएस 3)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
ए. परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	**1311.29**	**1454.93**
निम्नलिखित हेतु समायोजन		
प्रावधान व आकस्मिकताएं	3744.39	2593.79
मूल्यह्रास	236.84	166.24
भूमि व मकान की बिक्री पर हानि/(लाभ)	2.14	1.03
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालनगत लाभ	**5294.67**	**4216.00**

5. TAXATION

5.1 PARENT

Amount of Provision made for Income Tax during the year:

(₹ in crore)

	2017-18	2016-17
Provision for Taxation (Income Tax including Deferred Tax)	-182.57	352.56

The disputed income tax demand paid as at 31.03.2018 was ₹ 3292.14 Crores (previous year ₹ 2576.67 Crores). The same has also been included under contingent liabilities of ₹ 4079.28 Crores (previous year ₹ 2619.21 Crores) relating to disputed tax matters as at 31.03.2018. No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favorable decisions in Banks' own case.

5.2 SUBSIDIARY COMPANIES

5.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

a) A provision of Rs.110.80 lakhs (as per MAT computation) for tax has been made in the year.

b) No provision is made for the disputed demands of income tax keeping in view the judicial pronouncements and/or legal opinion on the issues.

c) The provision for deferred tax (net) for the year is Rs.4.83 lakhs (Previous year- Nil) which has been charged to profit & loss account.

d) Prior period taxes represents the following:

Assessment year	Particulars	Amount (₹)
2016-17	Payment of Advance tax and Tax deducted at source accounted as prior period item on completion of assessment by Income tax department.	58,84,222

5.2.2 INDBANK HOUSING LTD

a. The unabsorbed depreciation and carry forward losses eligible for set-off against future taxable income have not been considered for deferred tax asset on the ground of virtual uncertainty.

b. The Income Tax Department has sent a demand notice for ₹4.32 crores for the assessment year 1999-2000 including interest. The demand is raised by considering the income on non-performing assets on accrual basis which, as per the NHB directives, could not be recognised as income. The Company has contested the demand and the matter is pending before the Honble Madras High Court.

DISCLOSURES IN RESPECT OF ACCOUNTING STANDARDS

6. CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31,2018 (AS3)

(₹ in crore)

	Year ended 31.03.2018	Year ended 31.03.2017
A. Cash flow from operating activities		
Net Profit as per Profit and Loss Account	**1311.29**	**1454.93**
Adjustments for :		
Provisions and Contingencies	3744.39	2593.79
Depreciation	236.84	166.24
Loss/(profit) on sale of land and buildings	2.14	1.03
Operating Profit before working Capital Changes	**5294.67**	**4216.00**

	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
परिचालनगत आस्तियों में वृद्धि / कमी		
निवेशों में कमी/(वृद्धि)	(3837.95)	(14498.26)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(28861.22)	1356.16
अन्य आस्तियों में वृद्धि	(1086.87)	(3437.12)
	(31612.31)	(16579.22)
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि / कमी		
जमाओं में वृद्धि	25781.78	4221.12
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	(3139.94)	(2671.74)
	22641.84	1549.38
परिचालन से सृजित निवल नकदी (ए)	**(3675.80)**	**(10813.85)**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की खरीद	(223.12)	(184.04)
अचल आस्तियों की बिक्री	8.74	4.67
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (बी)	**(214.38)**	**(179.38)**
वित्तपोषण गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह		
लाभांश का भुगतान	(288.17)	(72.04)
वितरण कर का भुगतान	(58.67)	(14.67)
उधार में वृद्धि	7123.28	9127.57
वित्तपोषिण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (सी)	**6776.44**	**9040.86**
नकदी और नकदी समकरणों में निवल वृद्धि/(कमी) (ए) + (बी) + (सी)	**2886.26**	**(1952.37)**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	162.35	537.14
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	5426.35	8637.32
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	13.76	10.63
(बी) अन्य जमा खातों में	962.25	275.93
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां		
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	181.00	258.26
(बी) अन्य जमा खातों में	3290.33	2274.04
मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	11.21	6.29
	10047.24	11999.61
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	499.70	162.35
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	10001.90	5426.35
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	15.27	13.76
(बी) अन्य जमा खातों में	640.69	962.25
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	-	-
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	166.39	181.00
(बी) अन्य जमा खातों में	1609.01	3290.33
मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	0.54	11.21
	12933.50	**10047.24**

	Year ended 31.03.2018	Year ended 31.03.2017
Increase/Decrease in Operating Assets		
Decrease/(Increase) in Investments	(3837.95)	(14498.26)
(Increase)/Decrease in advances	(28861.22)	1356.16
Increase in other assets	(1086.87)	(3437.12)
	(31612.31)	(16579.22)
Increase/Decrease in Operating Liabilities		
Increase in Deposits	25781.78	4221.12
Increase/(Decrease) in other liabilities	(3139.94)	(2671.74)
	22641.84	1549.38
Net cash generated from operations (A)	**(3675.80)**	**(10813.85)**
B. Cash flow from investing activities		
Purchase of fixed assets	(223.12)	(184.04)
Sale of fixed assets	8.74	4.67
Net cash generated from Investing Activities (B)	**(214.38)**	**(179.38)**
C. Cash flow from Financing activities		
Payment of dividend	(288.17)	(72.04)
Payment of distribution tax	(58.67)	(14.67)
Increase in borrowings	7123.28	9127.57
Net cash generated from financing activities (C)	**6776.44**	**9040.86**
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	**2886.26**	**(1952.37)**
cash and cash equivalents at the beginning of the year		
cash in hand (including foreign currency notes)	162.35	537.14
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	5426.35	8637.32
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	13.76	10.63
(b) in other deposit accounts	962.25	275.93
Money at Call and short notice with Banks		
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	181.00	258.26
(b) in other deposit accounts	3290.33	2274.04
Money at call and short notice	11.21	6.29
	10047.24	11999.61
Cash & Cash equivalents at the end of the year		
cash in hand (including foreign currency notes)	499.70	162.35
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	10001.90	5426.35
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	15.27	13.76
(b) in other deposit accounts	640.69	962.25
Money at Call and short notice with Banks	-	-
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	166.39	181.00
(b) in other deposit accounts	1609.01	3290.33
Money at call and short notice	0.54	11.21
	12933.50	**10047.24**

7. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (एएस 10)

मूल संस्था

वर्ष के दौरान, अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यन अंश पर मूल्यह्रास को लेखा मानक (एएस –10) में परिवर्तन का पालन करने के लिए पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को प्रभार के विरुद्ध लाभ एवं हानि खाता खातों को प्रभारित किया जाता है। इसका व्यय में ₹ 78.98 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी और निवल लाभ में ₹ 78.98 करोड़ रुपये की कमी का प्रभाव पड़ा।

8 कर्मचारी लाभ (एएस 15)

8.1.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ :

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, बैंक ने ₹ 0.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.95 करोड़) का अंशदान दिया है।

नई पेंशन योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी बैंक में भर्ती 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, बैंक ने ₹ 45.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 35.77 करोड़) का अंशदान दिया है।

8.1.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ :

लेखा मानक – 15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए नियोजनोत्तर लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है : –

I. मूल बीमांकन अनुमान (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)	**31/03/2018**	**31/03/2017**
बट्टे की दर	पेन्शन के लिए 7.78 % - 15 वर्ष जी –सेक पत्र उपदान के लिए 7.56% - 10 वर्ष जी–सेक प्त्र	पेन्शन के लिए 7.29% - 15 वर्ष जी–सेक पत्र उपदान के लिए 7.12% -10 वर्ष जी–सेक पत्र वेतन
वेतन में बढोत्तरी की दर	6.00% (वेतन संशोधन के लिए 0.50% के साथ)	6.00% (वेतन संशोधन के लिए 0.50% के साथ)
पदत्याग की दर	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%	पेंशन के लिए 1.00% और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00%
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर *	पेंशन के लिए 8.25% और उपदान के लिए 7.60%	पेंशन के लिए 8.62% और उपदान के लिए 8.57%
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई ऋण (पीयूसी) बीमांकक तरीका	

* योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी भुनाई पर लागू नहीं होगी।

भावी वेतनवृद्धियों के आकलन मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित घटक जैसे नियोजन बाज़ार में आपूर्ति एवं मांग को हिसाब में लेकर भारतीय बैंक संघ द्वारा अधिवर्षिता योजनाओं के निधीयन पर दिशानिर्देश्या के अनुरूप किये जाते हैं।

छुट्टी भुनाई की देयताएँ गैर–निधिक होते हैं।

चालू वर्ष 2017–18 (₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – अथशेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	**पेंशन निधि**	**उपदान निधि**	**छुट्टी भुनाई**
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	**5925.15**	**900.90**	**171.21**
ब्याज लागत	109.62	66.08	12.72
वर्तमान सेवा लागत	84.68	64.85	20.92
विगत सेवा लागत – पहचाने गए / निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचाने न गए / गैर–निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(577.96)	(103.04)	(15.18)
बाध्यता पर (संतुलन आंकडा) बीमांकिक हानि / (लाभ)	704.39	36.20	(10.18)
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**6245.89**	**964.99**	**179.51**

7. Property, Plant and Equipment (AS 10)

PARENT

During the year, the depreciation on revalued portion of the fixed assets is charged to profit and loss account as against charge to revaluation reserves during the previous financial years to comply with the change in Accounting Standard (AS-10). This has the effect of increase in the expenses by ₹ 78.98 crore and lowering the net profit by ₹ 78.98 crore.

8. EMPLOYEE BENEFITS (AS 15)

PARENT

8.1.1 Defined Contribution Plans:

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust. During the financial year 2017-18, the Bank has contributed ₹ 0.81 crores (previous year ₹ 0.95 crore).

New Pension Scheme (NPS) is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. During the financial year 2017-18, the Bank has contributed ₹ 45.95 crores (previous year ₹ 35.77 crores).

8.1.2 Defined Benefit Plans:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard 15 (Revised) are as under:

I.PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	31/03/2018	31/03/2017
Discount Rate	7.78% for Pension–15 year G-sec paper 7.56% for Gratuity —10 year G-sec paper	7.29% for Pension–15 year G-sec paper 7.12% for Gratuity —10 year G-sec paper
Salary escalation rate	6.00% (includes 0.50% for wage revision)	6.00% (includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Serving Employees	1.00% for Pension and 2.00% for Serving Employees
Expected rate of return on Plan Assets *	8.25% for Pension and 7.60% for Gratuity	8.62% for Pension and 8.57% for Gratuity
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA.

The liabilities of leave encashment are unfunded.

Current Year 2017-18 (₹ in Crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	**5925.15**	**900.90**	**171.21**
Interest Cost	109.62	66.08	12.72
Current service cost	84.68	64.85	20.92
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(577.96)	(103.04)	(15.18)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	704.39	36.20	(10.18)
PVO as at the end of the year	**6245.89**	**964.99**	**179.51**

पिछले वर्ष 2016-17 (₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – अथशेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	**5608.14**	**813.94**	**161.63**
ब्याज लागत	98.16	56.35	11.25
वर्तमान में सेवा लागत	81.41	49.35	17.22
विगत सेवा लागत – पहचाने गए / निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचाने न गए / गैर–निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(489.38)	(124.08)	(15.88)
बाध्यता पर (संतुलन आंकडा) बीमांकिक हानि / (लाभ)	626.82	87.34	3.01
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**5925.15**	**900.90**	**171.21**

चालू वर्ष 2017-18 (₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – अथशेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5841.36**	**876.81**	**0.00**
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	470.86	70.25	0.00
अंशदान	401.61	66.42	15.88
प्रदत्त लाभ	(577.96)	(103.05)	(15.88)
योजना आस्तियों पर (संतुलन आंकडा) बीमांकिक लाभ / (हानि)	10.93	22.12	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**6146.80**	**932.55**	**0.00**

पिछले वर्ष 2016-17 (₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – अथ शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5508.95**	**829.38**	**0.00**
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	441.99	70.99	0.00
अंशदान	352.07	99.16	15.88
प्रदत्त लाभ	(489.38)	(124.08)	(15.88)
योजना आस्तियों पर (संतुलन आंकडा) बीमांकिक लाभ / (हानि)	27.73	1.36	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5841.36**	**876.81**	**0.00**

चालू वर्ष 2017-18 (₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	470.86	70.25	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि)	10.93	22.12	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	481.79	92.37	0.00

पिछले वर्ष 2016-17 (₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	441.99	70.99	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	27.73	1.36	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	469.72	72.35	0.00

Previous Year 2016-17 (₹ in Crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING ND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	**5608.14**	**813.94**	**161.63**
Interest Cost	98.16	56.35	11.25
Current service cost	81.41	49.35	17.22
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(489.38)	(124.08)	(15.88)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	626.82	87.34	3.01
PVO as at the end of the year	**5925.15**	**900.90**	**171.21**

Current Year 2017-18 (₹ in Crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	**5841.36**	**876.81**	**0.00**
Expected return on plan assets	470.86	70.25	0.00
Contributions	401.61	66.42	15.88
Benefits paid	(577.96)	(103.05)	(15.88)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	10.93	22.12	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	**6146.80**	**932.55**	**0.00**

Previous Year 2016-17 (₹ in Crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	**5508.95**	**829.38**	**0.00**
Expected return on plan assets	441.99	70.99	0.00
Contributions	352.07	99.16	15.88
Benefits paid	(489.38)	(124.08)	(15.88)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	27.73	1.36	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	**5841.36**	**876.81**	**0.00**

Current Year 2017-18 (₹ in Crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	470.86	70.25	0.00
Actuarial gain / (loss) on plan assets	10.93	22.12	0.00
Actual return on plan assets	481.79	92.37	0.00

Previous Year 2016-17 (₹ in Crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	441.99	70.99	0.00
Actuarial gain / (loss) on plan assets	27.73	1.36	0.00
Actual return on plan assets	469.72	72.35	0.00

चालू वर्ष 2017-18 (₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – बाध्यता	(704.39)	(36.20)	10.18
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)–योजना आस्तियां	10.93	22.12	0.00
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	(693.47)	(14.09)	10.18
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकक लाभ/(हानि)	**(693.47)**	**(14.09)**	**10.18**
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00	20.92

पिछले वर्ष 2016-17 (₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – बाध्यता	(626.82)	(87.34)	3.01
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)–योजना आस्तियां	27.73	1.36	0.00
वर्ष के लिए कुल लाभ/(हानि)	(599.09)	(85.98)	3.01
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	**(599.09)**	**(85.98)**	**3.01**
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.00	0.00	17.22

चालू वर्ष 2017-18 (₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	6245.89	964.99	179.51
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	6146.80	932.55	0.00
अन्तर	(99.09)	(32.44)	(179.51)
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	(99.09)	(32.44)	(179.51)

पिछले वर्ष 2016-17 (₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5925.15	900.90	171.21
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5841.36	876.81	0.00
अन्तर	(83.79)	(24.09)	(171.21)
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी आस्ति (देयता)	**(83.79)**	**(24.09)**	**(171.21)**

चालू वर्ष 2017-18 (₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्तमान सेवा लागत	84.68	64.85	20.92
ब्याज लागत	109.62	66.08	12.73
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(470.86)	(70.25)	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	693.47	14.09	(10.18)
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	**416.91**	**74.76**	**23.47**

Current Year 2017-18 (₹ in Crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNISED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	(704.39)	(36.20)	10.18
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	10.93	22.12	0.00
Total gain / (loss) for the year	(693.47)	(14.09)	10.18
Actuarial gain / (loss) recognised in the year	**(693.47)**	**(14.09)**	**10.18**
Unrecognised actuarial gain / (loss) at the end of the year	0.00	0.00	20.92

Previous Year 2016-17 (₹ in Crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNISED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	(626.82)	(87.34)	3.01
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	27.73	1.36	0.00
Total gain / (loss) for the year	(599.09)	(85.98)	3.01
Actuarial gain / (loss) recognised in the year	**(599.09)**	**(85.98)**	**3.01**
Unrecognised actuarial gain / (loss) at the end of the year	0.00	0.00	17.22

Current Year 2017-18 (₹ in Crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	6245.89	964.99	179.51
Fair value of plan assets	6146.80	932.55	0.00
Difference	(99.09)	(32.44)	(179.51)
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00
Liability recognised in the balance sheet	(99.09)	(32.44)	(179.51)

Previous Year 2016-17 (₹ in Crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	5925.15	900.90	171.21
Fair value of plan assets	5841.36	876.81	0.00
Difference	(83.79)	(24.09)	(171.21)
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00
Liability recognised in the balance sheet	**(83.79)**	**(24.09)**	**(171.21)**

Current Year 2017-18 (₹ in Crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	84.68	64.85	20.92
Interest Cost	109.62	66.08	12.73
Expected return on plan assets	(470.86)	(70.25)	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	693.47	14.09	(10.18)
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	**416.91**	**74.76**	**23.47**

पिछले वर्ष 2016-17

(₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखें में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्तमान सेवा लागत	81.41	49.35	17.22
ब्याज लागत	98.15	56.35	11.25
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(441.99)	(70.99)	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	599.09	85.98	3.01
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखें में पहचाने गये व्यय	336.66	120.69	25.46

चालू वर्ष 2017-18

(₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
निवल देयता का आरंभिक शेष	83.79	24.09	171.21
उपर्युक्तानुसार व्यय	416.91	74.76	23.47
प्रदत्त अंशदान	(401.61)	(66.42)	(15.18)
निवल देयता का अंत शेष	99.09	32.44	179.51

पिछले वर्ष 2016-17

(₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
निवल देयता का आरंभ शेष	99.19	2.56	161.63
उपर्युक्तानुसार व्यय	336.66	120.69	25.45
प्रदत्त अंशदान	(352.07)	(99.16)	(15.87)
निवल देयता का अंत शेष	83.79	24.09	171.21

(₹ करोड़ में)

IX. (I) चालू वर्ष 2017-18	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	6245.89	964.99	179.51
योजना आस्तियां	6146.80	932.55	0.00
अधिशेष / (घाटा)	(99.09)	(32.44)	(179.51)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि) / लाभ	(704.39)	(36.20)	10.18
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि) / लाभ	10.93	22.12	0.00

(₹ करोड़ में)

IX. (ii) पिछले वर्ष 2014-17 पेंशन	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	4930.31	5306.22	5608.14	5925.15
योजना आस्तियां	4767.66	5215.05	5508.95	5841.36
अधिशेष / (घाटा)	(162.65)	(91.17)	(99.19)	(83.79)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि) / लाभ	(263.75)	(305.93)	(384.40)	(626.82)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि) / लाभ	(21.88)	13.13	(7.61)	(27.73)

(₹ करोड़ में)

IX. (iii) पिछले वर्ष 2014-17 उपदान	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	897.83	844.78	831.94	900.90
योजना आस्तियां	864.63	835.47	829.38	876.81
अधिशेष / (घाटा)	(33.19)	(9.31)	(2.56)	(24.09)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि / लाभ)	113.35	21.09	(24.20)	(87.34)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि) / लाभ	0.65	10.61	(1.66)	(1.36)

Previous Year 2016-17 (₹ in Crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	81.41	49.35	17.22
Interest Cost	98.15	56.35	11.25
Expected return on plan assets	(441.99)	(70.99)	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	599.09	85.98	3.01
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	336.66	120.69	25.46

Current Year 2017-18 (₹ in Crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	83.79	24.09	171.21
Expense as above	416.91	74.76	23.47
Contribution paid	(401.61)	(66.42)	(15.18)
Closing net liability	99.09	32.44	179.51

Previous Year 2016-17 (₹ in Crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	99.19	2.56	161.63
Expense as above	336.66	120.69	25.45
Contribution paid	(352.07)	(99.16)	(15.87)
Closing net liability	83.79	24.09	171.21

(₹ in Crore)

IX. (i) Current Year 2017-18	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present Value of obligation	6245.89	964.99	179.51
Plan Assets	6146.80	932.55	0.00
Surplus/ (Deficit)	(99.09)	(32.44)	(179.51)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(704.39)	(36.20)	10.18
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	10.93	22.12	0.00

(₹ in Crore)

IX. (ii) Previous Years 2014-17 Pension	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2017
Present Value of obligation	4930.31	5306.22	5608.14	5925.15
Plan Assets	4767.66	5215.05	5508.95	5841.36
Surplus/ (Deficit)	(162.65)	(91.17)	(99.19)	(83.79)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(263.75)	(305.93)	(384.40)	(626.82)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	(21.88)	13.13	(7.61)	(27.73)

(₹ in Crore)

IX. (iii) Previous Years 2014-17 Gratuity	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2017
Present Value of obligation	897.83	844.78	831.94	900.90
Plan Assets	864.63	835.47	829.38	876.81
Surplus/ (Deficit)	(33.19)	(9.31)	(2.56)	(24.09)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	113.35	21.09	(24.20)	(87.34)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.65	10.61	(1.66)	(1.36)

(₹ करोड़ में)

IX. (iii) पिछले वर्षों 2014-17 के लिए छुट्टी भुनाई	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2017 को समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	200.69	154.58	161.63	171.21
योजना आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष (घाटा)	(200.69)	(154.58)	(161.63)	(171.21)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	4.39	(8.15)	(100.37)	3.01
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि/लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

X. योजना आस्तियों के मुख्य संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
	2017-18		2016-17	
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ	—	—	—	—
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	—	—	—	—
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	37.96	11.04	40.13	13.10
उच्च गुणवत्तावाले कार्पोरेट बांड	0.00	0.00	0.22	0.26
विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमाकर्ता द्वारा व्यवस्थित निधियाँ	62.04	88.96	59.87	86.90
निजी क्षेत्र के बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
मनी मार्केट	0.00	0.00	0.26	0.28
कुल	100.00	100.00	100.00	100.00

(₹ करोड़ में)

XI. अगले वर्ष के दौरान अंशदान	पेंशन निधि	उपदान राशि	अर्जित छुट्टी
अगले वर्ष के दौरान अंशदान पर उद्यम का सर्वोच्च अनुमान	380.00	110.00	15.00

8.1.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए ₹1.74 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹1.68 करोड़) प्रदान / (अवलिखित) की गई तथा इसे लाभ एवं हानि लेखा में "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों हेतु बनाए गए (अवलिखित) अतिरिक्त प्रावधानों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	31/03/2018	31/03/2017
1	बीमारी छुट्टी	0.62	0.37
2	आकस्मिक छुट्टी	0.11	0.18
3	छुट्टी यात्रा रियायत	1.01	1.13
	कुल	**1.74**	**1.68**

नोट: शामिल प्रकटीकरण में बीमांकक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की सीमा तक सीमित है।

8.2 अनुषंगी कंपनियां

8.2.1 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड –

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना हेतु अंशदान जिसे वर्ष के लिए व्यय माना गया, निम्नप्रकार प्रस्तुत है : ₹

विवरण	2017-18	2016-17
भविष्य निधि को नियोक्ता का अंशदान	3291972	3018147

(₹ in Crore)

IX. (iii) Previous Years 2014-17 Leave Encashment	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2017
Present Value of obligation	200.69	154.58	161.63	171.21
Plan Assets	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/ (Deficit)	(200.69)	(154.58)	(161.63)	(171.21)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	4.39	(8.15)	(100.37)	3.01
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ in Crore)

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
	2017-18		2016-17	
Government of India Securities	—	—	—	—
State Government Securities	—	—	—	—
Government of India Securities and State Government Securities	37.96	11.04	40.13	13.10
High Quality Corporate Bonds	0.00	0.00	0.00	0.00
Special Deposit Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00
Funds managed by Insurer	62.04	88.96	59.87	86.90
Private Sector Bonds	0.00	0.00	0.00	0.00
Money Market	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	100.00	100.00	100.00	100.00

(₹ in Crore)

XI. CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR	Pension Fund	Gratuity Fund	Earned Leave
Enterprises best estimate of contribution during next year	380.00	110.00	15.00

8.1.3 Other Long Term Employee Benefits

Amount of ₹ 1.74 crore (previous year ₹ 1.68 crore) has been provided towards Long Term Employee Benefits as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of additional Provisions made / (written back) for various long Term Employee Benefits during the year:

(₹ in Crore)

No.	Long Term Employee Benefits	31/03/2018	31/03/2017
1	Sick Leave	0.62	0.37
2	Casual Leave	0.11	0.18
3	Leave Travel Concession	1.01	1.13
	Total	**1.74**	**1.68**

Note: Disclosures included are limited to the extent of information provided by the Actuary.

8.2 SUBSIDIARY COMPANIES

8.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year are as under:

₹

Details	2017-18	2016-17
Employer's contribution to Provident Fund	3291972	3018147

परिभाषित लाभ योजना

I) परिभाषित लाभ बाध्यता के अथशेष व इतिशेष का लेखा समाधान

₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक)	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता	6075948	6075948	5621824	5621824
वर्तमान सेवा लागत	662142	662142	329487	329487
ब्याज लागत	530528	530528	421337	421337
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	170839	170839	(410210)	(410210)
प्रदत्त लाभ	(467782)	(467782)	-	-
निपटान लागत	-	-	-	-
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता	6971675	6971675	5962438	5962438

II) योजना आस्तियों के अथशेष व इतिशेष के उचित मूल्य का लेखा समाधान

₹

विवरण	उपदान (निधिक)	
	2017-18	2016-17
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	7807022	6719499
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	618107	680430
अंशदान	1465896	391314
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-	-
प्रदत्त लाभ	(260132)	(467782)
निपटान लागत	-	-
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	9630893	7323461
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	618107	680430

III) आस्तियों व बाध्यताओं के उचित मूल्य का लेखा समाधान

₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक))	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	9630893	7323461	6411244	5962438
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	8629583	6719499	5962438	5621824
तुलन–पत्र में अभिज्ञात राशि	1001310	603962	448806	340614

IV) वर्ष के दौरान अभिज्ञात व्यय

₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक)	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
वर्तमान सेवा लागत	662142	662142	287451	329487
ब्याज लागत	557734	530528	402421	421337
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	618107	680430	-	-
बीमांकक **(लाभ) /हानि**	698164	170839	(186074)	(410210)
निवल लागत	1299933	683079	448806	340614

V) बीमांकक अनुमान

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक)	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
मृत्यु संख्या सारणी (जीबीनि)	1994- 96	1994-96	1994-96	1994-96
	(अंतिम)	(अंतिम)	(अंतिम)	(अंतिम)
बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	8%	8%	7%	7%
प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर (प्रतिवर्ष)	8%	8%	-	-
वेतन वृद्धि दर (प्रतिवर्ष)	5%	5%	5%	5%
सेवात्याग दर	1% to 3%	1% to 3%	7%	7%

Defined Benefit Plan

I) Reconciliation of opening and closing balances of Defined benefit obligation

₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2017-18	**2016-17**	**2017-18**	**2016-17**
Defined benefit obligation at the beginning of the year	6075948	6075948	5621824	5621824
Current service cost	662142	662142	329487	329487
Interest cost	530528	530528	421337	421337
Actuarial (gain)/ loss	170839	170839	(410210)	(410210)
Benefits paid	(467782)	(467782)	-	-
Settlement cost	-	-	-	-
Defined benefit obligation at the year end	6971675	6971675	5962438	5962438

II) Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets

₹

Details	Gratuity (Funded)	
	2017-18	**2016-17**
Fair value of plan assets at the beginning of the year	7807022	6719499
Expected return on plan assets	618107	680430
Contributions	1465896	391314
Actuarial (gain)/ loss	-	-
Benefits paid	(260132)	(467782)
Settlement cost	-	-
Fair value of plan assets at year end	9630893	7323461
Actual return on plan assets	618107	680430

III) Reconciliation of fair value of assets and obligations

₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2017-18	**2016-17**	**2017-18**	**2016-17**
Fair value of plan assets	9630893	7323461	6411244	5962438
Present value of obligation	8629583	6719499	5962438	5621824
Amount recognized in Balance Sheet	1001310	603962	448806	340614

IV) Expense recognized during the year

₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2017-18	**2016-17**	**2017-18**	**2016-17**
Current Service Cost	662142	662142	287451	329487
Interest Cost	557734	530528	402421	421337
Expected return on plan assets	618107	680430	-	-
Actuarial (gain) / loss	698164	170839	(186074)	(410210)
Net Cost	1299933	683079	448806	340614

V) Actuarial assumptions

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2017-18	**2016-17**	**2017-18**	**2016-17**
Mortality Table (LIC)	1994- 96	1994-96	1994-96	1994-96
	(Ultimate)	(Ultimate)	(Ultimate)	(Ultimate)
Discount rate (per annum)	8%	8%	7%	7%
Expected rate of return (per annum)	8%	8%	-	-
Rate of escalation of salary (per annum)	5%	5%	5%	5%
Attrition Rate	1% to 3%	1% to 3%	7%	7%

मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं नियोजन बाजार में आपूर्ति और माँग सहित अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए बीमांकक मूल्यांकन में वेतन में वृद्धि की दर का अनुमान लगाया गया है। प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर कतिपय लागू घटकों, मुख्यतः धारित योजना आस्तियों का सम्मिश्रण, निर्धारित जोखिमों, योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ के ऐतिहासिक परिणाम और योजना आस्तियों हेतु कंपनी की नीति को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ के संबंध में सेवा निवृत्ति लाभ देयता का वहन इंडियन बैंक द्वारा किया जाएगा।

कंपनी ने वर्ष 2017–18 में उपदान देयता की ओर ₹ 15.70 लाख (पिछले वर्ष ₹ 11.07 लाख) का अंशदान दिया है।

8.2.2 इंडबैंक हाउसिंग लि.

उपदान निधि की ओर कंपनी की बाध्यता एवं बीमांकक मूल्यांकन के ब्यौरे : ₹

1	कुल विगत सेवा उपदान	548666
2	विगत सेवा उपदान बीमांकक मूल्य	569190
3	जीवन बीमा निगम के साथ उपदान निधि	570871
4	जीवन बीमा निगम को देय अंशदान	शून्य
5	वर्ष के दौरान प्रदत्त अंशदान	शून्य
6	शेष देय	शून्य
7	प्रदत्त जोखिम प्रीमियम एवं सेवाकर	915
8	अनुमान बट्टा दर वेतन में वृद्धि का पूर्वानुमान	 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि

9. सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस 17) (समेकित)

सेगमेंट रिपोर्टिंग (₹ करोड़ में)

भाग ए व्यापार खण्ड	ट्रेशरी		कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
राजस्व	6,124.28	5,562.11	6,782.64	6,679.21	6,438.03	5,883.14	186.96	137.16	19,531.91	18,261.62
परिणाम	2,345.75	1,905.92	1,309.94	1,083.66	1,215.90	927.41	135.93	83.71	5,007.32	4,006.70
अनाबंटित व्यय									3,925.09	2,240.94
परिचालनगत लाभ									1,082.23	1,765.76
अल्पसंख्यक हित									0.76	1.87
अन्य अनाबंटनीय आय									48.37	42.02
आय कर									-180.70	352.84
अपवाद स्वरूप मदें									0.00	0.00
निवल लाभ									1,310.54	1,453.07
अन्य जानकारी										
खण्डीय आस्तियां	77,679.32	71,642.55	91,072.97	78,138.05	85,836.87	69,820.87	265.59	0.55	2,54,854.75	2,19,602.02
अनाबंटित आस्तियां									-1,873.34	-1,368.88
कुल आस्तियां									2,52,981.41	2,18,233.14
खण्डीय देयताएं	82,493.91	68,395.22	82,098.64	68,570.25	77,188.96	61,534.35	0.00	- 16.65	2,31,781.51	1,98,483.17
अनाबंटित देयताएं									2,484.46	2,571.32
आरक्षित पूंजी व अधिशेष									18,715.44	17,452.95
कुल देयताएं									2,52,981.41	2,18,507.44

The estimates of rate of escalation in salary considered in actuarial valuation, take into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market. The expected rate of return is determined considering several applicable factors, mainly the composition of plan assets held, assessed risks, historical results of return on plan assets and the company's policy for plan assets management. The retirement benefit liability in respect of staff on deputation from Indian Bank is borne by Indian Bank.

The company has contributed ₹15.70Lakhs (previous year- ₹ 11.07 lakhs) towards Gratuity liability in the year 2017-18.

8.2.2 INDBANK HOUSING LTD

Company's obligation towards Gratuity Fund and details of actuarial valuation: ₹

1	Total past service gratuity	548666
2	Actuarial value past service gratuity	569190
3	Gratuity Fund with LIC	570871
4	Contribution payable to LIC	NIL
5	Contribution paid during the year	NIL
6	Balance payable	NIL
7	Risk premium and service tax paid	915
8	Assumptions Discounting rate Projections of salary increase	 8% p.a. compound 8% p.a. compound

9. SEGMENT REPORTING (CONSOLIDATED) (AS 17)

Segment Reporting (₹ in Crore)

Part A Business Segments	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking operations		Total	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Revenue	6,124.28	5,562.11	6,782.64	6,679.21	6,438.03	5,883.14	186.96	137.16	19,531.91	18,261.62
Result	2,345.75	1,905.92	1,309.94	1,083.66	1,215.90	927.41	135.93	83.71	5,007.32	4,006.70
Unallocated expenses									3,925.09	2,240.94
Operating profit									1,082.23	1,765.76
Minority interest									0.76	1.87
Other unallocable income									48.37	42.02
Income Taxes									-180.70	352.84
Exceptional Item									0.00	0.00
Net Profit									1,310.54	1,453.07
Other information										
Segment Assets	77,679.32	71,642.55	91,072.97	78,138.05	85,836.87	69,820.87	265.59	0.55	2,54,854.75	2,19,602.02
Unallocated assets									-1,873.34	-1,368.88
Total assets									2,52,981.41	2,18,233.14
Segment Liabilities	82,493.91	68,395.22	82,098.64	68,570.25	77,188.96	61,534.35	0.00	- 16.65	2,31,781.51	1,98,483.17
Unallocated liabilities									2,484.46	2,571.32
Capital reserves & Surplus									18,715.44	17,452.95
Total liabilities									2,52,981.41	2,18,507.44

	भाग बी – भौगोलिक खण्ड					
	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
राजस्व	19227.62	17 982.27	304.29	279.35	19531.91	18 261.62
आस्तियां	243863.58	2 11 437.49	9117.83	7 070.45	252981.41	2 18 507.44

जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, खण्डीय राजस्व और व्ययों को खण्डीय आस्तियों के आधार पर प्रभाजित किया गया है। जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आँकडों को पुनःसमूहित किया गया है।

10. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)

10.1 मूल संस्था

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री महेश कुमार जैन	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (03.04.2017 तक)
श्री किशेर खरात	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (04.04.2017 के प्रभाव से)
श्री ए एस राजीव	कार्यपालक निदेशक (22.01.2016 के प्रभाव से)
श्री एम के भट्टाचार्य	कार्यपालक निदेशक (18.02.2017 के प्रभाव से)
श्री पी ए कृष्णन	मुख्य वित्तीय अधिकारी (17.05.2016 के प्रभाव से)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान ₹ 80.25 लाख के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष ₹ 86.31 लाख)

10.2 अनुषंगी कंपनी :

10.2.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि.

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पद		2017-18	2016-17
श्री ए के बाजपेयी	अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक	वेतन	16.25	15.20
		भविष्य निधि को अंशदान	0.96	0.91
श्री के एस सुजाय	उपाध्यक्ष और सीएफओ	वेतन	7.46	7.06
		भविष्य निधि को अंशदान	0.65	0.61
श्री एस एस दीप्ति	कंपनी सचिव और अनुपालन	वेतन	4.03	
	अधिकारी	भविष्य निधि को अंशदान	0.46	–
गैर–पूर्णकालिक स्वतंत्र निदेशकों को शुल्क का भुगतान किया गया			2.63	2.59

कंपनी के अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है तथा उपर्युक्त बैंक के सेवा नियम के अनुसार तथा कंपनी के शेयरधारकों द्वारा ''पूर्णकालिक निदेशक'' के रूप में नियुक्ति के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

कंपनी के उपाध्यक्ष और सीएफओ इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर हैं और उपर्युक्त बैंक के सेवा नियमों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को सीधे कंपनी द्वारा भर्ती किया गया है और कंपनी द्वारा दिए गए रोजगार की पेशकश के नियमों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

10.2.2 इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

कंपनी के प्रबंध निदेशक इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है तथा वह अपना पारिश्रमिक उस कंपनी के प्रेसिडेंट के रूप में इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विस लिमिटेड से पाते है। अतः इस कंपनी द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

10.3 अन्य संबंधित पार्टियाँ सरकार नियंत्रित उद्यम हैं और इस कारण एएस–18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। आगे, एएस–18 के पेराग्राफ 5 के अनुसार बैंकर–ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेनदेनों को प्रकट करना अपेक्षित नहीं है।

11. पट्टे (एएस 19)

11.1 मूल संस्था

ए) पट्टे/किराए पर ली गई सम्पत्तियाँ, बैंक की इच्छानुसार नवीकृत/रद्द करने योग्य हैं।

बी) बैंक के नाम पर लिए गए पट्टों की सहमत अवधि के साथ पट्टे की अवधि के दौरान सहमत कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देकर पट्टे को निरस्त करने का प्रावधान है।

	Part B Geographic Segments					
	Domestic		International		Total	
	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17
Revenue	19227.62	17 982.27	304.29	279.35	19531.91	18 261.62
Assets	243863.58	2 11 437.49	9117.83	7 070.45	252981.41	2 18 507.44

Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segment assets, wherever direct allocation is not possible. Previous year figures were re-grouped wherever necessary.

10.RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

10.1 PARENT

Key Managerial Personnel:

Shri Mahesh Kumar Jain	Managing Director & Chief Executive Officer (upto 03.04.2017)
Shri Kishor Kharat	Managing Director & Chief Executive Officer (w.e.f 04.04.2017)
Shri A S Rajeev	Executive Director (w.e.f. 22.01.2016)
Shri M K Bhattacharya	Executive Director (w.e.f. 18.02.2017)
Shri P A Krishnan	Chief Financial Officer (w.e.f. 17.05.2016)

Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹ 80.25 lakhs (Previous-year -₹ 86.31 lakhs)

10.2 SUBSIDIARY COMPANIES

10.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Key Managerial Personnel:

Name	Designation		2017-18	2016-17
Mr. A K Bajpai	**President & Whole Time Director**	**Salary Contribution to PF**	**16.25 0.96**	**15.20 0.91**
Mr. K S Sujay	**Vice President & CFO**	**Salary Contribution to PF**	**7.46 0.65**	**7.06 0.61**
Ms. S S Deepthi	**Company Secretary & Compliance Officer**	**Salary Contribution to PF**	**4.03 0.46**	**– –**
Sitting Fees paid to Non-Whole Time Independent Directors			**2.63**	**2.59**

President and Whole Time Director of the Company is on deputation from Indian Bank and the remuneration is in accordance with the service rules of the said Bank and also in terms of appointment as 'Whole Time Director' by the shareholders of the Company.

Vice President & CFO of the Company is on deputation from Indian Bank and the remuneration is in accordance with the service rules of the said Bank.

Company Secretary & Compliance Officer has been recruited directly by the company and the remuneration is in accordance with the terms of offer of employment given by the company.

10.2.2 IND BANK HOUSING LTD.

Managing Director of the Company is on deputation from Indian Bank and is drawing remuneration from Ind Bank Merchant Banking Services Ltd. as President of that Company. Hence no remuneration is paid by this Company.

10.3 Other related parties are State controlled Enterprises and hence no disclosures are required as per paragraph 9 of AS 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of banker-customer relationship are not required to be disclosed.

11. LEASES (AS 19)

11.1 PARENT

a) The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank.

b) The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar months notice in writing.

सी) परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त किराये को तत्संबंधी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में रखा जाता है। वर्ष के दौरान स्वीकृत पट्टा किराया 194.94 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 180.73 करोड़ रुपये) है।

11.2 अनुषंगी कंपनियां

11.2.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि.

पट्टे पर लिए गए आस्तियों के संबंध में

पट्टे पर लिए गए आस्तियों के संबंध में, कंपनी, मूल संस्था के साथ विभिन्न कार्यालय परिसरों के लिए परिचालनात्मक पट्टे रखता है। वर्ष की समाप्ति पर, रद्द नहीं किए जा सकनेवाले परिचालनात्मक पट्टे के तहत, आवश्यक भावी न्यूनतम भुगतान निम्नवत् हैं–

(₹ लाखों में)

	31.03.2018 को	31.03.2017 को
वर्ष के लिए पट्टा भुगतान	25.28	19.66
न्यूनतम पट्टा भुगतान :		
एक साल के बाद का नहीं	0.00	0.00
एक साल के बाद परंतु पांच साल से अधिक नहीं	0.00	0.00
पांच साल के बाद	0.00	0.00

12. प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	2017-18	2016-17
ईक्विटी शेयरधारकों हेतु कर के बाद उपलब्ध निवल लाभ (₹ करोड़ में)	1412.91	1412.91
ईक्विटी शेयरों की संख्या	480291651	480291651
ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या	480291651	480291651
मूल अर्जन प्रति शेयर	₹27.29	₹ 30.25
प्रति शेयर कम किया गया अर्जन	₹ 27.29	₹ 30.25
प्रति ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य	₹10.00	₹10.00

13. समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)

समेकित वित्तीय विवरण लेखा मानक (एएस 21) के अनुसार तैयार किए गए हैं। ''समेकित वित्तीय विवरण'' को भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों और समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के समनुरूप किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण, इंडियन बैंक (मूल संस्था) की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और उनकी अनुषंगी जैसे (1) इंड हाउसिंग लिमिटेड और (2) इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि. अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरण पर आधारित है।

31.03.2018 को समेकित आंकड़ों में तीने सहयोगियों यथा मेसर्स पल्लवन ग्राम बैंक, मेसर्स सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और पुदुवै भारितियार ग्राम बैंक के 48.37 करोड़ रुपये का अलेखा परीक्षित लाभ शामिल है।

14. आय पर करों के लिए लेखाकरण (एएस 22)

14.1 मूल संस्था

डीटीए (आस्थगित कर आस्तियाँ) / डीटीएल (आस्थगित कर देयताएँ) के मुख्य घटक निम्न प्रकार हैं

(₹ करोड़ में)

घटक	31.03.2018	31.03.2017
आस्थगित कर आस्तियां		
1. भुगतान/क्रिस्टाइलेजेशन पर अनुमेय, देयताओं का प्रावधान	77.91	74.63
2. अप्रयुक्त अवकाश के लिए प्रावधान	0.00	0.24
3. उपदान के लिए प्रावधान	2.25	0.16
4. पूर्व वर्ष में संदेहास्पद डेबिट के लिए अदावी भत्ते	0.00	0.00
5. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि(फसीटीआर)	**106.30**	**92.04**
6. अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	523.21	
7.पुनर्रचित आस्ति, एक्यूआर, दबावग्रस्त आस्ति के लिए प्रावधान	91.25	
कुल–डीटीए	**800.92**	**167.07**

c) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is ₹195.94 Crores (Previous year ₹180.73 Crore).

11.2 SUBSIDIARY COMPANIES

11.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

In case of assets taken on lease;

The company has operating leases for office premises at various locations with the Parent. The future minimum payments required under non-cancellable operating leases at year-end are as follows:

(₹ in lakhs)

	As on 31.03.2018	As on 31.03.2017
Lease payments for the year	25.28	19.66
Minimum Lease payments:		
Not later than one year	0.00	0.00
Later than one year but not later than five years	0.00	0.00
Later than five years	0.00	0.00

12. EARNINGS PER SHARE (AS 20)

Particulars	2017-18	2016-17
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹Crore)	1412.91	1412.91
Number of Equity Shares	480291651	480291651
Weighted Number of equity shares	480291651	480291651
Basic Earning Per Share	₹27.29	₹ 30.25
Diluted Earning Per Share	₹ 27.29	₹ 30.25
Nominal value per Equity Share	₹10.00	₹10.00

13. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT (AS 21)

The consolidated financial statements are prepared in accordance with the Accounting Standard (AS 21), "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India on preparation of Consolidated Financial Statements.

The consolidated financial statements are based on the audited financial statements of Indian Bank (parent) and unaudited financial statements of its subsidiaries, viz., (1) Indbank Housing Ltd. and (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd.

Consolidated figures as on 31.03.2018 includes ₹ 48.37 Crores being share in the unaudited profit of three Associates viz, M/s Pallavan Grama Bank, M/s Sapthagiri Grameena Bank and Puduvai Bharathiar Grama Bank.

14. ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)

14.1 PARENT

The major components of Deferred Tax Assets (DTA) / Deferred Tax Liabilities (DTL) are:

(₹ in Crore)

Components	31.03.2018	31.03.2017
Deferred Tax Assets		
1. Liabilities provision allowable on payment /crystallization	77.91	74.63
2. Provision for unutilized leave	0.00	0.24
3. Provision for Gratuity	2.25	0.16
4. Unclaimed allowance for doubtful debts in prior years	0.00	0.00
5. Foreign Currency Translation Reserve (FCTR) *	**106.30**	**92.04**
6. Provision for Bad Debts	523.21	
7.Provision for restructured asset, AQR, S4A, stressed asset	91.25	
TOTAL- DTA	**800.92**	**167.07**

आस्थगित कर देयताएं		
1. स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	57.12	52.39
2. बट्टे खाते में डाले गए खातों के लिए प्रावधान	504.21	504.21
3. स्टाफ कल्याण व्यय	5.71	5.71
4. आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अधीन विशेष आरक्षितियों पर डीटीएल	243.34	230.06
कुल – डीटीएल	**810.38**	**792.82**
निवल डीटीए / डीटीएल	**9.46***	**625.75**

*आईसीडीएस प्रावधानों के अनुसार कर में एफसीटीआर अथ शेष की पेशकश के परिणामस्वरूप डीटीए का सृजन।

13.2 अनुषंगी कंपनियां

13.2.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस लि.

आस्थगित कर आस्ति/देयता के मुख्य घटक निम्न प्रकार हैं। ₹

	आस्थगित कर			
	31.3.2018 को		31.3.2017 को	
	आस्ति	देयताएं	आस्ति	देयताएं
I) मूल्यह्रास–योग्य आस्तियों में समय का अंतर		32259860	34457693	
ii) अशोध्य ऋणों व एनपीए के लिए प्रावधान	71399812		73552486*	
iii) अन्य	2547362		2396227	
कुल	**73947174**	**33778521**	**75948713**	**33778521**
निवल डीटीए / (डीटीएल)	**41687314**		**42170192**	

*वर्ष 2016–17 के लिए ₹ 176990/- रुपये की सीमा तक आस्थगित कर आस्ति का सृजन वर्ष 2016–17 के खातों में नहीं लिया जाता है और 31.03.2017 को निवल आस्थगित कर आस्ति ₹ 42170192/- रुपये है।

14. एएस 24 के अन्तर्गत प्रकटीकरण अपेक्षाएं – बंद परिचालन

14.1 अनुषंगी कंपनियां

14.1.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस लि.

कंपनी ने दिसंबर 1997 से लागू हुए सेबी विनियमन के फलस्वरूप निधि आधारित क्रियाकलापों को बंद किया था और केवल शुल्क आधारित क्रियाकलापों को लेने का निर्णय लिया था। दिसंबर 1997 तक विद्यमान निधि आधारित एकस्पोज़र उनकी संविदाकृत अवधि समाप्त होने तक जारी रखे गए हैं। स्थायी जमाओं की पुनरदायगी और दावा न की गई स्थायी जमाओं को जब कभी उनका दावा किया जाता है, उनकी पुनरदायगी करने के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक में एस्क्रो खाते में अंतरण करने के बाद कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक से एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण के रद्द किये जाने की अनुमति प्राप्त की है। अब कंपनी केवल सेबी विनियमनों द्वारा नियंत्रित है।

संसाधन आवंटन के प्रयोजनों और सेगमेंट निष्पादन का आकलन के लिए मुख्य संचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम – निदेशक मंडल) को रिपोर्ट की गई सूचना पूरी तरह से कंपनी पर केंद्रित है। इसलिए, प्रबंधन ने निष्कर्ष निकाला है कि कंपनी के पास केवल एक सेगमेंट है।

15. अनुषंगी कंपनियां

15.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस लि.

इंडियन बैंक, मूल बैंक ने ₹ 897.48 लाख की राशि की चुकौती के लिए 3 साल की अधिस्थगन अवधि सितंबर 2013 से सितंबर 2016 तक को मुआविज़ा का अधिकार खंड के तहत 31.03.2017 को समाप्त होनेवाले वर्ष से शुरू होने वाली प्रति छमाही 75 लाख की चुकौती को अधिस्थगन/चुकौती अवधि के लिए बिना किसी ब्याज प्रभार के अनुमोदित कर दिया है। तदनुसार मूल संस्था बैंक द्वारा अनुमोदित शर्तों के अनुसार 31.03.2018 को समाप्त अर्ध वर्ष हेतु कंपनी ने इंडियन बैंक को ₹ 225 लाख चुकौती की है।

16. बैंक एश्यूरेन्स कारोबार

मूल संस्था: विभिन्न बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों / म्युचुअल फंड की बिक्री/विपणन से, बैंक ने इस वर्ष के दौरान ₹ 16.75 करोड का आढ़त कमाया (पिछले वर्ष यह ₹12.75 करोड़) था।

क्रमांक	आय की प्रकृति	2017-18	2016-17
1	जीवन बीमा पालिसी बेचने के लिए	7.33	6.86
2	गैर–जीवन बीमा पालिसी बेचने के लिए	8.97	5.53
3	अन्य – म्युचुअल फंड उत्पाद बेचने के लिए	0.45	0.36
	कुल	**16.75**	**12.75**

17. अतिरिक्त प्रकटीकरण

मूल संस्था: बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बैंक द्वारा पहचान की गई एमएसएमई इकाइयों को बैंक से कोई बकाया देय नहीं है, जोकि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित समय सीमा के बाहर है और लंबित है और वर्ष के दौरान ऐसी पार्टियों के लिए मूल राशि की स्वीकृत देयताओं के विलंबित भुगतान अथवा उनपर ब्याज के कोई मामले दर्ज नहीं किए गए।

18. जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकडे के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित/ पुनःवर्गीकृत किया गया है।

Deferred Tax Liabilities		
1. Depreciation on Fixed Assets	57.12	52.39
2. Provision for Written-off Accounts	504.21	504.21
3. Staff Welfare Fund	5.71	5.71
4. Special Reserves u/s 36(i)(viii) of Income Tax Act, 1961	243.34	230.06
TOTAL – DTL	**810.38**	**792.82**
NET DTL	**9.46***	**625.75**

* Creation of DTA consequent to offering FCTR opening balance to tax as per ICDS provisions.

13.2 SUBSIDIARY COMPANIES

13.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD :

The major components of deferred tax asset/liability are as below: ₹

	Deferred Tax			
	As on 31.3.2018		As on 31.3.2017	
	Asset	Liability	Asset	Liability
i) Timing difference in depreciable assets		32259860	34457693	
ii) Provision for Bad debts and NPAs	71399812		73552486*	
iii) Others	2547362		2396227	
Total	**73947174**	**33778521**	**75948713**	**33778521**
NET DTA / (DTL)	**41687314**		**42170192**	

*The creation of Deferred Tax Asset to the extent of Rs 176990/- for the year 2016-17 is not considered in the accounts for the year 2016-17 and the net Deferred Tax Asset as on 31.03.2017 remains at Rs 42170192/-..

14. DISCLOSURE REQUIREMENTS UNDER AS 24DISCONTINUED OPERATIONS

14.1 SUBSIDIARY COMPANIES

14.1.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES

The Company had discontinued fund-based activities consequent to SEBI regulations coming into force with effect from December 1997 and had decided to undertake only fee-based activities. The existing fund based exposures as on December 1997 are continued to run down to their contracted period. The Company had obtained cancellation of registration as NBFC from RBI consequent to repayment of fixed deposits and transfer of unclaimed fixed deposits to an escrow account with a nationalised bank for repayment as and when claimed. The Company is now governed only by SEBI regulations.

The business segments have been identified as the Primary Segment considering the nature of service, organisational structure and internal financial reporting system. The services of the reported domestic business segments are classified as “Discontinuing operations” (Fund Based) and “Continuing Operations” (Fee Based). Discontinuing operations consists of Leasing, Hire purchase, Intercorporate deposits and Investments. Continuing operations include Merchant Banking, Stock Broking, Depository Participant services, Distribution of Financial Products and allied activities. There is no Secondary Reportable Segment.

15. SUBSIDIARY COMPANIES

15.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Indian Bank, the parent Bank, had approved a moratorium period of 3 years from September 2013 to September 2016 for repayment of the amount of Rs. 897.48 lakhs payable to them under the Right of Recompense clause with repayment of Rs. 75 lakhs per half year to commence from the half year ending 31.03.2017 without any interest charge for the period of moratorium/ repayment. Accordingly the company has repaid Rs.225 lakhs to Indian Bank upto the half year ended 31.03.2018 as per the terms approved by the parent bank

16. BANCASSURANCE BUSINESS

PARENT : During the current year, the Bank has earned commission, etc, to the extent of ₹ 16.75 Crore on sale/marketing of various Bancassurance products/Mutual Funds (previous year ₹ 12.75 Crore).

Sl. No.	Nature of Income	2017-18	2016-17
1	For Selling Life Insurance Policies	7.33	6.86
2	For selling Non-life insurance policies	8.97	5.53
3	Others – For selling Mutual Fund Products	0.45	0.36
	Total	**16.75**	**12.75**

17. ADDITIONAL DISCLOSURES

PARENT : As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year.

18. Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year's figures.

समेकित वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
इंडियन बैंक

समेकित वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

1. हमने इंडियन बैंक (''दि बैंक) और इसकी सहयोगियों (बैंक तथा इसकी अनुषंगियां जिन्हें आगे सामूहिक रूप से ''समूह'' के रूप में संदर्भित कर दिया गया) की संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों और इसकी सहयोगियों में 31 मार्च 2018 तक का समेकित तुलनपत्र, इस वर्ष हेतु समेकित लाभ तथा हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, इसके बाद सार्थक खाता नीतियों का सार और अन्य विवरणात्मक सूचना जो इसके साथ संलग्न है, में निम्नलिखित को शामिल किया गया है।

(ए) इंडियन बैंक स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणियाँ

(बी) इंड बैंक हाउसिंग लि. तथा इंडबैंक मेर्चेंट बैंकिंग सेवाएँ लि.– दो अनुषंगियों की अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियाँ।

(सी) (i) सप्तगिरी ग्रामीण बैंक

(ii) पल्लवन ग्राम बैंक

(iii) पुदुवै भारतीयार ग्राम बैंक
–तीन सहयोगियों की अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियाँ

हमने दो अनुषंगियों के वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनका 31 मार्च 2018 को समेकित वित्तीय विवरणों में उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी में रु 77.94 करोड़ की कुल आस्तियां, रु. 16.81 करोड़ की आमदनी, तथा रु 3.24 करोड़ के निवल नकद प्रवाह दर्शाया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2018 को वर्ष के लिए रु.48.37 करोड़ के निवल लाभ शामिल है जोकि तीन सहयोगियों के संबंध में उनके समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी हमारे द्वारा लेखा परीक्षित नहीं की गई है। इन वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी को लेखा परीक्षित नहीं की गई है तथा इसे प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है और समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय, इन अनुषंगियों तथा सहयोगियों के संदर्भ में उनके द्वारा प्रस्तुत राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है तथा हमारी रिपोर्ट इन अनुषंगियों और सहयोगियों के संदर्भ में उनके द्वारा प्रस्तुत अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों / वित्तीय जानकारी से पूर्णतः आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध द्वारा हमें उपलब्ध किये गए जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार ये वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी समूह के लिए तात्विक नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व :

2. इस समूह तथा इसकी सहयोगियों में शामिल संबंधित निदेशक मंडल के निदेशकगण, समूह की स्थितियों को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक लेखांकन अभिलेखों के अभिरक्षण तथा धोखाधडियों तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों के चयन और कार्य करने, निर्णय तथा आकलनों को बनाएं जो उचित और तर्क संगत हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन के अभिरक्षण जोकि लेखांकन अभिलेखों की पर्याप्तता तथा संपूर्णता को प्रभावात्मक रूप से संचालन कर रहा था, ये सभी संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध थे, जिससे सही और निष्पक्ष रूप को दर्शाते हैं और तात्विक गलत कथनों से, चाहे वे धोखाधडी या गलती के कारण हो, मुक्त हैं जिसे ऊपर बताए अनुसार बैंक के निदेशक मंडल द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से उपयोग किया गया है, के लिए उत्तरदायी हैं।

3. बैंक द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस 21 (समेकित वित्तीय विवरण), एएस 23 (समेकित वित्तीय विवरणों में ऐसोसिएट्स में निवेश हेतु लेखांकन) व एएस 27 (संयुक्त उद्यम में ब्याज की वित्तीय रिर्पोटिंग) की आवश्यकताओं एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए गए हैं।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी :

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखापरीक्षण पर जारी मानकों के अनुसार हमने अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हैं और इस युक्तियुक्त आश्वासन की प्राप्ति के लिए लेखापरीक्षण की आयोजना और लेखापरीक्षण करते हैं कि ये वित्तीय विवरण तात्विक गलत कथनों से मुक्त हैं।

5. लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में समेकित वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये जाते हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों में तात्विक गलत कथनों, चाहे वे धोखाधड़ी से हो या गलती से हो, के जोखिम का निर्धारण करना है। इन जोखिमों के निर्धारण में, लेखापरीक्षक बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को बनाने और उचित प्रस्तुतीकरण पर विचार करता है जिससे कि वह लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं को डिज़ाइन कर सके जो परिस्थितियों के समीचीन हो, लेकिन समूह की आंतरिक नियंत्रण के विचार की अभिव्यक्ति के प्रभावशील उद्देश्य के लिए नहीं है। प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन, प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण अनुमानों की युक्तियुक्तता, साथ ही समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी लेखा–परीक्षा में शामिल है।

6. हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार हेतु उपर्युक्त हैं।

अभिमत

7. हमारी राय में, और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा प्रणालियों के समनुरूप सही एवं वास्तविक चित्र प्रकट करता है।

ए) 31 मार्च 2018 को समूह के कार्यों तथा उसकी सहयोगियों के समेकित तुलन पत्र के बाबत

बी) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ संबंधी समेकित लाभ व हानि लेखे के बाबत और

सी) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह संबंधी समेकित नकदी प्रवाह विवरण के बाबत

कृते प्रकाश चंन्द्र जैन एण्ड कंपनी
For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002438C

प्रतीक नलवाया
PRATEEK NALWAYA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.414356)

कृते गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
For GANDHI MINOCHA & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000458N

अजय कुमार कत्याल
AJAY KUMAR KATYAL
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.087915)

कृते पॉम्स एण्ड एसोसियेट्स
For PAMS & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No. 316079E

प्रमोद कुमार मिश्रा
PRAMOD KUMAR MISRA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.052699)

कृते पी एस सुब्रमणिय अय्यर एण्ड कंपनी
For P S SUBRAMANIA IYER & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.004104S

जे रघुराम
J RAGHURAM
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.021929)

कृते एम थामस एण्ड कंपनी
For M THOMAS & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.004408S

ए रोजारियो
A ROZARIO
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No.021230)

स्थान : चेन्नै
Place : Chennai
दिनांक : Date : 10.05.2018

Independent Auditors' Report on the Consolidated Financial statements

TO
THE BOARD OF DIRECTORS
INDIAN BANK

Report on the Consolidated Financial Statements

1. We have audited the attached consolidated financial statements of INDIAN BANK ("the Bank" and its subsidiaries and its associates collectively referred to as "the Group") comprising of the consolidated Balance Sheet as at 31st March 2018 , the Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information annexed thereto in which following are incorporated

(a) Audited financial statements of Indian Bank Standalone

(b) Unaudited financial statements of two subsidiaries, IndBank Housing Ltd, and IndBank Merchant Banking Services Ltd.

(c) Unaudited financial statements of 3 associates

i) Saptagiri Grameena Bank

ii) Pallavan Grama Bank

iii) Puduvai Bharathiar Grama Bank

We did not audit the financial statements of two subsidiaries, whose financial statements reflect total assets of ₹ 77.94 Crores as at 31st March 2018, total revenues of ₹16.81 Crores and net cash inflows amounting to ₹ 3.24Crores for the year then ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. The consolidated financial statements also include the Group's share of net profit of ₹ 48.37 Crores for the year 31.03.2018, as considered in the consolidated financial statements, in respect of three associates, whose financial statements have not been audited by us. These financial statements of subsidiaries (unaudited) and associates (unaudited) have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the aforesaid subsidiaries and associates, is based solely on such audited/unaudited financial statement/financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the management, these financial statements are not material to the Group.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its associates in accordance with accounting principles generally accepted in India. The respective Board of Directors of the Companies included in the group and of its associates are responsible for maintenance of adequate accounting records for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities, the selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent, and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring adequacy and completeness of accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of presentation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

3. These Consolidated Financial Statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of AS 21 (Consolidated Financial Statements) and AS 23 (Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditors Responsibility

4. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

5. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Banks preparation and fair presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purposes of expressing an opinion on whether the Bank has an adequate internal financial control system over financial reporting in place. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by Bank's Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

6. We believe that the audit evidence obtained by us is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Consolidated Financial Statements.

Opinion

7. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us , the aforesaid consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

(a) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group, and its associates as at 31st March 2018

(b) in the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of their consolidated profit for the year ended on the date; and

(c) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO
Chartered Accountants
FR No.002438C

PRATEEK NALWAYA
Partner
(M No. 414356)

For GANDHI MINOCHA & CO
Chartered Accountants
FR No.000458N

AJAY KUMAR KATYAL
Partner
(M. No 087915)

For P A M S & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No. 316079E

PRAMOD KUMAR MISRA
Partner
(M. No.052699)

For P S SUBRAMANIA IYER & CO
Chartered Accountants
FR No.004104S

J RAGHURAM
Partner
(M No. 021929)

For M THOMAS & CO
Chartered Accountants
FR No.004408S

A ROZARIO
Partner
(M No.021230)

Place : Chennai
Date : 10.05.2018

बेसल III - पिल्लर III प्रकटीकरण

मार्च 31, 2018

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार बेसल अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण
सारणी डी एफ – 1
अनुप्रयोग का क्षेत्राधिकार

बैंकिंग ग्रूप के प्रमुख का नाम, जिसपर यह ढाँचा लागू होता है : इंडियन बैंक

(I) गुणात्मक प्रकटीकरण :

ए. समेकन के लिए जिन ग्रूप उपक्रमों की सूची पर विचार किया जाता है

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	क्या उपक्रम को लेखाकरण के समेकन के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है? (हाँ / नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	क्या उपक्रम को समेकन के विनियामक क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है? (हाँ / नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	समेकन के तरीकों में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	यदि क्षेत्राधिकारों की पहुंच में से एक के अधीन ही समेकन किया गया है तो उसके कारणों को स्पष्ट करें
इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि. (अनुषंगी)	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
इंडबैंक हाउसिंग लि. (अनुषंगी)	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
पल्लवन ग्राम बैंक (एसोसिएट्स)	हाँ	लेखाकरण मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	नहीं	**लागू नहीं**	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित
सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (एसोसिएट्स)	हाँ	लेखाकरण मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	नहीं	**लागू नहीं**	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित
पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक (एसोसिएट्स)	हाँ	लेखाकरण मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	नहीं	**लागू नहीं**	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित

Basel III-Pillar III Disclosures
March 31,2018

ADDITIONAL DISCLOSURES IN TERMS OF COMPLIANCE OF BASEL III REQUIREMENTS AS STIPULATED BY RBI

Table DF – 1

Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies: Indian Bank

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
IndBank Merchant Banking Services Ltd. (Subsidiary)	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21- Consolidated Financial Statement	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21- Consolidated Financial Statement	Not Applicable	Not Applicable
Ind Bank Housing Ltd. (Subsidiary)	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21- Consolidated Financial Statement	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21- Consolidated Financial Statement	Not Applicable	Not Applicable
Pallavan Grama Bank (Associates)	Yes	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23- Consolidated Financial Statement	No	Not Applicable	Treated as associates	Risk weighted for capital adequacy purposes
Saptagiri Grameena Bank (Associates)	Yes	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23- Consolidated Financial Statement	No	Not Applicable	Treated as associates	Risk weighted for capital adequacy purposes
Puduvai Bharathiar Grama Bank (Associates)	Yes	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23- Consolidated Financial Statement	No	Not Applicable	Treated as associates	Risk weighted for capital adequacy purposes

बी. ग्रूप उपक्रमों की सूची जिन पर समेकन के लिए विचार नहीं किया गया है दोनों लेखाकरण और विनियामक मानक के क्षेत्राधिकर के अधीन :

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारित का %	उपक्रम की पूँजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों का विनियामक व्यवहार	कुल तुलन पत्र की आस्तियां (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में उल्लिखित रूप से)
शून्य					

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

सी) समेकन के लिए जिन ग्रूप उपक्रमों पर विचार किया गया है : (₹ मिलियन में)

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है (ऊपर (i) ए में दिखाए अनुसार)	उपक्रम के मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल तुलन पत्र की आस्तियां (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में उल्लिखित रूप से)
इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि. (भारत)	मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं	443.78	667.48
इंडबैंक हाउसिंग लि. (भारत)	आवास वित्त	100.00	1488.97

डी. सभी अनुषंगियों में पूँजीगत कमियों की कुल राशि, जिन्हें समेकन के विनियामक दायरे में नहीं लाया गया है, अर्थात, जिनकी कटौती की गई है :

उपक्रमों का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	पूँजी कमियाँ
शून्य				

ई. बीमा उपक्रमों में बैंक के कुल हितों की सकल राशि (चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं :

बीमा उपक्रमों का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का % / मतदान अधिकार का अनुपात	पूर्ण कटौती पद्धति की तुलना में जोखिम भारित पद्धति के प्रयोग से विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
लागू नहीं				

एफ. बैंकिंग समूह के अंदर ही निधि या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं :

बैंकिंग समूह के अंदर निधि या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं नहीं हैं।

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation:

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NIL					

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation:

(₹ in Million)

Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
IndBank Merchant Banking Services Ltd (India)	Merchant Banking services	443.78	667.48
Ind Bank Housing Ltd (India)	Housing Finance	100.00	1488.97

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NIL				

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity*	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
NOT APPLICABLE				

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital with in the banking group:

There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group.

सारणी डीएफ – 2 : पूँजी पर्याप्तता

पूँजी पर्याप्तता का निर्धारण :

(ए) बैंक अप्रत्याशित हानियों के लिए पूंजी रखती है ताकि जमाकर्ताओं के हित, सामान्य ऋणदाताओं तथा अन्य पण्यधारकों को किसी भी अप्रत्याशित हानि से बचाया जा सके।

भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टियर– I (सीईटी I) का 7.375% प्रतिशत (जिसमें 1.875% की प्रतिशत पूंजी संरक्षण बफर शामिल है) तथा न्यूनतम सीआरएआर का 10.875% प्रतिशत रखना है। बैंक सामान्य ईक्विटी टियर I (सीईटी I) का 7.375% प्रतिशत से अधिक और सीआरएआर का 10.875% प्रतिशत से अधिक रख रहा है।

(बी) भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने पूँजी पर्याप्तता का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाया है।

- **ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण**
- **बाज़ार जोखिम : मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण**
- **परिचालन जोखिम : आधारभूत सूचक दृष्टिकोण**

(सी) बैंक, व्यापार प्रक्षेपणों, नीतिगत दिशानिर्देशों, मैक्रो अर्थशास्त्र परिदृश्य तथा जोखिम प्रोफाइल के आधार पर अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए पूंजी का पूर्वानुमान लगाता है।

(डी) पिल्लर II के अधीन बैंक पूँजी का मूल्यांकन / योजना बनाते समय निम्नलिखित जोखिम को समझता है :

- तरलता जोखिम
- ऋण केन्द्रीकरण जोखिम
- बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम
- पेंशन बाध्यता जोखिम
- मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम का कम मूल्यांकन
- रणनीतिगत जोखिम
- साख जोखिम
- प्रतिपक्षी ऋण जोखिम
- देश विशेष जोखिम

(ई) बैंक अपनी लाभप्रदता तथा पूँजी पर्याप्तता पर आस्ति गुणता, तरलता, ब्याज दर, डेरीवेटिव तथा फॉरेक्स की तनावग्रस्त स्थिति या तनावग्रस्त परिस्थितियों में विभिन्न जोखिम क्षेत्रों का तनाव परीक्षण आवधिक तौर पर करता है।

व्यापक तनाव परीक्षण ढाँचा बनाकर रखा गया है। बैंक, भारिबैंक द्वारा निर्धारित स्थितियों के आधार पर तथा बैंक की विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर तनाव परीक्षण त्रैमासिक अवधि में करता हैं। तनाव परीक्षण के परिणाम को विभिन्न शीर्षस्थ स्तरीय समितियों को प्रस्तुत किया जाता है।

बैंक, तनाव परीक्षण के अंग के रूप में निम्नलिखित जोखिमों पर असर का मूल्यांकन करता है :

- ऋण जोखिम
- बाजार जोखिम
- ऋण केन्द्रीकरण जोखिम
- चूक जोखिम
- तरलता जोखिम
- बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

बैंक, तिमाही तौर पर तनाव परीक्षण का आयोजन करता है तथा उसके परिणाम बोर्ड की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) / जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) को प्रस्तुत किया जाता है।

Table DF - 2 : Capital Adequacy

Assessment of Capital Adequacy:

(a) Bank maintains capital to protect the interest of depositors, general creditors and stake holders against any unforeseen losses

As per the RBI guidelines, Banks have to maintain a Minimum Common Equity Tier 1 (CET 1) of 7.375% (including Capital Conservation Buffer of 1.875%) and minimum CRAR of 10.875%. Bank maintains Common Equity Tier 1 (CET 1) of more than 7.375% and CRAR of more than 10.875%.

(b) In line with RBI guidelines, Bank has adopted following risk management approaches for assessing the capital adequacy:

- **Credit Risk:** Standardised Approach
- **Market Risk:** Standardised Duration Approach
- **Operational Risk:** Basic Indicator Approach

(c) Bank projects capital for the next 3 financial years based on business projections ,policy guidelines, macro-economic scenarios, risk appetite etc.

(d) Under Pillar II, Bank considers the following risks while assessing / planning capital:

- Liquidity Risk
- Credit Concentration Risk
- Interest Rate Risk in Banking Book
- Pension Obligation Risk
- Under estimation of Credit risk under Standardized approach
- Strategic Risk
- Reputation Risk
- Counterparty Credit Risk
- Country Risk

(e) Bank also periodically undertakes stress testing in various risk areas to assess the impact of stressed scenario or plausible events on asset quality, liquidity, interest rate, derivatives and forex on its profitability and capital adequacy.

A comprehensive stress testing framework is put in place. Bank conducts stress test on quarterly basis based on scenarios prescribed by RBI as well as bank specific scenarios. The Stress test results are placed to various apex level committees.

The Bank assesses the impact of the following risks, as part of Stress Test:

- Credit Risk
- Market Risk
- Credit Concentration Risk
- Default Risk
- Liquidity Risk
- Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Bank is conducting the Stress Test on quarterly basis and the result of the same is placed to Credit Risk Management Committee (CRMC)/Risk Management Committee (RMC) of the Board.

मात्रात्मक प्रकटीकरण (बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार)

(ए) ऋण जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएं : (₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
मानकीकृत अभिगम के अद्यधीन संविभाग	134822.69	134875.53
प्रतिभूतिकरण ऋण	--	--

(बी) बाज़ार जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएं

मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
ब्याज दर जोखिम	9,576.94	9,576.94
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	63.00	63.00
ईक्विटी जोखिम	4,161.96	4,161.96
कुल	**13,801.90**	**13,801.90**

(सी) परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताए (₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
मूल संकेतक अभिगम	9339.33	9356.37

(डी) सामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटी1), टियर 1 तथा कुल पूंजी अनुपात बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार :

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
सामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटी 1)	11.00%	11.22%
टियर 1 पर्याप्तता अनुपात	11.33%	11.54%
कुल पूँजी पर्याप्तता अनुपात	12.55%	12.76%

संगठन की संरचना :

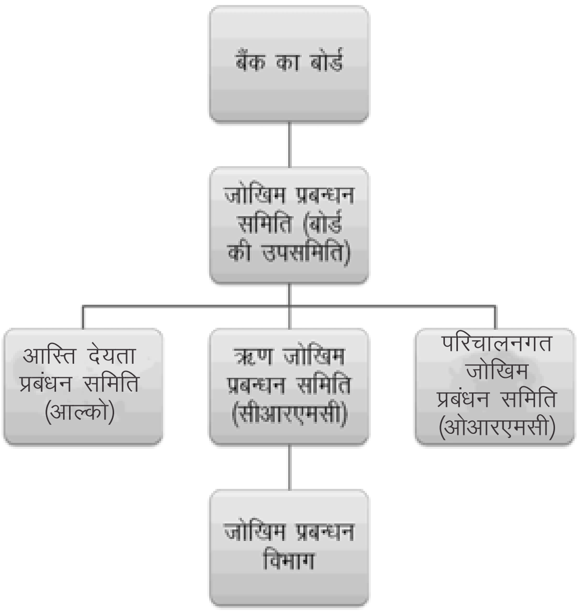

Quantitative disclosures (as per Basel III guidelines)

(a) Capital requirements for credit risk: (₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Portfolios subject to standardized approach	134822.69	134875.53
Securitization exposures	--	--

b) Capital requirements for market risk:

Standardized duration approach (₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Interest Rate Risk	9,576.94	9,576.94
Foreign Exchange Risk (including gold)	63.00	63.00
Equity Risk	4,161.96	4,161.96
Total	**13,801.90**	**13,801.90**

(c) Capital requirements for operational risk: (₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Basic Indicator Approach	9339.33	9356.37

(d)Common Equity Tier 1 (CET 1), Tier 1 and Total capital ratio (as per Basel III guidelines):

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Common Equity Tier 1 (CET 1),	11.00%	11.22%
Tier 1 Capital Adequacy Ratio	11.33%	11.54%
Total Capital Adequacy Ratio	12.55%	12.76%

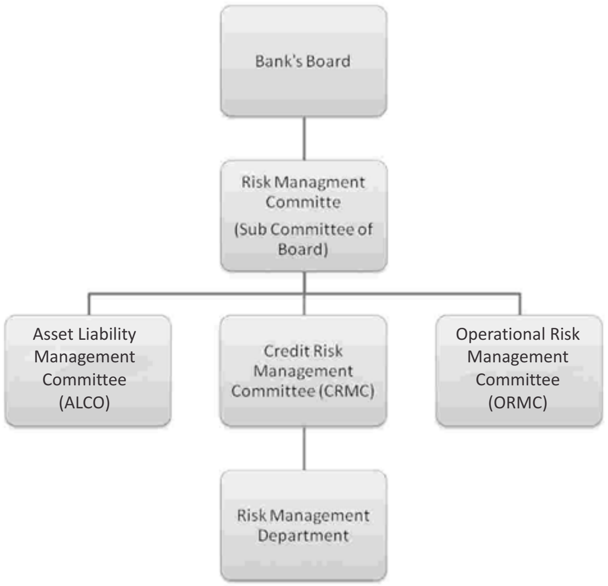

जोखिम प्रबंधन संरचनाः

बैंक का जोखिम प्रबंधन ढाँचा, विभिन्न जोखिमों को स्पष्ट रूप से समझने, अनुशासित जोखिम मूल्यांकन और प्रक्रियाएं और निरन्तर अनुप्रवर्तन पर आधारित है। समस्त उद्यम का प्रभावोत्पादक जोखिम प्रबंधन करने के लिए एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है, जो पूरे बैंक में जोखिम एक्सपोजरों के मूल्यांकन, अनुप्रवर्तन और रिपार्टिंग के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित तीन शीर्ष स्तरीय समितियों के जरिए बैंक की सभी जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है :

(i) ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)

(ii) आस्ति एवं देयता प्रबंधन समिति (आलको)

(iii) परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)

ये समितियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और समग्र दिशानिर्देशों के अंतर्गत काम करती हैं।

जोखिमों के प्रबन्धन के लिए बैंक ने विभिन्न नीतियाँ निर्धारित की हैं। उद्यम–स्तर जोखिम का विश्लेषण करने तथा सभी जोखिमों को एकीकृत करने की दृष्टि से, एक एकीकृत जोखिम प्रबन्धन नीति बनायी गयी है। महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता प्रबन्धन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, तनाव परीक्षण नीति, कोलाटेरल प्रबंधन नीति, प्रकटीकरण नीति, प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम प्रबंधन नीति और महत्वपूर्ण (सामरिक) जोखिम प्रबंधन नीति शामिल हैं।

जोखिम प्रबन्धन समिति (आरएमसी)/बोर्ड द्वारा सभी नीतियां वार्षिक आधार पर पुनरीक्षित की जाती हैं। जोखिम प्रबंधन संकल्पनाओं की जानकारी देने और क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को इनके प्रति जागरूकता बनाने के उद्देश्य से सभी संबंधित नीतियां शाखाओं के बीच में परिचालित की जाती है तथा इसके अलावा बैंक के प्रशिक्षण कॉलेजों में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ऋण जोखिमः

प्रारंभिक चरण पर ही जोखिमों को पहचानकर उनका विश्लेषण करने, विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित कर उन्हें अनुरक्षित करने तथा बदलते जोखिम माहौल का सामना करने के लिए अन्य सुधारात्मक कदम उठाने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है।

सीमा ढांचाः

ऋण जोखिम तथा संकीर्ण जोखिम की मात्रा को कम करने की दृष्टि से सीमा ढाँचा निम्नलिखित प्रकार के एक्सपोज़र के लिए रखा गया है :

- ➢ एकल और ग्रूप ऋणकर्ता एक्स्पोज़र
- ➢ संवेदनशील क्षेत्र एक्सपोज़र
- ➢ अप्रतिभूत एक्सपोज़र
- ➢ अंतर बैंक एक्सपोज़र
- ➢ देश–वार एक्सपोज़र
- ➢ आंतरिक रेटिंग–वार एक्सपोज़र
- ➢ भौगोलिक एक्सपोज़र
- ➢ मियादी ऋण एकसपोज़र
- ➢ उद्योग–वार एक्सपोजर
- ➢ अंतर बैंक एक्सपोज़र

इन एक्सपोज़र सीमाओं को नियमित तौर पर मानिटर किया जाता है और बोर्ड की विभिन्न शीर्षस्थ स्तरीय समितियों को प्रस्तुत किया जाता है।

रेटिंग मॉडलः ऋण अनुमोदनों एवं निर्णयों के समर्थन में और संविभाग प्रबंधन, मूल्य निर्धारण और जोखिम आधारित पूंजी मापन के लिए जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सभी ऋण प्रस्तावों पर तीव्र ऋण जोखिम रेटिंग/स्कोरिंग प्रक्रिया लागू की जाती है।

ऋण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश स्तर की स्कोरिंग प्रणाली के अलावा साफ़्टवेयर आधारित रेटिंग तंत्र (मेकानिज़्म) स्थापित किया गया है। रेटिंग मॉडल के परिणाम का प्रयोग, निर्णय करने, अर्थात् ऋण संविभाग में मंजूरी प्रदान करने, मूल्य निर्धारण और अनुप्रवर्तन में किया जाता है। रेटिंग मॉडल के खरेपन की जाँच के लिए बाहरी अभिकरण द्वारा इसे वैध कराया गया है।

स्कोरिंग मॉडलः बैंक ने प्रवेश स्तर का स्कोरिंग मॉडल विकसित किया है। वैयक्तिक ऋण उत्पादों के अंतर्गत आनेवाली सभी नई मंजूरियों पर प्रवेश स्तर का स्कोरिंग परिकलित किया जाता है।

उच्च मूल्य के खातों की आवधिक समीक्षा/लेखा परीक्षा के लिए ऋण पुनरीक्षण तंत्र एवं ऋण लेखा–परीक्षा प्रणाली निर्धारित की गई है जिससे बैंक में ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार लाए जा सके। इसके अलावा मानक आस्ति अनुप्रवर्तन समिति, विशेष उल्लेख खातों की समीक्षा करती है ताकि मानक आस्तियों का गैर–निष्पादक आस्ति के रूप में रिसन को रोका जा सके। अनुप्रवर्तन मेकानिज़्म के अंश के रूप में, जिन खातों का निवेश संवर्ग से कोटि कम कराया जाता है, उनकी पहचान कर, उनपर निकट निगरानी रखी जाती है।

खातों की रेटिंग का माइग्रेशन वार्षिक आधार पर किया जाता है। साथ ही बैंक के पोर्टफोलियों पर आधारित उद्यमों की भारित औसत रेटिंग, त्रैमासिक आधार पर की जाती है। अग्रिमों के रेटिंग वार संवितरण का विश्लेषण त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।

उत्तम जोखिम प्रबन्धन प्रथाओं को अपनाते हुए कॉर्पोरेट कार्यालय के स्तर पर आनेवाले ऋण प्रस्तावों (योजनाबद्ध ऋण प्रस्तावों को छोड़कर) को जोखिम ऋण प्रबन्धन विभाग द्वारा संवीक्षा की जाती है।

आस्ति देयता प्रबंधनः

आस्ति देयता प्रबंधन ढांचा, बैंक को अपने तुलनपत्र में तरलता जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम का माप, मानिटर और नियंत्रण करने में सुविधा प्रदान करता है। यह बैंक को आस्ति देयता प्रबंधन हेतु उपयुक्त रणनीतियाँ उपलब्ध कराने के लिए अनुमत करता है। आस्ति देयता प्रबंधन ढाँचे में निम्नलिखित प्रमुख घटक हैं।

- तरलता जोखिम प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम प्रबंधन
- तुलनपत्र तथा बेसल III तरलता अनुपात
- तनाव परीक्षण तथा स्थिति विश्लेषण
- आकस्मिकता निधि योजना

नीचे सूचीबद्ध दो मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एएलएम नीति निर्धारित की हैः–

अल्पावधि उद्देश्यः–

- बैंक के निवल ब्याज मार्जिन को अनुकूलतम बनाना
- पर्याप्त चलनिधि प्रदान करना
- पुनः मूल्य निर्धारण जोखिम का प्रबंधन करना

Risk Management Architecture:

The Bank's risk management framework is based on clear understanding of various risks, disciplined risk assessment and measurement procedures and continuous monitoring. An independent Risk Management Department is functioning for effective Enterprise-Wide Risk Management and responsible for assessment, monitoring and reporting of risk exposures across the bank. All the risks the Bank is exposed to, are managed through following three committees viz.,

(i) Credit Risk Management Committee (CRMC)

(ii) Asset and Liabilities Management Committee (ALCO)

(iii) Operational Risk Management Committee (ORMC).

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Board.

The Bank has put in place various policies to manage the risks. To analyze the enterprise-wide risk and with the objective of integrating all the risks of the Bank, an Integrated Risk Management policy has also been put in place. The important risk policies comprise of Credit Risk Management Policy, Asset Liability Management Policy, Market Risk Management Policy, Operational Risk Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Stress Testing Policy, Collateral Management Policy, Disclosure Policy, Reputational Risk Management Policy and Strategic Risk Management Policy.

All the policies are reviewed at a minimum on annual basis by Risk Management Committee (RMC)/ Board. In order to disseminate the risk management concepts and also to sensitize the field level functionaries, the relevant policies are circulated to the branches, in addition to imparting training at the Bank's training colleges.

Credit Risk:

Risk Management Systems are in place to identify and analyze the risks at the early stage and manage them by setting and monitoring prudential limits besides taking other corrective measures to face the changing risk environment.

Limit Framework:

In order to limit the magnitude of credit risk and concentration risk, a limit framework has been laid down for following type of exposures:

- Single and group borrower exposure
- sensitive sector exposure
- unsecured exposure
- interbank exposure
- country-wise exposure
- Internal rating wise exposure
- Geographical exposure
- Term loan exposure
- Industry - wise exposure
- Interbank exposure

These exposure limits are monitored on regular basis and placed to various apex level committees of the Board.

Rating Model: All credit proposals are subject to a rigorous credit risk rating/scoring process to support credit decision making as well as to enhance risk management capabilities for portfolio management, pricing and risk based capital measurement.

Software driven rating mechanism is in place to assign the rating to ensure credit quality besides an entry level scoring system. The output of the rating model is used in decision making i.e. sanction, pricing and monitoring of credit portfolio. In order to ensure the robustness of the rating model, the rating models have been subjected to validation by an external agency.

Scoring model: The Bank has developed entry level scoring models. All the fresh sanctions coming under personal loan products are subjected to entry level scoring

Loan review mechanism and Credit audit system are in place for the periodical review/audit of the large value accounts and bring about qualitative improvements in credit administration of the Bank. In addition, Standard Assets Monitoring Committee reviews the Special Mention Accounts periodically to initiate timely action to prevent slippage of standard assets to non performing assets. As a part of monitoring mechanism, accounts which are downgraded from investment category are identified and monitored closely.

Migration analysis of ratings is done on annual basis. Also weighted average rating of industry-wise portfolio of Bank is also carried out on quarterly basis. Analysis of rating wise distribution of advances is done on quarterly basis.

Adopting best risk management practices, credit proposals (except schematic loan proposals) coming under sanctioning powers of Corporate Office are scrutinised by the Risk Management Department.

Asset Liability Management:

Asset liability Management framework facilitates bank to measure, monitor and control liquidity risk and interest rate risk on its balance sheet. This helps in providing suitable strategies for asset liability management. The asset liability management framework consists of the following key components

- Liquidity risk management
- Interest rate risk management
- Balance sheet and Basel III liquidity ratios
- Stress Testing and scenario analysis
- Contingency funding plan

Bank has set in place ALM policy to achieve two primary objectives as listed below:

Short Term Objective:

- To optimize the Net Interest Margin (NIM) of the Bank
- To provide adequate liquidity
- To manage re-pricing risk

दीर्घावधि उद्देश्यः

- शेयरधारकों की संपत्ति बढ़ाना

आस्ति देयता प्रबंधन का कार्य आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आलको) संभालती है। यह बोर्ड के दिशानिर्देश तथा पर्यवेक्षण और/ या एएलएम तथा जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड की उप–समिति के अधीन कार्य करती है। यह ब्याज दर स्थिति, जमाओं और अग्रिमों दोनों के उत्पाद क्रय, वृद्धिशील आस्ति तथा देयताओं की परिपवक्ता प्रोफाइले, बैंक निधियों की माँग, बैंक के नकदी प्रवाह, लाभ योजना तथा संपूर्ण तुलनपत्र प्रबंधन की समीक्षा करने हेतु नियमित तौर पर बैठक का आयोजन करती है।

तरलता जोखिम दो दृष्टिकोण यथा फ्लो दृष्टिकोण तथा स्टॉक दृष्टिकोण के ज़रिए मापकर मानिटर किया जाता है। फ्लो दृष्टिकोण में नकद प्रवाह की विसंगतियों की संपूर्ण जाँच होती है तथा यह दैनंदिन आधार पर संरचित तरलता विवरणी की तैयारी से की जाती है। विभिन्न समय अंतरालों में विसंगतियों के लिए उपर्युक्त सहनशक्ति स्तर / प्रुडेंसियल सीमा का निर्धारण किया गया है। स्टॉक दृष्टिकोण के अधीन उपर्युक्त सीमाओं के साथ विभिन्न तुलनपत्र अनुपात निर्धारित किये गये हैं। निर्धारित सीमाओं के लिए अनुपातों का अनुपालन यह सुनिश्चित करता है कि बैंक अपनी तरलता का उचित विशाखन के ज़रिए प्रबंधन करता है तथा सुग्राहय सीमा के अधीन बनाये रखता है। बैंक अपनी लघु कालीन तरलता विसंगतियों का मूल्यांकन करता है तथा उसकी रिपोर्ट लघु कालीन गतिशील रिपोर्ट में प्रस्तुत करता है जिसमें विभिन्न आस्तियों के नकद प्रवाह तथा देयता उत्पन्न करनेवाली इकाइयों की प्रस्तुति की जाती है तथा 1–90 दिन की अवधि में बैंक की आस्ति तथा देयताओं के नकद प्रवाह के सामयिक अंतर को प्रस्तुत किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम को मुद्रावार मापने तथा मानिटर करने हेतु पारंपरिक गैप दृष्टिकोण तथा गौण दृष्टिकोण दोनों का प्रयोग किया जाता है। एनआईएम पर ब्याज दर परिवर्तन के अल्प–कालीन असर आकलन ''जोखिम पर अर्जन'' दृष्टिकोण के ज़रिए किया जाता है जिसमें प्रतिलाभ वक्र जोखिम, आधार जोखिम तथा एंबेडेड विकल्प जोखिम को ध्यान में लिया जाता है। ईक्विटी के बाज़ार मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के दीर्घ–कालीन असर आकलन अवधि गौण दृष्टिकोण के जरिए किया जाता है। आलको द्वारा मासिक ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी की संवीक्षा की जाती है तथा आरएमसी द्वारा त्रैमासिक ब्याज दर संवेदनशीलता की संवीक्षा की जाती है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित तथा आंतरक रूप से परिभाषित स्ट्रेस परिदृश्यों के अनुसार चलनिधि जोखिम और ब्याज दर जोखिम के लिए नियमित अंतरालों पर स्ट्रेस परीक्षण किया जाता है। आंतरिक चलनिधि स्ट्रेस परीक्षण से प्राप्त परिणामों का प्रयोग आकस्मिकता आयोजन निधि योजना का सृजन, विभिन्न चलनिधि स्ट्रेस परिदृश्यों में करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त के अलावा बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी हाल ही के दिशानिर्देशों के अनुसार चलनिधि कवरेज अनुपात का परिकलन कर रहा है तथा अल्पावधि चलनिधि के प्रबंधन के लिए उसका जोखिम मापक औजार के रूप में प्रयोग कर रहा है। मासिक आधार पर आलको द्वारा एलसीआर विवरण की पुनरीक्षा की जाती है तथा आरएमसी द्वारा त्रैमासिक ब्याज दर संवेदनशीलता की संवीक्षा की जाती है ।

बाजार जोखिम प्रबंधनः–

बाजार में परिवर्ती तथ्यों में हुए परिवर्तन के कारण हानि की संभाव्यता, बाजार जोखिम होता है। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की परिभाषा के अनुसार ''बाजार जोखिम वह जोखिम है जहाँ ईक्विटी और ब्याज दरों पर बाजार, मुद्रा विनिमय दरें और पण्य के मूल्य में उतार–चढ़ाव से ''ऑन'' या ''ऑफ'' तुलन पत्र स्थिति के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ''अतः बाजार जोखिम, बैंक की कमाई और पूंजी को होनेवाला जोखिम है जोकि ब्याज दरों के बाजार स्तर या प्रतिभूतियों, विदेशी विनिमय और ईक्विटी की कीमत में परिवर्तन तथा ऐसे परिवर्तनों में अस्थिरता से हो सकता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य, व्यापारिक इकाइयों को बाजार जोखिम एक्सपोज़र, जोखिम एक्सपोजर की तुलना में संविभाग निष्पादन और तुलनीय न्यूनतम मानदंडों के संबंध में विश्लेषिकी से चालित निविष्टियां प्रदान करते हुए जोखिम–समायोजित प्रतिफल की दरों को अधिक से अधिक बनाने में सहायता देना होता है। बाजार जाखिम के अन्तर्गत निम्नलिखित जोखिमों का प्रबंधन किया जाता हैः–

- ब्याज दर जोखिम
- विनिमय दर जोखिम
- ईक्विटी कीमत जोखिम

बाज़ार जोखिम, पण की कीमत तथा उतार–चढ़ाव में होनेवाले परिवर्तनों के कारण हो सकती है। तथापि, बैंक को पण्य संबंधित बाज़ार में कोई एक्सपोज़र नहीं है।

बैंक का बाजार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम) ढांचा निम्नानुसार हैः–

ए) **जोखिम की पहचान** : यह नीति बाजार जोखिम का पता लगाने, मूल्यांकित करने और व्यवस्थित करने के लिए एक तंत्र रचित करने पर केन्द्रित है ताकि जोखिम के विभिन्न आयामों की पहचान और व्यापार के प्रत्येक कार्यकलाप की मान्यता को स्पष्ट किया जा सके।

बी) **जोखिम मापन और परिसीमाएं** : बैंक इस बात को स्पष्टतया मानता है कि बाजार जोखिम के सभी पहलुओं को कोई एक जोखिम – सांख्यिकी प्रतिबिंबित नहीं कर सकती। अतः बाजार जोखिम में जोखिम मापन की सुदृढता को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय एवं गैर–सांख्यिकीय जोखिम उपायों का प्रयोग किया जाता है । क्योंकि इनका अवलोकन एक साथ करने पर जोखिम के ये कदम, किसी एकल कदम की तुलना में बाजार जोखिम एक्सपोजर की सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। बाजार जोखिम का प्रबंधन, विभिन्न मापने के साधनों, यथा, जोखिम पर रहे मूल्य (वीएआर), जोखिम पर रहे अर्जन (ईएआर), आशोधित अवधि (एमडी), पीवी 01 सीमाएं, निवल ओवरनाइट खुली स्थिति सीमाएं (एनओओपीएल), वैयक्तिक गैप सीमा (आईजीएल) तथा संकलित गैप सीमा (एजीएल) के जरिए मुद्रा–वार और सूक्ष्मग्रहिता विश्लेषण के जरिये भी किया जाता है। अतितीव्र, परन्तु मुमकिन आघातों की परिस्थितियों में बैंक की असुरक्षा की स्थिति को मानिटर करने के लिए नियमित आधार पर तनाव परीक्षण भी किया जाता है।

सी) **जोखिम मानिटरिंग** : ट्रेडिंग बही के लिए विभिन्न आंतरिक और विनियामक जोखिम सीमाओं के प्रयोग से, जोकि आर्थिक परिदृश्य, व्यापार रणनीति, प्रबंधन का अनुभव और बैंक की जोखिम ग्राहयता पर आधारित हैं, बैंक अपने जोखिम को मानिटर एवं नियंत्रित करता है। लेनदेनों का निष्पादन मौजूदा दरों पर किया जाना सुनिश्चित करने के लिए रेट स्कैन किया जाता है ।

डी) **जोखिम रिपोर्टिंग** : मिड–ऑफिस द्वारा दैनंदिन तौर पर ट्रेशरी परिचालनों को मानीटर किया जाता है। मुख्य जोखिम अधिकारी को दैनंदिन रिपोर्ट और आल्को को मासिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तनाव परीक्षण नीति में निर्धारित धारणाओं का अनुपालन करते हुए बाजार जोखिम के निर्धारण के लिए तनाव परीक्षण किया जाता है और तिमाही आधार पर आलको को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

Long Term Objective:

- To maximize the shareholder's wealth

Asset Liability Management is the function of Asset Liability Management Committee (ALCO). It operates under the guidance and supervision of the Board and/or Sub-Committee of Board on Risk Management. It meets at regular intervals to review the interest rate scenario, product pricing for both deposits and advances, maturity profile of the incremental assets and liabilities, demand for Bank funds, cash flows of the Bank, profit planning and overall Balance Sheet Management.

Liquidity risk is measured and monitored through two approaches-Flow approach and Stock approach. Flow approach involves comprehensive tracking of cash flow mismatches and is done through preparation of Structural liquidity statement on a daily basis. Appropriate tolerance levels/prudential limits have been stipulated for mismatches in different time buckets. Under Stock Approach various balance sheet ratios are prescribed with appropriate limits. The compliance of ratios to the prescribed limits ensures that the Bank has managed its liquidity through appropriate diversification and kept it within the sustainable limit. The Bank also assesses its short-term liquidity mismatches and reports the same in the short term dynamic liquidity report which represents the cash flow plans of various asset and liability generating units and seasonal variation of cash flow patterns of assets and liabilities of the bank over a period of 1-90 days.

For measurement and monitoring of Interest rate risk, currency wise, both Traditional gap approach and Duration gap approaches are followed. The short-term impact of interest rate movements on NIM is worked out through “Earnings at Risk” approach taking into consideration Yield curve risk, Basis risk and Embedded Options Risk. The long-term impact of interest rate movements on Market Value of Equity is also worked out through Duration Gap approach. The monthly interest rate sensitivity statement is reviewed by ALCO and Quarterly interest rate sensitivity is reviewed by RMC.

Stress testing of liquidity risk and interest rate risk is conducted on regular interval as per the RBI defined and internally defined stress scenarios. The results from internal Liquidity stress testing are used to draw contingency funding plan under different liquidity stress scenarios.

In addition to the above, bank is computing Liquidity Coverage Ratio (LCR) as per latest guidelines issued by RBI and is using it as a risk measurement tool to manage short term liquidity. On a monthly basis LCR statement is reviewed by ALCO and Quarterly interest rate sensitivity is reviewed by RMC.

Market Risk Management:

Market risk is the possibility of loss caused by changes in the market variables. The Bank for International Settlements (BIS) defines market risk as “the risk that the value of 'on' or 'off' balance sheet positions will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, currency exchange rates and commodity prices”. Thus, Market Risk is the risk to the bank's earnings and capital due to changes in the market level of interest rates or prices of securities, foreign exchange and equities, as well as the volatilities of those changes. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks. Following risks are managed under Market Risk.

- Interest Rate Risk
- Exchange Rate Risk
- Equity Price Risk

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, Bank does not have any exposure to commodity related markets.

Market Risk Management (MRM) Framework of the bank is as follows:

a) **Risk Identification:** The Policy is focused on setting a framework for identifying, assessing and managing market risk in order to provide clarity on various dimensions of risk identification and recognition to each of the business functions.

b) **Risk Measurement and Limits:** Bank recognizes that no single risk statistic can reflect all aspects of market risk. Therefore various statistical and non-statistical risk measures are used to enhance the stability of risk measurement of market risk. Together, these risk measures provide a more comprehensive view of market risk exposure than any single measure. Market risk is managed with various metrics viz. Value at Risk (VaR), Earnings at Risk, Modified duration, PV01 Limits, Net Overnight Open Position Limits (NOOPL), Individual Gap Limit (IGL) and Aggregate Gap Limit (AGL) currency wise and also through sensitivity analysis. Stress testing is also conducted on a regular basis to monitor the vulnerability of the bank to extreme but plausible unfavourable shocks.

c) **Risk Monitoring:** Bank monitors and controls its risk, using various internal and regulatory risk limits for trading book which are set based on economic scenario, business strategy, management experience and Bank's risk appetite. Rate scan is carried out to ensure that transactions are carried out at prevailing market rates.

d) **Risk Reporting:** Mid Office monitors treasury operations on day to day basis. A daily report is placed to Chief Risk Officer and on monthly basis to ALCO. Stress testing is done for assessing market risk as per framework prescribed in Stress Test Policy and reported to ALCO on Quarterly basis.

बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, एकीकृत ट्रेजरी प्रबंधन नीति, तनाव परीक्षण और व्युत्पन्न नीति द्वारा बाजार जोखिम प्रबंधन अनुशासित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार जोखिम से युक्त विभिन्न कार्यकलापों में फैला हुआ जोखिम, बैंक की जोखिम ग्राहयता के अन्दर ही है। उद्योग में व्याप्त उत्तम व्यवहार और भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमनों से सारी नीतियां बेंचमार्क की गई हैं। बैंक के जोखिम रिपोर्टिंग तंत्र में प्रकटीकरण और विभिन्न प्रबंधन समितियों को रिपोर्ट करना शामिल है।

परिचालनगत जोखिमः—

उद्योग के प्रतिभागियों, विनियामकों और अन्य स्टेकधारकों के बीच परिचालनगत जाखिम ही तीव्र अभिरुचि का केन्द्र है। प्रभावोत्पादक अभिशासन, जोखिम कैप्चर और मूल्यांकन और परिचालनगत जोखिम के मात्रात्मक निर्धारण को सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढाँचा (ओआरएमएफ) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तंत्र (ओआरएमएस) बनाया है। दैनंदिन की प्रबन्धन प्रक्रियाओं में उपयुक्त गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रणालियों और विभिन्न जोखिम शमन नीतियों तथा सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण तंत्रों का प्रयोग करते हुए और विभिन्न जोखिम शमन नीतियों को अपनाते हुए परिचालनगत जोखिम का प्रबंधन सुगम रूप से किया जाता है। विभिन्न उत्पादों/प्रक्रियाओं में जोखिम बोध का समीक्षात्मक विश्लेषण किया जाता है और यथावश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

बैंक ने अपने परिचालनगत जोखिम को कैप्चर करने, मापने, मानीटर करने और व्यवस्थित करने के लिए वेब—आधारित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की है।

परिचालनगत जोखिम को क्रेडिट स्पर्ट के विश्लेषण और परिचालनगत हानि की बारंबारता एवं गंभीरता के विश्लेषण के जरिए भी मानिटर किया जाता है ।

सारणी डीएफ — 3

ऋण जोखिम : सभी बैंकों हेतु सामान्य प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण :

(ए) ऋण जोखिम प्रबंधन :

ऋण जोखिम को यों परिभाषित किया गया है कि ऋणकर्ताओं या प्रतिपक्षकारों की ऋण गुणता में कमी के कारण होनेवाली हानि की संभाव्यता।

संरचना :

विभिन्न दिशानिर्देशों तथा प्रमुख उद्योग प्रथाओं के अनुपालन में, बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित अधिशान संरचना बनाई है ताकि पर्याप्त निरीक्षण, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग हो सके। ढाँचा, निदेशकों के मंडल की जिम्मेदारी को स्थापित करती है।

बैंक ने जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारिबैंक के दिशानिर्देश नोट के अनुसार बोर्ड स्तरीय उप—समिति की स्थापना की है जिसे ''जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)'' कहा जाता है।

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) :

आरएमसी, बैंक द्वारा सामने की जानेवाली संपूर्ण जोखिम का मूल्यांकन करती है तथा यह प्रभावी प्रणाली की स्थापना के लिए जिम्मेवार है जिससे जोखिम को पहचानने, मापने तथा नियंत्रित करने में सहायता मिल सके और इसके द्वारा नीतियों के निपटारा रणनीति, जोखिम लेने की क्षमता तथा ऋण मानदंडों को बोर्ड के अनुमोदन के लिए संस्तुत किये जा सके।

बोर्ड ने ऋण जोखिम के संबंध में जिम्मेदारी लेने के लिए आरएमसी को अधिकार प्रत्यायोजित किया है।

समिति, ऋण जोखिम प्रबंधन का पर्यवेक्षण करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि बैंक द्वारा सामने की जानेवाली प्रमुख ऋण जोखिम को उचित रूप से पहचाना जाता है तथा उसका उचित रूप से प्रबंधन हो। समिति, संपूर्ण जोखिम लेने की क्षमता तथा ऋण जोखिम प्रबंधन रण्नीति को अनुमोदन करती है । समिति, जोखिम प्रबंधन नीतियों, भारिबैंक द्वारा निर्धारित जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों से संबंधित बैंक के अनुपालन की समीक्षा करती है।

जोखिम समिति, ऋण जोखिम प्रोफाइल तथा अन्य कोई प्रमुख विकास यथा आंतरिक तथा बाहय और संविभाग तथा बैंक पर समग्रद रूप उनके असर की समीक्षा करती है।

ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)

सीआरएमसी, ऋण नीति तथा प्रक्रियाओं के संबंध में मुद्दों तथा ऋण जोखिम को बैंक के समग्र रूप से लेकर विश्लेषण, प्रबंधन तथा नियंत्रण करती है।

ऋण समीक्षा प्रबंधन समिति (एलआरएमसी)

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के रूप में, कॉर्पोरेट कार्यालय में ऋण समीक्षा प्रबंधन समिति (एलआरएमसी) का गठन किया गया है ताकि कॉ.का: की विभिन्न समितियों तथा अंचल ऋण समितियों द्वारा मंजूर किये गये ऋण खातों की समीक्षा की जा सकें।

अतिदेय तथा क्षतिग्रस्त (लेखांकन प्रयोग हेतु)

बैंक ने आय पहचान तथा आस्ति वर्गीकरण मानदंडों हेतु आरबीआई द्वारा परिभाषित किये अनुसार अतिदेय तथा क्षतिग्रस्त के लिए परिभाषाओं को अपनाया है।

बैंक की ऋण आस्तियों को वर्गीकृत करने के लिए बैंक की नीति निम्नप्रकार है :

गैर—निष्पादित आस्ति (एनपीए) : गैर—निष्पादित आस्ति (एनपीए), एक ऋण या अग्रिम है जहाँ

- मूलधन और /या ब्याज किस्त 90 दिन से अधिक समय तक बकाया रहता है,
- जब खाता ''ओवर ड्राफ़्ट / नकद ऋण (ओडी / सीसी) के संबंध में ''नियमित नहीं है''
- जब बिल, क्रय किये गये बिल तथा भुनाये गये बिल के मामले में 90 दिन से अधिक समय के लिए अतिदेय है
- मूलधन या ब्याज की किस्त अल्प अवधि फसलों के लिए दो फसल मौसम के लिए अतिदेय रहती है
- मूलधन या ब्याज की किस्त दीर्घकालिन फसलों के लिए एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहता है

एक ओडी / सीसी खाते को **''अनियमित''** माना जाता है जब अतिदेय राशि मंजूरीकृत सीमा / आहरित सीमा से 90 दिन से अधिक समय के लिए लगातार अधिक रहती है। जब मूल परिचालन खाते में अतिदेय राशि मंजूरीकृत सीमा / आहरित सीमा से कम है, परंतु तुलन पत्र के दिन पर 90 दिनों के लिए लगातार कोई जमा नहीं है या उसी अवधि में नामे डाले गये ब्याज को कवर करने के लिए जमा पर्याप्त नहीं है तो इन खातों को **''अनियमित''** माने जाएँगे।

Market risk management is governed by comprehensive board approved Market Risk Management Policy, Integrated Treasury Management Policy, Stress Testing and Derivative Policy to ensure that the risks spread across different activities carrying an underlying market risk are within the stipulated risk appetite of the bank. All the policies are benchmarked with industry-best practices and RBI regulations. The risk reporting mechanism in the Bank comprises disclosures and reporting to the various management committees.

Operational Risk:

Operational risk is now on the focus of intense interest among industry participants, regulators and other stake holders. The bank has put in place Operational Risk Management Frame work (ORMF) and Operational Risk Management systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture and assessment and quantification of operational risk. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative & quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products / processes are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.

Bank has implemented a web-based Operational Risk Management System to capture, measure, monitor and manage its operational risk.

Operational risk is also monitored through analysis of credit spurt and analysis of frequency and severity of operational losses.

Table DF-3

Credit Risk: General disclosures for all banks

Qualitative Disclosures:

(a) Credit Risk Management:

Credit risk is defined as the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties.

Architecture:

In adherence with various guidelines and leading industry practices, the Bank has set up a robust governance structure for the management of credit risk, ensuring an adequate oversight, monitoring and reporting. The framework establishes the responsibilities of the board of directors.

The Bank has established a Board level sub-committee known as 'Risk Management Committee (RMC)' constituted in terms of RBI guidance note on Risk Management system.

Risk Management Committee (RMC):

The RMC evaluates overall risks faced by the Bank and is responsible for the establishment of an effective system to identify measure, monitor and control risk and recommend to the Board for its approval, clear policies, strategy, risk appetite and credit standards.

The Board has delegated authority to the RMC for credit risk related responsibilities.

The committee oversees credit risk management and ensures that the principal credit risks facing the Bank have been properly identified and are being appropriately managed. The committee approves and periodically reviews the overall risk appetite and credit risk management strategy. The committee reviews the risk management policies, the Bank's compliance with risk management guidelines stipulated by the RBI.

The risk committee also reviews credit risk profile and any major development, internal and external, and their impact on portfolio and as a whole on the bank

Credit Risk Management Committee (CRMC):

CRMC deals with the issues relating to credit policy and procedures, and analyzes, manages and controls credit risk on a bank wide basis.

Loan Review Management Committee: (LRMC):

As a part of Credit risk management process, Loan Review Management Committee (LRMC), at Corporate Office, has been constituted to undertake review of borrowal accounts sanctioned by various Committees at CO and Zonal Credit Committee.

Definitions of past due and impaired (for accounting purpose)

Bank has adopted the definitions of the past due and impaired (for accounting purposes) as defined by RBI for Income Recognition and Asset Classification norms.

The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

Non Performing Asset (NPA): A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where:

- Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC)
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops

An OD/CC account is treated as **'out of order'** if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for more than 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as **'out of order'**.

बैंक की गैर–निष्पादित आस्तियों को आगे तीन वर्गों में वर्गीकृत की गई है :

➢ **अवमानक आस्तियाँ :**

अवमानक आस्ति यह है जोकि 12 महीने की समान अवधि या उससे कम अवधि के लिए एनपीए के रूप में रहा हो।

➢ **संदिग्ध आस्तियाँ**

आस्ति को संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब आस्ति 12 महीनों के लिए अवमनाक वर्ग में रहती है।

➢ **हानिकारक आस्ति**

हानिकार आस्ति वह है जब बैंक द्वारा या आंतरिक या बाह्य लेखाकारों या भारिबैंक के निरीक्षण के समय पर हानि को पहचाना जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति :

बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन नीति बनायी है और इसे सभी शाखाओं को परिचालित की गई है। नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिचालन प्रबंधन की प्रत्याशा के अनुरूप हैं तथा उच्च प्रबंधन की रणनीतियों को परिचालन स्तर पर सार्थक निदेशों के रूप में पहुँचाया गया है। यह नीति बृहत ऋण एक्स्पोज़र, ऋण संपार्श्विक हेतु मानक, फोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण समीक्षा तंत्र, जोखिम सकेंद्रीकरण, जोखिम निगरानी तथा मूल्यांकन, प्रावधानीकरण तथा विनियामक / विधिक अनुपालन पर विवेकी सीमाओं को निर्धारित करती है।

बैंक उन जोखिमों की पहचान करता है जो उनको प्रभावित करते हैं तथा इन जोखिमों के माप, निगरानी तथा नियंत्रण के लिए उचित तकनीकी का प्रयोग करता है।

जबकि बोर्ड / बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति नीति तैयार करती है तथा विभिन्न ऋण जोखिमों को निर्धारित करती है, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति बोर्ड / आरएमसी द्वारा अनुमोदित इन नीतियों एवं रणनीतियों को कार्यान्वित करती है, समिति ऋण जोखिम की निगरानी को बैंक व्यापक आधार पर करता है तथा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

बैंक (क) एकल तथा सामूहिक उधारकर्ताओं हेतु एक्सपोज़र सीमा निर्धारण (ख) ग्रेड सीमा रेटिंग (ग) उद्योगवार एक्सपोज़र सीमा तथा (घ) पूरे अंचलों में ऋणों के भौगोलिक संवितरण के विश्लेषण द्वारा जोखिम संकेद्रीकरण का अध्ययन करता है। सभी अंचलों को चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है, यथा उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम।

बैंक में सभी शाखाओं/अंचल कार्यालयों के लिए बैंक किसी भी उधारकर्ता से संबंधित ऋण जोखिम का माप करने के लिए उधार खाते की रेटिंग को एक महत्वपूर्ण उपकरण मानता है और तदनुसार साफ्टवेयर चालित रेटिंग/स्कोरिंग मॉडल कार्यान्वित किए गए है।

(बी) कुल सकल ऋण जोखिम (समेकित) अलग अलग से निधि आधारित एवं गैर–निधि आधारित पृथकत : (₹ मिलियन में)

विवरण	**एकल (सार्वभौमिक)**	**समेकित**
सकल ऋण जोखिम एक्स्पोश्र		
निधि आधारित		
ऋण एवं अग्रिम	1627255.81	1627255.85
निवेश	382129.73	382155.54
अन्य आस्तियां	247491.27	247920.08
कुल निधि आधारित	**2256876.81**	**2257331.46**
गैर निधि आधारित जिस में आकस्मिक क्रेडिट, संविदाएं तथा व्युत्पन्न शामिल हैं*	781499.56	781748.51
कुल ऋण जोखिम एक्स्पोशर	**3038376.36**	**3039079.97**

*इसमें व्युत्पन्न एक्स्पोशर की अनुमानित मूल राशि, गैर लाभित निधि सीमा, एलसी, स्वीकृतियां, गारंटी शामिल है।

(सी) एक्सपोशर का भौगोलिक वितरण, निधि आधारित एवं गैर–निधि आधारित अलग अलग से: (₹ मिलियन में)

भौगोलिक क्षेत्र	**निधि आधारित**	**आकस्मिक ऋण, संविदाएं तथा व्युत्पन्न सहित गैर–निधि आधारित**	**कुल**
ओवरसीज़	75584.37	28346.04	103930.40
देशी	2181292.44	753153.52	2934445.96
कुल	**2256876.81**	**781499.56**	**3038376.36**

Non Performing Assets of the Bank is further classified in to three categories as under:

➢ **Sub standard Assets**

A sub standard asset is one which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months.

➢ **Doubtful Assets**

An asset would be classified as doubtful if it has remained in the sub standard category for 12 months.

➢ **Loss Assets**

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or by internal or external auditors or the RBI inspection.

Credit Risk Management Policy: The Bank has put in place the Credit Risk Management Policy and the same has been circulated to all the branches. The main objective of the policy is to ensure that the operations are in line with the expectation of the management and the strategies of the top management are translated into meaningful directions to the operational level. The Policy stipulates prudential limits on large credit exposures, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, provisioning and regulatory / legal compliance.

The Bank identifies the risks to which it is exposed and applies suitable techniques to measure, monitor and control these risks.

While the Board / Risk Management Committee of the Board devises the policy and fixes various credit risk exposures, Credit Risk Management Committee implements these policies and strategies approved by the Board / RMC, monitors credit risks on a bank wide basis and ensures compliance of risk limits.

The Bank studies the concentration risk by (a) fixing exposure limits for single and group borrowers (b) rating grade limits (c) industry wise exposure limits and (d) analyzing the geographical distribution of credit across the Zones. All the Zones are categorized under four segments namely North, South, East and West.

Bank considers rating of a borrowal account as an important tool to measure the credit risk associated with any borrower and accordingly implemented rating software .

(b) Total gross credit risk exposures, Fund Based and Non-fund based separately. (₹ in Million)

Particulars	**Solo (Global)**	**Consolidated**
Gross Credit Risk Exposures		
Fund Based		
Loans and Advances	1627255.81	1627255.85
Investments	382129.73	382155.54
Other Assets	247491.27	247920.08
Total Fund Based	**2256876.81**	**2257331.46**
Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives*	781499.56	781748.51
Total Credit Risk Exposure	**3038376.36**	**3039079.97**

*includes ·notional principles of derivatives exposures, fund based unavailed limits, LC, acceptances Guarantees.

(c) Geographic distribution of credit risk exposures Fund based and Non-fund based (solo) separately (₹ in Million)

Geographical Region	**Fund Based**	**Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives**	**Total**
Overseas	75584.37	28346.04	103930.40
Domestic	2181292.44	753153.52	2934445.96
Total	**2256876.81**	**781499.56**	**3038376.36**

(डी) 31.03.2018 तक एक्स्पोशर का उद्योगवार वितरण (एकल – सार्वभौमिक)

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	उद्योग का नाम	बकाया		प्रतिबद्ध एक्स्पोशर
		निधि आधारित	गैर निधि आधारित	
1	रत्न और जेवर सहित	979.97	102.35	1488.99
2	**आधारिक संरचना**			
2.1	बिजली	102678.02	12208.85	139935.51
2.2	पोर्ट / सडक	42518.17	2750.31	62686.18
2.3	दूरसंचार	1485.19	34175.41	38655.63
2.4	अन्य आधारिक संरचना	67449.16	2241.50	104277.44
2.5	शैक्षिक संस्था	27470.09	1080.96	39692.22
2.6	अस्पताल	5686.84	230.66	9143.40
2.7	होटल	7567.42	240.31	8165.18
3	पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद	28785.79	42333.26	90205.26
4	वस्त्र	48927.89	2493.60	65329.16
5	लोहा एवं इस्पात	48436.68	5421.26	59454.81
6	**इंजीनियरिंग**			
6.1	अन्य इंजीनियरिंग	20537.18	21117.76	57289.58
6.2	इलेक्ट्रानिक एवं साफ़्टवेयर	8700.01	1641.55	12531.62
7	**रसायन एवं रसायन उत्पाद**			
7.1	उर्वरक	366.39	1991.00	3176.29
7.2	पेट्रोरसायन	43.83	22.62	134.93
7.3	औषधि एवं औषधीय	3868.91	331.05	5945.60
7.4	अन्य (रसायन एवं रसायन उत्पाद)	7198.32	1716.37	11256.06
8	**खाद्य संसाधन**			
8.1	चीनी	6559.51	972.43	8839.58
8.2	खाद्य तेल एवं वनस्पति	1292.23	2065.36	4230.00
8.3	चाय / काफी	1199.00	0.00	1564.14
8.4	अन्य खाद्य संसाधन	28562.52	3457.20	42997.74
9	खनन और उत्खनन	2376.33	244.63	3482.94
10	सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	11091.65	2320.05	15834.06
11	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	1149.90	254.88	1693.19
12	कंस्ट्रक्शन कान्ट्राक्टर्स	19067.06	34655.04	74138.93
13	रबड, प्लोस्टिक्स एवं अन्य उत्पाद	12055.00	2079.85	22232.93
14	आटोमोबइल	7708.44	696.18	9795.00
15	पेय एवं तम्बाकू	2043.29	666.70	5064.95
16	लकडी एवं लकडी उत्पाद	2617.18	401.58	3546.96
17	कागज एवं कागज उत्पाद	6652.41	205.55	8157.51
18	ग्लैस एवं गलैसवेयर	3730.67	2384.73	7325.00
19	अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	10210.96	314.90	11519.32
20	मुद्रण एवं प्रकाशन	3284.41	171.96	4171.92
21	विमानन	5358.37	0.00	5378.21
22	मीडिया एवं मनोरंजन	2959.99	4192.53	7558.31
23	लाजिस्टीक्स	3690.79	1776.43	7304.52
24	जहाज निर्माण	1631.06	3117.48	8610.55
25	एनबीएफसी (एमएफआई / एचएफसी सहित)	160066.40	2026.65	212590.81
26	अन्य उद्योग	70645.78	4406.03	89404.49
27	पूंजी बाज़ार एक्स्पोजर (सीएमई)	101.84	3608.68	9452.85
28	कमरशियल रियल एस्टेट (सीआरई)	49758.71	1430.33	60541.28

(d) Industry-wise distribution of exposures (Solo) as on 31-03-2018

(₹ in Million)

S.No.	Name of the industry	Outstanding		Committed Exposure
		Fund Based	Non Fund Based	
1	Gems and Jewellery including Diamond	979.97	102.35	1488.99
2	**Infrastructure**			
2.1	Power	102678.02	12208.85	139935.51
2.2	Ports / Roads	42518.17	2750.31	62686.18
2.3	Telecommunication	1485.19	34175.41	38655.63
2.4	Other infrastructure	67449.16	2241.50	104277.44
2.5	Educational institution	27470.09	1080.96	39692.22
2.6	Hospital	5686.84	230.66	9143.40
2.7	Hotels	7567.42	240.31	8165.18
3	Petroleum and petroleum products	28785.79	42333.26	90205.26
4	Textiles	48927.89	2493.60	65329.16
5	Iron & Steel	48436.68	5421.26	59454.81
6	**Engineering**			
6.1	Other Engineering	20537.18	21117.76	57289.58
6.2	Electronics and Software	8700.01	1641.55	12531.62
7	**Chemical & Chemical Products**			
7.1	Fertilizers	366.39	1991.00	3176.29
7.2	Petrochemicals	43.83	22.62	134.93
7.3	Drugs & Pharmaceuticals	3868.91	331.05	5945.60
7.4	Others (Chemicals & Chemical Products)	7198.32	1716.37	11256.06
8	**Food Processing**			
8.1	Sugar	6559.51	972.43	8839.58
8.2	Edible Oil & Vasanpati	1292.23	2065.36	4230.00
8.3	Tea/Coffee	1199.00	0.00	1564.14
8.4	Others (Food Processing)	28562.52	3457.20	42997.74
9	Mining and Quarying	2376.33	244.63	3482.94
10	Cement and Cement Products	11091.65	2320.05	15834.06
11	Leather and Leather Products	1149.90	254.88	1693.19
12	Construction Contractors	19067.06	34655.04	74138.93
13	Rubber, Plastics and their Products	12055.00	2079.85	22232.93
14	Automobiles	7708.44	696.18	9795.00
15	Beverages and Tobacco	2043.29	666.70	5064.95
16	Wood and Wood Products	2617.18	401.58	3546.96
17	Paper and Paper Products	6652.41	205.55	8157.51
18	Glass and Glassware	3730.67	2384.73	7325.00
19	Other Metal and Metal Products	10210.96	314.90	11519.32
20	Printing and Publishing	3284.41	171.96	4171.92
21	Aviation	5358.37	0.00	5378.21
22	Media and Entertainment	2959.99	4192.53	7558.31
23	Logistics	3690.79	1776.43	7304.52
24	Shipping	1631.06	3117.48	8610.55
25	NBFC (Including MFI/HFC)	160066.40	2026.65	212590.81
26	Other Industries	70645.78	4406.03	89404.49
27	Capital Market Exposure (CME)	101.84	3608.68	9452.85
28	Commercial Real Estate (CRE)	49758.71	1430.33	60541.28

31 मार्च 2018 को निम्नलिखित उद्योगों में बैंक का एक्स्पोशर के कुल सकल ऋण एक्सपोशर के 5 प्रतिशत से अधिक था।

क्र.सं	उद्योग का वर्गीकरण	कुल सकल ऋण एक्स्पोजर का प्रतिशत
1	एनबीएफसी	7.00%

(ई) अग्रिमों एवं निवेशों के अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता के अलग अलग आंकडे (₹ मिलियन में)

विवरण	अग्रिम	निवेश*
1 दिन	16402.73	89073.50
2-7 दिन	21773.59	12957.40
8-14 दिन	77472.68	20794.70
15 to 30 दिन	62917.82	17413.20
31 दिन - 2 माह	100505.40	16098.30
2 माह से अधिक 3 माह तक	86962.31	16210.20
3 माह से अधिक 6 माह तक	128753.28	34978.00
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	252326.49	95204.80
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	449224.36	126286.90
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	176662.03	41978.80
5 वर्ष से अधिक	192688.59	240581.80
कुल	1565689.28	711577.60

*इसमें ₹ 2400.10 मिलियन का सूचित इंक्टीयों का 50% प्रतिशत शामिल नहीं है

(₹ मिलियन में)

(एफ)	एनपीए की राशि (सकल) – (एकल सार्वभौमिक)	**119901.40**
	➢ अवमानक	29209.24
	➢ संदिग्ध 1	25540.53
	➢ संदिग्ध 2	44546.46
	➢ संदिग्ध 3	16155.97
	➢ हानि	4449.20
(जी)	निवल एनपीए	**59595.72**
(एच)	एनपीए अनुपात	
	➢ सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	7.37%
	➢ निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	3.81%
(आई)	एनपीए का आवागमन (सकल)	
	➢ अथशेष (01.04.2017)	98651.38
	➢ जोड	50412.36
	➢ घटाव	29162.34
	➢ **अंतशेष (31.03.2018)**	**119901.40**
(जे)	एनपीए के प्रावधान का आवागमन (कुल)	
	➢ अथशेष (01.04.2017)	38557.39
	➢ वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	34721.47
	➢ बट्टेखाते डाली गई राशि/अधिक प्रावधानों का प्रतिलेख	17698.49
	➢ **अंतशेष (31.03.2018)**	**55580.37**
(के)	गैर निष्पादक निवेशों की राशि	3371.50
(एल)	गैर निष्पादक निवेश हेतु धारित प्रावधान राशि	193.83
(एम)	निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का आवागमन	
	➢ अथशेष (01.04.2017)	2963.29
	➢ वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	4038.23
	➢ बट्टेखाते डाली गई राशि	0.00
	➢ अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	2097.56
	➢ **अंतशेष (31.03.2018)**	**4903.96**

As on 31-03-2018, the Bank's exposure to the industries stated below was more than 5% of the total gross credit exposure

Sl.No	Industry Classification	Percentage of the total gross credit exposure
1	NBFC	7.00%

(e) Residual contractual maturity break-up of advances and investments

(₹ in Million)

	Advances	Investments*
1 day	16402.73	89073.50
2-7 days	21773.59	12957.40
8 -14 days	77472.68	20794.70
15 to 30 days	62917.82	17413.20
31 days to 2 months	100505.40	16098.30
2 months to 3 months	86962.31	16210.20
Over 3 months to 6 months	128753.28	34978.00
Over 6 months to 1 year	252326.49	95204.80
Over 1 year to 3 years	449224.36	126286.90
Over 3 years to 5 years	176662.03	41978.80
Over 5 years	192688.59	240581.80
Total	**1565689.28**	**711577.60**

* Excludes 50% of listed equities of ₹ 2400.10 million

(₹ in Million)

(f)	Amount of NPAs (Gross) – (Solo-Global)	**119901.40**
	➢ Substandard	29209.24
	➢ Doubtful 1	25540.53
	➢ Doubtful 2	44546.46
	➢ Doubtful 3	16155.97
	➢ Loss	4449.20
(g)	Net NPAs	**59595.72**
(h)	NPA Ratios	
	➢ Gross NPAs to gross advances	7.37%
	➢ Net NPAs to net advances	3.81%
(i)	Movement of NPAs (Gross)	
	➢ Opening Balance (01.04.2017)	98651.38
	➢ Additions	50412.36
	➢ Reductions	29162.34
	➢ **Closing Balance (31.03.2018)**	**119901.40**
(j)	Movement of provisions for NPAs	
	➢ Opening Balance (01.04.2017)	38557.39
	➢ Provisions made during the period	34721.47
	➢ Write Off / Write-back of excess provisions	17698.49
	➢ **Closing balance (31.03.2018)**	**55580.37**
(k)	Amount of Non-Performing investments	3371.50
(l)	Amount of Provisions held for non-performing investments	193.83
(m)	Movement of provisions for depreciation on investments	
	➢ Opening balance (01.04.2017)	2963.29
	➢ Provisions made during the period	4038.23
	➢ Write-off	0.00
	➢ Write-back of excess provisions	2097.56
	➢ **Closing balance (31.03.2018)**	**4903.96**

सीधे आय विवरण में प्रविष्ट बट्टाकृत राशियाँ और वसूलियाँ:

उगाही के अधीन रहे खातों में वसूलियां	2179.30
ब्याज ज्ञापन एवं विधिक प्रभारों का ज्ञापन ध्बट्टाकृत खातों में वसूलियां	453.20

प्रमुख उद्योग के प्रकार–वार एनपीए राशि (₹ मिलियन में)

उद्योग	सकल एनपीए	प्रावधान	निवल एनपीए
मूल धातु तथा धातु उत्पाद	37936.20	23450.47	14485.73
बिजली को सम्मिलित कर मूलभूत संरचना	32174.60	10791.33	21383.27
वस्त्र	8567.20	2898.04	5669.16
सभी इंजीनियरिंग	5505.80	2869.14	2636.66
कोयला एवं खनन	2927.50	1654.02	1273.48

वर्ष के दौरान तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाली गई राशि : ₹ 15556.84 मिलियन

भौगोलिक फैलाव–वार एनपीए (₹ मिलियन में)

	देशी	ओवरसीज	वैश्विक
एनपीए की राशि (सकल)			
➢ अव–मानक	29103.52	105.72	29209.24
➢ संदिग्ध 1	23458.75	2081.78	25540.53
➢ संदिग्ध 2	44510.85	35.61	44546.46
➢ संदिग्ध 3	16127.47	28.50	16155.97
➢ हानि	4449.20	0.00	4449.20
कुल	**117649.79**	**2251.61**	**119901.40**

पिछले देय ऋणों की परिपक्वता का विश्लेषण (₹ मिलियन में)

विवरण	निवल एनपीए
1 वर्ष से कम (अवमानक)	29209.24
1 से 2 वर्ष (डी 1)	25540.53
2 से 3 वर्ष (डी 2 प्रथम वर्ष)	15829.62
3 से 4 वर्ष (डी – दूसरे वर्ष)	28716.84
4 वर्ष से अधिक	20605.17

सारणी डीएफ –4

ऋण जोखिम : मानकीकृत अभिगम के अध्यधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण:

(ए) बेसल ष्ष्ष्ढांचे के अनुसार अर्ह एक्स्पोशरों जैसे कार्पोरेट, सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम, पूंजी बाज़ार एक्सपोसर आदि के लिए बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित सात दर निर्धारण अभिकरणों यथा क) क्राइसिल ख) इक्रा ग) केयर और घ) इंडिया रेटिंग्स ई) ब्रिकवर्क्स एफ) स्मेरा एवं जी) इन्फोमेरिक्स द्वारा निर्दिष्ट रेटिंग का प्रयोग करता है। समुद्रपार ऋण एक्सपोज़र के लिए, बैंक स्टैण्डर्ड एण्ड पुअर, फिट्च, मूडीस की रेटिंग को स्वीकार करता है।

बैंक ने सभी पात्र एक्सपोज़रों के लिए दोनों तुलनपत्र में और तुलनपत्र से परे, लघुकालीन या दीर्घकालीन जो भी हो, बेसल ।।। पूँजी विनियमनों पर भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों में अनुमत पद्धति के अनुसार उपर्युक्त अनुमोदित ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा निर्धारित रेटिंग का प्रयोग किया है।

रेटिंग अभिकरणों द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित रेटिंग को ही इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। संबंधित रेटिंग अभिकरण की वेबसाइट में प्रकाशित मासिक बुलेटिन के अनुसार रेटिंग्स जो चालू हैं, का प्रयोग किया जाता है।

बैंक के संविभाग में होनेवाली आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष के समान या उससे कम है तो लघु कालीन रेटिंग जो चयनीत ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दिया जाता है, उसे प्रासंगिक माना जाता है। बैंक के संविभाग में होनेवाली आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से अधिक हो तो दीर्घकालीन रेटिंग जो चयनीत ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दिया जाता है, उसे प्रासंगिक माना जाता है।

चयनित देशी ऋण अभिकरणों द्वारा जारी दीर्घ कालीन/अल्प कालीन रेटिंग को बेसल ।।। पूँजी विनियमनों के अधीन मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार प्रयोज्य उचित जोखिम भारिता के साथ मैप किये गये हैं।

बहुल रेटिंग मूल्यांकन का प्रयोग:

➢ अगर चयनित ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दो रेटिंग उपलब्ध किये जाते हैं जिससे विभिन्न जोखिम भार का मैपिंग होता है तो उच्च जोखिम भार को लिया जाता है।

➢ अगर चयनीत ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा विभिन्न जोखिम भारिता के साथ तीन या अधिक रेटिंग दिये जाते हैं तो दो निम्न जोखिम भार के संबंध में रेटिंग को संदर्भित करना चाहिए तथा इनमें से अधिक वाले दो जोखिम भार को लगाना चाहिए यथा दूसरा निम्नतम जोखिम भार

Write off and recoveries that have been booked directly to the income statement:

Recovery in Accounts under collection	2179.30
Memorandum of Interest / Legal charges / Recovery in written off accounts	453.20

Amount of NPA by Major Industry type (₹ in Million)

Industry	Gross NPA	Provision	Net NPA
Basic Metal and metal products	37936.20	23450.47	14485.73
Infrastructure including Power	32174.60	10791.33	21383.27
All engineering	8567.20	2898.04	5669.16
Textiles	5505.80	2869.14	2636.66
Coal and mining	2927.50	1654.02	1273.48

Technical write off during the year: ₹ 15556.84 million

Geography-wise NPA (₹ in Million)

	Domestic	Overseas	Global
Amount of NPAs (Gross)			
➢ Substandard	29103.52	105.72	29209.24
➢ Doubtful 1	23458.75	2081.78	25540.53
➢ Doubtful 2	44510.85	35.61	44546.46
➢ Doubtful 3	16127.47	28.50	16155.97
➢ Loss	4449.20	0.00	4449.20
Total	**117649.79**	**2251.61**	**119901.40**

Analysis of ageing of past-due loans (₹ in Million)

Details	Gross NPA
Less than 1 year (Sub Standard)	29209.24
1-2 Years (D1)	25540.53
2-3 Years (D2- 1st Year)	15829.62
3-4 Years (D2- 2nd Year)	28716.84
More than 4 years	20605.17

Table DF – 4

Credit Risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosures:

(a) The Bank uses ratings assigned by the seven Rating Agencies approved by the Reserve Bank of India namely a) CRISIL, b) ICRA, c) CARE, d)India Ratings, e)BRICKWORKS and f) SMERA and g) INFOMERICS for the eligible exposures such as Corporate, Public Sector Enterprises, Capital Market Exposures etc. according to the Basel III framework. For overseas credit exposure, bank accepts rating of Standard &Poor, Fitch, Moody's.

The Bank has used the solicited ratings assigned by the above approved credit rating agencies for all eligible exposures, both on balance sheet and off balance sheet, whether short term or long term, in the manner permitted in the RBI guidelines on Basel III capital regulations.

Ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only ratings which are in force as per monthly bulletin published in the website of the concerned rating agencies are taken into account.

For assets in the Bank's portfolio that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings accorded by the chosen credit rating agencies are considered relevant. For other assets, which have a contractual maturity of more than one year, long term ratings accorded by the chosen credit rating agencies are considered relevant.

Long term/short term ratings issued by the chosen domestic credit rating agencies have been mapped to the appropriate risk weights applicable as per the standardised approach under Basel III capital regulations.

Use of multiple rating assessment:

- ➢ If there are two ratings accorded by chosen credit rating agencies that map into different risk weights, the higher risk weight are applied
- ➢ If there are three or more ratings accorded by chosen credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights should be referred to and the higher of those two risk weights should be applied. i.e., the second lowest risk weight

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

(बी) मानकीकृत अभिगम के तहत ऋण जोखिम निवारण के बाद विभाजित कुल ऋण जोखिम एक्स्पोसर एकल (सार्वभौमिक) निम्नानुसार है :

(₹ मिलियन में)

एकल (सार्वभौमिक)	बही मूल्य	जोखिम भारित /मूल्य
100% जोखिम भार के नीचे	2028204.61	411600.50
100% जोखिम भार	664159.03	501702.42
100% से अधिक जोखिम भार	346012.73	326445.91
कुल	**3038376.36**	**1239748.83**

मानकीकृत अभिगम के तहत ऋण जोखिम निवारण के बाद विभाजित कुल ऋण जोखिम एक्स्पोसर(समेकित) निम्नानुसार है :

(₹ मिलियन में)

समेकित	बही मूल्य	जोखिम भारित /मूल्य
100% जोखिम भार के नीचे	2028433.72	411611.91
100% जोखिम भार	664633.53	502176.92
100% से अधिक जोखिम भार	346012.73	326445.91
कुल	**3039079.97**	**1240234.75**

सारणी डीएफ–5: ऋण जोखिम निवारण–मानकीकृत अभिगमों हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने (क) ऋण जोखिम निवारण तथा बेसेल ।।।/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की भावना को ध्यान मे रखते हुए उचित संपार्श्विक की पहचान पर जागरुकता बढ़ाने तथा (ख) बेसेल।।।/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित अभिगम के अनुसार पूँजी प्रभार के परिकलन में ऋण जोखिम निवारण लाभ को इष्टतम बनाने के उद्देश्य से ऋण जोखिम निवारण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति लागू की है।

बैंक साधारणतः ऋण सहभागिता, एक्स्पोज़र की उच्चतम सीमा, एस्क्रो तंत्र, वायदा कवर, उच्चतर मार्जिन, ऋण प्रसंविदाओं, संपार्श्विक तथा बीमा कवर जैसे ऋण निवारण तकनीकों पर भरोसा करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में मूल्यांकन पद्धतियों को विस्तृत रूप से बताया गया है।

पूँजी प्रभार के अभिकलन हेतु पात्र संपार्श्विक जिसके लिए सीआरएम लाभ लिया गया है :

पूँजी प्रभार के अभिकलन के लिए सीआरएम की उपलब्धता हेतु निम्नलिखित संपार्श्विकों को पहचाना जाता है:

i) बैंक के साथ जमाओं पर नकदी (जमा प्रमाणपत्रों अथवा तुलनात्मक लिखतों के साथ साथ ऋणदाता बैंक द्वारा जारी की गई सावधि जमा की रसीदों को मिलाकर) जो कि काऊँटर पार्टी एक्पोसर को प्रदान कर रहा है।

ii) सोनाः सोना, सोना–चाँदी तथा जेवर को सम्मिलत करेगा। यद्यपि संपार्श्विक जेवर की कीमत 99.99 सुदृढता के लिए बेंचमार्क होनी चाहिए।

iii) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा ज़ारी प्रतिभूतियाँ।

iv) किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र जिनमें कोई अवरुद्धता अवधि क्रियाशील नहीं है और उन्हें धारण अवधि के अंदर भुनाया जा सकता है।

v) एक बीमा कंपनी जो कि बीमा क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित की जाती है, की घोषित सरेंडर कीमत के साथ बीमा पॉलिसियाँ।

गारंटार काऊंटरपार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी उधार पात्रता

बैंक गारंटियों की शर्तों में ऋण सुरक्षा पर विचार करता है, जोकि प्रत्यक्ष, सुस्पष्ट, अचल और अप्रतिबंधित/शर्त रहित हों। बैंक सभी ऋण सुरक्षा को पूँजी आवश्यकता के अभिकलन के दौरान ध्यान में रखता है।

काऊंटरपार्टी की तुलना में निम्नतम जोखिम भार के सहित उपक्रमों द्वारा जारी गारंटियां ही पूँजी प्रभार को कम करने में मुख्य भूमिका निभायेगीं। क्योंकि काऊंटरपार्टी एक्सपोसर का सुरक्षित हिस्सा गारंटर के जोखिम भार को निर्दिष्ट करता है, जबकि अरक्षित हिस्सा उसमें शामिल काऊँटर पार्टी के ऋण भार को बनाये रखता है।

निम्नलिखित उपक्रमों द्वारा दी गई ऋण सुरक्षा काऊंटरपार्टी के रूप में पहचानी जाती है।

(i) शासन (केन्द्र और राज्य सरकार)

(ii) सरकारी उपक्रम (ईसीजीसी और सीजीटीएमएसई को मिलाकर)

(iii) काउंटरपार्टी की तुलना में निम्नतम ऋण भारित बैंक

निवारण हेतु योग्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियां आसानी से वसूली योग्य वित्तीय प्रतिभूतियां हैं। इस कारण से, बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त ऋण जोखिम निवारकों में ऋण संकेंद्रीकरण को हटाने के लिए वर्तमान में कोई सीमा / उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

बैंक पूँजी मूल्यांकन में व्यापक दृष्टिकोण का प्रयोग करता है। व्यापक दृष्टिकोण में संपार्श्विक को लेते समय, बैंक पूँजी पर्याप्तता प्रयोग के लिए समयोजित एक्सपोज़र को प्रतिपक्षकार के लिए संपार्श्विक के असर को संतुलित कर गणना करता है। बैंक कोई भी संपार्श्विक के मूल्य को समायोजन करने के लिए संभाव्य भावी उतार–चढ़ाव को ध्यान में रखकर बाज़ार में होनेवाले परिवर्तन में प्रतिभूति के मूल्य को कवर करता है।

Quantitative Disclosures:

(b)The total credit risk exposure (Solo-Global) bifurcated after the credit risk mitigation under Standardized Approach is as under:

(₹ in Million)

Solo (Global)	Book Value	Risk Weighted value
Below 100% Risk weight	2028204.61	411600.50
100% Risk weight	664159.03	501702.42
Above 100% Risk weight	346012.73	326445.91
Total	**3038376.36**	**1239748.83**

The total credit risk exposure (Consolidated) bifurcated after the credit risk mitigation under Standardized Approach is as under:

(₹ in Million)

Consolidated	Book Value	Risk Weighted value
Below 100% Risk weight	2028433.72	411611.91
100% Risk weight	664633.53	502176.92
Above 100% Risk weight	346012.73	326445.91
Total	**3039079.97**	**1240234.75**

Table DF-5 :Credit Risk Mitigation: disclosures for standardized approaches

Qualitative Disclosures

The Bank has put in place Credit Risk Mitigation & Collateral Management Policy with the primary objective of a) Mitigation of credit risks & enhancing awareness on identification of appropriate collateral taking into account the spirit of Basel III / RBI guidelines and (b) Optimizing the benefit of credit risk mitigation in computation of capital charge as per approaches laid down in Basel III / RBI guidelines.

The Bank generally relies on Risk Mitigation techniques like Loan participation, Ceiling on Exposures, Escrow mechanism, Forward cover, higher margins, loan covenants, Collateral and insurance cover.

Valuation methodologies are detailed in the Credit Risk Management Policy.

Eligible collateral for which CRM benefit taken for Computation of Capital Charge:

The following collaterals are recognized for availing CRM benefit for Computation of Capital Charge:

I) Cash (as well as certificates of deposit or comparable instruments, **including fixed deposit receipts,** issued by the lending bank) on deposit with the bank, which is incurring the counterparty exposure.

ii) Gold: Gold would include both bullion and jewellery. However, the value of the collateralized jewellery should be benchmarked to 99.99 purity.

iii) Securities issued by Central and State Governments

iv) Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates provided no lock-in period is operational and if they can be encashed within the holding period

v) Life insurance policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by an insurance sector regulator

Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness

The Bank considers credit protection in terms of the guarantees which are direct, explicit, irrevocable and unconditional. The bank takes into account such credit protection in calculating capital requirements

Only guarantees issued by entities with a lower risk weight than the counterparty will lead to reduced capital charges, since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncovered portion retains the risk weight of the underlying counterparty

Credit protection given by the following entities is recognised as counterparty Guarantor:

(i) Sovereigns (Central and State Governments)

(ii) Sovereign entities (including ECGC and CGTMSE)

(iii) Banks with a lower risk weight than the counterparty

All types of securities eligible for mitigation are easily realizable financial securities. Hence, presently no limit / ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

The Bank uses the comprehensive approach in capital assessment. In the comprehensive approach, when taking collateral, the Bank calculates the adjusted exposure to a counterparty for capital adequacy purposes by netting off the effects of that collateral. The Bank adjusts the value of any collateral by a haircut to take into account possible future fluctuations in the value of the security occasioned by market movements

मात्रात्मक प्रकटीकरण

प्रत्येक प्रकटित अलग ऋण जोखिम संविभाग हेतु, (एकल–सार्वभौमिक / समेकित) कुल ऋण (यथा लागू तुलन–पत्र में या उसके बाहर नेटिंग के बाद) जोकि मार्जिन लागू करने के बाद योग्य वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किया जाता है :

(₹ मिलियन में)

ऋण (एक्सपोज़र) का प्रकार	अर्ह वित्तीय संपार्श्विक	गारंटियां
सकल ऋण जोखिम एक्सपोज़र		
निधि आधारित		
ऋण और अग्रिम	263646.98	32553.22
निवेश	0.00	0.00
अन्य आस्तियां	0.00	0.00
कुल निधि आधारित	**263646.98**	**32816.37**
गैर निधि आधारित जिसमें प्रासंगिक क्रेडिट, संविदाएं और व्युत्पन्न शामिल हैं	20776.69	4363.85
कुल	**284423.67**	**37180.22**

सारणी डीएफ – 6
प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत अभिगम हेतु प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण	:	बैंक ने कोई प्रतिभूतिकरण क्रियाकलाप नहीं किया है।
मात्रात्मक प्रकटीकरण	:	शून्य

सारणी डीएफ – 7
व्यापार बही (ट्रेडिंग बुक) में बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम :

बाजार के परिवर्ती तथ्यों में परिवर्तन के कारण होनेवाली हानि की संभावना बाजार जोखिम है। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की परिभाषा के अनुसार बाजार जोखिम ''वह जोखिम है जिससे ईक्विटी और ब्याज दर बाजारों, मुद्रा विनिमय दरों और पण्यों के मूल्यों में उतार–चढ़ाव के कारण ''ऑन'' और ''ऑफ'' तुलन पत्र की स्थिति प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हो जाती है। ''अतः ब्याज दरों का बाजार स्तर या प्रतिभूतियों के मूल्य, विदेशी विनिमय और ईक्विटी में परिवर्तन तथा साथ ही इन परिवर्तनों की अस्थिरता के कारण बैंक की पूंजी और अर्जन को होनेवाला जोखिम, बाज़ार जोखिम होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है, व्यापारिक इकाइयों को बाजार जोखिम एक्सपोजर के संबंध में विश्लेषकों से चालित निविष्टियां प्रदान करना, जोखिम एक्सपोशर की तुलना में संविभाग निष्पादन और तुलनीय बेंचमार्क देने के जरिये जोखिम समायोजित प्रतिफल की दर को अधिक से अधिक करने में उनको सहायता प्रदान करना। बाजार जोखिम के अंतर्गत निम्नलिखित जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है :

- ब्याज दर जोखिम
- विनिमय दर जोखिम
- ईक्विटी कीमत जोखिम

पण्यों के मूल्यों में परिवर्तन एवं उतार चढ़ाव से भी बाजार जोखिम हो सकती है, यद्यपि बैंक के पण्य सम्बन्धी बाजारों में कोई निवेश नहीं है।

बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम) का फ्रेमवर्क निम्नानुसार है :

ए) **जोखिम की पहचान**:– यह नीति बाजार जोखिम का पता लगाने, मूल्यांकित करने और व्यवस्थित करने के लिए तंत्र रचित करने पर केन्द्रित है ताकि जोखिम के विभिन्न आयामों की पहचान और व्यापार के प्रत्येक कार्यकलाप की मान्यता को स्पष्ट किया जा सके।

बी) **जोखिम मापन और परिसीमाएं**:– बैंक इस बात को स्पष्टतया मानता है कि बाजार जोखिम के सभी पहलुओं को कोई एक जोखिम – सांख्यिकी प्रतिबिंबित नहीं कर सकती। अतः बाजार जोखिम में जोखिम मापन की सुदृढता को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय एवं गैर–सांख्यिकीय जोखिम उपायों का प्रयोग किया जाता है। बाजार जोखिम का प्रबंधन, विभिन्न मापने के साधनों, यथा, जोखिम पर रहे मूल्य (वीएआर), जोखिम पर रहे अर्जन, आशोधित अवधि, पीवी 01 सीमाएं, निवल ओवरनाइट खुली स्थिति सीमाएं (एनओओपीएल), वैयक्तिक गैप सीमा (आईजीएल तथा संकलित गैप सीमा (एजीएल) के जरिए मुद्रा–वार और सूक्ष्मग्रहिता विश्लेषण के जरिये भी किया जाता है। अतितीव्र, परन्तु मुमकिन आघातों की परिस्थितियों में बैंक की असुरक्षा की स्थिति को मानिटर करने के लिए नियमित आधार पर तनाव परीक्षण भी किया जाता है।

Quantitative Disclosures

For each separately disclosed credit risk portfolio (Solo-Global / Consolidated), the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts:

(₹ in Million)

Type of Exposure	Eligible financial Collateral	Guarantees
Gross Credit Risk Exposures		
Fund Based		
Loans and Advances	263646.98	32553.22
Investments	0.00	263.15
Other Assets	0.00	0.00
Total Fund Based	**263646.98**	**32816.37**
Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives	20776.69	4363.85
Total	**284423.67**	**37180.22**

Table DF – 6

Securitization: disclosure for standardized approach

Qualitative Disclosures: The Bank has not undertaken any securitization activity.	
Quantitative Disclosures:	NIL

Table DF – 7

Market risk in trading book

Market Risk :

Market risk is the possibility of loss caused by changes in the market variables. The Bank for International Settlements (BIS) defines market risk as “the risk that the value of ‘on’ or ‘off’ balance sheet positions will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, currency exchange rates and commodity prices”. Thus, Market Risk is the risk to the bank’s earnings and capital due to changes in the market level of interest rates or prices of securities, foreign exchange and equities, as well as the volatilities of those changes. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted rate of return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks. Following risks are managed under Market Risk.

- Interest Rate Risk
- Exchange Rate Risk
- Equity Price Risk

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, Bank does not have any exposure to commodity related markets.

Market Risk Management (MRM) Framework of the bank is as follows:

a) **Risk Identification:** The Policy is focused on setting a framework for identifying, assessing and managing market risk in order to provide clarity on various dimensions of risk identification and recognition to each of the business functions.

b) **Risk Measurement and Limits:** Bank recognizes that no single risk statistic can reflect all aspects of market risk. Therefore various statistical and non-statistical risk measures are used to enhance the stability of risk measurement of market risk. Market risk is managed with various metrics viz. Value at Risk (VaR), Earnings at Risk, Modified duration, PV01 Limits, Net Overnight Open Position Limits (NOOPL), Individual Gap Limit (IGL) and Aggregate Gap Limit (AGL) currency wise and also through sensitivity analysis. Stress testing is also conducted on a regular basis to monitor the vulnerability of the bank to extreme but plausible unfavorable shocks.

सी) जोखिम मानिटरिंगः– ट्रेडिंग बही के लिए विभिन्न आंतरिक और विनियामक जोखिम सीमाओं के प्रयोग से, जोकि आर्थिक परिदृश्य, व्यापार रणनीति, प्रबंधन का अनुभव और बैंक की जोखिम ग्राह्यता पर आधारित हैं, बैंक अपने जाखिम को मानिटर एवं नियंत्रित करता है। रेट स्कैन, यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि लेनदेनों का निष्पादन एवं पूनर्मूल्यन, मौजूदा बाजार दरों पर हो ।

डी) जोखिम रिपोर्टिंग : मिड–ऑफिस द्वारा ट्रेशरी परिचालनों को मानीटर किया जाता है और मुख्य जोखिम अधिकारी को दैनिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है । बाजार जोखिम के कारण उत्पन्न पूंजी प्रभार को परिकलित कर, उसकी रिपोर्ट तिमाही आधार पर आल्को और बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है। तनाव परीक्षण नीति में निर्धारित धारणाओं का अनुपालन करते हुए बाजार जोखिम के निर्धारण के लिए तनाव परीक्षण किया जाता है और तिमाही आधार पर आलको को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, एकीकृत ट्रेजरी प्रबंधन नीति, तनाव परीक्षण और व्युत्पन्न नीति द्वारा बाजार जोखिम प्रबंधन अनुशासित है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार जोखिम से युक्त विभिन्न कार्यकलापों में फैला हुआ जोखिम, बैंक की जोखिम ग्राह्यता के अन्दर ही है। उद्योग में व्याप्त उत्तम व्यवहार और भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमनों से सारी नीतियां बेंचमार्क की गई हैं। बैंक के जाखिम रिपोर्टिंग तंत्र में प्रकटीकरण और विभिन्न प्रबंधन समितियों को रिपोर्ट करना शामिल है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

निम्न हेतु पूंजी आवश्यकताएं (एकल सार्वभौमिक / समेकित) :

(₹ मिलियन)

विवरण	समेकित
ब्याज दर जोखिम	9,576.94
विदेशी विनिमय जोखिम	63.00
ईक्विटी स्थिति जोखिम	4,161.96
कुल	**13,801.90**

सारणी डीएफ – 8

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालनगत जोखिम को यों परिभाषित किया गया है कि अपर्याप्त या असफल आतंरिक प्रक्रिया, व्यक्ति और प्रणाली या बाह्य घटनाओं से होनेवाली हानि के कारण बननेवाली जोखिम। इस परिभाषा में विधिक जोखिम शामिल है परन्तु रणनीतिक तथा प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं है।

वर्तमान में उद्योग के प्रतिभागियों, विनियामकों और अन्य स्टेक धारकों के बीच परिचालनगत जोखिम तीव्र अभिरुचि का विषय रहा है। बैंक ने प्रभावोत्पादक अभिशासन, जोखिम कैप्चर और परिचालनगत जोखिम एक्सपोशर की मात्रा को नापने के लिए परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढांचा (ओआरएमएफ) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तंत्र (ओआरएमएस) निर्धारित किया है। उपयुक्त गुणात्मक एवं मात्रात्मक तरीकों का प्रयोग तथा दैनंदिन की प्रबंध प्रक्रियाओं में सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का प्रयोग तथा दैनंदिन की प्रबंध प्रक्रियाओं में सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का प्रयोग और विभिन्न जोखिम शमन नीतियों को अपनाने से परिचालनगत जोखिम का सुगम प्रबंधन किया जाता है। विभिन्न उत्पादों/प्रक्रियाओं में निहित जोखिम बोध का समीक्षात्मक विश्लेषण किया जाता है और आवश्यकता पडने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने अपने परिचालनगत जोखिम एक्सपोशर को कैप्चर करने, मानिटर करने, मापने और प्रबंध करने के लिए परिष्कृत वेब–आधारित परिचालनगत जोखिम प्रणाली कार्यान्वित की है। बैंक ने 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए आंतरिक हानि डाटा बेस निर्मित किया है।

वर्ष के दौरान, ऋण स्पर्ट के जरिये परिचालनगत जोखिम का मानिटरिंग और सांख्यिकीय तकनीकों के जरिये बारंबरता का विश्लेषण और परिचालनगत हानि की गंभीरता का विश्लेषण किया गया।

परिचालनगत हानि के लिए पूंजी प्रभार, मूल सूचक दृष्टिकोण के अनुसार किया गया।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूंजी प्रभार के परिकलन के लिए नई पूंजी पर्याप्तता ढांचे पर दिशानिर्देश में परिभाषित रूप से पिछले तीन वर्षों, यथा 2016 -17, 2015-16 और 2014-15 की औसत सकल आय को लिहाज में लिया गया है। आवश्यक पूंजी ₹ 9339.33 मिलियन (एकल–वैश्विक) और ₹ 9356.37 मिलियन (समेकित) है।

c) **Risk Monitoring:** Bank monitors and controls its risk, using various internal and regulatory risk limits for trading book which are set based on economic scenario, business strategy, management experience and Bank's risk appetite. Rate scan is carried out to ensure that transactions are executed and revalued at prevailing market rates.

d) **Risk Reporting:** Monitoring of Treasury operations is done by Mid Office and a daily report is put up to Chief Risk Officer. Capital charge on account of Market Risk is computed and reported to ALCO and Board on quarterly basis. Stress testing is done for assessing market risk by following assumptions prescribed in Stress Test Policy and reported to ALCO on Quarterly basis.

Market risk management is governed by comprehensive board approved market risk management policy, Integrated Treasury Management Policy, Stress testing and Derivative Policy to ensure that the risks spread across different activities carrying an underlying market risk are within the stipulated risk appetite of the bank. All the policies are benchmarked with industry-best practices and RBI regulations. The risk reporting mechanism in the Bank comprises disclosures and reporting to the various management committees.

Quantitative Disclosures:

The capital requirements (Solo-Global / Consolidated) for:

(₹ in Million)

Particulars	Consolidated
Interest rate risk	9,576.94
Foreign exchange risk	63.00
Equity position risk	4,161.96
Total	**13,801.90**

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative Disclosures

Operational risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This definition includes legal risk, but excludes strategic and reputational risk.

Operational risk is now on the focus of intense interest among industry participants, regulators and other stake holders. The bank has put in place Operational Risk Management Frame work (ORMF) and Operational Risk Management systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture and assessment and quantification of operational risk exposure. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative & quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products / processes are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.

Bank has implemented a sophisticated web-based Operational Risk Management System to capture, measure, monitor and manage its operational risk exposure. Bank has built up internal loss data base for the last 10 years.

During the year, monitoring of operational risk through credit spurt and Analysis of frequency & severity of operational loss through statistical technique have been done

Capital charge for Operational Risk is computed as per the Basic Indicator Approach.

Quantitative Disclosures

The average of the gross income, as defined in the Basel III Capital Regulation, for the previous 3 years i.e. 2016-17, 2015-16 and 2014-15 is considered for computing the capital charge. The required capital is ₹ 9339.33 Million (Solo-global) and ₹ 9356.37 Million (Consolidated).

सारणी डीएफ – 9

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

आईआरआरबीबी इसे सूचित करता है जोकि ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तन से बैंक की बैंकिंग बही में संभाव्य वित्तीय असर को दर्शाता है।

ब्याज दर जोखिम को दो दृष्टिकोण के जरिए मापकर मानिटर किया जाता है:

I) जोखिम पर अर्जन (पारंपरिक गैप विश्लेषण) इस दृष्टिकोण के अधीन बैंक के निवल ब्याज आय पर होनेवाली ब्याज दरों में परिवर्तन के तत्काल असर को विश्लेषण किया जाता है।

ii) ईक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि गैप दृष्टिकोण) आस्ति तथा देयताओं की आशोधित अवधि, ईक्विटी की आशोधित अवधि को अंतिम रूप से परिकलन करने के लिए पृथक तौर पर अभिकलन किया जाता है।

इस दृष्टिकोण में प्रतिलाभ में होनेवाले निश्चित परिवर्तन के लिए प्रतिलाभ वक्र समानंतर महत्व रखता है। ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर असर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 200 बीपीएस शाक के अनुसार किया जाता है।

बैंकिंग बही बुक में बैंक की ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण दोनों देशी तथा ओवरसीज़ परिचालनों के लिए किया जाता है। आशोधित अवधि के परिकलन में विभिन्न परिपक्वता अवधियों के लिए बाजार से जुडे प्रतिफल का प्रयोग किया जाता है ।

बाज़ार ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तन से बैंक की बही पुस्तक में अर्जन तथा आर्थिक मूल्य में असर पड़ेगा । अतः इस प्रकार जटिलता तथा तुलन पत्र के उत्पाद की सीमा के कारण दोनों अर्जन तथा आर्थिक मूल्य में ब्याज दर के परिणाम को मूल्यांकित करने के लिए आई आर आर माप प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए अनुपालन किए जानेवाले तकनीक चालु तूलन पत्र से परे स्थिति के आधार पर साधारण परिपक्वता (स्थिर दर) तथा पुनर्मूल्यांकन (फ्लोटिंग दर) गैप तथा अवधि गैप के प्रयोग से लेकर और उच्च स्तर तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसमें आस्ति देयताओं तथा तुलन पत्र से परे मदों पर अनुमानों को शामिल किया जाता है और ये बेसिस जोखिम, अन्तर्निहित विकल्प जोखिम, प्रतिलाश वक्र जोखिम इत्यादि के एक्सपोज़र की पूर्ण सीमा तक कैप्चर कर सकता है।

बैंकिंग बही बुक (आईआरआरबीबी) में बैंक ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण, वैश्विक स्थिति के लिए किया जाता है। देशी परिचालनों के लिए ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर असर का माप किया जाता है तथा इसे मासिक आधार पर मॉनिटर किया जाता है और आलको को प्रस्तुत किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

आईआरआरबीबी (एकल – ग्लोबल) को मापने हेतु प्रबंधन की प्रणाली के अनुसार ऊर्ध्वगामी व अधोगामी रेट शाक्स हेतु, अर्जन और आर्थिक मूल्य (अथवा प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संबंधित माप) में वृद्धि (गिरावट)।

i) 31.03.2018 तक ब्याज दर में 25 बीपीएस की वृद्धि हेतु अर्जन पर जोखिम ₹ 39.29 मिलियन हैं।

ii) ईक्विटी के बाज़ार मूल्य में 200 बीपीएस के परिवर्तन से ब्याज दर पर असर ₹ 12408.4 मिलियन हैं ।

डीएफ 10 : प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबन्धित एक्स्पोसरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम वह है जो लेनदेन की नकद प्रवाह के अंतिम निपटान के पहले व्युत्पन्न लेनदेन के प्रतिपक्षकार द्वारा की जानेवाली चूक है । बैंक व्युत्पन्नों को मिलाकर दोनों निधि और गैर निधि आधारित सुविधाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत एक्सपोसर के मानदण्डों के अनुसार सीमायें निर्धारित करता है। सीमायें पूँजी निधियों के प्रतिशत के रूप में निर्धारित की जाती हैं और नियमित आधार पर निगरानी की जाती है । कार्पोरेटों के लिए व्युत्पन्नों का मूल्यांकन किया जाता है तथा नियमित मूल्यांकन के एक अंश के रूप में नियमित ऋण सीमा के साथ मंजूरी की जाती है ।के अपने प्रतिपक्ष ऋण एक्सपोसर हेतु आर्थिक पूंजी को निर्धारित नहीं करता है।

प्रतिपक्षी के साथ किये गये सभी ब्युत्पन्न लेन–देन बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित ब्युत्पन्न पॉलिसी के माध्यम से मूल्यांकित किये जाते हैं।

व्युत्पन्न एक्सपोसर की वर्तमान एक्सपोसर पद्धति (सीईएम) का प्रयोग करते हुए गणना की जाती है और 31.03.2018 को बकाया शेष निम्नांकित है।

(₹ मिलियन में)

व्युत्पन्न	आनुमानिक सिद्धांत	वर्तमान में ऋण की मात्रा	वर्तमान ऋण
वायदा संविदाएं	84097.22	465.16	2168.10
ब्याज दर अदला बदली	500.00	2.04	4.54

Table DF – 9

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

IRRBB refers to the potential adverse financial impact on the Bank's banking book from changes in interest rates.

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

(i) Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) :The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach.

(ii) Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis): Modified duration of assets and liabilities is computed separately to finally arrive at the modified duration of equity.

This approach assumes parallel shift in the yield curve for a given change in the yield. Impact on the Economic Value of Equity is also analyzed for a 200 bps rate shock as required by RBI. Market linked yields for respective maturities are used in the calculation of the Modified Duration.

The analysis of bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is done for both Domestic as well as Overseas Operations.

The changes in market interest rates have earnings and economic value impacts on the bank's banking book. Thus, given the complexity and range of balance sheet products, IRR measurement systems are used that assess the effects of the rate changes on both earnings and economic value. Techniques followed are simple maturity (fixed rate) and repricing (floating rate) gaps and duration gaps based on current on-and-off-balance sheet positions, to a little higher technique that incorporate assumptions on behavioural pattern of assets, liabilities and off-balance sheet items and can easily capture the full range of exposures against basis risk, embedded option risk, yield curve risk, etc.

The analysis of bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is done for Global position. The Impact on Economic value of equity for Domestic Operations is measured and monitored on a monthly basis and placed to ALCO.

Quantitative Disclosures:

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB (Solo-Global).

I) Earnings at Risk for 25 bps interest rate shock as on 31.03.2018 for one year time horizon is ₹ 39.29 Million

ii) Change in Economic Value of Equity for 200 bps interest rate shock is ₹ 12408.4 Million

DF-10: General Disclosure for exposures related to Counterparty Credit Risk:

Counterparty Credit Risk is the risk that the counterparty to a derivative transaction can default before the final settlement of the transaction's cash flow .The Bank sets limits as per the norms on exposure stipulated by RBI for both fund and non fund based facilities including derivatives. Limits are set as a percentage of the capital funds and are monitored on regular basis. For corporates the derivatives limits are assessed and sanctioned in conjunction with regular credit limit as part of regular appraisal .

All the Derivative transactions with the Counterparty are evaluated as per Board approved Derivative Policy of the Bank.

The derivative exposure calculated using Current Exposure Method (CEM) and outstanding as on 31.03.2018 is given below:

(₹ in Million)

Derivatives	Notional Principle	Current Credit Exposure (+ve MTM)	Current Exposure
Forward Contracts	84097.22	465.16	2168.10
Interest Rate Swaps	500.00	2.04	4.54

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना		(₹ मिलियन में)
			डीएफ–12 : चरण 2 के संबंध में संदर्भ सं :
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियां		
1	सीधे जारी की गई अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	18059.65	A1+B1
2	प्रतिधारित आय	3895.45	B6
3	संचित अन्य व्यापक आय तथा (अन्य आरक्षिति)	149612.74	B2+B3+B4+B5+ B8(i)+B10(i)
4	सीईटी 1 से धीरे–धीरे समाप्त होने के अधीन सीधे जारी की गई पूंजी (केवल गैर–संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)	0.00	
	सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पूंजी डालने को 1 जनवरी 2018 तक पुराने नियम के अनुसार मान्य करना	**0.00**	
5	सहायक इकाइयों द्वारा जारी की गई और तीसरे पक्ष (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी	0.00	
6	**विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी**	171567.84	
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	गुडविल (सम्बंधित कर देयता का निवल)	0.00	
9	मॉर्टगेज–सर्विसिंग अधिकार के अलावा अमूर्त आस्तियां (सम्बंधित कर देयता का निवल)	0.00	
10	आस्थिगत कर संपत्ति	0.00	
11	नकदी–प्रवाह बचाव रिजर्व	0.00	
12	अपेक्षित हानि के लिए प्रावधानों की कमी	0.00	
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00	
14	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि	0.00	
15	परिभाषित–लाभ पेंशन कोष निवल संपत्ति	0.00	
16	निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूंजी का समायोजन न किया गया हो)	0.00	
17	सामान्य ईक्विटी में परस्पर क्रॉस–होल्डिंग	6.40	
18	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के पूंजी में निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0.00	
19	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0.00	
20	मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0.00	
21	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थिगत कर संपत्ति (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि, सम्बंधित कर देयता का निवल)	0.00	
22	15 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	0.00	
23	जिनमें से : वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in Million)
			Ref No. with respect to DF-12 : Step 2
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	18059.65	A1+B1
2	Retained earnings	3895.45	B6
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	149612.74	B2+B3+B4+B5+ B8(i)+B10(i)
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00	
	Public sector capital injections grandfathered until January 1, 2018	**0.00**	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	171567.84	
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
10	Deferred tax assets	0.00	
11	Cash-flow hedge reserve	0.00	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00	
13	Securitisation gain on sale	0.00	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0.00	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	6.40	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0.00	
22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00	
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0.00	

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना		(₹ मिलियन में)
			डीएफ–12 : चरण 2 के संबंध में संदर्भ सं :
24	जिनमें से : मॉर्टगेज सर्विसिंग अधिकार	0.00	
25	जिनमें से : अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थिगत कर आस्तियां	0.00	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क + 26ख + 26ग + 26घ)		
26क	जिसमें से : असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26ख	जिसमें से : असमेकित गैर–वित्तीय सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26ग	जिसमें से : बैंक के साथ असमेकित प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं की ईक्विटी पूंजी में कमी	0.00	
26घ	जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के सम्बंध में सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00 0.00	
	जिनमें से : अन्य वित्तीय कंपनियों में कुल ईक्विटी निवेश	0.00	
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
28	**समान्य ईक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	**6.40**	
29	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 में पूंजी (सीईटी 1)**	**171561.44**	
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखत		
30	सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और सम्बंधित स्टॉक अधिशेष (31 + 32)	5000.00	
31	जिसमें से :लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत गैर–संचयी अधिमानी शेयर)	0.00	
32	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत ऋण लिखत)	5000.00	D8
33	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	0.00	
34	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (एटी 1 समूह में अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सीईटी 1 लिखत)	0.00	
35	जिसमें से : चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत	0.00	
36	**विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर पूंजी 1**	**5000**	
	अतिरिक्त टियर पूंजी 1 : विनियामक समायोजन		
37	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश	0.00	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस–होल्डिंग्स	0.00	
39	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक के पास संस्था द्वारा जारी शेयर पूंजी (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि) के 10 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व नहीं है।	0.00	

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in Million)
			Ref No. with respect to DF-12 : Step 2
24	of which: mortgage servicing rights	0.00	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0.00	
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0.00	
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	
	of which: Total equity investment in other financial subsidiaries	0.00	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00	
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**6.40**	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**171561.44**	
	Additional Tier 1 capital: instruments		
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	5000.00	
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	5000.00	D8
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group At1)	0.00	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**5000.00**	
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments		
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0.00	
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना		(₹ मिलियन में)
			डीएफ–12 : चरण 2 के संबंध में संदर्भ सं :
40	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल)	0.00	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41 क + 41 ख)	0.00	
41क	गैर–समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	0.00	
41ख	बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।	0.00	
	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीनराशियों के सम्बंध में अतिरिक्त टियर 1 पर लागू किए गए विनियामक समायोजन	0.00	
	जिसमें से :एटीआई से फेस आउट किये गये	0.00	
	जिसमें से : विद्यमान समायोजन, जिनकी टियर 1 में से 50% प्रतिशत पर कटौती की गई है	0.00	
	जिसमें से : डीटीए	0.00	
42	अपर्याप्त टियर 2 के कारण कटौती को कवर करने के लिए अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00	
43	**अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	0.00	
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1)**	**5000.00**	
44क	**पूंजी पर्याप्तता की गणना में प्रयुक्त अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	**5000.00**	
45	**टियर 1 पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) (29 + 44 क)**	**176561.44**	
	टियर 2 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान		
46	सीधे जारी किए गए पात्र टियर 2 लिखत और सम्बंधित स्टॉक अधिशेष	6000.00	D7
47	टियर 2 से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	10000.00	D5+D6
48	सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए एवं तृतीय पक्षों द्वारा धारित (राशि समूह टियर 2 में अनुमत) टियर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 और 34 में शामिल नहीं किये गये सीईटी 1 और एटी 1 लिखत)	0.00	
49	जिनमें से : चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखतें	0.00	
50	प्रावधान	8778.78	B9+E1
51	**विनियामक समायोजनों से पूर्व टियर 2 पूंजी**	**24778.78**	
	टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन		
52	निजी टियर 2 लिखत में निवेश	0.00	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस–होल्डिंग्स	97.10	
54	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में निवेश, पात्र शॉर्टपोजिशन निवल, जहां बैंक के पास संस्थान द्वारा जारी शेयर पूंजी (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10 प्रतिशत से अधिक पर स्वामित्व नहीं है।	0.00	
55	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शॉर्टपोजिशन निवल)	0.00	

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in Million)
			Ref No. with respect to DF-12 : Step 2
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0.00	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	
	of which: Phase out form ATI	0.00	
	of which: existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%	0.00	
	of which DTA	0.00	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00	
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	0.00	
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**5000.00**	
44a	**Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy**	**5000.00**	
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)**	**176561.44**	
	Tier 2 capital: instruments and provisions		
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	6000.00	D7
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	10000.00	D5+D6
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0.00	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	
50	Provisions	8778.78	B9+E1
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**24778.78**	
	Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	97.10	
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना		(₹ मिलियन में)
			डीएफ–12 : चरण 2 के संबंध में संदर्भ सं :
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क + 56 ख)	0.00	
56a	जिसमें से : गैर–समेकित सहायक कंपनियों के टियर 2 पूंजी में निवेश	0.00	
56b	जिसमें से : बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया।	0.00	
	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के सम्बंध में टियर 2 पर लागू विनियामक समायोजन	6000.00	
	जिसमें से : 50% प्रतिशत पर टियर 2 से कटौती किए गए वर्तमान समायोजन	0.00	
	जिसमें से : टियर 2 बॉण्ड से हटाए गए	6000.00	D7
57	**टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	**6097.10**	
58	**टियर 2 पूंजी (टी – 2)**	18681.68	
58क	**पूंजी पर्याप्तता की गणना में प्रयुक्त टियर 2 पूंजी**	18681.68	
58ख	**टियर 2 पूंजी के रूप में मान्य एक्सेस अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	0.00	
58ग	**पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58क +58ख)**	18681.68	
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1+टी2) (45+58ग)**	**195243.12**	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क+60ख+60ग)**	**1529713.12**	
60क	जिसमें से : कुल त्रण जोखिम भारित आस्तियां	1240234.75	
60ख	जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	172523.77	
60ग	जिसमें से : कुल परिचालनगत जोखिम भारित आस्तियां	116954.60	
	पूंजी अनुपात		
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.22%	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.54%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.76%	
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	7.375%	
65	जिसमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	1.875%	
66	जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिवक्रीय बफ़र आवश्यकता	0.00%	
67	जिसमें से जी–एसआईबी बफ़र आवश्यकता	0.00%	
68	बफर्स को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	5.72%	
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से पृथक है)		
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से अलग है)	5.50%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग है)	7.00%	

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in Million)
			Ref No. with respect to DF-12 : Step 2
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00	
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0.00	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	6000.00	
	of which: existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%	0.00	
	of which: Phase out from Tier 2 Bonds	6000.00	D7
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	**6097.10**	
58	**Tier 2 capital (T2)**	18681.68	
58a	**Tier 2 capital reckoned for capital adequacy**	18681.68	
58b	**Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**	0.00	
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)**	18681.68	
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)**	**195243.12**	
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**1529713.12**	
60a	of which: total credit risk weighted assets	1240234.75	
60b	of which: total market risk weighted assets	172523.77	
60c	of which: total operational risk weighted assets	116954.60	
	Capital ratios		
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	11.22%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	11.54%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	12.76%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	7.375%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	1.875%	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00%	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00%	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	5.72%	
	National minima (if different from Basel III)		
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%	

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना		(₹ मिलियन में)
			डीएफ–12 : चरण 2 के संबंध में संदर्भ सं :
71	कुल राष्ट्रीय पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग है)	9.00%	
	सीमा से कम मात्रा में कटौती के लिए राशियाँ (जोखिम भार से पहले)		
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00	
75	अस्थायी अन्तर से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	0.00	
	टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने पर लागू कैप्स		
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन प्रदत्त ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (कैप को लागू करने के पहले)	8778.78	B9+E1
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों का समावेश (ऋण जोखिम आरडबल्यूए के 1.25%) पर कैप	15502.93	
78	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के अधीन जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (कैप को लागू करने के पहले)		
79	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने के लिए कैप	Applicable	
	फेस–आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखतें		
80	फेस–आउट व्यवस्था के तहत सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान कैप	0.00	
81	कैप की वजह से के सीईटी 1 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	0.00	
82	फेस–आउट व्यवस्था के तहत एटी 1 लिखतों पर वर्तमान कैप	0.00	
83	कैप के कारण एटी 1 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	0.00	
84	फेस–आउट व्यवस्था के तहत टी 2 लिखतों पर वर्तमान कैप	40%	
85	कैप की वजह से टी 2 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	6000.00	D7

	DF-11: Composition of Capital		(₹ in Million)
			Ref No. with respect to DF-12 : Step 2
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%	
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0.00	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	0.00	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0.00	
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	8778.78	B9+E1
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach (1.25% of Credit Risk RWA)	15502.93	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	Not Applicable	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	Not Applicable	
	Capital instruments subject to phase-out arrangements		
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	0.00	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	0.00	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00	
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	40%	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	6000.00	D7

	टेम्पलेट पर नोट	
टेम्पलेट की पंक्ति संख्या	विवरण	(₹ मिलियन में)
10	संचित हानियों के साथ जुड़ी हुई आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00
	आस्थगित कर आस्तियाँ ;उनको छोड़ कर जो संचित हानियों से जुड़ी हुई हैं: आस्थगित कर देयताओं का निवल	0.00
	पंक्ति 10 में वर्णित के अनुसार कुल योग	0.00
19	अगर सहायक बीमा कंपनियों में निवेश पूंजी से पूर्णतः नहीं काटा जाता है और उसके एवज में कटौती हेतु 10 प्रतिशत न्यूनतम सीमा के अंतर्गत लिहाज में लिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप बैंक की पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
	जिसमें से: सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
	जिसमें से: अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
	जिसमें से: अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
26बी	गैर समेकित गैर वित्तीय सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश नहीं काटा जाता है और परिणामतः जोखिम भारित किया जाता है, तो	लागू नहीं
	(i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	लागू नहीं
44ए	अन्य अतिरिक्त टियर 1 पूंजी, जिसका परिकलन पूंजी पर्याप्तता के लिए नहीं किया गया है (पंक्ति 44 में रिपोर्टित अतिरिक्त टियर 1 पूंजी और पंक्ति 44ए में रिपोर्टित अतिरिक्त अनुमेय टियर 1 पूंजी कें बीच का अंतर)	लागू नहीं
	जिसमें से: अतिरिक्त अन्य टियर 1 पूंजी जिसे पंक्ति 58बी के तहत अब टियर 2 पूंजी माना गया है	लागू नहीं
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	8170.15
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियां	0.00
	पंक्ति 50 का कुल योग	8170.15

	Notes to the Template	
Row No. of the template	**Particular**	**(Rs. in million)**
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0.00
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	0.00
	Total as indicated in row 10	0.00
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	Not Applicable
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	Not Applicable
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	Not Applicable
	of which: Increase in Tier 2 capital	Not Applicable
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	Not Applicable
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	Not Applicable
	(ii) Increase in risk weighted assets	Not Applicable
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	Not Applicable
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	Not Applicable
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	8778.78
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of row 50	8778.78

	डीएफ 12 : पूंजी की संरचना - मिलान आवश्यकताएं – चरण 1		(₹ मिलियन में)
		वित्तीय विवरणों के अनुसार (स्टैंडएलोन) तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र
		31.03.2018 को	31.03.2018 को
ए	**पूंजी और देयताएं**		
I	प्रदत्त पूंजी	4802.92	4802.92
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	179681.26	182351.46
	कुल पूंजी	**184484.18**	**187154.38**
	अल्पसंख्यक के हित	0.00	198.68
ii	**जमाराशियां**	**2082942.22**	**2082618.15**
	जिसमें से: बैंकों से जमा	26550.18	26550.18
	जिसमें से: ग्राहकों की जमा राशि	2056392.04	2056067.97
	जिसमें से: अन्य जमा (कृपया दर्शाएँ)	0.00	0.00
iii	**उधार राशियां**	**197601.70**	**197601.70**
	भारतीय रिजर्व बैंक से	150000.00	150000.00
	बैंकों से	0.15	0.15
	भारत के बाहर से उधार	16106.63	16106.63
	अन्य संस्थाओं एवं अभिकरणों से	31494.92	31494.92
	जिसमें से: पूंजी लिखतें	21000.00	21000.00
iv	**अन्य देयताएँ एवं प्रावधान**	**62130.12**	**62241.19**
	कुल देयताएँ	**2527158.23**	**2529814.10**
बी	**आस्तियां**		
I	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष	**105016.00**	**105016.04**
	बैंकों में शेष और मांग और अल्पावधि पर धनराशि	**24261.88**	**24318.94**
ii	निवेश :	**713977.67**	**716191.44**
	जिसमें से: सरकारी प्रतिभूतियों में	625962.96	625962.96
	जिसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	263.15	263.15
	जिसमें से: शेयरों में	6768.20	6780.75
	जिसमें से: ऋणपत्र और बांड में	74700.58	74700.58
	जिसमें से: अनुषंगी / संयुक्त उपक्रम / सहयोगियों में	870.14	3071.36
	जिसमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्रों, म्यूचुअल फंडों आदि) में	5412.64	5412.64
iii	ऋण और अग्रिम	**1565689.28**	**1565689.33**
	जिसमें से: बैंकों को ऋण और अग्रिम	12111.06	12111.06
	जिसमें से: ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1553578.22	1553578.26
iv	**अचल आस्तियाँ**	34183.46	34220.86
v	अन्य आस्तियां	84029.94	84377.50
	जिसमें से: गुडविल और अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00
	जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	41.69
vi	समेकन पर गुडविल	0.00	0.00
vii	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00
	कुल आस्तियां	**2527158.23**	**2529814.10**

	DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements - STEP 1		(₹ in Million)
		Balance sheet as in financial statements (stand alone)	**Balance sheet under regulatory scope of consolidation**
		As on 31.03.2018	**As on 31.03.2018**
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	4802.92	4802.92
	Reserves & Surplus	179681.26	182351.46
	Total Capital	**184484.18**	**187154.38**
	Minority Interest	0.00	198.68
ii	**Deposits**	**2082942.22**	**2082618.15**
	of which: Deposits from banks	26550.18	26550.18
	of which: Customer deposits	2056392.04	2056067.97
	of which: Other deposits (pl. specify)	0.00	0.00
iii	**Borrowings**	**197601.70**	**197601.70**
	From RBI	150000.00	150000.00
	From banks	0.15	0.15
	borrowings outside India	16106.63	16106.63
	From other institutions & agencies	31494.92	31494.92
	of which: Capital instruments	21000.00	21000.00
iv	**Other liabilities & provisions**	**62130.12**	**62241.19**
	Total Liabilities	**2527158.23**	**2529814.10**
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	**105016.00**	**105016.04**
	Balance with banks and money at call and short notice	**24261.88**	**24318.94**
ii	Investments:	**713977.67**	**716191.44**
	of which: Government securities	625962.96	625962.96
	of which: Other approved securities	263.15	263.15
	of which: Shares	6768.20	6780.75
	of which: Debentures & Bonds	74700.58	74700.58
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	870.14	3071.36
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	5412.64	5412.64
iii	Loans and advances	**1565689.28**	**1565689.33**
	of which: Loans and advances to banks	12111.06	12111.06
	of which: Loans and advances to customers	1553578.22	1553578.26
iv	Fixed assets	34183.46	34220.86
v	Other assets	84029.94	84377.50
	of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0.00
	of which: Deferred tax assets	0.00	41.69
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0.00
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00
	Total Assets	**2527158.23**	**2529814.10**

	डीएफ 12 : पूंजी की संरचना - मिलान आवश्यकताएं – चरण 2			(₹ मिलियन में)
		वित्तीय विवरणों के अनुसार (स्टैंडएलोन) तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र	
		31.03.2017 को	31.03.2017 को	संदर्भ
ए	**पूँजी तथा देयताएँ**			
I	प्रदत्त पूँजी	4802.92	4802.92	A
	जिनमें से : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	4802.92	4802.92	A1
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	**179681.26**	**182351.46**	B
	जिनमें से			
	1.शेयर प्रिमियम	13256.73	13256.73	B1
	2.सांविधिक आरक्षितियां	44253.58	44253.58	B2
	3.आरक्षित पूंजी	1956.12	1956.12	B3
	4.विशेष आरक्षितियां	7717.20	7717.20	B4
	जिनमें से कर का निवल विशेष आरक्षितियां	7717.20	7717.20	B4(i)
	5.राजस्व आरक्षितियां	81824.89	81581.16	B5
	6.लाभ एवं हानि खाता	981.52	3895.45	B6
	7.अल्प संख्यक के हित	0.00	198.68	B7
	जिनमें से पूँजी निधि के लिए विचार किया गया	0.00	0.00	B7(i)
	8.पुनर्मूल्यन आरक्षित	26214.41	26214.41	B8
	पुनर्मूल्यन आरक्षित (सीईटी 1 पूंजी के अंश पर 55% छूट)	11796.48	11796.48	B8 (i)
	9.आरक्षित निवेश	399.22	399.22	B9
	10.फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिज़र्व (एफटीआरपी)	3077.59	3077.59	B10
	जिनमें से पूंजी निधि के लिए (25% की छूट) लिया गया	2308.19	2308.19	B10(i)
	कुल पूंजी	**184484.18**	**187154.38**	
ii	**जमा राशियां**	**2082942.22**	**2082618.15**	C
	जिनमें से : बैंकों की जमा राशियां	26550.18	26550.18	C(i)
	जिनमें से : ग्राहक जमाएं	2056392.04	2056067.97	C(ii)
	जिनमें से : अन्य जमाएं	0.00	0.00	C(iii)
iii	**उधार**	**197601.70**	**197601.70**	D
	भारतीय रिज़र्व बैंक से	150000.00	150000.00	D1
	बैंकों से	0.15	0.15	D2
	भारत के बाहर से उधार	16106.63	16106.63	D3
	अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से	31494.92	31494.92	D4
	जिनमें से : पूंजी लिखत	21000.00	21000.00	D4(i)
	अपर टियर II लिखत (गैर बेसल III अनुपालक)	5000.00	5000.00	D5
	लोवर टियर II लिखत (गैर बेसल III अनुपालक)	5000.00	5000.00	D6
	टियर II लिखत (बेसल III के अनुरूप)	6000.00	6000.00	D7
	एटी 1 के लिए अर्ह स्थायी ऋण लिखत	5000.00	5000.00	D8
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान**	**62130.12**	**62241.19**	E
	सामान्य प्रावधान	8379.56	8379.56	E1
	कुल	**2527158.23**	**2529814.10**	

	DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements-STEP 2		(₹ in Million)	
		Balance sheet as in financial statements (stand alone)	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Ref. No.
		As on 31.03.2018	As on 31.03.2018	
A	**Capital & Liabilities**			
i	Paid-up Capital	4802.92	4802.92	A
	of which: Amount eligible for CET1	4802.92	4802.92	A1
	Reserves & Surplus (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	**179681.26**	**182351.46**	B
	of which			
	1.Share Premium	13256.73	13256.73	B1
	2.Statutory Reserves	44253.58	44253.58	B2
	3.Capital Reserves	1956.12	1956.12	B3
	4.Special Reserves	7717.20	7717.20	B4
	of which special reserve net of Tax	7717.20	7717.20	B4(i)
	5.Revenue Reserves	81824.89	81581.16	B5
	6.Profit and Loss account	981.52	3895.45	B6
	7.Minority Interest	0.00	198.68	B7
	Of which considered for Capital funds	0.00	0.00	B7(i)
	8.Revaluation Reserve	26214.41	26214.41	B8
	Revaluation Reserve (Part of CET 1 capital @ discount of 55%)	11796.48	11796.48	B8 (i)
	9.Investment Reserve	399.22	399.22	B9
	10.Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)	3077.59	3077.59	B10
	of which considered for Capital funds (at 25% discount)	2308.19	2308.19	B10(i)
	Total Capital	**184484.18**	**187154.38**	
ii	**Deposits**	**2082942.22**	**2082618.15**	C
	of which: Deposits from banks	26550.18	26550.18	C(i)
	of which: Customer deposits	2056392.04	2056067.97	C(ii)
	of which: Other deposits	0.00	0.00	C(iii)
iii	**Borrowings**	**197601.70**	**197601.70**	D
	From RBI	150000.00	150000.00	D1
	From banks	0.15	0.15	D2
	borrowings outside India	16106.63	16106.63	D3
	From other institutions & agencies	31494.92	31494.92	D4
	of which: Capital instruments	21000.00	21000.00	D4(i)
	Upper Tier II Instruments (Non Basel III Compliant)	5000.00	5000.00	D5
	Lower Tier II Instruments (Non Basel III Compliant)	5000.00	5000.00	D6
	Tier II Instruments (Basel III Complaint)	6000.00	6000.00	D7
	Perpetual Debt Instruments qualifying for AT 1	5000.00	5000.00	D8
iv	**Other liabilities & provisions**	**62130.12**	**62241.19**	E
	General Provisions	8379.56	8379.56	E1
	Total	**2527158.23**	**2529814.10**	

	डीएफ 12 : पूंजी की संरचना - मिलान आवश्यकताएं – चरण 2			(₹ मिलियन में)
		वित्तीय विवरणों के अनुसार (स्टैंडएलोन) तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र	
		31.03.2018 तक	31.03.2018 तक	संदर्भ संख्या
बी	**आस्तियां**			
I.	**भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकद एवं शेष**	**105016.00**	**105016.04**	
	बैंकों के पास शेष और मांग अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	**24261.88**	**24318.94**	
ii	**निवेश**	713977.67	716191.44	
	जिनमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	625962.96	625962.96	
	जिनमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	263.15	263.15	
	जिनमें से : शेयर	6768.20	6780.75	
	जिनमें से : डिबेंचर एवं बांड	74700.58	74700.58	
	जिनमें से : अनुषंगी / संयुक्त उद्यम / सहयोगी संस्थाएं	870.14	3071.36	
	जिनमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड, इत्यादि)	5412.64	5412.64	
iii	**ऋण एवं अग्रिम**	**1565689.28**	**1565689.33**	
	जिनमें से : बैंकों को ऋण और अग्रिम	12111.06	12111.06	
	जिनमें से : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1553578.22	1553578.26	
iv	**अचल आस्तियां**	**34183.46**	**34220.86**	
v	**अन्य आस्तियां**	**84029.94**	**84377.50**	
	जिनमें से : गुडविल और अमूर्त आस्तियां	0.00	41.69	
	जिनमें से			
	गुडविल	0.00	0.00	
	अन्य अमूर्त तत्व	0.00	0.00	
	आस्थगित कर देयताएं	0.00	41.69	
vi	समेकन पर गुडविल	0.00	0.00	
vii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00	
	कुल आस्तियां	**2527158.23**	**2529814.10**	

	DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements-STEP 2		(₹ in Million)	
		Balance sheet as in financial statements (stand alone)	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Reference No.
		As on 31.03.2018	As on 31.03.2018	
B	**Assets**			
i.	**Cash and balances with Reserve Bank of India**	**105016.00**	**105016.04**	
	Balance with banks and money at call and short notice	**24261.88**	**24318.94**	
ii	**Investments**	713977.67	716191.44	
	of which: Government securities	625962.96	625962.96	
	of which: Other approved securities	263.15	263.15	
	of which: Shares	6768.20	6780.75	
	of which: Debentures & Bonds	74700.58	74700.58	
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	870.14	3071.36	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	5412.64	5412.64	
iii	**Loans and advances**	**1565689.28**	**1565689.33**	
	of which: Loans and advances to banks	12111.06	12111.06	
	of which: Loans and advances to customers	1553578.22	1553578.26	
iv	**Fixed assets**	**34183.46**	**34220.86**	
v	**Other assets**	**84029.94**	**84377.50**	
	of which: Goodwill and intangible assets	0.00	41.69	
	Out of which:			
	Goodwill	0.00	0.00	
	Other intangibles	0.00	0.00	
	Deferred tax assets	0.00	41.69	
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0.00	
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00	
	Total Assets	**2527158.23**	**2529814.10**	

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं हेतु प्रकटिकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा : सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा निजी स्थानन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562A01011	आईएनई562A09055
3	लिखतों का नियंत्रण करनेवाले नियम	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू
	विनियामक ट्रीट्मेंट		
4	संक्रमणकालिक बेसल III नियम	सामान्य ईक्विटी टियर 1	एटी 1 बाण्ड
5	उत्तर संक्रमणकालिक बेसल III नियम	पात्र	पात्र
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्र	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत प्रकार	कामन शेयर	बेमियादी बाण्ड
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (31.03.2018 को रुपए मिलियन में)	4802.92	5000
9	लिखत का सममूल्य	लागू नहीं	5000
10	लेखांकन वर्गीकरण	शेयर धारक का ईक्विटी	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	भिन्न तिथि	30.03.2016
12	सतत अथवा दिनांकित	बेमियादी	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	लागू नहीं	बेमियादी
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता काल	नहीं	हाँ
15	वैकल्पिक कालॅ दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं मोचन राशि (रुपए मिलियन में)	लागू नहीं	वैकल्पिक कालॅ दिनांकः 30.03.2021 आकस्मिक कॉल दिनांकः लागू नहीं मोचन राशिः 5000
16	अनुवर्ती काल दिनांक यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	लाभांश / कूपन	लाभांश	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	लाभांश	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	लागू नहीं	11.15% प्रतिवर्ष कोई संबंधित सूचकांक नहीं है
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं	हाँ
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्ध विवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूरी तरह विवेकाधीन	पूरी तरह विवेकाधीन
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	लागू नहीं	बेसल III पर भारिबैंक के दिनांक 01.07.2015 के मास्टर परिपत्र में वर्णित पीओएनवी घटना / विशिष्ट ट्रिगर के आधार पर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	पूर्व विनिर्दिष्ट ट्रिगर पर परिवर्तन जो 5.50% प्रतिशत के न्यूनतम आम ईक्विटी टियर I पूंजी अनुपात पर हो (31.03.2019 के पहले) या जोखिम भारित आस्तियों (आरडबल्यूए) के 6.125% प्रतिशत पर हो (31.03.2019 को या उसके बाद) जोकि बेसल III पर जारी भारिबैंक के 01.07.2015 के परिपत्र में निर्धारित किया गया है।
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशत:	लागू नहीं	पूर्णतः
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	परिवर्तन के समय पर मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	विशिष्ट ट्रिगर पर अनिवार्य
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	सामान्य ईक्विटी शेयर
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	हां
31	यदि अवलिखित है तो, उसके ट्रिगर	लागू नहीं	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित गैर–व्यवहार्यता बिन्दु (पीओएनवी) के आधार पर
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	पूर्ण
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	स्थायी
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	लागू नहीं	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	नहीं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं	लागू नहीं

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A01011	INE562A09055
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1	AT 1 bonds
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Group & Solo	Group & Solo
7	Instrument type	Common Shares	Perpetual bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of 31.03.2018)	4802.92	5000
9	Par value of instrument	Not Applicable	5000
10	Accounting classification	Share holder's equity	Borrowings
11	Original date of issuance	various dates	30.03.2016
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ In Millions)	Not Applicable	Optional Call date: 30.03.2021 Contingent Call dates: Not applicable Redemption amount:5000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Dividend	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Dividend	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable	11.15% p.a No related index
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Fully discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable	Convertible at specific trigger / PONV event as described in RBI Master circular on Basel III dated 01.07.2015
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Conversion at pre-specified trigger at minimum Common Equity Tier I capital ratio of 5.50% (before 31.03.2019) or 6.125% of Risk weighted Assets (RWAs) (on or after 31.03.2019) as prescribed in RBI Master circular on Basel III dated 01.07.2015
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Fully
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Based on market price prevailing at the time of conversion
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Mandatory on specific trigger
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Common equity shares
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Not Applicable	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Not Applicable	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank and subordinate debt bonds
36	Non-compliant transitioned features	No	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable	Not Applicable

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं हेतु प्रकटिकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा.सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी न्यूक्तियों के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562A09030	आईएनई562A09048
3	लिखतों को नियंत्रण करने वाले नियम	भारतीय विधि और विनियामक अपेक्षाओं पर लागू	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू
	विनियामक ट्रीटमेंट		
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	टीयर–2	टीयर–2
5	उत्तर–संक्रमणकालीन बेसल III के नियम	अपात्र	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह और एकल स्तर पर पात्र	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	ऊपरी टीयर II (श्रृंखला II)	ऊपरी टीयर II (श्रृंखला III)
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (31.03.2018 तक, रुपए लाख में)	2000	2000
9	लिखत का सम मूल्य	5000	5000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	28.06.2010	16.07.2010
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	28.06.2020	16.07.2025
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता कॉल	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि (रुपये लाखों में)	वैकल्पिक कॉल दिनांक: लागू नहीं मोचन राशि:5000	वैकल्पिक कालॅ दिनांकः16/07/2020 आकस्मिक कॉल दिनांकः लागू नहीं मोचिन राशिः 5000
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.53 प्रतिशत	पहले 10 वर्ष के लिए 8.67 प्रतिशत अगर कॉल का प्रयोग नहीं किया गयाः 9.17 प्रतिशत
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्धविवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं	हाँ 50 बीपीएस द्वारा वृद्धिशील ऋण
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं
31	यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	हाँ	हाँ
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	बिना हानि के अवशोषकता विशेषताएँ	बिना हानि के अवशोषकता विशेषताएँ

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A09030	INE562A09048
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/group & solo	Group & Solo	Group & Solo
7	Instrument type	Lower Tier II (series II)	Upper Tier II (series III)
8	Amount recognised in regulatory capital Rs. in million, as of 31.03.2018)	2000	2000
9	Par value of instrument	5000	5000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	28.06.2010	16.07.2010
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	28.06.2020	16.07.2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (In Millions)	Call Option Date: Not applicable Redemption amount:5000	Optional Call date:16/07/2020 Contingent Call dates: Not applicable Redemption amount:5000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.53% pa	8.67% pa for first 10 years, If call not exercised: 9.17%
19	Existence of a dividend stopper	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	Yes step up by 50bps
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No loss absorbency features	No loss absorbency features

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताओं हेतु प्रकटीकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा.सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या निजी नियुक्तियों के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562A08016
3	लिखतों को नियंत्रण करने वाले नियम	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू
	विनियामक ट्रीटमेंट	
4	संक्रमणकालीन बेसल III नियम	टीयर–2
5	उत्तर–संक्रमणकालीन बेसल III के नियम	पात्र
6	एकल / समूह / समूह और एकल स्तर पर पात्र	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	बेसल III के अनुरूप टियर II बॉन्ड – शृंखला I
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (31.03.2016 तक, रुपए लाख में)	6000
9	लिखत का सम मूल्य	6000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	28.07.2016
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	28.07.2026
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता कॉल	हाँ
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि (रुपये मिलियन में)	वैकल्पिक कॉल दिनांक:28/07/2021 मोचिन राशि: 6000
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन/लाभांश	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.10% प्रतिशत
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्धविवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेकाधिकार
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	गैर संचयी
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	हाँ
31	यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार गैर–व्यवहार्यता के बिंदु पर (पीओएनवी)
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	पूर्णतः
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	स्थायी
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	पूर्णतः अनुपालन
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A08016
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/group & solo	Group & Solo
7	Instrument type	Basel III complaint Tier II Bond-Series I
8	Amount recognised in regulatory capital Rs. in million, as of 31.03.2018)	6000
9	Par value of instrument	6000
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	28.07.2016
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	28.07.2026
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ In Millions)	Call Option date:28/07/2021 Redemption amount: 6000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.10% pa
19	Existence of a dividend stopper	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	At Point of Non Viability (PONV) as set by RBI
32	If write-down, full or partial	Full
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Fully Compliant
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

सारणी डीएफ–14 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
निम्नतर टियर II बॉन्ड के लिए शर्तें एवं निबंधन

सुरक्षा विवरण	8.67 प्रतिशत असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण अपर टियर II बॉन्ड (ऋण पूंजी लिखत) प्रत्येक 10,00,000 रुपये का वचन नोट की प्रकृति में (श्रृंखला तृतीय) कुल 500 करोड़ रुपये तक)
····के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई	निजी निवेष
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
निर्गम के उद्घाटन की तारीख	16/07/2010
निर्गम के बंद होने की तारीख	16/07/2010
श्रृंखला	श्रृंखला III
आईएसआईएन कोड	आईएनई562,09048
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
निर्गम का आकार	रुपय 500 करोड़
आवंटन की तिथि	16/07/2010
परिपक्वता अवधि समाप्ति की तिथि	16/07/2025
परिपक्व होने के लिए राशि	रुपय 500 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	पहले 10 साल के लिए 8.67 प्रतिशत के दर पर। 50 बेसिस पॉइंट्स दर बढाया जाएगा, प्रभाव में, बॉन्ड्स पर कूपन दर 11 वें वर्ष से 9.17 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी, अगर कॉल ऑप्शन आवंटन की तिथि से 10 वर्ष के अंत में बैंक द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है।
ब्याज की आवृति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर साल 16 जुलाई को
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	16 जुलाई 2011
कॉल ऑप्शन	कॉल ऑप्शन बॉन्ड पर उपलब्ध है और आवंटन की तारीख से 10 वर्ष के अंत में बैंक द्वारा इसका प्रयोग किया जाना है, अन्य शर्तों से संबंधित समय में लागू कानूनों और नियमन के अनुसार, बैंक की कॉल ऑप्शन प्रयोग के समय में और प्रयोग के बाद पूंजी पर्याप्तता स्थिति अंशतः नहीं बल्कि पूर्णतः बैंक द्वारा कॉल विकल्प का प्रयोग और प्रयोग के बाद का मामला भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा । बैंक द्वारा कॉल विकल्प के प्रयोग के समय बैंक कम से कम 30 (तीस) दिन पहले उस तारीख को, बॉन्ड धारकों को पंजीकृत डाक / कूरियर द्वारा भेजे गए एक नोटिस के माध्यम से सूचित करेगा । बांड आवंटन की संभावित तारीख से 10 साल की चूक के बाद कॉल विकल्प के साथ संयोजन के रूप में बांड के पूरे जीवन काल के दौरान केवल एक बार प्रयोग किया जाएगा जो एक स्टेप–अप ऑप्शन कहलाएगा। स्टेप–अप 50 बीपीएस, कॉल ऑप्शन आवंटन की तिथि से 10 वर्ष के अंत में अगर बैंक द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है, तो बॉन्ड पर कूपन दर बाद के वर्षों के लिए 9.17% प्रति वर्ष के हिसाब से कूपन रेट बढ़ाया जाएगा।

Table DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Terms and conditions for Upper Tier II Bond

Security Description	8.67% Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier II Bonds (Debt Capital Instruments) in the nature of Promissory Notes (Series III) of Rs.10,00,000 each aggregating to Rs.500 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	16/07/2010
Date of closing of the issue	16/07/2010
Series	Series III
ISIN Code	INE562A09048
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.500 Crore
Date of allotment	16/07/2010
Date of maturity	16/07/2025
Amount to be matured	Rs.500 Crore
Coupon rate (fixed)	8.67% for the first 10 years. The rate will be stepped up by 50 basis points, in effect, the coupon rate on Bonds shall be 9.17% p.a from 11th year onwards, if call option not exercised by the Bank at the end of the 10th year from the date of allotment
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	16th July every year
First Interest Payment date	16th July 2011
Call Option	Call Option is available on bonds which may be exercised by the Bank at the end of 10th year from the date of allotment, subject to prior approval of RBI and in accordance with the applicable laws and regulation in effect at the time relating to among other things, Capital adequacy position of the Bank both at the time of and after exercise of the Call option, in whole but not in part. In case of exercise of Call option by the Bank, the Bank shall notify its intention to do so through a notice sent by registered post/ courier to the Bond holders, at least 30(thirty) days prior to the due date. The bonds have a step-up options which shall be exercised only once during the whole life of the bonds, in conjunction with the Call option, after the lapse of 10 years from the deemed date of allotment. The step-up shall be 50 bps, in effect, the coupon rate on bonds shall be stepped up to 9.17% p.a for subsequent years if call option is not exercised by the bank at the end of 10th year from the date of allotment.

निम्नतर टियर II बॉन्ड के लिए पूर्ण शर्तें एवं निबंधन

सुरक्षा विवरण	8.53 प्रतिशत असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण लोअर टीयर II बॉन्ड्स 10,00,000 रुपये का वचन पत्र के श्रेणी में (ऋण पूंजी लिखत) (श्रृंखला II), प्रत्येक कुल 500 करोड़ रुपये तक)
....के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई	निजी नियोजन
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
निर्गम के उद्घाटन की तारीख	28/06/2010
निर्गम के बंद होने की तारीख	28/06/2010
श्रृंखला	श्रृंखला II
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए09030
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
निर्गम का आकार	रुपये 500 करोड़
आबंटन की तिथि	28/06/2010
परिपक्वता अवधि समाप्ति की तिथि	28/06/2020
परिपक्व होने के लिए राशि	रुपये 500 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	8.53 प्रतिशत
ब्याज की आवृति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर साल 28 जून को
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	28 जून 2011

बेसल III के अनुरूप शर्तें एवं निबंधन टियर II बॉन्ड–सीरीज I

सुरक्षा विवरण	8.10 प्रतिशत असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण लोअर टीयर II बॉन्ड्स 10,00,000 रुपये का वचन पत्र के श्रेणी में (ऋण पूंजी लिखत) (श्रृंखला I), प्रत्येक कुल 600 करोड़ रुपये तक)
के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई	निजी नियोजन
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
निर्गम के उद्घाटन की तारीख	28/07/2016
निर्गम के बंद होने की तारीख	28/07/2016
श्रृंखला	श्रृंखला I
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए08016
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
निर्गम का आकार	रुपये 600 करोड़
आवंटन की तिथि	28/07/2016
परिपक्वता तिथि	28/07/2026
कॉल ऑप्शन	पाँच वर्षों के अंत में : 28/07/2021
परिपक्व होने के लिए राशि	रुपये 600 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	8.10%
ब्याज की आवृति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर साल 28 जुलाई को
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	28 जुलाई 2017

Terms and conditions for Lower Tier II Bond

Security Description	8.53% Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier II Bonds (Debt Capital Instruments) in the nature of Promissory Notes (Series II) of Rs.10,00,000 each aggregating to Rs.500 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	28/06/2010
Date of closing of the issue	28/06/2010
Series	Series II
ISIN Code	INE562A09030
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.500 Crore
Date of allotment	28/06/2010
Date of maturity	28/06/2020
Amount to be matured	Rs.500 Crore
Coupon rate (fixed)	8.53%
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	28th June every year
First Interest Payment date	28th June 2011

Terms and conditions for Basel III compliant Tier II Bond - Series I

Security Description	8.10% Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Tier II Bonds (Debt Capital Instruments) in the nature of Promissory Notes (Series I) of Rs.10,00,000 each aggregating to Rs.600 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	28/07/2016
Date of closing of the issue	28/07/2016
Series	Series I
ISIN Code	INE562A08016
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.600 Crore
Date of allotment	28/07/2016
Date of maturity	28/07/2026
Call Option	At the end of 5 years ie:28/07/2021
Amount to be matured	Rs.600 Crore
Coupon rate (fixed)	8.10%
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	28th July every year
First Interest Payment date	28th July 2017

सारणी डीएफ–14 विनियामक पूंजी लिखतों की शर्तें एवं निबंधन
एटी 1 बॉन्ड के लिए पूर्ण शर्तें एवं निबंधन

सुरक्षा विवरण	अरक्षित बेसल III के अनुपालन में अतिरिक्त टियर–1 की स्थायी ऋण लिखतें
के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई	निजी नियोजन
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
निर्गम के उद्घाटन की तारीख	30/03/2016
निर्गम के बंद होने की तारीख	30/03/2016
श्रृंखला	श्रृंखला I
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए09055
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
मुद्दा का आकार	रुपय 500 करोड़
आवंटन की तिथि	31/03/2016
परिपक्वता अवधि समाप्ति की तिथि	स्थायी लिखतें
कूपन दर (नियत)	11.15% प्रतिशत प्रतिवर्ष
ब्याज की आवृति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर साल 30 मार्च को
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	30 मार्च 2017
पुट ऑप्शन	कुछ नहीं
कॉल ऑप्शन	5 वर्ष पूरे होने के बाद ही
ट्रस्टीस	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड
ऋण रेटिंग	सीआरआईएसआईएल एए +/स्टेबल दिनांकित 06 नवम्बर 2017

सारणी डीएफ - 15: पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएं

.... **लागू नहीं** ....

बेसल III पर शरिबैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार यह सारणी भारत में कार्यरत सभी निजी एवं विदेशी बैंकों के लिए ही लागू है ।

सारणी डीएफ –16 : ईक्विटी – बैंकिंग बुक स्थितियों के लिए प्रकटीकरण

बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन पर विवेकपूर्ण मानदण्डों पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुपालन में खरीद के समय में ही निवेशों को व्यापार के लिए धारित (एचएफटी), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) ओर परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। छोटी अवधि में ही मूल रूप से बिक्री के लिए धारित निवेशों को एचएफटी प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत किया जाता हैं। भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी एचएफटी प्रतिभूतियों को, जो 90 दिन के अवधि के दौरान बिना बिके रहते हैं, एएफएस प्रतिभूति के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता हैं। जिन प्रतिभूतियों को बैंक परिपक्वता तक धारित करने का इरादा रखता है, उन्हें एचटीएम संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों की ईक्विटी में निवेश को एएफएस प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेशों को एएफएस प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एचटीएम सवंर्ग में धारित ईक्विटी निवेशों को अर्जन लागत पर रखा जाता है। बैंकिंग बही के अंतर्गत ईक्विटी निवेश, अनुषंगियों और सहयोगी संस्थाओं में बैंक के निवेश है। 31.03.2018 तक बैंकिंग बही के अंतर्गत ईक्विटी शेयरों में बही मूल्य रुपए 923.64 मिलियन हैं। बैंक ने समेकित लाभ / हानि लेखे में या समेकित तुलन–पत्र में किसी भी प्रकार के लाभ या हानि की पहचान नहीं की हैं।

अनुषंगियों में निवेश को सीईटी 1 से कम किया गया है तथा सहयोगी संस्थाओं में निवेश को 250 प्रतिशत पर जोखिम भारित किया गया है।

Table DF-14: Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Terms and conditions for AT 1 Bonds

Security Description	Unsecured BASEL III Compliant Additional Tier-1 Perpetual Debt Instruments
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	30/03/2016
Date of closing of the issue	30/03/2016
Series	Series I
ISIN Code	INE562A09055
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.500 Crore
Date of allotment	31/03/2016
Date of maturity	Perpetual instruments
Coupon rate (fixed)	11.15% p.a.
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	30th March every year
First Interest Payment date	30th March 2017
Put option	None
Call Option	Only after completing 5 years.
Trustees	Axis Trustee Services Limited
Credit Rating	CRISIL AA+/Stable dated 06th November 2017

Table DF-15: Disclosure Requirements for Remuneration

----- Not applicable -----

As per RBI Master Circular on Basel III, this table is only applicable to all private sector and foreign banks operating in India.

Table DF-16: Equities-Disclosure for Banking Book Positions

Investments are classified at the time of purchase into Held for trade (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories in line with the RBI master circular on Prudential Norms for classification, valuation and operation of investments portfolio by Banks. Investments that are held principally for sale within a short period are classified as HFT securities. As per the RBI guidelines, HFT securities, which remain unsold for a period of 90 days are reclassified as AFS securities. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified under the HTM category. Investments in the equity of subsidiaries/joint ventures are categorized as HTM in accordance with the RBI guidelines. All other investments are classified as AFS securities.

Equity investments under the HTM category are carried at acquisition cost. Equity investment under the banking book are the Bank's investments in subsidiaries and associates. As on 31/03/2018, Book value of equity shares under Banking book is ₹923.64 million. The Bank has not recognised any gain or loss in the consolidated profit and loss account or consolidated balance sheet.

Investments in subsidiaries have been reduced from CET 1 and investment in associates has been risk weighted at 250%.

सारणी डीएफ 17 – लेखांकित आस्तियों की तुलना में लिवरेज प्रतिशत एक्स्पोजर कदमों की तुलना का सारांश (₹ मिलियन में)

	मद	31.03.2018
1	प्रकाशित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	2529814.10
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक उपक्रमों में निवेश के लिए समायोजन जिन्हें लेखांकन के प्रयोजनों के लिए समेकित किया गया है परंतु विनियामक समेकन के दायरे के बाहर है।	0.00
3	परिचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुरूप तुलन–पत्र में पहचानी गयी प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन परंतु जो लिवरेज अनुपात एक्स्पोज़र कदम के दायरे से बाहर है।	0.00
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन।	2172.64
5	प्रतिभूतियों के वित्तीयन लेनदेनों के लिए समायोजन (अर्थात् रैपो और इसी प्रकार के रक्षित ऋण)	0.00
6	तुलन–पत्र से बाहर की मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलन–पत्र के बाहर की एक्स्पोज़र राशियों का ऋण–समतुल्य राशियों में परिवर्तन।	250241.24
7	अन्य समायोजन	3617.67
8	**लिवरेज प्रतिशत एक्स्पोज़र**	**2785845.65**

डीएफ 18 – लिवरेज प्रतिशत सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट (₹ मिलियन में)

	मद	31-03-2018
	तुलन–पत्र में आनेवाले एक्स्पोशर	**समेकित**
1	तुलन–पत्र में आनेवाली मदें (व्युत्पन्न और एसएफटी को छोड़कर परंतु संपार्श्विक को शामिल करते हुए)	2533438.16
2	(बेसल III टियर I पूंजी के निर्धारण में आस्ति राशियां घटायी गयी हैं।	(6.40)
3	कुल तुलन–पत्र में आनेवाली मदें (व्युत्पन्न और एसएफटी को छोड़कर) (ऊपर 1 और 2 का योग)	2533431.76
	व्युत्पन्न एक्स्पोशर	
4	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों से संबंधित पुनः स्थापन लागत (अर्थात् पात्र नकदी विभिन्नता मार्जिन को घटाने के बाद)	467.21
5	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों से संबंधित पीएफई के लिए एड–ऑन राशियां	1705.44
6	परिचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुपालन में तुलन–पत्र की आस्तियों से जहां कटौती की गई है, प्रावधान किए गए व्युत्पन्न संपार्श्विक की सकल राशि।	0
7	(व्युत्पन्न लेनदेनों में प्रावधान किए गए नकदी विभिन्नता मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	0
8	(ग्राहक द्वारा क्लियर किए गए व्यापार एक्स्पोज़र में छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	0
9	लिखित ऋण व्युत्पन्न के लिए समायोजित प्रभावी नाम मात्र राशि।	0
10	(लिखित ऋण व्युत्पन्न के लिए समायोजित प्रभावी नाम मात्र ऑफसेट और एड–ऑन कटौतियां)	0
11	कुल व्युत्पन्न एक्स्पोज़र (ऊपर 4 से 10 का योग)	2172.64
	प्रतिभूतियों के वित्तीयन संबंधित लेनदेन एक्स्पोशर	
12	सकल एसएफटी आस्तियां (नेटिंग की पहचान रहित), बिक्री लेखांकन लेनदेनों के समायोजन के बाद)	0.00
13	(सकल एसएफटी आस्तियों में देय नकदी और प्राप्य नकदी की निवल राशियां)	0.00
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्स्पोज़र	0.00
15	एजेंट लेनदेन एक्स्पोज़र	0.00
16	कुल प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्स्पोज़र (ऊपर 12 से 15 का योग)	0.00
	अन्य तुलन–पत्र से बाहर के एक्स्पोशर	
17	सकल नाममात्र राशि पर तुलन पत्र से बाहर के एक्स्पोज़र	593045.28
18	(ऋण समतुल्य राशियों में परिवर्तन हेतु समायोजन)	(342804.04)
19	तुलन–पत्र से बाहर की मदें (ऊपर 17 और 18 का योग)	250241.24
	पूंजी और कुल एक्स्पोशर	
20	टियर I पूंजी	176561.44
21	कुल एक्स्पोशर (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का योग)	2785845.65
	लिवरेज अनुपात	
22	**बेसल III लिवरेज अनुपात**	**6.34%**

Table DF 17- Summary comparison of accounting assets vs. leverage ratio exposure measure

(₹ in Million)

	Item	31.03.2018
1	Total consolidated assets as per published financial Statement	2529814.10
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	0.00
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	0.00
4	Adjustments for derivative financial instruments	2172.64
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	0.00
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	250241.24
7	Other adjustments	3617.67
8	**Leverage ratio exposure**	**2785845.65**

DF 18 – Leverage ratio common disclosure template

(₹ in Million)

	Item	31-03-2018
	On-balance sheet exposures	**Consolidated**
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	2533438.16
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(6.40)
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	2533431.76
	Derivative exposures	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	467.21
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	1705.44
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0.00
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0.00
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0.00
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0.00
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0.00
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	2172.64
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	0.00
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0.00
14	CCR exposure for SFT assets	0.00
15	Agent transaction exposures	0.00
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	0.00
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	593045.28
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(342804.04)
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	250241.24
	Capital and total exposures	
20	Tier 1 capital	176561.44
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	2785845.65
	Leverage ratio	
22	**Basel III leverage ratio**	**6.34%**

NOTES

श्री ए एस राजीव, कार्यपालक निदेशक ने कोलकाता अंचल के पोर्ट ब्लेयर शाखा का दौरा किया एवं लाभार्थियों को ऋण वितरित किए ।

Shri A S Rajeev, Executive Director visited Port Blair branch of Kolkata Zone and distributed loans to beneficiaries.

इंडियन बैंक को स्टेट फोरम ऑफ बैंकर्स क्लब, केरल (एसएफबीसीके) द्वारा "वर्ष 2016–17 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र संवर्ग के अंतर्गत तृतीय श्रेष्ठ बैंक" के रूप में चयनित किया गया । एर्णाकुलम में आयोजित समारोह के दौरान केरल विधान सभा के माननीय सभाध्यक्ष श्री पी श्रीरामकृष्णन के करकमलों से श्री एम के भट्टाचार्य, कार्यपालक निदेशक, इंडियन बैंक को पुरस्कार प्रदान किया गया।

Indian Bank was adjudged as "The Third Best Bank at National Level under Public Sector Category for the year 2016-17" by State Forum of Bankers' Clubs, Kerala (SFBCK). Shri P Sreeramakrishnan, Hon'ble Speaker of Kerala Legislative Assembly presented the award to Shri M K Bhattacharya, Executive Director, Indian Bank in a function held at Ernakulam.

हमें इन योजनाओं के सहयोग में गर्व है / We are proud to be associated with

MAKE IN INDIA
Digital India
Skill India
#startupindia
STAND UP India

இந்தியன் வங்கி
इंडियन बैंक
Indian Bank
உங்கள் வங்கி • आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK

कॉर्पोरेट कार्यालय / Corporate Office :
254-260, अव्वै षण्मुगम सालै / Avvai Shanmugam Salai,
रायपेट्टा / Royapettah, चेन्नै / Chennai - 600 014

Toll Free : 1800 425 00 000 indmail@indianbank.co.in www.indianbank.in MyIndianBank @MyIndianBank @myIndianBank Indian Bank